लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. 152
Acc No 58
Dated 8/5/06

(खंड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 36, बुधवार, 11 मई, 2005/21 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 641, 643, 647, 650 और 651	1–36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 642, 644–646, 648, 649 तथा 652 से 660	36–68
अतारांकित प्रश्न संख्या 6764 से 6993	67–550
सभा पटल पर रखे गए पत्र	551–565
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	565–566
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	566
रेल संबंधी स्थायी समिति	
नौवां और दसवां प्रतिवेदन	566
कार्यमंत्रणा समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	566
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	567–588
(दो) महासागर विकास विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 128वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	589–590

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	590–595
(चार) अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विदेश संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री ई. अहमद	595–638
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिर्च के मूल्यों में गिरावट के कारण मिर्च उत्पादकों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति	639–647
डा. बाबू राव मिडियम	639, 640–642
श्री कांति लाल भूरिया	639–640, 645–647
श्री पी. मोहन	642
श्री एम. अप्पादुरई	642
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	642–643
श्री किन्जरपु येरननायडु	643–645
नामाधिकरण विषयक विधेयक, 2005—पुरःस्थापित	648–658
नियम 377 के अधीन मामले	658–670
(एक) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर गंगाधर और वीरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. तुषार अमर सिंह चौधरी	658–659
(दो) नार्थ कोयल और बटनी नदी पर बने बांधों पर गेट लगाए जाने हेतु झारखंड सरकार को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	659–660
(तीन) गुजरात के जूनागढ़ जिले में लैण्ड लाईन और मोबाईल टेलीफोन सेवा के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	660
(चार) कंपनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के टुंडू एकक के पुनरुज्जीवन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर दूबे	660–661
(पांच) तमिलनाडु के तीन नगर पंचायतों अर्थात् कायटार, कलुगुमलाई, इट्टायपुरम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तिरुनेलवेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाईप लाईन बिछाए जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री धनुष्कोडी आर. अतिथन	661–662
(छह) झारखंड के देवधर जिले में पथरौल में काली मंदिर को पर्यटक केन्द्र घोषित किए जाने तथा तीर्थयात्रियों के लिए जनसुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री फुरकान अंसारी	662

विषय	कॉलम
(सात) कर्नाटक में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को तत्काल केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. वेंकटेश नायक	662–663
(आठ) केरल के अलप्पुजा संसदीय क्षेत्र में छोटे द्वीपों के समग्र विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	663
(नौ) प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली-चेन्नई फ्रेट कोरीडोर का कार्यान्वयन शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	663–664
(दस) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा जयकृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	664–665
(ग्यारह) पर्यावरणीय-पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोबा जिले में चरखरी लेक के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	665
(बारह) बेरोजगारी की समस्या हल करने के उद्देश्य से शहरी विकास अभिकरणों के माध्यम से देश भर में बेरोजगार युवकों को छोटी दुकानें मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रेवती रमन सिंह	665–666
(तेरह) स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन और सिटी घाट के बीच स्थानीय रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	666
(चौदह) नदी के बांध को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार में बूढ़ी गंडक बागमती और खरसठ नदियों पर बने बांध के बोल्डर पिचिंग और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	666–667
(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश जिले के बिल्हौर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उप दूरभाष केन्द्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजाराम पाल	667
(सोलह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणी देवी मंदिर और परियरी में बेहतर सड़क संपर्क और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रजेश पाठक	667–668
(सत्रह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय क्षेत्र में जहां नवम्बर, 2004 में भारी वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई थी, किसानों को राहत और मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई. पोन्नुस्वामी	668
(अठारह) न्यायालयों में शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश मनाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. एम. जगन्नाथ	668–669

विषय	कॉलम
(उन्नीस) झारखंड में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में नदियों के बांधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमलाल मुर्मू	669
(बीस) निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	669–670
सूचना का अधिकार विधेयक, 2004	670–718
विचार करने के लिए प्रस्ताव	670
डा. मनमोहन सिंह	670–674
श्री सुरेश पचौरी	674–681
खंड 2 से 28 और 1	682–717
पारित करने के लिए प्रस्ताव	718
बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005	719–731
विचार करने के लिए प्रस्ताव	719
श्री पी. चिदम्बरम	719–720, 725–730
श्री निखिल कुमार	720–722
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	723
श्री आलोक कुमार मेहता	723–725
खंड 2 से 100 और 1	731
पारित करने के लिए प्रस्ताव	731
इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	731–758
विचार करने के लिए प्रस्ताव	731
श्री अर्जुन सिंह	731–733, 755–757
श्री राजेश मिश्रा	733–735
प्रो. बसुदेव बर्मन	735–737
श्री शैलेन्द्र कुमार	737–740
चौधरी बिजेन्द्र सिंह	740–742
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	742–744
प्रो. एम. रामदास	744–747
डा. टोकचोम मैन्या	747–748
प्रो. राम गोपाल यादव	748–749
श्री राम कृपाल यादव	750–753
श्री रामदास आठवले	753–754
श्री राजाराम पाल	754
खंड 2 से 46 और 1	758
पारित करने के लिए प्रस्ताव	758

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में बढ़ती हुई जनसंख्या	759–769
श्री प्रबोध पाण्डा	759–761
श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य	761–765
श्रीमती पी. सतीदेवी	765–768
श्री रामजी लाल सुमन	768
आधे घंटे की चर्चा	
सर्वशिक्षा अभियान	769–786
श्री रवि प्रकाश वर्मा	769–776
श्री किसनभाई वी. पटेल	776
श्री एस.के. खारवेनथन	776
श्री शैलेन्द्र कुमार	777
डा. चिन्ता मोहन	777
श्री सुनील खां	778–779
प्रो. बसुदेव बर्मन	779
श्री प्रबोध पाण्डा	779–780
श्री राम कृपाल यादव	780
श्री रामदास आठवले	780-781
श्री राजाराम पाल	781
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	781–782
डा. रामचन्द्र डोम	782
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	782
श्री अर्जुन सिंह	782–785
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	787
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	788–794
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	795–796
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	795–798

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 11 मई, 2005/21 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन्, प्रश्न संख्या-641

आयुर्वेदिक उपचार का मानकीकरण

***641. श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेदिक उपचार का मानकीकरण करने और आयुर्वेद में औषधियों और पद्धतियों की प्रभावोत्पादकता को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार का संस्थागत प्रबंध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आयुर्वेद भारत में चिकित्सा की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक पद्धति है जिसे सरकार द्वारा विधिवत् मान्यता दी जाती है और विधि द्वारा विनियमित किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से उपचार पद्धति सहित आयुर्वेद के सभी पक्षों का मानकीकरण करने के लिए संस्थागत प्रबंध विद्यमान हैं। सरकार ने अनुभव पर आधारित आयुर्वेद औषधि के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण और आयुर्वेदिक उपचार के लिए अद्यतन वैज्ञानिक एवं नैदानिक उपकरणों के अनुप्रयोग हेतु कदम उठाए हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सीसीआईएम) के पास आयुर्वेद शिक्षा के मानकों को विहित करने, आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की केंद्रीय पंजिका अनुरक्षित करने और उनके लिए व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार और नीतिगत संहिता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश है।

उपचार को परिमार्जित करने और आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए स्वस्थाने और बाह्यस्थाने अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों और अस्पतालों को कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है।

सरकार ने हाल ही में स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी के नाम से सहयोगात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान के अतिरिक्त घटक उपलब्ध कराने हेतु बाह्यस्थाने अनुसंधान स्कीम में संशोधन किया है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत आयुष विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) अनुभव पर आधारित वर्तमान औषध योगों का वैज्ञानिक रूप से विधिमान्यकरण करने के अलावा वैश्विक रूप से स्वीकार की जाने वाली नई और प्रभावोत्पादक आयुर्वेदिक औषधियों को विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रश्न संख्या 641

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, आयुर्वेद हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जहां तक मेरे राज्य, केरल का संबंध है, लगभग 12 आयुर्वेदिक कालेज आयुर्वेदिक उपचार के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। केरल में दो महत्वपूर्ण अनुसंधान केन्द्र हैं। उनमें से एक कालेज जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वहीं विश्व विख्यात कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला है जहां अनेक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने उपचार के लिए जाते हैं। हम जानते है कि आयुर्वेद उपचार की ऐसी पद्धति है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमें आयुर्वेद के विकास के लिए सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना होगा।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तिरुवनंतपुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना फाइल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो इस प्रस्ताव को अलग से अनुमोदित किया जाना चाहिए था क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त, इस अनुपम पद्धति के संरक्षण, प्रचार और इसके स्वामित्व अधिकारों को बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि भारत की इस एकमात्र चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए देश में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विद्यमान हो।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या पढ़ रहे हैं? अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने निर्णय पर पुन: विचार करने और पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने के लिए तैयार है? इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि वे इस संबंध में कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: सरकार अपनी चिकित्सा पद्धति जो कि हमारी पारम्परिक पद्धति है, का प्रचार करने के लिए कृत संकल्प है। मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि यह हमारी अपनी पद्धति है जिसका विकास हमारे पूर्वजों ने किया था। हमें इस पद्धति का प्रचार करना होगा। यह पद्धति किफायती है जिसके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। हम इसका प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न, जो कि केरल में आयुर्वेद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना किये जाने के बारे में है, के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। अत: एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने जैसी इतनी बड़ी परियोजना के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। परंतु हम केरल सरकार को उन योजनाओं में सहायता प्रदान कर सकते हैं जो पहले से ही तैयार कर ली गई हैं। उदाहरण के लिए केरल सरकार को 3 करोड़ रुपए तक की सहायता दे सकते हैं जो कि हम राज्य द्वारा संचालित कालेजों का उन्नयन करके उन्हें विशिष्ट कालेजों का दर्जा प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न कतिपय आयुर्वेदिक औषधियों के पेटेंट अधिकारों को बनाये रखने के बारे में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेटेंट कानून लागू है। ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों हेतु पेटेंट अधिकारों के लिए आवेदन किया है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पेटेंट अधिकारों के संरक्षण हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला एक अनुसंधान केन्द्र है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन कर रही है। उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला और तिरुवनंतपुरम में शान्तिगिरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन कर रही है, जैसे सुविख्यात प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक उपचार केन्द्रों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अपनी बात दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सरकार इन औषधियों को संरक्षण प्रदान करने तथा अनुदान और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उसके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तत्काल कदम उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे। आप इस पर ध्यान देंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: हां, महोदय, हम पेटेंट अधिकारों के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता और प्रक्रिया को समझते हैं। पेटेंट कानून के अनुसार, ज्ञान जो कि आम लोगों के पास विद्यमान है, का पेटेंट नहीं किया जा सकता। सरकार ने अब एक "ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय)" बनायी है जिसे टी.के.डी.एन. कहा जाता है। इसमें हम आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के विभिन्न सूत्रों का संकलन कर रहे हैं। हम इन्हें एकत्र कर रहे हैं और जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आई. पी. ओ.) में पंजीकृत कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी देश का कोई व्यक्ति किसी औषधि का पेटेंट कराता है तो वे उसे सदैव उस केन्द्र में भेज देते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या आयुर्वेदिक या जड़ी-बूटी संबंधी सूत्र का पहले ही कोई पेटेंट है। अत: इस समय हमारे पास आयुर्वेद में 36 सूत्र हैं जिसका डब्ल्यू आई.पी.ओ. में पंजीकरण कराया गया है और 72,000 सूत्र ऐसे हैं जिनके पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जो कार्य हमने होम्योपैथी और यूनानी के लिए किया है वैसा ही हम सिद्धा के लिए भी कर रहे हैं। हम उसे संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अधिकारों का पेटेंट कराने का यह मुद्दा बहुत ही जटिल है क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों की प्रक्रियाऐं भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए हम अपने हितों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक उपचार को सदियों से हिन्दुस्तान में सर्वोच्च चिकित्सा पद्धति माना गया है। आज जितने भी पुराने मेडिकल कालेज हैं—जैसे उत्तर प्रदेश में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी केन्द्रीय सरकार का विश्वविद्यालय है, वहां आयुर्वेदिक चिकित्सा का अलग से एक संस्थान है। आजकल वहां कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। वहां के डाक्टर्स प्राचीन पद्धति की दवाईयां जो डायबिटीज और कैंसर वगैरह में बहुत उपयोगी हैं, उनके तमाम प्रोजैक्ट्स भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके सारे प्रपोजल्स पैन्डिंग हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रपोजल्स उस संस्थान से यहां आये हैं, उन प्रपोजल्स की आवश्यकता को देखते हुए क्या यह सरकार अविलम्ब उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न इससे भिन्न है। मंत्री जी, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: यदि प्रस्ताव सही तरह से तैयार किये गए हैं और अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये गऐ हैं तो मुझे उनके लंबित रहने का कोई कारण नजर नहीं आता। परंतु यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव जो लंबित हो, मेरे ध्यान में लाएं तो मैं उस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि आयुर्वेदिक उपचार का मानकीकरण करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की जाए और औषधियों आदि की क्षमता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित की जाए। कृपया इससे संबंधित अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार, सी सी आई एम आयुर्वेद शिक्षा का मानकीकरण करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उसके पास आयुर्वेद चिकित्सकों का एक केन्द्रीकृत रजिस्टर रखने और व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और उनके लिए आचार संहिता के मानकों का निर्धारण करने का आदेश है। इन सभी बातों के बावजूद, भारतीय चिकित्सा पद्धति 'आयुष' में प्रशिक्षित चिकित्सक भारतीय चिकित्सा पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं बल्कि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं जबकि न तो उस पद्धति से परिचित हैं और न ही उन्हें उसके विषय की जानकारी है। इसके परिणामस्वरूप, अनेक खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और कभी-कभी इससे मृत्यु भी हो रही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा. एम. जगन्नाथ: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। सरकार के काफी प्रयास के बावजूद नकली आयुर्वेदिक औषधियां खुले आम बाजार में बेची जा रही हैं और वे बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। अत: मैं अपने माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद के उन चिकित्सकों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं? खुले बाजार में नकली आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करना दंडनीय है?

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य आधुनिक चिकित्सक हैं, वे मेरी तरह आधुनिक काय-चिकित्सक हैं। मैं उनकी इस चिन्ता को समझता हूं कि भारतीय-चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित कुछ चिकित्सक जिनके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति को विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा जारी की गई उपाधियां हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। कानूनी रूप से यह नीमहकीमी के अंतर्गत आता है। चिकित्सकों को मान्यताप्राप्त पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए।

मान्यताप्राप्त पद्धतियों के अलावा वे किसी अन्य पद्धति से इलाज नहीं कर सकेंगे। सरकार नीमहकीमी को रोकने के लिए आगामी महीनों में एक विधेयक लाने की कोशिश कर रही है।

अब बात दूसरे हिस्से की, जो नकली दवाओं से संबंधित है। यह बड़ा सवाल है। इसे रोकने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। हम इस क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के आधुनिक प्रयास कर रहे हैं और डा. आर. ए. माशेलकर की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी परसों ही राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ जो इस मामले में कानून को और सख्त करने की डा. माशेलकर की सिफारिश पर विधिक और दांडिक संस्तुति देने के बारे में था।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, केरल को आयुर्वेद की भूमि कहा जाता है। आयुर्वेद में कई प्रकार की चिकित्सा होती है। जैसा बताया गया, कि कई सारे प्रतिष्ठित संस्थान यहां पर हैं। यही नहीं, कई प्रकार की विशिष्ट रोग-चिकित्सा, जैसे नेत्र-चिकित्सा, अस्थिभंग-उपचार आदि के लिए भी केरल में कई केन्द्र हैं। केरलवासी ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग केरल आकर चिकित्सा कराते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री पी. करुणाकरन: सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आयुर्वेदिक उपचार कराया था ...*(व्यवधान)*

मो. सलीम: ये सब तो उदाहरण हैं।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केरल ही नहीं बल्कि देश भर के हित में, क्या सरकार केरल में आयुर्वेद के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शोध-संस्थान खोलने का विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: ऐसा प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

डा. अंबुमणि रामदास: केरल के चिरुतुर्ती में पहले ही एक बड़ा मनोरम केन्द्र 'केन्द्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान' मौजूद है। इसे उन्नत किया गया है। इसे और भी उन्नत करने के लिए हमने

60 लाख रु. की राशि भी दी है। सरकार इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर केरल के संदर्भ में, सभी कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रेवती रमण सिंह। अब प्रश्न दोहराए न जाएं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक उपचार के मानकीकरण की आवश्यकता किन कारणों से महसूस की गई? क्या आयुर्वेद इसकी अनुमति देता है और क्या इसके मानकीकरण का प्रस्ताव आयुर्वेद की मूल व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है? यदि हैं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को निरस्त करने पर विचार करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: सभी प्रकार की औषधियों व नुस्खों का मानकीकरण करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर कई तरह का मनमाना इलाज चलता है और औषधियां बिकती हैं। इसलिए हमें इसका मानकीकरण करना पड़ेगा और इन उत्पादों को वैज्ञानिक स्तर पर वैधता प्रदान करनी होगी, क्योंकि यह पद्धति हमारी अपनी है और अब विश्वस्तर पर इसे स्वीकृति मिल रही है। विश्वस्तरीय स्वीकृति के लिए हमें प्रत्येक आयुर्वेदिक नुस्खे तथा औषधि को वैज्ञानिक-वैधता देनी होगी, भले ही वह उपादान हो या तैयार औषधि। बेशक, यह बात मानी भी गई है। मैंने पहले भी कहा, 25 प्रतिशत अमरीकी औषधियां पादप आधारित हैं हमें इस वास्ते प्रचार-प्रसार करना है और मानक तय करने हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजाराम पाल, यदि कोई नई बात हो तो पूछें। वही-वही बात मत पूछें।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: अध्यक्ष महोदय, भारत ऋषि-मुनियों का देश रहा है और आयुर्वेद यहां की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आज ऐलोपैथिक इलाज शरीर में तमाम नए रोगों को निमंत्रण देता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए क्या माननीय मंत्री जी पूरे देश में जिला, तहसील और ब्लाक हैडक्वार्टर स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद चिकित्सा विभागों की स्थापना का काम करेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात प्रश्नान्तर्गत नहीं है। क्षमा कीजिए। मैं पुन: आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि केवल प्रश्नोत्तर तक ही सीमित रहिए। केवल पूछने के लिए ही कुछ भी मत पूछिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम यह एकीकृत करना चाह रह हैं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाएगा? क्या आप ऐसा करेंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: जी नहीं, महोदय। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत हम राज्यों से यह बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधुनिक पद्धति के चिकित्सक के साथ भारतीय पद्धति का चिकित्सक भी रखा जाए। हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैसी औषधियां भी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव। यदि फिर से बात दोहराई गई तो मैं उसे अस्वीकृत कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोगों ने अहसास किया है कि आयुर्वेद पद्धति में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और कई तरह से इससे जुड़ी हुई चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है, योग संस्थान भी खुल रहे हैं। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां पर गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। उनके पास इतनी राशि नहीं होती है कि वे अपना इलाज एलोपैथी पद्धति से करा सकें। वहां दो आयुर्वेदिक कालेजेज है जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है और कई छोटे-बड़े संस्थान भी हैं। बिहार में एक आयुर्वेदिक कालेज पटना में है और दूसरा मोतिहारी में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों कालेजों को उत्कृष्ट करने के लिए माननीय मंत्री जी भारत सरकार के माध्यम से उनको राशि आबंटित करेंगे?

दूसरा गरीब तबके के जो लोग हैं उनके इलाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर औषधि की खेती होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, दो महाविद्यालयों की बात है। क्या आप उनकी मदद करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: किसान औषधी के पेड़-पौधों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी पेड़-पौधों के ज्यादा उत्पादन के लिए बिहार के स्तर पर या पूरे देश के पैमाने पर किसानों को मदद करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: किसानों के लिए और आयुर्वेद के लिए आप बात कह रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: आयुर्वेद तभी बढ़ेगा, जब औषधियों का उत्पादन बढ़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप औषधीय पादपों के बारे में जानना चाह रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: जी हां, मैं उनके उत्पादन के लिए ही बात कर रहा हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, तो मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम न केवल राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थाओं, बल्कि निजी संस्थाओं को भी, प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। वस्तुत:, हमारे पास लघु विनिर्माता इकाइयों को सहायता देने की भी योजनाएं हैं। हम उन्हें 20% वित्तीय सहायता अथवा 5 लाख रु. की धनराशि, इनमें से जो भी अधिकतम हो प्रदान करते हैं। वास्तव में ऐसा है कि किसी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए, यदि बिहार या किसी अन्य राज्य की सरकार किसी परियोजना की सिफारिश करे तो हम उसे 3 करोड़ रु. तक की सहायता दे सकते हैं। फिर, औषधीय गुण वाले पौधों की प्रविधि के उन्नयन हेतु हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं। निश्चित रूप से हम बिहार के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे क्योंकि वह एक अत्यंत जरूरतमंद राज्य है और, वाकई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत हम ऐसा करने की कोशिश कर भी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम सब इसका समर्थन करते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: अब जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हमारा कहना है कि हम देश में औषधीय गुण वाले पादपों की कृषि को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भी है जिसके माध्यम से हम कृषकों को मदद करते हैं। हम दो प्रकार से सहायता करते हैं- एक तो प्रोत्साहन के रूप में, दूसरी वाणिज्यिक रूप में। प्रोत्साहनकारी सहायता स्वरूप हम लगभग 30 लाख रु. तक की राशि प्रदान करते हैं और वाणिज्यिक सहायता स्वरूप हम ऐसे विद्वानों को लगभग 9 लाख रु. की राशि देते हैं जिनके उत्पादों की पुनर्क्रय-शक्ति सौ-फीसदी हो। हम उस योजना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री रूपचंद पाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक समस्या यह है कि आज तक हमारे पास भारतीय औषधियों का कोई औषध-कोश उपलब्ध नहीं है। परन्तु हमारे पड़ोसी देशों, जैसे- वियतनाम, चीन आदि में एकीकृत औषधोपचार जैसे-वानस्पतिक उपचार, एक्यूपंक्चर, के प्रति एक सरकारी नीति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आधुनिक आयुर्विज्ञान-संस्थाओं द्वारा एलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा करने वालों को नोटिस देकर कहा जाता है कि यदि वे भारतीय पद्धति का आयुर्वेदिक औषध से चिकित्सा करेंगे तो उन्हें चिकित्सा परिषद् से निकाल दिया जाएगा और आधुनिक पद्धति का चिकित्सक नहीं माना जाएगा। क्या सरकार इस ओर कोई ध्यान देगी, चूंकि जटिल बीमारियों की समन्वित चिकित्सा चीन और वियतनाम की ही तरह हमारे देश में सदैव एक सफल प्रयोग बनी रही है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि एलोपैथिक चिकित्सकों को आयुर्वेदिक औषधियों से चिकित्सा न करने का ऐसा कोई निर्देश न दिया जाए?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस कथन को नहीं मानता कि आयुर्वेदिक या भारतीय पद्धति की अन्य औषधियों का कोई औषध-कोश नहीं है। आयुर्वेदिक औषधों के लिए औषध-कोश के मानक उपलब्ध हैं, सिद्ध पद्धति के चिकित्सा सूत्रों सहित 431 आयुर्वेदिक सूत्रों को मानकीकरण हेतु प्रकाशित किया जा चुका है। लगभग 250 औषधियों के भौतिक-रसायनिक मान निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार, भारतीय पद्धति को एक औषध संहिता तो उपलब्ध है।

जहां तक आधुनिक चिकित्सकों द्वारा भारतीय पद्धति की दवाएं लिखने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रश्न है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं चल सकती क्योंकि पीलिया, चर्मरोग जैसे कुछ रोगों का इलाज केवल भारतीय पद्धति से ही होता है। फिर, सरकार भारतीय चिकित्सा-पद्धति को आधुनिक चिकित्सा-पद्धति के साथ समन्वित करने का प्रयास कर रही है। इसकी शुरुआत हम एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम में भारतीय चिकित्सा-पद्धति का कम-से-कम एक विषय शामिल करके और देशी औषधियों के बारे में जनजागृति फैलाकर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: इससे संबंधित एक प्रश्न है- प्रश्न संख्या 648; श्री विनोद कुमार—अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 642—श्री शिवराज सिंह चौहान—अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 643—श्री असादूद्दीन ओवेसी।

[अनुवाद]

यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड

*643. श्री +असादूद्दीन ओवेसी:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों से एकत्र किए गए राजस्व का 5 प्रतिशत भाग यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन (यूएसओ) फंड चलाने के लिए रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल इस फंड का मुख्य लाभग्राही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या कोई निजी कंपनी ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त "फिक्स्ड लाइन" की फोन सेवाएं प्रदान करने का ग्रामीण दायित्व पूरा कर पाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन करने का है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने हेतु इस फंड से हिस्सा मिल सके;

(छ) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने यूएसओ फंड के प्रशासक के साथ यह मामला उठाया है; और

(झ) यदि हां, तो इस पर प्रबन्धक की क्या प्रतिक्रिया रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, सभी दूरसंचार प्रचालकों से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% की दर से सार्वभौमिक सेवा लेवी वसूल की जाती है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लि. को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु 1805.94 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान, भारत संचार निगम लि. को क्रमश: 297.26 करोड़ रु., 197.40 करोड़ रुपये और 1311.28 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) छ: निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समय वे 9,185 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का रख-रखाव कर रहे हैं।

(च) से (झ) सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के रॉल-आऊट को सुकर बनाने के लिए, पात्र ग्रामीण क्षेत्रों में "पैसिव" अवसंरचना की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण टेलीडेंसिटी 1.1 प्रतिशत है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक यू एस ओ कोष से लगभग 6,696 करोड़ रुपए का संग्रहण होने का अनुमान लगाया गया है और लगभग 800 करोड़ और उससे अधिक रुपए खर्च होने के बावजूद मंत्रालय के पास अब भी 4,891 करोड़ रुपए की राशि शेष रह गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान संग्रहण में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जो कि इस वर्ष के लिए 3,034 करोड़ रुपए है।

महोदय, लगभग 84,000 गांवों में अभी तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। क्या यह भी सच है कि अधिकांश समय आंकड़े प्राप्त करने अर्थात गांवों की संख्या या ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की लागत और राजस्व संबंधी विवरण प्राप्त करने में बर्बाद हो जाता है?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, लगभग छ: लाख गांव ऐसे हैं जिनकी भारत की जनगणना में पहचान की गई है। इन छह लाख गांवों में से 5,25,000 गांवों में पहले ही ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। लगभग 66,000 शेष गांवों के लिए नवम्बर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौते हो गए हैं। वे इस कार्य को तीन वर्ष में पूरा कर लेंगे। वे इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और इस आधार पर पहले वर्ष में 20 प्रतिशत, और शेष दो वर्षों में 40-40 प्रतिशत कार्य पूरा किया जाएगा। इस प्रकार हम तीन वर्ष में इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन 21000 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है और जहां अलगाववाद की समस्या है विशेषकर आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र जहां नक्सलवाद की घोर समस्या है। क्या सरकार यू.एस.ओ. कोष द्वारा वित्तपोषित आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल आपरेटरों के ग्रामीण नेटवर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए तार अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है? क्या 1999 की दूरसंचार नीति में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है? और

अध्यक्ष महोदय: इतने सारे प्रश्न!

श्री आसदुद्दीन ओवेसी: महोदय, वर्ष 2004-2005 के लिए बजटीय प्राक्कलन 2700 करोड़ रुपए है। इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की कमी है। उनके विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने या इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मुझे ज्ञात है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी उन्हीं विशेष प्रश्नों का उत्तर देंगे जो मैंने पूछे हैं?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। और उनके कई भाग हैं इसलिए मैं भाग दर भाग उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

जहां तक उन गांवों का संबंध है जहां अलगाव की गतिविधियां चल रही हैं, हम आगे बढ़ने हेतु सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय राज्य सरकार के साथ मिलकर समन्वित कदम उठा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है और उसी के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारा पहला लक्ष्य 66,000 गांवों को इसमें शामिल करना है और उसके पश्चात् हम अन्य गांवों के छोटे भाग को शामिल करेंगे।

जहां तक तार अधिनियम में संशोधन करने का संबंध है, हां, हम सेल्युलर फोनों के लिए भी आबंटन करने के लिए यू.एस.ओ. कोष को इसमें शामिल करने के लिए तार संशोधन अधिनियम में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में, यू.एस.ओ. कोष का इस्तेमाल केवल फिक्स्ड लाइन वाले फोनों या फिक्स्ड वायरलैस फोनों के लिए किया जाता है। परंतु हमने यह महसूस किया है कि यह किसी प्रौद्योगिकी विशेष पर ही आधारित नहीं होना चाहिए और इसमें अन्य सेवाओं, जैसे सी डी एम ए और मोबाइल जी एस एम को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए जिसमें अचल अवसंरचना जैसे टावर और शेड आदि का संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही हम इसके लिए आवश्यक विनियम बनाऐंगे।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप विधि कहां से प्राप्त करते हैं?

श्री दयानिधि मारन: हमारे पास अभी भी यू एस ओ लेवी से प्राप्त काफी धनराशि मौजूद है। वसूली से प्राप्त धनराशी हमारे पास नहीं बल्कि वह वित्त मंत्रालय के पास रहती है और हम समय-समय पर उसे प्राप्त करते रहते हैं। हमारे पास लेवी से प्राप्त काफी धनराशि उपलब्ध है और हमने 5000 करोड़ रुपए की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने यू. एस. ओ. लेवी के माध्यम से काफी धनराशि प्राप्त की है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यूएसओ के संबंध में बताया कि फिक्स्ड टेलीफोन के लिए इस रुपए को खर्च करते हैं। आपको यह भी मालूम है कि सौ लोगों में गांव में 1.7 प्रतिशत और शहर में 27 प्रतिशत टेलीफोंस हैं, इन दोनों में काफी अंतर है। इस अंतर को दूर करने के लिए क्या आपका ऐसा कोई विचार है कि यह जो आप पांच प्रतिशत यूएसओं के तहत भारत संचार निगम से पैसा लेते हैं, उसे ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए क्या यूएसओ एक्ट में आप कोई विचार करने जा रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: जैसाकि मैंने उल्लेख किया, 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) में वर्ष 2005 तक 70 मिलियन टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 में वर्ष 2007 तक ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने की भी योजना थी। अभी तक वर्ष 2005 के पूरा होने से पूर्व हमने 100 मिलियन टेलीफोन लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं; वर्ष 2007 तक हमारी तीन प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है। हम लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि हासिल कर लेंगे। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। इसके लिए हम सभी संग्रहीत राशि का उपयोग करेंगे। इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजी लाल सुमन।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। कृपया मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह नियमों के विरुद्ध है। आपको इसे भाग (क) और भाग (ख) के रूप में पूछना चाहिए था। यदि मैं

आपको अनुमति देता हूं तो अन्य सदस्य भी इसी प्रकार का अनुरोध करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही जिम्मेदार और स्पष्ट बोलने वाले सदस्य हैं। मैं आपके व्यवधानों की सराहना करता हूं। निश्चित रूप से मैं आपकी शिकायत को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन, देश की दूर संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को भी लाइसेंस दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाइसेंस देते वक्त जो सेवा शर्तें थीं, लाइसेंस देते वक्त वह सेवा शर्तें क्या थीं और अब तक जो निजी कंपनियों एवं निजी संस्थानों ने काम किया है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अगर निजी संस्थाएं अपने मकसद में असफल रहती हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: मैं आपके माध्यम से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अब तक अधिकांश कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। अब इस व्यवसाय में प्राइवेट आपरेटर भी आ रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। वे अब कार्य आरम्भ करेंगे। अत: हम भारत संचार निगम लिमिटेड और प्राइवेट आपरेटरों का मूल्यांकन करेंगे। यदि वे सेवा शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें समझौतों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि अगर वे उन सेवा शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप और अधिक प्रश्न मत पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने हाल में ही यह कार्य आरम्भ किया है और वे उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अवसर आने पर वे उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: जैसाकि सुमन जी ने भी उल्लेख किया है, प्राइवेट आपरेटरों के साथ हमारा पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह निबंधन और शर्तों का एक भाग था कि उन्हें बड़ी संख्या में गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने थे। शायद उनमें से कोई आपरेटर इस कार्य को नहीं कर पाया। वस्तुत: उसी के पश्चात् यू एस ओ की शुरुआत करने की आवश्यकता महसूस की गई। एक बार उनके इस कार्य को करने में असफल होने के पश्चात् यदि हम फिर से उनके साथ समझौते करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे इसे अब पूरा कर देंगे जबकि बैंक गारंटी के बावजूद वे इसे पहले नहीं कर पाये?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मैं उन त्रुटिपूर्ण मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम ए आर आर) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान बदला गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब आपने स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला दिया है।

श्री दयानिधि मारन: जहां तक इस आरोप का सवाल है कि निजी क्षेत्र के प्रचालनकर्ता इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो, मेरे विचार से, माननीय सदस्य ने इस बात को ठीक ढंग से नहीं समझा है। यू.एस.ओ. की परिकल्पना वर्ष 1999 में ही की गई है। इसके पहले निजी क्षेत्र के प्रचालनकर्ताओं के लिए इन शर्तों में छूट थी। वर्ष 2003 से ही निजी प्रचालनकर्ताओं को एकीकृत अधिगम्यता सेवा लाइसेंस प्राप्त करने को कहा गया है। इसके लिए थोड़ा आवंजनगत जुर्माना भी लिया गया; उनके रोल-आऊट प्लान को न मानने पर कुल 1643 करोड़ रु. का जुर्माना लिया गया। अब, निजी प्रचालनकर्ता यू.एस.ओ.-कोष से मदद पाकर ग्रामीण क्षेत्रों के रोल-आऊट प्लान में भागीदारी करने लगे हैं। अभी यह शुरुआत ही है, उन्हें शुरुआत तो करने दें।

मेरी समझ से, हमें इस समय किसी पर मनमाना आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: संभवत:, मंत्री महोदय की इच्छा थी कि मैं यह सवाल दूसरे तरीके से पूछूं।

अध्यक्ष महोदय: उल्लंघन के बाद भी उनकी जमानत जब्त नहीं की गई।

श्री पवन कुमार बंसल: यही तो मुख्य बात है।

अध्यक्ष महोदय: पर आपने पूछा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं?

मो. सलीम: मेरा प्रश्न उसी बात को लेकर है जो श्री पवन कुमार बंसल ने कही, और अपने भी कहने का कष्ट किया। मुझे आपके मातहत काम करने का अवसर मिला है, आप तब सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे। हमने उन लोगों की विफलता का मामला उठाया जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी मिली थी।

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल बहुत सम्मानित सदस्य हैं।

मो. सलीम: मेरी बात इससे बिलकुल हटकर है। यह ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा की योजना कार्यान्वित करने या यह सुविधा उपलब्ध करने की पद्धति को लेकर है। यह सब तो कहा-सुना जा चुका है। बड़ी कंपनियों को गांवों में जाकर यह सब करना शायद ही लाभप्रद लगता हो। भारत संचार निगम लिमिटेड, यू.एस.ओ.-कोष के माध्यम से यह काम कर रहा है। आपकी और हमारी चिंता यही है कि यू.एस.ओ.-कोष का उपयोग गांवों में यह सुविधा देने के लिए किस प्रकार किया जाए। आपको शायद पता हो कि पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर हमें इसका थोड़ा अनुभव है, जहां गैर-सरकारी संगठनों, गैर-लाभार्जक संगठनों के साथ सामुदायिक भागीदारी है और इसमें भा.सं.नि. लिमि. की भी मदद है जो स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बेरोजगार युवा हैं जिन्हें काम की तलाश है। हमें उन्हें कुछ मौका देना चाहिए ताकि वे काम तलाशने की बजाय काम विस्तारित कर सकें। क्या मंत्री जी इस माडल को देश भर में बढ़ावा देकर 'ग्रामीण स्व-रोजगार योजना' और अन्य केन्द्रीय योजनागत स्कीमों को राज्य सरकारों द्वारा गठित कतिपय राज्य चैनलकारी एजेंसियों के साथ संचालित करना चाहेंगे? कर्नाटक में भी ऐसा ही तरीका अपनाया गया है। आप राज्य सरकारों और ऐसी सोसाइटियों, जो यू.एस.ओ.-कोष जुटाने में सक्षम हों, को अवसर दीजिए ताकि भा.सं.नि.लिमि. की सेवाएं या अन्य किसी कंपनी की सेवाएं, जो भी वहां उपलब्ध हों, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित की जा सकें।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें पता है। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री दयानिधि मारन: मेरे विचार से माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी संगठनों का योगदान बहुत बढ़िया रहा है। जनता का सहयोग भी काफी मिल रहा है। लोगों में प्रसन्नता है। हम भी इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं कि यह तरीका विकसित हो।

अब बात दूसरे हिस्से की, यह सरकार का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि लोगों को टेलीफोन-सुविधा प्राप्त हो। गैर-सरकारी संगठनों की सेवा लेने के पीछे विचार यह देखना है कि व्यक्ति के पास अपना फिक्स्ड टेलीफोन है, बेतार टेलीफोन है या वह कैसे अपना काम चलाता है। हम इसे भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन, साथ ही साथ हम यह सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा टेलीफोन हो ताकि लोग अपने घर में ही या रहवास के स्थान पर टेलीफोन की सुविधा पा सकें। देश के अन्य भागों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। हम इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय कर रहे हैं कि आगामी तीन साल में अधिकांश स्थानों पर टेलीफोन हो।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री मदनलाल शर्मा।

आपको मौका इसीलिए दे रहा हूं कि आपने शांति बनाए रखी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब जो बंसल साहब ने पूछा

[अनुवाद]

मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 644, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार उपस्थित नहीं।

उन्होंने मुझे बताया है कि उनके परिवार में कोई बीमार है।

प्रश्न संख्या 645, श्री सुग्रीव सिंह—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 646, श्री एम. अंजनकुमार यादव—उपस्थित नहीं।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील—उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र

***647. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. द्वारा राज्यवार कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किये गये;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान संचार निगम लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्र के नेटवर्क में 253 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं। दूरसंचार सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) दूरसंचार सर्किलों के मुख्य महाप्रबंधक को ग्रामीण क्षेत्रों में नए मानकों और आवश्यकता के अनुसार नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की शक्तियां दी गई हैं।

(2) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना।

(3) प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का कम से कम एक बेस ट्रान्समिटिंग स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करना।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, 256 पी सी-डॉट ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (आरएएक्स) को एक्सेस नोड ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (एएन-आरएएक्स) में और सिंगल बेस मोड्यूल्स (एसबीएम) को रिमोट स्विचिंग यूनिटों (आरएसयू) में बदलना।

(5) दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) को स्थापित करने की योजना बनाना।

अनुबंध

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों को दूरसंचार सर्किल-वार स्थिति

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	वर्ष 2004-05 के दौरान खोले गए एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	असम	2
3.	आंध्र प्रदेश	87
4.	बिहार	27
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गुजरात	0
7.	हरियाणा	26
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	7
10.	झारखंड	2
11.	केरल	14
12.	कर्नाटक	2
13.	महाराष्ट्र	7
14.	मध्य प्रदेश	3
15.	उत्तर पूर्व-1	9
16.	उत्तर पूर्व-2	4
17.	उड़ीसा	13
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	1
20.	तमिलनाडु	13
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1
23.	उत्तरांचल	7
24.	पश्चिम बंगाल	14
	जोड़	253

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मेरा पूरक मेरे मुख्य प्रश्न के भाग (ख) से संबंध रखता है, जो इस प्रकार है: वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का विचार है? इस बात का उत्तर नहीं मिला। उत्तर इस बात का मिला है कि राज्यवार कितने टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 के दौरान देश भर में, राज्यवार, कितने टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? इनमें कितने प्रतिशत गांव आएंगे?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, यदि माननीय सदस्य गौर से उत्तर पढ़ें तो देखेंगे कि विशेषकर इसका उत्तर दे दिया गया है। चूंकि भा.सं.नि. लिमि. ने स्थानीय मुख्य महाप्रबंधकों को यह अधिकार दिया है कि वे मांग के अनुसार स्वतंत्र टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में स्वयं निर्णय लें; हम ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दे पायेंगे क्योंकि ये स्थानीय मुख्य महाप्रबंधकों के पास संग्रहीत हैं। फिर भी, चूंकि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमारा कहना है कि मांग तो काफी है। हम इस बात से अवगत हैं। पहले ही, 12,50,000 अवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं। इनमें मिली-जुली मांग है। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता है कि हम इन्हें फिक्स्ड टेलीफोन देंगे। भा.सं.नि. लिमि. का तरीका मुख्यत: फिक्स्ड तार टेलीफोन देने का रहा है। पर इसका अर्थ एक्सचेंज लगाना नहीं है। जैसे ही हम बी.टी.एस. के दायरे में इन्हें ले आते हैं, उसे एक्सचेंज आधारित नहीं माना जाएगा यही कारण है कि हमने इस प्रकार उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, पर ग्रामीण टेलीफोन-एक्सचेंजों के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना तो हो। कुछ सूत्र तो हों।

श्री दयानिधि मारन: मैं यही कह सकता हूं कि 12,50,000 आवेदनों की प्रतीक्षा-सूची है जिसे हम अगले वर्ष जून तक निपटा देंगे। इसमें मिली-जुली मांग है, ज्यादातर फिक्स्ड बेतार टेलीफोन की। इन्हें एक्सचेंज के अधीन नहीं गिना जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: यही अधिकतम जानकारी मिल सकती है। श्री प्रबोध पण्डा, कृपया अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न इस प्रकार है: मंत्री जी ने माना है कि कई उपभोक्ता प्रतीक्षा पंक्ति में हैं। 'सिम-कार्ड' पाने के लिए हजारों-हजार अंशदाता प्रतीक्षारत हैं। मसला यह है कि निजी कंपनियां पर्याप्त संख्या में सिम-कार्ड मुहैया नहीं करा रही हैं; इसका कारण क्या है? जब हजारों-हजार अंशदाता कतार में हैं तो राज्य उन्हें पर्याप्त संख्या में सिम-कार्ड को नहीं दे पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न नहीं हुआ। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: ऐसा लगता है कि इसके पीछे सरकारी क्षेत्र का हिस्सा घटाने और निजी कंपनियों को बढ़ावा देने की चाल है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वे इस वास्ते समुचित उपाय करेंगे कि सरकारी, क्षेत्र, भा.सं.नि. लिमि. उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप सिम-कार्ड उपलब्ध करा सके?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने यह दोहराव बढ़िया ढंग से नहीं किया।

श्री दयानिधि मारन: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि महीने भर पहले ही मैंने सभा में यह आश्वासन दिया था कि छह माह के भीतर हम मांग पर ही सेलफोन उपलब्ध करा देंगे। इस ओर कार्य चालू हो चुका है। जून मास के मध्य तक इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। फिक्स्ड फोन के लिए जरूर लगभग 12 लाख लोगों की प्रतीक्षा-सूची है जिसे अगले वर्ष जून तक निपटा दिया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, टेलीफोन कोई विलासिता की वस्तु नहीं रही, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। जैसा मंत्री जी ने माना भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार-घनत्व मात्र 1.7 प्रतिशत है। नयी दूरसंचार नीति के बाद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर बढ़ा है क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि विलंबित मामलों की सूची को बढ़ती जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? ग्रामीण क्षेत्रों में बारी-से पहले वाला कोटा भी नहीं दिया गया है। पहले से जो 'मार' (एम.ए.आर.आर.) तकनीक चल रही है, वह भी अब पुरानी हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री वसुदेव आचार्य: इस तकनीक के अधिकांश फोन ठप्प हो चुके हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार-घनत्व बढ़ाने के लिए और वहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की विलंब-सूची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री दयानिधि मारन: मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में एक्सचेंज कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा केवल भारत संचार निगम लिमिटेड की गलती के कारण ही नहीं है। आंशिक रूप से ऐसा उन राज्यों, विशेषकर अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र और असम, बिहार और झारखण्ड जैसे राज्यों में बिजली की आपूर्ति के कारण भी है।

अध्यक्ष महोदय: टेलीडेंसिटी के बारे में भी यही उत्तर है।

श्री दयानिधि मारन: बिजली की आपूर्ति नियमित न होने के कारण एक्सचेंज कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसका यही प्रमुख कारण है। हम सभी उपाय कर रहे हैं। हमने इसे महसूस किया है और हम निरंतर एम ए आर आर उपकरण बदल रहे हैं। लगभग 70,000 शेष एम ए आर आर उपकरणों को अगले वर्ष जून तक बदल दिया जाएगा। मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार। आप प्रत्येक प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, दो-तीन हफ्तों के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। इससे पता चलता है कि आप एक सजग सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी जाएं, एमएआरआर का टावर ऊंचा लगा हुआ दिखाई पड़ता है। वे टेलीफोन बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह आपने डब्ल्यूएलएल टेलीफोन की प्रक्रिया शुरू की है। और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन भी अभी तक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रणाली लगाएंगे जिससे वहां के उपभोक्ताओं को बातचीत करने में आसानी हो जाए? आप एमएआरआर और डब्ल्यूएलएल योजना को बिल्कुल खत्म कर दें क्योंकि इससे दूरसंचार से कोई बात नहीं हो पाती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शिकायत के बारे में बतायें तो मैं उस पर अवश्य कार्रवाई करूंगा। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सभी टावर टेलीफोन टावर या सेल्युकर फोन टावर नहीं हैं उनमें माइक्रोवेव टावर भी होते हैं। सदस्य ने गलती से उन्हें वायरलेस टावर समझ लिया है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु शिकायतें तो हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे।

श्री दयानिधि मारन: यदि कोई शिकायत होगी तो मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले। यदि संगत और नया प्रश्न पूछेंगे तो मैं अनुमति दूंगा अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, सन् 2004-05 में पूरे देश में 253 एक्सचेंज बनाए गए हैं। सन् 2005-06 में कितने एक्सचेंज बनाने वाले हैं? भारत के हर गांव में टेलीफोन ले जाने की घोषणा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मैं कहना चाहता हूं कि भारत के हर गांव में टेलीफोन होना जरूरी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने टेलीफोन एक्सचेंज और बनाने की आवश्यकता है और जिन गांवों में अभी तक टेलीफोन नहीं हैं, उन गांवों के लिए सरकार क्या कर रही है? *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा रख दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। उन्होंने विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग दें। केवल पूरक प्रश्न पूछने के लिए ही खड़े न हों।

श्री येरननायडु।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के बारे में है। वास्तविक स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टेलीफोन उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप किसी गांव विशेष के बारे में बात करें तो वहां पर फिक्स्ड टेलीफोन, सेल्युलर फोन कनेक्शन और यहां तक कि डब्ल्यू एल एल फोन भी मिल सकते हैं परंतु दूर-दराज के क्षेत्रों में फिक्स्ड टेलीफोन या सेल्युलर फोन और डब्ल्यू एल एल फोनों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए हम अपने राज्य में मुख्य महाप्रबंधकों के पास कई एक्सचेंजों के प्रस्ताव भेज रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक पूरे देश से कितने एक्सचेंजों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और क्या सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इन सभी एक्सचेंजों के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नये एक्सचेंजों की स्थापना करने में उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री दयानिधि मारन: जैसा कि आपने कहा है कि मैंने इसका उत्तर दे दिया है, परंतु मैं दूसरे तरीके से भी माननीय सदस्य को इसका उत्तर दे सकता हूं।

इस समय हम ग्रामीण कनेक्शनों को प्राथमिकता देंगे। हमारे पास 12,50,000 आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं। पहली प्राथमिकता डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों के इस्तेमाल को दी जाएगी क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए यह अधिक शीघ्रगामी और किफायती है। यही हमारी नीति है। अभी हम डब्ल्यू एल एल विधि से कनेक्शन देने में समर्थ नहीं हैं इसलिए हम एक्सचेंज विधि द्वारा कनेक्शन देने के बारे में सोच रहे हैं, यही प्रक्रिया है। हम अगले वर्ष जून तक प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी आवेदनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी यहां पर इतना ही बता सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कृपया इस पर प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री एन. एन. कृष्णदास।

श्री एन. एन. कृष्णदास: धन्यवाद, महोदय।

जैसाकि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, यह वास्तविकता है कि लाखों लोग टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई नया प्रश्न पूछना है? इन सब बातों का उल्लेख किया जा चुका है।

श्री एन. एन. कृष्णदास: केवल इतना ही नहीं है। प्रतीक्षा सूची के मामले में कुछ मामले ऐसे हैं कि उन्हें टेलीफोन कनेक्शन तो स्वीकृत कर दिए गए हैं परंतु केबल की कमी के कारण अभी तक टेलीफोन नहीं लग पाये हैं। पूर्व में स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों के मामले में टेलीफोन लगाने में केबल की कमी एक गंभीर समस्या है। इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि स्वीकृत टेलीफोनों को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में केबल की खरीद करने हेतु सरकार या भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह यह पूछ रहे हैं कि क्या आप केबल की खरीद करेंगे।

श्री दयानिधि मारन: माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे सामने यह समस्या रही है। यह समस्या केवल भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए विशिष्ट है प्राइवेट आपरेटरों के लिए नहीं। जैसे ही भारत संचार निगम लिमिटेड निविदाएं जारी करते हैं, वे लोग जिन्हें निविदाएं नहीं मिल पाती हैं न्यायालयों में मामले दर्ज करा देते हैं और आर्डर देने पर रोक लगवा देते हैं। हमने अभी स्थगन को रद्द कराया है। आर्डर दे दिया गया है और हमें मुपुर्दगी की प्रतीक्षा है। यह केवल भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए विशिष्ट है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आपने हिन्दुस्तान केबल्स को आर्डर दिया है?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, हिन्तुस्तान केबल्स की दरें बहुत अधिक हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अल्प दूरी क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का कम से कम एक बेस ट्रांसमिशन स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करने की योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीटीएस कब तक स्थापित करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डब्ल्यूएलएल की बहुत ज्यादा शिकायत है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल की इतनी ज्यादा शिकायतें हैं कि डब्ल्यूएलएल की हालत बिल्कुल एमएआरआर सिस्टम की तरह हो गयी है। यह व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गयी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय द्वारा बीटीएस की स्थापना कब तक की जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वही प्रश्न है।

...(व्यवधान)

श्री दयानिधि मारन: मेरे विचार से आधे से अधिक एम ए आर आर उपकरणों को बदल दिया है। मैं इस संबंध में विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कहा है। वह विशेषकर बिहार पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 648—श्री बी विनोद कुमार—उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 649—श्री दुष्यंत सिंह—उपस्थित नहीं।

—श्री कुलदीप बिश्नोई—उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा में कानाफूसी नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 650—श्री रवि प्रकाश वर्मा।

[अनुवाद]

वंदेमातरम् योजना

***650. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 9 फरवरी, 2004 से देश में 'वंदेमातरम् योजना' शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 'वंदेमातरम् योजना' के कार्यान्विन का कोई प्रारंभिक मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना से मृत्यु-दर को कम करने, गर्भवती और संभावित माताओं को स्वस्थ्य रखने में कितनी सहायता मिली है; और

(ङ) सरकार द्वारा 'वंदेमातरम् योजना' को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वंदेमातरम् एक स्वैच्छिक स्कीम है जो फेडरेशन आफ आब्सटेट्रिक एण्ड गायनेकोलॉजिकल सोसायटी आफ इण्डिया एवं प्राइवेट क्लिनिकों के तत्वावधान में 9 फरवरी, 2004 को शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रसूति परिचर्या प्रदान करने के लिए व्यापक संसाधनों एवं प्राइवेट क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञ/प्रशिक्षित कार्यबल को शामिल करके मातृ-मृत्यु और गर्भवती महिलाओं एवं भावी माताओं की रुग्णता को कम करना है। इस स्कीम में प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच के दौरान बेहतर परिवार नियोजन परामर्श देकर परिवार नियोजन विधियों की स्वीकार्यता एवं पहुंच को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

यह स्कीम पूर्ण रूप से एक स्वैच्छिक स्कीम है। फेडरेशन आफ आब्सटेट्रिक एण्ड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी आफ इण्डिया ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच तथा परिवार नियोजन सेवाओं हेतु ओ पी डी सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराएं और जरूरत पड़ने पर किसी जटिलता के उपचार के लिए महिलाओं को पूर्व-निर्धारित रेफरल केन्द्रों में भेजें।

इस स्कीम का समन्वयन फेडरेशन आफ आब्सटेट्रिक एण्ड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी आफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा है। फोगसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस स्कीम के तहत 1653 स्वयंसेवी डाक्टर इस स्कीम के तहत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 69 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 492 नर्सिंग होमों/मेटरनिटी होमों को नामांकित किया गया है और ये स्कीम के तहत नि:शुल्क जांच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे, स्वयंसेवी डाक्टरों के क्लिनिकों के लिए नि:शुल्क वंदेमातरम् बोर्ड प्रदान करके तथा लोगों में इस स्कीम एवं स्वयंसेवी डाक्टरों के बारे में जागरूकता सृजित कर तथा प्रत्येक महीने की 9 तारीख को इन डाक्टरों के क्लिनिकों में आने वाले रोगियों में नि:शुल्क वितरण के वास्ते आयरन फालिक एसिड की गोलियां टिटनेस टोक्साइड का इंजेक्शन, कण्डोम तथा खाने वाले गोलियां आदि प्रदान कर डाक्टरों के कार्य को सहज बनाएं। ये सामग्री जिला प्रशासनों द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उसके पास उपलब्ध निधियों एवं औषधों में से प्रदान की जानी होती हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विवरण में बताया है कि वंदे मातरम योजना एक स्वैच्छिक स्कीम है जो कि फेडरेशन ऑफ आब्सटेट्रिक एण्ड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया के माध्यम से चलाई जा रही है। मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इसके बारे में पहले क्या कोई सर्वे किया गया था और क्या इसके मूल्यांकन, सुपरविजन, जनपद स्तर पर डाटा कलेक्शन और आंकड़े रखने के बारे में कोई व्यवस्था की गयी है?

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: ऐसा पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर किया जा रहा है। इसलिए चिकित्सकों की ओर से ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, जैसा कि यह माना जा रहा है कि मां और बच्चे की जो समस्याएं हैं और जो जनसंख्या की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस दिशा में वंदे मातरम योजना से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं को भी शामिल करने की सरकार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसका उत्तर पहले ही दे चुकी हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: यह मूलत: एक स्वैच्छिक योजना है। इसलिए संप्रग अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के सफल नेतृत्व में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। इस ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हम निजी-सरकारी भागेदारी को भी शामिल करेंगे। हम पंचायत और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि इस संबंध में कोई और प्रश्न है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल—उपस्थित नहीं।

डा. रामचन्द्र डोम: निजी-सरकारी भागेदारी योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। यह एक स्वागत योग्य योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था।

हमारे देश में कई नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक खुले हुए हैं। स्त्री रोग चिकित्सक तथा प्रसूतिविज्ञानी निजी अस्पतालों में चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये निजी चिकित्सक मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इन पात्र माताओं की प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल करने के लिए इन्हें किस हद तक नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं? यह मेरे प्रश्न का एक भाग है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न से यह बात पैदा ही नहीं होती। यह स्वैच्छिक संगठनों के बारे में है। माननीय मंत्री जी यह बात पहले ही कह चुकी हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: लेकिन उन्हें सरकार से निधि और सामग्री मिल रही है। यही चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय: तब वह प्रश्न भी पूछ लीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: मैं इसीजिए यह पूछ रहा हूं। अत:, इस कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक है। साथ-ही-साथ मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए पारंपरिक दाइयां और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हमारे देश के महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं जो ग्रामीण भारत में इन माताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं लेकिन उनकी सेवाओं का समुचित और वैज्ञानिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अनेक पारंपरिक दाइयों को प्रशिक्षण, सेवा प्रयोज्य सामग्री, प्रोत्साहन आदि देकर उनकी सेवाओं का उपयोग करने की कोई व्यापक योजना तैयार की है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसका उत्तर देना चाहती हैं?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। इसलिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोष के माध्यम से हम प्रत्येक गांव में 'आशा' (ए एस एच ए), मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एक्रीडिटिड सोशल हेल्थ एक्टीविस्ट) नामनिर्दिष्टि कर रहे हैं। वह संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती माताओं का मार्गदर्शन करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मुख्य बात यही है कि यह धनराशि स्वैच्छिक योजना के लिए प्रदत्त की गई है और आपको यह देखना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो।

डा. रामचन्द्र डोम: इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपकी सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, वंदेमातरम योजना नामक इस कार्यक्रम की परिकल्पना वर्ष 2004 में आगरा में आयोजित 'फेडरेशन ऑफ आब्स्टेट्रिक एंड

गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया' (फोग्सी) की बैठक के दौरान की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक माह की नौ तारीख को इस फेडरेशन के स्वयंसेवक गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात जांच के साथ-साथ शिशु को जन्म दे चुकी माताओं के लिए नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था करेंगे। यह पूर्णत: स्वैच्छिक योजना है और संगठनों ने ही यह योजना तैयार की है सरकार ने यह योजना स्वीकार की। आज तक समूचे देश में हमारे संगठन में 1,653 स्वयं सेवक हैं। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना नाम सूचीबद्ध किया है।

सरकार इन अस्पतालों को सामग्री, फोलिक एसिड और टेट्नसआक्साइड के इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है जो रोगियों को ये नि:शुल्क बाट रहे हैं। चूंकि 'फोग्सी' संगठन प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान के लिए देश में सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए हमने कोई ज्यादा सर्वेक्षण नहीं किया है। हमें उन पर पूरा भरोसा है। हम इस संबंध में उनके साथ चर्चा कर रहे हैं कि इस योजना में और आगे सुधार कैसे किया जा सकता है।

इन पारंपरिक दाइयों, परिचारकों के लिए, फिलहाल हम संस्थागत प्रसव पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। आज देश में लगभग 30 प्रतिशत प्रसव ही संस्थागत हैं और यह मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। अत:, सरकार का उद्देश्य यह है कि गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक दाइयों पर निर्भर रखने की बजाय उन्हें प्रसव के लिए किसी संस्था में लेकर जाया जाये। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ए एस एच डब्ल्यू वैसे कुशल परिचारक और कुशल पारंपरिक जन्म परिचारक प्रसव के लिए महिलाओं को संस्था तक ले जायेंगे। उससे वे मातृ मृत्यु दर में कमी लाएंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, इसमें कई खामियां हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ नहीं पाया।

...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, कृपया मुझे संरक्षण दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको किससे संरक्षण चाहिए?

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं समस्त सभा से संरक्षण चाहता हूं।

व्यय किए गए सरकारी पैसे की कोई निगरानी क्यों नहीं करता। मेरा प्रश्न यह है।

डा. रामचन्द्र डोम: मंत्री जी ने जिस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कही है, उसमें कई कमियां हैं क्योंकि हमारे देश में 100 प्रतिशत अस्पताल अथवा संस्थागत प्रसव कराने में और सौ साल लग जाएंगे। समस्या यही है।

अध्यक्ष महोदय: और भी कई समस्याएं हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में इस सभा में विस्तृत चर्चा करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय: डा. डोम, आपने इस देश की एक समस्या का बड़े जोर-शोर के साथ उल्लेख किया है। वे इस बात का ध्यान रखेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में इस सभा में चर्चा करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय: आप प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं। सरकारी धन का हिसाब देना होगा।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम सरकारी-निजी भागेदारी के माध्यम से बहुत से लोगों को ये सामग्री दे रहे हैं। आज हम कई गैर-सरकारी संगठनों को ये सामग्री देते हैं। हम निजी अस्पतालों को भी ये दे रहे हैं। चूंकि यह स्वैच्छिक योजना है, इसलिए वे गरीब रोगियों का उपचार करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह सामग्री पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से हमें इसकी जवाबदेही चाहिए।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

***651. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की आपूर्ति कम हो रही है और कोयला खानें विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विद्युत संयंत्रों से कितने कोयले की मांग प्राप्त हुई और इसकी कितनी आपूर्ति की गई है;

(ग) कम आपूर्ति के, यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) मांग की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोयला कंपनियां उनके लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक कोयले का उत्पादन कर रही है और आमतौर पर विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा कर रही हैं। बेहतर प्लांट लोड फैक्टर के चलते अधिक उत्पादन होने के कारण, उपलब्धता में मामूली कमी हुई है जिसके लिए कोयले की कुछ मात्रा का आयात किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 हेतु योजना आयोग द्वारा यथा आकलित विद्युत उपयोगिताओं हेतु कोयले की अखिल भारतीय मांग तथा विद्युत क्षेत्र को कोयले की उठान नीचे दी गई है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	विद्युत उपयोगिताओं हेतु कोयले की अखिल भारतीय मांग	विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की उठान	विद्युत उपयोगिताओं द्वारा आयात
2003-04	268.13	265.60	3.00
2004-05	280.19	281.01*	3.75*

*अनंतिम

(मांग में आयात शामिल है)

(ग) आयात शुल्क में कमी के बावजूद, आयातित कोयले की लागत में अचानक वृद्धि के कारण संभावित आयात मूर्त रूप नहीं पा सके।

(घ) विद्युत क्षेत्र को कोयले की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं:

1. दसवीं योजना के दौरान सी.आई.एल. में 99 परियोजनाएं तथा एस.सी.सी.एल. में 23 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
2. उपकरण उपयोग में सुधार।
3. गृहीत कोयला ब्लाकों का आवंटन तथा विद्युत उपयोगिताओं को आवंटित गृहीत ब्लाकों से कोयले के खनन की प्रक्रिया को तीव्र बनाना।
4. वर्ष 2005-06 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं द्वारा 10 मिलियन टन तक कोयले का आयात।
5. नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का गहन प्रबोधन।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, विद्युत संयंत्रों, विशेषत: आंध्र प्रदेश स्थित सिंहद्री विद्युत संयंत्र के लिए कोयला आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है। कम आपूर्ति होने के क्या कारण हैं? *...(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया मुझे इस मुद्दे पर एक प्रश्न करने की अनुमति दें।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: सरकार विद्युत संयंत्रों की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश के हैं। इसलिए वह सिंहद्री के बारे में चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें चिंतित होना भी चाहिए।

डा. दासरि नारायण राव: यह केवल सिंहद्री की ही बात नहीं है, 75 विद्युत संयंत्रों में से 16 ऐसे हैं जो संकट की स्थिति में हैं। यह केवल कोयले की कमी के कारण ही नहीं बल्कि इनकी कोयला उतारने की समस्या; कोयला धराई-उठाई संयंत्रों वाहक (कनवेयर) प्रणाली; वैगन-क्लिपर्स का प्रस्थापन न होने; वित्तीय कारणों से सामानों की कमी; भुगतान सीमाओं; रेल विभाग आपूर्ति मूल्य पर विवाद; कानून-व्यवस्था, आदि जैसी ढांचागत सीमाएं हैं।

सिंहद्री का जहां तक संबंध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वहां पर 'लिंकेज' से अधिक आपूर्ति की है। वर्ष 2004-2005 में 'लिंकेज' 5.5 मिलियन टन था लेकिन हमने 104 प्रतिशत आपूर्ति की। किन्तु समस्या यह है कि कई कारणों से जब-तब स्टाक की स्थिति नाजुक हो जाती है। यह अंशत: पावर लोड फैक्टर में वृद्धि के कारण होती है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्लांट लोड फैक्टर (पी एल एफ) होता है।

डा. दासरि नारायण राव: इसी संयंत्र ने ही नहीं बल्कि लगभग सभी संयंत्रों ने पी एल एफ बढ़ा दिया है। मेरे विचार से 2001 की तुलना में 2005 में मांग में 390 बिलियन इकाई की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है और मेरे विचार से हम कोयले का इतना उत्पादन नहीं कर सकते। तथापि, हमने सिंहद्री में स्टाक की स्थिति में सुधार करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स स्थित आई बी वैली से इस संयंत्र को कोयले के 1.6 रेक्स और तालचेर कोलफील्ड्स से 2.4 रेक्स रोजाना भेजे जाएंगे। विद्युत मंत्रालय ने

भी एन टी पी सी को अतिरिक्त उपयोग और आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने के लिए कहा है।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: आर्थिक गतिविधियों का तेजी से प्रसार हुआ है और इसलिए, कोयले की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपने उत्तर में सब कुछ कह दिया है।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: नहीं, महोदय। यह सब तो विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति के बारे में था, अब मैं उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अपने उत्तर में वह इसका उल्लेख कर चुके हैं।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोल इण्डिया लिमिटेड को उसके प्रयास के लिए बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि वह योजना आयोग के लक्ष्य को पार कर चुकी है। इस वर्ष हमने योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 17 मिलियन टन अधिक उत्पादन किया है। चालू वर्ष के लिए 343 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था और हम 361 मिलियन टन का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। वर्ष 2006-2007 के लिए भी लक्षित आंकड़ा 350 मिलियन टन का है और हम 373 मिलियन टन प्राप्त करने जा रहे हैं।

जहां तक आपूर्ति का संबंध है, पिछली सरकार ने पांच वर्ष की समयावधि में केवल एक परियोजना मंजूर की थी। दूसरी ओर, जबसे यह सरकार सत्ता में आई है, 99 परियोजनाओं जिनमें 28 बड़ी परियोजनाएं हैं, हमने तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 14 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी मिलने वाली है। इस मुद्दे पर यह वस्तुस्थिति है। मुझे विश्वास है कि पांच वर्ष के भीतर हम इन 99 परियोजनाओं से 190 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन कर सकेंगे। इस उपाय से मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न, श्री ई. पोन्नुस्वामी। कृपया संक्षिप्त प्रश्न करें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: धन्यवाद। मैं मांग को पूरा किए जाने में कमी के बारे में एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक उपाय नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के रूप में किया जाएगा। माननीय मंत्री जी के इस कथन पर भी मैं प्रसन्न हूं कि उन्होंने 99 परियोजनाओं पर काम शुरू किया है जिनमें से 28 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

मेरा यह कहना है कि कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। यदि कामगारों को उचित वातावरण और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो मुझे विश्वास है कि कोल इण्डिया लिमिटेड में उत्पादन बढ़ेगा और हम कोयले के आयात में कमी कर पाएंगे। हम 22 मिलियन टन कोयले का आयात कर रहे हैं और मांग तथा आपूर्ति में केवल 32 मिलियन टन का अंतर है। यदि मंत्रालय ये सभी कदम उठाए तो निश्चय ही कोयले का उत्पादन बढ़ सकता है। इस प्रकार, हम न केवल मांग को पूरा कर पाएंगे बल्कि आयात को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह एक सुझाव है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कोयले की मांग और पूर्ति

*642. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयले के वार्षिक उत्पादन, मांग और बिक्री का, मात्रा और मूल्य के रूप में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयले का आयात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितना कोयला आयात किए जाने की संभावना है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान कोयले के आयात में कमी लाने और कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान कोयले के वार्षिक उत्पादन, मांग, प्रेषण तथा मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	योजना आयोग के प्रक्षेपणों के अनुसार कोयले की अखिल भारतीय मांग	कोयले का उत्पादन	कोयले का प्रेषण	मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	365.98	341.27	340.09	24187.39
2003-04	380.91	361.15	359.22	25887.73
2004-05 (अनंतिम)	414.82	382.83	377.42	27907.93

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए आयातों की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आयात की मात्रा 22-25 मिलियन टन की श्रेणी में रही।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कोयले का आयात लगभग 35 मिलियन टन रहने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के कारण व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड ने मांग और देशीय आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) दसवीं योजना के दौरान 99 नई परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(2) गृहीत खनन हेतु अत्यन्त उपयोगकर्त्ताओं को कोयला ब्लाकों का आवंटन।

(3) उपकरण उपयोग में सुधार।

(4) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण।

[अनुवाद]

प्रजनन सहायक प्रौद्योगिकी क्लीनिकों का अनैतिक पेशा

***644. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूरे देश में फैले निजी प्रजनन सहायक प्रौद्योगिकी (ए.आर.टी.) क्लीनिकों के अनैतिक पेशे की जानकारी है जिनका अनुमानित वार्षिक कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनफर्टिलिटी क्लिनिक/अस्पताल बिना किसी प्रतिबंध विनियम अथवा निर्धारित मानकों के चल रहे हैं;

(घ) क्या ये क्लीनिक दान किए गए डिम्ब/शुक्राणु/भ्रूण की खरीद, भंडारण, विक्रय और उनके अंधाधुंध उपयोग के अनैतिक पेशे में लिप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्लीनिकों द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सरकार को वैज्ञानिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से कुछ प्रजनन सहायक प्रौद्योगिकी (ए आर टी) क्लिनिकों के अनैतिक पेशे की जानकारी है।

* प्रजनन सहायक प्रौद्योगिकी के लिए जटिल तकनीकी विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है।
* सर्वोत्तम स्थितियों में 30 प्रतिशत से कम की सफलता दर है। यह खर्चीली है और इसके लिए दम्पति पर शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक भार पड़ता है।
* देश में बहुत से ए आर टी क्लिनिकों के पास इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति तथा आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।
* कुछ मामलों में अपेक्षाकृत सामान्य प्रक्रिया अपनाकर बांझ दम्पत्तियों को धोखा दिया जा रहा है और इसके लिए उनसे जटिल और खर्चीली प्रक्रिया करने के पैसे लिए जाते हैं।
* भ्रूण के लिंग चयन में राउंड स्पर्मेटाइड न्यूक्लियर इंजेक्शन और प्रि-इम्प्लीमेंटेशन जेनेरिक डायग्नोसिस जैसी कुछ तकनीकें भी जो व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। इस्तेमाल की जा रही हैं।

(ग) क्लिनिकों/अस्पतालों के मौजूदा नियम और विनियम बांझपन क्लिनिकों/अस्पतालों पर भी लागू होते हैं। तथापि, ए आर टी प्रक्रियाएं करने के लिए अभी कोई मानक/विनियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रजनन सहायक प्रौद्योगिकी (एआरटी) में बांझ दमपत्तियों के इलाज के लिए डोनर ओवा/स्पर्म/इम्ब्रायो का इस्तेमाल शामिल है। इसलिए डोनर ओवा/स्पर्म/इम्ब्रायो के भेदभावपूर्ण उपयोग करने संबंधी अनैतिक पेशे में कुछ क्लिनिकों के शामिल होने के आसार हैं।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसांधान परिषद ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के

विशेषज्ञों तथा बाद में ए आर टी चिकित्सकों और आम जनता के साथ विस्तृत चर्चा एवं वार्तालाप करके भारत में ए आर टी क्लिनिकों की मान्यता, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों की मंत्रालय द्वारा जांच की गई है और उन्हें ए आर टी क्लिनिकों की मान्यता पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाने का प्रस्ताव हैं।

अस्पतालों द्वारा गलत निदान

***645. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्पतालों विशेषकर निजी अस्पतालों द्वारा बीमारियों का गलत निदान किए जाने के मामले में वृद्धि हो रही है जैसाकि दिनांक 13 अप्रैल, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान आज की तारीख तक प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अस्पतालों विशेषकर ऐसे निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी तय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जो भारी राशि कर गलत निदान करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) दिनांक 13.4.2005 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार 1992 के एक विशिष्ट मामले से संबंधित है जिसमें श्री के.एल. भोला नामक एक रोगी ने छाती में दर्द की शिकायत की थी जिसका निदान दिल के दौरे के रूप में किया गया और तदनुसार नई दिल्ली में स्थित एक निजी अस्पताल—खेड़ा अस्पताल में उनका उपचार किया गया। तथापि, उसके बाद में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपचार करवाने पर हृदय रोग विज्ञानी ने उनको सूचित किया कि उनको हृदय रोग संबंधी कोई समस्या नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दिल्ली के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खेड़ा अस्पताल को श्री के.एल. भोला को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पूर्वोक्त मामले के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अस्पतालों द्वारा गलत निदान किए जाने संबंधी मामलों में वृद्धि हो रही है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों के कार्यकरण को विनियमित/मानीटर करने के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों/विनियमों का अनुपालन करवाने और प्रमाणित अनैतिक और बेईमानी का कार्य करने संबंधी मामलों में निजी अस्पतालों/डाक्टरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। पीड़ित पक्ष अनैतिक और बेईमानी की प्रकृति के प्रमाणित कार्य के लिए निजी अस्पतालों/निजी चिकित्सा व्यवसायियों को कवर करने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कानूनी राहत पाने के लिए न्यायालय का सहारा भी ले सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में निरीक्षणों, पर्यवेक्षणों और समीक्षा बैठकों के जरिए उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक स्वनिर्मित तंत्र है। प्रत्येक अस्पताल में रोगियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को मानीटर करने और उनका निराकरण करने के लिए एक शिकायत कक्ष भी मौजूद है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार शास्त्र) विनियम, 2002 के अनुसार व्यावसायिक दुराचरण से संबंधित शिकायतों को भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अनुशासनिक कार्रवाई हेतु, जैसा भी मामला हो, लाया जा सकता है। यदि उसे दोषी पाया जाता है, तो समुचित चिकित्सा परिषद उसे आवश्यक दंड दे सकती है और साथ ही उसे हटाने अथवा दोषी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम को रजिस्टर से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकती है।

[हिन्दी]

पासपोर्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया

***646. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपने पासपोर्टों का नवीकरण कराने तथा उसके खोने की स्थिति में नया पासपोर्ट बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो संसंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विदेशों में इस प्रकार के मामलों में भारतीय मिशनों द्वारा क्या सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरियों को यदि उन्होंने सही सूचना उपलब्ध कराई है और यदि रिकॉर्ड में उनके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल नहीं है तो उनके पासपोर्ट के खोने/नष्ट होने की स्थिति में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण अथवा दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती।

(ख) से (घ) भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा भारत में पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण से पुष्टि प्राप्त करने, जिसकी वजह से समाप्त हो चुके/खो गए पासपोर्ट के बदले विदेशों में नए पासपोर्ट समय पूर्व जारी किया जाता है, सहित सभी सम्भावित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन

***648. श्री वी. विनोद कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करने एवं इनके प्रसार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के कितने औषधालय और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों की कितनी अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा कितनी औषधियां पेटेन्ट करवाई गई; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जिनमें आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियां शामिल हैं, के विकास और प्रसार के लिए कई केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमें आरंभ की हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों एवं औषधालयों, औषध गुणवत्ता नियंत्रण के विकास, औषध निरीक्षण प्रयोगशालाओं व फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण, औषधीय पादपों की कृषि, जागरूकता उत्पत्ति, औषध विनिर्माण एकांशों के आधुनिकीकरण, सूचना, शिक्षा और संप्रेषण आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) संविधान के अंतर्गत, प्राथमिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, यह दायित्व संबंद्ध राज्यों की सरकारों का है कि वे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के औषधालयों व अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवस्था करें। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत 7 आयुर्वेद, 2 सिद्ध और 3 यूनानी औषधालयों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) ने 30 अनुसंधान परियोजनाएं और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएस) ने 18 परियोजनाएं आरंभ की हैं। सीसीआरएएस द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पेटेन्ट कराई गई औषधियों की संख्या 5 है। सीसीआरयूएस को संदर्भाधीन अवधि के दौरान औषधियों पर पेटेन्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रोत्साहन के लिए कई केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत व्यय के लिए संस्वीकृत राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	धनराशि लाखों में
2002-03	8,977.93
2003-04	13,395.50
2004-05	19,876.12

उच्चकोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना

***649. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विभिन्न विनियम बनाती है जिनमें भारत की चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के लिए विभिन्न तौर-तरीके निर्धारित किए जाते हैं। इन विनियमों में दाखिला, परीक्षा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सामान्य शर्तें, लक्ष्य एवं उद्देश्य, पाठ्यचर्या के घटक, कोर्सों की नामावली, अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता और चिकित्सा संस्थाओं में उनकी तैनाती तथा चिकित्सा नीतिशास्त्र संहिता की व्यवस्था होती है।

इन विनियमों की भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समय-समय पर परीक्षा की जाती है ताकि चिकित्सा परिचर्या के क्षेत्र में हुई ताजा प्रगति से तादातम्य स्थापित किया जा सके। सतत प्रक्रिया के एक अंग के रूप में जब भी आवश्यकता होती है तो इन विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

इस समय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार ने पूरे भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानक सुनिश्चित करने के वास्ते विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन एवं उन्हें सलाह देने हेतु स्नातकोत्तर शिक्षा के मानक निर्धारित करने वास्ते भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति गठित की है।

सहायक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

*652. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में सहायक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सहायक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) प्रजनन और बल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण (आरसीएच-II) के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) प्रजनन और बल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक निर्देशकात्मक वित्तीय एन्वेलप संप्रेषित किया गया। संसाधनों की संभावित उपलब्धता के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल प्रजनन दर, नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाने पर स्पष्ट बल देते हुए अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया, जैसाकि 10वीं योजना में परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार कर ली हैं जिनका मंत्रालय द्वारा अनुमोदन हेतु इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं की प्रमुख विशिष्टताओं में एक मूलभूत अनिवार्य पैकेज शामिल है जिसमें निम्नलिखित अन्तर्निहित हैं:

* प्रथम रेफरल एककों के रूप में कार्यरत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अनिवार्य तथा आपातकालीन प्रसूति परिचर्या प्रदान करने तथा 24 घण्टे प्रसव सेवाएं भी प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक बनाना;
* ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से कम-से-कम 50% केन्द्रों को 24 घण्टे प्रसव सेवा एककों के रूप में बनना;
* बीमार नवजात शिशुओं के उपचार तथा अतिसार एवं एआरआई के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ऊपर के केन्द्रों की व्यवस्था एवं तैयारी;
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से शुरू होकर ऊपर के स्तरों तक गर्भ का चिकित्सीय समापन सहित परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था;
* परम्परागत जन्म परिचारकों का सतत प्रशिक्षण एवं प्रसव किटों की व्यवस्था;
* महानगरों सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में प्रति 50,000 जनसंख्या के लिए एक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना;
* सेवा प्रदानगी आश्वस्त करने के लिए संविदात्मक तंत्रों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर तकनीकी स्टाफ (चिकित्सा, वित्त और प्रबंधकीय) की उपलब्धता बढ़ाना;

* आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की बुनियादी न्यूनतम दक्षताएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था;

* स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी न्यूनतम अवसंरचना जैसे कि बिजली, जलापूर्ति तथा प्रचालनात्मक भवनों की उपलब्धता।

(ग) जी, हां।

(घ) इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोशिएसन (विश्व बैंक) ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II के कार्यान्वयन के लिए 232 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर 232,100,000) के बराबर ऋण देने की प्रतिबद्धता की है।

औषधों/फारम्युलेशनों को पेटेंट करवाना

* 653. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएस) की शासी परिषद् ने रुमैटाइड आर्थराइटिस, ब्रोंकल अस्थमा, हेपेटाइटिस ड्रेंकोटिएसिस आदि रोगों से संबंधित सात औषधों/फारम्युलेशनों का पेटेन्ट कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर हिमालय में होने वाले पादपों (फोक प्लांट्स) से उद्भूत डियरपिनाइड एंटीकैंसर कम्पाउंड को भी पेटेन्ट कराया जाना था और इस मामले को सी एस आई आर के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फरम्युलेशनों के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) के शासी निकाय ने 1 मार्च, 1996 को आयोजित अपनी 15वीं बैठक में विभिन्न रोगों में प्रभावी पाई गई औषधियों (कोई संख्या विनिर्दिष्ट किए बिना) पेटेन्ट कराने का संकल्प लिया था। तदनुसार, परिषद् ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से रुमैटाइड आर्थराइटिस, ब्रोंकल अस्थमा और संक्रामक हेपेटाइटिस के लिए दो-दो और मलेरिया के लिए एक कुल 7 औषधियों के संबंध में पेटेन्ट अधिकारों हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किए। पेटेन्टों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू ने क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), श्रीनगर के साथ 28 मार्च, 2003 और 27 मार्च, 2003 को क्रमश: यू एस और पीसीटी में कश्मीर में होने वाले पादपों से उद्भूत डियरपिनाइड एंटीकैंसर कम्पाउन्ड के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक पेटेन्ट आवेदन पत्र दाखिल किया। यूएस आवेदन-पत्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि पेटेन्ट आवेदन-पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले ही दावाकृत कम्पाउन्ड को प्रकट कर दिया गया था। नए स्रोत लावाटेरा केचमेरिएनिया से डियरपाइन हेतु संरक्षण प्राप्त करने के लिए पीसीटी आवेदन-पत्र के संबंध में किसी प्रगति का समाचार नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में भर्ती हेतु एजेंसियां

*654. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य पूर्व देशों में देश-वार लगभग कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय राज्य-वार कितनी लाइसेंसधारी भर्ती एजेंसियां बेरोजगार युवकों की भर्ती में संलग्न हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इन एजेंसियों के विरुद्ध अभ्यावेदन हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) मध्य पूर्व देशों में कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या के सही-सही आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि विदेशों में रोजगार हेतु जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतर श्रेणियों के लिए उत्प्रवासन अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों में रोजगार के लिए व्यक्ति की विनियमित श्रेणियों को प्रदान किये गये उत्प्रवासन अनुमोदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध ज्यादा पैसे वसूलने, काल्पनिक नौकरियों के लिए कामगारों को भेजने, विदेशी नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तावित वेतन से अधिक वेतन का वायदा करने इत्यादि जैसी शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती हैं।

(ङ) किये गये अनेक उपायों में शामिल हैं उपयुक्त समय सीमा के भीतर शिकायत का निपटान/समाधान करने के लिए भर्ती एजेंटों को निदेश/कारण बताओ नोटिस जारी करना। यदि भर्ती एजेंट शिकायत का समाधान करने में असफल रहते हैं तो उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित और तत्पश्चात रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है। अपंजीकृत एजेंटों के मामले में उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करायी जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2002-2004 के दौरान मध्य पूर्व देशों में रोजगार के लिए उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	देश	2002	2003	2004
1.	यूनाइटेड अरब अमीरात	95,034	1,43,804	1,75,262
2.	सऊदी अरब	99,453	1,21,431	1,23,522
3.	कुवैत	4,859	54,434	52,064
4.	ओमान	41,209	36,816	33,275
5.	बहरीन	20,807	24,778	22,980
6.	कतर	12,596	14,251	16,325
7.	जोर्डन	841	2,928	2,576
8.	इजराइल	79	119	647
9.	यमन	105	49	279
10.	ईरान	23	65	239
11.	ईराक	12	193	195
12.	मिस्र	98	16	122
13.	लेबनान	26	20	77
14.	सीरिया	11	7	7
15.	साईप्रस	16	5	0
16.	टर्की	11	0	0
	कुल	2,75,180	3,98,916	4,27,570

विवरण-II

30.04.2005 की स्थिति के अनुसार उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एजेंटों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	2043
2.	दिल्ली	854
3.	तमिलनाडु	406
4.	केरल	362
5.	पंजाब	175
6.	आंध्र प्रदेश	122
7.	चंडीगढ़	93
8.	कर्नाटक	69
9.	राजस्थान	51
10.	उत्तर प्रदेश	45
11.	गोवा	43
12.	गुजरात	40
13.	पश्चिमी बंगाल	21
14.	हरियाणा	20
15.	मध्य प्रदेश	09
16.	उड़ीसा	08
17.	जम्मू-कश्मीर	07
18.	हिमाचल प्रदेश	06
19.	उत्तरांचल	03
20.	पाण्डीचेरी	03
21.	बिहार	02
22.	मिजोरम	02
23.	असम	01
	कुल	4385

[अनुवाद]

आई सी सी आर के प्रकाशनों का सत्यापन

***655. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मौलाना आजाद की जीवनी की प्रतियों को वापस मंगवाया है जैसा कि 10 अप्रैल, 2005 के समाचार-पत्र 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना आई सी सी आर द्वारा प्रकाशित ऐसे सभी प्रकाशनों का सत्यापन करने की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकाशन की त्रुटियों के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) सरकार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशित "जर्नी ऑफ ए लेजेंड" नामक पुस्तक की जानकारी है।

पुस्तक का विमोचन नहीं हुआ है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इसके पास उपलब्ध इस पुस्तक की सभी प्रतियों को सील कर दिया है और सुरक्षित स्थान पर रख दिया है।

यह एक प्रशासनिक जांच के आलोक में किया गया जिससे यह पता चला कि पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर छपे चित्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद और अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक साथ सोफे पर बैठे दिखाया जाना काट कर चिपकाया गया हो सकता है।

(ग) और (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशित अन्य प्रकाशनों को सत्यापित कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है। परिषद के प्रकाशन की प्रामाणिकता को सत्यापित कराने की स्वयं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जिम्मेवारी है, जो विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

(ङ) फोटोग्राफों और "जर्नी ऑफ ए लेजेंड" के पाठ का निर्णय करने में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कोई अधिकारी संलिप्त नहीं था। सभी फोटोग्राफों और पाठ का चयन स्वयं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया गया था,

जिन्होंने मुद्रण पूर्व पुस्तक की डमी कॉपी को भी अनुमोदित किया था। अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी थी। पुस्तक के सम्पादकीय बोर्ड की अध्यक्षता, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई थी और सम्पादकीय बोर्ड के अन्य सदस्यों का चयन अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था।

सरकार इस विषय में आगे कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

प्रत्यर्पण तथा पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों पर हस्ताक्षर

***656. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत पहले ही प्रत्यर्पण संधियां कर चुका है;

(ख) क्या कई देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि भी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार शेष देशों के साथ भी उपरोक्त संधियां करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ये संधियां भारत के लिए किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत ने 29 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ हस्ताक्षरित की हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इसमें से 17 देशों यथा बेल्जियम, भूटान, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, मंगोलिया, नेपाल (पुरानी संधि) नीदरलैंड, रूस, स्वीटजरलैंड, संयुत अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमरीका, उजबेकिस्तान, स्पेन, तुर्की, एवं ट्यूनेशिया के साथ संधियाँ लागू हैं। नीदरलैंड और स्विटजरलैंड के साथ संधिया स्वतंत्रता से पहले हस्ताक्षरित हुई थीं और स्वतंत्रता के बाद प्रत्यर्पण संधि, 1962 के अंतर्गत इन्हें अधिसूचित किया गया था। फिलीपीन्स, बहरीन, बुल्गारिया, ताजिकिस्तान, मॉरीशस, उक्रेन, फ्रांस, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया (आर ओ के) कुवैत, ओमान के साथ संधियां अनुसमर्थन प्रपत्रों के विनिमय के बाद अभी तक लागू नहीं हुई हैं। भारत का भी 8 देशों यथा आस्ट्रेलिया, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया और थाईलैंड के साथ पारस्परिक समझौता है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक भारत ने 19 देशों के साथ आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधियाँ हस्ताक्षरित की हैं, जिसमें से 12 देशों यथा तुर्की, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, कजाकिस्तान, रूस, उजबेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ताजिकिस्तान, उक्रेन, मंगोलिया तथा थाईलैंड के साथ ये संधियाँ लागू हैं। फ्रांस, किर्गिस्तान, अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत तथा दक्षिण कोरिया में इसे अभी लागू किया जाना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार यथासंभव ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ आपराधिक मामलों में प्रत्यर्पण संधियां और आपसी कानूनी सहायता संधियां करना चाहती है। इस संबंध में, अन्य देशों के साथ वार्त्ता और विचार-विमर्श चल रहा है। प्रत्यर्पण संधियां भारत से दूसरी ओर तथा दूसरी ओर से भारत में भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण कराने के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करती है, जबकि आपसी कानूनी सहायता संधियां सम्मन देने, वारंट तथा अन्य न्यायिक दस्तावेजों एवं शासन-पत्रों को निष्पादित करने और अपराध को दबाने में दोनों देशों के प्रभावीपन को सुधारने में आपसी सहायता के व्यापक उपाय मुहैया कराने हेतु रूपरेखा प्रदान करती है।

जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा

***657. श्री राय्यापति सांबासिवा राव:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा के दौरान जिन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समान द्विपक्षीय दृष्टिकोण तैयार करने हेतु सहमत हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। दोनों देश अपनी सार्वभौम भागीदारी में नीतिगत केंद्रीकरण को शामिल करने, नव उदीयमान एशियाई युग में भागीदारी के रूप में कार्य करने और अपनी भागीदारी को एक उच्चतर आयाम तक ले जाने के लिए "आठ सूत्री पहलकदमी" को प्रवर्त्तित करने पर सहमत हुए।

(ग) और (घ) भारत और जापान दोनों देशों ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी पर अपने-अपने समर्थन को दोहराया और संबंध में द्विपक्षीय तथा जी-4 की संरचना के अंतर्गत दोनों तरह से अपने सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमत हुए।

(ङ) और (च) दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक था, नए एशियाई युग में भारत-जापान भागीदारी: भारत-जापान सार्वभौम भागीदारी का नीतिगत अभिविन्यास। संयुक्त वक्तव्य में भारत-जापान की सार्वभौम भागीदारी की अद्यतन दृष्टि को रेखांकित किया गया है और सार्वभौम भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए आठ-सूत्री पहलकदमी को निर्धारित किया गया है। आठ-सूत्री पहलकदमी में पारस्परिक क्रियाकलापों के आठ मौलिक क्षेत्रों में सहयोग के उपाय शामिल हैं जिनमें (क) संवर्धित तथा समुन्नत वार्ता शिल्प; (ख) व्यापक आर्थिक सहयोग; (ग) संवर्धित सुरक्षा वार्ता एवं सहयोग; (घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहलकदमी; (ङ) सांस्कृतिक और अकादमिक पहल एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्कों का संवर्धन; (च) नव एशियाई युग के सूत्रपात में सहयोग; (छ) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग; और (ज) सार्वभौम चुनौतियों और अवसरों पर प्रतिक्रिया में सहयोग।

प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी की यात्रा से भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध गहन हुए हैं। दोनों देश एशिया की सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि के संवर्धन के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायोचित विकास की प्रगति में भागीदारों के रूप में कार्य करने पर सहमत हुए।

स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

***658. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के अनुरूप शिशु मृत्युदर और जन्मदर को कम करने तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम में मिली सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) नवजात और मातृ मृत्यु दरें कम करने और माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार देश में 1997 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में परिवार कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यकलापों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर जो 1997 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 71 थी, घटकर 2002 में 63 हो गई है। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर जो 1990 में प्रति हजार जनसंख्या पर 30.2 थी, घटकर 2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर 25 रह गई, इस प्रकार 1990 से प्रति हजार जनसंख्या पर 5.2 की कमी दर्ज की गई है। जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट, 1996 के अनुसार, भारत के महापंजीयक ने राष्ट्रीय स्तर पर जीवन प्रत्याशा में वृद्धि दर्शाई है जो 1991 में पुरुषों के लिए 60.6 वर्ष और महिलाओं के लिए 61.7 वर्ष थी, की तुलना में 2001 के दौरान पुरुषों के लिए 63.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 66.9 वर्ष थी। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षित मातृत्व और प्रतिरक्षण सेवाओं सहित गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध और सुलभ कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन के माध्यम से देशभर में विशेषत: उन 18 राज्यों में ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराया जाना है जिनमें जन स्वास्थ्य सूचकांक और/या स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति दयनीय है। ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। यह मिशन वर्ष 2005 से 2012 तक सात वर्ष तक संचालित होना है।

मिशन के लक्ष्यों में शामिल हैं:- अभिव्यक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति लक्ष्यों के अनुसार शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी; महिलाओं के स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पेय जल, सफाई और स्वच्छता, प्रतिरक्षण और पोषण जैसी जन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच; स्थानीय स्थानिकमारी रोगों सहित संचारी और गैर-संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण; एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच; जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकी संतुलन; स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा में प्राण फूंकना और आयुष को प्रमुख धारा में लाना तथा स्वास्थ्यकर जीवन-शैलियों को बढ़ावा देना।

परिवार कल्याण तथा प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मौजूदा कार्यक्रम इस मिशन का एक भाग बन चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का सुदृढ़ीकरण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना है:-

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य केन्द्र/ अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

* 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति। आशा लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं पहुंचाने में सहायता करेगी और गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व-परिचर्या, संस्थाओं में प्रसव कराने और प्रसवोत्तर जांच कराने तथा बच्चों को टीके लगवाने के काम में उसका विशेष दायित्व होगा।

* आपाती प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चौबीसों घंटे प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करना।

* अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाना।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों को लागू करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

मिशन के संभावित परिणामों में नवजात मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना शामिल है।

विवरण I

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	63	66	66	65	66	62
2.	असम	76	76	76	75	74	70
3.	बिहार	71	67	63	62	62	61
4.	छत्तीसगढ़	89	94	78	79	77	73
5.	गुजरात	62	64	63	62	60	60
6.	हरियाणा	68	70	68	67	66	62
7.	झारखंड	68	62	71	70	62	51
8.	कर्नाटक	53	58	58	57	58	55

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	47	49	48	48	45	45
12.	उड़ीसा	96	98	97	95	91	87
13.	पंजाब	51	54	53	52	52	51
14.	राजस्थान	85	83	81	79	80	78
15.	तमिलनाडु	53	53	52	51	49	44
16.	उत्तर प्रदेश	85	85	84	83	83	80
17.	पश्चिम बंगाल	55	53	52	51	51	49
18.	हिमाचल प्रदेश	63	64	62	60	54	52
19.	जम्मू-कश्मीर	अनुपलब्ध	45	52	50	48	45
20.	अरुणाचल प्रदेश	47	44	43	44	39	37
21.	दिल्ली	35	36	31	32	29	30
22.	गोवा	19	23	21	23	19	17
23.	मणिपुर	30	25	25	23	20	14
24.	मेघालय	54	52	56	58	56	61
25.	मिजोरम	19	23	19	21	19	14
26.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	51	52	49	49	42	34
28.	त्रिपुरा	51	49	42	41	39	34
29.	उत्तरांचल	—	—	52	50	48	41
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	33	30	25	23	18	15
31.	चण्डीगढ़	40	32	28	28	24	21
32.	दादरा एवं नगर हवेली	63	61	56	58	58	56
33.	दमन एवं दीव	38	51	35	48	40	42
34.	लक्षद्वीप	36	26	32	27	33	25
35.	पांडिचेरी	22	21	22	23	22	22
	अखिल भारत	71	72	70	68	66	63

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली

विवरण II

असोधित जन्म दर (सीबीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.5	22.4	21.7	21.3	21.0	20.7
2.	असम	28.2	27.9	27.0	26.9	27.0	26.6
3.	बिहार	31.7	31.1	31.5	31.9	31.2	30.9
4.	छत्तीसगढ़	32.2	28.7	26.9	26.7	26.5	25.0
5.	गुजरात	25.6	25.5	25.4	25.2	25.0	24.7
6.	हरियाणा	28.3	27.6	26.8	26.9	26.8	26.6
7.	झारखंड	28.2	26.9	26.3	26.5	26.2	26.4
8.	कर्नाटक	22.7	22.0	22.3	22.0	22.2	22.1
9.	केरल	17.9	18.3	18.0	17.9	17.3	16.9
10.	मध्य प्रदेश	31.9	30.7	31.1	31.4	31.0	30.4
11.	महाराष्ट्र	23.1	22.5	21.1	21.0	20.7	20.3
12.	उड़ीसा	26.5	25.7	24.1	24.3	23.5	23.2
13.	पंजाब	23.4	22.4	21.5	21.6	21.2	20.8
14.	राजस्थान	32.1	31.6	31.1	31.4	31.1	30.6
15.	तमिलनाडु	19.0	19.2	19.3	19.3	19.1	18.5
16.	उत्तर प्रदेश	33.5	32.4	32.8	32.8	32.1	31.6
17.	पश्चिम बंगाल	22.4	21.3	20.7	20.7	20.6	20.5
18.	अरुणाचल प्रदेश	21.4	19.4	20.3	22.3	18.9	20.2
19.	दिल्ली	21.1	19.4	20.3	20.3	18.9	17.2
20.	गोवा	14.2	14.3	14.3	14.3	14.2	14.0
21.	हिमाचल प्रदेश	22.6	22.6	23.8	22.1	21.2	20.7
22.	जम्मू-कश्मीर	अनुपलब्ध	19.8	20.9	19.7	20.2	19.2
23.	मणिपुर	19.7	19.0	18.6	18.3	18.3	16.8
24.	मेघालय	30.2	29.2	28.7	28.5	28.3	25.8
25.	मिजोरम	15.0	15.8	17.0	16.0	15.7	16.9

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	19.8	20.9	21.6	21.8	21.6	21.9
28.	त्रिपुरा	18.3	17.6	17.0	16.5	16.1	14.9
29.	उत्तरांचल	22.9	23.6	19.6	20.2	18.5	17.0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	18.6	17.7	18.1	19.1	16.8	16.8
31.	चण्डीगढ़	18.8	17.9	17.9	17.5	16.3	14.6
32.	दादरा एवं नगर हवेली	28.2	34.1	34.2	34.9	29.5	30.4
33.	दमन एवं दीव	24.9	21.7	26.9	23.7	22.3	22.4
34.	लक्षद्वीप	22.9	23.0	25.1	26.1	20.4	19.3
35.	पांडिचेरी	18.4	18.2	17.7	17.8	17.9	17.9
	अखिल भारत	27.2	26.5	26.0	25.8	25.4	25.0

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली

विवरण III

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

बड़े राज्य	पुरुष		महिला	
	1991-96	2001-2006	1991-96	2001-2006
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	61.4	62.79	64.48	65.00
2. असम	58.74	58.96	58.48	60.87
3. बिहार	60.81	65.66	60.09	64.79
4. गुजरात	60.94	63.12	62.74	64.10
5. हरियाणा	65.21	64.64	64.22	64.10
6. कर्नाटक	64.15	62.43	65.30	66.44
7. केरल	67.23	71.67	72.37	75.00
8. मध्य प्रदेश	59.24	59.19	57.96	58.01
9. महाराष्ट्र	63.9	66.75	65.06	69.76
10. उड़ीसा	60.13	60.05	58.40	59.71

1	2	3	4	5
11. पंजाब	66.61	69.78	66.55	72.00
12. राजस्थान	60.5	62.17	61.34	62.80
13. तमिलनाडु	62.85	67.00	63.05	69.75
14. उत्तर प्रदेश	57.14	63.54	52.84	64.09
15. पश्चिम बंगाल	61.95	66.08	61.94	69.34
भारत (इकट्ठा)	60.6	63.87	61.70	66.91

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को स्वायत्तता

***659. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम, विशेषकर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कोरिडोर के अंतर्गत सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक व्यावसायिक और कुशल बनाने के लिए इसे और अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उच्च गुणता वित्तीय प्रबंधन और संविदा प्रबंधन विशेषज्ञता के साथ एक बहुविषयक व्यावसायिक निकाय बनाने के लिए इसके पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

***660. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के लिए धनराशि जारी की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) उन राज्यों जहां पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, को पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों की संबद्धता को जिला स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और केन्द्र से गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष कोई नकद अनुदान नहीं दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों की सम्बद्धता सहित संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिलों को जारी करने हेतु राज्य क्षयरोग सोसायटियों को निधियां एकमुश्त जारी की जाती हैं। राज्य क्षयरोग सोसायटियों द्वारा सूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठन शीर्ष के अधीन खर्च की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि रुपयों में
2002-2003	63.29 लाख
2003-2004	87.95 लाख
2004-2005	109.70 लाख

कई गैर-सरकारी संगठन भी बिना किसी सहायता के भाग लेते हैं।

तथापि, एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए वैश्विक निधियां (जीएफएटीएम) सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत शहरी डॉटस केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र से गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

जीएफएटीएम निधियों से जारी की गई राशि

भगवान महावीर मेडिकल रिसर्च सेंटर, हैदराबाद	16.75 लाख रुपए
सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट, वाराणसी	8.30 लाख रुपये
रिसोर्स ग्रुप फार एजूकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्यूनिटी हैल्थ (आईएसीएच), चेन्नई	109.70 लाख रुपए

(घ) आम तौर पर डॉट्स के नाम से विख्यात संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत की गई कार्यनीति है जो देश में 1997 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चरणवार तरीके से चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य नए स्पूटम पॉजीटीव रोगियों में से 85 प्रतिशत को ठीक करना तथा ऐसे रोगियों के कम-से-कम 70 प्रतिशत का पता लगाना है। एक्स-रे के बजाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान से प्राथमिकता के अनुसार संक्रामक रोगियों का इलाज करने में मदद मिलती है। स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत एवं सुदृढ़ किया गया है। दवाइयां निगरानी में दी जाती हैं और रोगियों पर नजर रखी जाती है ताकि वे अपना इलाज पूरा कर सकें। दवाइयां रोगीवार बने बक्सों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अभी तक, संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत 564 जिलों/रिपोर्टिंग यूनिटों में 1 बिलियन जनसंख्या कवर की गई है। परियोजना जिलों ने 85 प्रतिशत की रोग मुक्ति दर सूचित की है जिसका अर्थ है कि संशधित कार्यनीति के अंतर्गत उपचार पर रखे गए प्रति 10 रोगियों में से 8 रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है जोकि पूर्व कार्यक्रम में 4 से नीचे थी। वर्ष 2004 के दौरान, 70 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में 72 प्रतिशत रोगियों द्वारा निदान प्राप्त किया गया। जनसंख्या के ज्यादातर भाग तक कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने और इस दिशा में सरकारी प्रयासों को अनुपूरक बनाने के लिए कार्यक्रम में मेडिकल कालेजों, सभी सरकारी अस्पतालों, निजी व्यावसायियों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान वर्ष (2005) के दौरान संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत पूरे देश को कवर करने पर विचार किया गया है।

विवरण

उन राज्यों जहां पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, को पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	30.19	31.03
2	असम	391.77	411.91	750.26
3.	बिहार	697.27	221.17	328.40
4.	गोवा	13.78	13	14.17
5.	गुजरात	536.22	506.28	551.38
6.	हरियाणा	179.75	*	*
7.	हिमाचल प्रदेश	64.64	61.03	66.47
8.	जम्मू-कश्मीर	95.28	86.71	110.06
9.	कर्नाटक	534.01	497.42	574.26
10.	केरल	336.99	318.17	346.52
11.	मध्य प्रदेश	592.09	545.77	658.17
12.	महाराष्ट्र	1025.81	968.53	1054.81

1	2	3	4	5
13.	मणिपुर	30.77	65.88	67.69
14.	मेघालय	31.74	45.92	64.87
15.	मिजोरम	11.82	22.56	25.38
16.	नागालैंड	25.64	54.9	56.41
17.	पंजाब	227.65	206.68	264.79
18.	राजस्थान	598.74	565.31	615.67
19.	सिक्किम	6.41	13.72	14.10
20.	तमिलनाडु	658.09	621.34	676.69
21.	त्रिपुरा	33.57	68.49	90.26
22.	उत्तर प्रदेश	1586.38	1037.14	1294.82
23.	पश्चिम बंगाल	849.9	802.44	873.92
24.	दिल्ली	146.25	138.08	150.38
25.	पांडिचेरी	9.96	9.23	10.90
26.	अंडमान एवं निकोबार	2.23	1.84	3.27
27.	चंडीगढ़	9.54	9	9.81
28.	दादरा और हवेली	1.48	1.23	2.18
29	दमन और दीव	1.48	1.23	2.18
30.	लक्षद्वीप	1.06	1	1.09
31.	झारखंड	233.91	*	*
32.	उत्तरांचल	67.21	*	*
33.	छत्तीसगढ़	183.56	*	*
	कुल	9200.00	7326.17	8709.94

*नोट: नीचे उल्लिखित राज्यों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता विश्व बैंक के अलावा दाता एजेंसियों द्वारा दी जाती है:

आंध्र प्रदेश – अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (डीएफआईडी)

उड़ीसा – डेनिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (डेनिडा)

हरियाणा – वर्ष 2003-04 से आगे यूएसएड द्वारा

छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल : वर्ष 2003-04 से एड्स, क्षय रोग और मलेरिया के लिए वैश्विक निधियां।

बिहार और उत्तर प्रदेश–वर्ष 2003-04 की अंतिम तिमाही से जीएफएटीएम द्वारा बिहार के 29 जिले और 27 जिले। इन दो राज्यों के शेष जिलों को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत कर किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में चोरी

*6764. **श्री पुन्नुलाल मोहले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोरबा (छत्तीसगढ़) तथा देश के अन्य भागों में ऐसी कोयला खदानों की पहचान की है जहां कोयले की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्ष-वार, कंपनी-वार और खान-वार प्रकाश में आई ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष-वार अनुमानत: कितनी मात्रा में कोयले की चोरी हुई है;

(घ) चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार चोरी को रोकने के प्रयास में ट्रेड यूनियनों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी व्यक्तियों को दी गई सजा का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा कार्मियों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था के प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में निम्नलिखित मात्रा बरामद की गई थी-

कंपनी	2002-2003			2003-2004			2004-2005 (फरवरी, 2005 तक) (अनंतिम)		
	दर्ज एफआईआर	बरामद मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	दर्ज एफआईआर	बरामद मात्रा टन	लगभग मूल्य (लाख रु.)	दर्ज एफआईआर	बरामद मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)
ईसीएल	804	14140.00	113.00	698	11912.00	95.46	372	10032.85	80.23
बीसीसीएल	47	71.69	0.977	155	5223.23	54.86	329	2476.14	34.25
सीसीएल	13	704.50	7.00	11	1200.00	12.06	26	2255.00	22.90
एनसीएल	0	0	0	1	9.00	0.07	-	-	-
डब्ल्यूसीएल	20	277.21	2.23	18	169.39	1.66	4	16.80	0.16
एसईसीएल	7	65.48	0.55	17	139.50	1.54	43 और 2 (आर पीएफ)	689.71	7.14
एमसीएल	4	34.60	0.16	3	31.00	0.15	10 और 4 (आर पीएफ)	104.02	0.63
एनईसी	40	49.70	0.53	0	0	0	38	137.57	1.70
जोड़	935	15343.18	124.45	903	18684.12	165.8	822 +6 (आर पीएफ)	15712.09	209.38

(घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं। इसके अतिरिक्त, सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) अवैध कोयला डिपो तथा कोयले के अवैध संचलन के बारे में आसूचना रिपोर्टों का संग्रहण तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(2) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिंदुओं पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(3) वॉच-टावरों का निर्माण करना तथा कोयला स्टेकिंग क्षेत्र के इर्द-गिर्द प्रकाश की व्यवस्था करना।

(4) रात के समय सशस्त्र गार्डों के नियोजन सहित पिट हैड डिपो के इर्द-गिर्द कांटेदार बाड़ लगाना/दीवार बनाना, स्थायी सुरक्षा चौकी बनाना।

(5) भरे हुए रेकों को सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में रेलवे वे-ब्रिजों तक ले जाना तथा लंबी दूरी के रेलवे ट्रैकों में, जहां वैगनों को लूटे जाने की संभावना होती है, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करना।

(6) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(7) चोरी अथवा उठाईगिरी के कार्य में पकड़े गए परिवहन गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कराई करना।

(8) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में लिप्त महिलाओं और बच्चों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुन: आंकलन कर सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजोन्टल संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

(9) मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कंध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण देना।

(ङ) और (च) कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने के उपायों पर ट्रेड यूनियनों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

(छ) उठाईगिरी में यदि कंपनी के किसी कर्मचारी को लिप्त पाया जाता है तो कंपनी के नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाती है। कोयले की उठाईगिरी में गैर-कर्मचारियों की लिप्तता के मामले में पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। राज्य प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कोलबेड मीथेन का अन्वेषण

6765. **श्री विकास चौधरी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोलबेड मीथेन का अन्वेषण करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्वेषण की स्थलवार वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेटोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के विभिन्न कोलफील्डों के 7809 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए अब तक सीबीएम नीति के तहत कोल बेड मीथेन बोली के दो दौर के अंतर्गत 13 ब्लाक अवार्ड किए गए हैं तथा नामांकन के आधार पर 3 ब्लाक अवार्ड किए गए हैं। इन ब्लाकों के अन्वेषण की स्थल-वार वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अवार्ड किए गए सीबीएम ब्लाकों में कार्य की प्रगति

ब्लाक का नाम (ब्लाक की नामावली)	अवार्ड कन्सोर्टियम	30.4.05 को कार्य की स्थिति (अन्वेषण चरण-1)
1	2	3
क. प्रथम राउन्ड की बोली (सीबीएम-I) के अन्तर्गत अवार्ड किए गए सीबीएम ब्लाक		
बोकारो (/बी-सीबीएम-2001/1)	ओएनजीसी-आईओसी	* 8 कोरहोलों की ड्रिलिंग तथा भू-भौतिकी लागिंग पूरी हो गई है। * कोयले पर सीबीएम संबंधित अध्ययन पूरा हो गया है। * हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के लिए टेस्ट वेल तैयारी की पूर्ण ड्रिलिंग, भू-भौतिक लागिंग तथा सीमेंटिंग चल रही है।

1	2	3
नार्थ करनपुरा /एनके-सीबीएम-2001/1)	ओएनजीसी-आईओसी	* 9 कोरहोली की ड्रिलिंग तथा भू-भौतिकी लागिंग पूरी हो गई है। * कोयले पर सीबीएम संबंधित अध्ययन पूरा हो गया है। टेस्ट वेल ड्रिलिंग जून, 2005 में शुरू होने की संभावना है।
सुहागपुर ईस्ट /(एसपी(ईस्ट)-सीबीएम-2001/1)	आरआईएल	* 8 कोरहोलों की ड्रिलिंग तथा भू-भौतिकी लागिंग पूरी हो गई है। * कोयले पर सीबीएम संबंधित अध्ययन पूरा हो गया है। * सभी कोरहोलों में इन्जेक्शन फाल ऑफ जांच कर लिया गया है। * सभी 5 टेस्ट वेलों की ड्रिलिंग, भू-भौतिकी लागिंग, सीमेंटीकरण तथा हाइड्रोफ्रैक्चरिंग पूरा कर लिया गया है। * सभी 5 टेस्ट वेलों में एसआर पम्प की फिटिंग कर दी गई है। * सीबीएम उत्पादन का आकलन करने के लिए डिवाटरिंग किया जा रहा है।
सुहागपुर वेस्ट /(वेस्ट(एसपी)(वेस्ट)-सीबीएम-2001/1)	आरआईएल	* 8 कोरहोलों की ड्रिलिंग तथा भू-भौतिकी लागिंग पूरी हो गई है। * कोयले पर सीबीएम संबंधित अध्ययन पूरा हो गया है। * सभी कोरहोलों में इन्जेक्शन फाल ऑफ जांच कर लिया गया है। * 5 टेस्ट वेलों की कल्स्टर में ड्रिलिंग, भू-भौतिकी लागिंग, सीमेंटीकरण तथा हाइड्रोफ्रैक्चरिंग पूरी कर ली गई है। * सभी 5 टेस्ट वेलों में एसआर पम्प की फिटिंग कर दी गई है। * सभी 5 टेस्ट वेलों में सीबीएम उत्पादन के आकलन करने के लिए डिवाटरिंग किया जा रहा है।
रानीगंज ईस्ट /(जी (ईस्ट)-सीबीएम-2001/1)	ईओएल	* पीईएल डीड 29.3.2005 को हस्ताक्षरित किया गया।
ख. मामांकन आधार पर सीबीएम ब्लाक अवार्ड किए गए		
[illegible]	ओएनजीसी-सीआईएल	राज्य सरकार के साथ पीईएल डीड को हस्ताक्षर किया

1	2	3
झरिया	ओएनजीसी-सीआईएल	* दिनांक 28.2.2004 को पीईएल स्वीकृत किया गया। * जनवरी, 2005 में कोरहोल ड्रिलिंग शुरू की गई। * 1 कोरहोल की ड्रिलिंग पूरी हो गई। * 2 कोरहोल की ड्रिलिंग की जा रही है।
रानीगंज साउथ (पूर्व में ब्लाक एफआईपीएस मार्ग के माध्यम से अवार्ड किया गया था)	जीईईसीएल	* चरण-1 कार्य का कार्यक्रम पूरा हो गया। * चरण-2 पाइलट आकलन तथा मार्किट सर्वेक्षण चरण। * 1 कोरहोल और सीबीएम संबंधी अध्ययन की ड्रिलिंग पूरी हो गई। * 3 पाइलट वेलों की ड्रिलिंग तथा हाइड्रोफ्रैक्चरिंग पूरी हो गई है। * सभी 3 पाइलट वेलों में सीबीएम की सम्भाव्यता का आकलन करने के लिए डीवाटरिंग किया जा रहा है। * वेल एसएन-2 में पानी से 2000 घन मी. प्रतिदिन की दर से गैस का बहाव पूरा किया गया।
ग. दूसरे राउन्ड की बोली (सीबीएम-2) के अन्तर्गत अवार्ड किया गया कोयला ब्लाक		
साउथ करनपुरा /एसके-(सीबीएम-2003/2)	ओएनजीसी	* पीईएल प्रतीक्षित है।
नार्थ करनपुरा (एनके(वेस्ट)-सीबीएम-2003/2)	ओएनजीसी	* पीईएल प्रतीक्षित है।
सतपुरा (एसटी-सीबीएम-2003/2)	ओएनजीसी	* पीईएल 4.1.2005 को स्वीकृत किया गया। * कोरहोल ड्रिलिंग शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है।
वर्धा (डब्ल्यूडी-सीबीएम-2003/2)	ओएनजीसी	* पीईएल 12.1.2005 को स्वीकृत किया गया। * कोरहोल ड्रिलिंग शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है।
सोनहट /(एसएच (नार्थ)-सीबीएम-2003/2)	आरआईएल	* पीईएल 30.10.2004 को स्वीकृत किया गया। * कोरहोल ड्रिलिंग जनवरी, 2005 के अंत में शुरू किया गया। * 6 कोरहोलों की ड्रिलिंग तथा जीपीएल पूरी हो गई। * कोयला कोर पर सीबीएम संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं।

1	2	3
बारमेर (1) बीएस (1)-सीबीएम-2003/2)	आरआईएल	* दिनांक 1.4.2005 को पीईएल स्वीकृत किया गया।
बारमेर (2) (बीएस (2) -सीबीएम 2003/2)	आरआईएल	* दिनांक 15.3.2005 को पीईएल स्वीकृत किया गया।
बारमेर-संचोर (बीएस (3)-सीबीएम-2003/2)	ओएनजीसी-जीएसपीसीएल	* दिनांक 10.9.2005 को पीईएल स्वीकृत किया गया। * ड्रिलिंग के लिए कोरहोल तथा टेस्ट वेलों के स्थलों को अन्तिम रूप दिया गया। * कोरहोल ड्रिलिंग के शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है।

संक्षेपणों की सूची

* ओएनजीसी - आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन
* आईओसी - इंडियन आयल कारपोरेशन
* सीआईएल - कोल इंडिया लिमिटेड
* आरआईएल - रिलांयस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
* ईओएल - एस्सार आयल लिमिटेड
* जीईईसीएल - ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड
* पीईएल - पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस

पद आधारित रोस्टर का क्रियान्वयन

6766. श्री परसुराम माझी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 1.7.1997 से रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर के क्रियान्वयन के पश्चात् अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के हितों पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को न्याय देने के लिए उच्चतम न्यायालय के 10.02.1995 के निर्णय के विरुद्ध चालू सत्र के दौरान एक विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विधेयक के कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश चौरी): (क) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पद आधारित आरक्षण रोस्टरों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.02.1995 के निर्णय में सेवाओं में पद आधारित आरक्षण का प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित नहीं किया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध कोई विधेयक लाना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समग्र हित में नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए-आबंटन

6767. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने एक निदेश जारी किया है जिसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मंत्रालय के लिए आबंटित कुल योजनागत बजट की न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अवश्य खर्च की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान डाक विभाग को विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल कितना योजनागत बजट का आबंटन किया गया है;

(ग) इन धनराशियों का कितना प्रतिशत असम व अन्य पूर्वोत्तर डाक सर्किलों को उप-आबंटित किया गया;

(घ) इन सर्किलों द्वारा वर्षवार आबंटित राशि में से वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी और लौटायी गयी; और

(ङ) धनराशियों को लौटाए जाने के क्या कारण हैं और धनराशियों का पूर्ण उपयोग न करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान विभाग को संपूर्ण देश तथा असम और पूर्वोत्तर सर्किलों के लिए आवंटित की गई निधि, यथार्थत: प्रयुक्त राशि के साथ-साथ उनका प्रतिशत एवं अभ्यर्पित राशि का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तीसरे वर्ष की वास्तविक उपयोग से संबंधित सूचना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत:, तीसरे वर्ष से संबंधित सूचना एकत्र की जाएगी और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) शून्य आधारित विस्तृत बजट प्रक्रिया के उपरांत योजनावार परिव्ययों को अनुमोदित करने में समय लगने और प्रत्येक योजना स्कीम हेतु कार्यान्वयन योजना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अपेक्षित अनुमोदन सुनिश्चित करने के कारण पहले दो वर्षों के दौरान आवंटित निधि जितना उपयोग नहीं किया जा सका। संशोधित प्राक्कलन स्तर पर योजना परिव्यय पर प्रतिबंध, समय-समय पर जारी होने वाले किफायत संबंधी आदेशों, वित्त वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता/अधिप्राप्ति एजेंसियों से बिलों की प्राप्ति न होना आदि भी योजना निधियों के उपयोग नहीं होने के कारण बनते हैं।

निधियों को जल्द जारी करने, नियमित मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से निधियों को खपाने के लिए प्रणाली की क्षमता में सुधार कर निधियों के उपयोग के स्तर को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान विभाग को पूरे देश के लिए तथा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित निधि का योजनावार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	कुल परिव्यय		पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित निधि		पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि		आवंटित निधि की तुलना में उपयोग की गई निधि का प्रतिशत		पूर्वोत्तर राज्यों में व्यय न की गई निधि	
		2002-2003	2003-2004	2002-2003	2003-2004	2002-2003	2003-2004	2002-2003	2003-2004	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	डाक नेटवर्क का विस्तार	3.41	2.10	0.28	0.21	0.08	0.21	28.5	100	0.20	0.00
2.	डाकघरों (एमपीसीएम को स्थापित करना), लेखा तथा प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं सॉफ्टवेयर विकास	38.86	59.32	0.09	3.40	0	0	0	0	0.09	3.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग	13.32	0.82	0.63	0	0	0	0	0	0.63	0
4.	ग्राहक सुविधा केन्द्रों का उन्नयन	11.57	11.57	1.00	1.00	0	0.19	0	19	1.00	0.81
5.	वीएसएटी का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	0.75	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	प्रचालनात्मक/कार्य प्रणालियों का आधुनिकीकरण (एर्गोनॉमिक्स में सुधार)	5.54	5.06	0.55	0.61	0.09	0.31	16.36	50.8	0.46	0.3
7.	ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र	24.00	0.05	4.46	0	0	0	0	0	4.46	0
8.	डाक संचलन का यांत्रिकीकरण एवं आधुनिकीरण	0.30	15.31	0.03	0.07	0.07	0.09	233	128	(0.04)*	(0.02)*
9.	प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/ उन्नयन	2.74	5.94	0.26	0.55	0.11	0.33	42.3	60	0.15	0.22
10.	फिलैटली का उन्नयन एवं प्रोत्साहन	0.84	1.00	0.09	0.10	0.09	0.08	100	80	0	0.02
11.	प्रशिक्षण	6.65	11.28	0.66	0.78	0.19	0.64	28.7	82	0.47	0.14
12.	भवनों का निर्माण	28.00	24.00	6.50	2.00	1.81	2.06	27.8	103	4.69	(0.06)*
13.	सर्किल डाक-टिकट डिपो का आधुनिकरण	0.26	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	सष्ट्रीय डाटा केन्द्र	5.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	शोध एवं विकास/अध्ययन/सर्वेक्षण	1.00	0.07	0.10	0.00	0	0	0	0	0.10	0.00
16.	एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट केन्द्रों की स्थापना	0.50	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ई-पोस्ट	0.50	2.30	0.05	0.06	0.09	0	180	0	(0.04)*	0.06
18.	ई-बिल पोस्ट	0.50	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	वित्तीय उत्पादों के विकास सहित नए उत्पाद एवं सेवाएं	5.00	3.60	0.30	0.14	0	0	0	0	0.30	0.14
20.	अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रोसेसिंग का कम्प्यूटरीकरण	1.26	2.06	0	0.06	0	0	0	0	0	0.06
	कुल	150.00	150.00	15.00	8.98	2.53	3.91	16.86	43.54	12.55	5.15

*आवंटन से अधिक राशि के व्यय का सूचक है।

एस्बेस्टस के संपर्क से नुकसानदेह प्रभाव

6768. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल के डॉ टी. के. जोशी ने एस्बेस्टस के खतरों को विस्तार से बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को एस्बेस्टस के संपर्क में आने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के डा. टी.के. जोशी ने इंडियन जरलन ऑफ आक्यूपेशनल एंड एन्विरोन्मेंटल मेडीसिन में छपे एक लेख में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि एबेस्टस का किसी भी रूप एवं पद्धति में प्रयोग कैंसरजनक है जिसका एक्सपोजर का सुरक्षित स्तर नहीं है जैसा कि कई अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा बताई गई स्थिति से प्रमाणित है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अनुसार ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि एस्बेस्टस उत्पाद के प्रयोगकर्ताओं को कैंसर का विशिष्ट जोखिम है।

(ग) एस्बेस्टस तथा एस्बेस्टस उत्पादों के रखरखाव एवं प्रयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एबेस्टस के कारण उत्पन्न खतरों को कम करने/नियंत्रित करने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1987, खान अधिनियम, 1952 तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 में प्रावधान मौजूद हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बीएसएनएल के टावर

6769. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना, छत्तरपुर और जबलपुर जिलों में स्वीकृत बी.एस.एन.एल. एक्सचेंजों, सेलवन टावरों और तरंग टावरों की संख्या कितनी है और उक्त सेवाएं किन स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या है;

(ग) उक्त सेवाएं किस तिथि को शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण के पश्चात आज की तिथि तक कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तब तक कार्य पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दामोह, पन्ना, छत्तरपुर और जबलपुर जिलों के लिए स्वीकृत/प्रस्तावित भारत संचार निगम लिमिटेड एक्सचेंजों, सेल वन टॉवरों तथा तरंग टॉवरों की संख्या निम्नानुसार है:-

जिला	भा.सं.नि.लि के एक्सचेंज	सेलवन टॉवरों के स्थान (सं.)	एक-एक तरंग टॉवरों वाले स्थान
दामोह	शून्य'	दामोह (दो), नरसिंहपुर (एक), हट्टा (एक) तथा पथरिया (एक)	दामोह पटेरा एवं जबेरा
पन्ना	शून्य	पन्ना (एक), गुन्नौर (एक), शाहनगर (एक), एनएमडीसी (एक), अमानगंज (एक) तथा अजयगढ़ (एक)	अजयगढ़, गुन्नौर तथा शाहनगर
छत्तरपुर	शून्य	छत्तरपुर (पांच), खजुराहो (दो), टीकमगढ़ (दो), नौगांव (एक), ओरछा (एक), निवाड़ी (एक), बदामालहेड़ा (एक), लौंडी (एक), बिजावर (एक), राजनगर (एक), पलेरा, पलेरा (एक), गौरीहर (एक) तथा हरपालपुर (एक)	बदामालहेड़ा, बलदेवगढ़ जटारा, राजनगर, निवाड़ी नौगांव, बक्सवाहा तथा गौरीहर
जबलपुर	शून्य	जबलपुर (तेईस), कटनी (तीन), सिहोरा (एक), कीमोर (एक), पाटन (एक), बरेढ़ा (एक), बहुरबंद (एक), वी राधोगढ़ (एक), धीमारखेड़ी (एक), पनूमाड़िया (एक), पानगर (एक), तथा बर्ही (एक)	कुंडम, उमरियापान तथा विजयराघोगढ़

(ख) वर्ष 2005-06 में प्रदान करने की योजना है।

(ग) उपकरण उपलब्ध होने पर 31.3.2006 तक शुरू होने की आशा है।

(घ) इन स्थानों पर न तो भूमि-अधिग्रहण की गयी है एवं न ही अधिग्रहण करने की कोई प्रस्ताव है।

(ङ) संभावना है कि कार्य 31.3.2006 तक पूरा हो जाएगा।

(च) परियोजना के कार्यान्वयन में कोई देरी नहीं हुई है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी व्यय

6770. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में स्वास्थ्य पर व्यय का मात्र 17 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाता है और शेष लोगों द्वारा निजी रूप से वहन किया जा रहा है जिससे यह दुनिया का सर्वाधिक निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी औषधालयों में आम आदमी के लिए दवाओं पर सार्वजनिक व्यय कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निवारणात्मक व उपचारात्मक उपायों पर व्यय का अलग-अलग विवरण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में सरकार कुल व्यय का 21.3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है तथा बाकी लोगों द्वारा निजी रूप से वहन किया जा रहा है जो और देशों की तुलना में अधिक है। इसके मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त जन स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा भी शामिल है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

मधुमेह का खतरा

6771. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व की मधुमेह राजधानी के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकाधिक बच्चे मधुमेह से पीड़ित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मधुमेह को विशेषत: बच्चों में मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं। इनका कारण जनसंख्या आयु का बढ़ना, जन्म के समय कम वजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, स्थूलता, अभ्रमणशील जीवन शैली, नैदानिक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता, वातावरण का और दूषित होना है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 32 मिलियन मधुमेह के रोगियों का 10 प्रतिशत इन्सुलिन पर निर्भर युवा मधुमेह रोगी हैं जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है। तथापि, बच्चों में मधुमेह के मामलों का डाटा मौजूद नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब राष्ट्रीय मधुमेह एवं कार्डियो वैस्कुलर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं।

सीजीएचएस औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

6772. श्री हितेन बर्मन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस के प्रत्येक औषधालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी (आई एस एम एण्ड एच) के चिकित्सकों के राज्यवार कितने पद रिक्त हैं;

(ख) दिल्ली व दिल्ली के बाहर सीजीएचएस के प्रत्येक औषधालय में आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी फीजिशियनों के रिक्त पदों को भरने के लिए मांग-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। संघ लोक सेवा आयोग से उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त होते ही रिक्त पदों को भरा जाएगा।

विवरण

रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
	आयुर्वेदिक फिजिशियन			
1.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई	2	1	1
2.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर	2	1	1
3.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर	2	1	1
4.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ	2	1	1
5.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	39	31	8
	होमियोपैथी फिजिशियन			
1.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर	2	1	1
2.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई	2	1	1
3.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर	4	3	1
4.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर	2	1	1
5.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	28	25	3
	यूनानी फीजिशियन			
1.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर	2	1	-
2.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद	4	3	1
3.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता	2	1	1
4.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ	2	1	1
5.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली	10	11	-

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालय/सरकारी अस्पताल खोलना

6773. मो. मुकीम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र विशेषत: शांति विहार, दीनपुर, दुर्गा विहार, ककरोला, रोशन पुरा, श्याम विहार, विजवासन में जहां बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं वहां न तो सीजीएचएस औषधालय हैं, न ही अस्पताल हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल और औषधालय खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त कालोनियों में रहने वाले सीजीएचएस कार्डधारकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यद्यपि, उक्त क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय नहीं हैं, इसलिए ऐसे गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारी को स्वत: ही केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या)नियम, 1944 के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए दिल्ली में अस्पताल खोलना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है। नजफगढ़ क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय को खोलने संबंधी एक प्रस्ताव को 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। तथापि, संसाधनों और जनशक्ति की तंगी के कारण इस समय नजफगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(ग) गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों से संबंधित स्थिति उपर्युक्त (क) में बताई गई है। जहां तक गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगी कार्डधारियों का संबंध हैं, वे सबसे पास के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से बहिरंग रोगी विभाग की सुविधाएं और अंतरंग चिकित्सीय सुविधाओं के लिए रेफरल सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे पेंशनभोगी कार्डधारी आपात स्थितियों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर द्वारा घर पर दौरा किए जाने की सुविधा पाने के पात्र नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को बहिरंग उपचार के लिए 100 रुपए प्रति मास का नियत चिकित्सीय भत्ता पाने का विकल्प भी है, यदि वे उसका प्रयोग करते हैं तो उनकी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बहिरंग रोगी विभाग की सुविधाओं का लाभ उठाने की पात्रता समाप्त हो जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के रिक्त पद

6774. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संवर्गवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है और रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग और अन्य अखिल भारतीय सेवा के कई अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है;

(ङ) क्या राज्यस्थान में उक्त सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भरा गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निर्धारित आरक्षण के मानदंडों के अनुसार भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) यद्यपि, अखिल भारतीय सेवाओं में कुछ पद रित पड़े हैं फिर भी ये पद लम्बे समय से रिक्त नहीं पड़े हैं। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार सभी तीनों अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के संवर्ग का अलग अलग ब्यौरा निम्नानुसार है:-

		भरे गए	रिक्त
भारतीय प्रशासनिक सेवा संस्वीकृत	260		
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	56	35	21
अन्य राज्य पद	204	188	16
भारतीय पुलिस सेवा संस्वीकृत	184		
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	40	20	20
अन्य राज्य पद	144	126	18
भारतीय वन सेवा संस्वीकृत	112		
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	13	05	08
अन्य राज्य पद	99	92	07

रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों अर्थात् सर्व/श्री संजय परोहित (भा.प्र.से: 89) एस.एन. खण्डेलवाल (भा.प्र.से.: 75) जी.एस नरवाणी (भा. प्र.से.: 79) टी.आर. वर्मा (भा.प्र. से.: 75) तथा भारतीय वन सेवा के 4 अधिकारियों अर्थात् सर्व/श्री के.एल. सैनी, के.सी. सकरवाल, एल.के. शर्मा, पी.आर.

सीयाग के विरुद्ध विभिन्न नियमों/विनियमों के उल्लंघन के संबंध में विभागीय जाँच लम्बित पड़ी हैं। भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई जाँच लम्बित नहीं है।

(ङ) से (छ) जहाँ तक अखिल भारतीय सेवाओं के राज्यस्थान-संवर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में भरी जानी तय की गई रिक्तियों के संबंध में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संवर्गवार रखा जाना अपेक्षित नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जानी तय की गई कुल रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षण, आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार दिया जाता है। इस समय. सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निर्धारित आरक्षण क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, किसी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित हो जाने के उपरांत, संस्तुत उम्मीदवार परीक्षा के नियमों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर (अन्य सेवाओं/पदों सहित) अखिल भारतीय सेवाओं में भरी जाने वाली सभी रिक्तियाँ, सामान्यत: संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में किसी उम्मीदवार द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने अथवा किसी अन्य कारण से भरी नहीं जाने वाली आरक्षित रिक्तयाँ, यदि कोई हो, इस विषय में विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अग्रेनीत कर ली जाती है। जहाँ तक अखिल भारतीय सेवाओं में फीडर सेवाओं से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आरक्षण के लिए प्रावधान फीडर सेवाओं में मौजूद है।

[अनुवाद]

कालिंग कार्डों को समाप्त करना

6775. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई ने "टाटा इंडिकाम आऊटबाऊंड प्रीपेड कालिंग कार्ड्स" के विभिन्न कालिंग कार्डों को समाप्त करने के संबंध में वीएसएनएल को निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ट्राई के इस निर्णय के कारण कितना घाटा, यदि कोई हो, होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(i)(ख)(i) और (iv) के साथ पठित धारा 13 के तहत वीएसएनएल को, विभिन्न" टाटा इण्डिकॉम आऊटबाऊण्ड प्रीपेड कालिंग कार्ड" की बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया और बिक्री लाइसेंसशुदा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही पुन: शुरू की जा सकती है। दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्देश के विरुद्ध कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की राय में, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किसी गतिविधि के न होने पर भी कोई हानि नहीं हुई है।

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों हेतु मानदंड

6776. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अप्रैल, 1992 में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों हेतु मानदंडों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट्स का कार्य स्टोर (गैर-नर्सिंग कार्य) संभालना है और नर्सिंग कार्य करने के लिए नर्सिंग सिस्टर्स को स्टाफ नर्सों के साथ जोड़ा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट की सिफारिशें डी.जी.एच.एस. द्वारा क्रियान्वित नहीं की गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मरीजों के हितों में रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गयी है या करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग की कर्मचारी निरीक्षण एकक ने केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों के लिए मानदंड के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कर्मचारियों की आवश्यकता बावत गणना के लिए नर्सिंग सिस्टरों और नर्सों को एक साथ मिला दिया गया है।

रिपोर्ट की एक सिफारिश यह थी कि प्रत्येक 4-5 नर्सिंग सिस्टरों के लिए एक सहायक नर्सिंग अधीक्षक होना/होनी चाहिए।

सहायक नर्सिंग अधीक्षकों को गैर-नर्सिंग कार्य सौंपे जाने चाहिएं।

कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट की जांच की गई थी तथा तदनुसार 989 नर्सिंग पदों को मंजूरी दी गई थी और उनके कर्तव्य (ड्यूटीज) और उत्तरदायित्व कार्यान्वयन के लिए सभी संस्थाओं को भेज दिए गए थे। नर्सों की पूरी तैनाती करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि अस्पतालों में रोगी परिचर्या सेवाएं बाधित/प्रभावित नहीं हैं।

सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत और अधिक निजी अस्पताल

6777. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में रहने वाले सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के हजारों कर्मचारियों को चिकित्सा/अस्पताल में भर्ती किए जाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीजीएचएस द्वारा केवल एक निजी अस्पताल अर्थात एस्कार्ट्स हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर को मान्यता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में नवीन सर्वेक्षण करवाएगी और बढ़ती संख्या में एनसीआर शहरों विशेषत: फरीदाबाद में रहने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ और निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों, नैदानिक केन्द्रों को स्वत: संज्ञान लेते हुए मान्यता देगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत शामिल एनसीआर नगर, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में एस्कार्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र फरीदाबाद सहित 13 प्राइवेट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मान्यताप्राप्त अस्पताल हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है–

1. कल्याणी अस्पताल (पी) लिमिटेड, 354/2, महरौली रोड, गुड़गांव,
2. डा. तनेजा अस्पताल एवं हृदय केन्द्र, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव,
3. शीतला अस्पताल एवं नेत्र संस्थान, प्राइवेट लिमिटेड, नजदीक डीएसडी कालेज, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव,
4. ठम्कल अस्पताल एवं एम पी हृदय अनुसंधान संस्थान, ए-520, सुशान्त लोक-1, गुड़गांव,
5. नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद
6. संतोष चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालय अस्पताल, 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद,
7. यशोदा अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र 3-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद,
8. यू.पी. स्टोन एवं यूरोलॉजी केन्द्र, 2-ए/40, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001
9. मेट्रो अस्पताल एवं हृदय केन्द्र, नोएडा,
10. कैलाश अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा,
11. प्रकाश अस्पताल, डी-12, 21-ए, 12-बी सेक्टर-33, नोएडा,
12. सत्या चिकित्सा केन्द्र, ए-98/ए, सेक्टर-34, नोएडा,
13. एस्कोर्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र लिमिटेड, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद।

सरकार से अनुमति लेकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किसी भी मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में उपचार करा सकते हैं। आपातकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी उपचार के लिए सीधे ही अस्पताल जा सकते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने मार्च-अप्रैल, 2004 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत एनसीआर शहरों समेत सीजीएचएस के तहत आने वाले विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर शहरों के प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदक अस्पताल/नैदानिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता हेतु वरीयता के आधार पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

सी.जी.एच.एस. में पेंशनभोगियों के समक्ष आ रही समस्याएं

6778. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेंशनभोगियों को सरकारी अस्पतालों से नुस्खे की पर्ची पर लिखी

गई कतिपय औषधियां/इंजेक्शन दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से प्राप्त करने में कठिनाई होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस संबंध में चिकित्सा भण्डार डिपों, गोल मार्केट, नई दिल्ली से अनुमति लेनी होती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को चिकित्सा भंडार डिपो से अनुमति लेने के लिए क्या निर्देश देने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधें उपलब्ध हैं। तथापि, विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की गई कोई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। उन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों जिनके पास उनसे सम्बद्ध कोई अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नहीं होता है, के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों (पेंशनलोभी लाभार्थियों सहित) के औषधियों को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाती है जिसके लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

कुछ मामलों, जहां औषधें महंगी अथवा आयात की जानी होती हैं, में औषधों को सीधे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा भंडार डिपो, गोल मार्केट, नई दिल्ली द्वारा अधिप्राप्त किया जाता है। ऐसी औषधों, जिनको सीधे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (चिकित्सा भंडार डिपो) द्वारा अधिप्राप्त किया जाना होता है, की सूची को इस प्रयोजन हेतु गठित की गई एक समिति द्वारा समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा भंडार डिपो सीधे उन औषधों को इस प्रकार अधिप्राप्त करता है:

(1) जो औषधें भारत में उपलब्ध नहीं हों और उनको आयात किए जाने की आवश्यकता हो;

(2) जो औषधें आयात की जाती हैं और भारत के बाजारों में बेची जाती हों और सामान्य तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं।

(3) जो अत्यधिक महंगी होती हों।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा भंडार डिपो द्वारा उपर्युक्त औषधों के अधिप्रापण हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाविधि में अपर निदेशक (मुख्यालय)/निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करना शामिल होता है। आयात औषधों के अधिप्रापण के मामले में भारत के औषध नियंत्रक से अनुमति और औषधों के आयात हेतु सीमा-शुल्क छूट प्रमाण-पत्र (सीडीईसी) प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा भंडार डिपो द्वारा उपर्युक्त औषधों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सीधे जारी किया जाता है और अत: केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय, जहां लाभार्थी पंजीकृत होता है, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। औषधों को अधिप्राप्त करने और इनकी आपूर्ति लाभार्थियों को शीघ्र करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

दवाओं का निर्यात

6779. श्री जोवाकिम बखला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश वार कितने मूल्य की होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी इत्यादि दवाएं निर्यात की गई हैं; और

(ख) निर्यात के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा पद्धति के संवर्द्ध हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियों के मूल्य का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के उत्पादों के निर्यात सहित इन पद्धतियों के संवर्धन के लिए प्रयास किए गए हैं। किए गए प्रयासों में गुणवत्ता औषधियों के उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भेषज संहितागत मानकों का विकास करना, औषधियों के विनिर्माण हेतु अच्छी विनिर्माण पद्धति का अनुपालन, गुणवत्ता कच्ची औषधियों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन/छूट, फार्मेसियों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता, अंतर्गृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के सृजनार्थ प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय समारोहों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन, भारतीय चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति और प्रतिभागिता आदि शामिल हैं। सरकार ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य असेम्बली के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रस्तुति-सह-प्रदर्शनी भी लगाई है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान निर्यातित होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध औषधियों का देशवार मूल्य

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	देश	निर्यातित आ., सि., यू. एवं होम्यो. औषधियों का मूल्य
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	250.22
2.	अल्बानिया	26.84
3.	अल्जीरिया	46.80
4.	अमेरी समोआ	—
5.	अंगोला	223.43
6.	एंटीगुआ	62.36
7.	अर्जेंटीना	139.70
8.	आर्मीनिया	1.83
9.	आस्ट्रेलिया	482.78
10.	आस्ट्रीया	46.44
11.	आजर बाइजान	50.34
12.	बहामाज	16.44
13.	बहरीन	43.24
14.	बांग्लादेश	473.90
15.	बारबडोस	—
16.	बेल्जियम	292.04
17.	बेनिन	414.54
18.	बोलिविया	36.03
19	बोस्निया	12.30
20.	बोत्स्वाना	—
21.	ब्राजील	1,140.80
22.	ब्रनेई	0.16
23.	बुल्गारिया	15.14
24.	बुर्किना फासो	16.26
25.	बुरुंडी	9.15
26.	बेलारूस	59.41
27.	कंबोडिया	132.79
28.	कैमरून	696.40
29.	कनाडा	746.07
30.	केपेवर्डीज	0.30
31.	कैफरी रिप.	24.17
32.	चाड	4.65
33.	चिली	326.58
34.	चाईनीज ताईपेई	645.37
35.	चाइना रिप.	7,964.76
36.	कोलंबिया	247.87
37.	कोंगो पी. रिप.	1,275.21
38.	कोस्टारिका	137.28
39.	क्रोएशिया	0.67
40.	क्यूबा	4.20
41.	साइप्रस	54.49
42.	चेक रिपब्लिक	133.30
43.	डेनमार्क	206.38
44.	डिजिबूती	18.09
45.	डोमिनिक रिप.	29.76
46.	डोमिनिका	11.92
47.	एक्वेडोर	3.80
48.	इजिप्ट एआरपी	139.39
49.	अल-सल्वाडोर	10.91
50.	एस्टोनिया	—
51.	इथोयोपिया	135.31

1	2	3
52.	फिनलैंड	53.72
53.	फिजी	60.59
54.	फ्रांस	1,079.01
55.	फ्रेंच गुयाना	3.14
56.	फ्रेंच पोलिनेसिया	6.82
57.	गेबोन	7.65
58.	जांबिया	19.54
59.	जार्जिया	17.69
60.	जर्मन एफ रिप.	5,662.96
61.	घाना	658.42
62.	ग्रीस	1.72
63.	ग्वाटेमाला	69.54
64.	गुइनिया	409.68
65.	गुइनिया बिसू	28.15
66.	गुयाना	4.32
67.	हैती	192.45
68.	होंडुरास	24.89
69.	हांगकांग	1,169.75
70.	हंगरी	130.37
71.	आइसलैंड	2.32
72.	इंडोनेशिया	300.35
73.	ईरान	361.03
74.	इराक	23.50
75.	आयरलैंड	385.48
76.	इजराइल	353.09
77.	इटली	542.10
78.	आइवरी कोस्ट	210.17
79.	जमैका	44.02

1	2	3
80.	जापान	832.49
81.	जोर्डन	224.00
82.	कजाकिस्तान	109.34
83.	केन्या	509.27
84.	कीरीबती रिप.	0.81
85.	कोरिया डीपी रिप.	119.18
86.	किरगीस्तान	7.86
87.	कोरिया रिप.	843.44
88.	कुवैत	37.67
89.	लाओ पीडी रिप.	4.09
90.	लातविया	53.47
91.	लेबनान	10.85
92.	लाबेरिया	62.99
93.	लिथुवानिया	38.75
94.	मकाओ	5.22
95.	मैसेओर्निया	2.55
96.	मालागासी रिप.	36.48
97.	मालावी	63.09
98.	मलेशिया	655.56
99.	मालदीव	66.21
100.	माली	100.63
101.	माल्टा	4.23
102.	मार्शल आइसलैंड	15.81
103.	मारिशस	307.75
104.	म्यांमार	929.25
105.	मैक्सिको	524.21
106.	मोल्डविया	6.03
107.	मंगोलिया	—

1	2	3
108.	मोंटसेरात	—
109.	मोरक्को	41.77
110.	मोजम्बिक	220.56
111.	नामिबिया	2.79
112.	नेपाल	2,402,83
113.	नीदरलैंड	1,613.39
114.	नीदरलैंड अंतिल	0.41
115.	न्यू कैलेडोनिया	—
116.	न्यूजीलैंड	663.60
117.	निकारागुआ	6.19
118.	नाइजर	405.92
119.	नाइजीरिया	5,557.08
120.	नार्वे	28.40
121.	ओमान	41.77
122.	पाकिस्तान	167.40
123.	पनामा रिप.	1.50
124.	पापुआ न्यू गिनी	27.21
125.	पराग्वे	4.19
126.	पेरू	133.65
127.	फिलीपीन्स	736.43
128.	पोलैंड	341.26
129.	पुर्तगाल	80.67
130.	कतर	16.25
131.	रियूनियन	19.35
132.	रोमानिया	189.10
133.	रूस	4,841.80
134.	रवांडा	13.69
135.	सऊदी अरब	184.47
136.	सेनेगल	66.57
137.	सर्बिया और मोंटिनेगरो	74.40
138.	सेशल्स	1.79
139.	सिएरा लिओन	53.60
140.	स्लोवाक रिप.	15.83
141.	सिंगापुर	3,001.82
142.	स्लोवेनिया	41.19
143.	सोलोमन	5.38
144.	सोमालिया	10.03
145.	साउथ अफ्रीका	1,944.50
146.	स्पेन	786.59
147.	श्रीलंका	858.10
148.	सूडान	270.96
149.	सूरीनाम	13.58
150.	स्वाजीलैंड	17.01
151.	स्वीडन	10.49
152.	स्विट्जरलैंड	412.17
153.	सीरिया	252.54
154.	ताजिकिस्तान	4.50
155.	तंजानिया	153.67
156.	थाइलैंड	569.66
157.	टोगो	9.98
158.	टोंगो	6.05
159.	त्रिनिदाद	156.79
160.	ट्यूनिशिया	25.93
161.	टर्की	950.90
162.	तुर्कमेनिस्तान	42.60
163.	टर्क्स सीआईएस	9.58

1	2	3
164.	युगांडा	369.47
165.	संयुक्त अरब अमीरात	1,247.20
166.	यू.के.	2,362.09
167.	यूक्रेन	1,378.76
168.	यू एस ए	39,885.65
169.	उरुग्वे	126.72
170.	उज्बेकिस्तान	29.71
171.	वेनेजुएला	125.88
172.	विएतनाम सोश. रिप.	1,058.47
173.	वर्जिन आईलैंड्स यू एस	10.98
174.	वालिस फिस	2.77
175.	वेस्ट समोल	14.94
176.	यमन रिपब्लिक	458.00
177.	जायरे रिप.	88.17
178.	जांबिया	159.69
179.	जिम्बाब्वे	19.98
180.	अविनिर्दिष्ट	139.45
	कुल	109,157.76

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान निर्यातित होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध औषधियों का देशवार मूल्य

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	देश	होम्योपैथी		आयुर्वेद		यूनानी		सिद्ध	
		2003-04	2004-05 (अप्रैल-दिस.)	2003-04	2004-05 (अप्रैल-दिस.)	2003-04	2004-05 (अप्रैल-दिस.)	2003-04	2004-05 (अप्रैल-दिस.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अफगानिस्तान	—	—	28.14	3.46	—	—	—	—
2.	अल्बानिया	—	—	—	39.11	—	—	—	—
3.	अल्जीरिया	—	—	—	1.72	—	—	—	—
4.	अमेरी समोआ	—	—	—	61.90	—	—	—	—
5.	अंगोला	—	—	4.46	10.01	—	—	—	—
6.	अर्जेंटीना	—	—	20.36	2.23	—	—	—	0.01
7.	आर्मीनिया	—	—	0.76	2.04	—	—	—	—
8.	आस्ट्रेलिया	—	—	27.12	19.52	—	—	—	—
9.	आस्ट्रीया	—	—	8.79	6.21	—	—	—	—
10.	आजर बाइजान	—	1.59	10.57	71.05	—	—	—	—
11.	बहरीन	—	—	48.60	49.12	—	—	—	—
12.	बांग्लादेश	31.25	—	30.56	28.12	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	बारबडोस	—	—	—	6.75	—	—	—	—
14.	बेल्जियम	—	—	20.64	13.70	7.85	—	—	—
15.	बेनिन	—	—	—	10.21	—	—	—	—
16.	बोस्निया	—	—	—	0.11	—	—	—	—
17.	बोत्स्वाना	—	—	3.90	14.42	—	—	—	—
18.	ब्राजील	—	14.84	105.75	81.23	—	—	—	—
19.	बुल्गारिया	—	—	8.54	48.87	—	—	—	—
20.	बुरुंडी	—	—	—	0.33	—	—	—	—
21.	बेलारूस	—	—	21.12	1.78	—	—	—	—
22.	कंबोडिया	—	—	16.13	3.88	—	—	—	—
23.	कैमरून	—	—	2.83	6.38	—	—	—	—
24.	कनाडा	—	0.12	26.79	13.73	—	—	—	—
25.	चाड	—	—	—	5.28	—	—	—	—
26.	चिली	—	—	0.25	34.35	—	—	—	—
27.	चाईनीज ताईपेई	0.11	—	18.29	10.24	—	—	—	—
28.	चाइना रिप.	—	—	20.30	206.55	—	—	—	—
29.	कोलंबिया	—	—	—	1.06	—	—	—	—
30.	कोंगो पी रिप.	—	—	3.71	—	—	—	—	—
31.	कोस्टारिका	—	—	0.29	138.33	—	—	—	—
32.	साइप्रस	—	—	4.75	10.82	—	—	—	—
33.	चेक रिपब्लिक	—	—	5.41	17.64	—	—	—	—
34.	डेनमार्क	—	—	—	31.94	—	—	—	—
35.	डोमिनिक रिप.	—	—	0.30	0.52	—	—	—	—
36.	इक्वेडोर	—	—	0.23	12.66	—	—	—	—
37.	इजिप्ट एआरपी	—	—	33.04	16.33	—	—	—	—
38.	एस्टोनिया	—	—	1.20	2.79	—	—	—	—
39.	इथोपिया	—	—	51.36	11.51	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	इरटेरिया	—	—	0.76	—	—	—	—	—
41.	फिनलैंड	—	—	88.97	92.54	—	—	—	—
42.	फिजी	—	—	1.30	2.20	—	—	—	—
43.	फ्रांस	5.45	—	23.03	11.73	—	—	—	—
44.	गेबोन	—	—	0.16	—	—	—	—	—
45.	जार्जिया	—	—	2.29	6.24	—	—	—	—
46.	जर्मन एफ. रिप.	37.49	2.26	242.79	140.17	—	—	—	—
47.	घाना	—	—	91.75	66.03	—	—	—	—
48.	ग्रीस	—	—	2.62	—	—	—	—	—
49.	गाम	0.76	—	—	—	—	—	—	—
50.	ग्वाटेमाला	—	0.31	19.91	1.45	—	—	—	—
51.	गुइनिया	—	—	40.08	167.39	—	—	—	—
52.	गुयाना	—	—	—	2.45	—	—	—	—
53.	हैती	—	—	70.22	2.94	—	—	—	—
54.	होंडुरास	—	—	—	20.50	—	—	—	—
55.	हांगकांग	—	—	91.88	6.31	—	—	—	—
56.	हंगरी	—	—	135.25	0.21	—	—	—	—
57.	इंडोनेशिया	—	—	17.26	1.31	—	—	—	—
58.	ईरान	181.79	—	126.78	42.02	—	—	—	—
59.	इराक	—	—	2.78	—	—	—	—	—
60.	आयरलैंड	—	—	98.94	8,814.95	—	—	—	—
61.	इजराइल	—	—	35.82	18.33	—	—	—	—
62.	इटली	0.18	—	353.74	472.24	0.11	—	—	—
63.	आइवरी कोस्ट	0.64	—	—	—	—	—	—	—
64.	जमैका	—	—	14.10	15.65	—	—	—	—
65.	जापान	2.67	—	263.57	104.98	—	—	—	0.10
66.	जोर्डन	—	—	44.98	55.08	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	कजाकिस्तान	—	—	52.55	47.59	—	—	—	—
68.	केन्या	—	—	117.24	40.01	2.55	—	—	—
69.	कोरिया डीपी रिप.	—	—	23.97	26.20	—	—	—	—
70.	किरगीस्तान	—	—	27.37	2.92	—	—	—	—
71.	कोरिया रिप.	—	—	43.02	54.65	—	—	—	—
72.	कुवैत	—	—	17.53	4.16	—	—	—	—
73.	लाओ पीडी रिप.	—	—	1.25	—	—	—	—	—
74.	लातविया	—	—	12.13	19.31	—	—	—	—
75.	लेबनान	—	—	2.75	—	—	—	—	—
76.	लाबेरिया	—	—	11.07	—	—	—	—	—
77.	लिथुवानिया	—	—	10.63	10.25	—	—	—	—
78.	मैसेओर्निया	—	—	1.42	3.12	—	—	—	—
79.	मालावी	—	—	14.02	2.60	—	—	—	—
80.	मलेशिया	—	2.71	199.90	213.01	—	0.70	—	—
81.	मालदीव	—	—	5.19	3.30	—	—	—	—
82.	माली	—	—	0.25	2.08	—	—	—	—
83.	माल्टा	—	—	1.31	—	—	—	—	—
84.	मारिशस	—	—	42.88	18.71	—	—	—	—
85.	म्यांमार	—	—	14.70	43.13	—	—	—	—
86.	मैक्सिको	—	—	52.66	25.18	—	—	—	—
87.	मोल्डविया	—	—	—	4.41	—	—	—	—
88.	मंगोलिया	—	—	2.48	—	—	—	—	—
89.	मोंटसेरात	—	—	6.41	—	—	—	—	—
90.	मोरक्को	—	—	6.76	—	—	—	—	—
91.	मोजम्बिक	—	—	12.81	17.11	—	—	—	—
92.	नेपाल	10.53	72.28	1,375.69	913.90	15.80	18.16	—	—
93.	नीदरलैंड	—	—	418.42	304.33	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	नीदरलैंड अंतिल	—	—	—	0.41	—	—	—	—
95.	न्यू कैलेडोनिया	—	—	0.31	—	—	—	—	—
96.	न्यूजीलैंड	—	—	44.94	20.84	—	—	—	—
97.	निकारागुआ	—	—	11.80	—	—	—	—	—
98.	नाइजर	21.68	—	23.25	43.11	—	—	—	—
99.	नाइजीरिया	0.33	—	80.33	392.63	—	—	—	—
100.	नार्वे	—	—	29.10	0.31	—	—	—	—
101.	ओमान	—	—	3.39	14.22	—	—	—	—
102.	पाकिस्तान	0.06	29.59	5.67	37.56	—	—	—	—
103.	पनामा सीजेड	—	—	2.54	—	—	—	—	—
104.	पापुआ न्यूगिनी	—	—	0.02	9.92	—	—	—	—
105.	पेरू	0.89	—	1.60	21.00	—	—	—	—
106.	फिलीपीन्स	—	—	20.04	54.66	—	—	—	—
107.	पोलैंड	—	—	38.82	107.59	—	—	—	—
108.	पुर्तगाल	—	—	23.02	0.51	—	—	—	—
109.	कतर	—	—	5.07	16.60	—	—	—	—
110.	रियूनियन	—	—	—	0.85	—	—	—	—
111.	रोमानिया	—	—	60.06	97.54	—	—	—	—
112.	रूस	—	—	1,089.10	749.64	19.49	—	—	—
113.	रवांडा	—	0.95	25.67	4.62	—	—	—	—
114.	सउदी अरब	—	—	30.38	26.72	—	—	—	—
115.	सेनेगल	—	—	—	17.38	—	—	—	—
116.	सर्बिया और मोंटिनेगरो	—	—	4.26	—	—	—	—	—
117.	सेशल्स	—	—	4.34	0.51	0.17	0.59	—	—
118.	सिएरा लिओन	—	—	0.58	54.21	—	—	—	—
119.	स्लोवाक रिप.	—	—	7.44	1.73	—	—	—	—
120.	सिंगापुर	0.15	0.46	38.46	65.14	1.93	2.26	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.	स्लोवेनिया	—	—	1.00	18.38	—	—	—	—
122.	सोमालिया	—	—	0.71	2.43	—	—	—	—
123.	साउथ अफ्रीका	6.81	—	152.05	233.13	0.81	—	—	—
124.	स्पेन	—	—	3.52	6.88	—	—	—	—
125.	श्रीलंका	0.18	—	119.91	94.48	1.08	—	—	—
126.	सूडान	—	—	70.65	124.27	—	—	—	—
127.	सूरीनाम	—	—	—	2.49	—	—	—	—
128.	स्वीडन	--	—	—	6.61	—	—	—	—
129.	स्विट्जरलैंड	—	—	157.90	14.25	—	—	—	—
130.	सीरिया	—	12.43	43.75	120.61	—	—	—	—
131.	ताजिकिस्तान	0.14	—	3.31	—	—	—	—	—
132.	तंजानिया	—	—	2.03	35.10	3.23	9.57	—	—
133.	थाइलैंड	—	—	36.62	113.56	—	—	—	—
134.	टोगो	—	—	—	0.58	—	—	—	—
135.	त्रिनिदाद	—	—	42.74	33.62	—	—	—	—
136.	टर्की	—	—	16.12	158.16	—	—	—	—
137.	तुर्कमेनिस्तान	—	—	4.96	—	—	—	—	—
138.	युगांडा	—	4.32	0.93	195.63	—	—	—	2.81
139.	संयुक्त अरब अमीरात	1.51	—	553.97	614.78	—	1.26	—	—
140.	यू.के.	2.64	—	231.66	225.63	—	—	—	—
141.	यूक्रेन	—	—	48.90	555.37	—	—	—	—
142.	यू.एस.ए.	6.51	—	2,012.23	8,117.17	—	73.49	7.83	15.69
143.	उरुग्वे	—	—	—	10.54	—	—	—	—
144.	उज्बेकिस्तान	—	—	6.11	8.79	—	—	—	—
145.	वेनेजुएला	—	—	3.52	—	—	—	—	—
146.	विएतनाम सोश. रिप.	—	—	111.52	75.44	—	8.17	—	—
147.	यमन रिप.	—	—	3.65	1.25	—	—	—	—
148.	जायरे रिप.	—	—	38.32	—	—	—	—	—
149.	जांबिया	—	—	47.97	18.39	0.64	—	—	—
	कुल	311.76	141.85	10,031.87	25,574.89	52.58	115.28	7.83	18.61

तेतुलिया कारीडोर को खोला जाना

6780. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बांग्लादेश के क्षेत्र से होकर तेतुलिया कारीडोर को खोलने के लिए बांग्लादेश सरकार से बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले प्रस्तावित कारीडोर द्वारा बांग्लादेश के रास्ते दिनाजपुर में तेतुलिया को और जलपाईगुड़ी में चावलहाटी को जोड़ने की योजना थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त कारीडोर को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामत: दोनों देशों को क्या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत सरकार ने बंग्लादेश सरकार के समक्ष पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में चोपड़ा से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मैनागुरी के बीच बंग्लादेश भूभाग से होकर तेतुलिया कारीडोर को खोलने का मामला उठाया है।

(घ) बंग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

(ङ) इस कारीडोर का खोला जाना भारत-बंग्लादेश व्यापार संधि 1980 के अनुच्छेद-VIII के अनुरूप होगा, जिसमें कहा गया है कि दोनों सरकारें अपने जलमार्गों, रेलमार्गों और सड़क मार्गों का प्रयोग दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए तथा एक देश के दो स्थानों के बीच दूसरे के भूभाग से होकर सामानों का आवागमन करने के लिए आपसीतौर पर लाभप्रद समझौते करने पर सहमत हैं। तेतुलिया कारीडोर के खोले जाने से दोनों स्थानों के बीच यात्रा की दूरी भी कम होगी तथा इस तरह से सामानों एवं लोगों के आवागमन में .लगने वाले समय और व्यय में भी कमी आएगी। इससे भारत और बंग्लादेश के बीच व्यापार में भी सहायता मिलेगी।

आयुर्वेदिक भेषज कंपनियों द्वारा जिलेटिन का प्रयोग

6781. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुर्वेदिक भेषज कंपनियां कैप्सूलों का खोल तैयार करने हेतु जिलेटिन का प्रयोग कर रही हैं जो कि एक पशु उपोत्पाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेषज कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे कैप्सूलों में जिलेटिन के प्रयोग किए जाने के बारे में उपभोक्ता को बताएं; और

(घ) यदि हां, तो उन आयुर्वेदिक भेषज कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है जिनको इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जिलेटिन एक भेषजीय पदार्थ है जिसे आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ए एस यू डी टी ए बी) की अनुशंसा पर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के कैपसूल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तथापि, भेषज कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जिलेटिन कैपसूलों को बनाने हेतु निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन करें।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों को हानि

6782. **श्री सुव्रत बोस:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आए भयंकर सुनामी की वजह से तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल के लघु उद्योगों को भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो हुई इस हानि का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में प्रभावित लघु उद्योगों के विकास हेतु क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में सुनामी के कारण हानि उठाने वाले लघु उद्योगों का ब्योरा इस प्रकार है:

राज्य	लघु उद्योगों द्वारा उठाई गई हानि	
	इकाइयों की संख्या	अनुमानित राशि (लाख रुपये में)
तमिलनाडु	143	160.80
आंध्र प्रदेश	4	44.80
केरल	85	208.00

(ग) सरकार ने सुमानी प्रभावित क्षेत्रों को तात्कालिक राहत में सहायता प्रदान करने के लिए 3644.05 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज को मंजूर किया है, जिसमें तमिलनाडु के लिए 2347.19 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के लिए 70 करोड़ रुपये और केरल के लिए 249.36 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सुनामी द्वारा प्रभावित परिवारों की सहायता करने और उनके पुनरुज्जीवन में मदद करने के लिए 250 लाख रुपये का एक आपातकालीन फंड निर्मित किया है। इस फंड के तहत, घरों की मरम्मत/निर्माण के लिए और प्रभावित परिवारों की आजीविका के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु माइक्रो वित्त संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, केरल सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 208 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है। तमिलनाडु में कयर उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए 249.95 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया गया है। आंध्र सरकार द्वारा प्रभावित लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आंध्र प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. द्वारा मनमाने ढंग से टेलीफोन काटना

6783. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बी.एस.एन.एल. द्वारा एस.एस.ए. कोटा के बिल भरने तथा कोई भुगतान बकाया न होने के बावजूद टेलीफोन काटने की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले छ: महीनों के दौरान बिलों के समय पर भुगतान के बावजूद राजस्थान के कोटा तथा बूंदी दूरसंचार जिलों में काटे गए टेलीफोनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। बिलों का भुगतान करने के बावजूद टेलीफोनों के कनैक्शन काटे जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। तथापि, इस प्रकार की घटनाएं विरले ही थीं जो मुख्यतया भुगतान संबंधी विवरणों के प्राप्त न होने/डाक-घरों, बैंकों या अन्य विभागीय काउन्टरों से गलत सूचना प्राप्त होने के कारण हुईं, इसलिए टीआर बिलिंग प्रणाली में बिलों को बकाये के रूप में दिखाया गया।

(ख) जैसे ही गलत कनैक्शन काटे जाने संबंधी मामले का पता चलता है, उसे तत्काल बहाल कर दिया जाता है। इस संबंध में सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड को समय-समय पर अनुदेश जारी करती रहती है कि वे बिलिंग तथा वसूली की प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाएं।

(ग) चूंकि इस प्रकार की घटनाएं विरले ही होती हैं और तत्काल पुन: कनैक्शन जोड़ दिए जाते हैं, इसलिए इस संबंध में नियमित आधार पर ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(घ) प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. टीआर बिलिंग प्रणाली के लिए एकीकृत सीसीएमएस पैकेज संस्थापित किया जा रहा है जिससे सभी विभागीय वसूली केन्द्र "आन लाइन' हो जाएंगे।

2. टीआर बिलिंग कम्प्यूटर प्रणाली में दैनिक आधार पर भुगतान संबंधी विवरणों को अन्तरित करने के लिए "आफ लाइन भुगतान वसूली मशीनें" संस्थापित की गई हैं ताकि "मैन्युअल ट्रांजेक्शन" से बचा जा सके।

3. डाकखानों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे दैनिक आधार पर भुगतान संबंधी विवरण भेजें और वसूली ब्यौरों के प्राप्त होने पर दैनिक आधार पर टीआर

बिलिंग प्रणाली को तत्काल अद्यतन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. अब वसूली संबंधी सभी ब्यौरों को यथा-समय फीड करने और मासिक भुगतान अनुसूची का मिलान करने के बाद ही कनैक्शन काटे जाते हैं ताकि सही कनैक्शन काटना सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

नेपाल में नए पर्यटक कर लगाया जाना

6784. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल ने वहां रहने वाले कुटनीतिज्ञों, विदेशी सरकारी कर्मचारियों और विदेशी लोगों से नया पर्यटन का वसूलना शुरू कर दिया है जबकि उन्हें इस कर से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से नेपाल में तैनात भारतीय कर्मचारियों, विदशी सरकारी संगठनों जैसे इंडियन एयरलाइन्स, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों तथा उन सभी गैर-नेपाली पासपोर्टधारकों को पर्यटकों के लिए लागू कर का भुगतान करना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विरोध दर्ज कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर नेपाल की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी, हां। नेपाल की शाही सरकार ने 14 जनवरी, 2005 से 565 नेपाली रुपयों की दर से पर्यटन सेवा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। यह फीस, राजनयिकों, विदेशी सरकारी कर्मचारियों और नेपाल में रहने वाले विदेशियों सहित काठमांडू एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले सभी गैर-नेपाली व्यक्तियों पर लागू होगी। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और इंडियन एयरलाइंस और भारतीय स्टेट बैंक जैसे सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को भी यह फीस देनी होगी।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने इस मामले को नेपाल की शाही सरकार के साथ उठाया है और दूतावास अधिकारियों और उनके परिवारों को इस कर से छूट देने की मांग की है। नेपाल की शाही सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार क्षेत्र में कार्य का विकास/विस्तार

6785. श्री बीर सिंह महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार क्षेत्र के विकास, विस्तार और उन्नयन के संबंध में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार के क्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य की गति बहुत धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किए गए दूरसंचार क्षेत्र के विकास, विस्तार एवं उन्नयन संबंधी कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में लैण्डलाइन नेटवर्क की जगह डब्ल्यूएलएल नेटवर्क की व्यापक स्तर पर संस्थापना।

(2) जहां कहीं भी लैण्डलाइन कनेक्टिविटी की मांग है, बाह्य केबल के पूर्ववर्ती 2.5 कि.मी. के मानक में छूट देते हुए इसे 5 कि.मी. करना।

(3) बीएसएनएल सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थलों एवं राज्य-राजमार्गों में अपना मोबाइल नेटवर्क संस्थापित कर रहा है और साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में आनुषंगिक (इंसिडेंटल) कवरेज भी प्रदान कर रहा है।

(4) वर्ष 2004-05 के दौरान, बीएसएनएल की प. बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,07,200 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) संस्थापित करने, 400 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने एवं 8939 बहु अभिगम रेडियो रिले (एमएआरआर) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रतिस्थापित करने की योजना है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किए गए दूरसंचार क्षेत्र के विकास, विस्तार एवं उन्नयन संबंधी कार्य का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य मद		2002-03	2003-04	2004-05
विकास					
I. पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर):					
1.	नया टेलीफोन एक्सचेंज	शहरी	12	4	6
		ग्रामीण	68	12	14
2.	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)		2805.143	1022.577	505.8
3.	ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन	शहरी	—	—	24
4.	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	शहरी	295	1181	3628
		ग्रामीण	18028	6497	23015
5.	सेल्यूलर कनेक्शन	शहरी	66727	87354	104721
II. कोलकाता					
1.	नया टेलीफोन एक्सचेंज	शहरी	127	44	27
2.	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	—	554.889	327.573	616.251
3.	ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन	शहरी	—	—	5043
4.	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	शहरी	2454	18932	-937
5.	सेल्यूलर कनेक्शन	शहरी	30244	7242	222613
विस्तार					
I. पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)					
1.	डब्ल्यूएलएल क्षमता का विस्तार	शहरी	719	1780	720
		ग्रामीण	17235	42720	17280
2.	सेल्यूलर क्षमता का विस्तार	शहरी	37500	95190	99768
II. कोलकाता					
1.	डब्ल्यूएलएल क्षमता का विस्तार	शहरी	11500	29500	4400
2.	सेल्यूलर क्षमता का विस्तार	शहरी	15000	30000	246400
उन्नयन					
I. पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर):					
1.	एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन		39	187	74
2.	सी-256 का एएन-आरएएक्स में परिवर्तन		0	304	514
II. कोलकाता					

कोलकाता दूरसंचार जिले में कोई एसबीएम और सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं। अत: 2002 से टेलीफोन एक्सचेंजों का परिवर्तन नहीं हुआ है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना तथा मरम्मत

6786. श्री गिरिधारी यादव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कहां-कहां राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, विस्तार तथा मरम्मत कार्य फरवरी, 2002 से आज की तारीख तक शुरू किए गए हैं तथा बिहार से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) अनुमानित व्यय तथा उन पर व्यय की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) फरवरी, 2002 से पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गुणता सुधार, चार लेन के विभाजिक कैरजवे, पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत, आवधिक नवीकरण, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत आदि की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें अभी हाल ही में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा. 57ए, 28बी व 110) शामिल नहीं हैं, के विभिन्न खंडों पर सुधार, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य किए गए हैं। जहां तक शेष तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों का संबंध है, सुधार कार्य शुरू करने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि रा.रा. 57ए के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य चल रहा है तथा रा.रा. 28बी और 110 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चालू वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया है। गत चार वर्षों में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के नेमी अनुरक्षण के लिए आबंटन के अलावा उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों पर 435.06 करोड़ रु. के सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं और 2001-02 से 388.56 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण 1 और 2 के अंतर्गत चार लेन बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1324.45 करोड़ रु. के विकास कार्य सौंपे गए हैं जिसमें से 925.36 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

6787. श्री रघेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में खोले गए नर्सिंग महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष में राज्यों में नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय उपचर्या परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार 2002 से 2005 की अवधि में उनके द्वारा 364 नर्सिंग कालेजों को अनुमति दी गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार का वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों में नर्सिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उसने 2004-05 के दौरान निम्नलिखित सात राज्यों में स्कूल आफ नर्सिंग को कालेज आफ नर्सिंग के रूप में उन्नत करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की एकबारगी सहायता प्रदान की है:

(1) आंध्र प्रदेश

(2) कर्नाटक

(3) मिजोरम

(4) महाराष्ट्र

(5) उड़ीसा

(6) तमिलनाडु

(7) पश्चिम बंगाल।

विवरण

भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा 2002 से 2005 की अवधि के दौरान अनुमति प्राप्त नर्सिंग कालेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002	2003	2004	2005	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4	29	30	8	71
2.	असम	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	—	2	1	3	6
4.	दिल्ली	—	1	—	—	1
5.	गुजरात	—	—	2	—	2
6.	हरियाणा	—	1	1	—	2
7.	कर्नाटक	2	25	99	36	163
8.	केरल	2	—	6	32	40
9.	मध्य प्रदेश	1	3	10	1	15
10.	महाराष्ट्र	—	1	5	1	7
11.	उड़ीसा	—	—	4	1	5
12.	पांडिचेरी	—	2	3	—	5
13.	पंजाब	1	7	4	1	13
14.	राजस्थान	1	—	—	2	3
15.	तमिलनाडु	3	10	6	5	24
16.	उत्तर प्रदेश	—	1	1	—	2
17.	उत्तरांचल	—	—	1	—	1
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	2	1	3
	कुल	14	83	175	92	364

[हिन्दी]

तालुका मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा

6788. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में तालुका अथवा तहसिल मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन केंद्र उपलब्ध हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) राज्य में ऐसे तालुका की संख्या कितनी है जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे तालुका मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुजरात में तालुका मुख्यालयों की कुल संख्या 226 है और सभी 226 तालुका मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंज हैं। तालुका मुख्यालयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	तालुका मुख्यालय का नाम
1	2
1.	अहमदाबाद
2.	अहवा
3.	अमीरगढ़

1	2
4.	अमोद
5.	अमरेली
6.	आनंद
7.	अंजर
8.	अंकलव
9.	अंकलेश्वर
10.	बाबरा
11.	बागसरा
12.	बालासिनोर
13.	वांसदा
14.	बारदोली
15.	बावाला
16.	बायद
17.	बेचाराजी
18.	भाभर
19.	भचाऊ
20.	भानवाद
21.	भरूच
22.	भाटिया
23.	भावनगर
24.	भेसन
25.	भिलोदा
26.	भुज
27.	बोरसाद
28.	बोताद
29.	कंबे
30.	चानासामा
31.	चिखली

1	2
32.	चौरासी
33.	छोटा उदयपुर
34.	चोटिला
35.	दभोई
36.	दादरा नगर हवेली/(सिलवासा)
37.	दाहोद
38.	दमन
39.	दांता
40.	दांतीवाडा
41.	दस्करोई
42.	देदीपाडा
43.	दीसा
44.	देहगाम
45.	देतरोज
46.	देवगढ़बरीय
47.	धांधूका
48.	धनेरा
49.	धानपुर
50.	धनसुरा
51.	धरमपुर
52.	घाटी
53.	ढोलका
54.	धोराजी
55.	धरनगधरा
56.	धरोल
57.	देवधर
58.	दीव
59.	दीवाडा कलोनी

1	2
60.	द्वारका
61.	फतेहपुर
62.	फोर्ट सौंगढ़
63.	गंदेवी
64.	गांधीधाम
65.	गांधीनगर
66.	गरीआधर
67.	घधाड्ा
68.	घोघा
69.	गोधरा
70.	गोधंबा
71.	गोंडल
72.	गोरबड्डा
73.	हालवाड
74.	हनसोट
75.	हरीज
76.	हिम्मतनगर
77.	होलोल
78.	इदर
79.	जाफराबाद
80.	जलालपुर
81.	जंबूघोड़ा
82.	जंबूसर
83.	जमजोधपुर
84.	जमकंडोरना
85.	जामनगर
86.	जासदान
87.	जेतपुर

1	2
88.	झगादिआ
89.	जोदिया
90.	जूनागढ़
91.	के. मांडवी
92.	कादी
93.	कालावाद
94.	कलोल
95.	कामरेज
96.	कापदवंज
97.	कपरादा
98.	काथलाल
99.	कावंत
100.	केसहोड
101.	खंभा
102.	खंभलीआ
103.	खानपुर (बकोर)
104.	खेड़ा
105.	खेदब्रह्मा
106.	खेरालू
107.	किल्लापरदी
108.	कोडीनार
109.	कोलोल (देरोल)
110.	कोटदासंगानी
111.	कुटीयाना
112.	लाखापर (दयापार)
113.	लखतर
114.	लालपुर
115.	लाठी

1	2
116.	लिलिया
117.	लिबंदी
118.	लिमावेडा
119.	लोधीका
120.	लुन्नावाडा
121.	एम.एम. मंगरोल
122.	महुदा
123.	महुवा
124.	महुवा (बीवी)
125.	मलिहाहतिना
126.	मलियामियाना
127.	मालपुर
128.	मानावादर
129.	मंडल
130.	मांडवी
131.	मंगोल
132.	मानसा
133.	मटर
134.	मेधराज
135.	मेहसाना
136.	मेमदाबाद
137.	मेनदरदा
138.	मियागाम
139.	मोदासा
140.	मोरबी
141.	मोरवा
142.	मूली
143.	मुंद्रा
144.	नादियाड
145.	नखातराना
146.	नलिया
147.	नासवादी
148.	नवसारी
149.	निजर
150.	ओलपाद
151.	पध्धारी
152.	पदरा
153.	पालनपुर
154.	पलिताना
155.	पालसाना
156.	पाटन
157.	पटदी
158.	पावीजेतपुर
159.	पेटलाद
160.	पोरबंदर
161.	प्रांतिज
162.	राधनपुर
163.	राहपर
164.	राजकोट
165.	राजपिपला
166.	राजूला
167.	रानावाव
168.	रानपुर (एएम)
169.	सगबारा
170.	सामी
171.	सानंद

1	2
172.	सानखेडा
173.	संतलपुर
174.	संतरामपुर
175.	सतलसना
176.	सावेरकुंडला
177.	सावली
178.	सायला
179.	सेहरा
180.	सिधपुर
181.	सिहोर
182.	सिहेरी
183.	सिनोर
184.	सिजितरा
185.	सूरत
186.	सूतरपादा
187.	तलापा
188.	तलाला
189.	तालोद
190.	संकारा
191.	तारापुर
192.	थारड़
193.	थासरा
194.	तलकवाड़ा
195.	उच्चल
196.	उमरगांव
197.	उपरपाड़ा
198.	उमराला
199.	उमरेठ

1	2
200.	जना
201.	उंझा
202.	उपलेटा
203.	वदगाम
204.	वादीआ
205.	वादनगर
206.	वदोदरा
207.	वगारा
208.	वालिआ
209.	वल्लाभिपुर
210.	वलोद
211.	वालसाद
212.	वांथली
213.	वेरावल
214.	विजापुरा
215.	विजयनगर
216.	विरामगाम
217.	विरनपुर
218.	विसावदर
219.	विसनगर
220.	व्यारा
221.	वदाली
222.	वाधवन
223.	वधोदिआ
224.	वानकनेर
225.	वाव
226.	जलोड़

[अनुवाद]

शुल्क में कमी

6789. श्री अनन्त नायक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण टेलिफोनों, पी.सी.ओ. खासकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में शुल्क में कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम—भारत संचार निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का मुख्य सेवाप्रदाता है तथा पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इसका मौजूदा टैरिफ अत्यधिक इमदादी है। यह न केवल व्यवस्था लागत से कम है, बल्कि यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित अधिकतम सीमा से भी कम है।

स्थानीय पीसीओ के लिए टैरिफ हाल ही में दिनांक 1.4.2005 से युक्तिसंगत बनाया गया है। अत: फिलहाल टैरिफ में और कमी करना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

6790. श्री तापिर गाव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, राज्यों में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कौन से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में गत वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान, टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्राम पंचायतों सहित 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष सुगम्य, शांत, अविवादित एवं आबाद गांवों में टेलीफोन प्रदान करने संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) मोबाइल स्विचिंग केन्द्र आधारित वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर की संस्थापना की जा रही है।

(2) ग्राम पंचायतों सहित दूर-दराज एवं अलग-अलग बसे गांवों, जिन्हें स्थलीय प्रौद्योगिकियों से कवर नहीं किया जा सकता, में डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) की संस्थापना करके टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनायी गयी है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में गत वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गत वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्य		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	93	32
2.	असम	150	150	179
3.	मणिपुर	107	275	213
4.	मेघालय	9	8	9
5.	मिजोरम	130	132	136
6.	नागालैण्ड	89	77	5
7.	त्रिपुरा	4	40	75

[हिन्दी]

उड़ीसा में टेलीफोन अदालतें

6791. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के प्रत्येक जिले में किन-किन तिथियों को टेलीफोन अदालतें लगाई गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों में दर्ज किए गए मामलों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन मामलों में से निपटाए गए मामलों की जिले-वार संख्या कितनी है; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी गई राहत तथा इन टेलीफोन अदालतों को लगाने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या-क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

विवरण I

1.4.2003 से 31.3.2004

गौण स्विचन क्षेत्र/सर्किल कार्यालय का नाम	अदालत आयोजित करने की तारीख	प्राप्त मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गयी छूट का ब्यौरा (रु.) में
बारीपादा	9.5.03	0	0	0
	30.7.03	6	6	19,146
	5.11.03	15	15	10,956
	30.12.03	7	7	7,605
	5.2.04	0	0	0
	9.3.04	0	0	0
बेरहामपुर	5.12.03	17	17	1,32,000
	27.3.04	7	7	8,368
भवानीपटना	28.10.03	19	19	0
भुवनेश्वर	10.2.04	20	18	40,431
बोलंगीर	25.2.04	10	7	2,674
कटक	14.11.03	28	27	11,692
ढेंकनाल	23.6.03	23	23	500
	10.12.03	13	13	4,000
क्योंझार	10.11.03	17	15	0
कोरापुट	21.8.03	11	7	5,327
	14.11.03	18	11	28,940
राऊरकेला	16.6.03	0	0	0
	28.8.03	12	12	19,645
सम्बलपुर	4.9.03	10	10	4,834
	20.2.04	14	14	18,080

1.4.2004 से 31.3.2005

गौण स्विचन क्षेत्र/सर्किल कार्यालय का नाम	अदालत आयोजित करने की तारीख	प्राप्त मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गयी छूट का ब्यौरा (रु.) में
1	2	3	4	5
बालासोर	28.7.04	56	56	1,594
	27.09.04	93	93	0
	7.12.04	39	39	0
	29.12.04	18	18	0
	25.1.05	7	7	0
	11.3.05	7	7	2,400
बारीपादा	19.5.04	6	6	0
	14.7.04	14	14	14,142
	14.9.04	13	13	10,599
	24.11.04	14	14	3,000
	11.1.05	7	7	1,502
	18.2.05	12	12	20,949
बेरहामपुर	27.7.04	9	9	15,051
	29.7.04	8	7	1,508
	5.10.04	7	7	14,490
	22.12.04	9	9	15,631
	17.1.04	6	6	6,083
	2.3.05	12	12	18,078
भवानीपटना	21.6.04	1	1	0
	15.9.04	8	8	0
	25.11.04	4	4	0
	5.1.05	10	10	0
	31.1.05	6	16	0
	4.3.05	5	5	0
	24.3.05	6	6	0

1	2	3	4	5
भुवनेश्वर	8.9.04	13	13	46,530
	29.12.04	8	8	2,471
	11.1.05	9	9	4,193
	2.3.05	7	7	7,961
	15.3.05	7	7	2,956
	28.3.05	0	0	0
बोलंगीर	19.8.04	5	5	0
	27.9.04	0	0	0
	29.11.04	0	0	0
	31.12.04	29	29	0
	8.2.05	0	0	0
	8.3.05	0	0	0
कटक	16.6.04	17	17	0
	28.9.04	30	28	14,280
	28.10.04	34	34	50,924
	22.12.04	45	39	11,469
	2.2.05	10	9	9,282
	28.3.05	26	26	47,190
ढेंकनाल	31.5.04	25	25	0
	20.7.04	12	12	2,500
	14.10.04	19	19	8,262
	30.11.04	7	7	7,120
	31.1.05	7	7	3,500
	14.3.05	8	8	4,400
क्योंझर	26.6.04	21	21	25,576
	25.9.04	46	43	16,079
	25.11.04	21	21	3,671
	22.12.04	7	1	0

1	2	3	4	5
	5.2.05	28	28	19,097
	5.3.05	20	20	4,710
कोरापुट	27.7.04	12	8	2,962
	15.9.04	16	16	10,424
	29.10.04	11	7	1,304
	11.1.05	16	8	2,774
	17.2.05	4	4	4,741
	8.3.05	1	1	0
फुलबनी	16.6.04	1	1	0
	15.9.04	10	7	81,621
	5.11.04	0	0	0
	29.12.04	3	3	23,075
	10.2.05	0	0	0
	25.3.05	0	0	0
राऊरकेला	22.7.04	3	3	0
	31.8.04	6	6	465
	15.10.04	4	4	5,984
	16.12.04	9	9	10,214
	25.1.05	3	3	3,650
	29.3.05	5	5	46,366
सम्बलपुर	27.7.04	5	5	13,281
	14.9.03	11	10	0
	3.11.04	5	5	15,468
	13.12.04	0	0	0
	15.1.05	3	3	14,545
	8.3.05	3	3	0

विवरण II

सं. 12-1/2001-(पीजी)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
10वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक 22.6.2001

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों और जिलों के प्रमुख

विषय: टेलीफोन अदालतों का आयोजन

संदर्भ: 18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 11.6.87
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 8.2.88
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 17.9.89
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 22.5.92
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक अक्टूबर, 96
2-2/2000-पीईजी (पीजी) दिनांक 16.12.2001
2-2/2000-पीजी दिनांक 9.2.2001
12.1.2001-पीजी, दिनांक 20.3.2001

निर्धारित तारीख को विभाग और पीड़ित उपभोक्ता को आमने-सामने लाने और उपभोक्ता की समस्या को किसी निर्धारित तिथि पर निपटाने के लिए विभाग की आंतरिक व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सर्किलों और जिलों में टेलीफोन अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्र

पिछले आदेशों के अनुसार टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतें, सेवा संबंधी शिकायतें, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने आदि जैसी टेलीफोन सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल किया जाना था। अब टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रदत सभी दूरसंचार सेवाएं और उनके द्वारा जारी किए गए बिल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली अदालत एसएसए प्रमुख की अध्यक्षता वाली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय मामलों तथा उन मामलों पर भी विचार कर सकती है जो अलग-अलग नहीं हैं और/अथवा जिनका अप्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण सर्किल में है। अपील एसएसए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों पर आधारित होगी। एसएसए प्रमुखों की अध्यक्षता वाली अदालत अधिक बिलिंग संबंधी उन मामलों पर भी विचार कर सकती हैं जिन्हें इन प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में अस्वीकृत किया गया है। केवल तीन महीने से अधिक पुराने मामलों पर ही इन अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

अधिकार क्षेत्र और स्थान

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संचालित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का अधिकार क्षेत्र उसका दूरसंचार सर्किल/जिला होगा। गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख द्वारा संचालित टेलीफोन अदालत का अधिकार क्षेत्र उसका गौण स्विचन क्षेत्र होगा।

समिति

समिति का गठन निम्नवत होगा:

(1) मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) दूरसंचार सर्किल/जिले का मुख्य महाप्रबंधक – अध्यक्ष

(ख) सर्किल/जिले का वित्तीय सलाहकार – सदस्य

(ग) सर्किल कार्यालय में पदानुक्रम में मुख्य महाप्रबंधक के बाद आनेवाला इंजीनियरिंग अधिकारी – सदस्य

(घ) वरिष्ठ उप महानिदेशक/ उपमहानिदेशक – नामित-एक

(2) बीएसएनएल मुख्यालय से नामित व्यक्तियों की सूची का उल्लेख अनुबंध-1 में किया गया है।

आवृति तारीख और समय

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा दो माह में एक बार अदालतें आयोजित की जानी हैं। अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। इन्हें आयोजित करने की तारीख और समय का निर्णय अदालतों के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो जिलों के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा दो माह में एक बार अदालत आयोजित की जा सकती है। जिन गौण स्विचन क्षेत्रों में एक से अधिक महाप्रबंधकों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनमें स्वतंत्र प्रभार रखने वाले ऐसे सभी महाप्रंबधक अपने क्षेत्र के संबंध में दो माह में एक बार स्वतंत्र अदालतों का आयोजन करेंगे।

प्रचार

मुख्य महाप्रबंधक तथा एसएसए प्रमुख द्वारा अदालतें आयोजित करने की सूचना का स्थानीय समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। संबंधित संसद सदस्य तथा विधायकों को अग्रिम सूचना दी जाए। प्रकाशन की तारीख और अदालत की तारीख के बीच कम से कम 30 दिनों के अंतर का प्रावधान होना चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख अदालत की तारीख से 15 दिन पहले हो।

लिया गया निर्णय:

अदालत का निर्णय सकारण आदेश में होना चाहिए। अपने मातहतों द्वारा आयोजित अदालत की गुणवत्ता की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आयोजित अदालत करेगी।

रिकार्ड रखना:

समाधान किए गए मामलों की संख्या, दी गई छूट की राशि की समेकित सूचना तथा सम्पूर्ण सर्किल से संबंधित अन्य संबंधित सूचना सर्किल कार्यालय में रखी जाए। इस सूचना को सर्किल की वेबसाइट में डाला जाए ताकि उपभोक्ताओं अथवा बीएसएनएल मुख्यालय की पहुंच हो सके तथा दूरसंचार सर्किल/जिले की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सर्किल स्तर की प्रत्येक अदालत के बाद अदालत में भाग लेने वाले बीएसएनएल मुख्यालय के प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक के माध्यम से एक संक्षिप्त (एक पैरा) रिपोर्ट वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीजी) को देंगे। जिसका रिकार्ड वरिष्ठ उप महानिदेशक अपने एकक में रखेंगे।

ह./-
वरिष्ठ डीडीजी (पीजी)
22.6 2001

[अनुवाद]

स्वदेशी लघु उद्योगों के हितों की रक्षा

6792. श्री के.सी. पलनिसामी:
श्री सुनील खां:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी माल विशेषकर चीन में निर्मित माल से भारतीय बाजार पट गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने देश के स्वदेशी लघु उद्योगों विशेषकर कुटीर उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) 1999-2000 और 2003-04 के बीच की अवधि के लिए निर्यात-आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि जब कि भारत के निर्यात 83.9 प्रतिशत अधिक हो गए हैं, आयात 66.8 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी प्रकार, चीन से भारत के आयात 1999-2000 के दौरान 5,559 करोड़ रुपए से बढ़कर 2003-04 के दौरान 18,625 करोड़ रु. हो गए हैं जबकि भारत से चीन को निर्यात 1999-2000 में 2,336 करोड़ रु. से बढ़कर 2003-04 में 13,579 करोड़ रुपए हो गए हैं।

(ग) सरकार ने कुटीर उद्योगों सहित लघु उद्यमों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाएं/कार्यक्रम, ऐसे उद्योगों के क्लस्टरों का विकास, कोलेटरल के बिना 5 लाख रु. तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराना, 25 लाख रु. तक के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी, निर्यात संबंधी मुद्दों के संबंध में इन उद्योगों में जागरूकता करना और उन्हें व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों के प्रति जागरूक करना, आईएसओ-9000/14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की लागत का अधिकतम 75,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करना, उत्पादों की बार कोडिंग अंगीकृत करने के लिए अधिकतम 15,000 रुपए तक पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, इत्यादि शामिल है।

सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों सहित घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यापार-रक्षा प्रणालियां, जैसे आयात लाइसेंसिंग, आयातों में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षोपाय और एंटी-डपिंग उपाय आरंभ किये हैं।

जन शिकायतों के समाधान संबंधी नीति

6793. श्री गिरिधर गमांग: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जन शिकायतों के समाधान, प्रक्रिया के सरलीकरण, कार्यक्रमों की निगरानी तथा इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए कोई नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) लोक शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक निवारण के लिए सरकार ने विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रक्रिया के सरलीकरण तथा शिकायतों के निवारण को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निवारण के प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के परामर्श से लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) निर्मित की है।

(ख) लोक शिकायतों के निवारण के लिए नीति की प्रमुख विशेषता हैं, शिकायतों पर कार्यवाही करने की विकेन्द्रीकृत प्रणाली जिसमें एक आंतरिक निवारण तंत्र को सुदृढ़ीकृत करने एवं प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्संरचित तंत्रों की स्थापना करना सम्मिलित है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग बाह्य निवारण तंत्र मुख्यत: नीति के दिशा-निर्देश बनाकर समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन करने एवं लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली के कार्यात्मकता पर ध्यान केन्द्रित करता है। लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर यह विभाग एक बाह्य मॉनीटरिंग एजेंसी के तौर पर कार्य करता है एवं लोक शिकायतों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों के कार्य-निष्पादनों का समय-समय पर पुनरीक्षण करता है। विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया है कि पहचाने गये शिकायतोन्मुखी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें, पद्धतियों को सरल बनायें एवं जनता की सुनवाई के लिये सप्ताह में एक दिन बैठक-रहित रखें।

(ग) इस उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए एवं शिकायत निवारण तंत्र के सघन मॉनीटरिंग के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के जारी किए गये दिशा-निर्देशों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रकाशन शीर्षकत: ''भारत सरकार में शिकायत निवारण तंत्र के लिए दिशा-निर्देशों'' में संकलित किया गया है।

साइबर, विनियम अपीलीय अधिकरणों की स्थापना

6794. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर विनियम अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा स्थापित अधिकरणों की संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक इन अधिकरणों को भेजे गए मामलों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने मामलों का निपटारा किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) साइबर विनियम अपील अधिकरण (सीआरएटी) का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न हीं नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-23 को चार लेनों वाला बनाया जाना

6795. श्री जुएल ओराम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-23 पर भारी यातायात की जानकारी है,

(ख) क्या राजमार्ग सं.-23 के राऊरकेला से बनारपल के बीच के खंड को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा रा-23 के कुछ खंडों पर भारी यातायात है। सीमित वित्तीय संसाधनों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणों में 4-लेन का बनाया जाता है। फिलहाल, रा रा-23 को दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर का बनाने को प्राथमिकता दी गई है।

सोवा इस्पात हेतु कोयला संपर्क

6796. श्री सुनील खां: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित सोवा इस्पात उद्योग वर्षों से कोयला संपर्क के लिए प्रतीक्षारत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को कब तक कोयला संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) स्पांज आयरन यूनिटों हेतु कोयला लिंकेजों पर इस्पात मंत्रालय में कार्यरत स्पांज यूनिट और फेरो एलॉयज यूनिटों हेतु स्थायी लिंकेज समिति द्वारा उपभोक्ताओं की प्राथमिकता और कोयले की उपलब्धता के आधार पर विचार कर अनुमोदन दिया जाता है। कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय को विचार किए जाने हेतु केवल कोयला उपलब्धता रिपोर्ट प्रदान करता है। मैसर्स सोवा इस्पात लिमिटेड के अनुरोध को इस्पात मंत्रालय द्वारा कोयले की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अक्टूबर, 2004 में कोयला मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। उपभोक्ताओं द्वारा पात्रता की शर्तें पूरी करने और एक विशेष स्रोत पर कोयले की उपलब्धता के अधीन लिंकेज प्रदान किए जाते हैं।

आशुलिपिकों के रिक्त पद

6797. श्री पारस नाथ यादव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों के विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के संदर्भ में कुल 47 पदों से केवल 5 पद भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गए पदों का विशेषकर अनुसूचित जातियों के पदों की संख्या कितनी हैं;

(ग) चालू वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रेड 'सी' आशुलिपिक तथा ग्रेड 'डी' आशुलिपिकों विशेषकर अनुसूचित जातियों के संदर्भ में कितने पद भरे जाने की संभावना है;

(घ) इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अभियान के तहत भर्ती के लिए एस. एस. सी. को भेजी गई रिक्तियों विशेषकर अनुसूचित जातियों के संदर्भ में संख्या कितनी है; और

(च) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ही आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर विगत तीन वर्ष के दौरान आशुलिपिकों के ग्रेड 'ग' में 5 आरक्षित पदों को भर कर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को पूरा किया गया था।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों के कुल 6 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे। चूंकि अनुसूचित जातियों के आरक्षित पदों की निर्धारित संख्या को पहले ही पूरा भर लिया गया था अत: इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए कोई अतिरिक्त पद आरक्षित नहीं किए गए थे। विगत तीन वर्ष के दौरान ग्रेड 'घ' आशुलिपिकों की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई।

(ग) वर्तमान वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की रिक्तियों की वास्तविक संख्या सीधी भर्ती के इष्टतम उपयोग के लिए विभागीय जांच समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसका गठन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-पी आई सी दिनांक 16 मई, 2001 के निर्देशों के अनुसरण में किया गया है। यह भी मानते हुए कि चालू वर्ष के दौरान इस ग्रेड में जो पद उत्पन्न होने की आशा है वे सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए इस समिति द्वारा अनुमोदित हैं, तथापि, अनुसूचित जातियों के लिए कोई पद आरक्षित किए जाने की आशा नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों की निर्धारित पद संख्या पहले ही पूरी भर ली गई है। चालू वर्ष में ग्रेड 'घ' आशुलिपिक की कोई रिक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की आशा नहीं है।

(घ) से (च) सीधी भर्ती के लिए न तो ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों में और न ही ग्रेड 'घ' अनुसूचित जातियों के लिए आशुलिपिकों कोई पिछली संचित रिक्तियां हैं।

तथापि, ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की 2 अनुसूचित जाति की रिक्तियां खाली हैं जो वर्तमान वर्ष में भरी जानी हैं इनमें से एक रिक्ति को वर्ष के दौरान विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जा रही है। दूसरी रिक्ति सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जानी है जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र पहले ही भेज दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ही किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की सिफारिश करता है, यह पद भर लिया जाएगा।

ग्रेड 'घ' आशुलिपिकों की 6 पूर्व संचित अनुसूचित जाति रिक्तियां हैं जो समित विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जानी हैं। इन रिक्तियों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र पहले ही भेज दिया गया है। मंत्रालय आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सिफारिश किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है जैसे ही उपयुक्त अभ्यर्थी की सिफारिश प्राप्त होती है ये पद भर लिए जाएंगे।

बकाया राशि

6798. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक अवसंरचना तथा ए.डी.सी. के संदर्भ में निजी सेवा प्रदाताओं से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वसूल की जाने वाली बकाया राशि कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए सर्किल-वार तथा कंपनी-वार उक्त राशि के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि के जमा होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) उक्त राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.1.2005 की स्थिति के अनुसार, अवसंरचना तथा एडीसी प्रभारों इत्यादि सहित आई.यू.सी. प्रभारों के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं से वसूली जाने वाली लम्बित राशि 900 करोड़ रु. है।

(ख) उपर्युक्त राशि का सर्किल-वार तथा डब्ल्यू.एल.एल., आई.एल.डी. एवं बुनियादी प्रचालक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस संबंध में कंपनी-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथा यह ब्यौरा सर्किलों से मांगा जा रहा है।

(ग) निजी प्रचालकों से देयताओं की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। जनवरी, 2005 के अंत तक, संचयी बकाया राशि 900 करोड़ रु. थी। इनमें से बी.एस.एन.एल. द्वारा निजी प्रचालकों को जारी किए गए कुछ बिल विवादित थे, जिससे बकाया राशि संचित हो गई।

(घ) यह विलंब निजी प्रचालकों द्वारा किए गए विवाद के कारण हुआ। सर्किलों द्वारा देयताओं की वसूली हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) बीएसएनएल मुख्यालय में निजी प्रचालकों से देयताओं की वसूली के संबंध में सर्किलों के कार्य-निष्पादन की लगातार समीक्षा की जाती है। निजी प्रचालकों से अप्रदत्त बकाया राशियों की वसूली के लिए संगत इंटरकनेक्ट करार के ढांचे के अंतर्गत, सर्किल प्रमुखों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु पुनरीक्षा रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

विवरण

आईयूसी प्रभारों का सर्किलवार, प्रचालकवार एवं वर्षवार बकायों से संबंधित ब्यौरा

सर्किल का नाम	(हजार रु. में)												
	बुनियादी/डब्ल्यूएलएल प्रचालक				सेल्युलर प्रचालक				आईएसडी/एनएलडी प्रचालक				कुल जोड़
	2002-03 तक	2003-04	2004-05 (जनवरी 05 तक)	जोड़	2002-03 तक	2003-04	2004-05 (जनवरी 05 तक)	जोड़	2002-03 तक	2003-04	2004-05 (जनवरी 05 तक)	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	29424	52264	116527	198215	222	34584	126793	161599	4751	6721	116728	128200	488014
असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	6782	6782	2069	37603	172858	212530	0	0	1382	1382	220694
छत्तीसगढ़	6269	2481	25503	34260	2548	605	8561	11714	0	0	9901	9901	55868
गुजरात	0	7700	52560	60260	0	144	38959	39103	0	11113	141191	152304	251667
हरियाणा	0	8676	32283	40959	0	0	1475	1475	0	0	49352	49352	91786
हिमाचल प्रदेश	0	0	898	898	0	15	78777	78792	0	81	4773	4854	84544
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	1326	10760	12086	0	11	9626	9627	0	0	0	0	21723
कर्नाटक	304	7479	27716	35499	0	1087	33186	34273	0	181	123765	123946	193718
केरल	0	8360	485069	493429	0	50	13381	13431	0	5253	107067	112320	619180
मध्य प्रदेश	80612	72039	532395	685046	389	13250	215015	228654	0	58260	99325	157585	1071285
महाराष्ट्र	32297	20252	428230	480779	4371	13501	188876	206748	0	102791	129601	232392	919919
पूर्वोत्तर-1	0	0	0	0	0	0	6637	6637	0	0	0	0	6637
पूर्वोत्तर-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	8376	28292	36668	0	1618	26013	27631	0	1672	40187	41859	106158
पंजाब	6077	20484	49506	76067	1066	199	25618	26883	14	85	39820	39919	142869
राजस्थान	118787	19025	61954	199766	1485	1232	15788	18505	0	2889	41562	44451	262722
तमिलनाडु	6008	58020	250433	314461	0	3050	66908	69958	0	11056	109277	120333	504752
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	14680	139827	154507	11110	485	11570	23165	0	34368	67812	102180	279852
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	5276	18825	24101	501	40643	33499	73643	0	791	54569	55360	154104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तरांचल	0	485	14	499	89	0	4762	4851	0	0	3669	3669	9019
पश्चिम बंगाल	0	5526	42993	48519	0	1627	19303	20930	0	0	10401	10401	79850
कोलकाता टी.डी.	0	0	882002	882002	0	0	45802	45802	0	29521	412964	442485	1370289
चेन्नई टी.डी.	0	7824	324372	332196	912	2971	24344	28227	487	18132	231768	250387	610810
उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र	0	568	85954	86522	0	0	185	185	7930	28862	541407	578199	864906
दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र	0	0	67703	67703	0	0	30144	30144	0	0	320707	320707	418554
पूर्वोत्तर दूरसंचार क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिमी दूरसंचार क्षेत्र	0	0	36381	36381	0	0	258382	258382	0	0	77245	77245	372008
जोड़	279778	320841	3706979	4307598	24762	152675	1456462	1633899	13182	311776	2734473	3059431	9000928

[अनुवाद]

टेलिफोन सलाहकार समिति का गठन

6799. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हरिद्वार में उक्त समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। उत्तरांचल राज्य के सभी छ: दूरसंचार जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित कर दी गई हैं। ये हैं:

(1) देहरादून

(2) अल्मोड़ा

(3) नैनीताल

(4) उत्तरकाशी

(5) कोटद्वार

(6) हरिद्वार।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जाली पासपोर्ट

6800. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली पासपोर्ट के अनेक मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों और नकली कंपनियों को संलिप्त पाया गया है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पासपोर्टों में छेड़छाड़ और फोटो बदलने के कुछ मामले सामने आये हैं।

(ख) और (ग) इस विषय में जांच अधिकारियों और राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। अभी हाल ही में गिरफ्तारी के अनेक मामलों की सूचना मिली है।

एल्युमिनियम कंपनियों को कोयले की आपूर्ति

6801. श्री मोहन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम कंपनियों को कोयले की आपूर्ति कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस कटौती का एल्युमिनियम के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) एल्युमिनियम कंपनियों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम कंपनियों (एल्युमिनियम सीपीपी तथा एल्युमिनियम प्राइरिटि) को कोयले की आपूर्ति के रुख में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है तथा इससे एल्युमिनियम के उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

विस्फोटकों की कमी

6802. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कंपनियों को विस्फोटकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिससे कोयला उत्पादन में कमी आ सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों में वर्तमान में विस्फोटकों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अपनी अनुषंगियों को विस्फोटकों की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

पेनलबद्ध निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र

6803. श्री अखिलेश यादव:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक निजी अस्पतालों तथा अन्य नैदानिक केन्द्रों का पेनल बनाया है तथा उनकी संख्या वर्ष 2000 की 34 की तुलना में आज की तारीख तक बढ़कर 101 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब कुछ अस्पतालों को पेनल से हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पैनल से हटाए गए अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे पेनलबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंपा गया है तथा अनियमितताओं में संलिप्त सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की कुल संख्या वर्ष 1996-97 में 242 से बढ़कर आज की तारीख में 708 हो गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची से अभी तक दो अस्पतालों की मान्यता समाप्त कर दी गई है/सूची से नाम हटा दिया गया है:

(1) मिलेनियम होस्पीटल, पूसा रोड, नई दिल्ली

(2) पी आर एस होस्पीटल, तिरुवनन्तपुरम।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की रेफरल प्रणाली एवं उपयुक्ता/उनके द्वारा दिए जाने वाले उपचार की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत एक स्थायी समिति गठित की गई थी। समिति ने निम्नलिखित अनियमितताएं पाईं जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2005 में मिलेनियम होस्पीटल, पूसा रोड, नई दिल्ली की मान्यता समाप्त कर दी गई:

(1) रोगियों को बिना औचित्य के आईसीयू/आईसीसीयू में रखा गया;

(2) बिल तैयार करने में बड़ी गलती;

(3) असंबद्ध एवं अंसगत जांच किए गए;

(4) बिलों में की गई इरादतन वृद्धि।

जहां तक अप्रैल, 2005 में पीआरएस होस्पीटल, तिरुवनन्तपुरम की मान्यता समाप्त करने/सूची से नाम हटाने का संबंध है, इस प्रयोजनार्थ गठित चिकित्सा दल ने पाया था कि अस्पताल ने लाभार्थी को उपचार प्रदान करने में लापरवाही बरती थी और इस प्रकार समझौता-ज्ञापन के उपबंधों का उल्लंघन किया था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता-प्राप्त निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र की मान्यता समाप्त नहीं की गई है, हालांकि, कुछ अस्पतालों के संबंध में रोगियों को भेजना बन्द कर दिया गया है। तथापि, वर्ष 2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दो निजी अस्पतालों, जैसा कि उपर्युक्त (ग) में बताया गया है, की मान्यता समाप्त कर दी गई है/को पैनल से हटा दिया गया है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले विभिन्न शहरों में प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का नाम	1996-1997 अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की संख्या	2003-2005 अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	02	06
2.	इलाहाबाद	05	25
3.	चेन्नई	20	41
4.	हैदराबाद	23	18
5.	जबलपुर	20	48
6.	जयपुर	10	35
7.	कानपुर	17	46
8.	मेरठ	09	37
9.	मुम्बई	07	23
10.	त्रिवेन्द्रम	00	12
11.	पटना	10	34
12.	रांची	03	07
13.	लखनऊ	08	21
14.	पूना	27	67
15.	दिल्ली	24	94
16.	बंगलौर	16	51
17.	कोलकाता	15	31
18.	नागपुर	26	49
	कुल	242	708

लेट्रोजोल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना

6804. श्री वसुदेव आचार्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इण्डिया से पूर्वानुमति लिए बिना लेट्रोजोल के उपयोग को बढ़ावा देकर तथा बाजार में उसका विपणन कर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांझपन मामले में इस औषधि का नैदानिक प्रशिक्षण बड़ी संख्या में महिलाओं पर किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) महिलाओं में गंभीर स्तन कैंसर के दूसरी पंक्ति के (सेकेंड लाइन) उपचार के लिए औषध विनियामक प्राधिकारी ने 28 जून, 2001 को मेसर्स सन फार्मास्युटिकल तथा कुछ अन्य फर्मों द्वारा लिटरोजोल के विपणन को अनुमोदित कर दिया था। क्योंकि इस औषध को प्रजननता औषध के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अनुमोदित नहीं दिया गया था इसलिए फर्म द्वारा लिटरोजोल को प्रजननता औषध के रूप में कथित उन्नयन करने हेतु दिनांक 25.9.2003 को नोटिस जारी किया गया था।

फर्म ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने उत्पाद के लेबल पर इस औषध का प्रजननता औषध के रूप में इस्तेमाल के बारे में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया था। तथापि, अंतराष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं (जनरलों) में प्रजननता को बढ़ाने में लिटरोजोल के

लाभकारी होने संबंधी छपे लेखों के आधार पर देश के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपने रोगियों के लिए इस औषध का उपयोग किया है। फिर भी, फर्म को 'सावधान' किया गया है कि वह ऐसे किसी कार्यकलाप को बढ़ावा न दे जिसके कारण कैंसर रोधी औषध लिटरोजोल का उपयोग लेबल से हटकर (ऑफ लेबल) प्रजननता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

यह बतलाया गया कि इस्ट्रोजेन सिंथेसिस के निरोधक के रूप में तैयार की गई औषध लिटरोजोल का प्रयोग कुछ विकसित देशों में स्त्रीरोग विशेषज्ञों द्वारा बांझपन के उपचार हेतु किया जाता है और ऐसे अध्ययन भी प्रकाशित हुए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर औषध के प्रभावों के बारे में सूचना नहीं मिली है।

इन विषय में विशेषज्ञों से परामर्श लेने पर उन्होंने बताया था कि लिटरोजोल जैसे सुगन्धित निरोधक का अण्डाणु में प्रविष्ट करने के लिए उपयोग किया गया है और यह औषध पूरी तरह सहनीय (टोलरेटेड) है।

[हिन्दी]

सीबीआई द्वारा सीआईएल के विरुद्ध जांच

6805. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोल इण्डिया लि. के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पहलुओं पर जांच की गई है और अब तक कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या कोयला विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं के विरुद्ध अभियान चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सीआईएल के कामकाज की किसी जांच के बारे में कोल इण्डिया लिमिटेड को कोई सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) भ्रष्टाचार और अनियमितता के किसी आरोप की मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है। शिकायतों की जांच कोयला कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। यदि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता में लिप्त कोई अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में आता है तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भी सलाह ली जाती है।

[अनुवाद]

लेदर रिसर्च इंडस्ट्री का वार्षिक समागम समारोह

6806. श्री जी. वी. हर्ष कुमार: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेदर रिसर्च इंडस्ट्री का वार्षिक समागम समारोह चेन्नई मे हुआ था, जैसा कि दिनांक 29 जनवरी, 2005 को 'द हिन्दू' में इस आशय का समाचार, प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई में 28 जनवरी से 30 जनवरी, 2005 तक चर्म अनुसंधान संस्थान वार्षिक गेट-टुगेदर (एलईआरआईजी) सम्पन्न हुई।

(ख) और (ग) एलईआरआईजी 2005 का प्रारंभ टीएफएल लेदर टेक्नोलॉजी लिमि. स्विटजरलैण्ड के डॉ. कैम्पबैल टी. पेज के बी.एम. दास भाषण व्याख्यान के साथ हुआ जबकि एलईआरआईजी 2005 का सार निदेशक, सीएलआरआई, चेन्नई द्वारा प्रस्तुत किया गया। एलईआरआईजी 2005 को अन्य अनेक प्रख्यात वक्ताओं द्वारा भी संबोधित किया गया। एलईआरआईजी की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

(1) वर्ष 2010 तक वैश्विक फुटवेअर ट्रेड के 5% लाभ को अर्जित करने के उद्देश्य से फुटवेअर मिशन को मार्केट लीडरों के साथ गठजोड़ सहित उद्योग चालित एवं संस्थागत क्रियाविधि द्वारा कार्यान्वित किया जाना।

(2) भारतीय फुटवेअर उद्योग में निवेशकों एवम् भागीदारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ताइवान और यूरोप में कार्यशालाओं का आयोजन।

(3) फुटवेअर उद्योग की पोषणीयता प्राप्ति के लिए चर्मशोधन क्षेत्र को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों का अभाव

6807. **श्री रघुनाथ झा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल में, रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में डायलिसिस मशीनें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अस्पतालों में कुल कितनी डायलिसिस मशीनों की आवश्यकता है और वास्तविक रूप से इनमें कितनी मशीनें उपलब्ध हैं; और

(घ) रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनों की खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जहां तक सफदरजंग अस्पताल का सम्बन्ध है, दो डाइलिसिस मशीनें काम कर रही हैं तथा चार और मशीनें खरीदने का काम अन्तिम अवस्था में है।

डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल में रोगियों की सुविधा के लिए छह हीमो डाइलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

उ. प्र. में बीएसएनएल मोबाइल टावर

6808. **श्री इलियास आजमी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरदोई जिले के पिहानी, पाली, शावेज और खीरी जिले के मितौली में बीएसएनएल मोबाइल टावर लगाए जाने की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन टावरों के कब तक काम शुरू करने की संभावना है;

(ग) क्या टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट खीरी के महाप्रबंधक द्वारा मितौली के लिए स्वीकृत टावर को उचौलिया में लगाने पर विचार किया जा रहा है जबकि जंगबहादुरगंज टावर से उचौलिया केवल 8 कि.मी. की दूरी पर है और वहां मोबाइल सेवा पहले से ही उपलब्ध है;

(घ) क्या जनहित में उक्त टावर को मितौली में ही लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने पिहानी, पाली और शावेज (जिला हरदोई) में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और चालू वर्ष के दौरान सेवाएं आरंभ होने की आशा है। तथापि, जिला लखीमपुर (खीरी) के अंतर्गत मितौली में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) जी, नहीं। जे.बी. नगर तथा शाहजहांपुर के बीच एनएच-24 राष्ट्रीय राजमार्ग तक उचित कवरेज प्रदान करने के लिए उचौलिया में मोबाइल रेडियो स्टेशन की योजना बनाई गई है।

(घ) और (ङ) मितौली में मोबाइल सेवा प्रदान करने संबंधी निर्णय, व्यवसाय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

गैस मास्कों की खरीद

6809. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी रूप से "फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूर्स" कहे जाने वाले लगभग 30,000 गैस मास्कों की खरीद की थी, जो बाद में दोषपूर्ण पाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे गैस मास्क समुचित जांच-पड़ताल के बाद ही खरीदे गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) द्वारा अनुमोदित तीस हजार (30,000) "फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूर्स" की अधिप्राप्ति 1996-97 में की गई थी और उनका इस्तेमाल किया गया था। तथापि, वर्ष 1998 में डी.जी.एम.एस. की सलाह के अनुसार इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया और केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में नमूना परीक्षण के बाद, इन तीस हजार "सेल्फ रेस्क्यूर्स" का 1999 में परीक्षण परिणाम संतोषजनक होने के आधार पर दुबारा इस्तेमाल किया गया।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता है।

विशेषाधिकार कोटा के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन

6810. श्री सूरज सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषाधिकार कोटा के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन जारी करने संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) सांसद कोटा के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की समय-सीमा क्या है और निर्धारित समय-सीमा में टेलीफोन कनेक्शन न दिए जाने के मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) बिहार के दूरसंचार जिलों बेगुसराय, खगड़िया और समस्तीपुर में की गई अनुशंसा की तिथि, दिए गए कनेक्शनों की तिथि और प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण की तिथि के संबंध में टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) संसद सदस्यों के विशेषाधिकार कोटे के अंतर्गत टेलीफोन कनैक्शनों की शर्तें निम्नानुसार हैं:

(1) प्रत्येक संसद संदस्य एक कलैण्डर वर्ष में 100 टेलीफोन कनेक्शनों के लिए "बिना बारी" (आउट ऑफ टर्न) कोटे का हकदार है। जो संसद सदस्य संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं, वे एक कलैण्डर वर्ष में 200 टेलीफोन कनैक्शनों के कोटे के हकदार हैं।

(2) एक संसद सदस्य निम्नलिखिल क्षेत्रों में बिना बारी के टेलीफोन प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है:

(i) लोकसभा संसद सदस्य—अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र के भीतर

(ii) राज्य सभा संसद संदस्य-उस राज्य के अंतर्गत जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iii) नामित संसद सदस्य—देश में कहीं भी।

(3) माननीय संसद सदस्यों को अपने सिफारिश-पत्र में यह उल्लेख करना/प्रमाण-पत्र देना होता है कि संबंधित व्यक्ति को टेलीफोन कनैक्शन की तत्काल आवश्यकता है।

(4) बिना बारी के टेलीफोन कनैक्शन केवल उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके नाम मौजूदा प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) माननीय संसद सदस्यों द्वारा उनके कोटे से दिए गए बिना-बारी के टेलीफोन कनैक्शनों की संस्थापना के लिए 30 दिन की समय-सीमा विनिर्धारित की गई है, बशर्ते यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो। मंजूरी आदेशों के पालन के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। सामान्यत:, तकनीकी रूप से अव्यवहार्यता के कारण या उपभोक्ता से जुड़े कारणों को छोड़कर ऐसे टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने में देरी नहीं की जाती।

(ग) कलैण्डर वर्ष 2004 तथा 2005 (30.4.2005 तक) के दौरान, बिहार में बेगूसराय, खगड़िया तथा समस्तीपुर जिलों में, संसद सदस्य कोटे के तहत प्रदान किए गए टेलीफोन कनैक्शनों के संबंध में संस्तुति की तारीख, कनैक्शन उपलब्ध कराने की तारीख तथा अग्रता आधार पर पंजीकरण की तारीख से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। दिनांक 30.4.2005 की स्थिति के अनुसार, इन जिलों में लंबित कनैक्शनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

कलैण्डर वर्ष 2004 एवं 2005 (30.4.2005 तक) के दौरान बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर दूरसंचार जिले में संसद सदस्य कोटा से प्रदान किए गए बिना-बारी के टेलीफोनों के मामलों की संख्या का ब्यौरा

जिला का नाम	लाभार्थी का नाम एवं पता	आवेदक (लाभार्थी) द्वारा एनटीसी के पंजीकरण की तारीख	संसद सदस्य से प्राप्त सिफारिश-पत्र की तारीख	बिना बारी के टेलीफोन की स्वीकृति की तारीख	कनैक्शन प्रदान करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	(1) श्री जनार्धन शर्मा, पुत्र स्व. कैलु हर्मा, गांव+पोस्ट- बिरपुर, बेगूसराय	22.06.2002	12.12.2004	21.12.2004	17.2.2005

1	2	3	4	5	6
(2)	श्री मदन कुमार सिंह, पुत्र श्री कृष्ण मोहन सिंह, गांव-फुलमलिक, एस.के. कमल. बेगूसराय	21.01.2001	12.12.2004	21.12.2004	20.4.2005
(3)	श्रीमती राधा देवी, पत्नी स्व. अनुग्रह दास, मिर्जापुर, हुसानिया, बेगूसराय	19.01.2002	12.12.2004	21.12.2004	5.3.2005
(4)	श्री राज कमल राजीव सिंह पुत्र श्री आर.पी. सिंह गांव+पो. कुम्मी, बेगूसराय	31.12.2003	29.12.2004	12.1.2005	15.02.2005
(5)	श्री राजीव कुमार पासवान, पुत्र श्री आर.के. पासवान, ग्राम+पो. खोदावनपुर, बेगूसराय	09.11.2002	29.12.2004	12.1.2005	20.12.2004*
(6)	श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री रामाशीश शर्मा, ग्राम+पो. कुम्मी, बेगूसराय	09.11.2002	29.12.2004	12.1.2005	15.02.2005
(7)	श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री राम मोहन यादव, ग्राम+पो. कुम्मी, बेगूसराय	29.09.2004	29.12.2004	12.1.2005	15.02.2005
(8)	श्री अमित कुमार, पुत्र श्री एस.पी. सिंह, मालहीपुर, पो. बीटीपी बेगूसराय	27.03.2004	24.01.2005	25.01.2005	31.01.2005
(9)	श्री जितेन्द्र पाठक, पुत्र स्व. गीता पाठक, चकबाली, नूरपुर बेगूसराय	05.03.2001	24.01.2005	25.01.2005	21.03.2005
(10)	श्री नगेन्द्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. डी.एन. सिंह., ग्राम+पो. मक्तियापुर, बेगूसराय	15.12.2003	17.3.2004	26.03.2004	22.03.2004
(11)	श्रीमती गुलनी बेगम, मतिहानी, चुराही, बेगूसराय	24.12.2002	29.6.2003	4.7.2003	11.10.2004*
(12)	श्री अनुप लाल चौहान, सिरिया, बेगूसराय	3.1.2001	29.6.2003	4.7.2003	20.3.2004
(13)	श्री उमा शंकर रस्तोगी, बरी बलिया, बेगूसराय	3.1.2001	26.12.2003	31.12.2003	23.9.2004
(14)	श्री राम शर्मा, बिसनपुर, बेगूसराय	1.2.2003	26.12.2003	31.12.2003	30.8.2004

1		2	3	4	5	6
	(15)	श्री ललन प्रसाद सिंह, चोकी, एस. कमल, बेगूसराय	2.8.1999	29.6.2003	4.7.2003	27.3.2004
	(16)	श्री नंद लाल महातो, ग्राम+पो. चौकी, बेगूसराय	9.8.1999	29.6.2003	4.7.2003	29.3.2004
	(17)	श्री जगदीश दास, बिंदटोला एस. कमल, बेगूसराय	25.5.2001	25.10.2003	29.10.2003	7.3.2004
	(18)	श्री शंकर यादव, सोनबरसा, पनसल्ला, बेगूसराय	2.11.2002	25.10.2003	29.10.2003	12.11.2004
	(19)	श्री जे.एन. यादव, ग्राम+पो. कुंभी, बेगूसराय	14.8.2002	25.10.2003	29.10.2003	10.10.2004
	(20)	श्री राजीवन रंजन, ग्राम+पो. कंभी, बेगूसराय	11.4.2003	26.12.2003	31.12.2003	2.8.2004
	(21)	श्री सुनील साह, ग्राम: समस्तीपुर, लखनपुर, बेगूसराय	17.4.2003	26.12.2003	31.12.2003	23.11.2004
	(22)	श्रीमती रेणु कुमारी, बराईपुर, राहतपुर, बेगूसराय	30.3.2001	26.12.2003	31.12.2003	25.2.2004
	(23)	श्री ताराकंट मिश्रा, ग्राम+पो. मेघौल, बेगूसराय	20.1.2001	26.12.2003	31.12.2003	7.10.2004
खगड़िया	(1)	श्री सुधांशु कुमार पुत्र श्री जनार्धन यादव ग्राम+पो. थाथा, जिला खगड़िया	30.06.2004	03.11.2004	11.11.2004	18.12.2004
	(2)	श्रीमती पुनम कुमारी, पत्नी श्री विजय कुमार यादव, ग्राम: एकानिया, पो. मानसी, खगड़िया	28.10.2003	03.11.2004	11.11.2004	11.01.2005
	(3)	श्री उगान देव कुमार, पुत्र श्री राम कृपाल शाह, ग्राम रामपुर जिला खगड़िया	27.02.2004	03.11.2004	05.11.2004	20.12.2004
	(4)	श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री आनंदी मंडल, ग्राम: गामहट्टा पो. शेरगुढ़, खगड़िया	20.11.2000	26.10.2004	01.11.2004	01.01.2005
	(5)	श्री प्रफुल कुमार तिवारी, ग्राम+पो. कुलहरिया, खगड़िया	21.10.2003	5.11.2003	12.11.2003	15.1.2004
	(6)	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सबलपुर, मरार, खगड़िया	14.6.2002	29.11.2003	10.12.2003	10.1.2004
	(7)	श्रीमती अरुणा देवी, ग्राम+पो. बलहा, खगड़िया	29.9.2001	3.3.2003	4.3.2003	29.2.2004

1	2	3	4	5	6
	(8) श्री किशोर प्रसाद सिंह, सबलपुर, मरार, खगड़िया	4.4.2001	12.11.2003	20.11.2003	10.1.2004
	(9) श्री जय प्रकाश अजाद, ग्राम+पो. रासोन, खगड़िया	11.1.2004	21.1.2004	29.1.2004	30.12.2004
समस्तीपुर	(1) श्री उपेन्द्र नारायण सिंह पुत्र श्री संत लाल सिंह, परमात्मा मशीनरी स्टोर, दालसिंह सराय, समस्तीपुर	27.09.2004	30.09.2004	07.10.2004	10.11.2004
	(2) श्री महेश कुमार झा, पुत्र स्व. अनिरुद्धलाल झा, पो. हरिलोचापुर	31.03.2005	26.10.2004	05.11.2004	27.02.2005
	(3) श्री फैजेर रहमान पुत्र स्व. सफीऊर रहमान, ग्राम+पो. एम नगर, जिला समस्तीपुर	13.12.2002	26.10.2004	05.11.2004	27.06.2004*

*सामान्य तरीके से प्रदान किए गए कनैक्शन

विवरण II

30.4.2005 की स्थिति के अनुसार बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर दूरसंचार जिलों में सांसद कोटे से बिना बारी के टेलीफोनों के लंबित मामलों का ब्यौरा

जिला	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी द्वारा एन्टीसी के पंजीकरण की तारीख	सांसद की सिफारिश प्राप्त होने की तारीख	बिना बारी के टेलीफोन मंजूर होने की तारीख	लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	1. श्रीमती पार्वती सिंह पत्नी स्व. रविन्द्र प्रसाद सिंह, गांव परवंडा, पो. फाचिलपुर, बेगूसराय	7.8.2004	6.9.2004	10.9.2004	सभी कनेक्शन एक्सचेंज से 5 किमी. से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं और लैंडलाइन पर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। आवेदकों ने डब्ल्यूएलएल पर कनेक्शन लेने से मना कर दिया है।
	2. मो. मोनाजिर आलम सुपुत्र मो. मजाहिर आलम, ग्रा. व पो. सन्हा, बेगूसराय	7.6.2002	12.12.2004	21.12.2004	
	3. श्री विनोद कुमार चौधरी, सुपुत्र श्री मोती लाल प्रसाद चौधरी	20.1.2004	12.12.2004	21.12.2004	
	4. श्री रामचरित्र महतो, सुपुत्र श्री सीता राम महतो, ग्रा. व पो. खाजापुर बेगूसराय	7.10.2003	29.12.2004	12.1.2005	

1	2	3	4	5	6
	5. श्री प्रमोद कुमार, सुपुत्र श्री श्याम महतो, ग्रा. पो. कुम्मी, बेगूसराय	1.1.2002	29.12.2004	12.1.2005	सभी कनेक्शन एक्सचेंज से 5 किमी. से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं और लैंडलाइन पर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। आवेदकों ने डब्ल्यूएलएल पर कनेक्शन लेने से मना कर दिया है।
	6. श्री गंगा प्रसाद यादव, सुपुत्र स्व. बिलत प्रसाद यादव, ग्रा. व पो. विक्रमपुर, बेगूसराय	10.2.2002	15.3.2005	16.3.2005	
	7. श्री कपिलदेव ठाकुर, सुपुत्र श्री राम किशोर ठाकुर, चौकी एस. कमल, बेगूसराय	21.5.2001	15.3.2005	16.3.2005	
	8. राजाराम पासवान, सुपुत्र श्री कुशेश्वर पासवान, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय	16.6.2004	15.3.2005	16.3.2005	
	9. श्री कमल किशोर सिंह, सुपुत्र स्व. रमाकांत सिंह ग्रा. व पो. खन्जाहापुर, बेगूसराय	15.3.2002	15.3.2005	16.3.2005	
	10. श्री मनोज कुमार, सुपुत्र श्री अशरफी राम, खान्जाहापुर, बेगुसराय	18.12.2003	15.3.2005	16.3.2005	
	11. श्री मनोज कुमार, सुपुत्र श्री अशरफी राम, खान्जाहापुर, बेगूसराय	18.12.2003	15.3.2005	16.3.2005	
	12. मो. मशुर अंसारी	10.12.2003	15.3.2005	16.3.2005	
	13. श्री राजेश कुमार, बहादुरपुर, रामपुर बेगूसराय	2.8.2004	24.1.2005	25.1.2005	
	14. श्री राजु कुमार, प्रकाश ड्राई क्लिनर के निकट, बेगूसराय	10.3.2005	30.3.2005	1.4.2005	
	15. श्री मनोज कुमार, रतनपुर बेगूसराय	19.3.2005	30.3.2005	1.4.2005	
	16. श्री सरोज कुनार, स्थान हरिटोला रहीमपुर बेगूसराय	4.6.2001	29.6.2003	4.7.2003	
	17. श्री श्याम किशोर सिंह, सोखरा, बरौनी, बेगूसराय	2.1.2002	29.6.2003	4.7.2003	
	18. श्री राम कृष्ण दास, गांव मोसादपुर, तोराठ, बेगूसराय	11.2.2003	29.6.2003	4.7.2003	

1	2	3	4	5	6
19.	श्री सुरेश कुमार सुमन, पीरनगर गमहरिया, बेगूसराय	11.7.2001	29.6.2003	4.7.2003	सभी कनेक्शन एक्सचेंज से 5 किमी. से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं और लैंडलाइन पर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। आवेदकों ने डब्ल्यूएलएल पर कनेक्शन लेने से मना कर दिया है।
20.	श्री पंकज कुमार, सान्हा नया टोला, बेगूसराय	18.12.2000	29.6.2003	4.7.2003	
21.	श्री राज कुमार पोद्दार, करैया, बेगूसराय	28.1.2001	29.6.2003	4.7.2003	
22.	श्री केदार झा, गांव पो.ओ. पाबड़ा, बेगूसराय	15.6.2002	29.6.2003	4.7.2003	
23.	श्री रणधीर कुमार यादव, साकरा, राजौर, बेगूसराय	30.8.2001	29.6.2003	4.7.2003	
24.	श्री कमल किशोर प्रसाद, गांव पो.आ. महेशपुर, बेगूसराय	25.4.2001	25.10.2003	29.10.2003	
25.	श्री जोगेन्द्र महतो गांव पो. ओ. ताराबरियापुर बेगूसराय	25.4.2001	25.10.2003	29.10.2003	
26.	श्री रामसिंह यादव, गांव पो.आ. कुम्भी, बेगूसराय	29.4.1999	25.10.2003	29.10.2003	
27.	मो. अशरफ कामल मदरसा टोला, में घोल बेगूसराय	23.9.2003	26.12.2003	31.12.2003	
28.	श्री मनोज कुमार, बाखड़ा, छौराही बेगूसराय	23.9.203	26.12.2003	31.12.2003	
29.	श्री रतन कुमार, गांव डा.खा. भापोत, बेगूसराय	15.3.2002	26.12.2003	31.12.2003	
30.	श्री यशवन्त कुमार, गां. पो. आ. कुम्भी, बेगूसराय	5.11.2003	26.12.2003	31.12.2003	
31.	श्री राम मिलन साह गां. डा.खा. अकोपुर बेगूसराय	20.10.2003	26.12.2003	31.12.2003	
32.	श्री बांगली प्रसाद यादव, फुलवैया, बेगूसराय	14.12.2002	26.12.2003	31.12.2003	
33.	श्री अमरेन्द्र कुमार, ज्ञानटोला, एस. कमल, बेगूसराय	11.12.2002	26.12.2003	31.12.2003	
34.	श्री कृष्ण कुमार वर्मा गां. डा. खा. खोडावनपुर, बेगूसराय	26.10.2001	26.12.2003	31.12.2003	

1	2	3	4	5	6
खगड़िया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समस्तीपुर	1. श्री संदीप सरण फेरिया गां. डा.खा. बैणी, समस्तीपुर	8.11.2001	31.1.2002	7.2.2002	सभी कनेक्शन एक्सचेंज से 5 किमी. से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं और लैंडलाइन पर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। आवेदकों ने डब्ल्यूएलएल पर कनेक्शन लेने से मना कर दिया है।
	2. श्रीमती सूरज कला देवी गा.डा. बैणी समस्तीपुर	26.11.2001	31.1.2002	7.2.2002	
	3. श्रीमती रेणुदेवी गां.डा.खा. उजियारपुर समस्तीपुर	19.3.2001	31.1.2002	7.2.2002	
	4. श्रीमती सुदामादेवी गां.डा.खा. अकदौर, समस्तीपुर	7.8.2001	31.1.2002	7.2.2002	
	5. श्री राजीव कुमार रे, हनुमान नगर, मोहीद्दीन नगर समस्तीपुर	7.8.2001	31.1.2002	7.2.2002	
	6. श्री चन्द्र शेखर सिंह, जितवारपुर, समस्तीपुर	26.8.2002	24.9.2002	27.9.2002	
	7. श्री राजीव रंजन बुढ़ानिया, धुरलक समस्तीपुर	18.12.2002	29.4.2003	1.5.2003	
	8. श्री राम कुमार सिंह रामचन्द्र, समस्तीपुर	19.8.2002	21.10.2003	29.10.2003	
	9. श्री कृष्णदेव सिंह, रसालपुर, समस्तीपुर	6.5.2002	24.4.2003	1.5.2003	
	10. श्री रणजीत कुमार भारती, बालामघ, समस्तीपुर	18.5.2003	16.10.2003	21.10.2003	
	11. श्री जवाहर मंडल डुमरा मोहा, राजोपुर, समस्तीपुर	28.1.1999	1.5.2003	6.5.2003	

*सामान्य तरीके से प्रदान किए गए कनेक्शन।

अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने संबंधी स्थायी समिति

6811. **श्री पी. करुणाकरन:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों में संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के मामले में बाकायदा बदलाव का सुझाव देने के मद्देनजर एक स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संगठनों में संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शिकायतों के मामले में बाकायदा बदलाव का सुझाव देने के मद्देनजर अलग से कोई स्थायी समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, पहले कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के स्थापना प्रभाग ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी थी कि कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित वास्तविक शिकायतों को स्थापना अधिकारी के ध्यान में ला सकते हैं। इन आदेशों की आगे समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को सलाह दी गई है कि स्थापना अधिकारी के स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र केवल स्थापना अधिकारी अथवा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा देखे जाने वाले अधिकारियों के सेवा से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित होगा। मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों की शिकायतों पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा स्वयं ही कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज की संबद्धता

6812. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के सबसे पुराने मैसूर मेडिकल कॉलेज की संबद्धता समाप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चौदह विभागों में व्याख्याता और प्रोफेसर के 46 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) क्या ऐसी आशंका है कि वर्ष 2005-06 के दौरान छात्रों के प्रवेश कम होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास मैसूर मेडिकल कॉलेज में सीटों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबों को नि:शुल्क चिकित्सा

6813. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कई निजी अस्पतालों को गरीबों को नि:शुल्क चिकित्सा मुहैया कराने के पट्टे से मुक्त करने का है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गरीबों के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय, भूमि एवं विकास कार्यालय ने सूचना दी है कि भूमि एवं विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कुछ अस्पतालों को गरीब मरीजों को नि:शुल्क इलाज प्रदान करने की शर्त पर भूमि आबंटित की थी।

कुछ अस्पतालों द्वारा आबंटन एवं पट्टा मानदण्डों का उल्लंघन किया गया है।

दिल्ली में गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने तथा अस्पतालों को निशुल्क इलाज की शर्त से मुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव किया गया है। तथापि, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में लाभार्थियों की संख्या

6814. डा. पी.पी. कोया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस के एक औषधालय में कितने लाभार्थियों का इलाज किया जा रहा है;

(ख) गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के सीजीएचएस औषधालयों से कितने लाभार्थी जुड़े हुए हैं;

(ग) उक्त औषधालयों में डाक्टरों और रोगियों का अनुपात क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में डाक्टरों और औषधालयों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के पास कौन-सा प्रस्ताव विचाराधीन है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत प्रत्येक एलोपैथिक औषधालय से औसतन 23,591 लाभार्थी सम्बद्ध हैं।

(ख) गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से संबद्ध लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

औषधालय का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1. गाजियाबाद	66,710
2. फरीदाबाद	21,243
3. गुड़गांव	34,276

(ग) उपरोक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालयों में डाक्टर-रोगी अनुपात निम्नलिखित हैं:

औषधालय का नाम	डाक्टर-रोगी अनुपात
1. गाजियाबाद	1: 121
2. फरीदाबाद	1: 53
3. गुड़गांव	1: 109

(घ) उपरोक्त औषधालयों में डाक्टरों की तैनाती केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के तहत डाक्टरों की समग्र उपलब्धता/संख्या पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने में नए पदों का सृजन करने की बात शामिल होती है और यह संसाधनों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में ठेके के श्रमिक

6815. श्री बृजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. सहित अन्य कोयला कंपनियों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में खानों में उत्पादन का कार्य ठेके पर करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों के अंतर्गत कितने लोग कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2004-05 के दौरान खानों में उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हे कि ठेकेदारों द्वारा कराए गए कुछ कार्य ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) एन.सी.एल. को छोड़कर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में, कुछ ओपनकास्ट खानों में कोयला उत्पादन के कुछ क्रियाकलाप जैसे यंत्रीकृत निष्कर्षण, मुहाने से सतह तक कोयले का लदान तथा परिवहन और ऊपरी मलबा हटाया जाना, भाड़े पर लिए गए उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त कार्यों के लिए भाड़े के उपकरणों के प्रचालन हेतु ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या और सहायक कंपनियों में 2004-05 के दौरान उपकरणों को भाड़े पर लेकर किए गए कोयला उत्पादन (अनंतिम) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	कोयले का उत्पादन लाख टन में (अनंतिम)
ई.सी.एल.	338	20.60
बी.सी.सी.एल.	337	52.23
सी.सी.एल.	172	125.22
डब्ल्यू.सी.एल.	1020	25.22
एस.ई.सी.एल.	1138	591.68
एम.सी.एल.	3623	630.83
एन.ई.सी.	475	4.78

(ग) और (घ) जहां ठेकेदार/फार्म ने उपकरणों के प्रचालन हेतु अपने स्वयं के कर्मचारियों को नियोजित किया हो, वहां उपकरणों/मशीनरी को भाड़े पर लिए जाने को ठेकेदार श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

(ङ) ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बीएसएनएल का आधुनिकीकरण

6816. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी सेलुलकर सेवाओं की तुलना में सबसे सस्ती सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बीएसएनएल में आधुनिकीकरण एवं उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। विगत वर्षों में, बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं, जो निम्नवत हैं:

(1) सभी इलेक्ट्रोमेकैनिकल तथा एनालॉग एक्सचेंजों को विश्वस्त माध्यमों पर जुड़े डिजिटल एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(2) दोष प्रवण पेपर कोर केबल को जेली भरे केबल से बदला जा रहा है और पोलरहित बाह्य संयंत्र की संस्थापना से संबंधित परियोजना का कार्य चल रहा है।

(3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग की योजना बनाई गई है और इसका कार्यान्वयन स्थानीय लाइन दोषों को दूर करने के लिए किया जा रहा है ताकि ग्राहक की सेवाओं में सुधार किया जा सके तथा दूरसंचार सेवाओं का तेजी से एवं ज्यादा किफायती विस्तार किया जा सके।

(4) स्थानीय एवं लम्बी दूरी नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है ताकि व्यापक बैण्डविड्थ एवं विश्वसनीय दूरसंचार सेवा प्रदान की जा सके।

(ग) और (घ) बीएसएनएल का सेल्यूलर टैरिफ कुल मिलाकर अन्य प्रचालकों के टैरिफ के समतुल्य या अपेक्षाकृत सस्ता है। फिलहाल, बीएसएनएल द्वारा टैरिफ में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"यू एन रैपर्टियर्स" का दौरा

6817. श्री लोगाप्पन नम्बाडन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार "टॉर्चर एंड एक्सट्रा ज्युडिशियल किलिंग्स के मामले में" यू एन रैपर्टियर्स "को भारत दौरे की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार विशेष यंत्रणा रिपोर्टर तथा विशेष न्यायिक हत्या रिपोर्टर इन दोनों विशेष रिपोर्टरों के अधिदेश के अनुसरण में इनके भारत यात्रा के अनुरोध पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एसएसआई के परीक्षण केन्द्र

6818. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कार्यरत परीक्षण केन्द्रों (लघु उद्योग की कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद संबंधी परीक्षण) का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे केन्द्रों के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कार्यरत ऐसे परीक्षण केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) बंगलौर में केन्द्र सरकार द्वारा एक फील्ड

टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बंगलौर, बेलगाम, मंगलौर, चेल्लाकेर और गुलबर्ग में एक एक टेस्टिंग सेंटर की स्थापना केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से उद्योग संघों द्वारा की गई है।

(ख) फंडों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं है। हालांकि, लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा कर्नाटक में इन स्टेशनों और केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए फंडों का वर्ष-वार उपयोग इस प्रकार है:

वर्ष	उपयोग की गई राशि (लाख रुपए में)
2000-01	16.25
2001-02	8.92
2002-03	9.85
2003-04	10.00
2004-05	10.70

इसके अतिरिक्त, 1998-2000 की अवधि के दौरान, कर्नाटक में टेस्टिंग केन्द्रों को 60 लाख रुपए के केन्द्रीय अनुदान जारी किए गए।

(ग) देश में केन्द्र सरकार द्वारा चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और सात फील्ड टेस्टिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से 12 परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन 12 में से, पांच उद्योग संघों द्वारा और सात संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता मार्किंग केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए स्थापित किए गए हैं।

पारायुक्त उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना

6819. श्री तथागत सत्पथी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अस्पतालों में पारायुक्त उपकरणों का यदि समुचित तरीके से उपयोग नहीं किया गया और सामान्य अपशिष्ट पदार्थों की तरह इसे सावधानी बरते बिना निपटाया गया तो इससे आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का खतरा हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर में अस्पतालों में पारायुक्त उपकरणों के संचालन के लिए कोई नियमन और सुरक्षोपाय नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो पारायुक्त उपकरणों के समुचित उपयोग और इसके निपटाने के लिए तथा इन्हें अस्पतालों से चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अस्पतालों में पारे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित मामलों की जानकारी नहीं हैं। पारे के थर्मामीटरों के टूटने से कुछ पारा बिखर सकता है जिसे अस्पतालों की स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियों के एक भाग के रूप में एकत्र किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

निपटान योग्य पारे वाला कचरा प्रति कि.ग्रा. 50 मि. ग्रा. के बराबर या उससे अधिक पारायुक्त उत्पादों के स्रोतों और पारे के सम्मिश्रणों का निपटान, मई 2003 में संशोधित जोखिमपूर्ण कचरे से संबंधित नियम (प्रबंधन एवं निपटान) के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है।

इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में पारे/पारे से युक्त कचरे को इकट्ठा/निपटान करने के कार्य को सुनिश्चित करना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों का दायित्व है।

(ग) और (घ) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, वे मई, 2003 में यथासंशोधित जोखिमपूर्ण कचरा (प्रबन्धन और निपटान) नियमों में निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। टूटे थर्मामीटरों, रक्त-दाब यंत्रों इत्यादि से उत्पन्न पारे के कचरे को एकत्र और रिसाइकिल किया जाता है। कुछ देशों में पर्यावरणिक चिंताओं के कारण शरीर के तापमान/रक्तदाब को मापने के लिए पाम्परिक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारे के थर्मामीटरों/नाड़ीमाप मीटरों (स्फिगमोमेनोमीटर्स) बदल दिया गया है। तथापि, इन उपकरणों के विकल्प के बारे में बहुत से देशों में वैकल्पिक युक्तियों की उपलब्धता, वहनीयता और यथार्थता के बारे में भी चिन्ताएं हैं।

[हिन्दी]

सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना

6820. श्री राजेन गोहेन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मियों का प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की अपनी सतर्कता व्यवस्था है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव को, जिसकी सहायता मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं, उस विभाग में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सीधे जिम्मेवार बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्मिकों की प्रतिशतता लगभग 0.00047 है।

(घ) सरकार ने, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया है जिससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के क्रम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिक शक्ति संपन्न हुआ है।

(2) भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर निगरानी रखने का भी अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों अभिकरण भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिक समन्वयपूर्वक कार्य करें।

(3) भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए भंडाफोड़ों (विसल ब्लोअर्स) द्वारा की गई शिकायतों पर गौर करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पदनामित अभिकरण के रूप में भी घोषित किया गया है।

(5) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में नियुक्तियां करने और इसमें कार्यरत अधिकारियों की कार्यावधि इत्यादि में वृद्धि से संबंधित मामलों पर शीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो चयन बोर्ड की स्थापना की है।

नर्सिंग प्रमाणपत्रों को मान्यता

6821. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा कोर द्वारा जारी किए गए नर्सिंग प्रमाणपत्रों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा कोर से चिकित्सा सहायक के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हजारों लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग सहायकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण सिविलियन साइड में दिए जाने वाले सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण के समतुल्य नहीं है। अत: आर्मी मेडिकल कोर द्वारा जारी किया जाने वाला नर्सिंग प्रमाण-पत्र भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 180 नर्सिंग सहायक सेवानिवृत होते हैं। उसको सामान्य कुशलता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। चूंकि दोनों पाठयक्रम समतुल्य नहीं हैं; निर्णय पर पुन: विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

फ्रूक्टोस कोर्न सिरप के दुष्प्रभाव

6822. श्री डी. चिट्टल राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेय पदार्थों और विशेषकर सॉफ्ट एरेटेड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले हाई

फ्रक्टोस कोर्न सिरप की मोटापे की बीमारी में मुख्य भूमिका है जिसके कारण देश में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार उच्च फ्रक्टोस कोर्न सिरप कैलोरी प्रदान नहीं करता है। बच्चों द्वारा पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां न करने की दशा में जब उनके द्वारा इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो इसके कारण बच्चों का भार अधिक बढ़ जाता है और उनमें मोटापा आ जाता है। तथापि, परिषद ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

केन्द्र सरकार ने आहार संबंधी दिशानिर्देश तथा सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण सामग्री तैयार की है जिनमें शीतल गैसीय पेय पदार्थों के अधिक उपभोग को हतोत्साहित किया गया है। क्योंकि इस मसले से निपटने के लिए सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण के जरिए जागरूकता पैदा करना एक प्रमुख कार्यनीति है इसलिए इस घटक को राष्ट्रीय मधुमेह और हृदय वाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके लिए मंत्रालय ने योजना आयोग से सैद्धान्तिक अनुमोदन मांगा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विधिक शक्तियां प्रदान करना

6823. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधिक शक्तियों के अभाव में अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में भी असमर्थ है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दण्डात्मक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने "राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002" दिनांक 27.1.2005 से ही लागू कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि से अतिक्रमण हटाने और राजमार्ग परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान है।

'एम्स' में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार

6824. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग में लगभग 130 चिकित्सकों द्वारा औसतन 7000 रोगियों का उपचार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 'एम्स' के बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामान्य बाह्य रोगी विभाग और विशेषज्ञता क्लिनिकों में प्रतिदिन औसतन 5000 से 6000 रोगी आते हैं और इनके अतिरिक्त औसतन 400 से 500 रोगी आपातकालीन विभाग में आते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपेक्षित संख्या में डाक्टर, नर्सें और अन्य कर्मचारी हैं तथा वे यथासंभव पूरी-पूरी रोगी परिचर्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतर रोगी परिचर्या के लिए रोगियों के बढ़ते दबाव के अनुसार अपनी आधाभूत सुविधाओं को भी बढ़ा रहा है। मेडिसिन एवं पेडिएट्रिक्स के लिए एक नया वातानुकूलित बाह्य रोगी विभाग परिसर बनाया गया है। नेफ्रॉलोजी, इंडोक्रायोनोलोजी, इम्यूनोलोजी और गेस्ट्रोइंट्रोलोजी जैसे विशेषज्ञ क्लिनिकों के लिए बाह्य रोगी दिवस बढाए गए हैं। बाह्य रोगी विभाग में रोगियों के प्रतीक्षा समय में कमी लाने के लिए पंजीकरण काउन्टर बढ़ाए गए हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का उत्पादन

6825. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खादी ग्रामोद्योगों के उत्पादन और बिक्री में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खादी की कताई करने वाले और बुनाई करने वाले लोगों ने अपना रोजगार को दिया है क्योंकि उन्हें कपास की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या चेन्नई के खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा खादी उत्पादन और बिक्री का उचित पर्यवेक्षण किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण न किए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों के लिए तमिलनाडु में खादी एवं ग्रामोद्योग (वीआई) के उत्पादन और बिक्री का मूल्य नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	उत्पादन		बिक्री	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
2001-02	54.08	599.62	83.24	705.99
2002-03	59.70	657.74	77.06	813.32
2003-04	54.83	713.66	73.01	883.65

(ख) ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन अथवा बिक्री में कोई कमी नहीं आई हैं। राज्य सरकारों द्वारा खादी की बिक्री पर छूट की गैर-अदायगी के कारण खादी संस्थानों में लिक्विडिटी की समस्या खादी के उत्पादन और बिक्री में कमी का प्रमुख कारण था।

(ग) जी, नहीं। अवधि के दौरान, कताई करने वालों और बुनकरों के बीच रोजगार में कमी नहीं आई थी। खादी संस्थानों द्वारा स्वयं की गई सूत की खरीददारी के अतिरिक्त, दो केन्द्रीय स्लीवर प्लांट केरल में कुट्टूर तथा कर्नाटक में चित्रदुर्गा, एक उदार क्रेडिट आपूर्ति नीति के तहत तामिलनाडु में संस्थानों को स्लीवर/ राविंग्स की आपूर्ति कर रहे हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। चेन्नै में स्थित राज्य कार्यालय के अतिरिक्त, केवीआईसी ने मदुरई में एक मंडलीय कार्यालय भी खोला है। ये सहायता राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सूक्ष्म अनुवीक्षण सुनिश्चित करती हैं।

(च) उपरोक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कथित ऑनलाइन अपराध

6826. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री एम शिवन्ना:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कथित रूप से किए जा रहे ऑन-लाइन अपराध सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अपराध में किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जाँच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विनियामक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए ऑनलाइन साइबर अपराधों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए ऑनलाइन मामलों की संख्या	:	26
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत साइबर अपराध मामलों की संख्या (विभिन्न राज्यों में)	:	56
आईपीसी धारा के अन्तर्गत पंजीकृत साइबर अपराध मामलों की संख्या	:	348

(ग) से (ङ) कुछ मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सामने अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने की बात आई है। आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं।

(च) सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर अपराधों पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिसमें अपराध के स्थल से अंकीय साक्ष्य एकत्रित करने के

लिए साइबर अपराध विज्ञान सॉफ्टवेयर पैकेजों का इस्तेमाल तथा इसके संबंध कार्यविधि शामिल है। न्यायपालिका को साइबर अपराधों के तकनीकी-वैध पहलू पर और उन्हें प्रस्तुत किए गए अंकीय साक्ष्य के विश्लेषण पर प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, साइबर अपराधों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। यह गृह मंत्रालय में तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कई एजेंसियों की ओर से सतत आधार पर किया जाने वाला एक समन्वित प्रयास है। साइबर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ शामिल हैं जैसेकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो, राज्य पुलिस संगठन तथा अन्य विशिष्ट संगठन जैसेकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन)। सर्ट-इन समुचित सुरक्षा दिशा-निर्देश और अन्य श्रेष्ठ पद्धतियाँ विकसित करने में भूमिका निभाता है और देश भर में कम्प्यूटर प्रणालियों और नेटवर्कों के प्रणाली प्रशासकों को उन्हें कार्यान्वित करने की सलाह देता है ताकि प्रणालियों को हैकरों और अन्य अपराधियों के हमले से बचाया जा सके। सर्ट-इन कम्प्यूटर सुरक्षा दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ित संगठनों की प्रणालियों को ठीक करने में सहायता करता है ताकि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सके। साइबर अपराध विज्ञान एक उभरता हुआ विषय है जो कानून प्रवर्तन संगठनों की अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता करता है। साइबर अपराधों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का एक भाग है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य पुलिस संगठनों ने ऐसे पुलिस अधिकारियों सहित साइबर अपराध कक्षों की स्थापना की है जिन्हें साइबर अपराध विज्ञान के साथ-साथ साइबर सुरक्षा मामलों में भी विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है।

गांवों का औद्योगिकीकरण

6827. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जापान की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-टू-डोर उद्योगों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गांवों के औद्योगिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकार 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में उद्योगों की स्थापना में पात्र आवेदकों को सहायता देने के लिए पूरे देश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से क्रेडिट-लिंक्ड़ सब्सिडी कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी के वी आई सी से मार्जिन मनी सहायता तथा 25 लाख रु. की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामीण उद्योग स्थापित कर सकता है। स्वीकृति मार्जिन मनी सहायता का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है:

आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी का वर्ग	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रु. तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
		10 लाख रु से ऊपर और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. जमा शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
2.	अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./महिलाएं/शारीरिक रूप विकलांग/भूतपूर्व सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर प्रदेश/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
		10 लाख रु. से ऊपर तथा 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. जमा के शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

टिप्पणी: अ.जा./अ.ज.जा.-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग, शा.वि.-शारीरिक रूप से विकलांग, पू.प्र.-पूर्वोत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) का भी कार्यान्वयन कर रही है। यह भी एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है और इसका कार्यान्वयन बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों के साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। पी.एम.आर.वाई के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र के लिए 1 लाख रु. तथा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र हैं, जिसकी सब्सिडी परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक सीमित है और अधिकतम 7,500 रु. है। 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए सहायता पाने के लिए पात्र व्यक्ति इकट्ठे मिलकर भागीदारी कर सकते हैं। लाभार्थी से मार्जिन मनी अंशदान परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है, जिससे सरकार की सब्सिडी राशि तथा लाभार्थी का स्वयं का अंशदान परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर हो जाए।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए समान नीति

6828. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए समान नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(च) वर्ष 2005-06 में खोले जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) देश के सभी मेडिकल कालेजों में एक समान नीति बरकरार रखने के लिए पहले ही विनियम बने हुए हैं।

केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा पालनार्थ व्यापक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ कोर्स का उद्देश्य, कोर्स में दाखिला लेने के लिए वांछित न्यूनतम योग्यता, चयन संबंधी मापदण्ड प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप की अवधि, परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रक्रिया, अंक देना और परीक्षकों की योग्यता आदि का उल्लेख होता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समय-समय पर इन विनियमों की समीक्षा की जाती है ताकि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के साथ तादात्म्य बिठाया जा सके। विनियमों की समीक्षा करते समय विभिन्न संगठनों से इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त सुझाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

(च) वर्ष 2005-06 के दौरान अभी तक चार मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कुछ अन्य प्रस्ताव है जो मूल्यांकन हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे जाते हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हता संबंधी मानदण्ड को पूरा करने, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना

6829. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अध्यापकों की सहायता हेतु चेन्नई में एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की भी योजना पूरे देश में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष विचार-विमर्श के लिए एक मसौदा-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को सूचना

प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अपनी शैक्षणिक और कैरियर क्षमता हासिल करने में सहायता प्रदान करने के लिए 14 राज्यों में माइक्रोसॉफ्ट सूचना प्रौद्योगिकी अकादमियों की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है।

जनसंख्या नीति

6830. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के मद्देनजर जनसंख्या नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दशक में विभिन्न वर्गों की दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि की तुलना में नई जनसंख्या नीति में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समूहों और समाज के वर्गों के मूलभूत जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को दर्शाया गया है;

(ग) पिछले तीन दशकों में दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में इस दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है; और

(घ) यह किस सीमा तक नई जनसंख्या नीति की सफलता को दर्शाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशता दर पिछले तीन वर्षों में पंजीकृत दर की तुलना में निम्नलिखित है:-

1971-81	1981-91	1991-2001
25.00	23.87	21.54

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाए जाने के बाद जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने में हुई सफलता के बारे में कोई राय बनाना जल्दबाजी होगी। तथापि, पिछले तीन वर्षों में रुझानों से प्रमुख जनांकिकीय सूचकों अर्थात् अशोधित जन्म दर, कुल प्रजननता दर एवं मातृ मृत्यु दर, में सुधार प्रतीत होता है जो निम्नलिखित है:-

देश के जनांकिकीय सूचक	2000	2001	2002
अशोधित जन्म दर	25.8	25.4	25.0
कुल प्रजननता दर	2.3	2.3	2.2
शिशु मृत्यु दर	68	66	63

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, महापंजीयक, भारत

टेलीफोन डायरेक्टरी का मुद्रण

6831. श्री रूपचंद मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन डायरेक्टरी में मोबाइल फोनधारकों सहित सभी टेलीकॉम उपभोक्ताओं के नाम और पतों को सूचीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी निजी ऑपरेटरों को अपनी मुद्रित टेलीफोन डायरेक्टरी निकालने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर ऑपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 5.5.2005 को 'टेलीफोन निर्देशिका और निर्देशिका पूछताछ सेवाएं' के प्रकाशन पर सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उन पर कार्यवाही चल रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया

6832. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृत्रिम अंग को लगाने और हृदय वाल्व के सुधार इत्यादि जैसे कतिपय उपचारों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) ऐसे मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या मामलों के निपटान में अत्यधिक समय लगता है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में ज्यादा समय न लगने देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या मामलों के लम्बित रहने के दौरान रोगियों की मृत्यु होने संबंधी कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(छ) यदि हां, तो गंभीर मामलों से निपटने के लिए क्या प्रणाली अपनायी जाती है; और

(ज) चिकित्सा बिलों की त्वरित प्रतिपूर्ति सहित अनुमति लेने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमति प्रदान करने के वास्ते निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:-

(1) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी विशेषज्ञ या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सलाह दी गई विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रिया/जांच/परीक्षण हेतु सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में अंतरंग उपचार एवं ओपीडी जांचों/परीक्षणों अर्थात एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड आदि की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में अनुवर्ती उपचार हेतु लाभार्थियों को कुछ विशिष्ट स्थितियों में छह महीने को अवधि तक के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं की स्थिति में जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की कोई दर नहीं होती है, लाभार्थी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरें उपलब्ध नहीं होने पर वास्तविक खर्च के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी जाती है बशर्ते प्रक्रिया की लागत 20,000 से कम हो।

(3) ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं की स्थिति में जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दरें/दिशा-निर्देश नहीं हों और प्रक्रिया की लागत 20,000 से अधिक हो तो अनुमति स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से प्रदान की जानी होती है। ऐसी स्थितियों में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाती है जहां अनुमति प्रदान करने के पहले तकनीकी राय लेना आवश्यक होता है। इसमें विशेष प्रकार के श्रवण संबंधी सहायक उपकरण/कृत्रिम उपकरण/अंग, इन्फ्यूजन पम्प, आक्सीजन कनसेन्ट्रेस, सीपीएपी मशीन आदि आते हैं।

(4) 2,000 से कम लागत वाले कृत्रिम उपकरणों के मामले में निकी सलाह सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है, इन उपकरणों की खरीद के लिए कोई पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है।

(ख) वर्ष 2004 एवं 2005 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय में अभी भी विचार किया जा रहा है ऐसी प्रक्रियाओं से संबंधित है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अनुमोदित नहीं है, और जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दरें निर्धारित नहीं हैं। इनके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक होता है। इन मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है-

कार्डियक डिफाइब्रिलेटर से संबंधित 6 मामले
डीबीएस प्रत्योरोपण संबंधी 3 मामले
विशिष्ट कृतिम उपकरण संबंधी 3 मामले
यकृत पत्यारोपण का 1 मामला
केडावर गुर्दा प्रत्यारोपण के 3 मामले
बाई वेंट्रीक्युलर पेस मेकर का 1 मामला।

(ग) और (घ) हृदय वाल्व लगाने जैसे निर्धारित दर वाली अनुमोदित प्रक्रियाओं के मामले में एक दिन के भीतर ही अनुमति दे दी जाती है बशर्ते कि लाभार्थी द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों। स्थायी समिति के अनुमोदन से जुड़ी प्रक्रियाओं के मामले में प्रायः तीन सप्ताह में अनुमति दे जाती है। जिन प्रक्रियाओं के संबंध में कोई दिशा-निर्देश विद्यमान नहीं होते और उनके लिए विशेषज्ञ समिति के विचार लेने होते हैं तथा यकृत प्रत्यारोपण, डीपीएस प्रत्यारोपण विशिष्ट कृत्रिम उपकरण आदि के लिए स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन लेना पड़ता है, ऐसे मामलों में अनुमति संबंधी अनुरोधों की मामला-दर-मामला आधार पर जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में कार्रवाई करने का समय अलग-अलग होता है।

(ङ) कई प्रक्रियाओं में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पेंशनभोगी लाभार्थियों को अनुमति देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रक्रियाओं में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(च) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) उपरोक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जैसा कि उपरोक्त (ङ) में पहले ही बताया जा चुका है कि कई ऐसी प्रक्रियाओं जिनके लिए अनुमोदित दरें उपलब्ध हैं, के लिए पेंशनभोगी लाभार्थी को अनुमति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियें द्वारा दी जा रही हैं। पेशनभोगी लाभार्थियों के चिकित्सा दावों पर कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत जोनल अपर निदेशकों को भी अधिकार दिए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश

6833. श्री वीरचन्द्र पासवान:
श्री आत्मा सिंह गिल:
श्री मुन्शी राम:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी योग्यता के अधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समायोजन संबंधी 11 जुलाई, 2002 को जारी किए अनुदेश/दिशा-निर्देशों को अनिश्चित काल हेतु की गई तदर्थ पदोन्नतियों पर भी लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने 11 जुलाई, 2002 को जारी किए गए पूर्व दिशा-निर्देशों को वापिस लेते हुए दिनांक 31 जनवरी, 2005 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भविष्य में वरिष्ठता सह-फिटनेस पदोन्नति वाले अनारक्षित प्वाइंट ऑफ रोस्टर के विरुद्ध कोई छूट न देते हुए उन्हें समायोजित नहीं किए जाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उठाए इन कदमों से पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों पर और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा की सरकार की वचनबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत पदोन्नतियां वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर की जाती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 31.1.2005 का कार्यालय ज्ञापन यह स्पष्ट करता है कि चूंकि गैर-चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियां वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं और ऐसी पदोन्नतियों में योग्यता की धारण का समावेश नहीं किया जाता, अत: गैर-चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों पर दिनांक 11.07.2002 का कार्यालय ज्ञापन लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों हेतु आवंटन में कमी

6834. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष राज्यों को सहायता योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि के अप्रयुक्त भाग के अनुपात में सहायता योजना के अंतर्गत इस धनराशि में कमी/कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किन आधारों पर किया गया है;

(ग) क्या राज्यों के लिए योजना की सीमाओं का निर्णय उपलब्ध/अनुमानित संसाधनों के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि राज्यों की सहायता योजना का संबंध योजना के आकार से नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) चूंकि, राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिए प्रत्येक स्कीम के अपने-अपने विशिष्ट दिशानिर्देश/मापदण्ड, आबंटन हैं और स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता को जारी करना मुख्यत: संगत दिशा निर्देशों/मापदण्डों के अनुसार शासित होता है। इसके अलावा, राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत केन्द्रीय सहायता के आबंटन और जारी करना कारकों की विभिन्न किस्मों पर निर्भर करता है। केन्द्र की समग्र संसाधन उपलब्धता पर आधारित सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) के अतिरिक्त, अन्य कारकों में उपयोगिता प्रमाणपत्र, स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर योजना आयोग में आवधिक समीक्षाएं, स्कीमों की राज्य विशिष्ट प्राथमिकताओं पर आधारित मूल्यांकन, अवशोषण, क्षमता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन शामिल हैं।

(ङ) लागू नहीं होता।

भारी मशीनों का प्रयोग

6835. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स सिंगरौली के अंतर्गत दुधी-चुआ परियोजना में भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस देश से यह मशीनें खरीदी गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमेरिकी टोरेक्स कंपनी से कुल कितने भारी डम्पर खरीदे गए हैं;

(घ) क्या ये सभी भारी डम्पर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय इन भारी मशीनों को क्रियाशील बनाने के लिए समयबद्ध कार्यवाही कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) खरीदी गई मशीनों तथा उन देशों का ब्यौरा, जिनसे वे खरीदी गई हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दुधीचुआ परियोजना के लिए 1998 में टेरेक्स कंपनी, यू.एस.ए. से 30बी मॉडल मार्क के 120 टन वाले 38 रियर डम्पर खरीदे गए हैं।

(घ) उपर्युक्त सभी 38 डम्पर 4.4.1999 से 3.2.2000 के बीच चालू किया गए थे।

वर्तमान में, दुधीचुआ परियोजना हेतु अधिप्राप्त किए गए 38 डम्परों में से 23 कार्यशील स्थिति में नहीं हैं। सभी 23 डम्परों में से प्रत्येक में 6 टायरों की आवश्यकता है और कुछ डम्परों में कलपुर्जे भी अपेक्षित हैं जिनका आर्डर दिया गया है।

(ङ) और (च) इन डम्परों को प्रचालनशील बनाने के लिए अपेक्षित टायरों (आकार 30.00 × 51) का आर्डर इस प्रकार दिया गया है:

आपूर्तिकर्त्ता	जिस तिथि पर आर्डर दिया गया	आर्डर दी गई मात्रा	दिनांक 4.5.2005 तक की गई वास्तविक आपूर्ति
गुड इयर	2.12.2004	159	10
याकोहामा	3.9.2004	132	10
मिचिलिन	3.9.2004	121	शून्य

कोयला मंत्रालय टायरों की शीघ्र आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं पर जोर डालने के लिए इस मुद्दे को समय-समय पर सी.आई.एल. के साथ उठाता है।

विवरण

दुधी-चुआ परियोजना में हैवी अर्थमूविंग मशीनों की सूची और उनके ब्यौरे

उपकरण	माडल	4.5.2005 को यथास्थिति रोल पर	कंपनी जिसे आदेश दिया गया	देश
1	2	3	4	5
ड्रेगलाइन 24/96	डब्ल्यू-2000	1	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	भारत
ड्रेगलाइन 24/96	एचईसी	2	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	भारत

1	2	3	4	5
ड्रगलाइन 24/96	बीईएमएल/बीयूसीवाई आर यू एस-1	1	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
ईआर शॉवेल	पी. एंड एच 1900	4	हरनीशफेगर इंटरनेशनल कारपोरेशन	अस्ट्रिया
ईआर शॉवेल	पी.एंड एच 1900	5	कोबे स्टील लिमिटेड जापान	जापान
ईआर शॉवेल	पी एंड एच 1900	9	हरनीशफेगर कारपोरेशन	युनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका
एचवाईडी. शावेल	पीसी-300	2	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
डम्पर 120 टन	मार्क 30बी	38	टेरेक्स कारपोरेशन	युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका
डम्पर 120 टन	बी एच-120	6	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
डम्पर 120 टन	सीएटी-785	5	कैटरपिलर इंडिया प्रा. लि.	भारत
डम्पर 85 टन	एचडी 785-2	33	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
डम्पर 85 टन	बी एच-85	21	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
डम्पर 85 टन	सीएटी 777	4	कैटरपिलर इंडिया प्रा.लि.	भारत
डोजर	सीएटी 11 आर	5	कैटरपिलर एशिया प्रा.लि.	सिंगापुर
डोजर	डी 355/बीडी 355	21	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
व्हील डोजर	डी 155	1	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
व्हील डोजर	जी 30 डी	1	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
व्हील डोजर	डब्ल्यू डी 834 बी	3	केटरपिलर एशिया प्रा. लि.	सिंगापुर
ड्रिल 311 एमएम	डी एम-एच 311 एमएम	4	इंगरसोल रैण्ड (इंडिया) लि.	भारत
ड्रिल 250 एमएम	आई डी एम 703 ई	7	इंगरसोल रैण्ड (इंडिया) लि.	भारत
ड्रिल 250 एमएम	आरईसीपी 750 ई	8	रेवाथी सीपी इक्यूपमेंट लि.	भारत
ड्रिल 250 एमएम	एसबीएसएच 250 एमएनए-32	4	रुदगोरमैच ज्वाइंट स्टाक कंपनी	रूस
ड्रिल 160 एमएम	आरईसीपी 650	9	रेवाथी सीपी इक्यूपमेंट लि.	भारत
एफ ई लोडर	72-71 बी/20-71	2	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	भारत
ग्रेडर 280 एचपी	जीडी-825 ए-1	4	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	भारत
ग्रेडर 280 एचपी	सीएटी 16-एच	4	कैटरपिलर एशिया प्रा. लि.	सिंगापुर
वाटर स्प्रिंकलर 28 कि.ली.	एचएम-1035	6	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	भारत

1	2	3	4	5
वाटर स्प्रिंकलर	एलडब्ल्यू-50 टी डम्पर	2	भारत अर्थ मूवर्स लि.	भारत
वाटर स्प्रिंकलर	एचडी 785-2 डम्पर	4	भारत अर्थ मूवर्स लि.	भारत
क्रेन 90 टन	टाटा-1055	1	टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव लि.	भारत
क्रेन 60 टन	हसके-680	1	कोल्स क्रेन लिमिटेड	यू.के.
क्रेन 30 टन	ग्रोव आरटी-30	1	ट्रैक्टर्स इंडिया लि.	भारत
क्रेन 18 टन	एस्कार्टस	1	एस्कार्टस लिमिटेड	भारत
क्रेन 8 टन	एस्कार्टस	2	एस्कार्टस लिमिटेड	भारत
क्रेन 3 टन	एस्कार्टस	1	एस्कार्टस लिमिटेड	भारत
टायर हैण्डलर	जी-14	2	भारत अर्थ मूवर्स लि.	भारत
टायर हैण्डलर	लासिंग	1	लासिंग लि. हैम्पशायर	यू.के.

निगरानी समूह की स्थापना

6836. श्री पंकज चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए योजना आयोग में एक निगरानी समूह की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगरानी समूह के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग में खाद्य और पोषण सुरक्षा निगरानी (एफएनएसडब्ल्यू) के गठन का प्रस्ताव है, जिसको जल्दी ही गठित किए जाने की संभावना है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), काम के बदले अनाज, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन को कवर करते हुए खाद्य और पोषण संबंधी मुख्य कार्यक्रमों के निष्पादन का अध्ययन करेगा। वर्ष के अंत में, खाद्य और पोषण सुरक्षा निगरानी इन कार्यक्रमों के संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित करेगा।

लखनऊ शहर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास/सुदृढ़ीकरण

6837. श्री संतोष गंगवार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को लखनऊ शहर के विकास तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता कितनी है;

(ग) उक्त राशि के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने 102.60 करोड़ रुपये की लागत की लखनऊ जलापूर्ति स्कीम तैयार की है और इसके लिए वर्ष 2001 में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। 33.90 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की गई थी और इसे वर्ष 2001-04 की अवधि के दौरान जारी किया गया। योजना आयोग में 6 अप्रैल, 2005 को एक प्रस्ताव 68.70 करोड़ रु. की मंजूरी हेतु प्राप्त हुआ था। परियोजना को समग्र रूप से वित्तपोषित करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का, संसाधनों के अभाव में समर्थन नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी

6838. डा. के. धनराजू:
श्री फुरकान अंसारी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की स्वीकृत संख्या तथा उनके नियोजन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत संख्या के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1 मई, 2005 की स्थिति के अनुसार, आई.ए.एस. अधिकारियों की स्वीकृत 325 संख्या में से 309 अधिकारी कार्यरत हैं, और आई.पी.एस. अधिकारियों की 214 सवीकृत संख्या में से 196 अधिकारी कार्यरत हैं। जहां तक झारखण्ड का संबंध है, एक जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार आई.ए.एस. अधिकारियों की 143 स्वीकृत संख्या में से 115 अधिकारी कार्यरत हैं और आई.पी.एस. अधिकारी की 110 स्वीकृत संख्या में से 86 अधिकारियों कार्यरत हैं।

(ग) तमिलनाडु ने सूचित किया कि अधिकारियों की कमी से प्रशासनिक कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। झारखण्ड ने सूचित किया कि वर्तमान में राज्य में आई.ए.एस. अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। तथापि, उन्होंने सूचित किया है कि वहां पर आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

(घ) हाल ही में, दिसम्बर, 2004 में झारखण्ड राज्य के लिए आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की संवर्ग संख्या में वृद्धि कर दी गई है। आई.ए.एस. की संवर्ग संख्या 129 से बढ़ाकर 143 और आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 कर दी गई है। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और रिक्ति को सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा राज्य फीडर सेवा से पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों में वृद्धि

6839. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मार्च, 2005 में लगभग 100 चिकित्सा महाविद्यालयों को वहां सीटों में वृद्धि करने की अनुमति दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक महाविद्यालय में कितनी सीटें बढ़ाने की अनुमति दी गई थी;

(घ) कितने चिकित्सा महाविद्यालयों को सीटें बढ़ाने की अनुमति दी गई;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीटें बढ़ाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों के सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए फीस ढांचे से संबंधित क्या नियम निर्धारित किए गए हैं; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) अभी तक किसी भी मेडिकल कालेज में वर्ष 2005 के दौरान एम बी बी एस सीटों में वृद्धि नहीं की गई है।

(ङ) और (च) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में भेजा गया है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं उन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश पर निर्भर करती है।

(छ) माननीय उच्चतम न्यायालय में इस्लामिक अकादमी आफ एडूकेशन के मामले में दिनांक 14.8.2003 के अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संस्थान को अपना शुल्क ढांचा निर्धारित करने की छूट होगी। प्रत्येक राज्य सरकार को उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करनी होगी जो यह निर्णय करेगी कि क्या संस्थान द्वारा प्रदान किया गया शुल्क न्यायोचित है और इसमें लाभ कमाने या कैपिटेशन शुल्क लेने की बात शामिल नहीं है। उक्त समिति संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे का अनुमोदन कर सकती है या कोई अन्य शुल्क ढांचे का प्रस्ताव कर सकती है जो तीन वर्षों तक संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

विवरण I

दिनांक 6.5.2005 की स्थिति के अनुसार देश में प्राइवेट कालेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	असम	–
3.	बिहार	2
4.	चण्डीगढ़	–
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	दिल्ली	–
7.	गोवा	–
8.	गुजरात	5
9.	हरियाणा	2
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	जम्मू-कश्मीर	1
12.	झारखण्ड	–
13.	कर्नाटक	27
14.	केरल	8
15.	मध्य प्रदेश	2
16.	महाराष्ट्र	19
17.	मणिपुर	–
18.	उड़ीसा	–
19.	पांडिचेरी	4
20.	पंजाब	3
21.	राजस्थान	2
22.	सिक्किम	–
23.	तमिलनाडु	8
24.	उत्तर प्रदेश	3
25.	उत्तरांचल	2
26.	प. बंगाल	–
	कुल	108

विवरण II

सीटें बढ़ाने हेतु राज्य-वार लंबित प्रस्ताव

राज्य	कालेज का नाम	किस वर्ष प्रस्ताव प्राप्त हुआ था
1	2	3
गुजरात		
	1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, भावनगर	2004
	2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कालेज, राजकोट	2004
	3. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत	2004
महाराष्ट्र		
	4. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा	2003
	5. डा. वाई पाटील मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई	2004
	6. कृष्णा आयुर्विज्ञान संस्थान, कराड, महाराष्ट्र	2004

1	2	3
	7. एम.जी.एस. मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	2004
	8. एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई	2004
राजस्थान		
	9. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोटा	2004
उत्तर प्रदेश		
	10. संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद	2004
तमिलनाडु		
	11. गवर्नमेंट किलपौक मेडिकल कालेज, चेन्नई	2004
	12. गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कालेज, सेलम	2004
पंजाब		
	13. श्री गुरु रामदास आयुर्विज्ञान संस्थान, अमृतसर	2004

परिवार नियोजन शिविर

6840. श्रीमती रंजीत रंजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में परिवार नियोजन शिविर आयोजित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार परिवार नियोजन शिविर आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने गांवों में परिवार नियोजन शिविर लगाने के बारे में कोई निदेश नहीं दिए हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आमतौर पर नसबंदी आपरेशन करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों पर श्री रमाकान्त राय द्वारा दायर 1.3.2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 209/2003 पर अपने आदेश में कुछ निर्देश दिए हैं। ये दिशानिर्देश आयोजित किए जाने वाले परिवार नियोजन शिविरों पर लागू होंगे।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को द्वितीय ए.सी.पी. प्रदान करना

6841. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री पी. मोहन:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **प्रधानमंत्री** 9 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे मंत्रालय/विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन-कौन से हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को द्वितीय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.) प्रदान की है;

(ख) वे मंत्रालय/विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन-कौन से हैं, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को द्वितीय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.) प्रदान नहीं की है;

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के भाग (ग) तथा (घ) में दिए गए उत्तर के अनुसार इसमें निरीक्षण एवं नियंत्रण के उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उन मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का

प्रस्ताव है जिन्होंने कर्मचारियों को द्वितीय ए.सी.पी. प्रदान नहीं की है;

(ङ) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को द्वितीय ए.सी.पी. देने के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई परिपत्र जारी किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना, केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होती। जहां तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विदित है, यह योजना विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वित की गई है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती। यह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का दायित्व है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करे।

(ग) सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण व्यथित कर्मचारी अपना मामला विभागीय स्तर पर अथवा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) के माध्यम से उठा सकते हैं। इस योजना के प्रावधानों के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में यदि कोई विभाग इस योजना का कार्यान्वयन रोकता है तो वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श भी कर सकता है। मंत्रालय/विभाग के आंतरिक वित्त प्रभाग/वेतन एवं लेखा संगठन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी योजना के ठीक रूप से लागू होने की जांच कर लें।

(घ) किसी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना का कार्यान्वयन न किए जाने का कोई विशिष्ट प्रकरण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नोटिस में नहीं आया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन की मंजूरी न दिए जाने के किसी भी मामले की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नहीं मिली है।

एनएलसी का आधुनिकीकरण

6842. श्री रविचंद्रन सिप्पीपार्थ: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के पुनर्गठन/आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। एनएलसी ने भारत सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू करके अपने क्रियाकलाप के दायरे का विस्तार किया है।

(1) 2161.28 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा खान-II का 10.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 15.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष का विस्तार

(2) 2030.78 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय तापीय विद्युत स्टेशन (2 × 25 का विस्तार मे. वा.) का विस्तार।

(3) 254.07 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 2.10 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की नयी खान अर्थात बरसिंगसर लिग्नाइट खान एवं 1114.18 करोड़ रुपए की लागत से तापीय विद्युत स्टेशन (2 × 125 मे.वा.) खोलना।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को चौड़ा करना

6843. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी लखीमपुर तथा मंगलडोई में बाइपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के सुधार तथा उसे चौड़ा करने के लिए दसवीं योजना में कुल कितना परिव्यय निर्धारित है तथा प्रत्येक क्षेत्र में वर्षवार लक्ष्य आबंटन तथा उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) सिमेन तथा जियाबराली नदी पर पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) लकड़ी के ऐसे पुलों की संख्या कितनी है, जिन्हें ठोस तथा शोल्डर सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) दसवीं योजना के दौरान अब तक रा रा-52 की 33 कि.मी. और 182 कि.मी. लंबाई

में क्रमशः चौड़ीकरण और सुधार (सड़क गुणता सुधार और सुदृढ़ीकरण) का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्षवार और क्षेत्रवार आबंटन तथा मार्च 2005 तक उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रु.)			उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु.)		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
बैहताचरली से थालामारा (0 से 133 कि.मी.)	3.81	7.40	4.00	3.81	7.40	4.00
थालामारा से अकाजन (113 से 440 कि.मी.)	2.90	8.16	12.42	2.90	8.16	12.42
अकाजन से रुपाई (440 से 876 कि.मी.)	24.00	17.55	21.26	24.00	17.55	21.26

दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फिलहाल, उत्तर लखीमपुर और मंगलडोई में बाइपासों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) चालू वित्त वर्ष में सिमेन नदी पर पुल के निर्माण के लिए अब मृदा जांच करने का प्रस्ताव है। पुल का वास्तविक निर्माण 2006-07 में शुरू करने की योजना है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जियाबराली नदी पर पुल के लिए मॉडल अध्ययन दिसंबर, 2004 में शुरू हुआ है इसके शुरू होने की तारीख से 19 महीनों में पूरे हो जाने की संभावना है। उक्त अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर प्रस्तावित पुल के निर्माण की साध्यता सुनिश्चित की जा सकती है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर विभिन्न स्थानों पर लकड़ी के 18 पुल हैं। सीमा सड़क संगठन जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और अनुरक्षण कर रहा है, ने सन् 2010 तक इन पुलों के स्थान पर स्थायी आर सी सी पुल के निर्माण की योजना बनाई है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। शोल्डरों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य का हिस्सा है और ऐसे कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

भारत निर्माण योजना के लिए लक्ष्य

6844. डा. टोकचोम मैन्याः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण योजना के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में खर्च होने वाली कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत निर्माण योजना के लिए धनराशि किस प्रकार जुटाए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) भारत निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक लक्ष्यों तथा निधियों की कुल मात्रा और वे तौर-तरीके, जिनके द्वारा निधियां जुटाई जायेंगी, को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आउटसोर्सिंग द्वारा कोयले का उत्पादन

6845. श्री भर्तृहरि महताबः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कोयला कंपनियों में आउटसोर्सिंग द्वारा कोयले का उत्पादन आरंभ हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। कोयला उत्पादन में कुछ क्रियाकलाप किराए पर लिए गए उपकरणों द्वारा किए जाते हैं। किराए पर लिए गए उपकरण द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड का कोयले का कंपनी-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:

कंपनी	2004-05 किराए पर लिए गए उपकरण द्वारा किया गया उत्पादन लाख टन में (अनंतिम)
ईसीएल	20.60
बीसीसीएल	52.23
सीसीएल	125.22
डब्ल्यूसीएल	25.22
एसईसीएल	591.68
एमसीएल	630.83
एनईसी	4.78
जोड़	1450.56

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की सेवाओं की गुणवत्ता

6846. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मोबाइल जी.एस.एम. तथा सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी के लिए अलग-अलग सेवाओं की गुणवत्ता क्या है;

(ग) क्या ट्राई को प्राप्त फीडबैक के अनुसार वायरलाइन अथवा वॉयरलैस, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा गुणवत्ता प्रदान करते हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल., फिक्स्ड लाइन फोन सेवा के लिए निर्धारत सेवा गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। ट्राई ने दिनांक 5.7.2000 की राजपत्र अधिसूचना सं. 112-17/98-ट्राई (टैक) खंड-3 के तहत बुनियादी एवं सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर लागू सेवा-गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों का निर्धारण किया है। मोबाइल सेवाओं के लिए विनियमन में निर्धारित ये मानदण्ड (बेंचमार्क) जीएसएम एवं सीडीएमए दोनों प्रौद्योगिकियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। अधिसूचना से लिए गए उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) बुनियादी सेवा हेतु निर्धारित सेवा-गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर तार एवं बेतार दोनों प्रौद्योगिकियों पर लागू होते हैं। तथापि, ट्राई को प्राप्त सूचना के अनुसार, नये कनेक्शन प्रदान करने, दोष उत्पन्न होने, अगले कार्य दिवस तक दोष मरम्मत किए जाने और फोनों की दोष-मरम्मत, शिफ्टिंग तथा उन्हें बंद करने में लगने वाले समय से संबंधित पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए तारशुदा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले प्रचालकों के कार्य-निष्पादन की तुलना में बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी सेवा प्रदान करने वाले प्रचालकों का कार्य-निष्पादन बेहतर है।

(ङ) और (च) दिसम्बर, 2004 को समाप्त तिमाही की कार्य-निष्पादन अनुश्रवण रिपोर्ट (पीएमआर) के अनुसार, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल कुछ पैरामीटरों के संबंध में निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं। एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को विरासत में प्राप्त नेटवर्क कॉपर पर आधारित है, जिनका रख-रखाव करना कठिन है और वे काफी पुरानी और दोष-प्रवण हैं। बीएसएनएल की लगभग एक तिहाई दूरसंचार लाइनें एवं 79% टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण, दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहां पावर या विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति नहीं है। इसके अलावा, तेजी से बदलते परिदृश्य में कुछ क्षेत्र तकनीकी रूप से असाध्य हो जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रम, नेटवर्क का आधुनिकीकरण करके, वहनीय दरों पर नवीनतम सेवाएं प्रदान करके तथा बेहतर ग्राहक सेवा सुविधा देकर, सेवा संबंधी पैरामीटरों को पूरा करने के लिए सतत् कार्रवाई कर रहे हैं।

विवरण

बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, 2000 की सेवा-गुणवत्ता पर ट्राई विनियमन से लिए गए उद्धरण (2002 का 2)

खण्ड-IV

सेवा-गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर:

क्र.सं.	पैरामीटर	12 माह की समाप्ति से पूर्व अल्पावधि	24 माह की समाप्ति से पूर्व मध्यवर्ती अवधि	48 माह की अवधि से पूर्व दीर्घावधि	औसत अवधि में
1	2	3	4	5	6
(1) बुनियादी दूरसंचार सेवाओं हेतु:					
1.	मांग के पंजीकरण के पश्चात टेलीफोन प्रदान करना	< 21 दिन	< 15 दिन	< 7 दिन	एक तिमाही

1	2	3	4	5	6
2.	दोष संबंधी घटनाएं (दोषों की संख्या/100 उपभोक्ता/माह)	< 12	< 7	< 3	एक तिमाही
3.	अगले कार्य दिवस तक दोष सुधार	> 85%	> 87%	> 90%	एक माह
4.	दोष-सुधार में लगने वाला समय (एमटीटीआर)	< 24 घंटे	< 12 घंटे	< 8 घंटे	एक माह
5.	डायल टोन विलंब	400 एमएस के बराबर या उससे कम औसत मूल्य सहित 600 एम सेकेण्ड से अनधिक 0.90 संभाव्यता	400 एमएस के बराबर या उससे कम औसत मूल्य सहित 600 एम सेकेण्ड अनधिक होने की 0.92 संभाव्यता	400 एमएस के बराबर या उससे कम औसत मूल्य सहित 600एम सेकेण्ड से अनधिक 0.95 संभाव्यता	एक तिमाही
6.	सेवा का ग्रेड	(क) स्थानीय एक्सचेंजों के बीच जंक्शन-0.002 (ख) टीएएक्स से स्थानीय एक्सचेंज में आऊटगोइंग जंक्शन-0.005 (ग) स्थानीय एक्सचेंज से टैक्स में इनकमिंग जंक्शन-0.005 (घ) टैक्स के 0.005 के बीच इनकमिंग या आउटगोईंग जंक्शन (ङ) स्विचिंग नेटवर्क नॉन-ब्लॉकिंग होना चाहिए या ब्लॉकिंग की संभावना बहुत ही कम होनी चाहिए।	अल्पावधि के अनुसार	अल्पावधि के अनुसार	एक तिमाही
7.	स्थानीय नेटवर्क के भीतर कॉल समाप्त दर इससे बेहतर होनी चाहिए	> 55%	> 60%	> 65%	
8.	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता	एक बिलिंग चक्र में जारी बिलों के 0.2% से अधिक बिलों पर विवाद नहीं होना चाहिए।	एक बिलिंग चक्र में जारी 0.15% से अधिक बिलों पर विवाद नहीं होना चाहिए	बिलिंग चक्र में जारी 0.1% से अधिक बिलों पर विवाद नहीं होना चाहिए	एक बिलिंग चक्र

1	2	3	4	5	6
9.	प्रचलित मददशुदा ट्रंक कॉल	जरूरी कॉल < 1 घंटा 30 मिनट विलंब	जरूरी कॉल < 1 घंटा 15 मिनट विलंब	जरूरी कॉल < 1 घंटा विलंब	एक महीना
		साधारण कॉल < 2 घंटा 30 मिनट विलंब	साधारण कॉल < 2 घंटा 15 मिनट विलंब	साधारण कॉल < 2 घंटे विलंब	
10.	अन्य प्रचालक मददशुदा सेवाओं के लिए प्रत्युत्तर समय	85% कॉल < 10	90% कॉल < 10 सेकेण्ड	95% कॉल < सेकेण्ड	
11.	ग्राहक सेवा (ग्राहकों के अनुरोध अटेंड करने में तत्परता अनुरोधों का 95%)				एक महीना
	- - स्थानांतरण	< 7 दिन	< 5 दिन	< 3 दिन	
	- - फोन बंद करना	< 24 घंटे	< 24 घंटे	< 24 घंटे	
	- - अतिरिक्त सुविधा	< 48 घंटे	< 36 घंटे	< 24 घंटे	
12.	बारम्बार उत्पन्न दोषों का प्रतिशत	< 2%	< 1.5%	< 1%	एक महीना
13.	सेवाओं के संबंध में ग्राहक धारणा				
	(1) सेवा से संतुष्ट %	> 80	> 90	> 95	
	(2) बिलिंग संबंधी कार्य निष्पादन से संतुष्ट %	> 80	> 85	> 90	
	(3) सहायता सेवाओं से संतुष्ट %	>80	> 85	> 90	
	(4) नेटवर्क कार्यनिष्पादन, विश्वसनीयता तथा उपलब्धता से संतुष्ट %	> 85	> 90	> 95	
	(5) रख-रखाव से संतुष्ट %	> 85	> 90	> 95	
	(6) समग्र ग्राहक संतुष्टि	> 80	> 85	> 95	
	(7) पेश की गई पूरक सेवाओं से ग्राहक संतुष्टि % संतुष्ट	> 80	> 85	> 95	

क्र.सं.	पैरामीटर	अत्यावधि (12 महीने की समाप्ति से पहले)	मध्यवर्ती अवधि (24 महीने की समाप्ति से पहले)	दीर्घावधि 36 महीने की समाप्ति से पहले)	निम्नलिखित अवधि का औसत
1	2	3	4	5	6
	(ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर:				
	क. खराबी आना और मरम्मत				
	(1) खराबी आना (दोषों की संख्या/100 उपभोक्ता/माह	< 3	< 2	< 1	एक तिमाही
	(2) 24 घंटे के भीतर खराबी ठीक की गई	> 98%	> 99%	> 100%	एक तिमाही
	(3) समुदायों के बीच संपर्क टूटे रहने की कुल अवधि	< 24 घंटे	< 24 घंटे	< 24 घंटे	एक तिमाही
	ख. नेटवर्क निष्पादन				
	(1) कॉल सफलता दर (लाइसेंसधारकों के अपने ही नेटवर्क के भीतर)	> 98%	> 98%	> 99%	एक तिमाही
	(2) सेवा की अभिगम्यता में विलंब	पेजिंग प्रयासों की संख्या के आधार पर 9 से 20 सेकंडों के बीच (100 कॉलों का औसत - < 15 से.)			एक तिमाही
	(3) कॉल ड्रॉप दर	< 4%	< 3.5%	< 3%	एक तिमाही
	(4) अच्छी आवाज की गुणवत्ता वाले कनेक्शनों का प्रतिशत	> 90%	> 92%	> 95%	एक तिमाही
	ग. बिल संबंधी शिकायतें				
	(1) जारी किए गए प्रति 100 बिलों पर बिलिंग संबंधी शिकायतें	< 0.2%	< 0.15%	< 0.1%	एक तिमाही
	(2) 4 सप्ताह के भीतर निपटायी गई बिल संबंधी शिकायतों का प्रतिशत	> 99%	> 100%	> 100%	एक तिमाही
	(3) उपर्युक्त (2) के अनुसार शिकायतों के निपटान की तारीख से ग्राहकों को देय सभी राशियों के रिफंड/भुगतानों की अवधि	< 6 सप्ताह	< 5 सप्ताह	< 4 सप्ताह	एक तिमाही
	घ. सेवा के संबंध में ग्राहकों के अनुभव				
	(1) सेवा के प्रावधान से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 80	> 90	> 95	
	(2) बिल संबंधी निष्पादन से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 80	> 85	> 90	
	(3) सहायता सेवाओं से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 80	> 85	> 90	

1	2	3	4	5	6
	(4) नेटवर्क के निष्पादन, विश्वसनीयता और उपलब्धता से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 85	> 90	> 95	
	(5) रख रखाव से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 85	> 90	> 95	
	(6) समग्र ग्राहक-संतुष्टि	> 80	> 85	> 95	
	(7) दी गई पूरक सेवाओं से संतुष्ट ग्राहकों का %	> 80	> 85	> 95	

कोयले का आयात

6847. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री एस. के. खारवेनथन:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है जबकि देश में उसके उत्पादक का व्यापक दायरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार तथा किस्मवार कोयले का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(घ) सरकार द्वारा देश में कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या आयात किए गए कोयले की गुणवत्ता घरेलू कोयले की तुलना में अच्छी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) भारत में कोकिंग कोयले के सीमित भंडारों के कारण इस्पात तथा सम्बद्ध उद्योगों द्वारा मांग तथा आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। इसी भांति, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता तथा लागत के आधार पर नान कोकिंग-कोयला कुछ मात्रा में आयात किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (दिस. 2004 तक) के दौरान, देशवार तथा किस्मवार आयातों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) कोल इंडिया लि. ने मांग तथा घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने तथा कोयले की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) दसवीं योजना के दौरान 99 परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार किया गया है।

(2) गृहीत खनन हेतु अन्त्य उपयोगकर्ताओं को कोयला ब्लाकों का आवंटन।

(3) उपकरण के उपयोग में सुधार।

(4) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण।

(5) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।

(ङ) और (च) पारंपरिक रूप से भारतीय कोयला अपनी भूगर्भीय संरचना में ही बाह्य सामग्री के मिश्रण के कारण, उच्च राख तथा निम्न कैलोरिफिक मूल्य वाला है और सामान्यत: आयातित कोयले में निम्न कोयला राख तत्व तथा उच्च कैलोरिफिक मूल्य वाले गुण हैं।

विवरण

स्रोत: वर्ष 2002-03 के दौरान भारत द्वारा देश-वार तथा किस्म-वार किया गया कोयले का आयात

(मात्रा मिलियन टन तथा मूल्य मिलियन रुपए में)

देश	कोककर कोयला मात्रा	नॉन-कोककर कोयला मात्रा	कुल कोयला मात्रा
आस्ट्रेलिया	11.398	1.302	12.700
इंडोनेशिया	0.061	3.905	3.966
साउथ अफ्रीका	0.732	2.861	3.593
चीन लोक गणराज्य	0.574	1.418	1.991
संयुक्त अरब अमीरात	0.000	0.191	0.191
सिंगापुर	0.000	0.168	0.168
न्यूजीलैंड	0.148	0.000	0.148
स्वीटजरलैंड	0.000	0.134	0.134
अन्य	0.034	0.334	0.369
जोड़	12,947	10.313	23.260

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

स्रोत: वर्ष 2003-04 के दौरान भारत द्वारा देश-वार तथा किस्म-वार किया गया कोयले का आयात

(मात्रा मिलियन टन तथा मूल्य मिलियन रुपए में)

देश	कोककर कोयला मात्रा	नॉन-कोककर कोयला मात्रा	कुल कोयला मात्रा
आस्ट्रेलिया	12.521	0.789	13.310
इंडोनेशिया	0.019	5.652	5.672
चीन लोक गणराज्य	0.263	1.446	1.709
साउथ अफ्रीका	–	0.642	0.642
न्यूजीलैण्ड	0.093	–	0.093
स्वीटजरलैण्ड	0.008	0.042	0.050
कोरिया आर.पी.	–	0.026	0.026
यू.एस.ए.	0.018	0.001	0.019
अन्य	0.070	0.093	0.162
जोड़	12.992	8.691	21.683

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

स्रोत: वर्ष 2004-05 (दिसम्बर, 2004 तक) के दौरान भारत द्वारा देश-वार तथा किस्म-वार किया गया कोयले का आयात

(मात्रा मिलियन टन तथा मूल्य मिलियन रुपए में)

देश	कोककर कोयला मात्रा	नॉन-कोककर कोयला मात्रा	कुल कोयला मात्रा
आस्ट्रेलिया	8.917	0.175	9.092
इंडोनेशिया	0.207	5.739	5.946
चीन पी.आरपी.	0.455	1.118	1.573
यू.एस.ए.	0.539	0.002	0.541
साउथ अफ्रीका	0.065	0.287	0.352
न्यूजीलैंड	0.201	0.000	0.201
वियतनाम एसओसी गणराज्य	0.007	0.152	0.159
रूस	0.132	0.021	0.154
ताइवान	0.100	0.000	0.100
कनाडा	0.048	0.000	0.048
पोलैंड	0.045	0.000	0.045
अन्य	0.078	0.009	0.086
जोड़	10.794	7.503	18.297

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

[हिन्दी]

सड़क निर्माण परियोजनाएं

6848. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री मो. ताहिर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है जिसमें राज्यों की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा तथा उनकी मरम्मत की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा होने की संभावना है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए कितने सड़क उपरिपुलों को मंजूरी दी गई है; और

(ङ) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी सड़क निर्माण परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य भी शामिल है। वर्ष 2005-06 के दौरान विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की 7,078 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने, दो लेन बनाने, सुदृढ़ीकरण और गुणता सुधार जैसे विभिन्न विकास कार्यों का कार्यक्रम है जो वर्ष 2005-06 के बजट के अनुमोदन के अध्यधीन है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 73 सड़क ऊपरि पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 के अंतर्गत 32 ठेके और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत 29 खंड निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्माण, प्रचालन और हस्तातंरण आधार पर शुरू किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं/योजना है। इसके अतिरिक्त, अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र की भागदारी से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर एक-एक परियोजना की योजना है। शेष कार्य बजट संसाधनों से वित्त पोषित किए जाने हैं।

[अनुवाद]

भूमिगत खनन

6849. श्री सुबोध मोहिते: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिगत खनन के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सौंपा गया कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी खानों की संख्या कितनी है जहां अब भी भूमिगत कार्य चल रहा है;

(घ) क्या सरकार इन खानों में कार्य जारी रखने की अनुमति देने पर विचारी कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार उन कोयला कंपनियों के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करती है जहां पूंजी निवेश 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक का होता है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) का कोई भूमिगत परियोजना प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है।

(ग) दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूसीएल में 44 भूमिगत खाने हैं जो प्रचालनरत हैं।

(घ) से (च) डब्ल्यूसीएल का 2005-06 में 40 खानों को प्रचालित किए जाने का प्रस्ताव है। डब्ल्यूसीएल की जो भूमिगत खानें 2005-06 में प्रचालित की जाएंगी, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2005-06 में प्रचालित की जाने वाली डब्ल्यू.सी.एल. की भूमिगत खानें

क्र.सं.	परियोजना/खान का नाम	लक्ष्य (मिलियन टन) (2005-06 बजट अनुमान)
1	2	3
1.	अम्बारा	0.14
2.	चांदा रैयतवाड़ी	0.04
3.	गनपती	0.08
4.	महाकाली	0.22
5.	न्यू माजरी	0.31
6.	रावनवारा खास	0.12
7.	बल्लारपुर आ.ओ.	0.19
8.	छत्तरपुर-1 (छत्तरपुर-3 भंडार सहित)	0.12
9.	छत्तरपुर-2	0.17
10.	दमुआ ईस्ट फेस-1	0.09
11.	दुर्गापुर रैयतवाड़ी आर.पी. आर.	0.33
12.	गजेनडोह	0.11
13.	हिन्दुस्तान लालपेथ	0.43
14.	इन्द्र	0.10
15.	झरना	0.18
16.	महोदवपुरी	0.06
17.	मथानी	0.12
18.	मौरी ब्लाक आर.सी.ई.	0.40
19.	नंदन/धाऊ विस्तार	0.38
20.	पतनसाओंगी आर.पी.आर (पतनसाओंगी योजना सहित)	0.15
21.	पाथाखेरा विस्तार	0.50

1	2	3
22.	पिपला	0.14
23.	राजूर (आर.ओ. सहित)	0.21
24.	सोनेर आर.पी.आर. (विस्तार सहित)	0.90
25.	सरनी	0.31
26.	सतपुरा	0.50
27.	सस्ती आर.ओ.	0.21
28.	शोभापुर	0.50
29.	सिलेवाड़ा फेस-2	0.52
30.	टांडसी आर.पी.आर.	0.05
31.	तावा फेस-1	0.60
32.	थेसगोरा	0.14
33.	विश्नुपुरी-1	0.09
34.	विश्नुपुरी-2	0.11
35.	अदाशा	0.08
36.	दुर्गापुर रैयत. 6.7 और 8 इन्क्लाइन्स	0.10
37.	कुम्बेरखानी	0.35
38.	मोरपर	0.10
39.	नहारिया	0.30
40.	टांडसी विस्तार	0.35
	जोड़	9.80

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

6850. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इसके अंतर्गत अब तक कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है; और

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान 58,940 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 2005 तक लगभग 4059 कि.मी. में 4/6 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अलावा दसवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 2005 तक अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 99 कि.मी. में 4 लेन बनाई गई है, 2101 कि.मी. में एकल लेन के स्थान पर दो लेन बनाई गई हैं, 2075 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण किया गया है और लगभग 11719 कि.मी. में गुणता सुधार किया गया है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 2005 तक 21,021.98 करोड़ रु. (अनंतिम) का व्यय किया गया है।

[अनुवाद]

हेलमेटों का इस्तेमाल

6851. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य की सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेटों का इस्तेमाल तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए टेस्ट राइड को अनिवार्य किया जाएगा; और

(ग) हेलमेटों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 4.15 करोड़ दुपहिया वाहन हैं।

(ख) सार्वजनिक स्थान पर दुपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, सिवाए ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के जिन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत छूट दी गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इसे शामिल करते हुए प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

मनोरोग स्वास्थ्य गृह

6852. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनोरोग स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के लागू होने के कारण केरल में स्वयंसेवी क्षेत्र में बड़ी संख्या में समुदाय आधारित मनोरोग स्वास्थ्य पुनर्वास हाफ-वे-होम्स बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार को प्रदान की गई सूचना के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन के कारण केरल में स्वयंसेवी क्षेत्र में हाफ-वे-होम्स बंद होने के कगार पर होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत केरल में तीन संगठनों अर्थात् अभय, तिरुवनन्तपुरम्, शेलोम करुण्या न्यास, पतनमथिट्टा और सेंट जोसफ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या गृह, त्रिस्सूर को उपचारित और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों जिनके रोग को नियंत्रित कर लिया गया है, के मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ-वे-होम्स चलाने के लिए सहायतानुदान प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

कोल लिंकेज के लिए लंबित पड़े आवेदन

6853. श्री प्रदीप गांधी:
श्री विष्णु देव साय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव विद्युत स्टेशनों की स्थापना करने हेतु कोल लिंकेज के लिए सरकार के पास लंबित पड़े कंपनियों के आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित पड़े आवेदन कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में कोर क्षेत्रों में निजी कंपनियों को कोयला लिंकेज हेतु जांचाधीन आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है:

(1) गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.)	–	25
(2) स्पॉज आयरन	–	44
(3) लोहा एवं इस्पात	–	शून्य
(4) सीमेंट	–	शून्य

(ग) एक विशेष स्रोत पर कोयले की उपलब्धता और उपभोक्ताओं द्वारा पात्रता शर्तें पूरा करने के अधीन लिंकेज प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वी.ओ.आई.पी. के माध्यम से इंटरनेट टेलीफोनी

6854. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल (वी.ओ.आई.पी.) के माध्यम से इंटरनेट टेलीफोनी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि विदेशों में की गई ऐसी कालों का कोई भी सुराग शेष नहीं रहता है;

(ख) क्या गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल के कई इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाता विभिन्न विदेशी अपंजीकृत कंपनियों के कालिंग काडों की बिक्री कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.टी.एस.पी. लाइसेंस धारक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सभी कॉल रिकार्डों का ब्यौरा तैयार करते हैं;

(घ) क्या सुरक्षा कारणों के अलावा आई.टी.एस.पी. द्वारा ऐसे गुप्त प्रचालनों से केन्द्र सरकार को राजस्व की बहुत हानि उठानी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड में कर्मचारियों की कमी

6855. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप हजारों परियोजनाएं जांच के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को उसके कार्य के सुचारू निष्पादनार्थ आयुष विभाग और उसके अधीन कार्यरत संगठनों से अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। 3 पदों यथा वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, आशुलिपिक श्रेणी 'घ' और कंप्यूटर प्रचालक तथा बाह्य साधन सेवाओं के 2 पदों यथा ड्राइवर और संदेशवाहक के सृजनार्थ व्यय विभाग का अनुमोदन ले लिया गया है। बोर्ड में 30 अतिरिक्त पदों के सृजन का व्यापक प्रस्ताव व्यय विभाग को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों के अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सुविधाएं

6856. श्री टेकलाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोलफील्ड्स की कोयला खानों से सटे हुए क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोलफील्ड्स के अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने व्यक्तियों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इस सुविधा को अब वापस ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सुविधा को जनहित में पुन: उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक पुन: उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का श्रेणीकरण

6857. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि एवं ग्राम आधारित उद्योगों के श्रेणीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ख) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के रूप में किन-किन उद्योगों का श्रेणीकरण किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कृषि/ग्राम आधारित उद्योगों द्वारा कितनी प्रगति की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जहां तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का संबंध है, खादी और ग्राम उद्योगों की परिभाषा खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में दी गई है।

(ख) कृषि और ग्रामीण उद्योगों को केवीआईसी फोल्ड में 7 बड़ी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है:

(1) खनिज आधारित उद्योग

(2) वन आधारित उद्योग

(3) कृषि और खाद्य संसाधन उद्योग

(4) पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग

(5) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग

(6) सेवा और वस्त्र उद्योग।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2001-02, 2002-03 और 2003-04) के दौरान उत्पादन, और रोजगार के बारे में इन उद्योगों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी जा रही है।

विवरण

केवीआईसी फोल्ड में 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योगों द्वारा सृजित उत्पादन और रोजगार का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	2001-02		2002-03		2003-04	
		उत्पादन (लाख रु.)	रोजगार (लाख (व्यक्ति)	उत्पादन (लाख रु.)	रोजगार (लाख (व्यक्ति)	उत्पादन (लाख रु.)	रोजगार (लाख (व्यक्ति)
1.	खनिज आधारित उद्योग	105946.42	9.64	125684.02	10.34	151562.17	11.54
2.	वन आधारित उद्योग	57807.91	4.02	73796.85	4.10	85495.4	4.44
3.	पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग	131638.11	8.06	137224.44	8.62	146465.47	8.73
4.	कृषि और खाद्य संसाधन उद्योग	230118.8	23.59	218970.53	21.91	250386.58	22.8
5.	ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग	144216.71	6.45	157880.86	6.85	183615.54	7.58
6.	हैण्ड मेड पेपर और फाइबर उद्योग	0.00	0.00	39695.05	3.49	44730.97	3.63
7.	सेवा और वस्त्र उद्योग	44324.39	2.39	59377.82	2.57	60571.03	3.86
	जोड़	714052.34	54.15	812629.57	57.88	922827.16	62.58

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

6858. श्री रामकृपाल यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. का निकट भविष्य में भारी निवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत संचार निगम लि. द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन-कौन सी विशेष योजनाएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल ने अगले तीन वर्षों के दौरान, निवेश हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	राशि
2005-06	27000 करोड़ रु.
2006-07	27250 करोड़ रु.
2007-08	26350 करोड़ रु.

(ग) चालू वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित योजनाएं निम्नवत हैं:

1. प्रदान की जाने वाली ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या	14,00,000
2. प्रदान किए जाने वाले ग्रामीण सामुदायिक फोनों की संख्या	5992
3. प्रदान किए जाने वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या	12509
4. बदले जाने वाले एमएआरआर टेलीफोनों की संख्या	76734

(घ) फिलहाल, बीएसएनएल अपने आंतरिक संसाधनों से इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण करता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर, प्रतिस्पर्धात्मक वाणिज्यिक शर्तों पर बाजार से ऋण लिया जा सकता है।

गुजरात में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद केन्द्र

6859. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का गुजरात में केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर नामक केन्द्र पहले से ही है और किन्हीं नए केन्द्रों की स्थापना का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सहयाद्री पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटियों का पता लगाना

6860. श्री देविदास पिंगले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विभिन्न जड़ी-बूटियों के आयुर्वेदिक महत्व को ध्यान में रखकर सहयाद्री पर्वतीय क्षेत्र में उनका पता लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) आयुष विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के पास थाल घाट, लोंदा, खानपुर, कोल्हापुर, सतारा, महाबलेश्वर, पंचघाट, कोलाबा, जलगांव, भुसावल, अहमदनगर, शिरडीघाट, संपाजी घाट और सुब्रमण्य के क्षेत्रों में आयुर्वेदिक महत्व के औषधीय पादपों का सर्वेक्षण करने की योजना है। परिषद् पुणे में एक औषधीय पादप उद्यान का अनुरक्षण भी कर रही है जिसमें सहयाद्री पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आयुर्वेदिक महत्व के कई औषधीय पादप हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 पर पुल

6861. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 पर भागलपुर के नाथनगर में 100 वर्षों पूर्व चम्पा नाला पुल का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पुल किसी भी समय गिर सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इसके स्थान पर नए पुल का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो नए पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना के अनुसार बिहार में रा रा-80 पर भागलपुर के समीप चंपा नाले पर 123 कि.मी. में विद्यमान स्क्रू पाइल पुल का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। चूंकि यह पुल पुराना, कमजोर और संकरा है, सीमित भार वाले यातायात को ही इस पुल से गुजरने की अनुमति दी जा रही है। अभी हाल में इस पुल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भागलपुर बाइपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्राक्कलन अक्टूबर, 2004 में स्वीकृत किया गया था जिसमें चंपा नाले पर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है और इस कार्य को सौंपने को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अत: इस पुल के निर्माण का समय बता पाना संभव नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु योजनाएं

6862. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनाई गई और उक्त प्रयोजन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वैज्ञानिक केन्द्रों में विकसित नई तकनीकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैज्ञानिक समुदाय योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला खान पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सुधार

6863. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कर्मचारियों की कोयला खान पेंशन योजना 1998 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सरकार के अंशदान में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह मंहगाई भत्ता दिया जाता है;,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयला खान कर्मचारियों की पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि में कोयला कर्मचारी संघ की मांगों के अनुसार सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान पेंशन योजना-1998 में सरकार का अंशदान 1600 रु. प्रतिमाह के अधिकतम वेतन के अधीन कर्मचारियों के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर है तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 हेतु सरकार का अंशदान 5000 रु. प्रतिमाह के अधिकतम वेतन के अधीन कर्मचारियों के वेतन का 1.16% है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना तथा कोयला खान पेंशन योजना-1998 दो अलग-अलग योजनाएं हैं जिनके अंशदान, आदि के प्रावधानों में अंतर है। कोयला खान पेंशन योजना-1998 के अंतर्गत आने वाले लाभ लाभप्राप्तकर्ताओं को अंशदायी भविष्य निधि के अतिरिक्त ग्राह्य हैं जिसमें कोयला कंपनियां भविष्य निधि में वेतन के 12% का अंशदान करतीं हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में, ऐसी कोई अंशदायी भविष्य निधि नहीं है। अत: केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना और कोयला खान पेंशन योजना-1998 के बीच तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) सदस्यों की मांग तथा सम्बद्ध निधियों की सम्पोषणता को भी ध्यान में रखते हुए कोयला खान पेंशन योजना-1998 तथा भविष्य निधि योजनाओं में सुधार करने के समय-समय पर उनमें संशोधन किए जाते हैं।

[अनुवाद]

फार्मासिस्टों के रिक्त पद

6864. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 9 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3962 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार सी.जी.एच.एस. दिल्ली में आयुर्वेद के तीन और होमियोपैथी के चार फार्मासिस्टों के पद रिक्त पड़े हुए थे;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रोजगार कार्यालय ने अगस्त, 2003 में होमियोपैथी/आयुर्वेद फार्मासिस्टों के पदों हेतु आवेदकों के नाम भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो इन पदों को अब तक रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनराशि का उपयोग न करना

6865. श्री मणि कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान विकास कार्यों हेतु स्वीकृत कुल 2180.73 करोड़ रुपये में से 368 करोड़ रुपयों का उपयोग ही नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वजह से किन-किन योजनाओं और परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और विलंबित हुई है; और

(ग) इस विलंब से प्रभावित हुई परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) सरकार को जानकारी नहीं है, क्योंकि असम की राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान शुरू किए गए विकास कार्यों हेतु व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवर सचिवों का पैनल

6866. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 के बाद 1987 से 1996 तक के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के अवर सचिवों का एक पैनल तैयार किया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित कार्मिकों के लिए वर्ष, 1999 के संशोधित नियमों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने संबंधित अवधियों में विद्यमान केन्द्रीय सचिवालय नियमों पर आधारित पैनलों में संशोधन करने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो कैट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12 के उप नियम (2) के तृतीय परन्तुक में अनुमत्य चार वर्ष की अनुमोदित सेवा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ अनुभाग अधिकारियों के विचारण का दिनांक 8.3.1999 की अधिसूचना द्वारा लोप किया गया, जबकि उनके कनिष्ठ अधिकारियों का ग्रेड-1 (अवर सचिव) की पदोन्नति हेतु विचारण किया जा रहा था। वर्ष, 1987 से 1996 तक की ग्रेड-1 चयन सूचियों को तैयार किया और वर्ष, 2000 और उसके बाद से जारी किया गया। इन चयन सूचियों को दिनांक 8.3.1999 की अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के परन्तुकों के अनुसार तैयार किया गया।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 30.11.04 के आदेश की समीक्षा हेतु एक आवेदन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किया गया है।

निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज की परियोजना लागत

6867. श्री गुरुदास कामत: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज की परियोजना लागत में वृद्धि करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक एक्सप्रेसवे के लिए राज्यवार कुल कितनी वृद्धि किए जाने का अनुमान है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधियों और उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताएं

6868. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों द्वारा मशीनों, उपभोक्ता वस्तुओं, आयातित उपकरणों की खरीद में विभिन्न कथित अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी अस्पतालों को कितनी धनराशि का घाटा हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, मशीनों, उपभोज्य सामग्रियों की खरीद तथा आयातित उपकरणों के संबंध में कथित अनियमितताओं का कोई भी मामला विगत एक वर्ष में सूचित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नए जीन्स की खोज

6869. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्स-क्रोमोजोम पर कार्य कर रहे एक भारत अमरीकी दल ने दर्जनों नए जीन्सों की खोज की है जिनसे मंद बुद्धि और अन्य विकृतियों पर अनुसंधान में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई खोज का सरकारी अस्पतालों और देश में अन्यत्र उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) नेचर जेनेटिक्स 2005, अप्रैल खंड 37(4) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सेंट जोन्स हापकिंस यूनिवर्सिटी तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बायोइंफार्मेटिक्स, बंगलौर के एक भारतीय-अमेरिकी दल ने एक्स क्रामोजोम में जीनों का विश्लेषण करके मानसिक मन्दता तथा अन्य विकारों से जुड़े अनेक नए जीनों की पहचान की। इस दल ने मनुष्यों, बंदरों तथा चूहों में एक्स-क्रोमोजोम जेनेटिक रचना की तुलना करते समय कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में समानता पाई। कुछ नए अभिज्ञात जीनों, जो सुरक्षित रखे गए हैं, को एक्स-संबद्ध मानसिक मंदता संलक्षण से लंबी अवधि से जुड़े क्षेत्रों पर स्थित पाया गया। है। यद्यपि, यह अध्ययन अग्रगामी एवं नया है, तथापि, मनुष्यों में मानसिक मंदता के लिए जांच में इसके तत्काल नैदानिक प्रयोग का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

डाक विभाग के नए उद्यम

6870. श्री एम. शिवन्ना:
श्री अजीत जोगी:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रमेश बर्मन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग मोबाइल फोन तथा बी एस एन एल के प्री-पेड काडों की बिक्री करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डाक सर्किलों को लाभप्रद उद्यम शुरू करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे उद्यमों के जरिए कितनी आय अर्जित हुई;

(च) क्या ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाएं देश में लोकप्रिय हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई उनकी प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) डाक विभाग कमीशन के आधार पर डाकघरों के जरिए मोबाइल फोन कंपनियों के मोबाइल फोन और प्री-पेड काडों की बिक्री करता है।

(ग) जी हां।

(घ) डाक सर्किलों के प्रमुखों को विभाग के व्यापक रीटेल नेटवर्क का उपयोग करते हुए लाभकारी व्यावसायिक पैकेजों को मंजूरी देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ङ) वर्ष 2004-05 में विभाग ने ऐसे उद्यमों से 50.5 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया है।

(च) जी हां।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अधिप्राप्त पोलिसियों की संख्या	बीमित राशि (रुपए लाख में)
2001-2002	3,68,527	1,69,685.41
2002-2003	7,02,542	3,34,794.55
2003-2004	10,83,152	5,94,997.82

[हिन्दी]

सम विकास योजना

6871. **श्री श्यामा चरण गुप्त:**
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री अखिलेश राय खन्ना:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सम विकास योजना के लिए पहचान किये गये पिछड़े जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन पिछड़े जिलों के विकास के लिए बनाई गई योजना तथा इस योजना पर खर्च की जाने वाली संभावित धनराशि का तथा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के संबंध में संबंधित संसद सदस्य के योगदान तथा भूमिका का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय सम विकास योजना की पिछड़े जिले पहल में 147 जिलों को कवर किया गया है, जिसमें 115 पिछड़े जिले और 32 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले शामिल हैं। जिलों की संख्या की सूची, राज्य-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत, कम कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी और भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना में नाजुक अन्तरालों को भरने की समस्याओं के समाधान के लिए जिला योजनाएं तैयार करना अपेक्षित है। जिला योजनाओं में शामिल स्कीमें सड़कें और पुल, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, स्वास्थ्य जीविकोपार्जन सहायता आदि के क्षेत्रकों में हैं। जिला योजनाओं में शामिल स्कीमें प्रत्येक जिलें में उनकी आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग हैं। प्रत्येक जिला योजना में प्रत्येक स्कीम के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक जिले को 100% अनुदान आधार पर तीन वर्षों की अवधि में 45 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरदोई, मिर्जापुर और चित्रकूट जिलों और झारखंड के चतरा जिले की जिला योजनाओं में शामिल स्कीमों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया है और उन्हें इस संबंध में योजना आयोग को रिपोर्ट भिजवाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना तैयार करने, उसके कार्यान्वयन और मानीटरिंग सहित, प्रत्येक चरण पर लोगों की भागीदारी और पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आईज) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) और स्व-सहायता समूहों को शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जाना है। हालांकि, दिशा-निर्देशों में सांसदों की भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है, तथापि, इस संबंध में वे अपने सुझाव राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों को भिजवा सकते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5

1	2	3
4.	बिहार	21
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	झारखंड	16
11.	कर्नाटक	4
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	10
14.	महाराष्ट्र	9
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैण्ड	1
19.	उड़ीसा	5
20.	पंजाब	1
21.	राजस्थान	3
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	5
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	21
26.	उत्तरांचल	3
27.	पश्चिम बंगाल	8
	जोड़	147

कोल इंडिया लिमिटेड में सांविधिक कर्मचारियों की कमी

6872. **श्री चंद्रशेखर दूबे:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाइयों में असुरक्षा बढ़ गई है तथा कोयले का उत्पादन प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की विभिन्न सहायक कंपनियों में सांविधिक कर्मचारियों की केवल मामूली कमी है। रिक्तियों मुख्य रूप से अधिवार्षिता, मृत्यु इत्यादि के कारण हुई है। सक्षमता का प्रमाण-पत्र रखने/प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्राधिकृत/पदोन्नत करके कमी को पूरा किया जा रहा है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने विशेष भर्ती अभियान के तहत 256 सांविधिक कार्मिकों की भर्ती की मंजूरी दे दी है। सहायक कंपनियों को, भर्ती के अनुरूप स्थायी संख्या सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने के भी अनुदेश दिए गए थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-57 पर निर्माण कार्य

6873. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-57 पर निर्माण कार्य शुरू होने में देरी होने के क्या कारण हैं,

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-57 की संपूर्ण 310 कि.मी. लंबाई पूर्व-पश्चिम महामार्ग का हिस्सा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 के अंतर्गत इसे चार लेन का विभाजित कैरिजवे बनाया जा रहा है। भारी बाढ़ के कारण रा रा-57 के निर्माण कार्य के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रभावित हुआ है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने और कार्य सौंपे जाने के बाद सितंबर, 2005 तक निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आईआईडी केन्द्रों का निर्माण

6874. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम में दलगांव तथा दरांग जिलों में आईआईडी केन्द्रों के निर्माण के लिए 200 लाख रुपए प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) असम के दरांग जिले के दलगांव में स्थित आई आई डी केन्द्र के संबंध में व्यय का ब्यौरा, जैसा कि इस केन्द्र की कार्यान्वयन एजेंसी, असम औद्योगिक विकास निगम द्वारा बताया गया है और उसके चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा उपयुक्त रूप से प्रमाणित किया है, इस प्रकार है:

क्र.सं.	मदें	व्यय (लाख रुपए में)
1.	भूमि तथा स्थल विकास	54.65
2.	सड़क निर्माण	74.33
3.	जलापूर्ति तथा एंफ्लुएंट ट्रीटमेंट	17.21
4.	जल निकास	65.46
5.	बिजली वितरण केन्द्र	21.90
6.	अन्य सेनिटरी वर्क्स	5.00
7.	प्रशासनिक कार्यालय भवन, इत्यादि	32.00
8.	हरियाली तथा सौंदर्यीकरण	2.40
9.	संचालन पूर्व व्यय का प्रावधान	17.00
10.	आकस्मिकताएं तथा वृद्धि का प्रावधान	12.00
	कुल	301.95

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधा

6875. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदकों द्वारा आवश्यक अग्रिम जमा कराने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पटैरिया, सगैनी, समनापुर, राजपुरा तथा कस्बों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने में असक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डब्ल्यूएलएल सेवा उपलब्ध कराने के वायदे के बावजूद भी यह उपलब्ध नहीं है तथा जिन क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है वहां कवरेज नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा इस संबंध में सरकार की क्या योजना है; और

(घ) शेष क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। ग्राम-वार ब्यौरा निम्नवत है:

(1) पटैरिया, सगौनी: 79 कनेक्शनों की पंजीकरण शुल्क प्रदत्त मांग है। नये कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस (सीडीएमए) कोर-डेक्ट उपस्कर की योजना बनाकर वायरलैस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) समनापुर: इस क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल कवरेज उपलब्ध है। इच्छुक आवेदकों को डब्ल्यूएलएल आधारित कुछ कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं लेकिन लोग लैण्डलाइन कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। डब्ल्यूएलएल पर कनेक्शन प्रदान करना व्यवहार्य है।

(3) राजपुरा: 23 कनेक्शनों की पंजीकरण-शुल्क प्रदत्त मांग है। हत्ता बेस ट्रांसमीटिंग स्टेशन (बीटीएस) से, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, डब्ल्यूएलएल कवरेज उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन गांवों के कवरेज हेतु कोर-डेक्ट प्रणाली की योजना बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड की योजना के अनुसार, सभी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल उपस्कर

प्रदान किए जा रहे हैं। तथापि, अदालती मामले की वजह से, स्थिर तारशुदा टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) की आपूर्ति में कुछ विलंब हुआ है।

स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए सहायता

6876. मो. मुकीम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में सुविधाएं अर्थात् (क) अभिघात केन्द्र (ख) आन्कोलाजी केन्द्र (ग) मिनिमल इनवेसिव शल्य चिकित्सा और टेलिमेडिसिन (घ) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्र (ङ) अंग प्रतिरोपण केन्द्र (च) जैव-चिकित्सीय अभियांत्रिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तपोषण सहायता हेतु मई, 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों को जून, 2002 में आर्थिक कार्य विभाग के जरिए जर्मन राजदूतावास को भारत-जर्मन द्विपक्षी विकास सहयोग कार्यक्रम के अधीन विचारार्थ अग्रेषित किया गया था। जर्मन राजदूतावास को सहायता संबंधी परियोजना पर अभी कार्रवाई करनी है।

तथापि, 478.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में 1.7.2000 से कार्यान्वयनाधीन है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप प्रभागीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों के स्तर पर एक व्यवहार्य प्रथम रेफरल तंत्र के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है।

[अनुवाद]

अधिक धनराशि वाले चिकित्सा बिल

6877. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जन स्वास्थ्य प्रणाली होने के बावजूद भी भारत में 80 प्रतिशत रोगी बड़ी तथा छोटी बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली नागरिकों को बहुत अधिक धनराशि खर्च करने को बाध्य करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रोगियों के स्वास्थ्य रक्षा अधिकारों की अनुपस्थिति के कारण लोग उपभोक्ता संरक्षण फोरम में जाने तथा दण्डात्मक कार्रवाई करवाये जाने हेतु बाध्य हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के इस विशाल नेटवर्क के बावजूद, रोगी डाक्टरों तथा दवाओं की सरल पहुंच और उपलब्धता के कारण प्राइवेट सेवा प्रदानकर्ताओं के पास जाते हैं। प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाने से निजी वित्त पर दबाव पड़ता है और रोगी को कई बार परिहार्य जोखिम पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट क्षेत्र की स्वास्थ्य परिचर्या अनियंत्रित होती है और यह हमेशा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर सकती है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

टेलीमेडिसिन को बढ़ावा

6878. श्री समत कुमार मंडल:
श्री जुएल ओराम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों/प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने में लगे संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब में टेलीमेडिसिन परियोजना के माध्यम से तीन अस्पतालों को चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के साथ जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में ऐसे टेलीमेडिसिन परियोजनाओं के जरिए जोड़े गए विभिन्न अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(च) देश में क्रियान्वयन के लिए बनाई गई ऐसी टेलीमेडिसिन परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली संभावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में प्रौद्योगिकी का विकास करके, प्रायोगिक स्कीमों को शुरू करके और टेलिमेडिसिन में मानकीकरण कार्यकरण कार्यकलाप के जरिए टेलिमेडिसीन को बढ़ावा देने के उपाए किए हैं।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग, विभिन्न अति विशिष्टता अस्पताल जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, एस जी पी आई एम एस, लखनऊ, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, अपोलो अस्पताल, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कोलकाता, नारायण हृदयालय, बंगलौर, आर एंड आर आर्मी अस्पताल, नई दिल्ली, अमृत इंस्टीट्यूट, कोच्चि, रामचन्द्र मेडिकल कालेज अस्पताल, चेन्नई आदि और संगठन जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्सड कंप्यूटिंग, आई आई टी, खड़गपुर, वेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम (कोलकाता) आदि और विभिन्न राज्य सरकारें जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि देश में टेलिमेडिसन को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं।

(ग) और (घ) अन्तरिक्ष विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंजाब में तीन दूर-दराज के अस्पताल अर्थात् सिविल अस्पताल, दसूया, जिला होशियारपुर, उप-प्रभागीय अस्पताल, अजनाला, जिला अमृतसर और गवर्नमेंट माता कौशल्या अस्पताल, पटियाला को अप्रैल, 2005 के दौरान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ से संबद्ध किया गया था।

(ङ) अन्तरिक्ष विभाग ने सूचित किया है कि देश भर में 113 अस्पतालों को टेलिमेडिसिन नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है। इनमें से 28 अतिविशिष्टता वाले अस्पताल और 87 दूर-दराज के/जिला/मेडिकल कालेज/मोबाइल अस्पताल हैं/

(च) अन्तरिक्ष विभाग ने राज्यों/अस्पतालों की मांग और विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चरणबद्ध ढंग से टेलिमेडिसिन सुविधा का विस्तार करने की योजना बनाई है।

तमिलनाडु में स्वचालित तथा आधुनिक दूरभाष केन्द्र

6879. श्री एस.के. खारवेनन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्थापित किये गए स्वचालित तथा आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में स्थापित किये जाने वाले ऐसे दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षमता बढ़ाई गई थी; और

(घ) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची अभी विद्यमान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में स्थापित किए गए स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण I (क) I(ख) और I(ग) में दिया गया है।

(ख) मौजूदा वर्ष के दौरान, तमिलनाडु में स्थापित किए जाने वाले ऐसे प्रस्तावित दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है, जिनकी क्षमता का विस्तार मौजूदा वित्तीय वर्ष में किया गया था।

(घ) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है, जहां टेलीफोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची अभी भी मौजूद है।

विवरण I (क)

2002-2003 के दौरान तमिलनाडु में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	प्रकार/प्रौद्योगिकी	जिला
1	2	3	4	5
1.	अविनाशी-2	4000	सी-डॉट एमबीएमएक्सएल	कोयंबटूर
2.	के.पी. पुदूर-2	2000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कोयबंटूर

1	2	3	4	5
3.	सीबीटी. रेस कोर्स आरएसयू	3000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कोयंबटूर
4.	अनुप्पर पलायम	2000	ईडब्ल्यूएसडी	कोयंबटूर
5.	पेरीयंदीपलायम	2000	ईडब्ल्यूएसडी	कोयंबटूर
6.	कुड्डालोर पोर्ट-2	1000	ओसीबीआरएसयू	कुड्डालोर
7.	चिदंबरम-सक्थिनगर	1500	सी-डॉट एमबीएमएक्सएल आरएसयू	कुड्डालोर
8.	वलायमादेवी	168	सी-डॉट 256	कुड्डालोर
9.	कुड्डालोर मेन-2	250	ओसीबी	कुड्डालोर
10.	ओराथुर	168	सी-डॉट 256	कुड्डालोर
11.	अंदेवनापल्ली	152	सी-डॉट 256	धरमापुरी
12.	पोचमपल्ली सिपकोट	500	सी-डॉट एमबीएम एक्सएल आरएसयू	धरमापुरी
13.	नंदीमंगलम	152	सी-डॉट 256	धरमापुरी
14.	उरीगम	152	सी-डॉट 256	धरमापुरी
15.	इरुदूकोट्टाह	152	सी-डॉट 256	धरमापुरी
16.	रेगादाहल्ली	152	सी-डॉट 256	धरमापुरी
17.	उड्डनछतरम अंबीलिक्कई	560	सी-डॉट एमबीएम एलआरएसयू	डिंडीगुल
18.	पूमपराई	152	सी-डॉट 256	डिंडीगुल
19.	मिलामबाडी	304	सी-डॉट 256 टीडब्ल्यू	इरोडे
20.	पेराम्युम	336	सी-डॉट 256	इरोडे
21.	वडुगापट्टी	184	सी-डॉट 256	इरोडे
22.	नारायानावलासु	2000	ओसीबीआरएसयू	इरोडे
23.	पलूर	184	सी-डॉट 256	कांचीपुरम
24.	वाल्लम	1500	ईडल्ब्यू एसडीआरएसयू	कांचीपुरम
25.	चेंगलपट्टू-2	6000	ईडब्ल्यूएसडी	कांचीपुरम
26.	एल. एंदाथुर	152	सी-डॉट 256	कांचीपुरम
27.	मराईमलाईनगर-2	512	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कांचीपुरम
28.	थिरुविथानकोडे	1750	सी-डॉट एमबीएस एक्सएलआरएसयू	कन्याकुमारी
29.	कोल्लनकोडे-2	1500	सी-डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	कन्याकुमारी
30.	एम. पुदूपट्टी	152	सी-डॉट 256	मदुरै

1	2	3	4	5
31.	मदुरै न्यू जेल रोड	2700	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	मदुरै
32.	सिथरकाडू	1000	सी-डॉट एमबीएम एक्सएलएआरएसयू	नागापट्टीनम
33.	वेंगटेश्वरनगर	1000	सी-डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	नागापट्टीनम
34.	थट्टुवानचेरी	700	सी-डॉट एसबीएम	नागापट्टीनम
35.	श्रीनिवासपुरम	1000	सी-डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	नागापट्टीनम
36.	पाणनगुड़ी	600	सी-डॉट एसबीएम	नागापट्टीनम
37.	कोथाण्डापुरम	160	सी-डॉट 256	नागापट्टीनम
38.	कडालंगुडी	368	सी-डॉट 256 टीडब्ल्यू	नागापट्टीनम
39.	मानपथुर दलावाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
40.	श्रीपुरांथम	152	सी-डॉट 256	पेरामबलूर
41.	सन्नासिनाल्लूर दलावाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
42.	आर.एस. माथुर दलावाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
43.	पेरियाकुरिची दालावाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
44.	चोलंकुडिकाडु	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
45.	अंगानुर	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
46.	वनकरम	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
47.	कुलुमुर	64	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पेरामबलूर
48.	कोनाकोल्लाईपट्टी करामबकुडी	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
49.	नयाकरपट्टी करामबकुडी	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
50.	अंबालवाननेडल	152	सी-डॉट 256	पुडुकोट्टाई
51.	एल.एन. पुरम अरंथांगी	1000	सी-डॉट एमबीएम एलआरएसयू	पुडुकोट्टाई
52.	कडुक्काडु करामबकुडी	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
53.	कल्लाकोटाई	152	सी-डॉट 256	पुडुकोट्टाई
54.	कारुपट्टी करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
55.	मंगानुर गंडरवकोटाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
56.	मूलुडयानपट्टी करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
57.	पुनालकुलम गंडरवकोट्टाई	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई

1	2	3	4	5
58.	थेचानकुरुचि गंडारवकट्ट्टोई	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
59.	थट्टामानिपट्टी करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
60.	थुवारवेल्लविदुथि करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
61.	चिन्नाकोनेविदुथि करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
62.	नाडुपट्टी करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
63.	थेट्टावसाल पट्टी गंडारवकोट्टाई	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
64.	थोंडामानुरानि पट्टी गंडारवकोट्टाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
65.	एम. वेल्लालाविदुथि करामबकुडा	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
66.	गनपतिपुरम गंडारवकोट्टाई	32	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
67.	नेपुगाई गँडारवकोट्टाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
68.	साऊथपल्लाई गंडारवकोट्टाई	64	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
69.	वेमबनपट्टी गंडारवकोट्टाई	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
70.	थिरु कोकारनम पुडुकोट्टाई	1000	सी-डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	पुडुकोट्टाई
71.	कोडुम्बलूर चत्राम	152	सी-डॉट 256	पुडुकोट्टाई
72.	वेलादिपट्टी करामबकुडी	16	टीडीएमएपीएमपीआरएसयू	पुडुकोट्टाई
73.	थिरुमलाइरायापुरम	152	सी-डॉट 256	पुडुकोट्टाई
74.	अंदानुर गंधर्वकोट्टाय 16	16	टीडीएमएपीएमआरएसयू	पुडुकोट्टाय
75.	मंजुर	184	सी डॉट 256	रमनत्रपुरा
76.	उडायकुलम	152	सी डॉट 256	रमनत्रपुरा
77.	कोंडुलालानपट्टी	152	सी डॉट 256	रमनत्रपुरा
78.	देवन्नागौडानुर	500	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	सलेम
79.	शेषांचवड़डी	500	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	सलेम
80.	सलेम सुरभंडालम	1500	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	सलेम
81.	सलेम पोन्नामापेट	2000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	सलेम
82.	करायकुडी कलानिवरुल	1500	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	शिवगंगा
83.	पुलितिपट्टी	152	सी डॉट 256	शिवगंगा
84.	मल्लाकोटाय	240	सी डॉट 256	शिवगंगा
85.	करायकुडी कें कट्टी ओसीबी	5000	ओसीबी	शिवगंगा

1	2	3	4	5
86.	पांडिपुर	152	सी डॉट 256	शिवगंगा
87.	पेरकालैकाडु	152	सी डॉट 256	शिवगंगा
88.	मसकनकुडी	368	सी डॉट 256 टीडब्ल्यू	तंजावुर
89.	थिरुमांडकुडी	500	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	तंजावुर
90.	कावराजनगर आरएसयू	2000	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	तंजावुर
91.	सस्त्रा	500	ओसीबीआरएसयू	तंजावुर
92.	कंबकोनम ओसीबी	4000	ओसीबी	तंजावुर
93.	तेनगुमरहाडा	152	सी डॉट 256	नीलगिरी
94.	कॉनमाउंट जी जैन्ट	2000	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	नीलगिरी
95.	सिंडीनुल्ला	152	सी डॉट 256	नीलगिरी
96.	मन्नारगुडी ओसीबी मेन	6000	ओसीबी	नीलगिरी
97.	तिरुनेलवेल्ली पलयमकोट्टाय मेन	2000	ओसीबी	तिरुवरूर
98.	वीएम चत्रम	2000	ओसीबी आरएसयू	तिरुनेलवेल्ली
99.	पाडावेहु	152	सी डॉट 256	तिरुनेलवेल्ली
100.	टी.वी. मलाय-2	5000	ओसीबी	त्रिची
101.	पोथामेट्टुपट्टी मनपराय	1000	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	त्रिची
102.	तिरुवलरसोलाय	152	सी डॉट 256	त्रिची
103.	वयाडी टीआरई 10 बी	504	ई10 बीआरएलयू	तुतिकोरिन
104.	टुटीकोरिन एमएस पुरम	3000	ओसीबी आरएसयू	वेल्लोर
105.	रानी पेट सिपकॉट 2	2000	ओसीबी आरएसयू	विल्लुपुरम
106.	अशोकपुरी	120	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
107.	कलपट्टु	184	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
108.	नादुकुप्पम	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
109.	कलयाकुरिची अन्नानगर	1250	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	विल्लुपुरम
110.	पेरावलुर	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
111.	मुट्टाथुर	88	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
112.	ओथियापुर	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
113.	वलाथी	104	सी डॉट 256	विल्लुपुरम

1	2	3	4	5
114.	विल्लुपुरम एस.जी. पुरम	1250	सी डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	विल्लुपुरम
115.	कोठाकुडी	104	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
116.	अदानापट्टु	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
117.	सीसीएसएस. नगर	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
118.	एनाथीमंगलम	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
119.	नेदीमोछियानपुर	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
120.	वडापोन्नपराप्पी	104	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
121.	एन. सुब्बियाहपुरम	152	सी डॉट 256	विरुधुनगर
122.	नथामट्टी	152	सी डॉट 256	विरुधुनगर
123.	कीलाराजाकुलरमन	152	सी डॉट 256	विरुधुनगर
124.	अलेगियानाल्लुर	152	सी डॉट 256	विरुधुनगर
125.	ओ. मेट्टूपट्टी	304	सी डॉट 256 टी डब्ल्यू	विरुधुनगर
126.	सिवाकासी रिजर्व लाईन आरएसयू	2000	ओसीबीआरएसयू	विरुधुनगर
127.	जवाहर नगर	3700	5ईएसएस	चेन्नई
128.	सचिवालय	2000	5ईएसएस	चेन्नई
129.	सिंडको थिरुमाशीसई	2000	5ईएसएस	चेन्नई
130.	माधवरम	2240	5ईएसएस	चेन्नई
131.	कठीवाक्कम	3000	5ईएसएस	चेन्नई
132.	अन्ना नगर पश्चिमी विस्तार	3500	एएक्सई	चेन्नई
133.	मेडावक्कम	1000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
134.	पुराना पेरुंगलाथुर	1500	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
135.	गौरीवक्कम	2000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
136.	चूलईमेडु	5000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
137.	गांधी नगर	5000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
138.	मौलीवक्कम	1000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
139.	वंडालुर	1500	ओसीबी	चेन्नई
140.	कुमारन नगर	750	ओसीबी	चेन्नई
141.	आर.के. नगर	0	ओसीबी	चेन्नई

1	2	3	4	5
142.	कल्लीपुरम	4000	ओसीबी	चेन्नई
143.	रोयापुरम	4000	ओसीबी	चेन्नई
144.	सैट कालोनी	5000	ओसीबी	चेन्नई
145.	अगस्थियर नगर	6000	ओसीबी	चेन्नई
146.	मुगलीवक्कम	3500	ओसीबी	चेन्नई
147.	थिरुमलई रोड	5000	ओसीबी	चेन्नई
148.	जोन्स रोड	4000	ओसीबी	चेन्नई
149.	अवडी	0	ओसीबी	चेन्नई
150.	वृंदावन नगर	2000	ओसीबी	चेन्नई
151.	दिनरोज	4000	ओसीबी	चेन्नई
152.	आयकर	3500	ओसीबी	चेन्नई
153.	गोपालपुरम	4000	ओसीबी	चेन्नई

विवरण-I (ख)

2003-04 के दौरान तमिलनाडु में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	प्रौद्योगिकी	जिला
1	2	3	4	5
1.	सीबीटी-पीलामेडु ईडब्ल्यूएसडी	1000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कोयम्बटूर
2.	कुड्डालोर कुमारापेट	1500	ई 10 बी आरएलयू	कुड्डालोर
3.	कोरावकाईवाड़ी	88	सी डॉट 256	कुड्डालोर
4.	कुड्डालोर नेहरु नगर	1500	ई 10 बी आरएलयू	कुड्डालोर
5.	अतानुर	80	सी डॉट 256	कुड्डालोर
6.	नेवेली-टीएस ब्लाक-20	2000	सी डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	कुड्डालोर
7.	डिंडीगुल-II	2000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	डिंडीगुल
8.	ओलीमोहमदपेट	1000	ई 10 बी आरएलयू	कांचीपुरम
9.	सेंट गोबेन (ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू)	256	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कांचीपुरम
10.	नागरकोइल II	2000	ईडब्ल्यूएसडी	कन्याकुमारी
11.	तंगाईपट्टीनम	1500	सी डॉट एमबीएमएक्सएलआरएसयू	कन्याकुमारी

1	2	3	4	5
12.	समाल्पल्लम	248	एन-रैक्स	कृष्णागिरी
13.	ईरुडुकोट्टा	152	सी डॉट 256	कृष्णागिरी
14.	उडीगम	152	सी डॉट 256	कृष्णागिरी
15.	मदुराई अनुपनाडी	2045	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	मदुरई
16.	मेलाकावेरी आरएसयू	2000	ओसीबी आरएसयू	तंजावुर
17.	गुडालूर-डीएलसी-कयुन्नी	420	डीएलसी सी-डॉट एमबीएम	नीलगिरी
18.	गुडालूर-डीएलसी-नदुगनी	240	डीएलसी सी-डॉट एमबीएम	नीलगिरी
19.	गुडालूर-डीएलसी-पांडनतोराई	420	डीलएसी सी-डॉट एमबीएम	नीलगिरी
20.	कोर्टालम	1000	सी डॉट एमबीएमएल आरएसयू	तिरुनेल्लवेली
21.	इरुम्बी	184	सी डॉट 256	तिरुवल्लोर
22.	गुम्मीडीपूंडी पुराना शहर	2000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	तिरुवल्लोर
23.	कादुवनुर	136	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
24.	ओट्टानपटटु	88	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
25.	वी. पगनडाई	152	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
26.	विल्लुपुरम रागवनपेट	1000	सी डॉट एमबीएमएक्सएल आरएसयू	विल्लुपुरम
27.	इल्लोडु	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
28.	नालनपिल्लापेत्राल	88	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
29.	पिडागम	144	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
30.	सूलनकुरीची	80	सी डॉट 256	विल्लुपुरम
31.	राजीवनगर आरएसयू	1000	सी डॉट एमबीएमएल आरएसयू	विरुधुनगर
32.	राधा नगर (2265)	4000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
33.	चेतपट आररएसयू (2836)	3000	ओसीबी	चेन्नई
34.	चूलाई आरएसएम (2669)	3400	5 ईएसएस	चेन्नई
35.	अरुम्बाक्कम (2363)	4000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
36.	मनाली नया कस्बा (2593)	2000	5 ईएसएस	चेन्नई
37.	कलीदीपेट (2599)	4000	ओसीबी	चेन्नई
38.	राजभवन एमएसयू (2250)	7500	ओसीबी	चेन्नई
39.	पल्लावरम आरएसयू (2264)	3500	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई

1	2	3	4	5
40.	पेरियामेडू आरएसएम (2561)	3000	5 ईएसएस	चेन्नई
41.	स्पेन्सर प्लाजा आरएसयू (2849)	2000	ओसीबी	चेन्नई
42.	चिंदादरीपेट आरएसयू (2845)	2300	ओसीबी	चेन्नई
43.	शेनॉय नगर आरएसयू (2668)	1250	ओसीबी	चेन्नई
44.	पट्टाबीराम आरएसयू (2685)	2750	ओसीबी	चेन्नई
45.	विजय नगर आरएसयू (2259)	3000	ओसीबी	चेन्नई
46.	मादीपक्कम आरएसयू (2258)	1750	ओसीबी	चेन्नई
47.	वेम्बुलियाम्मान कोविल सेंट (2364)	4500	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
48.	फ्लॉवार बाजार आरएसयू (2536)	2180	5 ईएसएस	चेन्नई
49.	ज्योती नगर (2574)	2000	5 ईएसएस	चेन्नई
50.	ब्रॉडवे (2528)	4000	5 ईएसएस	चेन्नई
51.	फ्लॉवर बाजार आरएसयू (2534)	8000	ओसीबी	चेन्नई

वर्ष 2002-03 के दौरान स्थापित डब्ल्यूएलएल एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्टेशन	क्षमता	डब्ल्यूएलएल का प्रकार	एसडीसीए का नाम
1	2	3	4	5
1.	चिदम्बरम	500	सीडीएमए-आर	चिदम्बरम
2.	कल्लाकुरीची	500	सीडीएमए-आर	कल्लाकुरीची
3.	वृधाचलम	500	सीडीएमए-आर	वृद्धाचलम
4.	अरकांदनल्लूर	500	सीडीएमए-आर	विल्लुपुरम
5.	चेय्युर	500	सीडीएमए-आर	मदुरांतगम
6.	मदुरांतागम	500	सीडीएमए-आर	मदुरांतगम
7.	गुम्मीदीपूंडी	500	सीडीएमए-आर	पोन्नेरी
8.	तिरुवेल्लोर	500	सीडीएमए-आर	तिरुवेल्लोर
9.	करुर	500	सीडीएमए-आर	करुर
10.	अरियालूर	500	सीडीएमए-आर	अरियालूर
11.	पेरम्बलूर	500	सीडीएमए-आर	पेरम्बलूर
12.	पोन्नमरावती	500	सीडीएमए-आर	पोन्नमरावती

1	2	3	4	5
13.	पुदुकोट्टाई	500	सीडीएमए-आर	पुदुकोट्टाई
14.	मनपराई	500	सीडीएमए-आर	मनपराई
15.	मुसीरी	500	सीडीएमए-आर	मुसीरी
16.	सतनूर	400	सीडीएमए-आर	चेंगम
17.	तिरुवनामलाई	500	सीडीएमए-आर	तिरुवनामलाई
18.	वांडीवाश	600	सीडीएमए-आर	वांडीवास
19.	वालाजाह एमडब्ल्यू स्टेशन	500	सीडीएमए-आर	रानीपेट
20.	तिरुपतुर	500	सीडीएमए-आर	तिरुपतुर
21.	चेन्नई	15000	सीडीएमए-यू	चेन्नई

वर्ष 2003-04 के दौरान स्थापित किए गए डब्ल्यूएलएल एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्टेशन	क्षमता	डब्ल्यूएलएल का प्रकार	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1.	कोयम्बटूर	5000	सीडीएमए-यू	कोयम्बटूर
2.	तिरुपुर	5000	सीडीएमए-यू	तिरुपुर
3.	डिंडीगुल	5000	सीडीएमए-यू	डिंडीगुल
4.	मदुरई	5000	सीडीएमए-यू	मदुरई
5.	पांडिचेरी	5000	सीडीएमए-यू	पांडिचेरी
6.	नामाक्कल	1000	सीडीएमए-यू	नामाक्कल
7.	अत्तुर	1000	सीडीएमए-यू	अत्तुर
8.	सलेम	3000	सीडीएमए-यू	सलेम
9.	करुर	2000	सीडीएमए-यू	करुर
10.	त्रिची	3000	सीडीएमए-यू	त्रिची
11.	राजापलायम	1000	कोर-डेक्ट यू	राजापलायम
12.	कट्टुमन्नारकोइल	750	सीडीएमए-आर	चिदम्बरम
13.	वेप्पुर	750	सीडीएमए-आर	वृधाचलम
14.	उलुंदुरपेट	750	सीडीएमए-आर	उलुंदुरपेट
15.	विल्लुपुरम	750	सीडीएमए-आर	विल्लुपुरम

1	2	3	4	5
16.	एमएम नगर	750	सीडीएमए-आर	चेंगलपट्टु
17.	श्रीपेरुम्पुदूर	750	सीडीएमए-आर	श्रीपेरुम्पुदूर
18.	हारुर	750	सीडीएमए-आर	हारुर
19.	उत्थांगराई	750	सीडीएमए-आर	उत्थांगराई
20.	थिरुवदानई	750	सीडीएमए-आर	देवकोट्टई
21.	कडालाडी	750	सीडीएमए-आर	मुदुकुलाथुर
22.	परमाकुडी	750	सीडीएमए-आर	परमाकुडी
23.	कराइकुडी	750	सीडीएमए-आर	कराइकुडी
24.	पदमाथुर	750	सीडीएमए-आर	मनामादुरई
25.	कलायरकोइल	750	सीडीएमए-आर	शिवगंगा
26.	कुम्बकोणम	750	सीडीएमए-आर	कुम्बकोणम
27.	अलाम्बादी खाने	750	सीडीएमए-आर	वेदासांदुर
28.	पट्टुकोट्टई	750	सीडीएमए-आर	पट्टुकोट्टई
29.	तिरुवरुर	750	सीडीएमए-आर	तिरुवरुर
30.	अवुदैयरकोइल	750	सीडीएमए-आर	अरानथांगी
31.	कीरानुर	750	सीडीएमए-आर	कीरानुर
32.	थिरुमायम	750	सीडीएमए-आर	पोनमरावथी
33.	थिरुचुली	750	सीडीएमए-आर	अरुप्पुकोट्टई
34.	सिवाकासी	750	सीडीएमए-आर	विरुधुनगर
35.	तिरुवेट्टीपुरम	750	सीडीएमए-आर	तिरुवेट्टीपुरम
36.	अराक्कोनम	750	सीडीएमए-आर	अराक्कोनम
37.	मेट्टुपलायम	1000	कोरडेक्ट-आर	मेट्टुपलायम
38.	पोल्लाची	1000	कोरडेक्ट-आर	पोल्लाची
39.	उडुमलपेट	1000	कोरडेक्ट-आर	उडुमलपेट
40.	वलपराई 1000	कोरडेक्ट-आर	वलपराई	
41.	जयंकोंदम	1000	कोरडेक्ट-आर	जयंकोंदम
42.	गंधरवाकोट्टई	1000	कोरडेक्ट-आर	पुदुकोट्टई
43.	राजापलायम	1000	कोरडेक्ट-आर	राजापलायम
44.	चेन्नई	10000	सीडीएमए-यू	चेन्नई

विवरण-I (ग)

तमिलनाडु में 2004-05 के दौरान संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	प्रकार/प्रौद्योगिकी	जिला
1.	एट्टीमदाई	420	डीएलसी	कोयंबटूर
2.	सीबीटी-राजास्ट्रीट I	3500	एएक्सईआरएसयू	कोयंबटूर
3.	सीबीटी-राजास्ट्रीट II	1000	ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू	कोयंबटूर
4.	ओंदीपुथूर II	256	एएक्सईआरएसयू	कोयंबटूर
5.	चातीराम	176	सी डॉट 256	कुड्डालोर
6.	विरुधाचलम पी नगर	1500	सी डॉट एमबीएम एक्सएलआरएसयू	कुड्डालोर
7.	गुंडूपट्टी	192	एएनआरएएक्स	डिंडीगुल
8.	कवुंजी	184	सी डॉट 256	डिंडीगुल
9.	सूलेरीकादू	480	डीएलसीवी 5.2	कांचीपुरम
10.	नागरकोइल डीएलसी	1000	डीएलसीवी 5.2	कन्याकुमारी
11.	मदुरै उच्च न्यायालय	420	डीएलसीवी 5.2	मदुरै
12.	मदुरै हिन्दु	420	डीएलसीवी 5.2	मदुरै
13.	मदुरै आईसीआईसीआई	420	डीएलसीवी 5.2	मदुरै
14.	करियामनिक्कम II	1000	ओसीबीआरएसयू	पांडिचेरी
15.	अमिनजिकराय आरएसयू (2664)	3000	ओसीबी	चेन्नई
16.	एक्कादुथांगल आरएसयू (2225)	4300	ओसीबी	चेन्नई
17.	न्यू वाशरमनपेट आरएसयू (259)	5200	ओसीबी	चेन्नई
18.	वादापलानी आरएसयू (2365)	3000	ईडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
19.	एमकेबी नगर आरएसएम	4500	5 ईएसएस	चेन्नई

वर्ष 2004-2005 के दौरान संस्थापित डब्ल्यूएलएल एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्टेशन	क्षमता	डब्ल्यूएलएल का प्रकार	एसडीसीए का नाम
1	2	3	4	5
1.	कोयंबटूर	1000	कोरडेक्ट-यू	कोयंबटूर
2.	थिरुवेल्लोर	1000	कोरडेक्ट-यू	थिरुवेल्लोर

1	2	3	4	5
3.	नागरकोइल	1000	कोरडेक्ट-यू	नागरकोइल
4.	ऊटी	1000	कोरडेक्ट-यू	ऊटी
5.	पल्लादम	1000	कोरडेक्ट-आर	पल्लादम
6.	तिरुप्पुर	1000	कोरडेक्ट-आर	तिरुप्पुर
7.	कुड्डालोर	1000	कोरडेक्ट-आर	कुड्डालोर
8.	कल्लाकुरीचे	1000	कोरडेक्ट-आर	कल्लाकुरीचे
9.	गिंगी	1000	कोरडेक्ट-आर	गिंगी
10.	कांचीपुरम	1000	कोरडेक्ट-आर	कांचीपुरम
11.	थिरुथानी	1000	कोरडेक्ट-आर	थिरुथानी
12.	होसुर	1000	कोरडेक्ट-आर	होसुर
13.	कृष्णागिरी	1000	कोरडेक्ट-आर	कृष्णागिरी
14.	उड्डनछथरम	1000	कोरडेक्ट-आर	उड्डनछथरम
15.	पलानी	1000	कोरडेक्ट-आर	पलानी
16.	उसीलमपट्टी	1000	कोरडेक्ट-आर	उसीलमपट्टी
17.	गूदालुर	1000	कोरडेक्ट-आर	गूदालुर
18.	कोथागिरी	1000	कोरडेक्ट-आर	कोथागिरी
19.	थलाईवासल	1000	कोरडेक्ट-आर	अत्तूर
20.	ओमालुर	1000	कोरडेक्ट-आर	ओमालुर
21.	मन्नारगुडी	1000	कोरडेक्ट-आर	मन्नारगुडी
22.	थिरुथूरईपुंथी	1000	कोरडेक्ट-आर	थिरुथूरईपुंडी
23.	अरावाकुरिचे	1000	कोरडेक्ट-आर	अरावाकुरिचे
24.	वेप्पनथट्टाई	1000	कोरडेक्ट-आर	पेरमबलूर
25.	चेंगम	1000	कोरडेक्ट-आर	चेंगम
26.	तिरुवन्नामलाई	1000	कोरडेक्ट-आर	तिरुवन्नामलाई
27.	जोलारपेट	1000	कोरडेक्ट-आर	थिरुपथूर
28.	नेल्लीकुप्पल	750	सीडीएमए-आर	कुड्डालोर
29.	वाडालूर	750	सीडीएमए-आर	कुड्डालोर
30.	सिरुपवकम	750	सीडीएमए-आर	वृधाचलम
31.	वृधाचलम	750	सीडीएमए-आर	वृधाचलम
32.	गिंगी	750	सीडीएमए-आर	गिंगी

1	2	3	4	5
33.	तिंदीवानम	1500	सीडीएमए-आर	तिंदीवानम
34.	अराकंदानल्लूर	750	सीडीएमए-आर	विल्लूपुरम
35.	थिरुकलीकुन्द्रम	750	सीडीएमए-आर	चेंगलपट्टू
36.	गुम्मीदिपूंदी	750	सीडीएमए-आर	पोन्नेरी
37.	पोन्नेरी	750	सीडीएमए-आर	पोन्नेरी
38.	तिरुवेल्लोर	1500	सीडीएमए-आर	तिरुवेल्लोरे
39.	रामनद समाहर्ता	750	सीडीएमए-आर	रामनद
40.	देवाकोट्टाई	750	सीडीएमए-आर	देवाकोट्टाई
41.	तिरुपाथुर	750	सीडीएमए-आर	तिरुपाथुर
42.	निलाकोट्टाई	750	सीडीएमए-आर	बटलागुंडु
43.	नाथम	750	सीडीएमए-आर	नाथम
44.	मेलुर	750	सीडीएमए-आर	मदुरै
45.	टी. कल्लूपट्टी	750	सीडीएमए-आर	तिरुमंगलम
46.	उथमापलयम	750	सीडीएमए-आर	कुमबुम
47.	थेनी	750	सीडीएमए-आर	थेनी
48.	कोलेंगोडे	1500	सीडीएमए-आर	कुझीथुराई
49.	नेयूर	750	सीडीएमए-आर	कुझीथुराई
50.	कोविलपट्टी	750	सीडीएमए-आर	कोविलपट्टी
51.	श्रीवैकुंड्डम	750	सीडीएमए-आर	श्रीबैंकुडम
52.	क्रिश्चयनगरम	750	सीडीएमए-आर	तिरुवेंदुर
53.	पुथियामपुथुर	750	सीडीएमए-आर	तुतिकोरिन
54.	विलाथिकुलाम	750	सीडीएमए-आर	विलाथिकुलाम
55.	अम्बासमुद्रम	750	सीडीएमए-आर	अम्बासमुद्रम
56.	नानगुनेरी	750	सीडीएमए-आर	नानगुनेरी
57.	संकरनकोयल	750	सीडीएमए-आर	संकरनकोयल
58.	पावुरचथरम	750	सीडीएमए-आर	तेनकासी
59.	गंगैकोंडम	750	सीडीएमए-आर	तिरुनेलवेली
60.	राधापुरम	1500	सीडीएमए-आर	वालियुर
61.	राजपल्लयम	1500	सीडीएमए-आर	राजपल्लयम
62.	विरुधुनगर	750	सीडीएमए-आर	विरुधुनगर

विवरण-II

तमिलनाडु में 2005-06 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	प्रकार/प्रौद्योगिकी	जिला
1.	महेंद्रा आईटी पार्क	1000	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	कांचीपुरम
2.	पापानायकनपलयम	4500	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	कोयम्बटूर
3.	उक्काडम	1000	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	कोयम्बटूर
4.	कृष्णागिरी समाहर्ता	1000	सी-डॉट आरएसयू	कृष्णागिरी
5.	विल्लुकुरी	1000	सी-डॉट आरएसयू	कन्याकुमारी
6.	असारीपल्लम	1000	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	कन्याकुमारी
7.	एडालकुड्डी	2000	ईडब्लयूएसडी आरएसयू	कन्याकुमारी
8.	एसएमआरवी वाडासेरी	2000	ईडब्लयूएसडी आरएसयू	कन्याकुमारी
9.	नानगुनेरी एसईपीजेड	2000	सी-डॉट आरएसयू	तिरुनेलवेली
10.	अक्करई आरएसयू	1000	इडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
11.	शिवगामीपुरम आरएसयू	2000	ओसीबी	चेन्नई
12.	नेहरु नगर आरएसयू	2000	इडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
13.	पश्चिम के.के. नगर आरएसयू	6000	इडब्ल्यूएसडी	चेन्नई
	कुल योजनाशुदा क्षमता	2650		

वर्ष 2005-06 के लिए सीडीएमए डब्ल्यूएलएल योजना के ब्यौरे

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र	क्षमता	प्रकार
1.	चेंगालपट्टू	5200	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
2.	कुड्डालोर	6000	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
3.	कुम्बाकोनम	3000	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
4.	मदुरै	4500	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
5.	कराईकुड्डी	3000	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
6.	नागेरकोयल	2250	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
7.	तिरुनेलवेली	6000	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
8.	तितुकोरिन	4500	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
9.	विरुद्धनगर	2250	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
10.	थंजावुर	4500	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
11.	चेन्नई	50000	एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल
	कुल योजनाशुदा क्षमता	91200	

*इसके अलावा, 100000 उपस्कर (एमएससी आधारित) हेतु क्रय-आदेश दे दिए गए हैं एवं आपूर्ति की जानी है। आवृत्ति योजना एवं बीटीएस अवस्थिति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

विवरण-III

चालू वर्ष 2005-06 (अर्थात् अप्रैल 2005) के दौरान विस्तारित स्वचालित और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

प्रौद्योगिकी	एक्सचेंज	क्षमता
1	2	3
ईडब्लयूएसडी	सलेम मेय्या	2500
	कूनूर	1000
	ऊटी	1000
ई 10 बी सी-डॉट एमबीएम	नोय्यल	500
	पुलियानगुडी	256
	कूनिमेडू	8
	मंगलमपेट	8
	विल्लूपुरम एस	240
	नाक्कमबाडी	56
	थुलासियापट्ट	100
	कृष्णाराजापुर	136
	नचालूर	100
	थाथायंगा	128
	वॉटर टैंक	1350
छोटी और मध्यम	ओट्टनपट्टू	8
	परुवलूर	8
	थिरुवमपट्टू	8
	वाल्लम	16
	इनाथिमंगलम	8
	कालामरुदुर	8
	ओथिआयाथुर	8
	जमीनीनाथुर	16
	मेय्यर	16
	पूंदी	40
	कालीपट्टई	16
	अझागुमानगरी	16
	एरियूर	40
	एक्कागुई	32
	करीसलपट्टी	32
	किलाकराई	100
	रामनाद	150
	थिन्नाईकुलम	24
	उचीपुल्ली	50
	मदुगुपट्टी	16
	मुट्टाकुरीची	16
	महीबालनपट्टी	16
	पनाईकुलम	50
	पोट्टागावायल	16

विवरण-IV

ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा जहां टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची अभी मौजूद है

एमएसए का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
चेंगलपट्टू	1.	अचारापक्कम	125
	2.	अमाईपक्कम	22
	3.	अम्माइरकुप्पम	82

1	2	3	4
	4.	अरामबक्कम	39
	5.	अरनी < सीपीटी >	107
	6.	अरुनगुलाम	44
	7.	आथममंजेरीपेट	74
	8.	आथिपट्टू	62
	9.	आथिपेडू	62
	10.	अय्यमपट्टई	59
	11.	अय्यनगरकुलाम	60
	12.	बालूचेट्टाछतरम	90
	13.	बूछीरेड्डीपल्ली	37
	14.	चेंगलपट्टू-II	49
	15.	चेंगलपट्टू-III	6
	16.	चेय्यर	84
	17.	चिन्ना कांचीपुरम	16
	18.	चिट्टामूर	81
	19.	चूनमपेट	112
	20.	देवमपट्टू	6
	21.	ईदायरपक्कम	124
	22.	एक्काडू	44
	23.	ईलापाक्कम	87
	24.	ईलाकमवेडू	17
	25.	ईनाथुर	17
	26.	एन्नोर पोर्ट	53
	27.	इकूवरपलायम	80
	28.	एरुबी	26
चेंगलपट्टू	29.	गुडूवानचेरि I	150
	30.	गुम्मूदीपूंदी	148
	31.	गुमूदीपूंदी ओल्ड टाउन	127
	32.	गुनीपलायम	136
	33.	के.जी. कादीगई	128
	34.	कदमबथूर	179
	35.	कादापक्कम	113
	36.	कालापक्कम	2
	37.	कालपक्कम टाउन शिप	100
	38.	कानाकम्माछतरम	70
	39.	कांचीपुरम II	7
	40.	कांचीपुरम कलक्टरेट	20
	41.	कांदीगई	52
	42.	कन्नीगईपेयर	93
	43.	कन्नीगापुरम	70
	44.	करुनगुझी	95
	45.	कवारायपट्टई	90
	46.	कयारामबेडू	34
	47.	केलमबक्कम	61
	48.	कोवालम	77
	49.	एल. एंदाथुर	38
	50.	मदारपक्कम	170
	51.	मधूर	38
	52.	मदूरंतागम	60
	53.	मगारल	46
	54.	मामल्लापुरम	46
	55.	मबाक्कम	29

1	2	3	4
	56.	मनामाथी	26
	57.	मनापाथी	31
	58.	मानावलानगर	136
	59.	मराईमलाईनगर-I	56
	60.	माथुर	126
	61.	मेलमरुवाथुर	100
	62.	मेवालुरकुप्पम	99
	63.	मेय्यूर	67
	64.	मिंजूर	173
	65.	एन एन कंदीगई	43
	66.	नावालुर	26
	67.	नेदूमारम	100
	68.	नेल्लीकुप्पम	38
	69.	नेरूबूर	121
	70.	ओलीमो-हमेदपेट	25
	71.	ओराथी	113
	72.	पी.बी. कालाथुर	74
	73.	पादपई	233
	74.	पालावक्कम	106
	75.	पल्लीपेट	71
	76.	पलूर	112
	77.	पारनदूर	70
	78.	पट्टारायपेरमबुदूर	61
	79.	पावनजुर	88
	80.	पेरमबक्कम	140
	81.	पेरूमलपट्टू	220
	82.	पोदायुरपेट	56
	83.	पोन्नेरी	228
	84.	पूंदी	128
	85.	पुक्काथुई	41
	86.	पूलीकट	65
	87.	पुलीयुरकंदीगई	90
	88.	राजकुलम	89
	89.	सालावक्कम	53
	90.	सिंगापरुमलकोईल	145
	91.	सोमनगालम	205
	92.	श्रीपेरमपुदूर	187
	93.	सेंट गोबिन (ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू)	9
	94.	सनगुवारछतरम	260
	95.	सुन्नमबुकुलम	74
	96.	थेन्नेरी	82
	97.	तिरुकलीकुदरम	148
	98.	तिरुपलाईवानम	91
	99.	तिरुपोरुर	103
	100.	तिरुर	255
	101.	तिरुथानी	166
	102.	तिरुवलनगाडू	116
	103.	तिरुवेल्लूर	638
	104.	उलनदाई	119
	105.	उथीरामेरुर	87
	106.	उथुकोट्टई	81
	107.	वाल्लम	27

1	2	3	4
	108.	वेदेयानगाडू	56
	109.	वेल्लीवायलचवादी	89
	110.	वेल्लीयूर	108
	111.	वेलूर <सीपीटी>	108
	112.	बिलनगनूर	31
	113.	वालाजाबाद	179
	114.	जमीन एदाथुर	17
कोयंबटूर	115.	आलनदुरई	28
	116.	आलाथुर	154
	117.	अलियारनगर	25
	118.	अमरावतीनगर	18
	119.	अंबरमपलायम	123
	120.	अनाकट्टी	38
	121.	अनामलाई	62
	122.	अन्नूर	62
	123.	अनुप्परपलायम	6
	124.	अरासुर	25
	125.	अट्टाकट्टी	32
	126.	अविनाशी	153
	127.	सीबीटी बी. युनिवर्सिटी	9
	128.	सीबीटी थरायी कॉलोनी	4
	129.	सीबीटी सेन्ट्रल	15
	130.	सीबीटी सेन्ट्रल आरएसयू	8
	131.	सीबीटी ई 10 बी	3
	132.	सीबीटी गनापथी	2
	133.	सीबीटी गांधीमानगर	2
	134.	सीबीटी गांधीपार्क	3
	135.	सीबीटी पीलामेदू	47
	136.	सीबीटी आर. एस. पुरम	2
	137.	सीबीटी रामानाथपुरम	9
	138.	सीबीटी एस.बी. कालोनी	5
	139.	सीबीटी टाटाबाद-I	4
	140.	सीबीटी टाटाबाद-II	14
	141.	चेट्टीयाकपालायम	135
	142.	चेयूर	97
	143.	चिन्नाथादागम	44
	144.	चिन्नियमपलायम	43
	145.	किनकोना	40
	146.	देवानूरपुदूर	56
	147.	ध्यानूर	46
	148.	ऐरीपट्टी	100
	149.	गणपतिपलायम	29
	150.	गंगानाईकेनपलायम	9
	151.	गोमनगालम	42
	152.	इरुमबोरई	58
	153.	जक्करपलायम	57
	154.	जल्लीपट्टी	81
	155.	के.पी. पुदूर-1	49
	156.	कदमपराई	25
	157.	कनियूर	199
	158.	कंजमपट्टी	122
	159.	कराचेरी	38
	160.	करादीवावी	13
	161.	करामादाई	2
	162.	कराट्टूपलायम	25
	163.	करुन्यानगर	8

1	2	3	4
	164.	करुक्कलूर	55
	165.	किनाथूकादाबू	82
	166.	कोड्डवई	103
	167.	कोईल्पलायम	140
	168.	कोलूमम	124
	169.	कोवाईपुदूर	95
	170.	कृष्णापुरम	147
	171.	कुमितीपाठी	15
	172.	मदुक्करई	9
	173.	मलायांदिपट्टोनम	104
	174.	मंगलम	40
	175.	मन्नूर	125
	176.	मंथिरीपलायम	18
	177.	मेट्टूबावी	219
	178.	मेट्टूपलायम	55
	179.	मुदालीपीलायम	38
	180.	मुदीस	33
	181.	मुरंगापट्टी	114
	182.	मुथूगुंडानूर	58
	183.	नचिमूथू पोलिटेकनीक	64
	184.	नवक्काराय	8
	185.	नेगानाम	167
	186.	ओदीपुदूर-1	5
	187.	पल्लादाम	1
	188.	पल्लीपलायम	35
	189.	पाप्पमपट्टी	111
	190.	पेदाप्पमपट्टी	160
	191.	पेरियानाइकेनपलायम	2
	192.	पेरीआंदिपलायम	14
	193.	परीआपोदू	40
	194.	पेरूमनल्लूर	26
	195.	पेरूथोलूवू	45
	196.	पिचमपलायम पुदूर	21
	197.	पोदानूर	1
	198.	पोल्लाची	508
	199.	पोंगांलूर	6
	200.	पोन्नेगौंडनापुदूर	2
	201.	पूलावाडी	107
	202.	पुदूपलायम	23
	203.	एस.कुमारापलायम	44
	204.	संगानूर	3
	205.	सरावानमपट्टी	34
	206.	सरकारसमाकुलम	51
	207.	संजेरीपुदूर	35
	208.	सेथूमदाई	18
	209.	कोसोलायारनगर	219
	210.	सोमानूर	184
	211.	सुल्तानपेट	54
	212.	सूलूर	45
	213.	टी. नल्लीगौंडनपलायम	56
	214.	ठेक्कालूर	51
	215.	थेरामपलायम	6
	216.	थोंदोमुथूर	19
	217.	थुडीआलूर	9
	218.	थुंगावी	127

1	2	3	4
	219.	तिरुप्पूर	59
	220.	तिरुप्पूर-एन आर के पुरम	10
	221.	तिरुप्पूर-वीरापांदी	123
	222.	वी. कल्लीपलायम	65
	223.	वी. वेलूर	56
	224.	वदाक्कीपलायम	142
	225.	वगारायमपलायम	76
	226.	वलावादी	109
	227.	वालपराई	461
कुड्डालोर	228.	अदानापट्टू	57
	229.	अलादी	47
	230.	आलमपूंदी	106
	231.	अमेरी	12
	232.	अनंतपुरम	112
	233.	अनाथुर	47
	234.	अंदरायानाल्लूर	3
	235.	अराकंदानल्लूर	97
	236.	अरासमपट्टू	51
	237.	अरीयालूर	217
	238.	अशोकापुरी	46
	239.	अथानूर	22
	240.	अवालूरपेट	7
	241.	अवानीपुर	59
	242.	अक्कट्टी	134
	243.	अक्किननगुडी	217
	244.	आयनगुडी	36
	245.	बी. मुटलूर	25
	246.	भुवानागिरी	59

1	2	3	4
	247.	ब्रम्मादेसम	64
	248.	सीसीएसएम नगर	89
	249.	सीडीएम-अंनमलोईनगर-आरएसयू	31
	250.	चातीराम	194
	251.	चिदंबरम टेम्पल आरएसयू	35
	252.	चिदंबरम-मेन	7
	253.	चिदंबरम-सक्थिनगर	6
	254.	चिन्नासलेम	194
	255.	कुड्डालोर पुड्डूपलायम	1
	256.	कुड्डालोर सिपकोट	2
	257.	कुड्डालोर-परियाकुप्पम	43
	258.	ईलावनासुरकोट्टई	75
	259.	एनाथिमंगलम	55
	260.	एन्नायिराम	122
	261.	जी. अरीयूर	168
	262.	गिंगी	92
	263.	इल्लूडू	13
	264.	कदमबुलियूर	76
	265.	कादूवनूर	2
	266.	कलामरुदूर	104
	267.	कल्लाकुरीची	154
	268.	कल्लाकुरीचे अन्नानगर	120
	269.	कालपट्टू	51
	270.	कम्मापुरम	105
	271.	कनाई	50
	272.	कंदाचिपुरम	188
	273.	कजानूर	66
	274.	करासनूर	303

1	2	3	4
	275.	करुवेप्पीलनकुरीची	184
	276.	कट्टूमन्नारकोईल	19
	277.	केदर	28
	278.	किल्लई	45
	279.	किल्लयनूर	110
	280.	किलसेवूर	34
	281.	कोमारातची	110
	282.	कूनीमेदू	97
	283.	कूठाकूंदी	49
	284.	कोराक्काईवदी	141
	285.	कोझीपक्कम	170
	286.	कुल्लनचवादी	75
	287.	कुरुनजीपादी	36
	288.	लालपेट	6
	289.	मैलम	50
	290.	मैलम-टेम्पल	66
	291.	मानलूरपेट	244
	292.	मंगलमपंट	23
	293.	मनमलाई	93
	294.	मराक्कानम	54
	295.	मेलमलाथानूर	29
	296.	मेलपट्टाबाक्कम	5
	297.	मूंगिल थुरईपट्टू	44
	298.	मुगईयूर	224
	299.	मुंदीयम्बाक्कम	16
	300.	मुरारबाद	143
	301.	मुरुक्केरी	147
	302.	मुट्टाथुर	21

1	2	3	4
	303.	नाडुकुप्पम	36
	304.	नाडुवीरपट्टू	45
	305.	नागालूर	176
	306.	नैनरपलायम	165
	307.	नाल्लनपिल्लईपेटराल	33
	308.	नल्लूर	82
	309.	नेदीमोझिआनूर	50
	310.	नेल्लिकुप्पम	11
	311.	नेयवेली	23
	312.	नेयवेली-टीएस-मेन	14
	313.	आलाक्कूर	158
	314.	ओराथुर	53
कुड्डालोर	315.	ओथियाथूर	54
	316.	ओट्टनपट्टू	13
	317.	पेथमपाडी	34
	318.	पलायनकोट्टई	232
	319.	पंचमोदेवी	126
	320.	पनरुटी	20
	321.	पेन्नावम	111
	322.	पेरपेरियानकुप्पम	19
	323.	पेरुवलूर	13
	324.	पिदागाम	10
	325.	पन्नाथुर	32
	326.	पोर्टानोवो	4
	327.	पोट्टोअम	26
	328.	पुदूछतरम	61
	329.	पुदूपट्टू	168
	330.	पुक्कीरवारी	200

1	2	3	4
	331.	रामनाथम	162
	332.	रेट्टानाथ	116
	333.	ऋषीवंदीयम	72
	334.	संकारापुरम	69
	335.	साथनकुप्पम	154
	336.	सेरापट्टू	7
	337.	सेविआथोप	76
	338.	सिरुप्पक्कम	319
	339.	सिवालिंगामादाम	196
	340.	सूलनकूरिची	96
	341.	श्रीमुशनम	34
	342.	टी. नेदुनचेरी	68
	343.	तगाराय	111
	344.	थगादी	91
	345.	वीरप्पनगिरी	30
	346.	वेनपेयरपुदूपलायम	24
	347.	थिरुथुरायूर	198
	348.	थिरूवामपट्टू	17
	349.	व्यागाद्रूरगम	161
	350.	टिंडीवाणम	154
	351.	टिंडीवानम जयपुरम	27
	352.	तिरुकोइलूर आरएसयू	92
	353.	तिरुन्नावलूर	105
	354.	तिरुपचानूर	73
	355.	तिरुवेन्नाईनाल्लूर	81
	356.	टीटागुडी	118
	357.	उलंदूरपेट	36
	358.	उप्पूवेलूर	76
	359.	वी. पागनदाई	77
	360.	वाडाककानंदाल	93
	361.	वदालूर	25
	362.	वाडापोनपराप्पी	55
	363.	वलावी	16
	364.	वलावनूर	155
	365.	वलायमादेवी	18
	366.	वल्लम	56
	367.	वल्लमपडुगई	31
	368.	वेदूर	19
	369.	वीरापंदी	96
	370.	वीरापेरेमनाल्लूर	97
	371.	वेल्लिमलाई	28
	372.	वेल्लिवेदूपेट्टाई	140
	373.	वेप्पूर	176
	374.	विकरावंदी	28
	375.	विल्लूपुरम	120
	376.	विल्लूपुरम ई.एस.पुरम	51
	377.	विल्लूपुरम एस.जी. पुरम	2
	378.	विल्लूपुरम सलईमेदू	116
	379.	विल्लूपुरम रागावनपेट	7
	380.	विरीयूर	84
	381.	विरुधाचलम	327
	382.	विरुधाचलम बाजार	16
धरमपुरी	383.	विरुधाचलम पी नगर	22
	384.	ए. सेट्टीपल्ली	15
	385.	अलापट्टी	21
	386.	आनंदूर	15

1	2	3	4
	387.	अंदेवनापल्ली	4
	388.	अंजेट्टी	50
	389.	अरासमपट्टी	24
	390.	अवथावादी	164
	391.	बी अग्राहरम	62
	392.	बगालूर	26
	393.	बंदाहल्ली	36
	394.	बरगूर	68
	395.	बेगराहल्ली	24
	396.	बेलरामपट्टी	6
	397.	बेरीगाय	7
	398.	भारथीपुरम	8
	399.	बोम्मीदी	12
	400.	चिन्नमपल्ली	25
	401.	देनकनिकोट्ठा	14
	402.	धरमपुरी	35
	403.	धरमपुरी आरएसयू	7
	404.	डोड्डमपट्टी	31
	405.	ऐरीयूर	151
	406.	गोपीनाथामपट्टी	5
	407.	गुंडमपट्टी	21
	408.	गुम्मालापुरम	14
	409.	एच. इचमबादी	59
	410.	हलेधरमापुरी	12
	411.	हलीसीबम	7
	412.	हनुमंतपुरम	25
	413.	हरुर	25
	414.	होसुर सिपकोट	2
	415.	होसुर (न्यू टैक)	4
	416.	होसुर (टाऊन आरएसयू)	1
	417.	इंदूर	127
	418.	इरूदूकोट्टाह	43
	419.	जगादेवी	254
	420.	जक्कासमुद्रम	23
	421.	जरुगू	85
	422.	ज्वालागिरी	45
	423.	कक्कादासम	22
	424.	कलिआग्रहरम	32
	425.	कल्लावी	2
	426.	कालूगोंडापल्ली	1
	427.	कामनघोदी	29
	428.	कंबाईनल्लूर	35
	429.	कन्नादाहल्ली	10
	430.	कप्पलवादी	75
	431.	करापट्टू	6
	432.	करीमगलेम	63
	433.	कावेरीपट्टनम (आरएसयू I)	19
	434.	कावेरीपट्टीनम (आरसएयू II)	32
	435.	किराईपट्टी	70
	436.	केलामंगलम	22
	437.	कोप्पालूर	55
	438.	कोट्टापट्टी	10
	439.	कृष्णागिरी	15
	440.	कृष्णागिरी आरएसयू	2
	441.	कृष्णापुरम	103
	442.	के आर पी डैम	18

1	2	3	4
	443.	कुरुबाराहल्ली	11
	444.	लालीगम	115
	445.	मादागोंडापल्ली	72
	446.	मेदपट्टी	4
	447.	महाराजाकदाई	103
	448.	मारदाहल्ली	8
	449.	माथुर	11
	450.	मटलमपट्टी	44
	451.	मोरनाहल्ली	90
	452.	मोराप्पूर	74
	453.	मुस्लिम पुर	7
	454.	नल्लमपल्ली	101
	455.	नाम्मनदाहल्ली	12
	456.	नंदीमंगलम	17
	457.	नारीपल्ली	10
	458.	नेरालागिरी	8
	459.	नेरुप्पुर	69
	460.	ओडासलपट्टी	3
	461.	पालाकोड	123
	462.	पन्नानदूर	14
	463.	पापारेड्डीपट्टी	15
	464.	पप्पारापट्टी	83
	465.	पेन्नाग्राम	108
	466.	पेरुम्बलाई	66
	467.	पिडेमानेरी	1
	468.	पोचमपल्ली	42
	469.	पोचमपल्ली सिपकोट	4
	470.	पूचूर	72
	471.	पुलीकराई	48
	472.	रामापुरम	45
	473.	रोयाकोट्टाह	40
	474.	एस. मुडुगनापल्ली	26
	475.	समालपल्लाम	1
	476.	समालपट्टी	8
	477.	सनमावू	35
	478.	संतूर	32
	479.	सेम्मानाहल्ली	41
	480.	सिंगारापेट	9
	481.	सिठेरी	91
	482.	टी. अम्मापेट	3
	483.		12
	484.		11
	485.	थल्ली	114
	486.	थीरथामलाई	20
	487.	थोप्पूर	66
	488.	वराठानपल्ली	147
	489.	वेलामपट्टी	58
	490.	वेलांनूरा (ए के थांडा)	24
	491.	वेप्पामपट्टी	27
	492.	वेप्पानापल्ली	2
कराईकुडी	493.	अबीरामाम	16
	494.	अलागूमनागरी	81
	495.	अलागुंडी	23
	496.	अनांदूर	102
	497.	अथियूथू	12
	498.	अट्टागुंडी	44

1	2	3	4
	499.	भोगालूर	68
	500.	चेट्टोनाड	81
	501.	चित्तरकोट्टाई	2
	502.	चोक्कानाथापुरम	13
	503.	देवाकोट्टाई	190
	504.	देवीपट्टीनम	11
	505.	एक्काकुडी	13
	506.	एरीयूर	51
	507.	एरवाडी	28
	508.	इडायामेलूर	100
	509.	इलायागुंडी	89
	510.	कडालाडी	15
	511.	कल्यालकोयल	74
	512.	कल्लाल	92
	513.	कमूठी	28
	514.	कंदरमनीक्कम	103
	515.	कन्नानगुडी	105
	516.	कराईकुडी-के. कट्टी ओ सीबी	5
	517.	कराईकुडी-कलानीवासल	6
	518.	कराईकुडी-सेनजाई	4
	519.	कराईकुडी-सुवराभनियापुरम	6
	520.	कोरीसालपट्टी	3
	521.	करुप्पुर	70
	522.	कोलासेलवेनूरु	20
	523.	किलाक्काराई	40
	524.	किलासेवलपट्टी	76
	525.	कोडूनल्लानपट्टी	2
	526.	कुमारावेल्लूर	155
	527.	कुंडराकुडी	66
	528.	मडागुपट्टी	94
	529.	माहीबलानपट्टी	50
	530.	मल्लाकोट्टाई	79
	531.	मनामादुराई	2
	532.	मंडापाम	4
	533.	मंगलाकुडी	144
	534.	मंजूर	51
	535.	मरावनमंगलम	10
	536.	मेलासिरुबोटू	73
	537.	मुडुकुलादूर	47
	538.	मुराईयुर	44
	539.	मुट्टाकुरिची	30
	540.	नैनारकोयल	62
	541.	नारीप्पाईयूर	16
	542.	नट्टारासानकोट्टाई	5
	543.	नीरावी	36
	544.	नेरकुप्पाई	17
	545.	ओक्कूर	121
	546.	ओप्पीलान	20
	547.	पदमाथूर	90
	548.	पागानेरी	16
	549.	पनाईकुलाम	2
	550.	पंडीयूर	69
	551.	पंदुगुडी	44
	552.	परमाकुडी	138
	553.	परमाकुडी आरएसयू	55
	554.	परम्बाकुडी	90

1	2	3	4
	555.	पार्थीबनूर	18
	556.	पीरकालईकाठ	9
	557.	पराईयूर	7
	558.	पेरियापट्टीनम	62
	559.	पेरुनली	16
	560.	पेरुगुलम	2
	561.	पिरानमलाई	35
	562.	पूलांकुरीची	45
	563.	पोट्टाम्बायल	15
	564.	पुदूमडम	2
	565.	पुदूवयाल	23
	566.	पुलियाल	116
	567.	पुन्नीथिपट्टी	4
	568.	राजागामबिराम	20
	569.	राजसिंगमंगलम	103
	570.	रामनाद मराठी नगर	8
	571.	रामनाद-पुराना	109
	572.	रेगूनाथपुरम	5
	573.	सलाईग्रामाम	57
	574.	सठानकुलाम	20
	575.	सठारासांकोट्टाई	6
	576.	सयालगुडी	28
	577.	शानमूगंनाथापुरम	122
	578.	सिक्कल	37
	579.	सिंगमपुनेरी	16
	580.	शिवगंगा	29
	581.	एस.पी. पट्टीनम	29
	582.	एस.आर. पट्टीनम	57
	583.	श्रीराम नगर	5
	584.	सुरानाम	20
	585.	टी. मरियूर	9
	586.	थमासकुलाम	96
	587.	थयारावकी	40
	588.	थिरुवेल्ली	26
	589.	थिनाईकुलाम	5
	590.	थिरुकोस्टीयूर	68
	591.	थिरुपथूर	56
	592.	थिरुपुलानी	17
	593.	थिरुवरांगम	120
	594.	थिरुवेगामपथू	132
	595.	थिरुवेटरीयूर	24
	596.	टोंडी	58
	597.	तिरुप्पेचेट्टी	1
	598.	तिरुप्पालाईकुडी	8
	599.	तिरुवडानाई	187
	600.	उचीपुली	14
	601.	उठाईकुलाम	29
	602.	उप्पूर	83
	603.	वी. पुदूर	48
	604.	वलिनोक्कम	14
	605.	वेदालाई	3
	606.	वेल्लाम्बापुरम	73
	607.	वेटरीयूर	68
कुम्बाकोनम	608.	अडूथूराई	79
	609.	अक्कूर	92
	610.	अम्बागाराथूर	19

1	2	3	4
	611.	अनाकाराचांतराम	181
	612.	दारासुराम	1
	613.	इलानथोप	57
	614.	कडालानगुडी	175
	615.	काली	12
	616.	कामराजनगर (आरएसयू)	2
	617.	कराईकल	18
	618.	कराईकालमेडू	28
	619.	किलीयानूर	5
	620.	कोल्लूमनगुडी	67
	621.	कोमल	20
	622.	कोनेरीराजपुरम	2
	623.	कोठांडापुरम	86
	624.	कोट्टूचेरी	15
	625.	कुम्बाकोणम (आरएसयू)	1
	626.	कुम्बाकोणम	1
	627.	कुट्टालाम	35
	628.	मडानाम	120
	629.	मनालमेडू	21
	630.	मंगानल्लूर	40
	631.	मयीलादूथूराई	70
	632.	मेलाचलाई	63
	633.	मोहानूर	86
	634.	मुरुक्कानगुडी	20
	635.	नागापट्टीनम I	15
	636.	नागापट्टीनम II	34
	637.	नागोर	11
	638.	नक्कामबाडी	4
	639.	नाचियारकोयल	40
	640.	नेडूगांडू	13
	641.	नीदूर	7
	642.	निरावी	3
	643.	पनानगुडी	13
	644.	पदानाल्लुर	107
	645.	पेरामबूर	110
	646.	पूमबुहार	95
	647.	पोराईयार	56
	648.	पुडूपल्ली	154
	649.	पुडूपट्टीनाम	148
	650.	एस.के. पुडूर	32
	651.	शंकरानपंडाल	94
	652.	सेमबाजास्कोयल	180
	653.	शोलापुरम	5
	654.	सिक्कल	13
	655.	सिरकाली	279
	656.	सिठारकाडू	7
	657.	श्री निवासनगर (आएसयू)	1
	658.	श्रीनिवासपुरम	5
	659.	स्वामीमलाई	16
	660.	टी.आर. पट्टीनाम	16
	661.	थट्टूपेनचेरी	2
	662.	तिरुचेराई	29
	663.	तिरुमुल्लाईवासल	108
	664.	तिरुनागेश्वरम	14
	665.	तिरुपनांडल	7
	666.	तिरुपुंडी	50

1	2	3	4
	667.	तिरुपुरामबियाम	52
	668.	तिरुवेनगाडू	155
	669.	चिट्टाचेरी	16
	670.	तिरुकढ़ाईयूर	8
	671.	तिरुमंडनगुडी	46
	672.	तिरुनल्लारु	32
	673.	तिरुवलांगाडू	23
	674.	तिरुविदाईमारथारू	39
	675.	वडाकाराई	22
	676.	वैठीस्वर्णकोयल	71
	677.	वैलानकन्नी	48
	678.	वेलीपलायम	29
	679.	वेंगाटेश्वरानगर	19
	680.	वेट्टाकरानीरुप्पू	122
	681.	विल्लाचियूर	61
मदुरै	682.	ए. नालरोड	67
	683.	ए. वेल्लालापट्टी	20
	684.	बटलागुंडु	3
	685.	बटलागुंडु अम्मायानायाक्कनुर	18
	686.	बटलागुंडु निलाकोट्टई	52
	687.	बटलागुंडु पट्टीवीरानपट्टी	116
	688.	बटलागुंडु विलामपट्टी	74
	689.	बोदीनायाक्कनुर	9
	690.	चत्रापट्टी	71
	691.	चेलामपट्टी	16
	692.	कुम्बुम चिन्नामनुर	41
	693.	देवाथुर	59
	694.	डिंडीगुल पंडरीमलई	7
	695.	डिंडीगुल रेड्डियारचत्रम	58
	696.	गुंडुपट्टी	37
	697.	हाईवेवीज	16
	698.	इडयाकोट्टई	65
	699.	के.सी. पट्टी	28
	700.	काल्लीगुडी	43
	701.	काल्लीमंडायम	98
	702.	कंचारामपेट्टई	12
	703.	करुंगालाकुडी	87
	704.	कावुंजी	17
	705.	कीलावलावु	81
	706.	कीरानुर	38
	707.	कूडाकोइल	4
	708.	कोरीकडावू	83
	709.	कोट्टमपट्टी	80
	710.	कुलामंगलम	3
	711.	लक्ष्मीपुरम	43
	712.	एम. पुडुपट्टी	37
	713.	मदुरै कल्लंद्री	16
	714.	मदुरै मेलूर	47
	715.	मदुरै नरसिंगमपट्टी	5
	716.	मदुरै ओथाकडई	30
	717.	मदुरै समयानाल्लुर	8
	718.	मदुरै थिरुमंगलम	8
	719.	मंकलामकोबू	19
	720.	मन्नांडीमंगलम	70
	721.	मरकमपट्टी	37
	722.	मुधुनाइकेनपट्टी	129

1	2	3	4
	723.	मुथुसामीपट्टी	29
	724.	माइलाडुप्पारई	115
	725.	ओड्डनचत्रम	171
	726.	ओड्डनचत्रम अम्बीलिक्कई	98
	727.	ओड्डनचत्रम ओडईपट्टी	79
	728.	पचलूर	23
	729.	पालामेडू	59
	730.	पलानी कनाक्कनपट्टी	52
	731.	पन्नईकाडु	2
	732.	पप्पाम्मट्टी	38
	733.	पेरैयुर	37
	734.	पेरुमलपुदूर	2
	735.	पेरुमपराई	2
	736.	पूलामपट्टी	72
	737.	पूलाथुर	3
	738.	पूलियामाराथुरोड	5
	739.	राजधानी	17
	740.	रोयाप्पनपट्टी	56
	741.	शोलावंदन	35
	742.	शोलावंदन अलंगानालुर	46
	743.	शोलावंदन वादीपट्टी	30
	744.	सिद्धीरेड्डीपट्टी	13
	745.	सिलइमान	26
	746.	सुब्बुलापुरम एम.	30
	747.	टी. कल्लुपट्टी	43
	748.	थेनी औंडीपट्टी	56
	749.	थेनी गंडामनुर	36
	750.	थेनी जैयामंगलम	90
	751.	थेनी कमाचीपुरम	48
	752.	थेनी उपस्पट्टी	53
	753.	थिरुवडावुर	59
	754.	थुम्बईपट्टी	88
	755.	थुम्मागुंडू	9
	756.	उरंगनपट्टी	6
	757.	उथप्पानैक्कानुर	5
	758.	वरुसनाडु	5
	759.	वेल्लालुर	215
	760.	विरालीपट्टी	118
	761.	विरुवीडू	81
नागरकोइल	762.	अलूर	33
	763.	अरम्बोली	3
	764.	अरुमनई	262
	765.	आझागप्पापुरम	18
	766.	बूथापोंडी	83
	767.	चेरुवल्लुर	163
	768.	कोलाचेल	302
	769.	ईथामोझी	133
	770.	कडयालुमूडु	82
	771.	कलियाथाक्काविलई	80
	772.	करिंगल-I	463
	773.	करिंगल-II	480
	774.	कट्टाथुरई	430
	775.	कीरिपरई	7
	776.	कोल्लनकोड-I	732
	777.	कोल्लनकोड-II	88
	778.	कुलासेकरम	238

1	2	3	4
	779.	कुझीथुरई	296
	780.	लॉवर कोडायर	34
	781.	मनक्काविलई	59
	782.	मरयांडम	101
	783.	मूवत्तुकोणम	96
	784.	मुत्तोम	331
	785.	नागरकोइल-I	216
	786.	नेय्यूर	331
	787.	पैनकुलम	335
	788.	पाथुकानी	4
	789.	रमनपुथूर	26
	790.	रामापुरम	12
	791.	स्वामीथोप्पू	26
	792.	थाडीकरनकोणम	40
	793.	थेंगईपट्टनम	113
	794.	थेंगमपुथुर	35
	795.	थिरुवत्तर	182
	796.	थिरुविथनकोड	123
	797.	थुक्काले	619
	798.	वडासरी	4
पांडिचेरी	799.	अरियानकुप्पम	2
	800.	औरोविल्ले	5
	801.	एलांगो नगर	8
	802.	कालापेट	1
	803.	कांडामंगलम	1
	804.	करियामानिक्कम-I	2
	805.	किरुमबक्कम-II	1
	806.	लॉसपेट	6
	807.	मेट्टूपलायम	6
	808.	मूलाकुलम	2
	809.	मुथियालपेट	5
	810.	नटेसन नगर	10
	811.	ओसंदई कीरापलयम	5
	812.	पांडिचेरी-I	7
	813.	रेनबो नगर	2
	814.	तवलाकुप्पम	1
	815.	तिरुचित्रमबलम-I	3
	816.	तिरुक्कनुर-I	3
	817.	विलियानुर-I	2
सलेम	818.	कलप्पनईकेनपट्टी	1
	819.	मोलासी	3
तंजावुर	820.	पल्लक्कापलयम	3
	821.	अदलईयुर	34
	822.	अलाथुर	2
	823.	अम्मयाप्पन	190
	824.	अम्मापेट	5
	825.	अरुंदावापुलम	124
	826.	अवनम	2
	827.	अवूर	87
	828.	अयक्कारनवुलम	283
	829.	अय्यामपेट	203
	830.	बुडालुर	58
	831.	एकाकीलईयुर	52
	832.	एडायाथी	1
	833.	हरिद्रामंगलम	4
	834.	इदईयुर	131

1	2	3	4
	835.	कदमबंगुडी	28
	836.	कल्लापेरमबूर	55
	837.	करियापट्टिनम	287
	838.	करुवाकुरिची	117
	839.	कसंगाडू	4
	840.	कटचनम	189
	841.	कट्टूर	36
	842.	किलवेलुर	255
	843.	कोडवासल	45
	844.	कोडियाक्कारई	25
	845.	कूथानल्लूर	243
	846.	कोराडाचेरी	181
	847.	कोट्टईथेरू	36
	848.	कोट्टूर	226
	849.	कोविलादी	9
	850.	कुलामंगलम	14
	851.	कुरुंगुलम	77
	852.	कुरुवपुलम	197
	853.	मदुक्कुर	7
	854.	मन्नारगुडी ओसीबी मेन	319
	855.	मरुर	6
	856.	मेलाथीरुपन्थुरुथी	47
	857.	मेलातुर	89
	858.	मेलौलुर	30
	859.	मथुपेट	18
	860.	नादूकावेरी	58
	861.	नादूवक्कालाप्पल	111
	862.	नन्नीलम	151
	863.	निदामंगलम	224
	864.	ओक्कानाडुकीलईयुर	19
	865.	ओरथानाडु	94
	866.	पडप्पानरवायल	1
	867.	पपनासम	134
	868.	पप्पनाडु	210
	869.	परवाकोट्टई	107
	870.	पट्टुकोट्टई मेन-I	15
	871.	पट्टुकोट्टई मेन-II	19
	872.	पट्टुकोट्टई आरएसयू	2
	873.	पेरावुरानी	11
	874.	पेरुमगलुर	1
	875.	पेरुपन्नईयुर	60
	876.	पिन्नईयुर	18
	877.	पूंडी	14
	878.	पूंम्बोपट्टम	110
	879.	पीटीके 81	3
	880.	पुनावसल	80
	881.	पुन्नईनल्लुर	80
	882.	राजगिरी	29
	883.	सदाम्परकोइल	21
	884.	सास्त्र	22
	885.	सेल्वापुरम	78
	886.	सेम्बोदई	414
	887.	सेंगीपट्टी	92
	888.	सिम्बावल्ली	118
	889.	थंगातुर	46
	890.	थलाइनायर	80

1	2	3	4
	891.	थलायामंगलम	27
	892.	थानीक्कोट्टगम	73
	893.	तंजावुर (एनएचयू)	6
	894.	तंजावुर मेन ई 10 बी	2
	895.	तंजावुर मेन ओसीबी	19
	896.	तंजावुर (केआरएसयू) ओसीबी	34
	897.	तंजावुर (एमसीआरएलयू) ई 10बी	20
	898.	तंजावुर (एमसीआरएलयू) ओसीबी	2
	899.	तंजावुर (पीआरएसयू) ओसीबी	10
	900.	तंजावुर (एस. पुरम)	9
	901.	थिरुचित्रम्बलम	1
	902.	थिरुवकट्टुपल्ली	36
	903.	थिरुकुवलई	57
	904.	थिरुमक्कोट्टई	111
	905.	थिरुमरुगल	52
	906.	थिरुपयाथांगुडी	117
	907.	थिरुथंगुर	76
	908.	थिरुथुरईपूंडी	35
	909.	थिरुवईयुरु	175
	910.	थिरुवरुर मेन-I	17
	911.	थिरुवरुर मेन-II	11
	912.	थिरुवरुर आरएसयू	344
	913.	थोंडारामपट्टु	90
	914.	थुलासीयामपट्टीनम	104
	915.	थुवरनकुरिची	1
	916.	उडया मरथांडापुरम	52
	917.	उल्लीक्कोट्टई	139
	918.	उम्बालाचेरी	10
	919.	उरनीपुरम	100
	920.	वडापतीमंगलम	152
	921.	वडासेरी	2
	922.	वदुवूर	103
	923.	वल्लम	3
	924.	वेदारणयम	198
	925.	विलाकुदी	101
तिरुनेलवेली	926.	अलामनाईकिरपट्टी	171
	927.	अलानकुलम	12
	928.	अलवारकुरीची	109
	929.	अम्बासमुद्रम	241
	930.	बुरकीतमानग्राम	88
	931.	चेरनमहादेवी	109
	932.	चेट्टीकुलम	180
	933.	कोर्टाल्लम	2
	934.	देवारकुलम	132
	935.	एरुवडी	41
	936.	गंगैकोंदन	106
	937.	इडैकल	4
	938.	इट्टामोझी	88
	939.	कादयम	127
	940.	कादयानल्लूर	6
	941.	कालाकड	169
	942.	कलिंगापट्टी	84
	943.	करिवालाम्वंतनल्लूर	87
	944.	कुदानकुल्लम	125

1	2	3	4
	945.	कुरुक्कलपट्टी	122
	946.	कुट्टम	25
	947.	मानूर	60
	948.	मारनताई	39
	949.	मारुतकुलम	63
	950.	मावडी	101
	951.	मेलासेवल	22
	952.	मिट्टातरकुलम	36
	953.	मूलैकरैपट्टी	73
	954.	मुक्कुदल	55
	955.	नादूवकूरुची	53
	956.	नागरम	75
	957.	नानगुनेरी	78
	958.	नवलाडी	110
	959.	पालवूर	166
	960.	पम्पूकोइलशंडी	66
	961.	पानगुडी	125
	962.	पाननकुलम	84
	963.	पानवडाली चतराम	165
	964.	पारापदी	104
	965.	पवूरचतराम	68
	966.	पुलियानगुडी	36
	967.	पुलियाराई	20
	968.	राधापुरम	66
	969.	रामकृष्णनपुरम	79
	970.	सामुरेंगापुरम	165
	971.	संकारानकोइल	36
	972.	सेंदामारम	56
	973.	सेंगुलम	37
	974.	शेनकोट्टई	5
	975.	शिवगिरी	30
	976.	सुरंदई	12
	977.	तेनकासी	11
	978.	तेनकासी कोक्सियल	7
	979.	तुलुक्कारपट्टी	76
	980.	तिरुनेलवेली	3
	981.	तिरुनेलवेली अनबूनगर	17
	982.	तिरुनेलवेली एनजीओ कॉलोनी	8
	983.	तिरुनेलवेली पेट्टई	13
	984.	तिरुनेलवेली संकरनगर	5
	985.	तिरुनेलवेली वी.एम. चतराम	4
	986.	तिरुवेम्बालापुरम	65
	987.	तिरुवेनगादम	93
	988.	तिसैयानविलई	62
	989.	उक्कीरनकोट्टई	91
	990.	उलगानकुलम	90
	991.	उतुमलई	20
	992.	उवरी	89
	993.	वदाकरई	4
	994.	वडाक्कानकुलम	220
	995.	वल्लीयूर	29
	996.	वसुदेवनल्लुर	67
	997.	वीरकेरलाम्पुतुर	4
	998.	वीरवानल्लूर	6
	999.	वेंकटेश्वरपुरम	19
	1000.	विक्रमसिंहपुरम	139

1	2	3	4
त्रिची	1001.	एयरपोर्ट टीआर कैंट	5
	1002.	अल्लानगुडी पुडुकोट्टई	193
	1003.	अम्बालावान नेंदल	42
	1004.	अम्बूरपट्टी	79
	1005.	अम्मापालयम	113
	1006.	अम्मापट्टीनम	117
	1007.	अमूर	18
	1008.	अंदाकुलम	68
	1009.	अंदीमादम	129
	1010.	अंगानूर देलावई	3
	1011.	अन्ना नगर टीआर एम.जी. गेट	6
	1012.	अन्नामंगलम	15
	1013.	अन्नासल कीरानूर	98
	1014.	अरतांगी मुख्य	81
	1015.	अरतांगी आरएसयू	118
	1016.	आरासर कुलम	126
	1017.	अराक्कुरीची पल्लापट्टी	9
	1018.	अरिमालम पेन्नामरावती	108
	1019.	अरियालूर	193
	1020.	अरियूर	1
	1021.	अम्बावूर	85
	1022.	असावीरानकुडीकादू देलावई	20
	1023.	अत्तानी	111
	1024.	अतिपालयम	35
	1025.	अतियूर	108
	1026.	औदीपट्टीकोट्टई	5
	1027.	अवनातम कोट्टई	146
	1028.	अवूदैयार कोइल	249
	1029.	अय्यामपालयम	17
	1030.	बी. मेतुर	17
	1031.	बिकशानदर कोइल टीआर ओसीबी	14
	1032.	कावेरी नगर	109
	1033.	चेतीकुलम	37
	1034.	चेतीपालयम करुर	7
	1035.	चिन्नादारपुरम पाल्लापट्टी	26
	1036.	चिन्नाकोन विदुति काराम्बाकुदी	64
	1037.	चिन्नानदन कोइल करुर	15
	1038.	चिंतामणिपट्टी	144
	1039.	चेलानकुदीकादु देलावई	11
	1040.	देलावई अरियालूर	90
	1041.	डालमिया पुरम अरियालूर	1
	1042.	एदामालईपट्टीपुदुर टीआर कैंट	7
	1043.	एदाया कुरीची	68
	1044.	एलाकुरिची	213
	1045.	एलुमुर	90
	1046.	एलुरपट्टी	33
	1047.	एरागुडी	43
	1048.	एरैयुर पेराम्बालुर	88
	1049.	एसानातम	45
	1050.	जी. उदयपट्टी	33
	1051.	गणपतिपुरम गंदर्वकोट्टई	69
	1052.	गंदर्वकोट्टई पुदुकोट्टई I व II	90
	1053.	इल्लुपुर	91
	1054.	इनामपुलियुर	19
	1055.	इलुपुलिकुरीची	35

1	2	3	4
1056.	जमाल मोहम्मद कालेज टीआर कैंट		2
1057.	जम्बूनाथ पुरम		95
1058.	जयम कोदम		134
1059.	के.के. नगर टी आर कैंट		6
1060.	के. परमाती		89
1061.	के. पुदुकोट्टई		125
1062.	कदमपट्टी		46
1063.	कादवूर		53
1064.	कगीतापुरम I व II		2
1065.	कल्ला कोट्टई		25
1066.	कल्याणनगर पेराम्बलूर		54
1067.	कनियालाम्पट्टी		65
1068.	कन्नानूर		130
1069.	कन्याकुडी		21
1070.	करम्बाकुडी I व II		176
1071.	करट्टाम्बाट्टी		39
1072.	कारुमंडपम टीआर कैंट		7
1073.	करुर बाजार		12
1074.	करुर ई 10 बी		28
1075.	करुर मुख्य ईडब्ल्यूएसडी		12
1076.	करुवूर		53
1077.	कासीपालयम		91
1078.	कतुपुतुर		72
1079.	कत्तूर टीआर ई 10 बी		4
1080.	कावलकारन पट्टी		32
1081.	कीलानील कोट्टाई		121
1082.	कीलापालूवूर अरियालूर		144
1083.	कीरामंगलम		112
1084.	कीरानूर		102
1085.	कील्लूकोट्टई		21
1086.	कोदालीकारुपुर		33
1087.	कोदुम्बालुर चतराम		18
1088.	कोलाकनातम		64
1089.	कोलाकुडी		65
1090.	कोनापेट		56
1091.	कोनाप्पम्मपट्टी		74
1092.	कुत्तुर		51
1093.	कोट्टईपट्टीनम		126
1094.	कोविलपट्टी		47
1095.	कृष्णाजीपट्टीनम		60
1096.	कृष्णाराया पुरम		46
1097.	कुलीपिरई		69
1098.	कुलीतलई		50
1099.	कुलुमुरदेलावई		23
1100.	कुमारन नगर टीआर एम.बी. गेट		5
1101.	कुन्नम		37
1102.	कुप्पाकौंदानवलासु		52
1103.	कुरुम्बापट्टी		23
1104.	लब्बाईकुडीकाडू पेराम्बलूर		80
1105.	लालापेट		31
1106.	लालगुडी टीआर ओसीबी		16
1107.	एलएन पुरम अरनतांगी		36
1108.	मचुवडी पुदुकोट्टई		13
1109.	मलईकोइलूर		13

1	2	3	4
	1110.	मलईबूर	164
	1111.	मलयालापट्टी	13
	1112.	मान्नाचन्बल्लूर टीआर	37
	1113.	मानमेडु	15
	1114.	मानपराई	115
	1115.	मानपतुर दलवई	6
	1116.	मांडैयूर कीरानूर	38
	1117.	मंगूनकाडु पेराम्बलूर	1
	1118.	मानमंगलम	36
	1119.	मारमादाकी	34
	1120.	मारुवतूर	91
	1121.	मथुरापुरी वूरैयरु	45
	1122.	मीनसूरीती	26
	1123.	मेइकालनईकनपट्टी	31
	1124.	मेलाकालकांदर कोट्टई टीआर कैंट	7
	1125.	मेलातनिम्मोम	95
	1126.	मेत्तुपालयम	32
	1127.	मिमिसाल	134
	1128.	मिन्नगर अरियालूर	47
	1129.	मुश्तकीनतूपट्टी	31
	1130.	मुसिरी	68
	1131.	मुतरासनाल्लूर टीआर ई 10वी	25
	1132.	एन पूल्लमपट्टी	41
	1133.	नचालूर	89
	1134.	नचंदूपट्टी	135
	1135.	नादूपट्टी	26
	1136.	नगलपुरम	103
	1137.	नगमंगलम टीआर कैंट	49
	1138.	नगर पट्टी	43
	1139.	नागुडी	140
	1140.	नन्नीडरपुदुर	17
	1141.	नरनमंगलम	94
	1142.	नवलूर कुट्टापट्टू टीआर ई 10वी	6
	1143.	न्यू टी नगर टीआर एमजी गेट	4
	1144.	एनजीओ कोलोनी, पुडुकोट्टई	13
	1145.	नूतापुर	60
	1146.	नोय्यल करुर	68
	1147.	ओएफटी तिरुवरमबुर	6
	1148.	ओक्काराई	18
	1149.	ओल्ड तिरुवेरम्बुर टीआर कैंट	7
	1150.	पचपेरुमलपट्टी	104
	1151.	पडालूर	37
	1152.	पलाकुरिची	65
	1153.	पल्लापट्टी मेन	30
	1154.	पल्लापट्टी आरएस् (I और II)	19
	1155.	पंजापट्टी	60
	1156.	पप्पागुडी	67
	1157.	परमबुर	33
	1158.	पवित्तरम	49
	1159.	परमबल्लूर-I	79
	1160.	पेरियाकुरुची दलवई	22
	1161.	पेरुमलपलयम तुरयूर	60
	1162.	पेरुंगलपुर	100
	1163.	पेरुवलपुर	1
	1164.	पेट्टईवतालई टीआर ई 10 वी	6
	1165.	पिल्लई मंगलम	76

1	2	3	4
	1166.	पोनबेनी	121
	1167.	पोनमलाई पट्टी टीआर कैंट	13
	1168.	पोन्नमस्वामी	68
	1169.	पोनपराप्पी	84
	1170.	पोतमेट्टूरापट्टी मनापराई	16
	1171.	पुडुकोट्टई	77
	1172.	पुडुवेट्टकुडी	146
	1173.	पुगालूर करुर	1
	1174.	पुलियवलम	73
	1175.	पुल्लमबाडी	3
	1176.	पुन्नामचतरम करुर	57
	1177.	पुरातकुडी टीआर ई 10बी	1
	1178.	पुतानमपट्टी	80
	1179.	पुतानम	57
	1180.	आरएस मतुर दलवई	22
	1181.	राजगोपालपुरम पुदुकोट्टई	13
	1182.	रंगियूम	51
	1183.	रायावरम	150
	1184.	आरईसी टीआर कैंट	9
	1185.	समयपुरम टीआर एमजी गेट	6
	1186.	समुद्रम	16
	1187.	सांगलीपनदरपुरम टीआर कैंट	4
	1188.	सन्नासिनाल्लूर दलवई	15
	1189.	सेंदूराई	125
	1190.	सेंगल	56
	1191.	सेंगांतूपट्टी	29
	1192.	शनमुगंनगर टी.आर. एम.जी.गेट	4
	1193.	सिलात्तूर	76
	1194.	सिपकॉट पुडुकोट्टई	16
	1195.	सिरुगम्बूर टीआर ई 10बी	6
	1196.	सिरुगनपुर पेरम्बलूर	17
	1197.	सिरुगनूर टीआर कैंट	5
	1198.	सिवायम	55
	1199.	सोमरसमपेट्टई टीआर एमजी गेट	79
	1200.	सोमुरकोयफल्ली करुर	45
	1201.	श्रीपुरनंतन	114
	1202.	श्री रंगम टी आर एम.जी. गेट	11
	1203.	सुब्रमणियमपुरम	52
	1204.	सुंगगाते करुर	14
	1205.	सुरियूर टीआर कैंट	10
	1206.	टी. मुरुंगपट्टी	82
	1207.	टी. नगर टीआर एम.जी. गेट	11
	1208.	टी. पालुर	65
	1209.	तम्बीरानपट्टी पेराम्बलूर	8
	1210.	तंडालाईपुडलुर	70
	1211.	तंतोन्द्रीमलाई I करुर	3
	1212.	तंतोन्द्रीमलाई II करुर	4
	1213.	तातीगंर पेट	82
	1214.	तेन्नीलाई	61
	1215.	तिरुकोकरनम पुडुकोट्टई	30
	1216.	तिरुमलाईरायापुरम	13
	1217.	तिरुमनुर	71
	1218.	तिरुमयम	90
	1219.	तिरुमजापाडी अरियलपुर	106
	1220.	तिरुपराईतुराई टीआर ओसीबी	10
	1221.	तिरुपुनावसल	54

1	2	3	4
	1222.	तिरुवल्लारसेलई	3
	1223.	तिरुवनाईकोइल टीआर एम.जी. गेट	5
	1224.	तिरुवेरम्बूर	7
	1225.	तोगामलाई	110
	1226.	तोत्तियम	60
	1227.	तुलार दलवई	24
	1228.	तुरईमंगलम पेरम्बलूर	119
	1229.	तुरय्यूर	159
	1230.	तुवरकुरिची मनपराई	42
	1231.	त्रिची कैंटोनमेंट	30
	1232.	त्रिची मेंगूरदगेट	19
	1233.	त्रिची संजीवी नगर	1
	1234.	उदयारपलयम	120
	1235.	यूडीसी तिरुवेरम्बूर	12
	1236.	उल्कोट्टई	63
	1237.	उप्पीदमंगलम I और II करुर	113
	1238.	उप्पलियापुरम तुरईयूर	156
	1239.	वी. कलातुर पेरम्बलूर	173
	1240.	वडागाडु	209
	1241.	वडीवेल नगर I और II करुर	27
	1242.	वैरामडाई	46
	1243.	वैयामपट्टी	36
	1244.	वलयपट्टी	20
	1245.	वलिकांदपुरम	133
	1246.	वल्लातिरकोट्टई पुडुकोट्टई	180
	1247.	वंगल करुर	27
	1248.	वंकरम दलवई	6
	1249.	वरागनेरी टीआर एमजीगेट	5
	1250.	वरियाकेवल	88
	1251.	वयालुर पाडी	50
	1252.	वेल्लियनाई	59
	1253.	वेगांमेडू करुर	29
	1254.	वेतांनपट्टी	42
	1255.	वेप्पनतत्तई	82
	1256.	वेप्पूर	166
	1257.	विक्रममंगलम	93
	1258.	विलनगुडी अरियलपुर	121
	1259.	विरलिमलई कीरनूर	58
	1260.	येम्बाल	44
तुतीकोरिन	1261.	अल्वरतिरुनगरी	73
	1262.	चेतीकुरिची	121
	1263.	किस्तीनगरम	76
	1264.	देईवाचयलपुरम	140
	1265.	दुरईयूर	146
	1266.	एम्मोडुम्वेन्द्रन	88
	1267.	एरल	26
	1268.	एट्टायापुरम	180
	1269.	इलयरासनेनदल	44
	1270.	कदालय्यूर	57
	1271.	कदम्बूर	40
	1272.	कालुगुमलाई	184
	1273.	करुवेलम्बादू	81
	1274.	कायलपट्टिनम	2
	1275.	कायातर	45
	1276.	कोडियानकुलम	62
	1277.	कोगरयकुरिची	19

1	2	3	4
	1278.	कोविलपट्टी	13
	1279.	कुलातूर	151
	1280.	कुरुक्कुचलाई	9
	1281.	मनापाडू	16
	1282.	मनियाची	127
	1283.	मेइग्ननपुरम	4
	1284.	मेलकरांघई	129
	1285.	मुडीवैतनेंडल	81
	1286.	नाडुवकुरिची	2
	1287.	नगलापुरम	36
	1288.	नालतिनपुत्तूर	15
	1289.	नजरेत	129
	1290.	ओट्टापिदरम	40
	1291.	पाडुक्कपट्टू	18
	1292.	परमनकुरिची	46
	1293.	पासुवनतुनाई	85
	1294.	पझायकयल	41
	1295.	पेईकुलम	16
	1296.	पेरिलोवनपट्टी	88
	1297.	पुडुकोट्टई	61
	1298.	पुडुर	42
	1299.	पुन्नाकायल	66
	1300.	पुतनतरुवई	34
	1301.	पुतियमपुतुर	10
	1302.	सतानकुलम	49
	1303.	सवयरपुरम	63
	1304.	सेइंदुगंनल्लूर	27
	1305.	सेराकुलम	7
	1306.	सिवगनानपुरम	64
	1307.	श्रीवैकुंतम	18
	1308.	तारु वैकुलम	14
	1309.	तिरुचेंदूर	10
	1310.	तूतीकोरिन	5
	1311.	तूतीकोरिन अपनगर	2
	1312.	तूतीकोरिन सी नगर-1	6
	1313.	तूतीकोरिन कृष्णा	2
	1314.	तुतीकोरिन एम पुरम	3
	1315.	तुतीकोरिन एम.एस. पुरम	5
	1316.	तुतीकोरिन सिपकोट	5
	1317.	वल्लानाड	3
	1318.	वीरापट्टी	58
	1319.	वेम्बर	106
	1320.	वेप्पालोडई	7
	1321.	विलातिकुलम	71
	1322.	विल्लीसेरी	72
वेल्लोर	1323.	अगरमचेरी	1
	1324.	अलगनानदल	26
	1325.	अलनगयम	94
	1326.	अम्बालूर	37
	1327.	अनाईकट	145
	1328.	अन्दियाप्पनूर	157
	1329.	अन्वरतिकनपेट	82
	1330.	अराकोनम-III	70
	1331.	अराकोनम-I	90
	1332.	अराकोनम-II	65
	1333.	अराकोनम कावेरीपक्कम	109

1	2	3	4
1334.	अराकोनम तक्कोलम		62
1335.	अरनी		243
1336.	अरनी कन्नामंगलम		264
1337.	बनावरम		69
1338.	ब्रम्मदेसम		33
1339.	चेतपेट		36
1340.	चिन्नापल्लीकप्पम		22
1341.	दमारापक्कम		96
1342.	देसूर		96
1343.	देविकापुरम		77
1344.	एरव्यूर		162
1345.	गुडियातम		45
1346.	गुडियातम-परनाम्बुट		20
1347.	गुरुवराजपेट्टई		74
1348.	हसनामपेट		68
1349.	जमनामरतूर		3
1350.	के.आर. तंगल		96
1351.	के.वी. कुप्पम		170
1352.	काजलनाई केनपट्टी		103
1353.	कलम्बूर		38
1354.	कलसपक्कम		25
1355.	कलावई		82
1356.	कल्लापाडी		47
1357.	कंडापलायम		31
1358.	कंजी		59
1359.	करीगिरी		108
1360.	करुम्बुर		13
1361.	कट्टाम्पुंडी		63
1362.	कवानूर		148
1363.	केलूर		40
1364.	किल्कोडुंगलूर		52
1365.	किल्कोवलाय विडु		22
1366.	किल्पेनाथुड़		50
1367.	कोडाक्कल		49
1368.	कुडापट्टु		151
1369.	कुलामंडल		62
1370.	कोसाक्कनपुडुर		82
1371.	कुन्नाथुड़		93
1372.	कुप्पानाथम		32
1373.	एम वी कुप्पम		64
1374.	मचमपट्टु		32
1375.	मधनुर		4
1376.	मलायुड़		72
1377.	मामनदुर		72
1378.	मंगलम		166
1379.	मेलपाडी		49
1380.	मेलपल्लीपट्टु		46
1381.	मित्तलम		19
1382.	मोरासापल्ली		51
1383.	मुनुगापट्टु		84
1384.	नदलगनंदल		146
1385.	नरथमपुंडी		20
1386.	नेमिली		65
1387.	नेसल		104
1388.	ओडुगाथुड़		77
1389.	ओन्नुपुरम		120

1	2	3	4
1390.	ओसुर		54
1391.	पाचुर		77
1392.	पदवेडु		35
1393.	पक्कमपलयम		24
1394.	पल्लीकोंडा		90
1395.	पल्लुड़		53
1396.	पनापक्कम		74
1397.	पाड़ादरम		58
1398.	परांजी		29
1399.	पटटुठक्कम		76
1400.	पेरियाकोलाप्पलुर		44
1401.	पेरियाकुलम		19
1402.	पेरनामल्लूर		54
1403.	पेरुनगुलाथुर		24
1404.	पोलुर		30
1405.	पोरकुनम		30
1406.	पुडुमाल्लावड्डी		50
1407.	पुरिसाय		36
1408.	रानीपेट-आरकोट		80
1409.	रानी पेट-मेल		11
1410.	रानी पेट-I		52
1411.	रानी पेट-II		41
1412.	रानी पेट मल्वीग्राम		63
1413.	रानीपेट-पोन्नाई		111
1414.	रानी पेट-शोलिनगर		37
1415.	रानीपेट-सिपकोट-II		42
1416.	रानीपेट-वालाजाह		28
1417.	रानथम		23
1418.	एस. मोट्टुर		62
1419.	एस पुडुपलायम		48
1420.	सक्करामल्लुर		70
1421.	संपतरायनपेट		49
1422.	संथावासल		40
1423.	साथानुर		48
1424.	सेम्पाली		36
1425.	सोमासिपड़ी		52
1426.	सुंदरमपल्ली		121
1427.	टीवी मलाई-I		45
1428.	टीवी मलाई-II		30
1429.	टीवी मलाई तमराज नगर		22
1430.	टीवी मलाई वेंगीकल		16
1431.	थंडरमपट्टु		36
1432.	थिम्मनमाथुर		70
1433.	टिगिरी		134
1434.	टिप्पसमुद्रम		71
1435.	तिरुपाथुर		271
1436.	तिरुपान्तुर जोलाड़ पेट		168
1437.	तिरुपत्तुर नत्रमपल्ली		93
1438.	तिरुपत्तुर-पुडुपेट		188
1439.	तिरुपत्तुर-विषमंगलम		151
1440.	तिरुवेत्तीपुरम		197
1441.	उस्सुर		101
1442.	वदम मंगलम		5
1443.	वक्काडाइ		82
1444.	वल्लड़पुरम		50
1445.	वल्लाथुर		42

1	2	3	4
	1446.	वनपुरम	96
	1447.	वनियमबाड़ी-I	128
	1448.	वनियमबाड़ी-II	7
	1449.	वेलाकनाथम	45
	1450.	वेलम	147
	1451.	वेलाकुट्टम	71
	1452.	वेल्लोर अम्मुनडी	113
	1453.	वेल्लोर कल्पुदुड़ आरएसवू	8
	1454.	वेल्लोर कन्यामबाड़ी	210
	1455.	वेल्लोर लाटेरी	194
	1456.	वेम्बाकम	56
	1457.	वेरायुर	128
	1458.	वेट्टावलम	25
	1459.	विलवरानी	23
	1460.	विन्नमंगलम	3
	1461.	विरिन्जीपुरम	123
	1462.	वांडीवाश	9
	1463.	वांडिवाश चेल्लर	120
विरुधुनगर	1464.	येलागिरि हिल्स	18
	1465.	अलागियानल्लूर	25
	1466.	अलंगुलम	78
	1467.	अमातुर	117
	1468.	अनुप्पांकुलम	68
	1469.	अप्पयानाईकेनपट्टी	100
	1470.	अरुप्पुकोटाई	132
	1471.	अवीयूर	28
	1472.	चतरापट्टी	18
	1473.	चोकनातानपुत्तुर	65
	1474.	चोलापुरम	53
	1475.	धालावाईपुरम	15
	1476.	इलाईरामपन्नाई	62
	1477.	एरीचनातम	30
	1478.	कावकीवादन पट्टी	137
	1479.	कालकुरीची	33
	1480.	कल्लूरानी	23
	1481.	कराईपट्टी	164
	1482.	कीलाराजाकुलारमण	33
	1483.	कूमापट्टी	37
	1484.	कुन्नूर	64
	1485.	एम. पुदुपट्टी	62
	1486.	एम. रेड्डिया पट्टी	51
	1487.	मलाईपट्टी	32
	1488.	मल्लांगीनर	45
	1489.	मल्ली	89
	1490.	मामसापुरम	2
	1491.	मीनाक्षीयपुरम	121
	1492.	मेट्टुगुंडु	36
	1493.	एन. सुब्बाईपुरम	83
	1494.	नरीकुडी	102
	1495.	नाथमपट्टी	23
	1496.	नैनमेनी	95
	1497.	ओ. मेट्टुपट्टी	13
	1498.	पी रामचन्द्रपुरम	78
	1499.	पलवानतम	12
	1500.	पंडालगुडी	59
	1501.	परालाची	57

1	2	3	4
	1502. आरआर नगर		114
	1503. राजापलायम		22
	1504. राजीव नगर आरएसयू		63
	1505. शंकरलिंगपुरम		70
	1506. सात्तुर		90
	1507. सेंगुंडरापुरम		15
	1508. सेवलपट्टी		41
	1509. सीतुराजापुरम		2
	1510. शिवकाशी-I		25
	1511. शिवकाशी-II		12
	1512. शिवकाशी आर.एल. आरएसयू		5
	1513. शिवलिंगपुरम		23
	1514. शिवकाशी टीटीएल आरएसयू		6
	1515. श्री विल्लीपुत्तुर		22
	1516. सुन्दरापंडीयम		41
	1517. ताईलपट्टी		34
	1518. तिरुचुली		132
	1519. उपपत्तुर		29
	1520. वीराचोलन		38
	1521. वेम्बाकोटाई		80
	1522. विरुधुनगर आल्लमपट्टी		1
	1523. विरुधुनगर कलेक्टोरेट		7
	1524. विरुधुनगर-I		64
	1525. वटराप		73
	जोड़		99,195

कुटीर उद्योगों को नुकसान

6880. श्री सुव्रत बोस: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्यों में प्रभावित हुए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अंतर्गत स्थापित 4 इकाईयों को तमिलनाडु और केरल में सुनामी के कारण कुछ नुकसान हुआ है। वितरण निम्नोक्त है:

राज्य	इकाइयों की संख्या	इकाइयों का विवरण	नुकसान की राशि (रु.)
तमिलनाडु	तीन	2 ईंट निर्माण तथा एक चूना पत्थर के संग्रहण में लगी हुई हैं।	88,000 रु.
केरल	एक	आटा चक्की	1,50,000 रु.

(ग) जबकि, तीन प्रभावित इकाइयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, चौथी के जल्दी ही उत्पादन पुन: आरंभ करने की आशा है।

[हिन्दी]

कतर के अमीर का दौरा

6881. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतर के अमीर हाल में भारत के दौरे पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और तेल और गैस, नागरिक उड्डयन, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना

प्रौद्योगिकी, पर्यटन, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे द्विपक्षीय हित के मामलों और कतर में प्रवासी भारतीयों के कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इन आदान-प्रदानों से आपसी लाभ के द्विपक्षीय सहयोग को बल मिलेगा और इसमें वृद्धि होगी।

जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम

6882. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन्हें ऋण, अनुदान तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ख) कार्यक्रम किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के नाम क्या है तथा ये कार्यक्रम किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं तथा ऋण, अनुदान तथा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गई धनराशि का वर्ष-वार, कार्यक्रम-वार तथा एजेन्सी-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी तथा कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदर्शन, और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करता है। सहायता के लिए प्रमुख मापदण्ड है क्रियान्वयन एजेंसी की विश्वसनीयता और प्रमाणित कार्य-इतिहास परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता और लक्षित दल के लिए प्रस्तावित लाभ। प्रस्तावों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है और बाद में अंतिम अनुशंसा के लिए इन्हें विशेषज्ञों के कार्यदल के समक्ष रखे जाते हैं।

(ख) परियोजनाओं का विश्वविद्यालयों, अनुसंधान व विकास संस्थानों, सरकारी संस्थानों, स्वायत्त और राष्ट्रीय संस्थानों, कॉलेजों, गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ न्यासों आदि द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। इसलिए राज्य सरकार की अनुदान राशि में भागीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाओं को दी गई सहायता निम्न प्रकार है:

लाख (रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का शीर्ष/एजेंसी	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृति की गई कुल राशि	दी गई राशि			कुल दी गई राशि
				I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी), जयपुर में "अलवर जिले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के लिए वर्मीकम्पोस्ट"	22.2.2000	17.11	6.20	3.205	0.00	9.405
2.	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, ए-11, महावीर उद्यान पथ, जयपुर-302015 में "राजस्थान के कुछ जिलों की	22.2.2002	67.20	19.40	12.578	0.00	31.978

1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी को शामिल करते हुए वर्मीकम्पोस्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों विशेषतौर पर गुलाब एवं बीज प्रजातियों और वन वृक्षों आदि में इसके प्रयोग''						
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र, वनस्थली विद्यापीठ, पोस्ट ऑफिस वनस्थली विद्यापीठ, जिला-टोंक-304022 में ''समृद्ध जैविक खादों का उत्पादन और प्रवर्धन और प्रमुख फसलों की उत्पादकता पर इनका प्रभाव''	1.11.2004	9.49	2.88	0.00	0.00	2.88

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रखरखाव

6883. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रखरखाव पर वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई,

(ख) क्या उक्त वार्षिक आबंटन सदैव ही आंध्र प्रदेश कं लिए कम होता है,

(ग) क्या राज्य में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता हालत में है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों में आबंटित धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं

वर्ष	आबंटन
2002-03	42.16 करोड़ रु.
2003-04	43.70 करोड़ रु.
2004-05	43.95 करोड़ रु.

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन संबंधित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, बाढ़ से हुई क्षति की सीमा और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1778 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य शुरु किया गया है। इसमें से 973 कि.मी. से चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष लंबाई में दिसंबर, 2007 तक इस कार्य के पूरे हो जाने की संभावना है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षित

कुल 2736 कि.मी. लंबाई में से गत पांच वर्षों में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 2300 कि.मी. में सुधार किया जा चुका है। शेष लंबाई में भावी योजनाओं में सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। इस तरह आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाएं

6884. श्री अनंत नायक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार इनमें से कुछ परियोजनाओं का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-I, चरण-II और चरण-IIIक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य सौंपा गया है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं

विवरण	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण-I	30,300.00 (1999 के मूल्यों पर)
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण-II	34,339.00 (2002 के मूल्यों पर)
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण-IIIक	22,000.00 (2004 के मूल्यों पर)

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-IIIक के अंतर्गत परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-I और II के अंतर्गत 7 ठेके कार्यान्वित किए जा रहे हैं और 31 ठेके निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) सार्वजनिक निजी भागीदारी से निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलती है तथा कुछ अवधि के लिए अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त परियोजनाओं का कुशलतापूर्वक और समय से पूरा किया जाना इसके अन्य लाभ हैं।

नई राष्ट्रीय डाक नीति

6885. श्री तापिर गाव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई नई राष्ट्रीय डाक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। यद्यपि औपचारिक रूप से किसी राष्ट्रीय डाक नीति का घोषणा नहीं की गई है, पिछले पांच दशकों से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित नीतिगत अनिवार्यताओं के अनुसार ही इस क्षेत्र के विकास को मार्गदर्शन मिला है। बहरहाल, संचार क्षेत्र में त्वरित गति से हो रहे विकास को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय डाक नीति की आवश्यकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में डाक सेवाओं की भूमिका और इनके भावी विकास को परिभाषित किया जाएगा। अभी तक कोई नई नीति प्रतिपादित नहीं की गई है।

ई.एम.सी. द्वारा सॉफ्टवेयर विकास और सहायता केन्द्र की स्थापना

6886. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एम.सी. निगम जो कि सूचना संग्रहण और प्रबंधन समाधान का एक विश्वव्यापी सेवा प्रदाता है, ने बंगलौर में अपना सॉफ्टवेयर विकास और सहायता केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक के लिए यह किस हद तक मददगार होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। 10 करोड़ रु. के आरम्भिक पूंजीनिवेश से सॉफ्टवेयर विकास के लिए एसटीपी (सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क) के अंतर्गत बंगलौर में मेसर्स ईएमपी डेटा स्टोरेज सिस्टम इंडिया प्रा. लि. के नाम से एक इकाई दिसम्बर, 2002 में अनुमोदित की गई है।

(ग) इस इकाई ने लगभग 450 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करके 66 करोड़ रुपए के संचयी निर्यात राजस्व की आय की है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की समीक्षा

6887. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (राजपत्रित) अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (राजपत्रित) अधिकारियों के बराबर समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संबंध में संवर्ग समीक्षा की गई है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मामले में किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा दो अलग-अलग सेवाएं हैं। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा अधिकारियों के कार्य की प्रकृति, कर्तव्य और जिम्मेदारियां, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों से भिन्न है। अत: केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित राजपत्रित अधिकारी पृथक हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के गठित संवर्ग पर 'अधिकारियों के समूह' जिसका सरकार के द्वारा गठन किया गया था, ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सदस्यों की कुछ प्रमुख शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से समग्र प्रशासन संघटनात्मक और सरकार के वित्तीय संबंधित सामंजस्य से अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर फ्लाई ओवर

6888. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 और 2005 के दौरान से अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को पार करते समय कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु कई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा फ्लाई ओवर का निर्माण कब तक कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) इस मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के राष्ट्रीय राजमार्गवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर निवेदित फ्लाई ओवरों और उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान जहां फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु अनुरोध/ अभ्यावेदन प्राप्त हुए	फ्लाई ओवर की स्थिति
1	2	3
1.	कापसहेड़ा इंटरसेक्शन-20.317 कि.मी. (दिल्ली-गुड़गांव खंड)	व्यावहारिक नहीं क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मानकों के अनुसार फ्लाई ओवर की अपेक्षित ऊंचाई उपलब्ध नहीं है।

1	2	3
2.	केन्द्रीय विहार-25.130 कि.मी. (दिल्ली-गुड़गांव खंड)	शुरु किया जा रहा है और दिसंबर, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	हीरो होंडा चौक-36.175 कि.मी. (दिल्ली-गुड़गांव खंड)	
4.	सूरत के समीप कदोदरा जंक्शन-260 कि.मी. (वड़ोदरा-सूरत खंड)	इन फ्लाईओवरों को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर वड़ोदरा-सूरत खंड को चार लेन बनाने की प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
5.	वड़ोदरा के समीप गोल्डन चौकड़ी-113 कि.मी. (वड़ोदरा-सूरत खंड)	
6.	348 कि.मी. पर दमनीजंपा (सूरत-मनोर खंड)	
7.	354 कि.मी. पर उदवड़ा रेलवे क्रासिंग (सूरत-मनोर खंड)	विद्यमान यातायात इन स्थानों पर फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है।
8.	375 कि.मी. पर भिलाड (सूरत-मनोर खंड)	
9.	418 कि.मी. पर चरोती (सूरत-मनोर खंड)	
10.	बलसाड़-कड़गांव क्रासिंग (सूरत-मनोर खंड)	

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

6889. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी अस्पतालों/संरक्षा गृहों/अन्य देखभाल केन्द्रों में मानसिक रूप से विकलांग कितने व्यक्तियों को रखा गया है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों/संरक्षा गृहों/अन्य देखभाल केन्द्रों में रखे गए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु कोई मार्गनिर्देश हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस समय सरकारी अस्पतालों/प्रोटेक्शन होमों/अन्य परिचर्या केन्द्रों में रखे गए मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय आधार पर डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ बिस्तर, पर्याप्त पेयजल, शौचालय, स्नानगृह तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों में बनाया गया भोजन आदि प्रदान की जाती हैं। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा एवं नर्सिंग परिचर्या प्रदान की जाती हैं। गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को अनिवार्य औषधियां नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। गरीब मरीजों को इलाज के प्रभारों में वित्तीय छूट भी दी जाती हैं।

तमिलनाडु में पी.सी.ओ के लिए लंबित आवेदन

6890. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न जिलों में विशेष रूप से तमिलनाडु के करुर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पी.सी.ओ.) की स्थापना हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पी.सी.ओ. की स्थापना हेतु लंबित इन आवेदनों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार करुर जिले सहित तमिलनाडु में स्थानीय और एसटीडी आईएसडी पीसीओ की संस्थापना से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु आतंकवाद के बारे में वैश्विक संधि

6891. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु आतंकवाद को रोकने हेतु वैश्विक संधि को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने संधि का समर्थन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) 13 अप्रैल, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से "नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों को दमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय" पारित किया गया। इस अभिसमय का उद्देश्य नाभिकीय सामग्री और पदार्थों के प्रयोग के साथ किए गए आतंकवादी कृत्यों को रोकना और उन पर दंड देना तथा ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के प्रत्यर्पण और अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना है।

(घ) यह अभिसयम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए 14 सितंबर, 2005 से 31 दिसंबर, 2005 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रखा जाएगा।

गाबापैन्टीन का विपणन

6892. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स पीफाइजर इंक ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसे मामले को शामिल किए जाने की स्वीकृति के बिना तंत्रिका संबंध दर्द के मामले में दंड स्वरूप और गाबापेन्टीन के प्रोत्साहन और विपणन हेतु कानून के उल्लंघन का मामला निपटाने के लिए 430 मिलियन डालर का भुगतान किया है;

(ख) क्या भारत के औषधि नियंत्रण महानिदेशक, मुम्बई ने भारत में तंत्रिका संबंधी दर्द (न्यूरोपेन) के मामले में गाबापेन्टीन के प्रोत्साहन और विपणन के लिए मेसर्स सन फार्मास्यूटीकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी बिक्री प्रोत्साहन और विपणन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मेसर्स फाइजर इंक ने न्यूरोपैथिक दर्द के मामले में संयुक्त राज्य में इसे शामिल किए जाने की अनुमति के बिना गोबापेंटीन के विपणन और संवर्धन के लिए कानून की अवज्ञा सम्बन्धी अभियोग के लिए 430 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया है।

(ख) और (ग) मेसर्स सन् फार्मा ने सूचित किया है कि गोबापैन्टीन नामक औषध (ब्रांडनाम गैबेन्टीन) का संवर्धन मिरगी रोग के उपचार के लिए संकेत स्वरूप किया जा रहा है अर्थात् मिरगी से ग्रस्त वयस्कों में सेकेंडरी जेनरलाइजेशन सहित और रहित आंशिक दौरों के उपचार में एघजंक्टिव थिरैपी के लिये इस औषध का संवर्धन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के पत्रों का जवाब

6893. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का जवाब देने के लिए राज्य सरकारें, "सेन्ट्रल सेक्रेटेरियल आफिसियल प्रोसेजर मैनुअल" में अन्तर्विष्ट मार्गनिदेशों के विद्यमान प्रावधान के अंतर्गत कवर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कवर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी एस एम ओ पी) में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यकारकों द्वारा सचिवालयीन कार्य के निष्पादन के लिए विभिन्न पद्धतियां निर्धारित की गयी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी एस एम ओ पी) में निहित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सम्मिलित करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद में रिक्त पद

6894. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अन्य श्रेणियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की श्रेणी और संख्या	पदों को भरने के लिए किए गए उपाए
1	2	3	4
1.	पूर्णकालिक निरीक्षक	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
2.	संयुक्त सचिव	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
3.	उप सचिव (चिकित्सा)	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
4.	विधि अधिकारी	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
5.	सहायक सचिव	2 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
6.	अनुभाग अधिकारी (अधीक्षक सहित)	1 (अनुसूचित जाति)	प्रोन्नतिवाला पद। कोई भी पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं।
7.	आशुलिपिक ग्रेड-I	2 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
8.	आशुलिपिक ग्रेड-III	2 सामान्य, 1 अ.पि.वर्ग, 1 अनु. जा.	प्रक्रियाधीन
9.	टेलिफोन आपरेटर-एवं-स्वागत अधिकारी	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
10.	कम्प्यूटर आपरेटर	3 सामान्य, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रक्रियाधीन
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	2 सामान्य, 1 अनु.जन.जा., 1 अनु. जा.	प्रोन्नतिवाला पद। कोई भी पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं।

1	2	3	4
12.	स्टोरकीपर	1 (सामान्य)	प्रोन्नतिवाला पद। कोई भी पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं।
13.	अवर श्रेणी लिपिक	2 सामान्य, 2 अ.पि.वर्ग, 1 अनु. जा., 1 शारीरिक रूप से विकलांग	प्रक्रियाधीन
14.	गेस्टेटनर आपरेटर	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
15.	चपरासी	2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनु.जन.जा.,	प्रक्रियाधीन
16.	इलेक्ट्रिशियन	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन
17.	डी जी सेट आपरेटर	1 (सामान्य)	प्रक्रियाधीन

खाद्य अनुपूरक रूप में रिवाइटल

6895. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्रीमती मेनका गांधी:
मो. मुकीम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स रैनबैक्सी अपने उत्पाद रि-वाइटल की बिक्री खाद्य-अनुपूरक के रूप में कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य अनुपूरक के रूप में इस उत्पाद की बिक्री के लिए रैनबैक्सी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) खाद्य की लाइसेंसिंग राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं।

केन्द्रीय खाद्य मानक समिति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन एक सांविधिक निकाय है, ने फरवरी, 1995 में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि किसी भी चिकित्सीय दावे के बगैर 'जिंगसेंग', को विशेष आहार के इस्तेमाल के लिए और चिकित्सीय खाद्यों को तैयार करने में खाद्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह सिफारिश विशिष्ट उत्पाद 'रिवाइटल' से संबंधित नहीं है। 'जिंगसेंग' एक जड़ी बूटी का अर्क है और यह 'रिवाइटल' का एक अवयव है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में रैनबैक्सी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया है।

मोबाइल नेटवर्क से गांवों को जोड़ना

6896. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसंबर, 2005 तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 5000 से ज्यादा की आबादी वाले 5000 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखंड और बिहार सहित देश में प्रत्येक राज्य में कितने गांवों और शहरों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया है और देश में ऐसे कितने गांव और शहर है जिन्हें मोबाइल नेटवर्क से अभी तक नहीं जोड़ा गया है;

(घ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में इस नेटवर्क से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों को जोड़ने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अभी तक नव गठित जिलों अथवा मध्यवर्ती क्षेत्र के तहत आने वाले जिलों को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों सहित 3966 शहरों में सेल्यूलर सेवा उपलब्ध कराई है। तहसील मुख्यालय तक अतिरिक्त शहरों को कवर करने हेतु नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों के व्यापक कवरेज के कारण इस समय 5000 से अधिक की आबादी वाले लगभग 6000 गांव सेल्यूलर सेवाओं के सांयोगिक कवरेज से लाभान्वित हुए हैं।

(ग) बीएसएनएल द्वारा सेल्यूलर सेवाओं से कवर किए गए शहरों और गांवों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गांवों सहित अन्य शहरों में सेल्यूलर सेवाओं का और विस्तार करने का निर्णय तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को देखते हुए लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल राष्ट्रीय राजमार्गों के एक बड़े हिस्से को पहले ही कवर कर चुका है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान, तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हिस्से को छोड़कर, इसका सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करने का प्रस्ताव है। केवल महत्वपूर्ण रेल मार्गों को सेल्यूलर मोबाइल से कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर किए गए शहरों और गांवों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किल	सेल्यूलर सेवाओं से कवर किए गए कस्बों/शहरों की संख्या	गांवों की कुल सं.	5000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों की कुल सं.	5000 से अधिक की जनसंख्या वाले तथा बीएसएनएल का सांयोगिक सेल्युलर कवरेज पाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	5	201	2	1
2.	आंध्र प्रदेश	241	29460	2286	522
3.	असम	53	24685	120	14
4.	बिहार	123	41077	3166	828
5.	छत्तीसगढ़	55	19720	25	33
6.	गुजरात	293	18125	960	485
7.	हरियाणा	106	6850	602	299
8.	हिमाचल प्रदेश	88	16925	9	7
9.	जम्मू और कश्मीर	38	6764	0	0
10.	झारखंड	70	71703	364	183

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	319	27066	839	285
12.	केरल	511	1468	1280	1016
13.	मध्य प्रदेश	149	51806	382	20
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	336	42467	1279	165
15.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)		7125		
16.	पूर्वोत्तर-II (नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश)	71	7020	172	84
17.	उड़ीसा	142	46989	184	50
18.	पंजाब	182	12687	223	100
19.	राजस्थान	138	39483	761	119
20.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	318	17924	1530	522
21.	उत्तर प्रदेश	526	103396	2550	862
22.	उत्तरांचल	54	15610	82	58
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	148	38774	1881	405
	जोड़	3966	647325	18697	6058

मोबाइल फोन कंपनियां

6897. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मोबाइल फोन प्रदान कर रही प्रमुख पांच मोबाइल कंपनियों के क्या नाम हैं और उनके उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एक सरकारी उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड, निजी मोबाइल आपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या को पार करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मैसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड, मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और मैसर्स हचिसन मैक्स टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड शीर्ष की ऐसी पांच मोबाइल फोन कंपनियां हैं जो देश में मोबाइल सेवा प्रदान कर रही हैं। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश: 104.78 लाख, 94.07 लाख, 93.30 लाख, 31.89 लाख और 15.12 लाख है।

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश के सभी सेवा क्षेत्रों में

जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशन) आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। बीएसएनएल ने अक्टूबर, 2002 से दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश भर में उत्तरोत्तर रूप से अपनी जीएसएम मोबाइल सेवा की शुरुआत की है और दो वर्ष तथा 6 महीने की अल्प अवधि के भीतर ही, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के सेल्युलर उपभोक्ताओं की संख्या 94.07 लाख हो गई है। सेवा की अच्छी गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करने और इसकी भारी मांग को पूरा करने की दृष्टि से बीएसएनएल का चालू वर्ष में अपने जीएसएम नेटवर्क की क्षमता में 14 मिलियन लाइनों द्वारा वृद्धि करने का प्रस्ताव भी है।

अस्पतालों में भस्मकों की स्थापना

6898. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक दिन राजधानी के 85 अस्पतालों द्वारा 40,000 प्रयुक्त सुईयों का ढेर जमा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल 40 प्रतिशत सुईयां ही नष्ट अथवा भस्म की जाती हैं और पुनर्चक्रित सुईयों का उपयोग देश में दो-तिहाई रोगियों पर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में पर्याप्त संख्या में भस्मक स्थापित किए गए हैं और उन्हें चालू रखा जाता है तथा कुड़े का प्रबंधन उचित रूप से किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में और अधिक भस्मकों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसी सूचना नहीं रखता है। जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, इस्तेमाल की गई सिरिंजों को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमावली, 1998 में निर्धारित की गई विधियों के अनुसार स्रोत पर ही विसंदूषित कर दिया जाता है। उसके बाद, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उनका निपटान कर दिया जाता है। केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में पहले ही इनसिनरेटर संस्थापित हैं जो चालू हालत में हैं और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवा

6899. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में दयनीय दूरसंचार सेवा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक जिला-वार कितनी शिकायतें मिली हैं और उनमें से अभी तक कितनी शिकायतों को निपटाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। बीएसएनएल को उत्तर प्रदेश में दयनीय दूरसंचार सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सेवाओं में सुधार के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री ब्रजेश पाठक से हाल ही में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजीटल माध्यम पर जोड़ना।

(2) भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रणालियों द्वारा बदलना।

(3) खंभा रहित नेटवर्क का निर्माण करना।

(4) मल्टी-एक्सचेंज नेटवर्क में और अधिक रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट/रिमोट लाइन यूनिट (आरएसयू/आरएलयू) खोलना और इस प्रकार एक्सचेंज क्षेत्र का आकार कम करना।

(5) वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली, डिजीटल लाइन कन्सेन्ट्रेटरों का प्रयोग करना।

(6) सिंगल बेस माड्यूल (एसबीएम) को आरएसयू एक्सचेंजों में बदलना।

(7) सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एक्सेस नेटवर्क-ग्रामीण ऑटोमैटिक एक्सचेंजों (एएन-आरएएक्स) में बदलना।

(8) एसडीसीसी (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र)/एलडीसीसी (लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र) में दोष दर्ज करने की केन्द्रीयकृत व्यवस्था।

(9) बैक-अप बिजली आपूर्ति के लिए रखरखाव मुक्त बैटरी सेटों और इंजन अल्टरनेटर की व्यवस्था।

(10) भविष्य में की जाने वाली आपूर्ति में, अधिक टॉक टाइम और स्टैंड बाई टाइम प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल-एफडब्ल्यूटी (वायरलेस इन लोकल लूप-फिक्सड वायरलेस टर्मिनल) के साथ विस्तारित रख-रखाव मुक्त बैटरी का प्रावधान।

(11) फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) सहित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक रख-रखाव ठेका (एएमसी) किया जाना और नयी आपूर्ति में एएमसी का प्रावधान।

(12) भविष्य में की जाने वाली आपूर्ति में 90-300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज में कार्य करने वाला डब्ल्यूएलएल एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।

(13) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005 के दौरान मोबाइल नेटवर्क क्षमता में 12.2 लाख कनेक्शनों की वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की गई है ताकि संकुलन की स्थिति समाप्त की जा सके, सेवा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और जबर्दस्त मांग को पूरा किया जा सके।

(14) बीएसएनएल द्वारा मोबाइल नेटवर्क का इसके कार्य-निष्पादन के लिए निरंतर इष्टतम उपयोग किया जा रहा है और नेटवर्क पर निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता के अनुसार कार्य-निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पोत, परिवहन बोर्ड की बैठक

6900. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत-परिवहन-मंत्रालय की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की 105वीं बैठक में तटीय पोत-परिवहन विकास पोत-परिवहन लाइनों का विनियमन, अपतटीय और समुद्री संभरण सहायक सेवा, नौवहन संबंधी मुद्दों, कराधान आदि जैसे क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ग) सरकार इन निर्णयों से कितनी सहमत है; और

(घ) इन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में विस्तृत विचार-विमर्श नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप, इस बारे में कोई भी विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

(1) स्वचालित पहचान-प्रणाली लागू की जाए। इस प्रणाली में किसी पोत पर ऐसी प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना अपेक्षित है, जिससे कि किसी पोत के बारे में दूसरे पोतों और तटीय प्राधिकारियों को स्वत: सूचना दी जा सके। भारत में समुद्री व्यापार की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय जल-सीमा में, भारतीय मॉनीटरिंग प्रणाली को अन्य समुद्री राष्ट्रों के बराबर कारगर बनाने की दृष्टि से उपर्युक्त प्रणाली का लागू किया जाना नितांत अनिवार्य है।

(2) संकट की मिथ्या चेतावनियां-सूचनाएं दिए जाने की रोक-थाम करने के ठोस और कारगर प्रयास किए जाएं। कुछ ही समय पहले संकट की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मिथ्या चेतावनियां-सूचनाएं दिया जाना आम बात हो गई है। ऐसी चेतावनियां-सूचनाएं दिए जाने की रोक-थाम करने की दृष्टि से नाविकों को इस बारे में जानकारी करवाने के प्रयोजन से जागरुकता-अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

(3) तटीय जलयानों के लिए अपेक्षित बंकरों और अतिरिक्त कल-पुरजों पर सीमा-शुल्क में छूट दे दी जाए ताकि तटीय नौवहन की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।

(4) उपर्युक्त मंत्रालय में, तटीय नौवहन, के विकास से संबंधित सभी मामलों के निपटारे की दृष्टि से एक शक्तिप्राप्त समिति का गठन किया जाए।

(ग) सरकार को अभी तक राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण की खरीद हेतु धनराशि

6901. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी एम.आर.आई. मशीनें, वेंटिलेटर्स और अन्य आधुनिक उपकरण नहीं खरीदे जा सके;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) केन्द्र सरकार के अस्पतालों के लिए आयातित उपकरणों सहित मूल्यवान उपकरणों की खरीद नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की जाती है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों के लिए 'मशीनरी और उपकरण' उप शीर्ष के तहत खरीदारी के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। तथापि, सफदरजंग अस्पताल के लिए सी.टी. स्कैन, एम आर आई, कोबाल्ट थिरेपी मशीनों के प्रापण के लिए वर्ष 2003-04 और 2004-05 में क्रयादेश दिए गए थे किन्तु इन वर्षों में मशीनें नहीं आ सकीं जिस कारण धनराशि लौटानी पड़ी। तथापि, उपकरण इस वर्ष प्राप्त कर लिए जाएंगे।

मूल्यवान उपकरणों के प्रापण की प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है तथा केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कार्यों का कैलेंडर परिचालित किया गया है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा अलोकप्रिय उत्पादों की बिक्री बंद करना

6902. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीद समिति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय 'उत्पाद की लोकप्रियता को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि दिनांक 7 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के भाग (क) में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पाद की, 'लोकप्रियता का निर्धारण' इसकी कुल बिक्री केन्द्रीय भण्डार तथा बाजार में क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय महत्व वाली अन्य ऐसे सहकारी संघों से बाहर इसकी बिक्री के अनुसार किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहा है, जिनकी ऐसी लोकप्रियता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उत्पादों की बिक्री को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु उत्पादों की लोकप्रियता एक मापदण्ड होता है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि वे सार्वभौमिक लोकप्रिय ब्रांड के उत्पादों के साथ-साथ सामान्य विनिर्दिष्टताओं वाले और स्थानीय मांगों वाले उत्पादों को भी बेचते हैं। किसी उत्पाद की तब तक बिक्री बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि ग्राहकों द्वारा उसकी मांग की जाती है।

सी.वी.सी. द्वारा रिश्वत के मामलों की जांच

6903. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को रिश्वत के मामलों की सीधे जांच करने का निदेश दिया है

जैसाकि दिनांक 24, मार्च 2005 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सीवीसी के पास वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच हेतु लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कदम पहले न उठाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय किया है कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही में अनुचित विलम्ब के ऐसे मामलों में स्वयं ही जांच आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 तथा 11 का आश्रय लेगा।

(ग) और (घ) जैसा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि 30.4.2005 तक की स्थिति के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे 94 मामलों में से जिन्हें अधिकारियों द्वारा सीधी जांच हेतु हाथ में लिया गया था, उनमें से 47 मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

आयु-सीमा पार करने वाले युवकों को रोजगार देना

6904. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार मिलने हेतु अनुमत्य आयु-सीमा पार करने वाले युवकों को रोजगार देने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका वित्तीय प्रभाव क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

(ग) इस विषय पर वर्तमान निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के रोजगार के लिए विचार किया जाना है जो विहित भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता संबंधी सभी मानदण्ड पूरा करते हैं।

राजस्थान की जनजातियों में मधुमेह रोग न होना

6905. **श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ जनजातियों विशेषकर राजस्थान के आदिवासी लोगों में अभी तक मधुमेह रोग का एक भी मामला सामने नहीं आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई सी एम आर ने इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु अध्ययन शुरु किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में राईसा और गैर-राईसा समुदायों तथा ऊंटनी के दूध का उनके उपयोग पर यादृच्छिक अध्ययन किए हैं। राईसा समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का औसत फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 90.4 एम जी प्रतिशत है जबकि गैर-राईसा समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का औसत फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 95.2 एम जी प्रतिशत है। यह पाया गया कि ऊंटनी का दूध पीने वाले राईसा समुदाय में मधुमेह की व्याप्तता शून्य प्रतिशत है, ऊंटनी का दूध नहीं पीने वाले राईसा समुदाय में मधुमेह की व्याप्तता 1.1 प्रतिशत है और उसी भौगोलिक तथा सामाजिक-कृषि वातावरण में रहने वाले परन्तु ऊंटनी का दूध नहीं पीने वाले गैर-राईसा समुदाय में मधुमेह की व्याप्तता 2.8 प्रतिशत है।

इस बात की पुष्टि करने के लिए और ज्यादा अध्ययनों की जरूरत पड़ेगी कि ऊंटनी के दूध के उपभोग से वास्तव में डायबिटिज मेलीटस की घटनाओं में कमी होती है। इस संबंध में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ऊंटनी के दूध की मधुमेह-रोधी गुणों पर दो अध्ययन शुरु करने प्रस्तावित किए हैं। इनका शीर्षक "ऊंटनी के दूध के हाइपोग्लाइसेमिक/इंसूलिन जैसे कार्यकलाप: मधुमेह/इंसूलिन प्रतिरोध के पशु माडलों में प्रभाव का परिमाणन" और "सामान्य ग्लूकोज सहनशीलता वाले वयस्कों में ग्लूकोज मेटाबलिजिम और राईसा समुदाय में टाईप 2 डायबिटिज पर ऊंटनी के दूध का प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन" है। अध्ययन अभी शुरु नहीं किए गए हैं और ये अध्ययन संभवत: 2005 में शुरु होंगे और ये अध्ययन शुरु होने की तारीख से संभवत: दो वर्ष में पूरे हो जाएंगें।

प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक

6906. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की जल्दी ही देशभर के जिलाधिकारियों से भेंट करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो बैठक के स्थान और समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या ऐसी बैठक की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों से पूर्व परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए जाने वाले जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 19-20 मई, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस सम्मेलन में शासन से संबंधित तथा जिला स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिका के रूप में, पहचाने गए विषयों पर 8 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कि राज्य सरकारों ने अधिकारियों को नामित किया। इस सम्मेलन में कार्यशालाओं की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

नौकरशाहों की जिम्मेदारी

6907. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा नौकरशाहों और इंस्पेक्टर राज को और अधिक जिम्मेदार बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार को इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) विनियंत्रणात्मक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है एवं व्यापक उद्देश्यों को एवं कार्य को किए जाने की सम्पादन लागत एवं समय में कमी लाने एवं नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आसान एवं कठिनाई रहित बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विनियमों/विधेयकों में परिवर्तन किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों/मुद्दों को लिया गया है;

(1) एकल खिड़की निकासी एवं प्राधिकारी के दोहराने को टालना।

(2) गैर-संवैधानिक अनुमोदनों की मंजूरी के लिए समय-सीमाएं निश्चित करना।

(3) विशिष्ट संस्थानीय एवं संवैधानिक/विनियमित विशेषताओं को सुस्थिरित करना।

(4) अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं रखरखाव।

(5) कानूनों एवं प्रतिविधियों का सरलीकरण।

(6) नियमित निरीक्षकों की संख्या को कम करना।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति-व्यक्ति व्यय

6908. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मासिक उपभोग हेतु औसतन प्रति व्यक्ति व्यय क्रमश: 554/- रुपये और 1022/- रुपये है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रति-व्यक्ति औसत व्यय की गणना हेतु किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है; और

(घ) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम और अधिकतम व्यय राशि पृथक-पृथक कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) जी, हां। जनवरी-दिसम्बर 2003 के दौरान किए गए रा.प्र.सर्वे. के 59वें दौर के

आधार पर समस्त भारत औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एम पी सी ई) ग्रामीण भारत हेतु 554 रुपये और शहरी भारत हेतु 1022 रुपये था।

(ग) प्रति व्यक्ति औसत व्यय के अनुमान की गणना कुल अनुमानित उपभोक्ता व्यय को व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या से विभाजित करके की गई है। औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के अनुमान एक राष्ट्र व्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसमें 6,553 गांवों में फैले 26,143 ग्रामीण परिवारों और 3,757 शहरी ब्लाकों में फैले 14,870 शहरी परिवारों को 2003 के दौरान उन्हें वैज्ञानिक रूप से 59वें दौर में चुनने के पश्चात तैयार किया गया था।

(घ) 2003 के दौरान आयोजित रा.प्र.सर्वे. के 59वें दौर के आधार पर ग्रामीण भारत के लिए निम्नतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय श्रेणी (0-225 रुपये) के आधार पर औसत व्यय और उच्चतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय श्रेणी (950 रुपये और इससे अधिक) क्रमश: 195 रुपये और 1440 रुपये है। जबकि शहरी भारत के लिए, निम्नतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय श्रेणी (0-300 रुपये) के आधार पर औसत व्यय और उच्चतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय श्रेणी (1925 रुपये और इससे अधिक) क्रमश: 250 रुपये और 3116 रुपये है।

[अनुवाद]

घटिया/नकली दवाओं की आपूर्ति

6909. श्री एम. अप्पादुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम जनता से दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालयों में घटिया/नकली दवाओं की आपूर्ति होने के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सी.जी.एच.एस. औषधालयों में सप्लाई की जा रही दवाओं की जांच करने हेतु कोई औचक निरीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) कभी-कभार ऐसी शिकायतें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों से प्राप्त होती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के जरिए सप्लाई की गई औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक अन्त:निर्मित तंत्र है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) केवल पूर्व-जांच की गई औषधें ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो द्वारा हास्पिटल कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (एच.एस.सी.सी.) से स्वीकार की जाती हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली को औषधों को प्रचुर मात्रा (बल्क) में आपूर्ति करती है। एच.एस.सी.सी. दो सरकारी अधिकृत प्रयोगशालाओं से इन औषधों की जांच करवाती है और जांच रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो को औषधों की आपूर्ति के साथ प्रस्तुत करती है।

(2) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो द्वारा औषधों के यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं और सी आई पी एल, गाजियाबाद को औषधों के मानकों की जांच करने के लिए भेजे जाते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपों द्वारा औषधों के यादृच्छिक नमूने दिल्ली स्थित अनुमोदित प्रयोगशालाओं को भी जांच के लिए भेजे जाते हैं।

(4) जब विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं को भी नमूने भेजे जाते हैं।

उन दवाओं/औषधों के इस्तेमाल, जिन्हें नकली/घटिया किस्म का पाया जाता है, तत्काल बन्द कर दिया जाता है और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो से वापस उठा लिया जाता है और उसके बाद एच.एस.सी.सी. को वापस भेजा जाता है जिन्होंने औषधों की आपूर्ति की है। इसके अलावा, भारत के औषध महानियंत्रक को तत्काल सूचित किया जाता है कि वह औषधों की फर्म/आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करे।

2004-05 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत औषधालयों में औषधों के प्रयोगशाला परीक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:

औषध के कुल 57 नमूने उठाए गए जिनमें से :

(1) सी.डी.एस.सी.ओ. के जरिए औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा जांची गई औषधों की संख्या 34 है, तथा

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एम.एस.डी. द्वारा जांची गई औषधों की संख्या 23 है।

जांची गई औषधों की 57 मदों में से केवल एक मद को घटिया घोषित किया गया। (उस मद के 17 नमूनों को घटिया पाया गया)।

डी सी जी (आई) के औषध निरीक्षक आकस्मिक जांच भी करते हैं तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एम एस डी से नमूने उठाते हैं। वर्ष 2004 के दौरान औषध निरीक्षकों द्वारा ऐसी तीन आकस्मिक जांचें की गईं।

औषधों के विश्लेषण के बाद रिपोर्टों की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

(1) सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एककों को घटिया औषधों के इस्तेमाल को आस्थगित रखने एवं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एम.एस.डी. को शेष मात्रा वापिस करने की सलाह दी गई।

(2) एच.एस.सी.सी. से घटिया पाई गई औषधों की मात्रों को प्रतिस्थापित करने/उठाने का अनुरोध किया गया, जिसे बाद में किया गया।

(3) औषध महानियंत्रक (भारत) से उस फर्म के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया जिसने घटिया औषध विनिर्मित की थी।

[हिन्दी]

कोयला खानों द्वारा व्यक्तियों का पुनर्वास

6910. श्री श्रीचंद कृपलानी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों द्वारा विस्थापित किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कितने मामले कोयला कंपनियों के पास लंबित है;

(ख) तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनियों द्वारा अभी तक कंपनीवार कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(घ) शेष मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव): (क) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सीआईएल की पुनर्वास एवं पुन:स्थापना (आर. एण्ड आर.) नीति, 2000 के अनुसार विस्थापित परिवारों का चरणबद्ध रूप से पुनर्वास किया जाता है। सहायक कंपनियां न्यूनतम संभव समय के भीतर मामलों को निपटाने के लिए सभी प्रयास करती हैं और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के बाद ही खनन प्रचालन आरम्भ करती हैं। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार निपटाए गए कंपनीवार मामले नीचे दिए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	विस्थापित परिवारों की संख्या	पुनर्वासित परिवारों की संख्या
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1593	1593
2.	भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि.	1573	1573
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	1666	1666
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5503	5503
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	4281	4281
6.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	2576	2576
7.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	2321	2321
8.	नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	शून्य	शून्य
	कुल	19,513	19,513

कम्प्यूटरों की खरीद पर बढ़ाई गई वारंटी अवधि

6911. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कम्प्यूटर निर्माता कंपनियां कुछ शुल्क लेकर उनके कम्प्यूटरों पर बढ़ाई गई वारंटी अवधि की वैकल्पिक सुविधा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो शुल्क सहित अपने कम्प्यूटरों पर बढ़ाई गई वारंटी अवधि की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हेमेलिट पैकार्ड इंडिया लि. (एच.पी.)/कॉम्पैक जैसी कुछ कंपनियां उपभोक्ताओं से बढ़ाई गई वारंटी अवधि के लिए शुल्क लेने के बावजूद न तो बिल/कैश मैमो जारी कर रही हैं और न ही अपने बिलों में बढ़ाई गई वारंटी अवधि के शुल्क को नहीं दिखा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (मैट) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इस समय अधिकांश कम्प्यूटर विनिर्माण कंपनियां अपने कंप्यूटरों पर बढ़ी हुई वारंटी अवधि प्रदान कर रही हैं।

(ग) से (ङ) खरीद के समय दी गई बढ़ी हुई वारंटी अवधि उत्पाद के मूल्य में शामिल होती है अथवा एक मानक वारंटी जो उपभोक्ता खरीदता है आंशिक रूप से अधिक भुगतान करने पर बढ़ाई जा सकती है।

दोनों मामलों में ही यह ज्ञात हुआ है कि ग्राहक को वारंटी के समुचित दस्तावेज दिए गए हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित करना

6912. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि और वर्ष 2004-05 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित किए गए रोजगार के अवसरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु में शहरी बेरोजगार युवकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) योजनावधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अभी तक कितनी राशि का स्वरोजगार क्रेडिट दिया गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-03) 2004-05 (अनंतिम) के दौरान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत सृजित रोजगार अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1999-2000 (55वां पंचवर्षीय दौर), में संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, करन्ट डेली स्टेटस (सी डी एस) आधार पर शहरी क्षेत्रों में युवाओं (15-29 वर्ष) के बीच बेरोजगारी की दर 15.4 प्रतिशत है।

(ग) अब तक, 10वीं योजना अवधि अर्थात 2002-03 से 2004-05 (अनंतिम) के दौरान, पी एम आर वाई के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने क्रेडिट में 3161.52 करोड़ रुपये तक विस्तार किया है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2004-05 (अनंतिम) के दौरान, पी एम आर वाई के अंतर्गत सृजित रोजगार अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा

(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार* (सं.)
1	2	3
1.	हरियाणा	27773
2.	हिमाचल प्रदेश	10877
3.	जम्मू-कश्मीर	2529
4.	पंजाब	30086
5.	राजस्थान	48306
6.	चंडीगढ़	423
7.	दिल्ली	3027
8.	असम	18492
9.	मणिपुर	1622
10.	मेघालय	1086
11.	नागालैंड	371
12.	त्रिपुरा	6335
13.	अरुणाचल प्रदेश	1482

1	2	3
14.	मिजोरम	1419
15.	सिक्किम	98
16.	बिहार	36173
17.	झारखंड	17978
18.	उड़ीसा	25952
19.	पश्चिम बंगाल	11414
20.	अंडमान निकोबार	647
21.	मध्य प्रदेश	68463
22.	छत्तीसगढ़	12197
23.	उत्तर प्रदेश	151809
24.	उत्तरांचल	21507
25.	गुजरात	27332
26.	महाराष्ट्र	67580
27.	दमन एवं दीव	12
28.	गोवा	630
29.	दादर एवं नगर हवेली	15
30.	आंध्र प्रदेश	62196
31.	कर्नाटक	40740
32.	केरल	48155
33.	तमिलनाडु	44784
34.	लक्षद्वीप	45
35.	पांडिचेरी	1049
	कुल	792596

*अनुमानित दर 1.5 प्रति संक्षिप्तरित मामला

वरिष्ठ नागरिकों को आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक सुविधाएं

6913. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को उनके लिए निर्धारित किए गए आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक सी.जी.एच.एस. औषधालयों के अलावा किसी भी अन्य सी.जी.एच.एस. औषधालय से आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक सुविधाएं लेने की अनुमति देती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी सी.जी.एच.एस. औषधालय से आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक सुविधाएं लेने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) सी जी एच एस के आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक औषधालयों/यूनिटों में सुविधाओं का लाभ उठाना अपेक्षित है। आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक औषधालय उसी एलोपैथिक औषधालयों में होते हैं जहां सी जी एच एस कार्ड पंजीकृत हैं। तथापि, पेंशनभोगी कार्डधारकों से यदि अनुरोध प्राप्त होता है कि वे आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक उपचार सुविधा का लाभ निर्धारित औषधालय के अलावा सी.जी.एच.एस. के किसी दूसरे औषधालय से लेना चाहते हैं तो ऐसे अनुरोधों पर सी.जी.एच.एस. निदेशालय द्वारा उन अनुरोधों की मेरिट को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़

6914. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पताल रोगियों की भारी भीड़ संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या की गंभीरता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त समस्या पर काबू पाने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) चूंकि भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

तथापि, दिल्ली में केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों द्वारा रोगियों की भारी भीड़ की सूचना दी गई है। इन अस्पतालों में रोगियों की उपस्थिति की मानिटरिंग वार्षिक आधार पर की जाती है।

रोगियों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए पंजीयन के लिए कंपूटरीकरण, सामान्य नमूना एकत्रण, रोगी सूचना प्रणाली, अपराह्न में विशेष क्लिनिक तथा नामित अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण जैसे उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रेडियों फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग

6915. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायरलैस एंड कोर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू.पी.सी.) रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग को शासित करता है और प्रयोक्ताओं के लाइसेंस जारी/समीक्षा करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू.पी.सी. विंग प्रयोक्ता के रिकार्ड और डाटा बेस का रख-रखाव करने हेतु उपयुक्त प्रक्रिया बनाने में असमर्थ रहा है जिसके फलस्वरूप लाइसेंस फीस और बकाया राशि की वसूली नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामान्य सरकारी प्रथा के अनुसार वायरलैस लाइसेंसिंग संबंधी रिकार्ड पहले कागजों (हार्ड कॉपी), फाइलों और रजिस्टरों में रखे जाते थे। विश्व बैंक के ऋण से स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में डाटा बेस का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

पश्चिम बंगाल में राजमार्गों की मरम्मत और उनका रख-रखाव

6916. श्री जोवाकिम बखला: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जलपाइगुड़ी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी को जोड़ने वाली सड़कों और राजमार्गों को शीघ्र मरम्मत और उनके रख-रखाव हेतु कोई विशेष धनराशि निर्धारित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर रा.रा. 31 के 575.150 से 587.60 कि.मी. और 603.40 से 634.00 कि.मी. तथा रा.रा. 31 सी के 105.00 से 249.70 कि.मी. और 253.30 से 255.00 कि.मी. के खंड पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पड़ते हैं और ये खंड राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-II के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व-पश्चिम महामार्ग संरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी पर्यावरण और वन मंत्रालय से सर्वेक्षण एवं जांच अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण लंबित पड़ी हुई है क्योंकि कई जगहों पर यह संरेखण वन्य प्राणी विहारों/राष्ट्रीय पार्कों से होकर गुजरता है और अभी इस अनापत्ति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(च) से (ज) दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक रा.रा. 55 के द्वारा और सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी तक राज्यीय सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। यह मंत्रालय मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले के रा.रा. 55 में पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों की मरम्मत और

अनुरक्षण के लिए कोई विशेष धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत निधियों से यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखे गए हैं। राज्य को ये निधियां किसी राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष के लिए आबंटित न करके सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित की गई हैं।

पिछड़ा राज्य अनुदान आयोग

6917. श्री वी. विनोद कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़ा राज्य अनुदान आयोग गठित किया है अथवा गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो आयोग को कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को राशि आवंटित करने का भी है जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या के समाधान के लिए, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि को वार्षिक योजना 2005-06 से प्रचालित किया जाना है। स्कीम के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान की परियोजनाएं

6918. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान से गुजरने वाले कितने नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है,

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितने किलोमीटर लंबाई राजस्थान में पड़ती है,

(ग) इस राज्य की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान में फरवरी, 2004 में ऐसे पांच राज्यीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए हैं।

(ख) इन नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 990.00 किलोमीटर है जो कि राजस्थान में पड़ते हैं।

(ग) और (घ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपने के लिए अधिसूचना 29 अक्टूबर, 2004 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शुरु की जाती हैं।

सी.एस.आई.आर. और आई.सी.ए.आर. का कार्यकरण

6919. श्री सुशील खां: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएसआईआर और आईसीएआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन विभागों के क्या कार्य हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले के अंतर्गत आने वाला 'घुटगोरिया फिशिंग हुक सेंटर' इन विभागों के क्षेत्राधिकार में आता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र को कितनी राशि आवंटित की गई और उसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्या है;

(ङ) क्या घुटगोरिया फिशिंग हुक कॉ-ऑपरेटिव पर वैट लगाया जाएगा अथवा वह केवल उन फिशिंग कंपनियों पर लगाया जाएगा जो बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा चलाए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाग है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

(ख) सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं अनुसंधान कार्य के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकियों का भी विकास कर रही है, जो इस प्रकार है: (1) खाद्य एवम् कृषि-

आधारित, (2) भवन एवम् निर्माण (3) पेय जल, (4) पर्यावरण एवम् स्वच्छता, (5) आर्थिक पादपों की खेती एवम् प्रक्रमण, (6) कुटीर एवम् लघु उद्योग तथा (7) सूचना प्रौद्योगिकी।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति

6920. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नीति प्रभावी हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां। सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी एक राष्ट्रीय नीति पहले से ही विद्यमान है।

(ख) नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देशों को मई, 1999 में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को प्रचालित किया गया था। नीति के अंतर्गत, रिपोर्ट के प्रकाशन एवं सारणीयन के बाद वैधीकृत यूनिट स्तर आंकड़ों की आपूर्ति भुगतान आधार पर देश के भीतर और बाहर दोनों प्रयोक्ताओं को उनसे इस संबंध में वचनबद्धता लेने के बाद की जाती है कि वे आंकड़े किसी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित नहीं करेंगें। तथापि, मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने वाले अनुसंधान संस्थान विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं हेतु आंकड़े नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) यह नीति वर्ष 1999 से लागू हुई है।

(घ) रा.प्र. सर्वे. समाजार्थिक सर्वेक्षणों, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, आर्थिक गणनाओं और उद्यम सर्वेक्षणों के संबंध में यूनिट स्तर वैधीकृत आंकड़ों की आपूर्ति भुगतान के आधार पर देश के भीतर और बाहर दोनों प्रयोक्ताओं को की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र मे दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार

6921. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार तथा इंटरनेट, मोबाइल और डब्ल्यू.एल.एल. कनैक्टिविटी के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक वास्तविक कितनी प्रगति की गयी है; और

(ग) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्तम कोटि की इंटरनेट पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) और मोबाइल सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं मुख्यत: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदान की जाती हैं। रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड उक्त क्षेत्र में निजी आपरेटर हैं। स्थिर फोनों के अलावा, मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने हेतु डब्ल्यूएलएल और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कनेक्शन	2002-03		2003-04		2004-05	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
डब्ल्यूएलएल	6600	8958	31700	17412	60,000	22492
सीएमटीएस	6000	6170	95500	54359	262900	210988
इंटरनेट		6954	–	6246	28000	11063

परिणामस्वरूप, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 54048 डब्ल्यूएलएल और 379513 सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए मुख्यत: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तरदायी है। पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान किए गए वीसैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा संस्थापित करने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	वीसैट की संख्या	वीडियो कान्फ्रेंसिंग
1.	अरुणाचल प्रदेश	13	1
2.	असम	25	1
3.	मणिपुर	10	1
4.	मेघालय	11	2
5.	मिजोरम	3	1
6.	नागालैण्ड	9	10
7.	सिक्किम	5	1
8.	त्रिपुरा	6	6

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने पूर्वोत्तर राज्यों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र भी स्थापित किए हैं ताकि नागरिक इंटरनेट अभिगम्यता, ई-मेल, कम्प्यूटर के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण, मुद्रण, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) आदि जैसी विभिन्न सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाओं के लिए अवसंरचना का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

सेल्यूलर मोबाइल विस्तार योजना के भाग के रूप में बीएसएनएल पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी सेल्यूलर नेटवर्क क्षमता को 4.5 लाख लाइनें जोड़कर बढ़ा रहा है और जुलाई 2005 से नेटवर्क के विस्तार की आशा है। मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने अगले दो वर्षों में अनेक शहरों और नगरों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान करने की योजना बनायी है। जल्द ही, मैसर्स भारती हेक्साकॉम भी उक्त क्षेत्र में अपनी सेल्यूलर मोबाइल सेवा चालू कर रहा है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के अतिरिक्त लगभग 23000 डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन शामिल करने की योजना बनायी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप स्वीकृत करना

6922. श्री अधीर चौधरी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप/खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत करने हेतु विद्यमान दिशानिर्देशों को अद्यतन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वीकृत मामलों को उच्च प्राधिकारियों द्वारा स्थल स्वीकृति के रूप में लिया जाता है और तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक स्थल हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट नोट/ड्राइंग बनाने का निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन स्टेशनों, सर्विस स्टेशनों और विश्राम क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्ग के विनियमन के लिए दिनांक 17.10.2003 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन स्टेशनों के लिए स्थान, नक्शे और पहुंच मार्गों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों का नए ईंधन स्टेशनों के पहुंच मार्गों के लिए अनुमति चाहने और अनुमति प्रदान करने के लिए भी अनुपालन किया जाना है।

(ग) फील्ड कार्यपालक अभियंता द्वारा मंजूर/निपटाए गए मामलों का यह अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गई है। प्रस्तावों को मंत्रालय के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मंत्रालय के दिशानिर्देशों में दिए गए सुस्पष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है, दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करनी होती है और जांच सूची का अनुपालन करना होता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन सुविधाएं

6923. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा डिवीजन के कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ दूरसंचार जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड की बेसिक टेलीफोन सुविधाओं, डब्ल्यू.एल.एल. तथा सेल्युलर फोनों के विस्तार की गति धीमी है तथा 2004-05 में उक्त सेवाओं के संबंध में निर्धारित विस्तार लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड से प्रति वर्ष कितने नए उपभोक्ता जुड़े;

(घ) ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने टेलीफोन कनैक्शन वापस किए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उपर्युक्त दूरसंचार जिलों में सभी तहसील मुख्यालयों में मोबाइल सेवाएं कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(छ) उक्त दूरसंचार जिलों में सभी ग्राम पंचायतों में बेसिक अथवा डब्ल्यू.एल.एल. सेवाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की सभांवना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। उक्त जिलों में बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं और सेल्युलर सेवाओं के विस्तार के वर्ष 2004-05 के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। डब्ल्यूएलएल के मामले में उपस्कर के देर से प्राप्त होने के कारण उपलब्धि कम रही। यह उपस्कर संस्थापना/स्वीकृति परीक्षण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड से पिछले तीन वर्षों के दौरान जुड़ने वाले नए उपभोक्ताओं और जिन उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन कनेक्शन वापस कर दिए उनकी वर्षवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) उक्त जिलों में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक हैं। बीएसएनएल ने सेवाओं में और सुधार लाने की दृष्टि से अनेक उपाय किए हैं।

(1) सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल तथा एनालाग एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम पर जुड़े डिजिटल एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

(2) दोष संभावित पेपर कोर केबल को जेलीयुक्त केबल से बदला जा रहा है और बाहरी संयंत्र को खंभारहित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) उपभोक्ता परिसर तक केबल की लंबाई को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर डीएलसी और आरएसयू की योजना बनाई जा रही है।

(4) स्थानीय लाइन के दोषों को समाप्त करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किए जाने की योजना बनाई और लागू की जा रही है।

(5) उक्त क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सेवाओं का प्रचुर समावेश करने के लिए 12750 लाइनों वाले 16 डब्ल्यूएलएल बीटीएस की संस्थापना की जा रही है जिनके सितंबर, 2005 तक चालू हो जाने की संभावना है। मार्च, 2006 तक 12750 अतिरिक्त लाइनों की योजना बनाई गई है।

(च) कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में वर्ष 2005 के दौरान सेल्युलर सेवाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

(छ) 100 से अधिक की जनसंख्या वाले (राजस्थान के कोटा गौण स्विचन क्षेत्र के कोटा, बूंदी और झालावाड़ दूरसंचार जिले में ऐसी ग्राम पंचायतों सहित) सभी सुगम, उपद्रव रहित और अविवादित ग्रामों को नवंबर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से बुनियादी तथा डब्ल्यूएलएल टेलीफोन सेवाएं/ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान सीधी एक्सचेंज लाइनों में विकास कार्य संबंधी ब्यौरे

(1) बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं में विकास कार्य संबंधी ब्यौरे

	बूंदी			झालावाड़			कोटा		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षमता में वृद्धि	552	840	शून्य	2620	868	848	21168	4612	2156
एसबीएम से आरएसयू में परिवर्तन	1	2	2	2	1	8	4	2	5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
256 पी से एएन-आरएएक्स में परिवर्तन	0	9	13	0	12	15	0	8	43
खोले गए नए एक्सचेंज	1	0	0	0	0	0	3	5	2
टैक्स क्षमता में वृद्धि	1000	500	4000	1000	0	5000	0	2000	1000

(2) डब्ल्यूएलएल टेलीफोन सेवाओं में विकास-कार्य संबंधी ब्यौरे

	बूंदी			झालावाड़			कोटा		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
चालू किए गए डब्ल्यूएलएल उपस्कर	-	केशोरायपाटन में 1 के कोर-डेक डीआईयू	-	-	खानपुर में 1 के कोर-डेक डीआईयू	भवानी मंडी में 1 के कोर-डेक डीआईयू	कोटा में 500 एल सीडीएमए	कोटा सीडीएमए में 500एल का विस्तार तथा मंडा, खानपुर और एकलपट्टा में एक 1 के कोर-डेक डीआईयू	अंता में 1 के कोर-डेक डीआईयू

(3) सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में विकास-कार्य संबंधी ब्यौरे

	बूंदी			झालावाड़			कोटा		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
जीएसएम क्षमता की स्थापना/विस्तार	1000	0	2600	1000	600	2550	12700	3500	6900

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए नए कनेक्शन/वापस किए गए कनेक्शन

		बूंदी			झालावाड़			कोटा		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
बुनियादी टेलीफोन	प्रदान किए गए कनेक्शन	1050	368	790	2071	1104	859	5218	1759	718
	काटे गए कनेक्शन	694	1170	999	313	593	964	3085	5458	6454
डब्ल्यूएलएल	प्रदान किए गए कनेक्शन	0	28	529	0	3561	1560	148	182	2905
	काटे गए कनेक्शन	0	0	0	0	3330	68	0	7	8
जीएसएम	प्रदान किए गए कनेक्शन	0	2135	1054	0	2204	3342	7003	8047	9402
	काटे गए कनेक्शन	0	40	31	0	35	45	89	399	418

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सचल अस्पताल

6924. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात और उड़ीसा में भूकम्प और चक्रवात से निपटने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ई.सी.जी., प्रयोगशाला परीक्षण और ई.एन.टी. चैकअप के लिए मूलभूत उपकरणों जैसी सुविधाओं से युक्त सचल अस्पतालों और अनुसंधान केन्द्रों की सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन अस्पतालों को चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और यूनिसेफ जैसी विदेशी एजेन्सियों ने वित्तीय सहायता की पेशकश की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक पूर्वनिर्मित, स्वत: पूर्ण, कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल का प्रापण कर रही है। 100 पलंगों वाले इस अस्पताल में सी टी स्कैन, किचेन, जल शुद्धिकरण, स्वच्छता एकक एवं इसके अपने पावर जेनरेटर सहित अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर, नैदानिक सुविधाएं होंगी। कंटेनर आधारित यह अस्पताल नई दिल्ली में अवस्थित होगा और इसे अल्प सूचना पर देश के किसी भी भाग में आपदा वाले स्थलों में सड़कमार्ग, रेलमार्ग अथवा वायुमार्ग द्वारा ले जाया जा सकता है। इस मोबाइल अस्पताल को 2005 के अंत तक चालू किए जाने की संभावना है। सरकार इस यूनिट का अपने संसाधनों से प्रापण कर रही है।

नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

6925. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अधिक संख्या में खाद्य पदार्थ और औषध परीक्षण की नयी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नयी प्रयोगशालाओं द्वारा कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड (रांची), उत्तरांचल (रूद्रपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) राज्यों में खाद्य तथा औषधी, दोनों के विश्लेषण के लिए तथा सिक्किम में खाद्य के विश्लेषण के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। इन नई प्रयोगशालाओं के सितम्बर, 2008 तक प्रचालनात्मक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

वार्षिक विकास दर संबंधी विश्व बैंक का आकलन

6926. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री नीतीश कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक की इस राय की जानकारी है कि भारत 2% वार्षिक विकास दर दर्ज करा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने देश में क्षेत्रीय, जिला और खंड स्तर पर फैली हुई विभिन्न असमानताओं को भी उजागर किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। योजना आयोग को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले का आबंटन

6927. श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री अर्जुन सेठी:
श्रीहंसराज जी. अहीर:
श्री वसुदेव आचार्य:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले के आबंटन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार कोयले के परमिटों के आबंटन में दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की/क्या कदम उठाये;

(च) क्या सरकार का विचार रक्षित खनन के लिए कोयले के ब्लाक आबंटित करने के लिए मुक्त निविदा प्रणाली आरंभ करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने कोयले के ब्लॉकों की नीलामी के संबंध में सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों के हितों का भी ध्यान रखा है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। कोर तथा नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का आवंटन मानदंडों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न कोर तथा नॉन-कोर क्षेत्रों के लिए मानदंडों का निर्धारण विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। मानदंड, अन्य बातों के साथ-साथ, प्लांट लोड फैक्टर, संयंत्र की क्षमता, बॉयलर की कार्य-कुशलता, सकल कैलोरिफिक मान (जी.सी.वी.) और कोयले की नमी पर आधारित होते हैं।

(ग) से (ङ) न तो कोयला मंत्रालय और न ही कोयला कंपनियां कोयला परमिट जारी करती हैं।

(च) से (झ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार गृहीत खनन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु एक चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली आरंभ किए जाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मामलें में निर्णय लेते समय, विद्युत कंपनियों/विद्युत मंत्रालय के मतों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फोनबूथ/सड़क किनारे स्थित सुविधाएं

6928. **श्री पंकज चौधरी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहन चालकों की और दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष फोन बूथ लगाने और सड़क किनारे स्थित सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन टेलीफोन बूथों/सुविधाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है, और

(घ) इन पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जाएगी।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की नीति है। इन सुविधाओं में आवश्यकतानुसार वाहनों के लिए पार्किंग स्थल, स्नैक बार/रेस्तरां, शौचालय, अल्पावधि विश्राम के लिए डोरमेटरी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन बूथ, पेट्रोल पंप/छोटी मरम्मत की दुकान (वैकल्पिक), विविध/फुटकर वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें और लैंड स्कैपिंग तथा ट्रक/बस विश्राम स्थल शामिल है।

आपातकालीन कॉल बॉक्स पहले ही रा.रा. 8 के कोटपुतली-आमेर और जयपुर-किशनगढ़ खंड, रा.रा. 5 के चेन्नै बाइपास चरण-I, टाडा-नेल्लोर खंड तथा रा.रा. 9 के नंदीग्राम-इब्राहिमपट्नम खंड पर लगाए गए हैं। सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा सड़क पर किसी दुर्घटना/आपातकाल/समस्या के मामले में नियंत्रण केन्द्र को चेतावनी कॉल करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। नियंत्रण केन्द्र का ऑपरेटर, एक अनन्य रेडियो संचार माध्यम से दुर्घटना/समस्या स्थल पर पहुंचने के लिए चौकसी वाहन और/अथवा एंबुलेंस को सूचित करता है। आपातकालीन कॉल बॉक्सों को रा.रा. 1, रा.रा. 2, रा.रा. 5, रा.रा. 8, और अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के कुछ खंडों पर लगाने का भी प्रस्ताव है और इस कार्य को दिसंबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) ये सुविधाएं निर्माण परियोजना के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टोर्सा नदी पर पुल

6929. श्री हितेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवह और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टोर्सा नदी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में गत कई वर्षों से बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है,

(ख) इस कार्य में विलंब के क्या कारण हैं,

(ग) इस वर्ष के लिए बजट में कितना आबंटन किया गया है, और

(घ) पुल को कब तक पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में रा.रा. 31 के फलकाटा-पुंडीबाड़ी खंड के पुनर्संरेखण और तोर्सा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण का कार्य मूलत: नवम्बर, 1988 में 13.71 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था। सड़क कार्य नवंबर, 1991 में और तोर्सा नदी पर पुल का कार्य दिसंबर, 1992 में शुरु हुआ था। मूल स्वीकृति के पश्चात् राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने/कार्य सौंपने में लगभग 42 माह का विलंब हुआ था। इस कार्य के लिए 36.71 करोड़ रु. का प्रथम संशोधित लागत प्राक्कलन मार्च, 1996 में स्वीकृत किया गया था। संविदा संबंधी समस्याओं के कारण कार्य में और विलंब हुआ और सन् 2001 से ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष 2005-06 के लिए बजट आबंटन 0.50 करोड़ रु. है।

(घ) परियोजना के दूसरे संशोधित लागत प्राक्कलन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और दूसरे संशोधित लागत प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद शेष कार्य शुरु किया जा सकता है। कार्य सौंपे जाने के बाद शेष कार्य पूरा करने में लगभग 2 वर्ष लग सकते हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

6930. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या की घटती प्रवृत्ति को रोकने में विफलता के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित धनराशि के वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या की स्थिति में कोई कमी नहीं आयी है जैसा कि नीचे के तथ्यों से स्पष्ट है:

- सुरक्षित प्रसव का अनुपात वर्ष 1998-99 में 40.2% से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 54.00% तक पहुंच गया है।
- सांस्थानिक प्राप्त का अनुपात वर्ष 1998-99 में 34.0% बढ़कर 2002-03 में 39.8% पहुंच गया है।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) वर्ष 1999 में 70 से घटकर वर्ष 2002 में 63 हो गई है।
- बच्चों की मृत्यु दर (0-4 वर्ष आयु) वर्ष 1999 में 20.4% से घटकर 2002 में 17.8% हो गई है।

विवरण

परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के लिए 10वीं योजना (2002-07) के दौरान आबंटित राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	10वीं योजना परिव्यय
1	2	3
(क) अवसंरचना का रख-रखाव		
1.	उप-केन्द्र	9663.00
2.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	580.00
3.	निर्देशन और प्रशासन	1100.00
4.	संगतपूर्व सुधारकार्य	90.00
5.	संविदात्मक सेवाएं/परामर्शन	1212.64
(ख) अवसंरचना विकास		
6.	क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं (आई पी पी प्रोजेक्ट्स	987.00

1	2	3
7.	सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना	25.00
8.	यू एस ए आई डी सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजना	400.00
9.	ई सी सहायता प्राप्त एस आई पी प्रोजेक्ट	1000.00
(ग)	**परिवहन**	
10.	वाहनो (उपलब्ध) का अनुरक्षण	303.00
11.	ए एन एम को मोपेड की आपूर्ति	75.00
(घ)	**प्रशिक्षण**	
12.	ए एन एम/एल एच वी के लिए बेसिक प्रशिक्षण	350.00
13.	एच एफ डब्ल्यू टी सी का अनुरक्षण और सुदृढ़ीकरण	70.00
14.	एम पी डब्ल्यू कर्मियों (पुरुष) के लिए बेसिक प्रशिक्षण	50.00
15.	बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों का सुदृढ़ीकरण	10.00
16.	परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	10.00
17.	एन आई एच एफ डब्ल्यू, नई दिल्ली	20.00
18.	आई.आई. पी एस, मुम्बई	10.00
19.	आई.एम.ए. को सहायता	1.00
(ङ)	**अनुसंधान**	
20.	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	45.00
21.	सी डी आर आई, लखनऊ	12.00
22.	आई सी एम आर और आई आर आर	100.00
23.	अन्य अनुसंधान परियोजनाएं	2.50
(च)	**गर्भनिरोध**	
24.	गर्भनिरोधक गोलियां का मुफ्त वितरण	1045.00
25.	गर्भनिरोधक गोलियां का सामाजिक विपणन	660.00
26.	नसबन्दी	1002.00
27.	परीक्षण सुविधाएं	2.50
28.	नियोजित मातृ-पितृत्व में पुरुषों की भूमिका	18.00
(छ)	**प्रजनन और बाल स्वास्थ्य**	
29.	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	1410.00
30.	प्रतिरक्षण-संबंधी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण (रुटीन)	17.86
31.	पल्स पोलियो	1450.00
32.	बाल स्वास्थ्य	20.00
33.	किशोर स्वास्थ्य	50.00
34.	माताओं का स्वास्थ्य	1384.00
35.	एम टी पी सेवाएं (सुरक्षित गर्भपात के लिए मैन वेक एस्पायरेटर)	4.00
36.	आर टी आई/एस टी आई बचाव और प्रबंधन	35.00
37.	आर सी एच कार्यकलाप से जुड़ी सेवाएं	730.00
38.	एन.जी.ओ. और एस.सी.ओ.वी.ए.	130.00
39.	प्रशिक्षण	328.00
40.	जनजातीय परियोजनाएं	
41.	शहरी झुग्गी बस्ती परियोजनाएं	700.00
42.	जिला परियोजनाएं	75.00
43.	आर.सी.एच. के तहत अन्य परियोजनाएं/अतिरिक्त कार्यकलाप	25.00
(ज)	**परिवार कल्याण के अन्य कार्यक्रम**	
44.	प्रसव लाभ योजना	500.00
45.	सूचना, शिक्षा और संचार	489.50
46.	विशेषज्ञों का दौरा/सम्मेलन/बैठकें आदि	7.00
47.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/योगदान	9.00
48.	शक्ति प्राप्त कार्यदल	250.00
49.	समुदाय प्रोत्साहन योजना	300.00
50.	परिवार कल्याण से जुड़े स्वास्थ्य बीमा योजना	250.00
51.	नीतिगत वकालत/सेमिनार	20.00
52.	अन्य पहल	97.00
	कुल योग	27125.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निविदाएं प्रदान किया जाना

6931. श्री सूरज सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रदान की गई सभी निविदाओं में से कुछ निविदाओं के लिए नियमों और शर्तों में फेरबदल किए जाने का मामला दर्ज किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्रदान की गई,

(घ) क्या इन निविदाओं को पहले प्रदान किए जाने के बावजूद पुन: आमंत्रित किया गया,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की गत दो वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान की गई विसंगतियों को उजागर किया है,

(छ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कुछ योजनाओं में की गई धांधली को सरकार के ध्यान में लाया है, और

(ज) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान एन एच डी पी चरण-I और II के उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्गों, स्वर्णिम चतुर्भुज और पत्तन संपर्क संघटकों तथा एन.एच.डी.पी. चरण-IIIक के लिए भी निविदाएं सौंपी गई थीं।

(घ) और (ङ) पत्तन संपर्क परियोजना से संबंधित एक निविदा, स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद पुन: आमंत्रित की गई थी क्योंकि ठेकेदार ने जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।

(च) से (ज) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एन.एच.ए.आई. के कार्यकलापों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कुछ नमूना खंडों का चयन करते हुए एन.एच.डी.पी. चरण-I की समीक्षा भी की है। लेखा परीक्षक ने कमियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं और सुधार के लिए सुझाव दिए हैं तथा इन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

अवसंरचना पर व्यय

6932. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा अवसंरचना के विस्तार हेतु वार्षिक लगभग कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ख) क्या चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में यह व्यय कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अगले दशक के दौरान अवसंरचना के व्यय को चीन के बराबर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) सकल पूंजी निर्माण जो कि भारत में अवसंरचना पर मूलत: निवेश/व्यय है, नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	अवसंरचना में सकल पूंजी निर्माण (प्रचलित मूल्यों पर)
1997-98	62903
1998-99	70762
1999-2000	75120
2000-01	94226
2001-02	91050
2002-03	90890

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2003-04

(ख) और (ग) चीन जैसे अन्य देशों द्वारा अवसंरचना पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी एक समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य, विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाओं व समयबद्ध सृजन सुनिश्चित करना, ऐसा ढांचा विकसित करना जिसमें अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी अधिकतम हो तथा मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करते हेतु नीतियां शुरु करना है।

[हिन्दी]

कोयले का निष्कर्षण

6933. **श्री गणेश सिंह:**
श्री टेकलाल महतो:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न खानों से निकाले गए कोयले का खानवार कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड में बोकारो जिले के बेरमो में सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के करगली क्षेत्रों के अंतर्गत बी तथा के क्षेत्र से भारी मात्रा में कोयला निकालने से संबंधित योजना के कब तक शुरु किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना को शुरु करने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) विस्थापित परिवारों में से कितने परिवारों को रोजगार दिया गया तथा शेष परिवारों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला कंपनियां भूवैज्ञानिक डाटा के अनुसार खानों को विकसित करके कोयले का निष्कर्ण करती हैं। कंपनीवार कोयला उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

मध्य प्रदेश सहित, राज्यवार कोयला उत्पादन दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ख) और (ग) दसवीं योजनावधि के दौरान बरमो तथा बोकारो क्षेत्र में शुरु किए जाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को अधिकल्पित किया गया है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	कार्यान्वित किए जाने का संभावित वर्ष
1.	कोनार ओसी	3.50	2005-06
2.	कारो ओसी	3.50	2006-07

(घ) परियोजना रिपोर्टों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार रोजगार तथा परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या (अनंतिम) निम्न प्रकार है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पीएएफ की संख्या	अद्यतन तिथि तक दिए गए रोजगार (संख्या)	टिप्पणियां
1.	कोनार ओसी	266	36	शेष व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने के लिए कोई निर्धारित समयसीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि रोजगार का प्रावधान कंपनी में श्रमशक्ति की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होता है।
2.	कारो ओसी	160	90	

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान खान

संलग्नक

(हजार टन)

क्र.सं.	सीएमसीडी	कंपनी	क्षेत्र	खान	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	01	ईसीएल	बंकोला	1 मोइरा कोलियरी	70
2.	01	ईसीएल	बंकोला	2 खंडारा कोलियरी	131

1	2	3	4	5	6
3.	01	ईसीएल	बंकोला	3 बंकोला कोलियरी	311
4.	01	ईसीएल	बंकोला	4 श्याम सुन्दरपुर कोलियरी	239
5.	01	ईसीएल	बंकोला	5 कुमारडीही-ए कोलियरी	169
6.	01	ईसीएल	बंकोला	6 कुमारडीही-बी कोलियरी	102
7.	01	ईसीएल	बंकोला	7 तीलाबोनी कोलियरी	193
8.	01	ईसीएल	बंकोला	8 शंकरपुर कोलियरी	328
9.	01	ईसीएल	बंकोला	9 नक्षत्रकोप्पा कोलियरी	63
10.	01	ईसीएल	झरिया	11 तथा 2 इन्कलाइन	510
11.	01	ईसीएल	झरिया	2 एमआईसी, झांझरा परियोजना	309
12.	01	ईसीएल	झरिया	33 तथा 4 इन्कलाइन	100
13.	01	ईसीएल	कजोरा	1 मधुजोर कोलियरी	31
14.	01	ईसीएल	कजोरा	2 मधुसुदनपुर 3 तथा 4 पिट्स कोलियरी	50
15.	01	ईसीएल	कजोरा	3 मधुसुदनपुर 7 पिट कोलियरी	109
16.	01	ईसीएल	कजोरा	4 नबा कजोरा कोलियरी	144
17.	01	ईसीएल	कजोरा	5 सेन्ट्रल कजोरा कोलियरी	62
18.	01	ईसीएल	कजोरा	6 पारसकोल ईस्ट कोलियरी	120
19.	01	ईसीएल	कजोरा	7 पारसकोल वेस्ट कोलियरी	108
20.	01	ईसीएल	कजोरा	8 माधव पुर कोलियरी	71
21.	01	ईसीएल	कजोरा	9 जामबाद यूजी कोलियरी	118
22.	01	ईसीएल	कजोरा	10 खास कजोरा कोलियरी	198
23.	01	ईसीएल	कजोरा	11 लाचीपुर कोलियरी	55
24.	01	ईसीएल	कजोरा	12 जामबाद ओसीपी	199
25.	01	ईसीएल	कजोरा	13 घनश्याम कोलियरी	कोई उत्पादन नहीं
26.	01	ईसीएल	केन्दा	1 न्यू केन्दा कोलियरी	109
27.	01	ईसीएल	केन्दा	2 बहुला कोलियरी	237
28.	01	ईसीएल	केन्दा	3 लोवर केन्दा कोलियरी	106
29.	01	ईसीएल	केन्दा	4 हरीपुर कोलियरी	91
30.	01	ईसीएल	केन्दा	5 चोरा 7 तथा 9 पिट्स कोलियरी	90

1	2	3	4	5	6
31.	01	ईसीएल	केन्दा	6 चोरा 10 पिट कोलियरी	67
32.	01	ईसीएल	केन्दा	7 चोरा ब्लाक इन्कलाइन कोलियरी	148
33.	01	ईसीएल	केन्दा	8 सिदुली कोलियरी	114
34.	01	ईसीएल	केन्दा	9 सी एल जामबाद कोलियरी	54
35.	01	ईसीएल	केन्दा	10 वेस्ट केन्दा ओसीपी	442
36.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	1 अमृत नगर कोलियरी	219
37.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	2 नार्थ सीयरसोल कोलियरी	569
38.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	3 कुनुस्तोरिया कोलियरी	183
39.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	4 अमरासोता इन्कलाइन कोलियरी	69
40.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	5 बन्सरा कोलियरी	217
41.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	6 बेलबैड कोलियरी	138
42.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	7 परसिया कोलियरी	191
43.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	8 परसिया 6 तथा 7 कोलियरी	51
44.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	9 बन्सरा ओसीपी कोलियरी	शून्य
45.	01	ईसीएल	कुनुस्तोरिया	10 परसिया ओसीपी कोलियरी	शून्य
46.	01	ईसीएल	मुग्मा	1 चपापुर कोलियरी	115
47.	01	ईसीएल	मुग्मा	2 बदजना कोलियरी	62
48.	01	ईसीएल	मुग्मा	3 हरियाजाम कोलियरी	65
49.	01	ईसीएल	मुग्मा	4 गोपीनाथपुर कोलियारी	3
50.	01	ईसीएल	मुग्मा	5 खुदिया कोलियरी	38
51.	01	ईसीएल	मुग्मा	6 लक्खीमाता कोलियरी	48
52.	01	ईसीएल	मुग्मा	7 शामपुर बी कोलियरी	105
53.	01	ईसीएल	मुग्मा	8 मन्दमान कोलियरी	39
54.	01	ईसीएल	मुग्मा	9 राजपारा ओसीपी	244
55.	01	ईसीएल	मुग्मा	10 बरमरी ओसीपी	129
56.	01	ईसीएल	मुग्मा	11 कुमारधुबी कोलियरी	32
57.	01	ईसीएल	मुग्मा	12 कपसारा	कोई उत्पादन नहीं

1	2	3	4	5	6
58.	01	ईसीएल	मुग्मा	13 निरसा ओसी	कोई उत्पादन नहीं
59.	01	ईसीएल	मुग्मा	14 एच/पेच कोलियरी	कोई उपलब्ध नहीं
60.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	1 मधाइपुर कोलियरी	135
61.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	2 मन्दारबोनी कोलियरी	120
62.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	3 साउथसामला कोलियरी	81
63.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	4 पाण्डवेश्वर कोलियरी	116
64.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	5 दालुबंद कोलियरी	235
65.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	6 सामला कोलियरी	0
66.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	7 केन्दरा कोलियरी	20
67.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	8 खोट्टाडीह कोलियरी	338
68.	01	ईसीएल	पाण्डवेश्वर	9 खोट्टाडीह ओसीपी	681
69.	01	ईसीएल	राजमहल	1 राजमहल ओसीपी	10539
70.	01	ईसीएल	राजमहल	2 सिमलांग ओसी	3
71.	01	ईसीएल	एस पी खान	1 चितरा ए कोलियरी	458
72.	01	ईसीएल	एस पी खान	2 चितरा बी कोलियरी	770
73.	01	ईसीएल	एस पी खान	3 दामगढ़ 9 तथा 10 इन्कलाइन	कोई उत्पादन नहीं
74.	01	ईसीएल	सालनपुर	1 डाबोर कोलियरी	70
75.	01	ईसीएल	सालनपुर	2 संग्रामगढ़ कोलियरी	47
76.	01	ईसीएल	सालनपुर	3 गोरन्डी-बेगुनिया कोलियरी	37
77.	01	ईसीएल	सालनपुर	4 खैराबाद कोलियरी	118
78.	01	ईसीएल	सालनपुर	5 मनोहर बहाल कोलियरी	48
79.	01	ईसीएल	सालनपुर	6 चकबल्लवपुर कोलियरी	30
80.	01	ईसीएल	सालनपुर	7 बोन्जेमिहारी ओसी कोलियरी	177
81.	01	ईसीएल	सालनपुर	8 मोहनपुर ओसी कोलियरी	306
82.	01	ईसीएल	सालनपुर	9 गौरांगाडीह ओसी कोलियरी	60
83.	01	ईसीएल	सतग्राम	1 सतग्राम परियोजना	104
84.	01	ईसीएल	सतग्राम	2 सतग्राम इन्कलाइन	63
85.	01	ईसीएल	सतग्राम	3 मीठापुर कोलियरी	39

1	2	3	4	5	6
86.	01	ईसीएल	सतग्राम	4 जेके नगर कोलियरी	231
87.	01	ईसीएल	सतग्राम	5 जमीहरी कोलियरी	21
88.	01	ईसीएल	सतग्राम	6 पियोर सियरसोल कोलियरी	16
89.	01	ईसीएल	सतग्राम	7 तिरत कोलियरी	32
90.	01	ईसीएल	सतग्राम	8 कुराडी कोलियरी	87
91.	01	ईसीएल	सतग्राम	9 रतीबती कोलियरी	61
92.	01	ईसीएल	सतग्राम	10 चपूई खास कोलियरी	53
93.	01	ईसीएल	सतग्राम	11 निमचा कोलियरी	286
94.	01	ईसीएल	सतग्राम	12 सेतलदासजी ओसीपी	27
95.	01	ईसीएल	सतग्राम	13 कालीदासपुर परियोजना	138
96.	01	ईसीएल	सतग्राम	14 अरदाग्राम	कोई उत्पादन नहीं
97.	01	ईसीएल	सोदपुर	1 परबेलिया कोलियरी	167
98.	01	ईसीएल	सोदपुर	2 दुबेसबरी कोलियरी	113
99.	01	ईसीएल	सोदपुर	3 सोदपुर कोलियरी (आर)	158
100.	01	ईसीएल	सोदपुर	4 चिनाकुरी-I कोलियरी	74
101.	01	ईसीएल	सोदपुर	5 चिनाकुरी-III कोलियरी	145
102.	01	ईसीएल	सोदपुर	6 बेजडीह कोलियरी	144
103.	01	ईसीएल	सोदपुर	7 पतमोहना कोलियरी	174
104.	01	ईसीएल	सोदपुर	8 बी.सी. इन्कलाइन	
105.	01	ईसीएल	सोदपुर	9 नरसामुंडा कोलियरी	124
106.	01	ईसीएल	सोदपुर	10 धेमोमेन पिट कोलियरी	62
107.	01	ईसीएल	सोदपुर	11 धेमोमेन इन्कलाइन कोलियरी	70
108.	01	ईसीएल	सोदपुर	12 मेथानी ओसी (एच)	
109.	01	ईसीएल	सोनपुर-बाजरी	1 सोनपुर बाजारी परियोजना	3116
110.	01	ईसीएल	श्रीपुर	1 निगाह कोलियरी	39
111.	01	ईसीएल	श्रीपुर	2 श्रीपुर सीम इन्कलाइन	81
112.	01	ईसीएल	श्रीपुर	3 कालीपहाड़ी कोलियरी	52
113.	01	ईसीएल	श्रीपुर	4 न्यू घुसिक कोलियरी	54

1	2	3	4	5	6
114.	01	ईसीएल	श्रीपुर	5 गिरीमिन्ट/के.डी.आई. कोलियरी	42
115.	01	ईसीएल	श्रीपुर	6 एडजॉय-II कोलियरी	
116.	01	ईसीएल	श्रीपुर	7 धनोरा डब्ल्यू.बी. कोलियरी	64
1.	02	बीसीसीएल	बरोरा	1 दमोदा	385
2.	02	बीसीसीएल	बरोरा	2 मधुबन्द	53
3.	02	बीसीसीएल	बरोरा	3 फूलारीटांड	74
4.	02	बीसीसीएल	बरोरा	4 मुराईडीह	2056
5.	02	बीसीसीएल	बरोरा	5 शताब्दी	792
6.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	1 बस्ताकोला	322
7.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	2 बेरा	134
8.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	3 दोबारी	203
9.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	4 धनुडीह	1102
10.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	5 कुया (2002-03 में यूजी से मिश्रित)	388
11.	02	बीसीसीएल	बस्ताकोला	6 कुजामा	
12.	02	बीसीसीएल	ब्लाक-II	1 बेनीडीह	2791
13.	02	बीसीसीएल	ब्लाक-II	2 जमुनीया ओसीपी	1110
14.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	1 लाइकडीहदीप	
15.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	2 दहीवाड़ी	707
16.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	3 वसन्तीमाता	291
17.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	4 न्यू लाइकडीह/कल्याणचक	
18.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	5 विटोरिया (वेस्ट)	0
19.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	6 दमगोरिया/बोरका ओसीपी	481
20.	02	बीसीसीएल	चांच/विटोरिया	7 बेगुनिया	106
21.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	1 भोवरा (एन)/सीओसीपी	122
22.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	2 भोवरा (एन)	108
23.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	3 भोवरा (एस)	108
24.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	4 भोवरा साउथ ओसीपी (3 पिट्स)	65
25.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	5 अमलाबाद और नार्थ अमलाबाद	71

1	2	3	4	5	6
26.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	6 सुदामडीह साफ्ट	98
27.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	7 सुदामडीह इन्कलाइन	399
28.	02	बीसीसीएल	ईस्ट झरिया	8 पथरडीह/सीओसीपी (सुद)	92
29.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	1 खरखरी	74
30.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	2 महेशपुर	66
31.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	3 जोगीडीह	110
32.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	4 कोरीडीह/ओसीपी (बी-IV)	580
33.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	5 एस. गोविन्दपुर	
34.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	6 गोविन्दपुर	130
35.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	7 आकाशकिनारी	373
36.	02	बीसीसीएल	गोविन्दपुर	8 तेतूरिया	(पूर्व में बंद घोषित, वर्तमान में कार्यशील)
37.	02	बीसीसीएल	कटरास	1 सालनपुर	95
38.	02	बीसीसीएल	कटरास	2 अंगरपथरा	145
39.	02	बीसीसीएल	कटरास	3 डब्ल्यू. मूडीडीह/केशलपुर	2474
40.	02	बीसीसीएल	कटरास	4 रामकनाली	200
41.	02	बीसीसीएल	कटरास	5 रामकनाली	
42.	02	बीसीसीएल	कटरास	6 डब्ल्यू. मूडीडीह/केशलपुर विस्तार	
43.	02	बीसीसीएल	कटरास	7 कटराज चोइटडीह	112
44.	02	बीसीसीएल	कटरास	8 ईस्ठ कटरास	228
45.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	1 अल्कुशा	82
46.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	2 कुस्टोर	5
47.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	3 एना फायर	100
48.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	4 साउथ झारिया/राजापुर ओसीपी	306
49.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	5 बुरागढ़	62
50.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	6 शिमलाभल	136
51.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	7 हुरी लाडीह	61
52.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	8 ईस्ट भुगतडीह	61
53.	02	बीसीसीएल	कुस्टोर	1 ईस्ट वसुरिया	111

1	2	3	4	5	6
54.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	2 वसुरिया	46
55.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	3 इन्डस्ट्री	
56.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	4 गोन्डूडीह	135
57.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	5 के. कुसुन्डा	185
58.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	6 कुसुन्डा	575
59.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	7 गोदर	79
60.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	8 के. ओसीपी/धनसार	80
61.	02	बीसीसीएल	कुसुन्डा	9 धनसार	
62.	02	बीसीसीएल	लोदना	1 नार्थ तिसरा यूजी	158
63.	02	बीसीसीएल	लोदना	2 नार्थ तिसरा ओसीपी	510
64.	02	बीसीसीएल	लोदना	3 साउथ तिसरा एवं डी/एल पेच	409
65.	02	बीसीसीएल	लोदना	4 जीनागोरा	290
66.	02	बीसीसीएल	लोदना	5 जयरामपुर	127
67.	02	बीसीसीएल	लोदना	6 लोदना	109
68.	02	बीसीसीएल	लोदना	7 बागडिगी	119
69.	02	बीसीसीएल	लोदना	8 जीलगोरा	17
70.	02	बीसीसीएल	लोदना	9 बरारी	96
71.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	1 काची बलिहारी 10/12 पिट	40
72.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	2 एस. बलिहारी	59
73.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	3 पी.बी. परियोजना	96
74.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	4 गोपालीचक	96
75.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	5 पुटकी	23
76.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	6 भागाबन्ध	83
77.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	7 के.बी. 5/6 पिट (गोपालीचक)	40
78.	02	बीसीसीएल	पी.बी. परियोजना	8 केन्दूआडीह	
79.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	1 बन्सदेवपुर	70
80.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	2 मुडीडीह	125
81.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	3 कनकनी	104

1	2	3	4	5	6
82.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	4 लोयाबाद	89
83.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	5 सेन्द्रा बन्सजोरा	578
84.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	6 निचितपुर	536
85.	02	बीसीसीएल	सिजुआ	7 तेतूलमारी	309
86.	02	बीसीसीएल	वेस्ट झारिया	1 लोहापट्टी	32
87.	02	बीसीसीएल	वेस्ट झारिया	2 मुरलीडीह 20/21	212
88.	02	बीसीसीएल	वेस्ट झारिया	3 मुरलीडीह पेच	
89.	02	बीसीसीएल	वेस्ट झारिया	4 भाटडीह	92
90.	02	बीसीसीएल	वेस्ट झारिया	5 मुनिडीह	433
1.	03	सीसीएल	अरगदा	1 अरगदा कोलियरी	72
2.	03	सीसीएल	अरगदा	2 गिडी-ए	320
3.	03	सीसीएल	अरगदा	3 गिडी-सी	243
4.	03	सीसीएल	अरगदा	4 सिरका	45
5.	03	सीसीएल	अरगदा	5 सिरका + सिरका फायर	163
6.	03	सीसीएल	अरगदा	6 रैलीगारा	273
7.	03	सीसीएल	बरका-सयाल	1 भुरकुण्डा एवं संगम	222
8.	03	सीसीएल	बरका	2 लपंगा-ब्लाक	
9.	03	सीसीएल	बरका	3 सींदा-डी	11
10.	03	सीसीएल	बरका	4 सींदा-डी	185
11.	03	सीसीएल	बरका	5 सींदा (एनसीडीसी)	82
12.	03	सीसीएल	बरका	6 मध्य सींदा	83
13.	03	सीसीएल	बरका	7 सयाल-डी (5,6,8,9,10 तथा नई खान)	198
14.	03	सीसीएल	बरका	8 ठरीमरी यूजी	79
15.	03	सीसीएल	बरका	9 ठरीमरी ओसी	1406
16.	03	सीसीएल	बरका	10 नार्थ ठरीमरी	901
17.	03	सीसीएल	बरका	11 हिन्दगिर	
18.	03	सीसीएल	बरका	12 भुरकुण्डा एवं संगम	240
19.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	1 करगली (बरमोसीम)	58

1	2	3	4	5	6
20.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	2 करगली ओसी	80
21.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	3 बोकारो	283
22.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	4 कारो विशेष यूजी-II	41
23.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	5 कोरा सीम इन्कलाइन	1238
24.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	6 खासमहल यूजी	466
25.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	7 गिरीडीह	313
26.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	8 यू.के. इन्कलाइन	(उत्पादन को गिरीडीह खान, में शामिल किया गया)
27.	03	सीसीएल	बोकारो/करगली	9 कबीराबाद परियोजना	(उत्पादन को गिरीडीह खान में शामिल किया गया)
28.	03	सीसीएल	धोरी	1 धोरी कोलियरी	367
29.	03	सीसीएल	धोरी	2 नई चुनी धोरी	46
30.	03	सीसीएल	धोरी	3 चुनी धोरी (प्र.सं. 1)	1015
31.	03	सीसीएल	धोरी	4 चुनी धोरी (प्र.सं. 3)	1575
32.	03	सीसीएल	धोरी	5 अमलो	490
33.	03	सीसीएल	धोरी	6 धोरी खास	84
34.	03	सीसीएल	धोरी	7 धोरी खास	0
35.	03	सीसीएल	हजारीबाग	1 केदला (यूजी)	161
36.	03	सीसीएल	हजारीबाग	2 तापीन नार्थ	657
37.	03	सीसीएल	हजारीबाग	3 तापीन साउथ	22
38.	03	सीसीएल	हजारीबाग	4 तापीन साउथ	
39.	03	सीसीएल	हजारीबाग	5 झारखण्ड (लाइयो)	801
40.	03	सीसीएल	हजारीबाग	6 लाइयो	93
41.	03	सीसीएल	हजारीबाग	7 पारेज ईस्ट	1620
42.	03	सीसीएल	हजारीबाग	8 केदला (ओसी)	332
43.	03	सीसीएल	कथारा	1 कथारा कोलियरी	421
44.	03	सीसीएल	कथारा	2 सवांग कोलियरी	330

1	2	3	4	5	6
45.	03	सीसीएल	कथारा	3 जारंगडीह कोलियरी	92
46.	03	सीसीएल	कथारा	4 जारंगडीह कोलियरी	518
47.	03	सीसीएल	कथारा	5 गोविन्दपुर	110
48.	03	सीसीएल	कुजू	1 कुजू कोलियरी	79
49.	03	सीसीएल	कुजू	2 आरा कोलियरी	
50.	03	सीसीएल	कुजू	3 आरा पुनर्गठन	286
51.	03	सीसीएल	कुजू	4 सरुबेरा कोलियरी	154
52.	03	सीसीएल	कुजू	5 चेनपुर (सरुबेरा) कोलियरी	167
53.	03	सीसीएल	कुजू	6 टोपा कोलियरी	456
54.	03	सीसीएल	कुजू	7 पिन्डरा कोलियरी	90
55.	03	सीसीएल	कुजू	8 कर्मा	390
56.	03	सीसीएल	कुजू	9 पुन्डी	247
57.	03	सीसीएल	एन. करनपुरा	1 चुरी/मनकी	185
58.	03	सीसीएल	एन. करनपुरा	2 के.डी. हेज्ञालोंग	3400
59.	03	सीसीएल	एन. करनपुरा	3 डकरा बुकबुका	223
60.	03	सीसीएल	एन. करनपुरा	4 करकत्ता	580
61.	03	सीसीएल	एन. करनपुरा	5 रोहिणी	753
62.	03	सीसीएल	पिपरवार	1 राय-बझचरा	232
63.	03	सीसीएल	पिपरवार	2 पिपरवारा	8384
64.	03	सीसीएल	पिपरवार	3 अशोका	4203
65.	03	सीसीएल	राजहरा	1 राजहारा एनडब्ल्यू	125
66.	03	सीसीएल	राजहरा	2 तेतूरीय खार	238
67.	03	सीसीएल	राजरप्पा	1 राजरप्पा परियोजना	1402
1.	04	एनसीएल	अमलोहरी	1. अमलोहरी	3546
2.	04	एनसीएल	बीना	1 बीना	4317
3.	04	एनसीएल	दुधिचुआ	1 दुधिचुआ	9361
4.	04	एनसीएल	गोरबी-बी	1 गोरबी-बी	
5.	04	एनसीएल	जयन्त	1 जयन्त	9664

1	2	3	4	5	6
6.	04	एनसीएल	झिंगुरदा	1 झिंगुरदा	3891
7.	04	एनसीएल	ककरी	1 ककरी	3004
8.	04	एनसीएल	खादीया	1 खादीया	3750
9.	04	एनसीएल	निगाही	1 निगाही	9500
1.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	1 बल्लारपुर कोलि. 3 एवं 4 पिट्स	192
2.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	2 सस्ती कोलियरी	214
3.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	3 बल्लारपुर ओसीएम	385
4.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	4 न्यू धुपतला ओसीएम	506
5.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	5 सस्ती ओसीएम	1418
6.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	6 गोरी-I ओसीएम	475
7.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	7 गोरी-II ओसीएम	665
8.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	8 पौनी ओसीएम	489
9.	05	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर	9 वीरपुर यूजी/चिन्चोली यूजी	
10.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	1 हिन्दुस्तान लालपेट नं. 1	93
11.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	2 हिन्दुस्तान लालपेट नं. 3	40
12.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	3 मन्ना इन्कलाइन	137
13.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	4 नंदागांव इन्कलाइन	162
14.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	5 चंदा रायतवाड़ी कोलियरी	78
15.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	6 दुर्गापुर रायतवाड़ी कोलियरी	326
16.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	7 महाकाली कोलियरी	218
17.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	8 हिन्दुस्तान लालपेट ओसी + एच एल विस्तार ओसी	653
18.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	9 दुर्गापुर ओसी	2020
19.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	10 पदमपुर ओसी	1263
20.	05	डब्ल्यूसीएल	चन्द्रपुर	11 भटाडी ओसी	305
21.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	1 मोहन यूजी खान	46
22.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	2 मोरी यूजी खान	368

1	2	3	4	5	6
23.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	3 अम्बारा यूजी खान	598
24.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	4 घोराबाड़ी यूजी खान	440
25.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	5 दमूवा यूजी खान	117
26.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	6 बंसी यूजी खान	
27.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	7 नन्दन-1 यूजी खान	238
28.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	8 नन्दन-2 यूजी खान	150
29.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	9 टांडसी 1 तथा 2	148
30.	05	डब्ल्यूसीएल	कन्हान	10 टांडसी 3 तथा 4	46
31.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	1 न्यू मेजर ओसी-II + (कवाडी ओ/सी + विस्तार)	1226
32.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	2 न्यू मेजर सेक्टर-ए	275
33.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	चरगांव ओपनकास्ट + सीमा ओपनकास्ट	1004
34.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	4 तलवाशा ओपनकास्ट	987
35.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	5 न्यू मेजर यूजी खान-3	312
36.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	6 नवीनकुन्डा ओसी	670
37.	05	डब्ल्यूसीएल	माजरी	7 धोरवासा	631
38.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	1 सिलेवाड़ा कोलियरी	300
39.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	2 सिलेवाड़ा एबी इन्कलाइन	218
40.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	3 पीपला कोलियरी	137
41.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	4 पतंगसांवगी कोलियरी	146
42.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	5 सावनेर खान-I	405
43.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	6 सावनेर खान-II	249
44.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	7 सावनेर खान-III	242
45.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	8 इन्दर कोलियरी	211
46.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	9 अदासा	
47.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	10 काम्प्टी	1240
48.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	11 गोंडेगांव ओसी खान	1175
49.	05	डब्ल्यूसीएल	नागपुर	12 वाल्नी	

1	2	3	4	5	6
50.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	1 पाथाखेरा खान-I	313
51.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	2 पाथाखेरा खान-II	319
52.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	3 सतपुरा-II खान	601
53.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	4 शोभापुर खान	512
54.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	5 सारनी खान	310
55.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	6 तावा खान	607
56.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	7 छतरपुर-I खान	123
57.	05	डब्ल्यूसीएल	पाथाखेरा	8 छतरपुर-II खान	173
58.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	1 चांदामेटा कोलियरी	
59.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	2 ईस्ट डोगंर चिखली कोलियरी	
60.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	3 महादेवपुरी इन्कलाइन	65
61.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	4 गणपति इन्कलाइन	80
62.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	5 गजनडोह इन्कलाइन	144
63.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	6 रावणवाड़ा खास यूजी	125
64.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	7 पेंच ईस्ट ओसी खान	
65.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	8 निहारिया यूजी खान	195
66.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	9 छिन्दा ओसी खान	46
67.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	10 विष्णुपुरी-I यूजी खान	86
68.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	11 विष्णुपुरी-II यूजी खान	113
69.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	12 देशगोरा खान	139
70.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	13 मथानी यूजी खान	121
71.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	14 न्यू सेथिया ओसी खान	196
72.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	15 हरानभट्टा ओसी खान	
73.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	16 शिवपुरी-II (7 तथा 8)	170
74.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	17 भज्जिमणि ओसी खान	25
75.	05	डब्ल्यूसीएल	पेंच	18 बरकुली ओसी खान	
76.	05	डब्ल्यूसीएल	उमरेर	1 उमरेर ओसी खान	2308
77.	05	डब्ल्यूसीएल	उमरेर	2 मकरधोकरा खान संख्या II	752

1	2	3	4	5	6
78.	05	डब्ल्यूसीएल	उमरेर	3 मुरपार परियोजना	56
79.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	1 घुग्घुस ओसीएम	1554
80.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	2 नई गांव ओसीएम	692
81.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	3 नीलजय साउथ ओसीएम	610
82.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	4 नीलजय ओसीएम	1759
83.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	5 मुंगोली/निरगोडा	1508
84.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी	6 नकोदा इन्काइन	
85.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	1 भन्डेवाड़ा इन्कलाइन/राजपुर पिट	214
86.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	2 कुम्बेरखानी	151
87.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	3 उकनी ओसीपी	2000
88.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	4 पिम्पलगांव ओसीपी	668
89.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	5 कोलरपिंपरी ओसीपी	985
90.	05	डब्ल्यूसीएल	वणी नार्थ	6 जुनाद ओसीपी	588
1.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	1 चुरचा ईस्ट	484
2.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	2 चुरचा वेस्ट	440
3.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	3 कटकोना कोलियरी 1 तथा 2	264
4.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	4 कटकोना कोलियरी 3 तथा 4	
5.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	5 पाण्डवपारा कोलियरी	197
6.	06	एसईसीएल	बैकुण्ठपुर	6 झिलिमिली/भास्करपारा कोलियरी	255
7.	06	एसईसीएल	भटगांव	1 भटगांव	465
8.	06	एसईसीएल	भटगांव	2 महामाया	220
9.	06	एसईसीएल	भटगांव	3 कल्याणी	73
10.	06	एसईसीएल	भटगांव	4 शिवानी	194
11.	06	एसईसीएल	भटगांव	5 दुग्गा	1046
12.	06	एसईसीएल	भटगांव	6 महान ओसी	64
13.	06	एसईसीएल	भटगांव	7 नोवापारा परियोजना	
14.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	1 जैननगर 3 तथा 4 (पुराना)	140

1	2	3	4	5	6
15.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	2 जैननगर 5 तथा 6 (नया)	155
16.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	3 कुम्दा 1 तथा 2	123
17.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	4 कुम्दा 7 तथा 8	390
18.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	5 बलरामपुर 10 तथा 12	366
19.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	6 रेहार	130
20.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	7 विश्रामपुर	498
21.	06	एसईसीएल	विश्रामपुर	8 गायत्री यूजी परियोजना	10
22.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	1 एन.सी.पी.एच. कोलियरी (पुराना)	524
23.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	2 एन.सी.पी.एच. कोलियरी (आर/6 नया)	
24.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	3 नार्थ चिरीमिरी	371
25.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	4 दुमन हिल	
26.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	*कोरिया	49
27.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	4 चिरीमिरी	700
28.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	7 सोनावानी	
29.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	5 चिरीमिरी बरटुंगा हिल	434
30.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	6 चिरीमिरी अन्जन हिल	510
31.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	7 कुरैसिया यूजी	1257
32.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	8 वेस्ट चिरीमिरी पेच	289
33.	06	एसईसीएल	चिरीमिरी	9 रानी अटारी	
34.	06	एसईसीएल	गेवरा	1 दिपका (गेवरा के साथ मिश्रित)	22570
35.	06	एसईसीएल	गेवरा	2 दिपका वृद्धि	12981
36.	06	एसईसीएल	हसदेव	1 नार्थ, झारखण्ड	
37.	06	एसईसीएल	हसदेव	2 वेस्ट झारखण्ड	305
38.	06	एसईसीएल	हसदेव	3 बी-सीम	130
39.	06	एसईसीएल	हसदेव	4 पालकीमारा	77
40.	06	एसईसीएल	हसदेव	5 राजनगर यूजी (पुराना)	बन्द
41.	06	एसईसीएल	हसदेव	7 राजनगर आरओ (नया)	815
42.	06	एसईसीएल	हसदेव	7 साउथ झिमर	298

1	2	3	4	5	6
43.	06	एसईसीएल	हसदेव	8 मालगा	372
44.	06	एसईसीएल	हसदेव	9 बिजुरी	402
45.	06	एसईसीएल	हसदेव	10 सोमना	169
46.	06	एसईसीएल	हसदेव	11 बेहराबन्द	425
47.	06	एसईसीएल	हसदेव	12 कुरजा/सीतलधारा	243
48.	06	एसईसीएल	हसदेव	13 कपिलधारा	389
49.	06	एसईसीएल	हसदेव	14 राजनगर	1710
50.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	1 जमुना आरओ (1 तथा 2, 11 तथा 12)	197
51.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	2 जमुना 5 तथा 6/9 तथा 10	240
52.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	3 कोटमा वेस्ट	161
53.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	4 गोविन्दा	150
54.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	5 मीरा	86
55.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	6 भद्रा	166
56.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	7 हरद इन्कलाइन	
57.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	7 बरतराई	215
58.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	8 जमुना ओसी	507
59.	06	एसईसीएल	जमुना एवं कोटमा	9 कोटमा ओसी	204
60.	06	एसईसीएल	जोहिला	1 नौरोजाबाद (ईस्ट)	77
61.	06	एसईसीएल	जोहिला	2 नौरोजाबाद (वेस्ट)	203
62.	06	एसईसीएल	जोहिला	3 वीर सिंहपुर	278
63.	06	एसईसीएल	जोहिला	4 पाली	301
64.	06	एसईसीएल	जोहिला	5 उमरिया	157
65.	06	एसईसीएल	जोहिला	6 पिपरिया	205
66.	06	एसईसीएल	जोहिला	7 पिनोरा	288
67.	06	एसईसीएल	जोहिला	8 विंध्या	312
68.	06	एसईसीएल	कोरबा	1 मानिकपुर	2340
69.	06	एसईसीएल	कोरबा	2 राजगमर-II (6 तथा 7)	218
70.	06	एसईसीएल	कोरबा	3 पवन इन्कलाइन	81

1	2	3	4	5	6
71.	06	एसईसीएल	कोरबा	4 बन्की मैन	334
72.	06	एसईसीएल	कोरबा	5 बन्की इन्कलाइन (9 तथा 10)	
73.	06	एसईसीएल	कोरबा	6 सुरकच्छार मैन	341
74.	06	एसईसीएल	कोरबा	7 सुरकच्छार 3 तथा 4 इन्कलाइन	
75.	06	एसईसीएल	कोरबा	8 सुरकच्छार 5 तथा 6 इन्कलाइन	
76.	06	एसईसीएल	कोरबा	9 बालगी	276
77.	06	एसईसीएल	कोरबा	10 धेल्वाडीह कोलियरी	222
78.	06	एसईसीएल	कोरबा	11 सिंघाली कोलियरी	277
79.	06	एसईसीएल	कोरबा	12 बागदेवा परियोजना	125
80.	06	एसईसीएल	कुसमुण्डा	कुसमुण्डा परियोजना	7600
81.	06	एसईसीएल	कुसमुण्डा	2 लक्ष्मण परियोजना	987
82.	06	एसईसीएल	रायगढ़	1 बरौद	265
83.	06	एसईसीएल	रायगढ़	2 छाल इन्कलाइन	80
84.	06	एसईसीएल	रायगढ़	3 धरम इन्कलाइन	96
85.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	1 धनपुरी	193
86.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	2 सुभाष इन्कलाइन	23
87.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	3 अमलाई	
88.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	5 चचाई	
89.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	4 बंगवार	270
90.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	5 नवगांव	197
91.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	6 राजेन्द्र	552
92.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	7 बैगा	267
93.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	8 धनपुरी	731
94.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	9 शारदा	621
95.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	10 अमलाई	402
96.	06	एसईसीएल	सुहागपुर	11 न्यू अमलाई	344
1.	07	एमसीएल	वसुन्धरा	1 वसुन्धरा (ईस्ट) ओसीपी	891
2.	07	एमसीएल	हिंगुला	1 हिंगूला II ओसीपी	4750

1	2	3	4	5	6
3.	07	एमसीएल	हिंगुला	2 छेन्दीपारा	
4.	07	एमसीएल	ईब घाटी	1 लाजकुरा ओसीएम	815
5.	07	एमसीएल	ईब घाटी	2 समलेश्वरी ओसीएम	4546
6.	07	एमसीएल	जगन्नाथ	1 बलन्दा कोलियरी	605
7.	07	एमसीएल	जगन्नाथ	2 जगन्नाथ कोलियरी	4338
8.	07	एमसीएल	जगन्नाथ	3 अनन्ता ओसीपी विस्तार	9469
9.	07	एमसीएल	कलिंगा	1 भरतपुर ओसीपी विस्तार	9600
10.	07	एमसीएल	कलिंगा	2 कलिंगा	4020
11.	07	एमसीएल	लखनपुर	1 बेलपहाड़ ओसीएम	2949
12.	07	एमसीएल	लखनपुर	2 लखनपुर ओसीपी	6765
13.	07	एमसीएल	लखनपुर	3 लीलारी ओसीएम	502
14.	07	एमसीएल	लिंगराज	1 लिंगराज	8740
15.	07	एमसीएल	ओरिएण्ट	1 ओरिएण्ट कोलियरी 1 तथा 2	289
16.	07	एमसीएल	ओरिएण्ट	2 ओरिएण्ट खान संख्या : 3	534
17.	07	एमसीएल	ओरिएण्ट	3 ओरिएण्ट खान संख्या : 4	107
18.	07	एमसीएल	ओरिएण्ट	4 हिमगिर रामपुर कोलियरी	152
19.	07	एमसीएल	ओरिएण्ट	5 हीराखण्ड बुंदिया इन्कलाइन	435
20.	07	एमसीएल	तलचर	1 तलचर कोलियरी	213
21.	07	एमसीएल	तलचर	2 देऊलबेरा कोलियरी	107
22.	07	एमसीएल	तलचर	3 नन्दिरा कोलियरी	290
23.	07	एमसीएल	तलचर	4 हण्डीदुआ अंगुल	
1.	08	एनईसी	मरगेरीटा	1 तिपांग कोलियरी	44
2.	08	एनईसी	मरगेरीटा	2 बारागोलाई कोलियरी	51
3.	08	एनईसी	मरगेरीटा	3 लेडो कोलियरी	27
4.	08	एनईसी	मरगेरीटा	4 तिकाक कोलियरी	190
5.	08	एनईसी	मरगेरीटा	5 तिस्प कोलियरी	420
6.	08	एनईसी	मरगेरीटा	6 जयपुर-दिल्ली कोलियरी	
7.	08	एनईसी	मरगेरीटा	7 सिंसांग कोलियरी	

1	2	3	4	5	6
1.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	1 महावीर खानी-1	0
2.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	2 गोलेटी-1	271
3.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	3 गोलेटी-1 ए	26
4.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	4 बी.पी.ए. ओपनकास्ट	81
5.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	5 खेरागुरा ओसीपी	0
6.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	6 शान्ति खानी	
7.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	7 महावीर खानी-5	
8.	09	एससीसीएल	बेलमपल्ली	8 महावीर खानी-6	
9.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	1 काकतिया खानी-1	122
10.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	2 काकतिया खानी-1 ए	201
11.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	3 काकतिया खानी-2	95
12.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	4 काकतिया खानी-2 ए	167
13.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	5 काकतिया खानी-3	50
14.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	6 काकतिया खानी-5	138
15.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	7 काकतिया खानी-5 ए	133
16.	09	एससीसीएल	भूपालपल्ली	8 काकतिया खान-6	58
17.	09	एससीसीएल	आईके एवं चिन्नुर	1 इन्दरम खानी-1	150
18.	09	एससीसीएल	आईके एवं चिन्नुर	2 इन्दरम खानी-1ए	249
19.	09	एससीसीएल	आईके एवं चिन्नुर	3 चेन्नुर 1 तथा 1ए	128
20.	09	एससीसीएल	आईके एवं चिन्नुर	4 चेन्नुर-2	108
21.	09	एससीसीएल	कोठागुडम	1 नं. 5 इन्कलाइन	433
22.	09	एससीसीएल	कोठागुडम	2 नं. 5 बी इन्कलाइन	116
23.	09	एससीसीएल	कोठागुडम	3 वेंकटश खान-7	354
24.	09	एससीसीएल	कोठागुडम	4 गौतम खानी	2636
25.	09	एससीसीएल	कोठागुडम	*हेमा चन्द्रापुरम	0
26.	09	एससीसीएल	मंदामारी	1 शान्ति खानी	91
27.	09	एससीसीएल	मंदामारी	2 शोमागुडम-1	271
28.	09	एससीसीएल	मंदामारी	3 शोमागुडम-3	40

1	2	3	4	5	6
29.	09	एससीसीएल	मंदामारी	4 कल्याण खानी-1	223
30.	09	एससीसीएल	मंदामारी	5 कल्याण खानी-2	208
31.	09	एससीसीएल	मंदामारी	6 कल्याण खानी-5	396
32.	09	एससीसीएल	मंदामारी	7 कल्याण खान-5ए	156
33.	09	एससीसीएल	मंदामारी	8 काशीपेट	218
34.	09	एससीसीएल	मंदामारी	9 काशीपेट ओसीपी	
35.	09	एससीसीएल	मंदामारी	10 रवीन्द्र खानी-1	0
36.	09	एससीसीएल	मंदामारी	11 रवीन्द्र खानी-1ए	317
37.	09	एससीसीएल	मंदामारी	12 मोतीलाल खानी-4	436
38.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	1 प्रकाशम खानी-1	200
39.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	2 प्रकाशम खानी-2	105
40.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	3 सेन्टेनरी ओसीपी विस्तार	
41.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	3 ओपनकोस्ट-II	3690
42.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	4 ओपनकोस्ट-IV	1251
43.	09	एससीसीएल	मनुगुरु	5 सेन्टेनरी ओपनकास्ट	1001
44.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	1 गोदावरी खानी-1	194
45.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	2 गोदावरी खानी-2	154
46.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	3 गोदावरी खानी-2ए	182
47.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	4 गोदावरी खानी-3	106
48.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	5 गोदावरी खानी-5	478
49.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	6 गोदावरी खानी-5ए	134
50.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	7 गोदावरी खानी-6	230
51.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	8 गोदावरी खानी-6ए	213
52.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	9 गोदावरी खानी-6 बी (आईजीएम)	274
53.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	10 गोदावरी खानी-7 (एलईपी)	96
54.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-I	11 गोदावरी खानी-11ए	483
55.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-II	1 गोदावरी खानी-9	393
56.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-II	2 गोदावरी खानी-10ए	513

1	2	3	4	5	6
57.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-II	3 गोदावरी खानी-8	459
58.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-II	4 गोदावरी खानी-8ए	200
59.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-II	5 गोदावरी खानी-10	367
60.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-III	1 ओपनकास्ट-III	3737
61.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-III	2 मेदपाली ओपनकास्ट	1445
62.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-IV	1 ओपनकास्ट-I	2651
63.	09	एससीसीएल	रामागुंडम-IV	2 ओपनकास्ट-II	1901
64.	09	एससीसीएल	रामकिशनापुर	3 रवीन्द्रा खानी-3	
65.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	1 रवीन्द्रा खानी-5	489
66.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	2 रवीन्द्रा खानी-6	353
67.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	3 रवीन्द्रा खानी-7	461
68.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	4 रवीन्द्रा खानी- न्यू टेक	330
69.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	5 रवीन्द्रा खानी-8	141
70.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	6 श्रीरामपुर-1	252
71.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	7 श्रीरामपुर-2	269
72.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	8 श्रीरामपुर-2ए	128
73.	09	एससीसीएल	श्रीरामपुर	9 श्रीरामपुर-3 तथा 3ए	383
74.	09	एससीसीएल	येल्लानडू	1 नं. 21 इन्कलाइन	214
75.	09	एससीसीएल	येल्लानडू	2 जवाहर खानी-5	359
76.	09	एससीसीएल	येल्लानडू	3 ओपनकोस्ट-I	501
77.	09	एससीसीएल	येल्लानडू	4 ओपनकास्ट-II	374
78.	09	एससीसीएल	येल्लानडू	5 कोया गुडम ओसीपी	1271
1.	10	जेकेएमएल	कालकोट	1 मेटका खान	8
2.	10	जेकेएमएल	कालकोट	2 मोगला कोयला खान	9
3.	10	जेकेएमएल	कालकोट	3 बारियाल कोयला खान	2
4.	10	जेकेएमएल	कालकोट	4 कोटला	0
1.	11	जेएसएमडीसीएल	लतेहर	1 सिकनी कोयला परियोजना	444
1.	30	डीवीसी	बेरमू	1 डीवीसी बेरमू खान	381

1	2	3	4	5	6
1.	31	इस्को	चसनल्ला	1 चसनल्ला	138
2.	31	इस्को	नुनुडीह जीतपुर	2 नुनुडीह जीतपुर	143
3.	32	इस्को	रामनगर	3 रामनगर	302
1.	50	बीईसीएमएल	तारा	1 तारा ओसीपी चुररोलीया	3769
1.	51	आईसीएमएल	सिरसाटल्ली	1 सिरसाटल्ली ओपन कास्ट कोयला खान	1495
1.	52	जेएसपीएल	मांदका गेर एरिया	1 जिन्दल ओपनकास्ट कौयला खान	2466
1.	54	टिस्को	जामाडोबा	1 जामाडोबा कोलियर	285
2.	54	टिस्को	जामाडोबा	26 तथा 7 पिट्स कोलियरी	311
3.	54	टिस्को	जामाडोबा	3 डीगवाडीह कोलियरी	328
4.	54	टिस्को	जामाडोबा	4 सिजूजा कोलियरी	323
5.	54	टिस्को	जामाडोबा	4 बेलाटंडा कोलियरी	356
6.	55	टिस्को	वेस्ट बोकारो	1 वेस्ट बोकारो क्वैरी-एबी (ओसी-I)	2322
7.	55	टिस्को	वेस्ट बोकारो	2 वेस्ट बोकारो क्वैरी-ई (ओसी-II)	2211

विवरण-II

राज्यवार कोयला उत्पादन *(मिलियन टन)*

कंपनी	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
प. बंगाल	16.83	15.93	16.80	17.88	16.90
बिहार					38.09
झारखंड	70.18	72.08	71.51	69.73	30.76
उड़ीसा	66.08	60.05	52.23	47.81	44.80
उ. प्र.	16.80	15.79	17.78	16.49	16.86
म. प्र.	52.42	49.83	45.74	44.20	69.18
महाराष्ट्र	34.53	32.91	31.36	30.83	28.75
छत्तीसगढ़	66.16	59.04	54.64	52.07	22.14
असम	0.63	0.73	0.63	0.64	0.66
सीआईएल	323.62	306.36	290.69	279.65	268.14

कोयला खनन के कारण जल स्तर में कमी आना

6934. श्री टेकलाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के कथारा क्षेत्र में कथारा कोयला खान तथा धोवनशाला और स्वांग कोयला खान तथा धोवनशाला में कोयला खनन से कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास के गांवों में जल स्तर बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र के निवासियों को जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र के निवासियों को जल उपलब्ध कराने में विलंब के लिए कारण यदि कोई है, क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कथारा कोलियरी तथा स्वांग कोलियरी के समीप खनन प्रचालन के कारण जलस्तर कम नहीं हुआ है। स्वांग कोलियरी ओपनकास्ट खदानों के समीप कोई गांव नहीं है।

(ख) कथारा कोलियरी के समीप के झिरके गांव में पूरे वर्ष नियमित आधार पर पम्प तथा पाइप लाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

6935. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के जोधपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं,

(ख) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो किन-किन तिथियों को और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जोधपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

6936. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग को कोयले की आपूर्ति में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग को कोयले की घरेलू आपूर्ति तथा विदेशी कंपनियों से कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) क्या इस्पात उद्योग की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उद्योग ने कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल की जा रही इस्पात निर्माण की उपलब्ध प्रौद्योगिकी से तथा देश में उपलब्ध कोकिंग कोयले के भंडार से, घरेलू कोयला उद्योग के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस्पात उद्योग की समस्त आवश्यकता को पूरा कर सके। घरेलू कोयला उद्योग कोकिंग कोयले के टैक्नो-आर्थिक रूप से दोहनयोग्य भंडारों की समस्या का सामना कर रहा है और इसलिए वे इस्पात उद्योग की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र को देशीय तथा आयातित कोयले की कंपनी-वार आपूर्ति

(मिलियन टन में)

कंपनी	2004-05 (अनंतिम)				2003-04				2002-03				2001-02			
	इस्पात (छोने फोर किया गया)	इस्पात (खानों फोर-कोकिंग)	कोकरीय	कुल	इस्पात (छोने फोर किया गया)	इस्पात (खानों फोर-कोकिंग)	कोकरीय	कुल	इस्पात (छोने फोर किया गया)	इस्पात (खानों फोर-कोकिंग)	कोकरीय	कुल	इस्पात (छोने फोर किया गया)	इस्पात (खानों फोर-कोकिंग)	कोकरीय	कुल
ईसीएल	0.055	0.230		0.285	0.061	0.127		0.188	0.061	0.168		0.229	0.062	0.223		0.285
बीसीसीएल	नहीं उपलब्ध			5.296	0.174	3.548	0.316	4.038	0.148	4.831	0.367	5.346	0.146	5.057	0.414	5.617
सीसीएल	5.306			5.306	5.019			5.019	4.603		0.237	4.840	4.287		0.148	4.435
डब्ल्यूसीएल	0.744			0.744	0.634			0.634	0.566		0.044	0.610	0.510		0.050	0.560
एसईसीएल	0.147			0.147	0.148			0.148	0.148			0.148	0.146			0.146
सीआईएल				**11.778**	**0.383**	**9.201**	**0.443**	**10.027**	**0.357**	**10.000**	**0.816**	**11.173**	**0.354**	**9.854**	**0.835**	**11.043**
इस्को	0.010	0.522		0.532	0.013	0.502		0.515	0.020	0.550	.	0.570	0.319	0.535		0.854
टिस्को		6.368		6.368		6.136	0.001	6.137		5.918		5.918		5.638		5.638
कुल				**18.678**	**0.396**	**15.839**	**0.444**	**16.679**	**0.377**	**16.468**	**0.816**	**17.661**	**0.673**	**16.027**	**0.835**	**17.535**
आयात				**10.794***				**12.992**				**12.942**				**11.107**

*आंकड़े दिस. 2004 तक। उसके पश्चात के आंकड़े डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में खामियां

6937. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
मोहम्मद शाहिद:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की खामियां दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में पुनर्निर्माण के लिए सेतुओं तथा चौड़ा किए जाने वाली सड़कों की पहचान कर ली गई है;

(घ) क्या भारी वाहनों के लिए सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यों के पहचान किए गए तथा सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(च) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों में कमियों को दूर करना एक सतत् प्रक्रिया है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों में कमियों उनकी स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न योजना अवधियों में धीरे-धीरे चरणों में दूर की जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के भारी यातायात वाले 71 खंडों को 4/6 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत उन्नत किए जाने वाले प्रस्तावित खंड

खंड/महामार्ग सं.	रा.रा. सं.	खंड/महामार्ग	लंबाई (कि.मी.)	शामिल राज्य
1	2	3	4	5
1.	1	जालंधर-अमृतसर	49	पंजाब
2.	1ए	श्रीनगर-बारामुला-उरी	101	जम्मू और कश्मीर
3.	3	गुना बाइपास	14	मध्य प्रदेश
4.	3	इंदौर-खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले-पिंपलगांव-नासिक-गोंड-वडापे (थाणे)	546	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
5.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोटे-कोलार-मुडबागल	105	कर्नाटक
6.	4	कलमबोली-मुंब्रा (6 लेन)	20	महाराष्ट्र
7.	4ए	बेलगाम-पणजी	153	गोवा/कर्नाटक
8.	6	संबलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88	उड़ीसा
9.	6	औरंग-रायपुर	45	छत्तीसगढ़
10.	6	नागपुर-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	226	महाराष्ट/छत्तीसगढ़
11.	6	नागपुर-तेलेगांव-अमरावती	148	महाराष्ट्र
12.	6	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत	84	गुजरात
13.	7	बंगलौर-होसूर	25	कर्नाटक
14.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82	राजस्थान
15.	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127	गुजरात
16.	9	पुणे-सोलापुर	170	महाराष्ट्र
17.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5	आंध्र प्रदेश
18.	10	दिल्ली-हिसार	160	दिल्ली/हरियाणा
19.	11	आगरा-भरतपुर-जयपुर-रिंगुस	282	उत्तर प्रदेश/राजस्थान
20.	12	भोपाल-देवरी-जबलपुर	297	मध्य प्रदेश
21.	12	जयपुर-टोंक	86	राजस्थान
22.	14	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	246	राजस्थान

1	2	3	4	5
23.	15	अमृतसर-पठानकोट	101	पंजाब
24.	17	पनवेल-इंदापुर	84	महाराष्ट्र
25.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	139	गोवा
26.	17	कुंडापुर-सूरतकल	71	गोवा/कर्नाटक/केरल
27.	17	मंगलौर-कोझीकोड-इडापल्ली	469	कर्नाटक/केरल
28.	18	कुडप्पा-मीदुकुर-कुरनूल	192.5	आंध्र प्रदेश
29.	19 व 77	पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	149	बिहार
30.	19 व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153	बिहार
31.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73	चंडीगढ़/पंजाब
32.	22	अंबाला-कालका-शिमला	168	हरियाणा/पंजाब/हिमाचल प्रदेश
33.	24	मुरादाबाद-सीतापुर-लखनऊ	322	उत्तर प्रदेश
34.	28ए	मोतिहारी-रक्सौल	67	बिहार
35.	30	पटना-बख्तियारपुर	53	बिहार
36.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255	बिहार
37.	33	बरही-रांची-जमशेदपुर	265	झारखंड
38.	35	बारासत-बनगांव	60	पश्चिम बंगाल
39.	36, 39	दबोका-दीमापुर	124	असम, नागालैण्ड
40.	31, 52 व 52ए	बैहाटा चैरियाली (पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर)-इटानगर	345	असम/अरुणाचल प्रदेश
41.	39	कोहिमा-इम्फाल	140	नागालैण्ड/मणिपुर
42.	43	कूरनुद-धामतारी	23	छत्तीसगढ़
43.	44, 53	शिलांग-अगरतला (शिलांग बाइपास को छोड़कर)	447	मेघालय/असम/त्रिपुरा
44.	45	डिंडीगुल-त्रिची	80	तमिलनाडु
45.	45बी	मदुरै-अरुपुकोटै-तूतीकोरिन	144	तमिलनाडु
46.	45 विस्तार	डिंडीगुल-पेरीगुलम-थेनी	73	तमिलनाडु
47.	47	चेरथलाई-तिरुअनंतपुरम-कन्याकुमारी	265	केरल/तमिलनाडु
48.	48	नीलमंगला-हासन	154	कर्नाटक
49.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडि	186	तमिलनाडु
50.	50	पुणे-खेड	30	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
51.	54	सिलचर (पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर)-आइजोल	190	असम/मिजोरम
52.	57ए	फारबिसगंज-जोगबनी	13	बिहार
53.	1, 24, 58, 72	दिल्ली-देहरादून	280	दिल्ली/उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल
54.	59	इंदौर-झाबुआ-अहमदाबाद	379	मध्य प्रदेश/गुजरात
55.	66	कृष्णागिरी-तिरुवन्नामलाई-टिंडीवनम-पांडिचेरी	210	तमिलनाडु/पांडिचेरी
56.	67	नागापट्टनम-तंजाउर-त्रिची-करुर	180	तमिलनाडु
57.	67 विस्तार	कोयम्बटूर-मेट्टूपलायम	45	तमिलनाडु
58.	68	सलेम-उलुन्दुपेट	134	तमिलनाडु
59.	69	ओबेदुल्लागंज-भीमबैठका	13	मध्य प्रदेश
60.	75	झांसी-खजुराहो	100	मध्य प्रदेश
61.	80	मोकामा-मुंगेर	70	बिहार
62.	84	पटना-बक्सर	130	बिहार
63.	86 (विस्तार)	भोपाल-सांची	40	मध्य प्रदेश
64.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106	उत्तर प्रदेश
65.	200	रायपुर-सिमगा	28	छत्तीसगढ़
66.	200	चंडीखोल-धुबरी	39	उड़ीसा
67.	202	हैदराबाद-यादगिरी	30	आंध्र प्रदेश
68.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59	उड़ीसा
69.	205	तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नै	138	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु
70.	215	पानीखोली-क्योंझर-रॉक्सी	249	उड़ीसा
71.	220	थेनी-कुमीली	57	तमिलनाडु
		जोड़	10417	

[अनुवाद]

अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग

6938. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अहमदनगर-बड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग की तरह अहमदाबाद-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने की योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक्सप्रेस मार्ग जो पूर्णत: पहुंच नियंत्रित सड़क होती है, का निर्माण केवल उन्हीं मार्गों पर आवश्यक है, जहां बहुत अधिक यातायात होता है। इस निर्माण कार्य में अत्यधिक वित्तीय निवेश भी शामिल है और इसमें विस्तृत इंजीनियरी, वित्त, पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। तथापि, सरकार ने दिल्ली और अहमदाबाद को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने का कार्य शुरु कर दिया है। और यह कार्य अब लगभग पूरा होने वाला है।

भारतीय शहरों में प्राकृतिक आपदा में खतरे की संभावना

6939. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'म्यूनिख टी' ने अपने हाल ही की रिपोर्ट 'मेगासिटिज मेगारिस्क' में मुम्बई, बंगलौर, दिल्ली और कलकत्ता को भूकंप, सुनामी, ट्रॉपीकल स्टोर्म, ज्वालामुखी के फटने, विंटर स्टोर्म और बाढ़ जैसी आपदाओं से उत्पन्न होने वाले उच्च प्राकृतिक आपदा खतरों के शहरों की सूची में सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व के मेगारिस्क मैप में मुम्बई, बंगलौर, दिल्ली और कोलकाता की क्या स्थिति है; और

(ग) इन शहरों में ऐसी आपदाओं की समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणाली प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय भूकम्प क्षेत्रीय मानचित्र के अनुसार देश को जोन-II से जोन-IV तक चार भूकम्पीय जोन्स में बांटा गया है। जोन-V को भूकम्पीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र समझा जाता है जबकि जोन-II को सबसे कम सक्रिय। मुंबई, बंगलौर, दिल्ली और कोलकाता क्रमश: भूकम्पीय जोन III, II, IV और III में आते हैं। विश्व में कहीं भी भूकम्प की पूर्व चेतावनी देना संभव नहीं है, परन्तु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार भूकम्परोधी डिजाइन और निर्माण मार्गनिर्देशों को अपनाकर संपत्ति एवं भवन की क्षति को कम किया जा सकता है। महत्वपूर्ण शहरों का सूक्ष्म क्षेत्रीकरण (माइक्रोजोनेक्शन) भी शुरु कर दिया गया है, जिससे विभिन्न भूमि दशाओं के अधीन छोटे जोन्स की क्षतिग्रस्त होने की संभावना से संबंधित आकलन एवं जोखिम कम करने के लिए समुचित उपाय करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली और बंगलौर उष्णदेशीय चक्रवात से प्रभावित नहीं हैं, जबकि मुम्बई को प्रभावित करने वाले चक्रवात की आवृत्ति काफी कम है और कोलकाता के भीतरी प्रदेश होने से तूफानी लहरों से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। उष्णदेशीय चक्रवात और प्रचण्ड मौसमी घटनाओं की मानिटरिंग और उनका पूर्वानुमान करने का उत्तरदायित्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) का है। संपूर्ण तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों को शामिल करते हुए आई एम डी द्वारा मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षणशालाओं के एक अच्छे नेटवर्क का संचालन आई एम डी द्वारा किया जाता है। राडार और उपग्रह प्रणालियों से प्राप्त प्रेक्षण आंकड़ों से इनकी सहायता की जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चेतावनी देने के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी तट के साथ राडारों का नेटवर्क है। बाढ़ से संबंधित चेतावनी जारी करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग उत्तरदायी है। सरकार ने हिन्द महासागर में शीघ्र सुनामी चेतावनी देने की प्रणाली स्थापित करने की एक योजना भी तैयार कर ली है। महासागर विकास विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इस प्रयास में शामिल अग्रणी एजेंसियां हैं।

तमिलनाडु में टेलीफोन अदालतें

6940. डा. के. धनराजू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में लगाई गई टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए तथा निर्णय दिए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में वर्ष 2005-06 के दौरान लगाई जाने वाली टेलीफोन अदालतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तमिलनाडु में 2004-05 में आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों और 2005-06 में टेलीफोन अदालतों को आयोजित किया जाने की संभावना का ब्यौरा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम		अदालत आयोजित करने की तारीख	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई राहत राशि (रु. में)	1.4.2005 से 31.3.2006, के दौरान टेलीफोन अदालतों को आयोजित किए जाने की संभावना का ब्यौरा
1	2		3	4	5	6	7
1.	चेन्नई टेलीफोन्स	उत्तर	13.5.2004	0	0	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			9.9.2004	4	4	0	
			9.12.2004	0	0	0	
			7.3.2005	0	0	0	
		दक्षिण	17.6.04	1	1	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			25.9.04	4	4	810	
			17.1.05	7	7	0	
			23.3.05	2	2	0	
		पश्चिम	15.6.04	2	2	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			29.9.04	0	0	0	
			14.12.04	0	0	0	
			25.3.05	3	3	2,517	
		मध्य	18.6.04	4	4	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			16.9.04	1	1	0	
			9.12.04	1	1	0	
			10.3.05	1	1	0	
2.	चिंगलपुट		27.4.04	09	09	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			3.9.04	06	06	0	
			4.3.05	09	09	0	
3.	कोयम्बटूर		25.5.04	01	01	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			29.7.04	25	25	18,362	
			15.10.04	15	15	0	
			30.11.04	02	01	0	
			28.1.05	15	15	0	
			30.3.05	04	04	0	
4.	कुड्डालोर		30.7.04	21	21	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
			30.9.04	25	25	0	
			1.3.05	22	22	0	
			31.3.05	20	20	0	

1	2	3	4	5	6	7
5.	धर्मापुरी	8.4.04	02	02	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		4.6.04	04	04	1,400	
		9.9.04	04	04	0	
		13.12.04	15	15	0	
		21.2.05	11	11	0	
		21.3.05	27	27	0	
6.	एरोड	16.6.04	03	03	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		28.7.04	05	05	0	
		30.9.04	01	01	0	
		30.11.04	03	03	0	
		29.1.05	04	04	0	
		31.3.05	01	01	0	
7.	कराईकुड़ी	11.6.04	18	18	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		9.9.04	16	16	0	
		10.12.04	20	20	0	
		30.12.04	23	23	0	
		5.2.05	03	03	0	
		11.3.05	18	18	0	
		29.3.05	15	15	0	
8.	कुम्बकोणम	27.5.04	14	14	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		17.7.04	18	18	0	
		15.9.04	12	12	0	
		18.11.04	08	08	0	
		6.1.05	14	14	0	
		17.2.05	11	11	0	
9.	मदुरै	15.4.04	09	09	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		11.06.04	02	02	0	
		13.8.04	10	10	0	
		21.10.04	09	09	0	
		28.12.04	14	14	0	
		3.2.05	05	05	0	
10.	नागरकोइल	27.8.04	19	19	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		29.11.04	06	06	11,554	
		28.12.04	08	08	0	
		29.1.05	22	22	0	
		28.2.05	18	18	0	
		20.3.05	13	11	0	

1	2	3	4	5	6	7
11.	नीलगिरी	30.7.04	01	01	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		30.1.05	04	04	0	
12.	पांडिचेरी	28.5.04	01	01	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		6.9.04	06	06	3,042	
		18.1.05	05	05	0	
13.	सलेम	3.7.04	20	20	1,854	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		28.9.04	29	29	0	
		30.12.04	24	24	0	
14.	तंजावुर	1.6.04	10	10	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		24.8.04	24	24	0	
		18.10.04	09	09	0	
		5.2.05	34	34	0	
15.	तिरुनेलवेली	6.7.04	01	01	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		31.8.04	07	07	0	
		17.12.04	01	01	0	
		20.2.05	03	03	0	
		30.3.05	18	18	0	
16.	तिरुचिरापल्ली	8.4.04	15	12	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		16.6.04	04	04	0	
		31.8.04	07	06	0	
		19.11.04	06	06	0	
		4.2.05	11	11	0	
17.	तूतीकोरिन	15.6.04	14	14	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		9.12.04	14	14	15, 219	
		31.12.04	11	11	0	
		1.3.05	21	21	0	
		26.3.05	11	11	0	
18.	वेल्लौर	15.7.04	38	37	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		14.9.04	31	28	0	
		5.11.04	31	27	0	
		7.3.05	18	16	0	
		7.305	25	23	0	

1	2	3	4	5	6	7
19.	विरुधुनगर	21.5.04	05	05	0	दिशा-निर्देशों के अनुसार दो महीनों में एक बार टेलीफोन अदालत आयोजित करने की योजना है।
		26.7.04	00	00	0	
		27.12.04	04	04	0	
		31.3.04	00	00	0	

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-80 की दशा

6941. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के अंतर्गत पीरपेंती तथा मिर्जाचौकी के बीच 12 कि.मी. लम्बी सड़क जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है,

(ख) क्या बिहार सरकार द्वारा सड़क के इस हिस्से की मरम्मत करने के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भेजा गया है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है तथा मरम्मत कार्य कब तक शुरु होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखे जाते हैं। इसके अलावा, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष धनराशि आबंटित की जाती है।

(ख) और (ग) रा.रा. 80 पर 181-190 किमी. में चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 8.55 करोड़ रु. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन अपर्याप्त तकनीकी विवरण के कारण उसे वापस कर दिया गया। राज्य सरकार ने उक्त कार्य के लिए 10.87 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव हाल ही में पुन: प्रस्तुत किया है। यह कार्य वार्षिक योजना 2005-06 में शामिल कर लिया गया है और इसकी स्वीकृति, धनराशि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और स्वीकृति की सीमा पर निर्भर करेगी। अत: उक्त कार्य के प्रारंभ होने की तारीख बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पिछड़े राज्यों को निधियों का आवंटन

6942. श्री तथागत सत्पथी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई पिछड़े राज्य विकास योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार क्या है; और

(घ) पिछड़े राज्यों को उनकी निधियां कब तक मिल जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा उनके बजट भाषण 2005-06 में घोषित पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्कीम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

कोयला-मजदूरी समझौता

6943. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवें राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौते के क्रियान्वयन में विलंब किया जा रहा है जबकि यह समझौता दिनांक 1.7.2004 से लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समझौते के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के कारण कोयला क्षेत्र को मजदूर संगठनों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्र को कोयला उत्पादन और वित्त संबंधी कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने सातवें मजदूरी समझौते की समस्याओं के समाधान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) सरकार द्वारा मजदूरी समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) निजी केप्टिव खनन कंपनियों द्वारा बातचीत में भाग लेने की अनिच्छा की वजह से कोयला उद्योग से सम्बद्ध संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) के गठन में विलंब हुआ है। मंहगाई भत्ते का शत-प्रतिशत निष्प्रभावन, रुग्ण कंपनियों आदि को वेतन करार का लाभ देना जिसके लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसे नीतिगत मसलों पर प्रबंधन तथा यूनियनों के बीच असहमति के कारण वेतन करार में विलंब हुआ।

(ग) भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) ने 29.11.2004 से 1.12.2004 तक हड़ताल का आह्वान किया था। इस अवधि के दौरान हड़ताल से पूर्व 10 लाख टन प्रतिदिन के सामान्य उत्पादन की तुलना में हड़ताल के दौरान औसतन 9 लाख टन प्रतिदिन का उत्पादन हुआ। वित्तीय रूप से 22.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में नौ साझी मांगों जिनमें 7वें वेतन करार के तत्काल समाधान की मांग भी शामिल थी, के चार्टर पर 25 से 27 अप्रैल, 2005 के दौरान वाम मोर्चे की पांच ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की। उपर्युक्त हड़ताल के कारण कोयले के उत्पादन में 83450 टन की हानि हुई। वित्तीय रूप से 8.34 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(घ) और (ङ) उद्योग, श्रम एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बेहतर हित में कोयला उद्योग के लिए चल ही वेतन संबंधी बातचीत से संबंधित बृहत मसलों की जांच करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 16.11.2004 को मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह ने प्रबंधन तथा यूनियनों के विचारों को सुना। उसने कोयला तथा खान राज्य मंत्री से यूनियनों के साथ अलग से चर्चा करने का भी अनुरोध किया। तद्नुसार 3.5.2005 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक सर्वसम्मति हुई। वेतन करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

6944. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात से 31 दिसंबर, 2004 तक कितने परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए, और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए दिनांक 31.12.2004 तक विभिन्न राज्य सरकारों से 753 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें वार्षिक योजना 2004-05 में शामिल किया गया था। इनमें से 670 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। गुजरात सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या	
		दि. 31.12.04 तक प्राप्त प्रस्ताव जिन्हें वार्षिक योजना 2004-05 में शामिल कर लिया गया था	दि. 31.12.04 तक प्राप्त प्रस्तावों में से वर्ष 2004-05 में स्वीकृति प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	67	57
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	03
3.	असम	21	20
4.	बिहार	33	16
5.	चंडीगढ़	01	01
6.	छत्तीसगढ़	26	26
7.	दिल्ली	03	03
8.	गोवा	06	06
9.	गुजरात	39	39
10.	हरियाणा	30	24

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	13	13
12.	जम्मू-कश्मीर	00	00
13.	झारखंड	09	02
14.	कर्नाटक	83	83
15.	केरल	25	25
16.	मध्य प्रदेश	37	37
17.	महाराष्ट्र	63	63
18.	मणिपुर	08	06
19.	मेघालय	14	13
20.	मिजोरम	06	06
21.	नागालैण्ड	03	03
22.	उड़ीसा	20	13
23.	पांडिचेरी	02	02
24.	पंजाब	20	20
25.	राजस्थान	35	21
26.	तमिलनाडु	77	62
27.	उत्तर प्रदेश	81	81
28.	उत्तरांचल	11	11
29.	पश्चिम बंगाल	17	14
	जोड़	753	670

कर्नाटक तथा आस्ट्रेलियम स्टेट ऑफ विक्टोरिया के बीच समझौता

6945. श्री एम. शिवन्ना:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में कर्नाटक तथा आस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया के बीच समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कूटनीति, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में इस समझौता ज्ञापन के फलस्वरूप दोनों देशों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस सहयोग से स्टेट ऑफ विक्टोरिया अपने कार्य कर्नाटक में करवाने में सक्षम हो सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण उद्योग, वायु आकाश, जैव-प्रौद्योगिकी, पशु-पालन एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान, कृषि खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्यिक अनुसंधान तथा विकास, परिवहन एवं शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास सहित संबद्ध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की परिकल्पना की गई है।

(ग) (1) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सहयोग के अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय के विकास में सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने की सुविधा प्रदान करना।

(2) लोगों, उद्यमों तथा संगठनों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना।

(3) सहयोगात्मक संयुक्त उद्यमों के विकास की संभावनाओं का पता लगाना और अनुसंधान, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक आदान-प्रदान की तैयारी करना।

(घ) और (ङ) समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, दोनों पक्ष एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा क्षेत्र/परियोजना विशिष्ट तथा विशेष उपायों पर विचार करने के लिए तकनीकी समितियों का गठन करेंगे जिनके फलस्वरूप कर्नाटक में आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

चीन में परिवार नियोजन मानदण्ड

6946. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने जनसंख्या के लिए चीन द्वारा अपनाए गए परिवार नियोजन के मानदण्डों की अध्ययन करने के लिए हाल ही में चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके अध्ययन के आधार पर आईएमए द्वारा भारत में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में क्या सुझाव और विचार व्यक्त किए गए हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय चिकित्सा संघ के चार सदस्यीय एक शिष्टमंडल ने चीनी चिकित्सा संघ के नियंत्रण पर जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए चीन द्वारा अपनाई गई परिवार नियोजन नीति का अध्ययन करने हेतु चीन का दौरा किया और पाया कि चीन की एक बच्चे की नीति को चीन में सामान्य जनता द्वारा व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है और उसके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक हैं।

(ग) भारतीय चिकित्सा संघ ने आग्रह किया है कि सरकार को प्रोत्साहन उन्मुखी परिवार कल्याण नीति तैयार करनी चाहिए।

(घ) संसद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सरकार की प्राथमिकता प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन लोगों की पूरी नहीं हुई जरुरतों को पूरा करने की है जिससे कि 2010 तक 2.1 की समग्र प्रजनता दर के शुद्ध प्रतिस्थापन स्तरों को प्रस्तुत किया जा सके।

(ङ) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अंगीकार करना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना और जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह का गठन। लोगों को व्यापाक प्रजनन, मातृ, शिशु स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 1997 में शुरु किया गया प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिक व्यापक और समेकित सेवाएं प्रदान करने हेतु अपने द्वितीय चरण में पहुंच गया है।

सरकार ने हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरु किया है जिसमें 18 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर पर विशेष बल दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सीजीएचएस केन्द्र

6947. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बान्दा तथा चित्रकूट जिलों में सीजीएचएस केन्द्र हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त जिलों में सीजीएचएस केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संसाधनों तथा कार्मिक शक्ति की कमी के कारण इस समय बांदा तथा चित्रकूट जिलों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों हेतु पृथक संवर्ग

6948. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों मे चिकित्सा सेवाएं प्रदान कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों के लिए एक पृथक संवर्ग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) डाक्टरों के लिए राज्यवार संवर्ग हैं। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण और कुशल कार्यान्वयन के लिए डाक्टरों के राज्यवार संवर्ग गठित करने का सुझाव देती आ रही है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उन 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए जिनके कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतक और/अथवा कमजोर आधारभूत ढांचा हैं, देश भर में ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसके मुख्य घटक है-एक महिला प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकता (आशा) की व्यवस्था करना, उपकेन्द्रों, प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। इन संस्थाओं की मानीटरिंग समुदाय द्वारा की जाती है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक शुरु करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मानकीकृत करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सभी शीर्ष कार्यक्रमों को समेकित करना है। वस्तुत: स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी को सुलभ और वहनीय बनाया जाएगा।

डाक सुविधाओं में वृद्धि

6949. मो. मुकीम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नजफगढ़ क्षेत्र के दीनपुर, शांति विहार, दुर्गा विहार, रोशनपुरा, श्याम विहार कॉलोनियों में डाक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार नजफगढ़ क्षेत्र में कितने डाकघर चल रहे हैं और इनमें कितने डाकिए कार्यरत हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में डाक सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाक का दैनिक वितरण और डाक संग्रहण संबंधी डाक सुविधाएं देश भर में उपलब्ध हैं, हालांकि डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही खोले जाते हैं। डाकघरों का खोला जाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

अत: नजफगढ़ इलाके की दीनपुर, शांति विहार, दुर्गा विहार, रोशनपुरा, श्याम विहार आदि कॉलोनियों में डाक का दैनिक वितरण और डाक संग्रहण जैसी डाक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इन इलाकों में मानदण्डों के औचित्य सम्मत पाए जाने पर ही डाकघरों की व्यवस्था की गई है।

(ख) नजफगढ़ क्षेत्र में अभी 1 विभागीय उप डाकघर, 2 ग्रामीण डाक सेवक उप डाकघर और 13 ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकघर हैं। इस क्षेत्र में 9 पोस्टमैन और 14 ग्रामीण डाक सेवक वितरण एजेंट सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ग) इस इलाके में मांग के अनुसार एवं मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते रहेंगे।

[अनुवाद]

सूक्ष्म उपग्रह का डिजाईन तैयार करना

6950. श्री एस.के. खारवेलधन:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्ना विश्वविद्यालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा वित्तपोषित सूक्ष्म उपग्रह का डिजाईन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) शिक्षकों/विद्यार्थियों द्वारा इससे शिक्षा-मानकों को सुधारने में क्या लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। अन्ना विश्वविद्यालय ने अनुसैट नामक एक माइक्रो उपग्रह के डिजाइन और विकास का कार्य शुरु किया है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अन्ना विश्वविद्यालय को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ जानकारी संबंधी निवेश प्रदान करेगा और इसकी समीक्षा, जांच-पड़ताल और सम्परीक्षण में सहायता करेगा।

(ख) अनुसैट उपग्रह संदेश अंतरण परीक्षण आयोजित करने के लिए एक संग्रहण और सम्प्रेषण संबंधी भीतभार वहन करेगा और इसका भारत लगभग 45 किलोग्राम होगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 545 लाख रुपये है, जिसमें से अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा 105 लाख रुपये का योगदान दिया जा रहा है और शेष राशि इसरो द्वारा प्रदान की जा रही है। इसरो ने अभी तक अन्ना विश्वविद्यालय को 300 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

(ग) अनुसैट का विकास विश्वविद्यालय संबंधों को सुदृढ़ करने में इसरो के प्रयास के रूप में एक ऐसा कदम है, जो उच्च

प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को करने के लिए विश्वविद्यालयों में क्षमता का निर्माण और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव संसाधनों का जनन कर सकता है। माइक्रो-उपग्रह का विकास अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के विविध पहलुओं के बारे में एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों और संकाय के लिए एक अच्छा अक्सर होगा। इससे उनके लिए उपग्रह मिशन प्रचालनों में अनुभव प्राप्त करने तथा सार्थक उपयोग संबंधी अध्ययनों का आयोजन करना भी संभव होगा।

[हिन्दी]

पारंपरिक उद्योगों के आधुनिकीकरण की योजनाएं

6951. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और ये योजनाएं पारम्परिक उद्योग को किस प्रकार लाभ प्रदान कर रही हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आज तक इन उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र को ऋण और अनुदान के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) विशेषकर राज्यस्थान को उपलब्ध कराई गई धनराशि वर्ष-वार और उपयोग-वार कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई घोषणा और जुलाई 2004 में वित्त मंत्री की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए "पारम्परिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि की स्कीम" शीर्षक से स्कीम का एक मसौदा 2005-06 में स्वीकृति और कार्यान्वयन से पूर्व सभी संबंधितों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दिया गया है। योजना के लिए 10वीं योजना का सकल परिव्यय इसके अंतिम रूप से स्वीकृत होने के बाद बताया जाएगा।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में एनएसआईसी योजनाएं

6952. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में विशेषकर दरांग जिले में एनएसआईसी द्वारा कितनी योजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) क्या एनएसआईसी ने क्रेत-विक्रेता सम्मेलन के प्रभाव का अनुमान लगाया है;

(ग) क्या असम में लघु उद्योग उत्पादों के विपणन हेतु एनएसआईसी को नोडल एजेंसी का दर्जा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) असम राज्य में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लघु उद्योगों को विपणन, प्रशिक्षण, क्रेडिट इत्यादि के लिए सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी सभी सात योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। 2000-2005 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान, उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत, असम में लघु उद्योग क्षेत्र के लगभग 4597 लाभार्थियों और दरांग जिले के 85 लाभार्थियों की सहायता की गई है।

(ख) एनएसआईसी द्वारा आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठकों के परिणामस्वरूप असम में 21 लघु उद्योग इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के वेंडर बन गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत अधिकारियों के रिक्त पद

6953. श्री अनन्त नायक:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के अधीन सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत उप-सचिव और निदेशक के ग्रेड में अधिकारियों के चयन हेतु विद्यमान अनुदेश और दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) वर्ष 2005 के दौरान सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत उप-सचिव और निदेशक स्तर के अलग-अलग कितने पद रिक्त पड़े हैं और कितने पदों को भरा जाना है;

(ग) उप-सचिव और निदेशक की उन रिक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिनमें कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) ऐसे संबंधित विभागों/मंत्रालयों की संख्या कितनी है जिन्होंने अधिकारी विशेष का चयन किया है परन्तु उप-सचिव और निदेशक की नियुक्ति आदेश जारी किया जाना अभी भी शेष है; और

(ङ) सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने में विलंब के क्या-क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) भारत सरकार में उप सचिव/निदेशक के पदों पर नियुक्ति, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं से तथा प्रतिभागी समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों को लेकर की जाती है ताकि नीति आयोजन के मझोले प्रबंधन स्तर, नीति निर्माण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र की, नये-नये अधिकारियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रत्येक रिक्ति के लिए नामों के एक पैनल पर, कार्य के प्रभावी निष्पादन को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता, सेवा, अनुभव, विशेष प्रशिक्षण आदि पर विचार किया जाता है।

(ख) दिनांक 1.5.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में वर्ष 2005 के दौरान उप सचिव/निदेशक के स्तर के कुल रिक्त पदों की संख्या 115 है। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में उप-सचिव/निदेशक के पद अंत: परिवर्तनीय हैं।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2005 के दौरान दिनांक 1.5.2005 तक की स्थिति के अनुसार 39 निदेशकों और 32 उप सचिवों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 1.5.2005 की स्थिति के अनुसार 9 विभागों/मंत्रालयों ने अधिकारियों का चयन किया था जिनके लिए नियुक्ति आदेश अब भी जारी किए जाने हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि विभागों/मंत्रालयों ने, उन्हें भेजे गए पैनल में से अधिकारियों के चयन के लिए सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सुझाए गए अधिमान क्रम से विचलन के कारण नहीं बताए हैं। यद्यपि उप सचिव/निदेशक के स्तर की नियुक्ति के लिए मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संबंधित मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों का चयन सिविल सेवा बोर्ड के अधिमान क्रम से विचलित होकर किया गया है अत: उपर्युक्त मामले में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है। तद्नुसार इन नियुक्तियों को मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के सम्मुख निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करना

6954. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सर्किल (टी) के बोंगाई गांव दूरभाष जिले में कितने दूरसंचार उप-मंडल विद्यमान हैं, और इनके संबंधित मुख्यालय कहां-कहां स्थित हैं और इनके नाम क्या हैं;

(ख) दिनांक 1.5.2001 से 31.3.2005 तक इन उप-मंडलों में जारी किए गए डब्ल्यूएलएल और वीपीटी फोन कनेक्शनों की उप-मंडलवार और डब्ल्यूएलएल और वीपीटी श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ग) दिनांक 31.3.2005 तक उपरोक्त श्रेणियों के फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लंबित आवेदनों की संख्या क्या है; और

(घ) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित अवधि के दौरान लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कितने टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए और चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थान-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	उपमंडलों के नाम	उप मंडल मुख्यालय	1.5.2001 से 31.3.2005 के दौरान डब्ल्यूएलएल पर उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शन	1.5.2001 से 31.3.2005 के दौरान डब्ल्यूएलएल पर उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
1.	बोंगाई गांव	बोंगाई गांव	253	421
2.	धुबरी	धुबरी	215	856
3.	ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा	474	339
4.	नालबाड़ी	नालबाड़ी	187	416
5.	बारपेटा रोड	बारपेटा रोड	733	802
6.	कोकराझार	कोकराझार	124	241

(ग) 31.3.2005 तक उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के फोन कनेक्शनों के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल 29 टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान बोंगाई गांव दूरसंचार जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नालबाड़ी राजस्व जिले में ग्वालपाड़ा और गोबड़ाडाल में दो नए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है।

रिक्त पद

6955. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की विभाग-वार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन सभी बैकलाग रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) रिक्त पड़े आरक्षित पदों के संबंध में सूचना, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, 69 मंत्रालयों/विभागों आदि ने भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधे भर्ती कोटे में पिछली बकाया 26419 आरक्षित रिक्तियों की पहचान की है और 64 मंत्रालयों/विभागों आदि ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति कोटे में पिछली बकाया 33027 आरक्षित रिक्तियों की पहचान की है।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरु किया गया है।

मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

6956. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या 18 वर्ष से कम आयु के लड़के/लड़कियों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो कुछ राज्यों में उन विद्यालयों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं जिनमें छात्रों की आयु पहले ही 18 वर्ष से कम है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दूरसंचार विभाग का 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोक शिकायतें एवं पेंशन संबंधी शिकायतें

6957. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से लोक शिकायतें और पेंशन संबंधी मुद्दों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है और इनका स्वरूप क्या है;

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त लोक-शिकायतों और पेंशन संबंधी शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने और संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य सरकारों जिसमें गुजरात राज्य भी सम्मिलित है, से पेंशन संबंधित मामलों समेत शिकायतें प्राप्त हुई। इस विभाग में प्राप्त हुई इन शिकायतों की संवीक्षा करने के पश्चात याचिकादाताओं को सूचित करते हुए इनके शीघ्र निपटान के लिए संबंधित राज्य

सरकारों को ये शिकायतें अग्रेषित की गई हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इन शिकायतों के निपटान तक गहन मॉनीटरिंग के लिये संबंधित राज्यों के साथ इनको सतत ढंग से उठाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई राज्य सरकारों से संबंधित पेंशन सहित सभी प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये शिकायतें, निर्णय लेने/निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी, जनसुविधाओं/सेवाओं की गुणवत्ता का निम्नस्तर, कानून एवं व्यवस्था, राजस्व/भूमि कर इत्यादि की प्रतिपूर्ति/धन-वापसी, सामाजिक बुराईयों, सेवा निवृत्ति बकाया राशि, सेवा से संबंधित मामले, भ्रष्टाचार/अनाचार के आरोप, कर्मियों द्वारा सताना/दुर्व्यवहार इत्यादि से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा मई, 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों ने प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन के लिए कार्य-योजना अपनाई थी। इस योजना में यह बात शामिल की गई थी कि राज्य सरकारें, सचिवालय से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोक शिकायतों के तीव्र एवं प्रभावी निवारण के लिये विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं का व्यापक प्रचार करेंगी।

संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन की कार्ययोजना के अनुपालन में शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान करे और देरी के लिए अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सरकार/संगठन	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
		2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	बीएसईएस राजधानी/यमुना पावर लि.	14	22	15
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	19	42	58
3.	दिल्ली पुलिस	76	97	123
4.	दिल्ली सचिवालय	76	114	113
5.	दिल्ली ट्रांस्को लि.	5	4	9
6.	दिल्ली परिवहन निगम	0	3	5
7.	अंडमान एवं निकोबार सरकार	5	4	17
8.	आंध्र प्रदेश सरकार	20	44	30
9.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	8	5	4
10.	असम सरकार	14	13	9
11.	बिहार सरकार	46	47	37
12.	छत्तीसगढ़ सरकार	26	35	17
13.	गोवा सरकार	1	5	1
14.	गुजरात सरकार	13	42	24
15.	हरियाणा सरकार	39	75	66
16.	हिमाचल प्रदेश सरकार	6	13	7

1	2	3	4	5
17.	जम्मू व कश्मीर सरकार	2	11	12
18.	झारखंड सरकार	25	21	16
19.	कर्नाटक सरकार	16	23	21
20.	केरल सरकार	3	16	8
21.	मध्य प्रदेश	86	68	46
22.	महाराष्ट्र सरकार	51	143	96
23.	मणिपुर सरकार	1	10	1
24.	मेघालय सरकार	0	1	0
25.	मिजोरम सरकार	1	1	0
26.	नागालैण्ड सरकार	0	0	0
27.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2	0	18
28.	उड़ीसा सरकार	25	39	32
29.	पांडिचेरी सरकार	2	6	8
30.	पंजाब सरकार	12	34	43
31.	राजस्थान सरकार	46	86	60
32.	सिक्किम सरकार	0	0	1
33.	तमिलनाडु सरकार	41	63	63
34.	त्रिपुरा सरकार	0	3	1
35.	चंडीगढ़ संघ-शासित सरकार	5	8	6
36.	दमन एवं द्वीव संघ-शासित सरकार	1	1	0
37.	दादर एवं नगर हवेली संघ-शासित सरकार	1	0	0
38.	लक्षद्वीप संघ-शासित सरकार	1	0	1
39.	उत्तर प्रदेश सरकार	307	426	326
40.	उत्तरांचल सरकार	111	212	72
41.	पश्चिम बंगाल सरकार	23	45	88
42.	दिल्ली नगर निगम	38	91	82
43.	नई दिल्ली नगर परिषद	11	14	12
44.	उत्तर दिल्ली विद्युत लिमिटेड	0	0	3
45.	महालेखा का कार्यालय, बिहार	0	0	0
	कुल	1189	1887	1550

बिहार में टेलीफोन घनत्व

6958. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री सीता राम यादव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में टेलीफोन घनत्व कितना है;

(ख) सरकार द्वारा इस घनत्व को राष्ट्रीय औसत के समान लाने हेतु कौन-सी योजनायें तैयार की गई हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 की स्थिति के अनुसार राज्य में प्रतीक्षा सूची का जिला-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बिहार (बीएसएनएल और निजी प्रचालक) में टेलीघनत्व 2.40 है।

(ख) बीएसएनएल बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के टेलीघनत्व में वृद्धि होगी।

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(2) लैण्डलाइन एक्सचेंजों के लिए बाह्य केबल 2.5 कि.मी. के बजाय 5.0 कि.मी. तक बिछाने की अनुमति दी गई है।

(3) और अधिक क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, सीधे स्थानों तथा राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क की संस्थापना की गई है।

बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी प्रचालकों द्वारा भी टेलीफोन की मांग को पूरा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए दूरसंचार प्रचालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) तंत्र के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज 96871 आवेदकों के दृष्टिगत बीएसएनएल ने वर्ष 2005-06 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

क्र.सं.	विकास पैरामीटर	लक्ष्य (सं.)
1.	सीएमटीएस (सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा)	12,00,000
2.	लैण्डलाइन	1,22,000
3.	डब्ल्यूएलएल (लाइन)	1,69,000
4.	ब्रॉडबैंड	42,270

इसके अतिरिक्त, निजी प्रचालक भी राज्य में टेलीफोन प्रदान करेंगे।

विवरण

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार जिले-वार प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे

क्र.सं.	बिहार के जिलों के नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	सारन	5703
2.	सीवान	7890
3.	गोपालगंज	3213
4.	पूर्वी चम्पारण	2521
5.	पश्चिमी चम्पारण	2319
6.	सीतामढ़ी	6351
7.	शिवहर	678
8.	मुजफ्फरपुर	6986
9.	वैशाली	4111

1	2	3
10.	दरभंगा	6588
11.	मधुबनी	5342
12.	पटना	4681
13.	नालंदा	1582
14.	गया	2510
15.	भोजपुर	4468
16.	बक्सर	3235
17.	भागलपुर	1247
18.	बांका	914
19.	मुंगेर	1228
20.	लखीसराय	426
21.	शेखपुरा	397
22.	जमुई	491
23.	रोहतास	3187
24.	भभुआ	868
25.	सहरसा	1137
26.	सुपौल	1020
27.	मधेपुरा	908
28.	कटिहार	488
29.	पूर्णिया	342
30.	अररिया	301
31.	अरवल	1247
32.	औरंगाबाद	1484
33.	किशनगंज	611
34.	जहानाबाद	2556
35.	नवादा	1071
36.	बेगूसराय	1440
37.	खगड़िया	3227
38.	समस्तीपुर	4103
	कुल	96871

[अनुवाद]

पश्चिमी और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस राजमार्ग

6959. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नई दिल्ली के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने के मद्देनजर पश्चिमी और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस राजमार्ग विकसित करने की कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, पश्चिमी और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग के लिए लागू एक योजना तैयार की जा रही है ताकि उन माल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश होने से बचा जा सके जिनका गंतव्य स्थल दिल्ली नहीं है। इस एक्सप्रेस मार्ग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर संपर्क भी उपलब्ध हो जाएगा।

(ख) यह कार्य प्रारंभिक स्तर पर है और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग के लिए लागत प्राक्कलन हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच एस आई डी सी) द्वारा तैयार कर लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अंतिम संरेखण बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग के लिए लागत प्राक्लन तैयार करने के लिए कहा गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है और प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) चूंकि परियोजना अभी प्रारंभिक स्तर पर है और संरेखणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, कार्य पूरा होने के समय के बारे में बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर के नेताओं को बस-यात्रा की अनुमति नहीं देना

6960. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हाल ही में शुरु की गई श्रीनगर-मुज्जफराबाद बस सेवा से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत ने पाकिस्तान के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि 7 अप्रैल, 2005 को प्रथम श्रीनगर-मुजफराबाद बस सेवा में जम्मू और कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक सद्भावना शिष्टमंडल यात्रियों के साथ यात्रा कर सकता है। पाकिस्तान सरकार ने सूचित किया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है।

टेलीफोन के माध्यम से केबल टी.वी. सुविधा

6961. **श्री वी.के. थुम्मर:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों को टेलीफोन के माध्यम से केबल टी.वी. की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा निजी दूरसंचार कंपनियों को कथित रूप से लाभ पहुंचना

6962. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल (पूर्व) के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति से मात्र 2-3 वर्ष पहले कथित रूप से निजी दूरसंचार कंपनियों को लाभ पहुंचाया है और अब ये अधिकारी इन निजी दूरसंचार कंपनियों में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है अथवा कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चाधिकारियों के विरुद्ध जांच

6963. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2005 तक उक्त मामलों की संख्या कितनी है और ये अधिकारी किन मंत्रालयों/विभागों में तैनात हैं;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो को बदलना

6964. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में सभी निष्क्रिय मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एमएआरआर) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक शुरु किए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान कितने मल्टी एक्सेस रुरल रेडियो को बदला जाना है; और

(घ) विदिशा जिले में ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं जहां मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो चालू अवस्था में हैं अथवा जहां ये कार्य नहीं कर रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को बदले का कार्य तेजी से चल रहा है।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश में 9,905 एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलने की योजना है।

(घ) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 30 एमएआरआर आधारित वीपीटी कार्य कर रहे हैं। इन स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में उपलब्ध हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के वे स्थान जहां मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) कार्य कर रहे हैं

क्र.सं.	उन स्थानों के नाम जहां एमएआरआर आधारित वीपीटी कार्य कर रहे हैं
1	2
1.	महुआ खेड़ा 4
2.	हरगनखेड़ी
3.	देवपुर
4.	सुगल सराय
5.	करेला
6.	बोरिया
7.	गोशुआ
8.	दौस बसोदा
9.	पैरवासा-2
10.	चम्पाखेड़ी
11.	रजोदा-2
12.	मुंदरी
13.	पिपलवाल चाक 1
14.	पिपलवाल चाक 2
15.	रूसाल्ली 2
16.	माला
17.	निपानिया
18.	घोंसुआ
19.	मुंगवारा
20.	च्रीवटा
21.	सिरसावली
22.	लाखनगर
23.	गणेशपुर
24.	मुंदरा ए
25.	मिरिगावली
26.	एरान चाक
27.	मेहरूखेड़ी
28.	मेहदोन
29.	पिपरिया 3
30.	मुंदरा गणेशपुर

[अनुवाद]

हिमालय क्षेत्र में भूकम्प की संभावना

6965. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमालय क्षेत्र में लम्बे समय से भूकम्प की संभावना है जैसाकि दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भूकम्प के पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के 'द हिन्दू' समाचार पत्र में कुछ विदेशी तथा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय में भूकंप आने की आशंका के बारे में व्यक्त किए गए विचारों की जानकारी है। हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-V में आता है जिसे भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तथापि, वर्तमान में ऐसी कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है जो तीव्रता, स्थान और समय के संबंध में भूकंप के बारे में वैज्ञानिक रूप से पूर्वानुमान कर सके।

(ग) और (घ) देश में उत्पन्न होने वाली किसी आपदा संबंधी स्थितियों का सामना करने के लिए भूकंप के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए एक सुव्यवस्थित सांस्थानिक व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय (एम एच ए) आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय में केन्द्रीय राहत आयुक्त (सी आर सी) प्राकृतिक आपदाओं के बचाव संबंधी कार्यों का समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी हैं। सी आर सी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) अथवा केन्द्रीय जल आयुक्त (सी डब्ल्यू सी) से किसी प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान/चेतावनी से संबंधित जानकारी निरन्तर आधार पर प्राप्त करते हैं। नोडल अधिकारी आपदाओं के प्रबंधन के लिए सेक्टोरल कार्ययोजना/आपातकालीन सहायता कार्य योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन सी एम सी) जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है, आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन दल (सी एम जी) को दिशानिर्देश प्रदान करती है। सचिव, गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी घटनाक्रम एन सी एम सी की जानकारी में तत्काल लाए जाएं। एन सी एम सी किसी मंत्रालय/विभाग को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कोई विशिष्ट कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकता है।

गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबंधन दल (सी एम जी) को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार की गई आपात योजनाओं की प्रतिवर्ष समीक्षा करने, आपदा की तैयारी और बचाव के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के क्रियाकलापों का समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है। सी एम जी द्वारा प्राकृतिक आपदा की घटना में स्थिति की प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा आवश्यक सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

गृह मंत्रालय में एक राष्ट्रीय आपातकालीन प्रचालन केन्द्र (एन सी ओ सी) भी विद्यमान है जो केन्द्रीय राहत आयुक्त की रात दिन सहायता के लिए कार्य करता है। नियंत्रण कक्ष के क्रिया कलापों में प्राकृतिक आपदा एवं बचाव से संबंधित जानकारी एकत्र तथा प्रसारित करना, प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ निकट संपर्क कायम रखना, राहत के संबंध में अन्य केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि शामिल हैं।

सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य योजना भी तैयार की गई है।

मनोरोग अस्पताल और मनोरोग स्कंधों का सुधार

6966. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री धावरचन्द गेहलोत:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना में मौजूदा सरकारी मानसिक अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के मनोरोग स्कंधों की अवसंरचना और कार्यकरण में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्य-वार विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल कालेजों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अनुसंधान तथा और अधिक प्रभावशाली जनस्वास्थ्य उपायों के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और अधिक मनोरोग अस्पतालों की स्थापना के लिए धनराशि भी स्वीकृत की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मनोरोग अस्पतालों की स्थापना हेतु विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(छ) इन प्रस्तावों को लंबित रखने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य के लिए धनराशि वर्ष 2004-05 में जारी की जा सकी थी। विवरण इस प्रकार है:

केरल

गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, तिरुवनन्तपुरम—11,90,525 रुपये

- गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिसूर—11,16,500 रुपये
- गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोजीकोड—9,70,125 रुपये

तमिलनाडु

- मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई—24,97,500 रुपये
- स्टेनली मेडिकल कालेज, चेन्नई—22,42,500 रुपये
- किलपौक मेडिकल कालेज, चेन्नई—25,00,000 रुपये
- चेंगलपट्टु मेडिकल कालेज, चेंगलपट्ट—24,50,000 रुपये
- मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै—25,00,000 रुपये

झारखण्ड

- रांची इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्रीएण्ड सांइसेज, रांची—24,45,000 रुपये

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान जिन विषयों से संबंधित अनुसंधान कार्य के लिए 23,97,500/- रुपये की राशि जारी की गयी थी वे विषय क्षेत्र है (क) सामान्य प्रैक्टिशनरों को प्रशिक्षण के माध्यम से आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या और सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या को समेकित किये जाने संबंधी अध्ययन; (ख) पुणे के एक शहरी केन्द्र में पागलपन के उपचार और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान; (ग) नई दिल्ली में सैन्यबल कार्मिकों के स्कूली किशोरों में मनोरोग का जानपदिक रोगविज्ञानी प्रोफाइल संबंधी अध्ययन अनुसंधान; (घ) मनोविकारों से जुड़ा सामुदायिक कार्यकलाप: प्रारम्भिक अवस्था में उपचार की तुलनात्मक अच्छाईयां; और (ङ) रोडरेज-रोषपूर्ण व्यवहार और कार्यकलाप संबंधी कार्यनीति से जुड़ा अध्ययन/मानसिक विकारों के जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन से जुड़े अनुसंधान कार्य को अंतिम रूप देने की दृष्टि से वर्ष 2004-05 के दौरान आठ अनुसंधान केन्द्रों को 21,93,600/-रुपये की राशि जारी की गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) नए मानसिक रोग चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रक्षित खदान ब्लाकों का आबंटन

6967. श्री वसुदेव आचार्य:
श्री विकास चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भूगर्भीय भण्डारों सहित उपलब्ध रक्षित खदान ब्लाकों का अनुषंगी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भूगर्भीय भण्डारों के कितने ब्लाक (कंपनीवार और अनुषंगी कंपनी-वार) हैं और इनके आबंटन का तिथि सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी आबंटित ब्लाकों में उत्खनन कार्य आरंभ हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन भण्डारों का दोहन नहीं किया है;

(ङ) क्या रक्षित उपयोग हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन से कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सीआईएल के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत केप्टिव खनन के लिए पहचान किए गए कोयला ब्लाकों तथा उनके भू-वैज्ञानिक भण्डारों के सहायक कंपनी-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	ब्लाकों की संख्या	भू-वैज्ञानिक भण्डार (मिलियन टन)
1	2	3	4
1.	ईसीएल	29	8297.70
2.	सीसीएल	37	6874.30
3.	एनसीएल	1	144.20
4.	डब्ल्यूसीएल	27	1250.77

1	2	3	4
5.	एसईसीएल	21	7025.25
6.	एमसीएल	15	2954.35
7.	बीसीएल	6	3014.16
	जोड़	136	29560.73

(ख) भू-वैज्ञानिक भण्डारों सहित, आबंटित ब्लाकों की संख्या (कंपनी-वार तथा सहायक कंपनी-वार) और आबंटन की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कोयले का उत्पादन आठ ब्लाकों में शुरु हो गया है। अन्य आबंटित ब्लाकों के मामले में कई आबंटिती पट्टा प्राप्त करने तथा अपने अन्त्य उपयोग परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं। दिए गए कतिपय लक्ष्यों की तुलना में उनके द्वारा प्राप्त प्रगति की समीक्षा जांच समिति द्वारा की जाती है तथा यदि लगातार आग्रह के बावजूद वांछित प्रगति प्राप्त नहीं होती है तो ब्लाकों का आंबटन समाप्त कर दिया जाता है। अब तक कोयला ब्लाक के विकास तथा अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की स्थापना में संतोषजनक प्रगति के अभाव में तीन कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द कर दिया गया है। हाल ही में प्रगति के दिए गए लक्ष्यों की तुलना में केप्टिव कोयला खनन परियोजनाओं के विकास एवं अन्त्य उपयोग परियोजना की स्थापना की प्रगति की निगरानी करने तथा कोयला मंत्रालय को समीक्षा करने के लिए अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोयला नियंत्रक को मनोनीत किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। 2004-05 में केप्टिव ब्लाकों से उत्पादन में 9.22 मिलियन टन (अनंतिम) का योगदान हुआ जबकि 2005-06 के लिए अनुमान लगभग 12.50 मिलियन टन का है। और अधिक कोयला ब्लाकों में उत्पादन शुरु हो जाने से इसमें वृद्धि होगी।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	ब्लाक का नाम	आबंटन की तारीख	भूगर्भीय भंडार (मि.ट.)
1	2	3	4	5
	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)			
1.	मैसर्स आरपीजी इन्डस्ट्रीज	सरिसाटोली	10.8.93	140.47
2.	मैसर्स डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (ईस्ट)	14.7.95	84.47
3.	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	तारा (वेस्ट)	17.4.96	125.71
4.	मैसर्स डब्ल्यूबीपीसीएल	गंगारामचक बरजोरा गंगारामचक-बदोलिया	23.6.2003	10 8 4
5.	मैसर्स डीवीसी	बरजोरा (नार्थ) खादरा-जयदेव कास्ता (ईस्ट)	3.3.2005	85.49 196.15 105
6.	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	पचवाड़ा (नार्थ)	26.4.2005	386
7.	मैसर्स पीएसईबी	पचवाड़ा (मध्य)	9/10.7.2001	562
	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)			
1.	मैसर्स कारपोरेट इस्पात लि.	चितरपुर		212.01
2.	मैसर्स एनटीपीसी	पकरी-बरवाड़ी	11.10.04	1600

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स उषा मार्टीन लि.	कथौतिया	29.9.2003	29.76
4.	मैसर्स जीवीके विद्युत (गोंडवाल साहिब) लि.	तोकीसूद (नार्थ)	7.1.2002	92.30
5.	मैसर्स टीवीएनएल	बदम	3.11.2003	144.63
6.	मैसर्स डेमको स्मोकलेस फ्यूल प्रा. लि.	लालगढ़ (नार्थ)	22.7.2003	30
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)			
1.	मैसर्स सेन्ट्रल कोलियरीज कंपनी लि.	तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ)	29.5.1999	0.40
2.	मैसर्स बी.एस. इस्पात लि.	मरकी-मंगली-I	25.4.2000	34.34
3.	मैसर्स श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.	भन्दक (वेस्ट)	27.11.2003	36.18
4.	मैसर्स फील्डमाइनिंग एण्ड इस्पात लि.	चिनोरा वरोरा (वेस्ट) सदर्न पार्ट	8.10.2003	20
5.	मैसर्स बीएलए इन्डस्ट्रीज	गोतीतोरिया (ईस्ट) गोतीतोरिया (वेस्ट)	21.6.96	5.15 4.19
6.	मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लि.	बरांज किलोपी मनोराप	10.11.2003	68.31 39.15 44.7
7.	मैसर्स सनफ्लेग आरयन एण्ड स्टील कंपनी	बेलगांव	28.3.2005	15.3
8.	मैसर्स गोंडवाना इस्पात लि.	माजरा	29.10.2003	31.5
	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)			
1.	मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. (पूर्व में जिन्दल स्ट्रिप्स लि.)	गारे पालमा IV/1	20.6.1996	124.00
2.	मैसर्स मोनेट इस्पात लि. गारे पालमा IV/5	गारे पालमा IV/5	21.6.1996	126.00
3.	मैसर्स जिन्दल पावर लि.	गारे पालमा IV/2 गारे पालमा IV/3	1.7.1999 1.7.1999	123.00 123.00
4.	मैसर्स जायसवाल नेक्को लि.	गारे पालमा IV/4	16.8.1999	125.00
5.	मैसर्स रायपुर एलोय एण्ड स्टील लि.	गारे पालमा IV/7	25.4.2000	156.00

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स गरुड़ क्ले लि.	पश्चिमी मारिया	24.5.2004	7.00
7.	मैसर्स प्रकाश इन्डस्ट्रीज लि.	चोटिया	4.9.2003	34.48
8.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	गिद्धमूरी पतुरिया	23.9.2004	80.27 269.25
9.	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	तारा	12.8.2003	259.47
	महानदी कोलफील्ड्स लि. (बीसीसीएल)			
1.	मैसर्स इन्डालको	तालाबीरा-I	25.2.1994	22.55
2.	मैसर्स उत्कल कोल लि. (पूर्व में आईसीसीएल)	उत्कल-सी	29.5.1998	208.79
3.	मैसर्स मोनेट इस्पात लि.	उत्कल-बी 2	16.8.1999	106.00
4.	मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	उत्कल-बी 1	29.9.2003	228.4
5.	मैसर्स रुंगटा माइन्स लि.	राधिकापुर (उप-ब्लाक)	21.10.2003	200
6.	मैसर्स भूषण लि.	जमखानी	12.11.2003	80
7.	मैसर्स नालको	उत्कल-ई	27.8.2004	194
8.	मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	उत्कल-डी	19.12.2003	153.31
	भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बीसीसीएल)			
1.	मैसर्स सेल/इस्को	तासरा	26.2.1996	276.39

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

6968. श्री तापिर गाव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश की मौजूदा सड़कों का विकास राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) फरवरी, 2004 में मंत्रालय ने राज्यीय सड़कों के 7457 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया था। वित्तीय और अन्य बाध्यताओं के कारण इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में और अधिक सड़कों की घोषित करने की अपेक्षा राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में पहले से घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण हेतु अवसंरचना का उन्नयन

6969. श्री दुष्यंत सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की अवसंरचना का उन्नयन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त उद्देश्यार्थ व्यापक विधान तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) खाद्य और औषधों पर एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना 18.10.2003 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयन में है। परियोजना में सिविल कार्यों, उपकरणों की व्यवस्था, खाद्य और औषध विनियामक कार्मिकों तथा संबंधित उद्योगों से कार्मिकों के प्रशिक्षण और इन क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के लिए पहलों के माध्यम से केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर खाद्य और औषध नियंत्रण अवसंरचना का उन्नयन शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस समय इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बाई-पास

6970. श्री संतोष गंगवार: क्या पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर प्रस्तावित बाई-पास के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई-पास का निर्माण आरंभ हो गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर एक प्रस्तावित बाइपास अर्थात् बरेली बाइपास है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।

(ख) से (घ) बाइपास का निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने पर भूमि अधिग्रहण के पूरा हो जाने के बाद ही शुरु किया जाएगा।

[अनुवाद]

बच्चों को कानूनी संरक्षण

6971. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचारार्थ दान से प्राप्त युग्मक के प्रयोग से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक ही औरत से पैदा हुए बच्चों को कानूनी संरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मूर्तरूप दे दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत में सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण एवं विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित किए हैं जिस पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

इन दिशानिदेशों में दाता युग्मकों के प्रयोग के जरिए जन्में तथा कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अविवाहित महिला को जन्में बच्चों के विधिक संरक्षण से संबंधित मामले भी शामिल हैं। संबद्ध प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) एआरटी के जरिए, जन्में बच्चे को दंपत्ति का वैध बच्चा, विवाहित स्थिति में जन्मा तथा पति-पत्नी, दोनों की सहमति से जन्मा बच्चा माना जाएगा। इसलिए ऐसे बच्चे को माता-पिता की सहायता, उत्तराधिकार संबंधी सभी विधिक अधिकार तथा यौन संबंध द्वारा किसी दंपत्ति को जन्में बच्चे के सभी अन्य विशेषधिकार प्राप्त होंगे। शुक्राणु/डिम्बाणुजनकोशिका दाताओं को बच्चे के संबंध में कोई पैतृक अधिकार अथवा कर्तव्य नहीं होगा और उनकी गुमनामी सुरक्षित रखी जाएगी।

(2) दाता युग्मकों के प्रयोग के जरिए जन्में बच्चों तथा उनके दत्तक माता-पिता को जननिक माता-पिता के बारे में चिकित्सा अथवा आनुवंशिक जानकारी का लाभ उठाने का अधिकार होगा जोकि बच्चे के स्वास्थ्य से संबद्ध हो सकती है।

(3) दाता युग्मकों के प्रयोग से जन्में बच्चों को अपने जननिक माता-पिता का परिचय (जैसे कि नाम, पता, वंश इत्यादि) जानने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(4) कृत्रिम गर्भाधान (एचआईडी) करवाने के लिए किसी अविवाहित महिला पर कोई विधिक रोक नहीं है। एआईडी के जरिए किसी अविवाहित महिला को जन्में बच्चे को वैध माना जाएगा।

(ग) इस समय इस संबंध में किसी विधान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अंगदान संबंधी कानून

6972. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंगदान के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री कुलदीप सिंह और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका संख्या 156 में अपने दिनांक 31.3.2005 के फैसले के तहत सुझाव दिया है कि दानदाता की अंग दान करने की इच्छा के मामले में दान के लिए स्वीकृति उसके निवास स्थान वाले राज्य द्वारा दी जाती है और अंग का दान करने की अनुमति प्रदान करने से पहले प्राप्त कर्ता और दाताओं से पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आय तथा अपने व्यवसाय के विवरण भेजने का अनुरोध किया जाए और तदनुसार नियमों/अधिनियम में संशोधन किया जाए।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों को मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग नियमावली, 1995 के उपबंधों की समीक्षा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों पर (रिट याचिका संख्या 813/2004 में दिनांक 6.9.2004 के फैसले के अनुसार) सरकार द्वारा गठित समिति को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. द्वारा पूंजी निवेश

6973. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अन्य वाणिज्यिक संगठनों में पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना पूंजी निवेश किया गया है और उन संगठनों का नाम एवं निवेश की तारीख क्या जिनमें ये निवेश किये गए हैं;

(ग) इस पूंजी निवेश पर लाभांश प्राप्ति से संबंधित आकलन कितना है और लाभांश के रूप में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 30.3.2002 को एमटीएनएल द्वारा मै. आईटीआई लिमिटेड की 8.75% अधिमानी शेयर पूंजी में 100 करोड़ रु. का निवेश किया गया।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए भारी घाटे को देखते हुए मै. आईटीआई लिमिटेड किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इस पूंजी निवेश पर एमटीएनएल को कोई लाभराशि प्राप्त नहीं हुई है।

समुद्री जहाजों को बंधक बनाना

6974. श्री ई. पोनुस्वामी:
श्री मित्रसेन यादव:

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में भारतीय समुद्री जहाजों को बंधक बनाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक विदेशों में कितने भारतीय समुद्री जहाज और कहां-कहां पर बंधक बनाए गए;

(ग) इन समुद्री जहाजों को बंधक बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें मुक्त कराने तथा वर्ष 2005 को बंधनमुक्त वर्ष बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। इस वर्ष के दौरान अब तक

जहाज को रोके रखने के आंकड़े विगत 2 वर्षों के दौरान इसी अवधि से अधिक हैं।

(ख) वर्ष 2002 से अब तक विदेश में रोके रखे जाने वाले भारतीय जहाजों का क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय जहाजों को रोके रखने का सामान्य कारण, अपर्याप्त ध्वज राष्ट्र नियंत्रण है तथा अनुचित हाउस कीपिंग, जहाज स्वामियों तथा जहाज स्टाफ दोनों ही का निवारक अनुरक्षण के प्रति पर्याप्त ध्यान न देना तथा निरीक्षण के समय पत्तन राष्ट्र नियंत्रण अधिकारियों के साथ जहाज के स्टाफ द्वारा परस्पर संवाद में कमी तथा सर्वेक्षकों की कमी के कारण अपर्याप्त पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षण भी हो सकते हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला आरंभ की गई है कि भारतीय जहाजों को पत्तन-राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षणों के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जाए। इसमें सरकार के सर्वेक्षकों द्वारा जहाज के निरीक्षण में यथेष्ठ वृद्धि शामिल है। नौवहन कंपनियों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्वत: निरीक्षणों में, नौवहन महानिदेशक के निदेशों के अनुसार काफी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्गीकरण समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जब कभी भी जहाजों के निरीक्षण का समय हो गया हो तो उन्हें जहाज स्वामियों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाए तथा किसी भी जहाज को महत्वपूर्ण कमियों के साथ चलाने की अनुमति न दी जाए। सर्वेक्षकों के अधिकार बढ़ाकर नये वाणिज्यिक समुद्री विभाग बनाकर, वाणिज्यिक समुद्री प्रशासन को सुदृढ़ बनाए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विवरण

विदेश में रोके रखे गए भारतीय पोत (2002)

क्र.सं.	नाम	कंपनी	तारीख	स्थान	समझौता ज्ञापन
1	2	3	4	5	6
1.	देवप्रयाग	भारतीय नौवहन निगम लि.	9.1.2002	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
2.	रानी पद्मिनी	भारतीय नौवहन निगम लि.	31.3.2002	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
3.	जग अरणव	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग क. लि. (गैस्को)	4.5.2002	रूस	पेरिस
4.	लोक प्रगति	भारतीय नौवहन निगम लि.	8.5.2002	सिंगापुर	टोक्यो
5.	रविदास	भारतीय नौवहन निगम लि.	14.5.2002	यू.के.	पेरिस
6.	चेट्टीनाड प्रिंस	चेट्टीनाड	20.5.2002	चीन	टोक्यो
7.	लोक प्रकेश	भारतीय नौवहन निगम लि.	6.6.2002	यू.एस.ए.	यू.एस.सी.जी.
8.	प्रोसपैक्ट्स	प्रोसपैक्ट्स शिपिंग लि.	13.6.2002	स्पेन	पेरिस
9.	लोक क्रांति	भारतीय नौवहन निगम लि.	23.6.2002	कनाडा	पेरिस
10.	ए पी जे अंजली	सुरेन्द्रा ओवरसीज, लि.	5.8.2002	सिंगापुर	टोक्यो
11.	लोक महेश्वरी	भारतीय नौवहन निगम लि.	10.8.2002	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
12.	महाराष्ट्र	भारतीय नौवहन निगम लि.	12.8.2002	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
13.	विश्वदूत	वरुण शिपिंग लि.	13.12.2002	सिंगापुर	टोक्यो
14.	मंदाकिनी	भारतीय नौवहन निगम लि.	13.12.2002	आस्ट्रेलिया	टोक्यो

1	2	3	4	5	6
		विदेश में रोके रखे गए भारतीय पोत (2003)			
1.	जग प्रगति	जी एच एस सी ओ	7.1.2003	दक्षिण अफ्रीका	आई ओ एम ओ यू
2.	चेन्नई वल्लरची	एस्सार शिपिंग लि.	18.1.2003	सिंगापुर	टोक्यो
3.	रिचा	मरसेटर लाइन्स लि.	5.2.2003	ईरान	आई ओ एम ओ यू
4.	जग प्रिया	जी ई एस सी ओ	20.2.2003	सिंगापुर	टोक्यो
5.	लोक प्रगति	भा.नौ.नि.	28.2.2003	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
6.	ए पी जे सलीन	सुरेन्द्रा	10.3.2003	ईरान	आई ओ एम ओ यू
7.	चन्दा	एस्सार	11.4.2003	कनाडा	पेरिस
8.	सनमार सोनाटा	सनमार	8.4.2003	इटली	पेरिस
9.	गुड डे	ई टी ए शिपिंग	6.5.2003	सिंगापुर	टोक्यो
10.	जग अर्पण	जी ई एस सी ओ	10.5.2003	बेल्जियम	पेरिस
11.	जग अंजिली	जी ई एस सी ओ	15.5.2003	दक्षिण कोरिया	टोक्यो
12.	आई सी एल राजाराजन	आई सी एल शिपिंग	23.6.2003	सिंगापुर	टोक्यो
13.	मन्दाकिनी	भा.नौ.नि.	13.9.2003	ईरान	आई ओ एम ओ यू
14.	सूर्यकृष्ण	वरुण शिपिंग	25.10.2003	कनाडा	पेरिस
15.	गुड लाइट (पूर्व आई सी एल प्रतिभान)	ई टी ए शिपिंग	29.11.2003	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
		विदेश में रोके रखे गए भारतीय पोत (2004)			
1.	सनमार पवेलियन	सनमार	2.1.2004	जर्मनी (हैमबर्ग)	पेरिस
2.	चेन्नई पोलियू	एस्सार	21.1.2004	ईरान	आईओएमओयू
3.	गंगा सागर	भा.पौ.नि.	21.1.2004	आस्ट्रेलिया (न्यू कैसल)	टोक्यो
4.	ए पी जे सीलम	सुरेन्द्रा	4.2.2004	यू एस ए (न्यू ओरलैन्स)	यू एस सी जी
5.	मुर्सीदाबाद	भा.नौ.नि.	7.2.2004	आस्ट्रेलिया (अबूत प्वाइंट)	टोक्यो
6.	मन्दाकिनी	भा.नौ.नि.	16.2.2004	हांगकांग	टोक्यो
7.	गुडलाइट (भू.पू. आईसीएल प्रतिभान)	ई टी ए शिप	18.2.2004	हालैंड (रॉटरडम)	पेरिस
8.	गुडलाइट (भू.पू. आईसीएल प्रतिभान)	ई टी ए शिप	15.3.2004	कनाडा (पोर्ट कॉटियर)	पेरिस

1	2	3	4	5	6
9.	जगरत्ना	जीएचएससीओ	29.3.2004	ईरान	ओईओएमओयू
10.	जगप्रणाम	जीएचएससीओ	2.4.2004	हालैंड	पेरिस
11.	गुरुकृपा	गैलियन	26.4.2004	ईरान	ओईओएमओयू
12.	टी सी आई "अरुण"	टीसीआई सीवेज	30.4.2004	जापान (कोबे)	टोक्यो
13.	ए पी जे अंजलि	सुरेन्द्रा	13.5.2004	ह्यूस्टान, अमेरिका	यूएससीजी
14.	गुरुप्रसाद	गैलियन	19.5.2004	ईरान	आईओएमओयू
15.	अर्केडिया प्रोग्रेस	अर्केडया (फ्लीट)	14.9.2004	झाघागाना (चीन)	टोक्यो
		विदेश में रोके रखे गए भारतीय पोत (2005)			
1.	रत्नआभा	इंडिया स्टीमशिप	3.1.2005	सिंगापुर	टोक्यो
2.	विश्वपतौरिणी	पोलारिस मैरीन	25.1.2005	रूस	पेरिस
3.	मानव स्टार	इंड-आस्ट्रेलिया मैरीटाइम	26.1.2005	ईरान	आईओएमओयू
4.	लोक महेश्वरी	भा.नौ.नि.लि.	27.1.2005	माल्टा	अन्य
5.	नन्दभगीरथी	एस्सार	10.3.2005	ईरान	आईओएमओयू
6.	सूर्यकृपा	वरुण	3.4.2005	आस्ट्रेलिया	टोक्यो
7.	रिस्ताकेज	पोलारिस	4.4.2005	ईरान	आईओएमओयू
8.	लोक प्रतिमा	भा.नौ.नि.लि.	18.4.2005	दक्षिण कोरिया	टोक्यो

[हिन्दी]

इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद से संबंधित शिकायतें

6975. श्री सूरज सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल मोबाइल सेवा हेतु इंस्ट्रूमेंट की खरीद से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीएसएनएल द्वारा अपनी मोबाइल सेवा के लिए कौन-कौन सी कंपनियों से इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त किये गए हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या मोबाइल सेवा हेतु कुछ इंस्ट्रूमेंट नामांकन के आधार पर प्राप्त किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या बीएसएनएल द्वारा अपनी मोबाइल सेवा के लिए प्राप्त किये गए उपस्करों एवं अन्य प्रणालियों की घटिया गुणवत्ता होने की वजह से इसकी मोबाइल सेवा निजी आपरेटरों की तुलना में घटिया गुणवत्ता वाली है; और

(च) यदि हां, तो बीएसएनएल और निजी कंपनियों द्वारा खरीदे गए इंस्ट्रूमेंटस का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) खुली निविदा के माध्यम से मोबाइल उपस्कर के लिए खरीद संबंधी अंतिम कार्रवाई जनवरी, 2004 में शुरु की गयी थी और इसे अंतिम रूप दिए जाने पर, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) इस समय नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। निविदा जारी करते समय पात्रता संबंधी शर्तों

और अनुभव संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में प्राप्त कुछ शिकायतों पर निविदा को अंतिम रूप देने और सफल विक्रेताओं के लिए आर्डर जारी करने के पूर्व विचार किया गया। लगभग 3350 करोड़ रुपए की राशि के आर्डर सितंबर/अक्टूबर माह, 2004 में मैसर्स नोकिया और मैसर्स नॉर्टेल को तथा अप्रैल माह, 2004 में मैसर्स आईटीआई को दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस समय चालू नेटवर्क मैसर्स एरिक्सन, मैसर्स आईटीआई/ल्यूसेंट और मेसर्स मोटरोला/मैसर्स सीमेन्स की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। बीएसएनएल मोबाइल की सेवाएं पूर्णतः उपर्युक्त हैं और इसकी गुणवत्ता निजी आपरेटरों की गुणवत्ता के तुल्य हैं। निजी आपरेटरों के नेटवर्क भी उन्हीं विक्रेताओं की प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं जिन्होंने बीएसएनएल को उपस्करों की आपूर्ति की है।

मच्छर-रोधी दवाइयों का प्रभाव

6976. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव शरीर और पर्यावरण पर मच्छर-रोधी दवाइयों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखण्ड और बिहार में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के समूल नाश के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग होता है जिन्हें केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा, जैव-प्रवणता तथा विषाक्तता संबंधी क्लीयरेंस के बाद, अनुमोदित और पंजीकृत किया गया है।

कार्यक्रम के तहत किसी भी कीटनाशक को शामिल किए जाने से पहले केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड में पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। जिसके लिए संबंधित उत्पादन द्वारा उस कीटनाशक की जैव-प्रवणता और विषाक्तता के संबंध में कराए गए अध्ययनों का विवरण दिया जाना होता है।

(ग) भारत सरकार का झारखंड और बिहार सहित देश में वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण के लिए 'राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम' नामक सुपरिभाषित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति है- निगरानी, मामलों का शीघ्र और तत्पर निदान, कीटनाशक औषधों से संशोधित मच्छरदानियों सहित अन्दरूनी भागों में रेसीडुअल छिड़काव सहित सतत वेक्टर नियंत्रण, लार्वाभक्षी मछलियों का प्रयोग आदि। इसके अतिरिक्त सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण और सूचना-शिक्षा-सम्प्रेषण को भी शामिल किया जाना है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की वार्षिक बिक्री

6977. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की वार्षिक बिक्री तथा इस उद्योग में नियोजित व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): 2003-04 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग (के वी आई) उत्पादों की बिक्री और के वी आई क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2003-04 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग उत्पादनों की बिक्री और नियोजित व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/स.रा.क्षे.	बिक्री (लाख रु.)			रोजगार (व्यक्तियों की सं.)		
		खादी	ग्रामोद्योग	कुल के वी आई	खादी	ग्रामोद्योग	कुल के वी आई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	54.80	2771.89	2826.69	56	14990	15046
2.	दिल्ली	1064.68	5449.48	6514.16	3902	26909	30811

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हरियाणा	2237.85	33569.08	35806.93	37137	116972	154109
4.	हिमाचल प्रदेश	987.19	26506.96	27494.15	7781	113004	120785
5.	जम्मू-कश्मीर	609.69	20542.40	21152.09	24967	112184	137151
6.	पंजाब	1252.44	44104.30	45356.74	41763	162894	204657
7.	राजस्थान	3429.34	111791.64	115220.98	59607	495004	554611
8.	अंडमान और निकोबार	0.00	716.14	716.14	0	15125	15125
9.	बिहार	1578.31	21336.46	22914.77	101545	161776	263321
10.	झारखण्ड	797.42	3868.05	4665.47	3148	14014	17162
11.	उड़ीसा	274.99	14174.53	14449.52	3504	218057	221561
12.	पश्चिम बंगाल	2184.25	38741.81	40926.06	66993	458043	525036
13.	अरुणाचल प्रदेश	10.09	695.73	705.82	50	1466	1516
14.	असम	297.66	8296.43	8594.09	10938	127539	138477
15.	मणिपुर	45.70	5849.14	5894.84	458	61696	62154
16.	मेघालय	9.00	4597.57	4606.57	68	26728	26796
17.	मिजोरम	2.70	5202.06	5204.76	5	23702	23707
18.	नागालैण्ड	9.00	5944.78	5953.78	430	30735	31165
19.	त्रिपुरा	9.50	3506.88	3516.38	114	33060	33174
20.	सिक्किम	12.50	703.52	716.02	25	8358	8383
21.	आंध्र प्रदेश	864.60	51332.31	52196.91	24023	397096	421119
22.	कर्नाटक	3468.73	87060.31	90529.04	34063	241918	275981
23.	केरल	2364.03	48418.68	50782.71	15838	271032	286870
24.	लक्षद्वीप	0.00	62.02	62.02	0	1045	1045
25.	पांडिचेरी	1441.27	1217.71	2658.98	1015	8046	9061
26.	तमिलनाडु	7300.91	88365.06	95665.97	37228	1205153	1242381
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	87.61	87.61	0	1060	1060
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0	0	0
29.	गोवा	0.00	4266.45	4266.45	0	13024	13024

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	गुजरात	4025.69	64513.18	68538.87	26394	72816	99210
31.	महाराष्ट्र	1087.09	149267.71	150354.80	2179	561868	564047
32.	छत्तीसगढ़	548.04	11164.82	11712.86	3014	26936	29950
33.	मध्य प्रदेश	866.62	69240.39	70107.01	3697	223056	226753
34.	उत्तरांचल	1774.54	8086.67	9861.21	26134	26101	52235
35.	उत्तर प्रदेश	20096.21	157365.06	177461.27	324683	986145	1310828
	कुल	58704.84	1098816.83	1157521.67	860759	6257552	7118311

[अनुवाद]

माइक्रो-सैटेलाईट प्रौद्योगिकी हेतु भारत-इजरायल समझौता

6978. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इजरायल ने माइक्रो-सैटेलाईट प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इजरायल के प्रधान मंत्री के भारत दौरे के दौरान इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे;

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत और मलेशिया के बीच बहु प्रवेश वीजा

6979. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया ने घोषणा की है कि भारतीय व्यवसायियों को बहु-प्रवेश वीजा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका लक्ष्य द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार की मात्रा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 2004 में मलेशियाई प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देश कितना सहमत हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। भारतीय व्यापारियों को बहु प्रवेशी वीजा प्रदान करने के बारे में मलेशियाई अधिकारियों ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

(ख) मलेशियाई के लिए दीर्घावधिक बहु प्रवेशी वीजा प्राप्त करने में भारतीय व्यापारियों के सम्मुख आ रही कठिनाईयों के बारे में दिसम्बर, 2004 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया गया। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के मद्देनजर मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। तथापि, यात्रा के दौरान, देशों के बीच व्यापार वीजा सुविधाजनक बनाए जाने पर कोई औपचारिक करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(ग) मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सम्पन्न हुए व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख करारों में, सेटेलाइट निर्माण, बायो-प्रौद्योगिकी, आधार भूत संरचना, सोफ्टवेयर विकास, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने वाली भारतीय और मलेशियाई कंपनियों के बीच विशिष्ट समझौता ज्ञापन, शामिल है।

(घ) हाल के वर्षों में भारत-मलेशिया के बीच व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। 2004 में दोनों तरफ से व्यापार में 33.9%

की वृद्धि हुई और यह 4.29 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। दिसम्बर, 2004 में मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुई प्रमुख वार्ता के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में अनेक पहलें की गई हैं। यात्रा के दौरान, दोनों, पक्ष, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और इन्हें गति देने पर द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार सम्पन्न करने की संभावना का पता लगाने पर सहमत हुए। व्यापार आर्थिक सहयोग करार की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया गया है और इसकी कार्य शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संयुक्त अध्ययन दल को आवश्यक रूप से 2005 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एक मसौदा रूपरेखा करार तैयार करने को कहा गया है, बशर्ते व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया सम्पन्न जाए।

पथकर लगाना

6980. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चार लेन वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, बाई पासों और मुख्य पुलों पर पथकर लगाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इससे अर्जित अतिरिक्त आय का राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है,

(घ) सरकार द्वारा इन सड़कों से इस प्रकार के कर वसूलने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो के आधार पर शुरु की गई परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी परियोजनाओं हेतु निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क की वसूली हेतु क्या मानदंड हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाती हैं:

1. दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना।
2. पुल:

(1) 25 लाख रु. से अधिक तथा 100 लाख रु. तक और जिन्हें दि. 1 अप्रैल, 1976 को अथवा उसके बाद लेकिन दि. 1 मई, 1992 से पहले यातायात के लिए खोला गया,

(2) 100 लाख रु. से अधिक और जिन्हें दि. 1.5.1992 को अथवा उसके बाद लेकिन दि. 4.12.2001 से पहले यातायात के लिए खोला गया, और

(3) 500 लाख रु. से अधिक और जिन्हें दि. 4.12.2001 को अथवा उसके बाद यातायात के लिए खोला गया।

3. सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजनाएं/पुल तथा बाइपास बी ओ टी आधार पर शुरु की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रयोक्ता शुल्क से अर्जित आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। धनराशि की गणना वर्ष वार की जाती है न कि राजमार्ग वार।

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
2002-03	331.61
2003-04	443.33
2004-05 (जन. 2005 तक)	424.91

(घ) निर्माण कार्य पूरा हो चुके और राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रयोग हेतु शुल्क) के प्रावधानों के अनुसार 27 अगस्त, 1997 को अथवा उसके बाद यातायात के लिए खोल दिए गए उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क निरंतर वसूल किए जाते हैं।

(ङ) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर अभी तक शुरु की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) प्रयोक्ता शुल्क की उगाही, (1) राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल-सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं को प्रयोग के लिए शुल्क), (2) राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल के खंड/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्थायी पुल के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संगृहीत किया जाने वाला शुल्क) और (3) समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती है।

विवरण

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरु की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	पथकर आधारित निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण परियोजनाएं (एनएचडीपी से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर)					
1.	थाने-भिवंडी बाइपास	3	महाराष्ट्र	24	103.00	पूरा हो गया
2.	नरधाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	13	34.21	पूरा हो गया
3.	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68.00	पूरा हो गया
4.	रा रा 4 पर खंभात की घाट में अतिरिक्त 2 लेन और सुरंग का निर्माण	4	महाराष्ट्र	8	37.80	पूरा हो गया
5.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	सं. 6	50.00	पूरा हो गया
6.	कोसास्थलैयार पुल	5	तमिलनाडु	–	30.00	पूरा हो गया
7.	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	30 मीटर	10.45	पूरा हो गया
8.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	530 मीटर	32.60	पूरा हो गया
9.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11	24.00	पूरा हो गया
10.	माही पुल	8	गुजरात	–	42.00	पूरा हो गया
11.	वात्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	–	48.20	पूरा हो गया
12.	चत्थन सड़क उपरि पुल	8	गुजरात	4 लेन आर ओ बी	10.00	पूरा हो गया, रियायत अवधि पूर्ण
13.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113.00	पूरा हो गया
14.	पाताल गंगा पुल व आर ओ बी	17	महाराष्ट्र	सं. 1	33.30	पूरा हो गया
15.	डेराबासी में आर ओ बी	22	पंजाब	–	31.48	पूरा हो गया
16.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90.00	पूरा हो गया
17.	रा.रा. 9 के 14/0 से 40/0 कि.मी. में पुणे शोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना	9	महाराष्ट्र	26	88.00	पूरा हो गया
18.	कटनी बाइपास	7	मध्य प्रदेश	17.5	42.00	प्रगति पर
19.	रा.रा. 6 के रायपुर-दुर्ग खंड को 4 लेन का बनाना	6	छत्तसीगढ़	26.6	48.00	प्रगति दर

1	2	3	4	5	6	7
20.	कुराली में 26.428 कि.मी. में आर ओ बी	21	पंजाब	2 लेन आर ओ बी	20.52	प्रगति पर
21.	रा रा 6 के 113/800 कि.मी. में पिंगली नदी पर पुल का निर्माण	6	महाराष्ट्र	-	14.15	प्रगति पर
22.	शिल्फाटा (131/200 कि.मी.) से निगाड़ी (20/400 कि.मी.) तक रा रा 4 के मुंबई-पुणे खंड को सुधारना और 4 लेन का बनाना	4	महाराष्ट्र	111	153.00	प्रगति पर
	पथकर आधारित परियोजनाएं (एनएचडीपी के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर)					
1.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	70	पूरा हो गया
2.	किशनगढ़ बाइपास पर आर ओ बी	8	राजस्थान	1	18	पूरा हो गया
3.	तुमकूर-नीलमंगला खंड (रा.रा. 4 का 29.5 से 62.0 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	32.5	155	पूरा हो गया
4.	टाडा (52.8 कि.मी.)-नेल्लोर (163.6 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	110.52	621.35	पूरा हो गया
5.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	35	138.65	पूरा हो गया
6.	सतारा-कागल खंड को 4 लेन का बनाना	4	महाराष्ट्र	133	600.00	प्रगति पर
7.	दिल्ली-गुड़गांव खंड	8	हरियाणा	27.7	555.00	प्रगति पर
8.	विवेकानंद पुल व पहुंच मार्ग	2	पश्चिम बंगाल	6	641.00	प्रगति पर
9.	महापुरा (जयपुर के पास)-किशनगढ़ (273.5 कि.मी.)	8	राजस्थान	90.38	644.00	प्रगति पर
10.	पुणे-नासिक (12.90 से 42.00 कि.मी.)	50	महाराष्ट्र	30	127.60	एनएचडीपी-III के तहत प्रगति पर
11.	राजाकेट बाइपास और गोंडल जैतपुर (185.00-175.00 कि.मी.)	88	गुजरात	36	388.00	प्रगति पर
	वार्षिकी आधारित परियोजनाएं (एनएचडीपी के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर)					
1.	पानागढ़-पालसित खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	64.457	350.00	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
2.	पालसित-दनकुनी (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग) खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	65	432.40	प्रगति पर
3.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव खंड को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	77	332.00	प्रगति पर
4.	अनाकपल्ली-तुनी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	58.947	283.20	प्रगति पर
5.	तुनी-धर्मावरम खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	47	231.90	प्रगति पर
6.	धर्मावरम-राजमुंदरी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	53	206.00	प्रगति पर
7.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.2	143.20	प्रगति पर
8.	ताम्बरम-टिंडीवनम खंड को 4 लेन का बनाना	45	तमिलनाडु	93	375.00	प्रगति पर

केन्द्रीय भंडार द्वारा राशि को अपने पास रखना

6981. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ने जीरोक्स मोदीकोर्प लिमिटेड से मूल्य समझौते का उल्लंघन करने के कारण लगभग 60 लाख रुपए वसूल किए थे और इस राशि को अपने पास रख लिया;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों और विनियमों के अंतर्गत इस धनराशि को केन्द्रीय भण्डार ने अपने पास रख लिया;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार का विचार उनसे मोदी जीरोक्स फोटोकॉपियर कागज खरीदने वाले सरकारी विभागों को संपूर्ण धनराशि को वापस लौटाने का है;

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनसे मूल्य समझौते का उल्लंघन करने के कारण धनराशि की वसूली की गई;

(ङ) क्या इस वसूल की गई धनराशि का उपभोक्ताओं को भुगतान किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) यह राशि इसलिए रोक ली गई क्योंकि जीरोक्स मोदी कॉर्प लिमिटेड ने कीमत गारंटी करार का उल्लंघन किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए करार के उल्लंघन और केन्द्रीय भण्डार के बिक्री मूल्य में कोई सीधा सह-सम्बंध नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मोबाइल सेवा

6982. श्री रामसेवक सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में लहर सब-डिवीजन में अधिकारियों और भिंड जिले में जिला उप-प्रबंधक के पद रिक्त होने के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा की जानकारी है;

(ख) भिंड जिले और इस जिले के अन्य उपकेन्द्रों के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या ठोस कार्रवाई की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भिंड जिले के लहर उपमंडल में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपभोक्ताओं को उक्त सेवा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भिंड में जिला महाप्रबंधक का कोई संस्वीकृत पद नहीं है। तथापि, मुरैना के जिला महाप्रबंधक लहर उप-मण्डल सहित भिंड/मुरैना में दूरसंचार सेवाओं के कार्य की देख-रेख कर रहे हैं।

(ख) मुरैना गौन स्विचन क्षेत्र के जिला महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पहले ही भिंड जिले तथा इस जिले के अन्य उप-केन्द्रों के उपभोक्ताओं की समस्याओं को देख रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) बीएसएनएल की वर्ष 2005-06 के दौरान लहर उपमंडल में जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

[अनुवाद]

सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना

6983. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 मार्च, 2005 को ईंडोनेशिया में आए दूसरे सुनामी के मद्देनजर भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुनामी, भूकंप तथा चक्रवातों के प्रति अतिसंवेदनशीलता की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निष्कर्ष निकले तथा सुनामी चेतावनी तंत्र की स्थापना के लिए क्या निर्णय लिया गया तथा ये कहां स्थापित किए जाएंगे तथा इसके प्रचालन के मानदंड क्या हैं;

(ग) इस भूकंप के केन्द्र बिन्दु की स्थिति क्या है तथा निकटतम भारतीय तट से इसकी दूरी कितनी है; और

(घ) ऐसे तंत्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए है तथा इस संबंध में मांगी गई तथा प्राप्त या प्राप्त होने वाली तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) 26 दिसंबर, 2004 को आई भयंकर सुनामी लहर के बाद में जारी किए गए पूर्व-निष्कर्षों को ध्यान में रखा गया। 28 मार्च 2005 को इंडोनेशिया के निकट आए उच्च परिमाण वाले भूकंप के बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केन्द्र की परामर्श सूचनाओं के आधार पर सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की गई थी। भारतीय तटों पर कोई भीषण सुनामी लहरें उत्पन्न नहीं हुई। इससे हमारा वही दृष्टिकोण पुष्ट होता है। कि भारतीय प्रमुख भूमि और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तटों के लिए सुनामी का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत द्वारा यथापरिकल्पित प्रणाली आवश्यक है।

(ग) 28 मार्च, 2005 का अधिकेन्द्र दक्षिणी छोर पर स्थित निकोबार द्वीपसमूह से लगभग 800 कि.मी. की दूरी पर उत्तरी सुमात्रा में 2.07° उत्तर और 97.01° पूर्व में स्थित था।

(घ) 26 दिसंबर 2004 की भीषण सुनामी लहरों के पश्चात सुनामी और तुफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिसके निम्नलिखित भाग है;

* सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के लगभग वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
* हिन्द महासागर में वास्तविक समय संयोजन के साथ समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर सुनामी चेतावनी सेंसर लगाना।
* ज्वारमाणी और डाटा ब्वॉय नेटवर्किंग।
* समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखो की मॉडलिंग।
* सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सुनामी पैदा करने वाली स्थिति के संबंध में परामर्शी सूचनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र की स्थापना।

इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए किसी तरह की कोई वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता नहीं मांगी गई है।

कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा

6984. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा हटाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला क्षेत्र में एफडीआई पर विद्यमान नीति के अनुसार, गृहीत उपभोग हेतु कोयले अथवा लिग्नाइट खानों के साथ-साथ विद्युत परियोजनाओं को स्थापित अथवा प्रचालित करने वाली निजी भारतीय कंपनियों को 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। कोयला संसाधन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन 100% एफडीआई की अनुमति दी जाती है कि कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और अपने कोयला संसाधन संयंत्रों से धुले कोयले अथवा आकारीकृत कोयले को खुले बाजार में नहीं बेचेगी तथा उन पार्टियों को धुले अथवा आकारीकृत कोयले की आपूर्ति करेगी जो धुलाई अथवा आकारीकरण के लिए कोयला संसाधन संयंत्रों को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। गृहीत उपभोग हेतु कोयले अथवा लिग्नाइट के अन्वेषण अथवा खनन हेतु 74% तक एफडीआई की अनुमति दी जाती है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई पर वर्तमान नीति की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। समीक्षा का उद्देश्य निवेश/विकासात्मक आवश्यकताओं, सामरिक मुद्दों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उदारीकरण के और क्षेत्रों की पहचान करना है।

[हिन्दी]

गुवाहाटी में जब्त यूरेनियम

6985. श्री सुरेश चन्देल:
श्री जुएल ओराम:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम पुलिस ने अप्रैल, 2005 की रात्रि को गुवाहाटी में दो युवकों से एक किलोग्राम यूरेनियम जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जब्त किये गये पैकेटों पर परमाणु ऊर्जा विभाग, शिलांग की मुहर लगी थी;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इस पैकेट को किस प्रकार प्राप्त किया;

(घ) सरकार किन राज्यों में स्थान-वार यूरेनियम खनन की परियोजनाएं चला रही है;

(ङ) क्या नब्बे के दशक में मेघालय में यूरेनियम खनन कार्य को बंद कर दिया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) गुवाहाटी से दो पुलिस कार्मिक 8.4.2005 को शिलांग स्थित परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) के कार्यालय में 850 ग्राम भार वाला एक पैकेट लाए थे, उसके नमूने का त्वरित मूल्यांकन करने पर यह पता चला कि उसमें यूरेनियम का अंश नगण्य था उन पुलिस कार्मिकों को वह सामग्री विस्तृत विश्लेषण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित कर औपचारिक तौर पर भेजने के लिए कहा गया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां। तथापि, इसे विभाग से नहीं छापा है और इसका इस विभाग से कोई संबंध नहीं है।

(ग) इस बारे में मालूम नहीं।

(घ) इस समय झारखंड राज्य के सिंहभूम (पूर्व) जिले के जादुगुडा, भाटिन, नरवापहाड़ और तुरमडीह क्षेत्रों में खनन कार्य किए जा रहे हैं।

(ङ) मेघालय में आज की तारीख तक यूरेनियम के खनन से संबंधित कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 1991-1992 के दौरान परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) द्वारा धातुकर्मीय अध्ययनों के लिए बड़ी मात्रा में नमूने एकत्रित करने के लिए मेघालय के डोमियासियात यूरेनियम निक्षेप में केवल अन्वेषणात्मक खनन किया गया था,

(च) और (छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानसून की भविष्यवाणी करने हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाना

6986. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2005 में भारत में पर्याप्त वर्षा होगी और शेष तीन महीनों में मानसून का भविष्य अल्लनीनो भौगोलिक स्थिति के विकास पर निर्भर करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानसून की भविष्यवाणी के लिए देश ने अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मानसून की भविष्यवाणी में विकसित देशों में इस कार्य हेतु विकसित की गई प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) वर्तमान संकेत यह प्रदर्शित करते हैं कि जून, 2005 के दौरान देश में लगभग सामान्य वर्षा होगी। परन्तु, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) 20 मई, 2005 तक जून की बारिश के लिए एक विशिष्ट भविष्यवाणी प्रस्तुत करेगा। यह सही है कि चार मानसून महीनों (जून सहित) के दौरान वर्षा प्रशान्त महासागर के ऊपर अल-नीनो के विकास पर निर्भर है।

(ख) यद्यपि अल-नीनो और मानसून की वर्षा के बीच पूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया गया है, परन्तु कुछ अल-नीनो वर्षों के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ध्यान में आया है। वास्तविक प्रभाव प्रशांत में अल-नीनो वार्मिंग के क्षमता समय और स्थानिक कवरेज पर निर्भर करता है।

(ग) उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियों की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण मानसून का पूर्वानुमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। इससे उष्णकटिबंधों में पुर्वानुमान की सैद्धांतिक सीमा लगभग एक सप्ताह तक, जबकि मध्य अक्षांश क्षेत्रों (जैसे यू.एस.ए., यू.के. और आस्ट्रेलिया) में यह सीमा लगभग दो सप्ताह तक बाधित हो जाती है। फिर भी, उष्णकटिबंधीय जलवायु पर महासागरों एवं हिम आच्छादन द्वारा अदा की गई भूमिका के कारण उष्णकटिबंधों के एक बड़े क्षेत्र में मासिक वर्षा प्रणाली की भविष्यवाणी संभव है। अध्ययनों से यह भी प्रदर्शित हुआ है कि उष्णकटिबंधों में भारतीय मानसून क्षेत्र पर भविष्यवाणी करना, अफ्रीकी मानसूनों और पूर्व एशियाई मानसून की भविष्यवाणी की तुलना में अत्यधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि भारतीय मानसून क्षेत्र में मौसमी वर्षा का अव्यवस्थित अंतर-मौसमी परिवर्तन का योगदान अधिक है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) ने महासागरीय एवं हिम-चरों का पूर्वानुमानकर्ता के रूप में उपयोग करके देश में मासिक और मौसमी मानसून वर्षा की भविष्यवाणी के लिए अधुनातन सांख्यिकी माडल विकसित किया है और वह उसका उपयोग कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आई एम डी ने राष्ट्रीय जलवायु केन्द्र, पुणे में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सहयोग से एक गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली भी शुरु कर दी है जो संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) से अंगीकत प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस माडल का उपयोग मानसून, 2005 के लिए एक परीक्षणात्मक पूर्वानुमान तैयार करने हेतु किया गया। परन्तु इस प्रणाली का कुछ और अधिक मान्यता मिलने के बाद ही प्रचालन कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रचालनात्मक सांख्यिकीय माडलों के अलावा आई एम डी 2007 तक प्रचालन कार्य के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने का विचार कर रहा है।

मानसून की सटीक भविष्यवाणी के लिए हमारे पास वातावरण-महासागरीय मिला-जुला माडल होना चाहिए जिसमें महासागरीय प्रक्रियाओं का विस्तृत उपचार शामिल है। भविष्यवाणी के प्रयोजनों के लिए यू.एस.ए. और यूरोप में बड़े जलवायु भविष्यवाणी केन्द्र इन मिले-जुले गतिशील माडलों का उपयोग कर रहे हैं। आई एम डी के राष्ट्रीय जलवायु केन्द्र में कार्यान्वित की जाने वाली इस प्रणाली के लिए अधिक निवेशों की आवश्यकता है। आई एम डी को यह आंकड़े अंकीय भविष्यवाणी माडल में लगाने, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु केन्द्रों पर प्रचालन पूर्वानुमानकर्ताओं के प्रशिक्षण और संगणना शक्ति बढ़ाने के लिए आंकड़ा आमेलन तकनीकें सुधारने हेतु सतही एवं ऊपरी वायु-प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को भी बढ़ाना होगा।

[हिन्दी]

न्यू मिलेनियम फंड

6987. श्री लालमणि प्रसाद: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. आर.ए. माशेलकर की 'टीम सी.एस.आई.आर.' द्वारा प्रयोगशालाओं में बुनियादी परिवर्तन लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रयोगशाला में परिवर्तन लाए जाने के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) इसके क्रियान्वयन के पश्चात् कितनी प्रगति हुई है और तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 'न्यू मिलेनियम फंड' की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो इस फंड में कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(च) अनुसंधान के वे कौन-से क्षेत्र हैं जिन्हें उक्त फंड से वित्तीय सहायता दी जाने वाली है;

(छ) उक्त फंड से सहायता राशि सहित अब तक कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है; और

(ज) किसी परियोजना को वित्तीय सहायता देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। सीएसआईआर में अनेक बुनियादी परिवर्तन लाए गए हैं।

(ख) इन परिवर्तनों के लिए निम्नवत् महत्वपूर्ण घटक जिम्मेवार रहे हैं:

1. परिवर्तन का पथ प्रशस्त करने वाली 'सीएसआईआर 2001: दूरदृष्टि एवं रणनीति' का प्रतिपादन;
2. वर्ष 1996 में बौद्धिक संपदा प्रबंधन नीति का प्रतिपादन;
3. संपूर्ण सीएसआईआर में बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क परियोजनाओं का प्रचालन;
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए नए मॉडलों की शुरुआत;
5. प्रगतिशील मानव संसाधन-नीतियों वाले मानव संसाधन विकास केन्द्र का सृजन:
6. अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का आधुनिकीकरण; और
7. संगठन का सही आकार-प्रकार (राइट साइजिंग)।

(ग) वर्ष 1995-2004 की अवधि के दौरान सीएसआईआर की निष्पादकता में आए सुधार को वैज्ञानिक अनुसंधान योगदान तथा पेटेंटों को दर्शाने वाले निम्नवत् संकेतकों से आंका जा सकता है:

क्र.सं.	संकेतक	वर्ष 1995	वर्ष 2004
1.	मूल अनुसंधान में योगदान (पीयरों (सुविज्ञों)) द्वारा समीक्षित अंतर्राष्ट्रीय एससीआई जरनलों में शोध पत्रों की संख्या	~1600	~2628
2.	औसत प्रभाव घटक/शोध पत्र	0.85	1.920
3.	विदेशी पेटेंट फाइलिंग	58	430
4.	प्रदत्त विदेशी पेटेंट	14	240

(घ) जी हां। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में "नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई)" नामक नई दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का सीएसआईआर द्वारा भारत सरकार की ओर से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए 71.63 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी और दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2005 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(च) यह योजना विविध प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है जिनमें कृषि एवं पादप जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, औषध एवं भेषज, ऊर्जा, पदार्थ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(छ) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदत्त परियोजना तथा परिकल्पित वित्तीय सहायता की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ज) एनएमआईटीएलआई योजना के अंतर्गत सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की दो विस्तृत श्रेणियां हैं, ये हैं:

(1) राष्ट्रीय स्तर पर विकास परियोजनाएं, और

(2) उद्योगजनित परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के विकास और वित्तीय सहायता के लिए मानदंड का आधार सुनिर्धारित चरणवार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना शीर्षक	परिकल्पित परिव्यय (रुपये लाख में)
1	2	3
	वर्ष 2000-01	
1.	सुअभिनिर्धारित औद्योगिक रसायनों के निर्माण के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का निष्क्रियण।	253.73
2.	सिर एवं गर्दन, पित्ताशय एवं मस्तिष्क के कैंसर (ग्लायोमा) के लिए जीन आधारित नए लक्ष्य एवं मार्कर	1426.526
3.	कैंसर, मधुमेह और जीवाणुरोधियों के लिए उद्दीपक संवेदी बहुलक नैनो-कण आधारित उन्नत औषध वितरण प्रणालियां	313.40

1	2	3
4.	प्रसुप्त एम. ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए नए लक्ष्य, औषध वितरण प्रणालियां, जैव-अभिवृद्धक और चिकित्सा शास्त्र	2354.320
5.	वांछित गौण उपापचयजों के लिए चाय, मेंथा, अश्वगंधा पादपों में पाथवे इंजीनियरी	788.30
6.	कृषि एल्कोहलों, नैफ्था (मेथेनॉल, एलपीजी) का इस्तेमाल करते हुए स्थिर ईंधन सैल आधारित पावर पैक	690.00
7.	अद्वितीय कार्यनिष्पादन मानदंडों वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए द्रव क्रिस्टल	154.00
8.	मानसून पूर्वानुमानों के लिए मैसो-स्केल मॉडलिंग	1215.35
9.	सुअभिनिर्धारित औद्योगिक रसायनों के ऐल्किलीकरण/ऐसिलीकरण/नाइट्रीकरण के लिए नैनो-पदार्थ उत्प्रेरक एवं संबद्ध प्रक्रम प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम ईंधनों से हाइड्रोकार्बनों की प्रि-रिफार्मिंग और सल्फर को समाप्त करना (< 50 ppm)	552.40
	2001-2002	
10.	बायोइनफर्मेटिक्स के लिए सर्वत्तोमुखी, सुवाह्य पीसी आधारित सॉफ्टवेअर और बायो-सूट के लाइनक्स क्लस्टर वर्जन का विकास	1701.80
11.	चर्म क्षेत्र में रासयनिक प्रक्रिया को विस्थापित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी	630.00
12.	कृषि अपशिष्टों: खोई पर आधारित सैल्यूलोस इस्टर्स से जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक्स	350.00
13.	विषोषी विकारों के लिए नवीन हर्बल चिकित्सा-शास्त्र	1068.22
	(1) विशेष रूप से दर्द नियंत्रण के लिए ओस्टिओआर्थराइट और रयूमेटोयडआर्थराइट	
	(2) इन्सुलिन संवेदीकरण पर विशेष बल देते हुए डाइबीटीज मेलिटस टाइप II (एनआईडीडीएम)	
	(3) यकृत कोशिकीय संरक्षण पर विशेष बल हेतु हुए यकृतीय विकार	
14.	उन्नत कणिकामय प्रक्रमण और संसाधन सरंक्षण के माध्यम से सीमेंट निर्माण में अभिवृद्ध उत्पादकता	487.00
15.	एरिथ्रोमाइसिन का क्लैरिथ्रोमाइसिन में सूक्ष्मजीवाणुक परिवर्तन और जैविक दृष्टि से सक्रिय अन्य अणु	121.54
16.	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु-लाइसोस्टैफिन का विकास	780.00
17.	सोरॉयसिस के उपचार के लिए मुखीय हर्बल संरुपण का विकास: नैदानिक और वैज्ञानिक चुनौती	972.00
	2002-2003	
18.	पीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए लागत प्रभावी सिम्पल ऑफिस कंप्यूटिंग (सॉफ कोम्प) प्लेटफॉर्म	330.00
19.	अभिकलनात्मक जीवविज्ञान-हेतु पीसी आधारित हाई-एंड 3डी विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म-'दर्शी'	192.80
20.	ऑटोमोटिव उद्योग में ट्राइबोलोजिकल अनुप्रयोगों के लिए नैनो-पदार्थ लेप एवं उन्नत सम्मिश्र	754.25
21.	सतही लेपों हेतु पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित विरल मृदा (रेअर अर्थ) आधारित रंगक	444.15
22.	ऐल्केंस की प्रकार्यात्मकता	674.57
23.	आंखों की बीमारियों के लिए नवीन आण्विक निदान शास्त्र तथा कम दृष्टि को बढ़ाने वाली युक्तियां	347.93

1	2	3
24.	नवीकरणीय संसाधनों: लेक्टिक अम्ल एवं लेक्टिक अम्ल आधारित बहुलकों से मूल्य अभिवृद्धि वाले बहुलक पदार्थ	613.00
25.	सूर्यमुखी एवं खमीर में ∝ लिनोलीनिक अम्ल एवं डॉकसैहेक्साइनॉइक अम्ल उत्पन्न करने हेतु पुनर्योजन अभिगम	325.80
	2003-2004	
26.	लुगदी एवं कागज के विशेष संदर्भ सहित पादप प्रजातियों में सुधार लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकीय अभिगम	497.30
27.	नवीन कवकनाशियों का विकास	554.20
28.	मशीन लर्निंग और प्रायोगिक विधियों के संयोजन के माध्यम से उन्नत जीनोम एनोटेशन: प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एज ए केस स्टडी	625.215
29.	अगली पीढ़ी की उपांतीय अंतरापृष्ठ प्रौद्योगोकियों: यूएसबी 2.0 पीएचवाई और 1394 बीपीएचवाई का विकास	529.60
30.	इन्सुलिन का मुखीय सेवन	287.13
31.	भारतीय औषधीय पादप विथानिआ सोमनिफेरा की भेषज गुण विज्ञानीय एवं जीनोमिक जांच	367.00
32.	हाइड्रोजन पर आधारित ईंधन सेलों का विकास	2351.00
33.	500 किलोवाट की निम्न लागत वाली होरिजेंटल-एक्सिस विंड टरबाइन का विकास	527.30
	2004-2005	
34.	नवीन निष्पीडन प्रणाली	215.59
35.	चुनिंदा औषधीय अन्तर्रोपों का विकास	660.18
36.	अनुकूलनशीलता एवं तेल पैदावार के लिए जेट्रोफा करकस का आनुवंशिक सुधार	555.38
37.	वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाली 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	1188.75

विवरण-II

राष्ट्रीय स्तर पर विकसित परियोजनाएं

राष्ट्रीय स्तर पर विकसित परियोजनाओं को प्रतिष्ठित करने हेतु विचार प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाता है। इन विचारों की 'छानबीन समिति' द्वारा छंटाई की जाती है तत्पश्चात, विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा विस्तृत क्षेत्रों का चयन किया जाता है। तदुपरांत इन क्षेत्रों की रूप-रेखा 'विषय विशेषज्ञों' द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए उस क्षेत्र के सर्वोत्तम खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाता है। परियोजना को एक बार अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और नामोदिष्ट उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और इस पर विचार किया जाता है। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को सहायता देने के लिए सीएसआईआर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाता है।

उद्योग जनित परियोजनाएं

इस श्रेणी की परियोजनाओं की प्रक्रिया प्रेस विज्ञापन और महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव मंगाने से प्रारंभ होती है। इस प्रकार प्राप्त संकल्पनात्मक प्रस्तावों की छानबीन एक 'समिति' द्वारा की जाती है, तत्पश्चात, विषय विशेषज्ञों द्वारा छांटे गए विचारों का मूल्यांकन किया जाता है एवं उनकी श्रेणी निर्धारित की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र के दो शीर्षस्थ विचारों का विकास एनएमआईटीएलआई के नामोदिष्ट विशेषज्ञों की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार अंतिम रूप दी गई परियोजनाओं पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है एवं उनकी समीक्षा की जाती है, इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर सीएसआईआर की शासी निकाय द्वारा विचार किया जाता है ताकि विचाराधीन अवधि में इन परियोजनाओं को सहायता दिए जाने विषयक निर्णय लिया जा सके। प्राय: प्राप्त

परियोजनाओं के 5% से कम पर ही विकासार्थ विचार किया जाता है।

भारत में पंजीकृत एवं भारतीयों/अप्रवासी भारतीयों द्वारा 50% से अधिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनियां इस श्रेणी के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होती हैं। तथापि, किसी भी समय में किसी कंपनी की दो से ज्यादा परियोजनाओं को सहायता नहीं दी जाती है।

वित्तीय सहायता

एनएमआईटीएलआई योजना के तहत सभी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थागत भागीदारों को अनुदान सहायता और औद्योगिक भागीदारों को आसान ऋण (3% ब्याज दर पर) के रूप में दी जाती है।

[अनुवाद]

टी.आई.एफ.ए.सी. के अंतर्गत परियोजनाएं

6988. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-2003 के दशक के दौरान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद् (टी.आई.एफ.ए.सी.) ने 150 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की थीं;

(ख) यदि हां, तो इन स्वीकृत परियोजनाओं में से उन परियोनजाओं की संख्या कितनी है जो पूरी न हो सकी अथवा अंशत: पूरी हो सकी;

(ग) क्या टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। इस अवधि के दौरान होम ग्रोन टेक्नालाजी मिशन, एडवांस्ड कम्पोजिट्स टेक्नालाजीज मिशन और फ्लाई ऐश मिशन तथा मिशन मोड में टेक्नालाजी विजन 2020 परियोजनाओं पर अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत 213 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

(ख) स्वीकृत 213 परियोजनाओं में से 50 परियोजनायें चालू हैं और 13 परियोजनायें आंशिक रूप से पूर्ण/अपूर्ण हैं।

(ग) और (घ) सभी मामलों में प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के प्रयत्न किये गये और निजी उद्यमियों ने इनको कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये। परन्तु लक्षित प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक नाजुकता के कारण वह एक सीमा से आगे इसे चलाने में असफल रहे जो उन्होंने अनुभव किया कि बदली हुई बाजार दशाओं के कारण ऐसा संभाव्य नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण नवोन्मेष/प्रौद्योगिकी विकास वाली परियोजनायें अंतर्निहित रूप से अपने परिणामों के संदर्भ में अनिश्चित हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार के स्टोर

6989. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय भण्डार के और अधिक स्टोर खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में देश में केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि उनके प्रचालन के विस्तार के प्रयास में, वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली या अन्य राज्यों में शाखाएं/स्टोर खोलने पर विचार कर रहे हैं:

(1) उपभोक्ताओं की मांग पर, जिसमें सरकारी विभाग, आवासीय कल्याण संगठन इत्यादि शामिल हैं।

(2) स्टोर अथवा शाखा की आर्थिक व्यवहार्यता।

(3) नामपात्र किराए पर स्थान।

उपर्युक्त प्राधिकारियों से नई शाखाएं/स्टोर खोलने के लिए बातचीत की एक सतत प्रक्रिया है और किसी स्टोर की खोलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(ग) वर्तमान में देश के विभिन्न भागों/नगरों में केन्द्रीय भंडार के 115 स्टोर/शाखाएं संचालित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है:

विवरण

केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों/शाखाओं की राज्यवार सूची

दिल्ली	–	76
महाराष्ट्र	–	01
तमिलनाडु	–	08
आंध्र प्रदेश	–	03
पांण्डिचेरी	–	01
कर्नाटक	–	01
केरल	–	03
दमन	–	01
गोवा	–	01
हरियाणा	–	02
चण्डीगढ़	–	02
पंजाब	–	01
उत्तर प्रदेश	–	10
उत्तरांचल	–	01
मध्य प्रदेश	–	01
राजस्थान	–	01
पश्चिम बंगाल	–	01
हिमाचल प्रदेश	–	01
कुल	–	115

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. को घाटा

6990. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि टी.आर.ए.आई. के नए मानदंडों द्वारा लगाए गए नए एक्सेस डेफीसिट चार्ज (ए.डी.सी.) के कारण एम.टी.एन.एल. को प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए का घाटा होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बी.एस.एन.एल. को अपने वायरलाइन टेलीफोनों पर ए.डी.सी. की अनुमति दी गई है जबकि एम.टी.एन.एल. को ए.डी.सी. प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को हटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 6 जनवरी, 2005 को अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) व्यवस्था को परिशोधित करते हुए 1.2.2005 से लागू एक विनियम जारी किया था। यह वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में था जैसा कि ट्राई द्वारा 1.2.2004 से लागू अपने पिछले अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम में घोषित किया गया था। नई व्यवस्था में राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कालों के लिए पहले के 30 पैसे, 50 पैसे और 80 पैसे के स्लैब के स्थान पर एडीसी के अंशदान को घटाकर 30 पैसे की परिकल्पना की गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कॉलों के लिए आवक और जावक दोनों प्रकार की कालों पर लागू 4.25 रुपए प्रति मिनट के पहले के एडीसी के स्थान पर जावक कालों के लिए 2.50 रुपए प्रति मिनट तथा आवक कालों के लिए 3.25 रुपए प्रति मिनट एडीसी कम करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, सेल्यूलर मोबाइल/डब्ल्यूएलएल (एम) से की जाने वाली सभी कालों के लिए एडीसी बीएसएनएल को देय है। पहले सभी स्थिर लाइन प्रचालक स्थिर लाइन पर खत्म होने वाली सेल्यूलर मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एम) तथा आवक अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कॉलों के लिए एडीसी हेतु पात्र होते थे।

एमटीएनएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, एमटीएनएल के राजस्व में वार्षिक कटौती लगभग 276 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि एडीसी अब बीएसएनएल को देय है एमटीएनएल को नहीं। एमटीएनएल ने ट्राई के उक्त विनियम के विरुद्ध दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण में याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है।

नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट

6991. श्री पी. करुणाकरन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को मिलने वाली छूटों और लाभों को

न दिए जाने से संबंधित घटनाओं की जानकारी है जैसाकि नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

काकीनाडा में पोत-मंजक यार्ड

6992. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्कार का विचार काकीनाडा में पोत-मंजक यार्ड स्थापित करने का है;

(ख) क्या "ग्रीन पीस" नामक एक गैर-सरकारी संगठन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पोत-मंजक उद्योग पर्यावरण के लिए खतरा हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञान के अध्ययन में रुचि की कमी

6993. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विज्ञान अध्ययन में छात्रों की कम होती रुचि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार का विचार-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सहित पहल कराने और अवसर-सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने जा विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार मेधावी छात्रों के मौलिक विज्ञान धारा से विमुख होने की वर्तमान प्रवृत्ति से पूर्णत: अवगत है।

(ख) वाणिज्य, वित्त, इंजीनियरिंग, इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी एनेबल्ड सर्विसेज (आई टी ई एस) आदि में वैकल्पिक एवं लाभप्रद रोजगार अवसरों की उपलब्धता इसके मूल कारण हैं। बुनियादी अनुसंधान एवं विकास के रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आवश्यक लम्बे तथा कष्टप्रद प्रशिक्षण को देखते हुए, छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा बुनियादी विज्ञान में उच्चतर शिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास में रोजगार के अवसरों को पर्याप्त आकर्षक नहीं समझा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने मौलिक विज्ञान तथा मौलिक अनुसंधान में छात्रों को बनाये रखने हेतु आकर्षित, प्रशिक्षित तथा सहायता करने के लिए पहले से ही कई योजनाएं शुरु की हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस, समेकित विज्ञान औलम्पियाड कार्यक्रम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, विज्ञान में नेतृत्व के लिए युवाओं पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का कार्यक्रम छात्रों के लिए स्कूल से प्री-डाक्टोरल चरण तक की आकर्षक योजनाओं में से कुछ हैं। डाक्टोरल तथा पोस्ट-डाक्टोरल स्तरों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति, स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति, युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में काम करने के बेहतर अवसर (ब्वायजकास्ट) अध्येतावृत्ति, जैव प्रौद्योगिकी अध्येतावृत्ति, फास्ट ट्रेक परियोजनाएं आदि चलाई जा रही हैं। महिला वैज्ञानिक योजना 50 वर्ष तक की महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान की मुख्य धारा में पुन: प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करती है। लगभग सभी वैज्ञानिक विभाग तथा एजेंसियां मौलिक विज्ञान में व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं को शोध परियोजनाएं वित्तपोषित करती हैं। नई शुरु की गई रमन्ना अध्येतावृत्ति द्वारा उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं को, भले ही उनकी उम्र कोई भी हो, नमनीय अनुसंधान अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार इस चुनौती के बारे में लगातार विचार कर रही है और नवोन्मेषक कार्यक्रमों के माध्यम से एक गतिशील तरीके से आवश्यकतायें पूरा करने पर ध्यान दे रही है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2187/2005]

(ख) (एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2188/2005]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2189/2005]

(ख) (एक) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2190/2005]

(5) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2191/2005]

(7) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2192/2005]

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2193/2005]

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2194/2005]

(10) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250 (अ) जो 28 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2195/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2196/2005]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2197/2005]

(3) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड एससमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड एससमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2198/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2199/2005]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2200/2005]

(5) (एक) नेशननल इंस्टिट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2201/2005]

(7) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2202/2005]

(9) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2005 जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2203/2005]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2204/2005]

(12) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2205/2005]

(14) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2206/2005]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2207/2005]

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2208/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (पांचवां संशोधन) विनियम (2005 का संख्यांक 7) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-8/2004-एफएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2209/2005]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मंत्री जी टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेल चार्जेज संबंधी यह पत्र अब सभा पटल पर रख रहे हैं जबकि इसकी अधिसूचना 13 अप्रैल, 2004 को की गई थी। अब एक वर्ष बाद मंत्री जी विलंब का कोई कारण दिए बिना यह पत्र सभा पटल पर रख रहे हैं।

डा. शकील अहमद: महोदय, मैं माननीय सदस्य को विलंब के कारण सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपको समस्त सदन को सूचित करना होगा।

डा. शकील अहमद: महोदय, मैं आपके माध्यम से समस्त सभा को सूचित करूंगा।

मोहम्मद सलीम: महोदय, उन्हें अभी बोलने की अनुमति न दें। उन्हें पहले विलंब के कारण बनाने वाला विवरण प्रस्तुत करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा कार्यालय बिना किसी स्पष्टीकरण के ऐसी बातों की अनुमति न दे।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं अपने सहयोगी श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 286 (अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरई खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 346 (अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 353 (अ) जो 21 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 369 (अ) जो 23 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में सिवनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 531 (अ) जो 8 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1329 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य

में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क और 8ख पर उसमें उल्लिखित भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1352 (अ) जो 10 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण अथवा पुनसंरेखण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1381 (अ) जो 16 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड तक) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1238 (अ) से का.आ. 1241 (अ) जो 5 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1327(अ) जो 6 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1332 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आर. 344 (अ) और का.आ. 345 (अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 347 (अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 354 (अ) और का.आ. 355 (अ) जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 356 (अ) जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 364 (अ) जो 22 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-एलुरु-विशाखापत्तनम खंड) के वर्तमान पथकर प्लाजा को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तरह) का.आ. 368 (अ) जो 23 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन (बाईपासों के निर्माण सहित) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 421 (अ) जो 28 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में जिला देवरी तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन (बाईपासों के निर्माण सहित) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 422(अ) जो 28 मार्च, 2005 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन (बाईपासों के निर्माण सहित) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 176(अ) जो 8 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

8 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1403(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 177(अ) जो 8 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के निर्माण (चार लेन वाला अथवा छह लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 178(अ) जो 8 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में जालौन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के निर्माण (चार लेन वाला अथवा छह लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 216(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर देहात जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 351 (अ) जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे और सतारा के बीच खम्बाट्की घाट) का प्रयोग करने के लिए शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण हेतु मैसर्स आइडियल रोड बिल्डर्स लिमिटेड, दादर, मुम्बई को प्राधिकृत किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 501(अ) जो 5 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 502(अ) जो 5 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 540(अ) जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चंडी-खोले-पारादीप खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 528(अ) जो 8 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जे आंध प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2210/2005]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 532(अ) जो 8 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर गुना बाईपास को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 157(अ) जो 3 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चिंगलपेट से तिंडीवनम खंड) के चार लेनों वाले खंडों के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तीन) का.आ. 158 (अ) जो 3 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 (इलाहाबाद-मंगावन) पर इलाहाबाद/नैनी में यमुना नदी पर बने केबल स्टेड ब्रिज के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चार) का.आ. 180(अ) जो 9 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8क (बामनबोर से समाख्याली से गांधीधाम खंड तक) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2211/2005]

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र जो 27 अप्रैल, 2005 की

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2212/2005]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2213/2005]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 7)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2214/2005]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियम, 2005 जो 13 अप्रैल, 2005 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 13/25/2003/एचपी-1/स्था./1376 से 1380 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2215/2005]

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेश विषयक (संशोधन) आदेश, 2005 जो 7 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 159 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2216/2005]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं, श्रीमती सूर्यकांता पाटील की ओर से मैं नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, और चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

नौवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 54 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2217/2005]

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 34 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2218/2005]

बारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 28 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2219/2005]

4. विवरण संख्या 31 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2220/2005]

तेरहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या 30 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2221/2005]

6. विवरण संख्या 31 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2222/2005]

7. विवरण संख्या 26 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2223/2005]

8. विवरण संख्या 25 पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2224/2005]

9. विवरण संख्या 24 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2225/2005]

10. विवरण संख्या 32 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2226/2005]

11. विवरण संख्या 19 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2227/2005]

12. विवरण संख्या 17 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2228/2005]

13. विवरण संख्या 14 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2229/2005]

14. विवरण संख्या 12 ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2230/2005]

15. विवरण संख्या 10 बारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2231/2005]

16. विवरण संख्या 7 तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2232/2005]

17. विवरण संख्या 6 चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2233/2005]

चौदहवीं लोक सभा

18. विवरण संख्या 4 दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2234/2005]

19. विवरण संख्या 2 तीसरा सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2235/2005]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 जिसे राज्य सभा ने 10 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 10 मई, 2005 को यथापारित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रेल (संशोधन) विधेयक, 2004 के बारे में नौवां प्रतिवेदन; और

(2) 'संसाधन जुटाना' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति 2003 (तेरहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

कार्यमंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिब्बल जी, आप अपने वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

* मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा के समाचार भाग-2 द्वारा जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश सं. 73-ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के एक सौ छब्बीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं। यह प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदान मांग पर विचार करने से संबंधित है। इस समिति ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान डीएसआईआर द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांग (वर्ष 2004-2005) पर विस्तारपूर्वक विचार किया।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्य-प्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन दिनांक 18 अगस्त, 2004 को सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 18 संस्तुतियां हैं जिनमें से कुछेक सलाहस्वरूप हैं। अन्य संस्तुतियां मुख्यत: निम्नवत से संबंधित हैं:

- उद्योग को प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा उद्योग से निधियां जुटाना;
- परम्परागत ज्ञान संबंधी प्राचीन निर्विवाद अधिकारों की सुरक्षा के लिए सचेत रहना;
- अपशिष्ट सामग्री एवं अन्य अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से ईंधनों का अनुसंधान एवं विकास करना;
- वातप्रत्यूर्जकों एवं मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय हितैषी जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक्स, अपशिष्ट जल प्रबंधन पर कार्य करना; और
- विज्ञान को लोकप्रिय बनाना।

समिति की सभी अठारह संस्तुतियों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रतिवेदन विभाग द्वारा विचार किया गया है। इस विभाग ने समिति को इन संस्तुतियों पर की-गई-कार्रवाई विषयक विस्तृत प्रतिवेदन नवम्बर, 2004 में भेजा है जिन पर आगे और टिप्पणियां की गईं। की-गई-कार्रवाई संबंधी ताजा स्थिति का विस्तृत ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुदान मांग (2004-2005) से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विषयक रिपोर्ट

क्र.सं.	समिति की संस्तुतियां	की-गई-कार्रवाई	126वीं रिपोर्ट के द्वारा आगे की टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	यह समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए इस विभाग की सराहना करती है। यह सत्य है कि विज्ञान ऐसे अनेक क्षेत्रों में से एक है जिसमें भारत नेतृत्व कर सकता है तथा अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। तथापि, इस समिति की राय है कि उद्योग को प्रौद्योगिकियां हस्तान्तरण करने के लिए इस विभाग को प्रयास करने चाहिए	इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को सकारात्मक रूप में ग्रहण किया गया है। सीएसआईआर उद्योग तक पहुंच बनाने के लिए पूर्व सक्रिय रहा है। सीएसआईआर ऐसा एकमात्र संगठन है जो उद्योग के साथ सहज संबंध स्थापित करने के मद्देनजर विकास के प्रारम्भिक स्तर से ही उद्योग से	सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास में लगे प्रयासों की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए यह समिति आशा करती है कि उद्योग के साथ नजदीकी संबंध बनाया जाए। यह समिति संस्तुति करती है कि सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में अर्जित ज्ञान के

*वक्तव्य सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2236/05

1	2	3	4
	और साथ ही उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच अधिकाधिक संपर्क स्थापित करके उद्योग से निधियां जुटाने के लिए प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयास करने चाहिए। (पैरा 27)	संबंध स्थापित करता है। विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास निर्गतों के विपणन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए सीएसआईआर ने विभिन्न स्थानों पर सृजित समग्र ज्ञानाधार के विपणन के लिए विकेन्द्रीयकृत दृष्टिकोण अपनाया है और इसे लागू किया है। प्रयोगशालाएं अपनी गतिविधियों से संबद्ध उद्योग के आंकड़ाधार रखती हैं। प्रयोगशालाएं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दृष्टिकोणों के माध्यम से ज्ञानाधार का प्रचार-प्रसार करने के लिए उद्योगों के साथ लगातार संपर्क बनाने हेतु विशेष प्रयास करती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में एक समर्पित समूह अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशाला के समग्र ज्ञानाधार के विपणन के इरादे का कार्य करता है।	समन्वयन और एकत्रण के लिए एक विशेष प्रकोष्ट की स्थापना की जाए और उत्पादक उद्योग के साथ प्रत्यक्ष संपर्क अथवा प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। विभाग का उत्तर सीएसआईआर ने उद्योगों के साथ संपर्क करने के लिए पूर्वसक्रिय कदम उठाए हैं। यह विभाग हिन्दी और अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में आवधिक रूप से विभिन्न प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोग कार्यक्रमों पर विज्ञापन प्रकाशित करता है और उद्योगों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है। उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास पर नई दिल्ली में वार्षिक रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2004-05 में उद्योगों के साथ और नजदीकी से संपर्क करने के लिए कोयमबटूर, इंदौर, भोपाल और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। अपनी शुरुआत से ही सीएसआईआर ने उद्योग को ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने पर काफी बल दिया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सीएसआईआर मुख्यालय और प्रयोगशालाओं दोनों स्थानों पर व्यापार विकास समूह विद्यमान हैं। ये समूह उद्योग के संपर्क में रहते हैं और इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
2.	इस समिति ने विज्ञान के प्रति छात्रों में रुझान और जागरूकता पैदा करने के लिए इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति संतुष्टि व्यक्त की है। यह समिति संस्तुति करती है कि मौलिक विज्ञानों के लिए फैलोशिपें प्रदान की जाएं क्योंकि बहुत कम छात्र इनमें रुचि दिखा रहे हैं। आशा है कि छात्रवृत्ति धारकों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा जा रहा है। (पैरा 32)	सीएसआईआर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्यरत संकाय-सदस्यों/वैज्ञानिकों के विशिष्ट मार्गदर्शन में अनुसंधान करने के लिए जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ), सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ), एसआरएफ (एक्सटेंडिड) और रिसर्च एसोसिएटशिप के रूप में युवा महिलाओं और पुरुषों को फैलोशिपें प्रदान करता है। सीएसआईआर 5 मौलिक विज्ञान विषयों यथा-जीव, रसायन, भू, भौतिकी और गणितीय विज्ञानों में लेक्चररशिप की पात्रता तथा पीएच.डी करने के लिए जूनियर रिसर्च फैलोशिप हेतु सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन करता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 जूनियर रिसर्च फैलोशिपें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मेधावी विज्ञान छात्रों को पीएच.डी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए लगभग 450 सीनियर रिसर्च फैलोशिपें और 100 रिसर्च एसोसिएटशिपें प्रदान की जाती हैं। सीएसआईआर ने हाल ही में सीएसआईआर-यूजीसी नेट अर्हता प्राप्त छात्रों में से चोटी के 20% छात्रों को मौलिक विज्ञानों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने, उसे पोषित एवं विकसित करने के लिए स्वयमप्रकार मुखर्जी फैलोशिप स्कीम प्रारम्भ की है। छात्रवृत्ति धारकों की प्रगति के व्यक्तिगत रिकार्ड रखे जा रहे हैं जो प्रगति रिपोर्ट पर आधारित हैं, उनकी फैलोशिपें का विस्तार/उन्नयन किया जाता है।	इस समिति ने नोट किया है कि अधिकतर छात्रवृत्तियां/फैलोशिपें छात्रों को उच्च स्तर अर्थात पीएच.डी/अनुसंधान स्तरों पर प्रदान की जाती हैं। यह समिति संस्तुति करती है कि छात्रवृत्तियां/फैलोशिपें प्रवेश स्तर अर्थात स्नातक स्तर पर प्रदान की जाएं और मूल विज्ञानों के प्रति नई पीढ़ी का रुझान पैदा करने के लिए इसे स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों तक बढ़ाया जाए। यह समिति यह भी संस्तुति करती है कि अगले कुछ वर्षों में फैलोशिप/छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। विभाग का उत्तर सीएसआईआर ने चोटी के युवा स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के लिए 10वीं योजना के दौरान विज्ञान में नेतृत्व हेतु अद्वितीय "हस्त ग्राह" कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रत्येक वर्ष सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा (दसवीं कक्षा) के चोटी के 100 विद्यार्थियों को सीएसआईआर के खर्च पर अपने माता अथवा पिता या एक अभिभावक/अध्यापक के साथ पूरे दो दिनों के लिए सीएसआईआर की समीपस्थ प्रयोगशाला का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य युवा छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक विश्व की जानकारी देना है ताकि छोटी आयु

1	2	3	4
			में ही उनमें वैज्ञानिक सोच का निर्माण किया जा सके। सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में फीजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विज्ञान विषयों आदि जैसे प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे छात्रों को, जो विज्ञान विषयों को जारी रखते हैं, स्नातक स्तर तक अन्य तीन वर्षों के लिए वर्ष में 14 सप्ताह के लिए उनकी रुचि को सीएसआईआर की प्रयोगशाला में परियोजना कार्य करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। सीएसआईआर "कैच दैम यंग" स्कीम के अंतर्गत दो वर्षों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर दो स्थानों पर विशिष्ट क्षेत्रों में "समेकित पीएचडी कार्यक्रम" को भी सहायता प्रदान कर रहा है। जूनियर रिसर्च फैलोशिप एम.एस.सी. की डिग्री प्राप्त करने के दो वर्षों के बाद, केवल एनईटी (जूनियर फैलोशिप तथा लैक्चरशिप हेतु पात्रता के लिए राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ही प्रदान की जाती है।
3.	यह समिति भारतीय एवं विदेशी पेटेंट प्राप्त करने में प्रथम स्थान इंगित करने लिए अग्रणी संस्थान के रूप में उभरने हेतु इस विभाग की सराहना करती है। यह समिति आशा करती है कि यह विभाग अपनी इस स्थिति को बनाए रखेगा। समिति को आशा है कि सीएसआईआर हमारे परम्परागत ज्ञान के प्रचीन सिद्धियों अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सक्रिय में सजग रहेगा। (पैरा 38)	स्थायी समिति की उपरोक्त टिप्पणी ने इस विभाग का उत्साह बढ़ाया है और सीएसआईआर भारतीय और विदेशी पेटेंट प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर रहने के प्रयासों को जारी रखेगा। वर्ष 2004-2005 के दौरान 450 भारतीय और 500 विदेशी पेटेंट आवेदनों को प्राप्त करने की आशा है। सीएसआईआर वैज्ञानिक कार्य-विधियों और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ-साथ हमारी परम्परागत ज्ञान प्रणाली के समकक्षता से कृषित मूल्य अभिवृद्धि करने वाले परम्परागत ज्ञान का भी पूर्ण सक्रियता से संरक्षण करेगा। सीएसआईआर भारत के परम्परागत ज्ञान में इसके हितों की सुरक्षा भी करता रहेगा।	यह समिति विशेषकर हमारे परंपरागत ज्ञानाधार का अतिक्रमण करने हेतु विदेशी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के मद्देनजर देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए सीएसआईआर द्वारा उठाए गए कदमों को सराहना करती है। यह समिति आशा करती है कि सीएसआईआर हमारे परंपरागत ज्ञान को स्वीकार करने के अपने अधिकारों का दावा करने और इसकी सुरक्षा करने हेतु अपने प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करेगा। इस दिशा में, यह समिति संस्तुति करती है कि सीएसआईआर को हमारे परंपरागत ज्ञान की काफी अधिक जानकारी रखने वाले ग्रामीणों से संपर्क करना चाहिए। विभाग का उत्तर पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं यथा अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन, स्पैनिश और जापानी में पेटेंट आवेदन फार्मेट में 14 प्राथमिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से 36,000 नुस्खों सृजित किए गए हैं। टीकेडीएल को आयुर्वेद में अतिरिक्त 23,000 नुस्खों और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में 77,000 नुस्खों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। टीकेडीएल आंकड़ाधार को सृजित करने का उद्देश्य भारत में मौजूद कोडीकृत परंपरागत ज्ञान आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में गलत पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को रोकना है। एनआईएससीएआईआर के दो जनरलों, इंडियन जनरल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज (आईजेटीके) और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट (एमएपी) को पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी (पीसीटी) मीनिमम के नॉन पेटेंट लिट्रेचर (एनपीएल) सूची में शामिल किया गया है। पहली बार किसी विकासशील देश से दो वैज्ञानिक जरनलों को एनपीएल सूची में सम्मिल किया गया है जिसमें पहले 12 देशों के

1	2	3	4
			142 बरनल थे। इन बरनलों में मौजूद सूचना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत पेटेंट प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से सुरक्षित होगी। राष्ट्रीय नवोन्मेष संघ (एनआईएफ) और सीएसआईआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि इनमें से किसी क्षेत्र अथवा संबंधित क्षेत्रों में निचले स्तर के नवोन्मेषों और परंपरागत ज्ञान के माध्यम से एनआईएफ के पास उपलब्ध रजिस्टर अथवा राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज समसामयिक एवं परंपरागत दोनों प्रकार के ज्ञान/नवोन्मेषों का मूल्यवर्धन किया जा सके। ऐसे समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन, अनौपचारिक विज्ञान का मिश्रण अनौपचारिक सृजनात्मकता और नवोन्मेष के साथ करके निचले स्तर के नवोन्मेषों को सशक्त बनाएगा। इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक अनुसंधान एवं विकास के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रीय प्रयास में भी गति आएगी। अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में काफी वैज्ञानिक क्षमताएं हैं, जिसे लोगों के ज्ञान और नवोन्मेषों के साथ मिलाए जाने पर माइक्रो स्तर पर रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा हो सकते हैं। 1. एनआरडीसी ने आईपीआर से जुड़े मुद्दों के बारे में आम जागरूकता के लिए आईपीआर पर प्रशिक्षण हेतु मल्टीमीडिया सीडी का हिंदी पाठ निकाला है। 2. एनआरडीसी ने आईपीआर पर अंग्रेजी में इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सीडी रोम तैयार किया है और विश्वविद्यालयों/संस्थानों आदि को 403 सीडी बेची हैं। इस मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव गाइड में कई घंटों की समृद्ध मीडिया, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन सामग्री है और साथ ही इसमें पूर्ण आईपीआर एक्ट्स, अधिनियम, संधियां, आंकड़े, उप संधियां, केस स्टडीज आदि से युक्त छह सौ सूचना के हजार से अधिक पृष्ठ सम्मिलित हैं।
यह समिति महसूस करती है कि इस विभाग को सभी चालू परियोजनाओं का निकटता से अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक ध्यान देना चाहिए और पूरी की गई परियोजनाओं के उन्नयन और अतिरिक्त विकास, यदि कोई हो, के लिए उनका विवेचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे आरम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। (पैरा 43)	सीएसआईआर की परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किए गए हैं और उपचारात्मक कार्रवाई यदि कोई हो, सम्यक समय पर अधिसूचित किए जाते हैं। उभरते हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं का लगातार विकास किया गया है और उन्हें प्रारम्भ किया गया है।	यह समिति मौजूदा परियोजनाओं का अनुवीक्षण करने और नई परियोजनाओं का विकास करने के लिए सीएसआईआर द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। इस समिति का यह विचार है कि किसी परियोजना की शुरुआत करने से पहले सभी परियोजनाओं को समग्र से पूरा किया जाना पूर्वापेक्षा बना दिया जाए। साथ ही उभरते हुए क्षेत्रों से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की भी जांच की जानी चाहिए और यथासंभव इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विभाग का उत्तर वर्ष 2004-05 के दौरान, डीएसआईआर ने इन परियोजनाओं को आगे जारी रखने की संस्तुति करने से पहले स्वतंत्र समितियों के माध्यम से निम्नवत पूर्ण परियोजनाओं का विवेचनात्मक मूल्यांकन किया। (1) प्रौद्योगिकी निर्यात विकास संगठन (2) अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यापार केन्द्र (3) कार्यशाला के माध्यम से निर्यातोन्मुखी एसएमई में आईपीआर जागरूकता सृजन।

1	2	3	4
			इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में एसएसई से निर्यात योग्य प्रौद्योगिकियों/परियोजनाओं के प्रोफाइलों को पूर्ण करने विषयक परियोजना की टीएसी द्वारा विश्लेषणात्मक जांच की गई और निधियन मानदंडों को मानकीकृत किया गया। सीएसआईआर अपने परियोजना अनुवीक्षण तंत्र का तत्पश्चात विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर रहा है। मुख्य बल डिलिवरेबल्स और निर्धारित समय के भीतर परियोजना लक्ष्यों को पूरा करने पर दिया गया है।
5.	यह समिति महसूस करती है कि विकसित राष्ट्रों की अनुसंधान क्षमताओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को नवोन्मेषी अवसंरचना और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। इस अवसंरचना को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए और विश्लेषण दीर्घावधि आधार पर किया जाना चाहिए ताकि आधुनिकीकरण हमारे वैज्ञानिक विकास में प्रभावशाली, सुचार के लिए सतत् प्रक्रिया बन जाए। इस समिति का विचार है कि विश्वविद्यालय को प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान के लिए मिल-स्तरीय अवसंरचना प्रदान की जा सके जिससे युवा छात्रों में और अधिक अनुसंधान करने के लिए रुझान को बनाए रखा जा सके। यह दीर्घावधि में वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति को सुनम बनाएगा। (पैरा 48)	सीएसआईआर विश्वविद्यालयों, आईआईटी और अन्यत्र प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं इत्यादि में कार्यरत प्रोफेसरों एवं वैज्ञानिकों को अनुसंधान अनुदान द्वारा कृषि एवं चिकित्सा सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। एक या उससे अधिक केमआरएफ, एसआरएफ और आरए, आकस्मिकताओं और उपस्करों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सीएसआईआर में विभिन्न अनुसंधान समितियां हैं जो अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करती हैं और उपस्करों सहित विविध शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान की मात्रा के अनुसार संस्तुतियां करती हैं। इसके अतिरिक्त, पत कुछ वर्षों में यूजीसी ने विभिन्न अवसंरचनाओं के उन्नयन के लिए अनेक स्कीमों को शुरुआत की है, यथा-विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता जैसी विभिन्न अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अनुदान (एसआईएसटी); उत्कृष्टता हेतु क्षमता वाले विश्वविद्यालय; अनुसंधान स्कीम को समर्थन देने हेतु अनुसंधान निधियन परिषद; राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान। इन स्कीमों को शुरुआत विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने व अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर की गई है।	यह समिति विश्वविद्यालयों स्तर पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु सीएसआईआर और यूजीसी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है। विभाग का उत्तर डीएसआईआर डीएसटी के टीआईएफएसी के साथ मिल कर प्रौद्यो-उद्यमी संवर्धन कार्यक्रम (टीईपीपी) का संकलन करता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के नागरिकों के नवोन्मेषी कौशलों का पता लगाना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना है ताकि वे प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमी (प्रौद्यो-उद्यमी) बन सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों सहित व्यक्तिगत नवोन्मेषकों के नवोन्मेषी परियोजना प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता में संबंधित अनुसंधान प्रयोगशालाओं/संस्थानों के साथ निर्माण सहायता और नेटवर्किंग शामिल है। टीईपीपी के अंतर्गत, यह विभाग अब विभिन्न तकनीकी संस्थानों में आउटसोर्सिंग केन्द्रों की स्थापना कर रहा है।
6.	यह समिति महसूस करती है कि भारत के वैज्ञानिक निकायों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ और अधिक संपर्क करने की आवश्यकता है और यदि औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुदान मिल-जुल कर कार्य करें तो दोनों एक-दूसरे की विशेषज्ञता से लाभान्वित होंगे। प्रौद्योगिकी के इस युग में सीएसआईआर को इस बात की प्रतीक्षा किए बिना कि प्रयोक्ता की तलाश हेतु उद्योग उससे संपर्क करेगा उद्योग से संपर्क करने के लिए उसे पूर्ण सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (पैरा 56)	इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को यथेष्ट रूप में मान लिया गया है। जैसा कि क्रम सं. 1 में उल्लेख किया गया है सीएसआईआर ऐसा एकमात्र संगठन है जो उद्योग के साथ सहज संबंधों का निर्माण करने के लिए विकास के आरम्भिक स्तर से ही उद्योग के साथ संबंध स्थापित करता है। अपने सदस्यों को सीएसआईआर के विकासों की जानकारी देने के लिए उद्योग संघों के साथ विशेष समझौते किए गए। सीएसआईआर एक नई नवोन्मेषी स्कीम-नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) का प्रबंधन करता है, यह स्कीम पूर्व सक्रिय रूप से भावी प्रौद्योगिकी की ओर देखती है। अत: यह सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अकादमियों और निजी उद्योग की सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ सहकर्य करते हुए भारत को नेतृत्व दिलाने और उसे उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रयास करती है।	यह समिति आशा करती है कि सीएसआईआर उद्योग के साथ संबंध में स्थापित करने के लिए सतत प्रयास करेगा ताकि सीएसआईआर की तकनीकी विशेषज्ञता उद्योग को अंतरित की जा सके।

1	2	3	4
7.	यह समिति स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर बल देने के लिए इस कंपनी के प्रयासों को सराहना करती है। किन्तु इस समिति का यह मानना है कि इस विभाग को यह देखने के लिए प्रयास करने चाहिए कि यह कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन के कार्यक्रमों को सशक्त रूप से कार्यान्वित कर रही है। (पैरा 61)	एनआरडीसी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का विकास और संवर्धन करता आ रहा है। देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण (आरटीडीटी) केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता को प्रदर्शित किया जा सके और नेटवर्क के माध्यम से उनके तीव्र प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके। अब तक इस निगम ने देश के विभिन्न भागों में 57 आरटीडीटी केन्द्रों की स्थापना की है। साथ ही 23 अगस्त, 2004 को संपोषणीय विकास हेतु प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीटीएसडी) के तत्वावधान में फरीदाबाद में एक नया आरटीडीटी केन्द्र खोला गया है तथा वर्ष 2004-05 में 2-3 आरटीडीटी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनआरडीसी की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के संवर्धन में उत्कृष्टता दिखाने वाले आरटीडीटी केन्द्रों में 5 सिम्प्यूटर अधिष्ठापित करने का भी प्रस्ताव है। इस निगम ने गुवाहाटी में ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रदर्शनी में भाग लिया और वर्ष 2004-05 में 2 ग्रामीण प्रदर्शनियों में भाग लेने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निधियन से आईआईटी, दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं आकस्मिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी कारवां के माध्यम से ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु एक कार्यक्रम के निधियन के लिए निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय और डीएसटी में सचिव, विज्ञान सोसाइटी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	समिति यह महसूस करती है कि नई प्रौद्योगिकियों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुत कम पहुंचता है। समिति यह आशा करती है कि यह विभाग ग्रामीण जनता के साथ संपर्क सत्रों में वृद्धि करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का व्यापक और तीव्र प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में सभी लंबित प्रस्तावों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। **विभाग का उत्तर** यह निगम समय-समय पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (आरटीडीटीसी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहा है और उनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय भी कर रहा है। डीएसआईआर द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डिवलेपमेंट (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा, उत्तर प्रदेश में "सैटिंग अप रूरल इन्क्यूबेटर" हेतु प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जो कि वर्ष 2005-06 के दौरान कार्य करना आरंभ कर देगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए ग्रामीण जनता के साथ व्यापक संपर्क को सुनिश्चित करेगा। यह निगम उभरते हुए नए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का अभिनिर्धारण करने हेतु अब संयुक्त प्रयास कर रहा है और ग्रामीण विकासात्मक एजेंसियों के साथ सुदृढ़ संबंध बना रहा है ताकि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के लाभ ग्रामीण जनता तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें।
8.	यह समिति वैय ईंधनों के विकास के लिए इस विभाग की सराहना करती है। इस समिति का मानना है कि नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधनों की व्यापक किस्मों को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे न केवल पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी, अपितु इससे हमारे नगरों में प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलेगी। यह समिति चाहती है कि यह विभाग अपशिष्ट पदार्थों और अन्य गैर-जैव-निम्नीकरणीय पदार्थों, अन्यथा जिससे पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है, से ईंधन का विकास करने हेतु अनुसंधान करे। (पैरा 64)	सीएसआईआर अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं विशेषकर आईआईपी के माध्यम से नए ईंधनों विशेषकर हाइड्रोजन और वैय ईंधनों के क्षेत्र में परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। अपशिष्ट पदार्थों से वैकल्पिक ईंधनों का विकास करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी केन्द्रित किया जाएगा जिनमें खाद्येतर तथा प्लास्टिक, वनस्पति तेल, शर्करा, स्टार्च और सैल्यूलोज से वैय निम्नीकरणीय स्यूक्रिकेन्टस और वैट्रोल्ज करकस तेल से वैय डीजल शामिल है।	इस बात के मद्देनजर के नगरों में जनित अपशिष्ट पदार्थों की वृहत मात्रा के कारण गंभीर पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है और अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात करने हेतु देश को अपने अल्प विदेशी मुद्रा संसाधनों को खर्च करना पड़ रहा है, यह समिति महसूस करती है कि अपशिष्ट पदार्थों से वैकल्पिक ईंधनों का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। **विभाग का उत्तर** सीएसएमसीआरआई सौर ताप ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रमण पर भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह ऊर्जा की अपशिष्ट किस्मों, जैसे स्थिर डीजल ईंजनों से ताप ऊर्जा और व्युत्क्रम परासरण संयंत्रों से अस्वीकृत अपशिष्ट जल में हाइड्रोलिक ऊर्जा, को प्राप्त करने से संबंधित कार्य को भी देख रहा है। आईजीआईबी में शहरी कचरों में सम्भावी अपशिष्ट से हाइड्रोजन के उत्पादन पर किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम आशाजनक रहे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस)

1	2	3	4
			के समक्ष दिसंबर 28 जनवरी, 2005 को जैव अपशिष्टों से एक वैकल्पिक ईंधन उत्पादन हेतु सूक्ष्मजीवों का अन्वेषण एवं दोहन विषयक विस्तृत परियोजना प्रस्तुत की गई। एनबीआरआई बैंगलोर करकस और अन्य ठोस स्टॉक से उर्वरक और जैव ईंधनों हेतु उर्वरक, बायोमास के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने की और संबंधित अनेक कार्यक्रमों पर कार्य कर रहा है। एनबीआरआई उद्योग/राज्य सरकार को परामर्श सेवा भी उपलब्ध करा रहा है ताकि वे अन्यथा पर्यावरणीय क्षति करने वाले अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल कर सकें; उपलब्ध और अक्षय निम्नीकृत मृदाओं से अपेक्षित (गुणवत्ता और मात्रा) बायोमास का इष्टतम उत्पादन कर सकें; उद्वन रोध का उपयोग कर सकें; लैंडफिलों का फाइटोरिमिडेशन कर सकें और अकार्बनिक अपशिष्टों से बायोमास का इष्टतम उत्पादन कर सकें। एनबीआरआई ने औद्योगिक अनुप्रयोग वाले ट्राइकोडर्मा जैसे उपयोगी सहजीवियों के संवर्धन के लिए अपशिष्टों का उपयोग करने हेतु प्रोटोकॉलों का विकास किया है। कवकीय पर्याक्रमण के नियंत्रण हेतु बड़ी मात्रा में ट्राइकोडर्मा का उत्पादन किया जाता है। बैंगलोर करकस से जैव डीजल का विकास करने के लिए एनबीआरआई गुणवत्तायुक्त बीजों और पादप सामग्री के उत्पादन से प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में बैंगलोर करकस से बायो डीजल का विकास करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है. साथ ही यह सूखा सहा और तैयार कृषि योग्यभूमियों, निष्कर्षणों का भी विकास कर रहा है और डीजल के रूप में उपयोग किए जाने वाले तेल का परिवर्तन भी कर रहा है। ईंधन के लिए बैंगलोर करकस की खेती के लिए यह टाटा इत्यादि उद्योग को तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। विभाग ने 195.85 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर, जिसमें डीएसआईआर का हिस्सा 85 लाख रुपये है, ग्रामीण स्तर पर नगरों के ठोस अपशिष्टों से उन्नत कार्बनिक खाद के लिए नवोन्मेषी उपस्कर डिजाइन, विकास और प्रदर्शन के लिए भारतीय फर्म की परियोजना को सहायता प्रदान की है। यह परियोजना मुख्यत: इनक्लोज्ड ऐक्टिवेटेड कॉम्पोस्टिंग बेड जो ऐसा इन-वैसल प्रणाली है जो अभी तक न भारत में प्रारंभ हुई है अथवा न विकसित हुई है, में जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक खाद में बदलने के लिए बायो-कॉम्पोस्टिंग प्रक्रिया पर केन्द्रित है।
9.	उक्त समस्या का निपटान करने के लिए इस समिति का यह मत है कि आरबीआईसी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नगरीकरण सहयोग से देश में	आम जनता और औद्योगिक घरानों को सरकार के परामर्शदात्री/सीख केन्द्र/मूलकर्म से होने वाली प्रत्यूर्जता पर	यह समिति आशा करती है कि देश के विभिन्न मेट्रो शहरों में वायवीय प्रत्यूर्जकों के सतत अनुवीक्षण के लिए इस

1	2	3	4
	विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में वायवीय प्रत्यूर्वकों और मानव स्वास्थ्य पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना की शुरुआत करनी चाहिए ताकि देश में प्रदूषकों के सतत अनुवीक्षण से दीर्घावधि में परिवेशी वायु में उनके सान्द्रण में काफी अधिक कमी की जा सके। (पैरा 68)	कार्य आरम्भ किया जा चुका है। श्वसन रोगों से पीड़ित रोगियों में डीएनए एसपीसी (सरसों) के प्रदूषकों/प्रदूषण उत्प्रेरकों हेतु अंत: फेफड़े तथा अंत: जीवे विधियों के माध्यम से इसके प्रसार और सुग्राहीकरण के लिए सरसों के खेतों में प्रदूषकण का पर्यावरणीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। दिल्ली में दमे के रोग से पीड़ित बच्चों में "आंतरिक फेफड़ीय प्रत्यूर्वक" की भूमिका। जिन अनेक घरों का सर्वेक्षण किया गया उनके भीतर से फेफड़ी प्रचलित पाई गई। फेफड़े के पूर्व सुग्राहीकरण अन्वेषण से प्रत्यूर्वकताओं के निरोधात्मक प्रबंधन में सहायता मिलेगी। औद्योगिक संकट के रूप में सरसों (तेल देने वाली एक आम फसल) की प्रत्यूर्वता पर अध्ययन करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे वित्तीय सहायता के लिए जल्दी ही पर्यावरण में वन मंत्रालय भेजा जाएगा। संसदीय समिति की संस्तुति के अनुसार देश के विभिन्न मैट्रो शहरों में वायवीय प्रत्यूर्वकों के सतत अनुवीक्षण के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट परिहार्य रणनीति के रूप में प्रस्तुत की जाएगी ताकि इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रत्यूर्वता के रोगियों और चिकित्सकों को सूचना उपलब्ध कराई जा सके।	परियोजना को सैद्धांतिक अंतिम रूप दिया जाए तथा इसे गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए। विभाग का उत्तर आईसीआईसी द्वारा "किसानों और औद्योगिक कामगारों में सरसों की विभिन्न प्रजातियों के सुग्राहीकरण का मूल्यांकन" नामक परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 9 अक्टूबर, 2004 को प्रस्तुत की गई है। देश के विभिन्न मैट्रो शहरों में वायवीय प्रत्यूर्वकों के सतत अनुवीक्षण के लिए एक विस्तृत परियोजना भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।
10.	इसके अलावा इस समिति की यह राय है कि चूंकि जीवाणु में जैविक अपशिष्टों के निम्नीकरण की क्षमता है। अत: इससे प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकती है। अत: इस संस्थान में किए जाने वाले कार्य में शहरों के बाजारों में होने वाले सब्जी एवं फल अपशिष्टों के वातनिरपेक्षी निपटान पर बल दिया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण अनुवीक्षण प्रबंधन प्रणालियों और उपकरणों के माध्यम से औद्योगिक अपशिष्टों को कम किया जा सके और साथ ही साफ-सफाई भी रखी जा सके। (पैरा 69)	अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की एक पेय पदार्थ कंपनी हेतु एल्कलाइन अपशिष्ट जल के निष्पादन के लिए तकनीकी जानकारी का अब उन्नयन किया जा रहा है। विशिष्ट जीवाणुक कंसोर्टियम का उपयोग करते हुए इन पेय पदार्थ संयंत्रों से एल्कलाइन अपशिष्ट जल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था। लुगदी एवं कागज उद्योग के लिए एंड ऑफ पाइप उपचार तथा प्रदूषण के निम्नतम स्तर दोनों के लिए कार्य आरंभ किया जा रहा है। लुगदी का निक्षालन करने के लिए जीवाणु का अन्वेषण किया जा रहा है। इस प्रकार इससे क्लोरीन डाइआक्साइड जैसे रसायनों द्वारा निक्षालन को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने शहरों के बाजारों के जैविक अपशिष्टों और सीवेज अपशिष्ट जल के वातनिरपेक्षी निपटान पर कार्य आरंभ किया है। एक दो वर्षों तक सतत रूप से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्रायोगिक संयंत्र प्रदर्शन किए गए हैं। पहले भी सीवेज अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया दिल्ली सरकार को प्रदर्शित की जा चुकी है। अपशिष्ट जल प्रबंधन का मुद्दा विभिन्न स्थलों पर क्रियान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।	यह समिति इस तथ्य पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करती है कि इस विभाग ने जैविक अपशिष्टों के वातनिरपेक्षी निपटान के लिए पहले से ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और इसे आशा है कि ऐसी कार्रवाई संपूर्ण देश में प्रारंभ की जाएगी।
11.	समिति को यह जान कर खुशी हुई कि पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी में इस संस्थान के कार्यक्रम में वातनिरपेक्षी निपटान द्वारा बड़िहरबों तथा जैविक अपशिष्टों के अनुवीक्षण और उपचार की तकनीकी जानकारी के विकास हेतु परियोजनाएं भी शामिल हैं। समिति को यह बताया गया है कि अपशिष्ट जल में प्रदूषण भार अर्थात जैविकीय तथा रासायनिक आक्सीजन मांग अर्थात-बीओडी और सीओडी के अनुवीक्षण हेतु जानकारी भी आईसीआईसी द्वारा विकसित की	जल में डीओडी के अनुवीक्षण हेतु बीओडीएसईईडी की तकनीकी जानकारी को पहले ही बाजार को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस जानकारी को बीओडी विश्लेषण में उपयोगार्थ भारतीय मानक ब्यूरो में शामिल किया गया है। सीपीसीबी, दिल्ली द्वारा भी समावेश हेतु प्रयास किए गए। पेय पदार्थ उद्योग जैसे किसी विशिष्ट उद्योग के लिए	यह समिति बीओडीएसईईडी प्रौद्योगिकी विकसित करने और इसे बाजार को हस्तांतरित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है।

1	2	3	4
	गई है। इस तकनीकी जानकारी को बीआईओएआईडी का नाम दिया गया है तथा देश में 7 वर्षों द्वारा वैध उपाय के बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। (पैरा 70)	बीओडी वैध संकेती तैयार किया गया है जोकि आने दिन में प्रदूषण भार को मात्र सकता है चाहे दिन के किसी भी समय में अपशिष्ट जल के संचेचन में विभिन्न भी उतार-चढ़ाव क्यों न हों। इसे बाजार में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण अनुवीक्षण प्रशमन प्रणालियों और उपकरणों पर सीएसआईआर की कार्यदल परियोजना में डेरी विशिष्ट बीओडी वैध संकेती का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी परियोजना में प्रदूषक विशिष्ट वैध संकेतियों पर अनुसंधान करने की भी परिकल्पना की गई है।	विभाग का उत्तर बीओडीएईडी आईसीआईसी द्वारा विकसित ऐसा संपर्वन क्षेत्र है जो संपूर्ण देश की लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले बीओडी परीक्षणों के लिए इनवीकमूली करने के लिए उपयुक्त है।	
12.	यमुना नदी घोरू और औद्योगिक अपशिष्टों से लगातार प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी में प्रतिदिन लगभग 2700 मिलियन लीटर घोरू सीवेज डाला जा रहा है जिसका 60 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा यमुना नदी में अनुपचारित ही जाता है। नदी में 300 एसटसडी अनुपचारित औद्योगिक सीवेज के डिस्चार्ज से यह समस्या और भी अधिक जटिल हो गई है। (पैरा 71)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु 28 औद्योगिक क्षेत्र में 14 सीईटीपी स्थापित करने थे। एनईईआरआई ने इन सीईटीपी की स्थापना हेतु सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। सर्वोच्च न्यायालय की अनुवीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीईटीपी की कमीशनिंग को गति प्रदान करने के लिए एक पर्यवेक्षी समूह का गठन किया गया तथा एनईईआरआई दीएसआईडीसी को सहायता उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अनुरोध पर एनईईआरआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2003 में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना संबंधी अध्ययन पूरा किया।	इस समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीईटीएस की कमीशनिंग की धीमी गति पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त यह समिति महसूस करती है कि बजाय इसके कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करे अथवा निदेश दे, इस विभाग को स्वयं कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। विभाग का उत्तर एनईईआरआई दिल्ली में दीएसआईडीसी द्वारा बनाए गए 10 सीईटीपीएस की कमीशनिंग में डीएसआईडीसी और डीपीसीसी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। इस संस्थान के वैज्ञानिक दिल्ली में सीईटीपीएस की शीघ्र कमीशनिंग के लिए सहायक अपशिष्ट विषयक सर्वोच्च न्यायालय अनुवीक्षण समिति द्वारा गठित पर्यवेक्षी समूह की भी सहायता कर रहे हैं। एसएमए, जी.टी. करनाल रोड और मंगोलपुरी के सीईटीपीएस की समस्या का समाधान एनईईआरआई द्वारा किया गया है।	
13.	अत: यह समिति मानती है कि सीवेज अपशिष्ट जल के उपचार हेतु वातनिरपेक्षी निपटान की विधि निःसंदेह वातनिरपेक्षी निपटान विद्युत का एक बेहतर वैकल्पिक अनुप्रयोग है। इस समिति की राय है कि इस सस्ता, ठोस और सस्ती प्रौद्योगिकी से प्रतिदिन 3000 (थ्रीएस) सीवेज अपशिष्ट जल का उपचार करना तथा बीओडी तथा सीओडी प्रदूषण भार को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाना संभव होगा। (पैरा 72)	दिल्ली सरकार ने सीवेज अपशिष्ट जल से वैधिक अपशिष्टों के वातनिरपेक्षी निपटान संबंधी कार्य आरम्भ किया है। लगभग 1-2 वर्षों के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर प्रायोगिक संयंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। चाहते भी दिल्ली सरकार को सीवेज अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया था। विभिन्न स्थलों पर क्रियान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष अपशिष्ट जल प्रबंधन का मुद्दा प्रस्तुत किया गया है।	यह समिति आशा करती है कि सीवेज के अपशिष्ट जल के वातनिरपेक्षी निपटान जैसे वैज्ञानिक उपाय संपूर्ण देश के सभी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों पर तीव्रातितीव्र प्रारंभ किए जाने चाहिए। विभाग का उत्तर सीवेज का वातनिरपेक्षी निपटान बहुत-बड़ा अभिगम है तथा कानपुर और भिवांडुर में सीवेज का वातनिरपेक्षी उपचार करने के लिए अपफ्लो इर्नरोबिक स्लज ब्लैंकेट (यूएसबी) प्रौद्योगिकी का पहले से ही उपयोग किया गया है। तथापि, यह उपचार हमेशा उचित प्रणाली का नहीं होता और कुछ परिस्थितियों के तहत वातनिरपेक्षी निपटान को वायवीय उपचार के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है।	

1	2	3	4
14.	इस समिति को यह भी बताया गया है कि इस समय बीओडी आकलन के लिए परम्परागत विधियों में लगने वाले पांच दिवसों की बजाय दस मिनटों में बीओडी के तुल्य आकलन हेतु प्रदूषण संवेदी बीओडी जैव संवेदी का विकास करने के लिए आईजीआईबी में अनुसंधान कार्य चल रहा है। अत:, विकसित यह जानकारी प्रदूषण भार का अनुवीक्षण और अधिक शुद्ध व तीव्रता से करने के लिए मौजूदा विधि का उन्नयन है। इस संस्थान ने जैव प्रौद्योगिकीय अभिगम द्वारा टीडीएस में 10 प्रतिशत तक की कमी की सफलता हासिल कर अपशिष्ट जल प्रबंधन की अब तक अनसुलझी समस्या टेटल डिसलैण्ड लिमिटेड (टीडीएल) रिजवान में अनुसंधान भी आरम्भ किया है। (पैरा 73)	आईजीआईबी ने पेय पदार्थ उद्योग जैसे किसी विशिष्ट उद्योग के लिए बीओडी जैव संवेदी तैयार किया गया है जोकि आने दिन में प्रदूषण भार को मात्र सकता है चाहे दिन के किसी भी समय में अपशिष्ट जल के संयोजन में कितना भी उतार-चढ़ाव क्यों न हों। इसे बाजार में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण अनुवीक्षण प्रशमन प्रणालियों और उपकरणों पर सीएसआईआर की कार्यदल परियोजना में डेरी विशिष्ट बीओडी जैव संवेदी का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी परियोजना में प्रदूषक विशिष्ट जैव संवेदियों पर अनुसंधान करने की भी परिकल्पना की गई है। टीडीएस में 10 प्रतिशत से अधिक कमी करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।	इस समिति ने इस उत्तर को नोट किया है तथा यह आशा करती है कि प्रदूषक विशिष्ट बायोसेंसर्स पर अनुसंधान की गति को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विभाग का उत्तर सीएसआईआर के नेटवर्क वाले कार्यदल की "प्रदूषण अनुवीक्षण प्रशमन प्रणालियां एवं उकरण" विषयक परियोजना के तहत आईजीआईबी में प्रदूषक विशिष्ट बायोसेंसर्स संबंधी अनुसंधान कार्य को तीव्र पूर्ण किया जा रहा है।
15.	यह समिति इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि इस संस्थान का पर्यावरणीय बैक्टीरियोलिजीय अनुसंधान विशेष रूप से नगरों के बाजारों के अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन और नियंत्रण तथा निपटान, अपशिष्ट जल में प्रदूषण भार का अनुवीक्षण करने के लिए टीडीएस की कमी और बीओडी व सीओडी आकलन हेतु अपशिष्ट जल उपचार तथा बीमारियों के प्रबंधन, उपचार और अनुवीक्षण के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। (पैरा 74)	एनईईआरआई औद्योगिक अपशिष्ट न्यूनतमीकरण तथा स्वच्छता और प्रदूषण अनुवीक्षण प्रशमन प्रणालियों तथा उपकरण विषयक दो कार्यक्रम नेटवर्क मोड में आरम्भ कर रहा है। एनईईआरआई इस समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में अपनी सलाह और तकनीकी सहायता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली और डीएसआईआर को देगा।	यह समिति इस तथ्य पर संतुष्टि व्यक्त करती है कि आईजीआईबी अपशिष्ट जल प्रबंधन समस्या का समाधान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु कार्य कर रहा है। विभाग का उत्तर एनईईआरआई अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।
16.	अत: यह समिति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को यह संस्तुति करना चाहती है कि वह देश में परिवेशी वायु जैव-प्रदूषक संदूषकों के नियंत्रण और शहरों के बाजारों के अपशिष्ट दोनों सहित एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम विकसित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से संभावनाओं का दोहन करे ताकि अपशिष्ट प्रबंधन और नियंत्रण के पूर्ण मुद्दे को एक नया आयाम दिया जा सके। (पैरा 75)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय औद्योगिक अपशिष्ट न्यूनतमीकरण एवं स्वच्छता विषयक नेटवर्क कार्यक्रम में सीएसआईआर के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट न्यूनतमीकरण एवं वायु में जैव प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अध्ययन आरंभ कर रहा है। सीएसआईआर की कुछ प्रयोगशालाएं भी इन अध्ययनों में भाग ले रही हैं। ये क्षेत्र निम्नवत हैं: • वायु एवं जल प्रदूषण का प्रभाव और मानव स्वास्थ्य। • जैव मूल्यांकन और जैव अनुवीक्षण। • जैव उपचार। • औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचारनीयता अध्ययन। • कॉमन प्वाइंट स्रोतों से प्रदूषण उपशमन। • पर्यावरण मैपिंग एवं आकलन। • नदियों के समस्याग्रस्त/प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरण गुणवत्ता की पुन: बहाली की विधि। • जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन। उत्पादन की स्वच्छ प्रौद्योगिकी। • प्रदूषण नियंत्रण और उपचार प्रौद्योगिकी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपशिष्ट न्यूनतमीकरण और परिवेशी वायु आदि में जैव प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।	यह समिति आशा करती है कि व्यापक अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली का विकास करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संस्तुति को अंतिम रूप दिया जाए।

1	2	3	4
17.	इस समिति का मत है कि इसके पर्यावरण अनुकूल महत्व के मद्देनजर आईसीआईसी द्वारा ऐसी प्लास्टिकों के उत्पादन हेतु और अधिक प्रभावी अनुसंधान किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिकों के उत्पादन के ज्ञान के नए क्षेत्रों का दोहन किया जा सके और इस संपूर्ण मुद्दे को एक नया आयाम दिया जा सके। (पैरा 77)	आईसीआईसी में एक परियोजना के तहत जैवक्षुद्र प्लास्टिक जैसे बैक्टीनीकरणीय प्लास्टिक पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है।	यह समिति महसूस करती है कि अ-बैक्टीरीय प्लास्टिक द्वारा होने वाली पर्यावरणीय आपदा के मद्देनजर बैक्ट निम्नीकरण प्लास्टिक विषयक कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। विभाग का उत्तर नवीन प्रौद्योगिकी और बैक्ट परिवर्तन क्रम हेतु भारत की सूक्ष्म बैक्टिक संपदा के अन्वेषण एवं दोहन विषयक सीएसआईआर के नेटवर्क वाले कार्यदल के तहत आईसीआईसी में जैवक्षुद्र प्लास्टिक पर अनुसंधान एवं विकास कार्य आरंभ किया गया है और इसे गति प्रदान की जा रही है। बैक्ट निम्नीकरणीय प्लास्टिक (पॉली हाइड्रॉक्सीब्यूटीरेट) पर आम एप्लीकेशन्स में कार्य किया गया है।
18.	ऐसे देश में जहां जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग निरक्षर है वहां वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना आसान कार्य नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकासों और लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन पर इन विकासों के प्रभाव के मद्देनजर लोगों के मन में वैज्ञानिक सोच और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को पैदाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इससे लोगों को सही चुनाव करने में मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में विज्ञान की लोकप्रियता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः समिति का मत है कि लोगों के मन में वैज्ञानिक सोच पैदाना इस विज्ञान की प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। (पैरा 79)	सीएसआईआर अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं और विशेष रूप से एनआईएससीएआईआर के माध्यम से लोगों के मन में वैज्ञानिक सोच पैदाने और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। लोकप्रिय ज्ञान संप्रेषण विकास कार्यक्रमों में से एक विज्ञान में नेतृत्व हेतु सीएसआईआर युवा कार्यक्रम (सीवीवाईएसएस) के अंतर्गत सीवीएसई, आईवीएसई तथा इग्नू बोर्ड परीक्षा के चोटी के 50 छात्रों को उनकी पसंद के क्षेत्रों में प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कार्यक्रम विज्ञान विषय के प्रति बच्चों में रुझान को बढ़ावा देने और उनमें वैज्ञानिक सोच का सृजन करने के लिए विज्ञान में स्नातक स्तर तक का एक इस तरह कार्यक्रम है। प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा अपने और सीएसआईआर के स्थापना दिवसों के अवसर पर मनाए जाने वाले 'ओपन डे' पर लोगों से सीधा संपर्क किया जाता है। प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए स्कूली बच्चों एवं सीएसआईआर के अन्य कर्मचारियों के दौरों का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (एनआईएससीएआईआर) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकासों के बारे में विश्वसनीय जानकारी के सृजन के मैन्डेट के साथ विशेष रूप से कार्य कर रहा है। अनेक विज्ञान जनरलों एवं लोकप्रिय विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त सीएसआईआर द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय विज्ञान जनरलों में अंग्रेजी में साइंस रिपोर्टर, हिन्दी में विज्ञान प्रगति तथा उर्दू में विज्ञान की दुनिया सम्मिलित है। एनआरडीसी दो लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं नामतः आविष्कार एवं एनवेंशन इंटिलिजेंस का प्रकाशन करता है। आम आदमी में इनकी व्यापक पहुंच बनाने के लिए इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। एनआरडीसी ने आम आदमी को बौद्धिक सम्पदा के प्रति जागरूक बनाने के लिए आईपैआर पर प्रशिक्षण देने के लिए मल्टी मिडिया सीडी का हिन्दी पाठ भी निकाला है।	समिति इस उत्तर पर ध्यान देती है और आशा करती है कि विशेष रूप से युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। विभाग का उत्तर संचार प्रशिक्षण एवं प्रेरण तथा विज्ञालयों एवं कॉलेजों को अंगीकार करने विषयक सीएसआईआर कार्यक्रम। छात्रों एवं बच्चों के मन में वैज्ञानिक सोच को पैदाने में योगदान देने तथा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एनआईएससीएआईआर द्वारा एक स्कूल एवं एक कॉलेज को अंगीकार करना।

(दो) महासागर विकास विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 128वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*मैं, दिनांक 28 सितंबर 2004 के राज्य सभा के समाचार भाग-2 द्वारा जारी राज्य परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेश के अनुसार महासागर विकास विभाग की अनुदान मांगों (2004-2005) पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति के 128वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

स्थायी समिति ने महासागर विकास विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपना प्रतिवेदन 26 अगस्त, 2004 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया और इसे 26 अगस्त, 2004 को लोक सभा के पटल भी रखा गया।

स्थायी समिति के 128वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 22 सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और स्थायी समिति के विचारार्थ की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (एटीआर) तैयार किए गए। स्थायी समिति ने नौ सिफारिशों के संबंध में की-गई-कारवाई को नोट किया/उनकी सराहना की। ध्रुवीय विज्ञान (अंटार्कटिक अनुसंधान) से संबंधित एक सिफारिश (संख्या-2) में स्थायी समिति गैर-आवासीय और प्रतिकूल स्थितियों में अब तक किए गए अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता से पूरी तरह संतुष्ट थी। तथापि, स्थायी समिति ने अंटार्कटिक हिम विज्ञान, ओजोन छिद्र संबंधी मामलों, तीन पर्वतों का भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिक अन्वेषण, अंटार्कटिक रोगाणुओं, अंटार्कटिक प्रदूषण, क्रिल जीव विज्ञान और ध्रुवीय ज्योति प्रवृत्ति जैसे क्षेत्रों में आधारभूत और गहन अनुसंधान करने की जोरदार सिफारिश की। स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए इन क्षेत्रों में अनुसंधान आदेशित/अनुमोदित अंटार्कटिक कार्यक्रम के अनुसार पहले ही किया जा चुका है/किया जा रहा है।

* स्थायी समिति ने शेष 12 सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।

* स्थायी समिति ने अपने 128वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी 22 सिफारिशों संबंधी की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन पर विचार किया और 17.3.2005 को दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए अपने 138 वें प्रतिवेदन में अपने विचार पेश किए। स्थायी समिति द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस संबंध में कार्य जारी है।

अपराह्न 12.04½ बजे

(तीन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

*मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन पर संसदीय स्थायी समिति (पी एस सी) की 133वीं रिपोर्ट में की-गई-सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य राज्य सभा बुलेटिन-भाग-2, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी राज्य सभा (काउंसिल आफ स्टेट्स) प्रक्रिया एवं कारोबार संचालन नियमावली के नियम 266 के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन पर स्थायी समिति ने इस संबंध में अनुदान मांगों पर समिति (2004-05) की 125 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई पर अपनी 133वीं रिपोर्ट राज्य सभा में 17 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत की और उसे लोक सभा में 17 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया गया। समिति की 125वीं रिपोर्ट में कुल 10 (दस) सिफारिशें की गई थीं। यह सिफारिशें भूकम्प विज्ञान नुकसान पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय क्षमता का स्तरोन्नयन; औषधि एवं भेषज—आम बीमारियों के उपचार के लिए पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक औषधियों का उपयोग; आर्य भट्ट प्रेक्षणात्मक विज्ञान अनुसंधान संस्थान की अवसंरचना का स्तरोन्नयन; मानसून की विचित्रता को सुलझाने तथा मानसून के सटीक पूर्वानुमान के लिए मिशन मोड कार्यक्रम; चिकित्सकीय उपचार के लिए लागत-प्रभावी

* वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2237/05

* वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2238/05

[श्री कपिल सिब्बल]

यंत्रों का विकास करने; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रियकरण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहनों एवं अवसरों के क्षेत्रों में थीं। समिति की सभी 10 सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विचार किया गया है। समिति को इन सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया गया। इन रिपोर्टों पर समिति की टिप्पणियों को भी कार्यान्वित कर लिया गया है। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

भूकम्प विज्ञान (मिशन मोड परियोजना)

भूकम्प विज्ञान पर मिशन मोड परियोजना के अधिकांश क्रियाकलापों का उद्देश्य भूकम्प से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। भूकम्पनीयता कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रों जैसे क्षेत्र-5 तथा क्षेत्र-6 में भूकम्पीय गतिविधियों को मानीटर करने के लिए कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में और अधिक उपस्कर लगाने हेतु भी कार्रवाई शुरू की गई है।

बांस के अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन

इस मिशन के उद्देश्यों को जारी रखने के क्रम में बांस आधारित प्लाईवुड के नए रूप तैयार किए गए हैं और अब यह वाणिज्यक रूप से उपलब्ध हैं। इस पदार्थ का उपयोग माड्यूलर प्री-फैब्रिकेटिड हाऊसिंग में होता है जो अब बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए उपलब्ध है। मिशन द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए बांस के स्लीवरों की यांत्रिक रूप से बुनाई के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज भी तैयार किए गए हैं। मिशन द्वारा सहयोग प्रदान की गई पहली वाणिज्यिक इकाई के शीघ्र ही स्थापित होने की संभावना है। बांस के रेशों तथा बांस के कणों को उपयोग कर थर्मोप्लास्टिक्स के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकियों का पता लगाया जा रहा है। फ्लाई एश जैसे मृदा में सुधार का उपयोग कर निदर्शनात्मक रोपणों की भी स्थापना की जा रही है। मिशन द्वारा बांस के कॉपलों के प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक स्तर पर तथा समुदाय/ग्राम स्तर के उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास किया गया है। दो प्रसंस्करण इकाईयां, एक दीमापुर में तथा दूसरी जोरहट में स्थापित की जा रही हैं। सामुदायिक स्तर के प्रौद्योगिकी पैकेज को 24 स्थानों पर प्रदर्शित किया गया और इसको व्यापक प्रतिक्रिया मिली।

औषधि एवं भेषज

विभाग द्वारा मवेशियों के लिए औषधि विकास सहित आधुनिक तथा भारतीय पद्धति, दोनों प्रकार की औषधियों के लिए और अधिक उद्योग सांस्थानिक भागीदारी युक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के प्रयास जारी रखे गए। वर्ष 1994-95 से 100 करोड़ रु. की लागत वाली ऐसी 70 संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है जिसमें से 40 करोड़ रु. का डी.एस.टी. का हिस्सा शामिल हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान वित्तपोषित की गई 20 संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं आम बीमारियों/रोगों को शामिल कर आयुर्वेदिक/सिद्ध/हर्बल औषधियों पर थीं। मानकीकरण, वैधीकरण, प्रभावोत्पादकता, प्रोफाईल इत्यादि पर अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ भागीदारी करने वाले भारतीय औषधि प्रणाली की औषधियों के उत्पादकों को अभिप्रेरित करने के लिए उद्योग सांस्थानिक परस्पर विचार-विमर्शी बैठक आयोजित की गईं।

आर्यभट्ट प्रेक्षणात्मक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल (राज्य वेधशाला, नैनीताल)

अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उसमें वृद्धि लाने तथा देवस्थल में प्रेक्षणात्मक सुविधाएं स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। एक आधुनिक प्रकाशिक (आप्टीकल प्रेक्षणात्मक सुविधा के रूप में देवस्थल में 3 मीटर वर्ग टैलिस्कोप की स्थापना के लिए अंतिम वशिष्टताओं पर एडवांस्ड मैकेनिकल एंड आप्टीकल सिस्टम्स (ए. एम. ओ. एस.) बेल्जियम के साथ तकनीकी विचार-विमर्श किए गए हैं। स्तरोन्नत फोटोमोटरिक सी सी डी कैमरा प्राप्त किया गया है और एक नई 1के × 1के सी सी डी कैमरा प्रणाली एन्डोर, यू. के. से खरीदी गयी और इसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा यंत्रों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में कई नए यंत्रों के लिए खरीद संबंधी आदेश दिए गए हैं। नागरिक कार्यों के लिए एक महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की गई है और भवनों की देखरेख प्रगति पर है। संस्थान ने प्रकाशिक खगोलिकी (आप्टीकल एस्ट्रोनामी) तथा वायुमंडलीय विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत 7.00 करोड़ रु. के बजट का उपयोग कर लिया है। यह संस्थान प्रकाशिक खगोलिकी तथा वायुमंडलीय विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए इस वेधशाला को विश्व स्तर की अवसंरचना में बदलने के प्रति कटिबद्ध है।

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन. सी. एम. आर.डब्ल्यू.एफ.)

मौसम के बारे में सामान्य रूप से और मानसूनी वर्षा के बारे में विशेष रूप से पूर्वानुमान प्रणाली सुधारने हेतु सम्मिलित प्रयास किये गये हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई. एम. डी.) ने विद्यमान ढांचे के उन्नयन और संपूर्ण प्रेक्षणात्मक तंत्र के

आधुनिकीकरण, पूर्वानुमान प्रणाली, संचार एवं मानव संसाधन विकास के लिये कार्रवाई शुरू कर दी है।

हाल में की गई कुछ पहलें इसे प्रकार हैं:

* दक्षिण पश्चिमी मानसून के दीर्घावधि पूर्वानुमान के लिये एक गतिशील भविष्यवाणी माडल के कार्यान्वयन हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के साथ सहयोगी परियोजना।

* ''इसरो'' के साथ क्षेत्रीय जलवायु माडल के उपयोग के द्वारा मानसून की वर्षा की दीर्घकालिक भविष्यवाणी के लिये सहयोगी परियोजना।

* आई. एम. डी. और अन्य संगठनों के पूर्वानुमान क्रियाकलापों की सहक्रियता के लिये प्रोफेसर एस. के. दुबे, निदेशक, आई. आई. टी. खड़गपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन।

* कम्प्यूटिंग सुविधायें बढ़ाने की स्कीम तैयार कर ली गई है।

* गतिशील माडल पर आधारित विस्तारित कालीन भविष्यवाणी तैयार करने के लिये यू. के. मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये नमूना आंकड़ा सेट का विश्लेषण किया गया है।

यंत्रीकरण विकास कार्यक्रम (आई. डी. पी.)

डी. एस. टी. के आई. डी. पी. कार्यक्रम के अधीन स्वदेशी यंत्रों से स्वास्थ्य केन्द्रों को सुसज्जित करने के लिये किफायती चिकित्सा यंत्रों का विकास करने हेतु प्रयत्न किये गये हैं। कुछ विकसित किये गये यंत्र इस प्रकार हैं—ड्रग एवं इन्फ्यूजन पंप एवं कंट्रोलर, सर्वो कंट्रोल्ड बेबी केयर इन्क्युबेटर, ट्रांसड्यूसर के साथ लॉस्ट कास्ट पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर, क्लीनिकी रसायन विश्लेषक और आप्थेलमोस्कोप/आटोस्कोप डायग्नोस्टिक किट।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना

प्राथमिक विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि उत्पन्न करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस कैफे और साइंस पार्कों की स्थापना की सिफारिशों को विभाग ने मान्यता दी है और वह इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। शैक्षणिक और अनुधान संस्थाओं तथा विज्ञान आधारित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से ग्रामीण पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। पायलट परियोजनाओं की सहायता की जाएगी, प्रगति की मानीटरिंग की जाएगी और निरंतर सुधारों के साथ प्रयत्नों का विश्लेषण किया जाएगा। वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण जन समुदाय को वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष का लक्ष्य बनाते हुए संपूर्ण देश में विज्ञान चेतना जत्थों का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान हजारों ग्रामीण स्कूलों को अनेक विज्ञान संचार क्रियाकलापों में शामिल किया गया है। नये विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई है और विद्यमान क्लबों को सशक्त बनाया गया है। पायलट आधार पर संसाधन केन्द्र/विज्ञान कैफे/विज्ञान पार्क खोलने के लिये स्थानों और समूहों की पहचान की गई है।

महिलाओं के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी

महिलाओं के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ महिलाओं का सशक्तीकरण करना है ताकि महिलाओं के लाभ के लिये समुचित प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुकूलन को बढ़ावा मिल सके, परीक्षित प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण किया जा सके और प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी माडलों का प्रदर्शन किया जा सके। देश के विभिन्न भागों में कुछ सफल परियोजनाओं की अनुकृति की क्षमता के अध्ययन के लिये समन्वित परियोजनायें शुरू की गई हैं जिसमें प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को लगाया गया है। सूचना प्रदान करने, जागृति उत्पन्न करने और समुचित प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों की स्थापना की गई है जिससे कार्यकौशल बढ़ सके, सूक्ष्म उद्यम विकास एवं विपणन हो सके। अपने जीवन में व्यवधान (ब्रेक) के बाद व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश हेतु महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एक फैलोशिप स्कीम शुरू की गई है। महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के विकास, स्व रोजगार और आय सृजन के उद्देश्य वाले अधिक कार्यक्रम शुरू करने हेतु समिति की सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा नोट कर लिया गया है।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस. ई. आर. सी.)

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस. ई. आर. सी.) एक शीर्षस्थ निकाय है जिसके द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं इंजीनियरी के नये उदीयमान एवं अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। यह परिषद विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की सहायता करती है जिसमें वैज्ञानिकों, कोरग्रुपों और उत्कृष्टता केन्द्रों, राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं, विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अध्येतावृत्तियों को परियोजना सहायता प्रदान करना शामिल है। उच्च प्राथमिकता एवं राष्ट्रीय हित के अनुरूप अनुसंधान कार्यक्रमों के समन्वय के लिये यह मंत्रालय अन्य विभागों के साथ निरंतर घनिष्ठ संपर्क बनाये हुए है। विभिन्न कार्यक्रम सलाहकार समितियों (पी. ए. सी.) एवं मानिटरिंग कार्यशालाओं तथा अंतर-एजेंसी-कार्यतंत्र के माध्यम से

अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के निष्पादन की निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन्हें पढ़ें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, ये सिफारिशें हमें प्राप्त नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: ये अब आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। सिफारिशें किए जाने से पहले तो वितरित नहीं की जा सकती।

मद सं. 15, श्री ई. अहमद

अपराह्न 12.05 बजे

(चार) अनुदान की मांगों (2004-2005) के बारे में विदेश संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): महोदय, मुझे वक्तव्य* को पढ़ने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री ई. अहमद: यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप किसी भाग विशेष पर बल देना चाहते हैं तो उसे पढ़कर सुना दें।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं लोक सभा के अध्यक्ष के निदेश इ-ए के अनुसरण में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में समाविष्ट अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2004-2005 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों की परीक्षा की और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट लोक सभा को 20.8.2004 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 50 अनुशंशाएं शामिल हैं। वे बजटीय पद्धतियों, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में असंगत व्ययों पर रोक लगाने, व्यय के लघु शीर्षों को सरल बनाने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाहीं के आस-पास व्यय न की गई भारी राशि न होने देने की आवश्यकताओं, भारत में और विदेश में विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं को शीघ्र पूरी करने, देश के हितों को आगे बढ़ाने में अप्रवासी भारतीयों के योगदान को संघटित करने, विशेषत: प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं के लिए न्यायालय के वादों के लिए एडवोकेटों के पैनल को शीघ्र अंतिम रूप देने, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और पोस्टों के निरीक्षण करने, सभी जिलों में जिला पासपोर्ट केन्द्र खोलने, आई सी सी आर के बजट बढ़ाने, निर्गुट एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली समिति तथा भारतीय विश्व मामले संबंधी परिषद, हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता, विकासील देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए आबंटित बजट का बेहतर उपयोग आदि के संबंध में हैं।

की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति को नवम्बर, 2004 में प्रस्तुत की गई स्थायी समिति की अधिकांश अनुशंशाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है कुछ अनुशंशाओं पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। अनुशंशाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न अनुबंध में है जो सदन के पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय: शेष विवरण पटल पर रख दिया जाए।

श्री ई. अहमद: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: आपकी उपलब्धियों के लिए आपको धन्यवाद।

अनुबंध

सिफारिश संख्या 1

समिति यह जानकार प्रसन्न है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 और 200-04 में क्रमश: 138.96 तथा 66.44 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं हुआ जो राशि के अप्रयुक्त पड़ी रहने की प्रवृत्ति में कमी के रुख को दर्शाता है और आशा है कि यह रुख आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। समिति यह महसूस करती है कि बजटीय प्रावधान के समय परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वित नहीं हो पाने के कारण ही अप्रयुक्त राशि शेष रह गई। समिति को आशा है कि वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान के चरण में ही विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का आकलन वास्तविकता पर आधारित हो ताकि राशि अप्रयुक्त न बचे और किसी भी निधि का वापस लौटाने की आवश्यकता न पड़े। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय बजटीय प्रावधान किए जाने के समय ही

---

* वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2239/05

यह सुनिश्चित करे कि सभी कल्पित परियोजनाएं/योजनाएं समय पर पूरी हों।

समिति यह भी महसूस करती है कि दैनंदिन प्रशासनिक मामलों को लेकर बार-बार समितियों का गठन करना पूर्णत: अनावश्यक है विशेषकर जब विदेशी सचिव मंत्रालय के सर्वेसर्वा होने के कारण स्वयं ही ऐसे मामलों की सीधे जांच कर सकता है और किसी भी विभाग से परिकल्पित परियोजनाओं/योनजाओं के लिए आवंटित धनराशि का समय पर और समुचित तरीके से खर्च ने करने के कारणों के बारे में पूछ सकता है। एक बार बजट आवंटित हो जाने के बाद यदि मंत्रालय में संबंधित प्रभागों द्वारा अपेक्षित तरीके से धन का खर्च नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस प्रकार मंत्रालय में व्यय ढांचे की समीक्षा करने के लिए व्यय निगरानी समिति के गठन का औचित्य समिति की समझ में नहीं आ रहा है। समिति की राय में यह निश्चित रूप से ही स्वागत योग्य प्रवृत्ति नहीं है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय मामले की नए सिरे से जांच करे।

की गई कार्रवाई

वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय न हो पाई राशि बचाने अथवा निधि को त्यागने से परियोजनाओं/योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रत्येक प्रयत्न सुनिश्चित किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय में एक व्यय जांच समिति की स्थापना के संबंध में 27 अगस्त 2003 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बजटीय प्रावधानों के उपयोग के पुनरीक्षण के लिए एक "संस्थागत मॉनीटरिंग तंत्र" (जिसे बाद में व्यय समिति कहा गया है) की स्थापना की गई थी। उक्त समिति की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न प्रभागों द्वारा बजटीय प्रावधानों के उपयोग को सुनिश्चित करना था। यह विचार मॉनीटरिंग समिति अपने आवधिक पुनरीक्षण की विशेष बातों को, जिन पर विदेश सचिव की उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है, को विधिवत उजागर करते हुए विदेश सचिव के ध्यान में ला सकता है। इस मामले पर पुन: विचार किया गया, और यह महसूस किया गया कि यह आंतरिक उपयोगी है और इसलिए व्यय की प्रभावकारी मॉनीटरिंग और विदेश मंत्रालय को सम्पूर्ण बजट उपयोग के लिए जारी रहनी चाहिए।

वर्तमान स्थिति (5.5.2005 के अनुसार)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजटीय आवंटन के अधिकतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए इन आबंटनों के व्यय पर मंत्रालय के आंतरिक निगरानी तंत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2004-2005 में कड़ी निगरानी रखी गई। इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों और योनजाओं के लिए अपेक्षित निधियों का आकलन करने के लिए इनका नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था और तदनुसार आबंटनों की समीक्षा की गई थी तथा संशोधित प्राक्कलन 2004-2005 के बाद जहां आवश्यक था वहां आवंटन में कटौती तथा जहां अपेक्षित था वहां इसमें वृद्धि करते हुए कई अवस्थाओं में इसे संशोधित किया गया था।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त मंत्रालय के प्रभागों को परामर्श दिया गया था कि अपनी परियोजनाओं और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन मांगने के समय कहे गये समय पर पूरा कर लिया जाए।

सिफारिश संख्या 2

समिति यह सिफारिश करती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की योजना तैयारी के चरण में ही एक व्यापक समयसूची तैयार की जानी चाहिए और उसी तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को कम किया जा सके और मंत्रालय में बचत और राशि वापस लौटाने की चिरस्थायी प्रवृत्ति को रोका जा सके।

इस मामले पर पुन: विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि यह आंतरिक उपयोगी है और इसलिए व्यय की प्रभावकारी मॉनीटरिंग और विदेश मंत्रालय को सम्पूर्ण बजट उपयोग के लिए जारी रहनी चाहिए।

की गई कार्रवाई

जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई थी सभी व्यय प्रभागों को परियोजनाओं और योजनाओं के मामले में तिमाही व्यय योजना बनाने और उन्हें समाप्त करने के लिए समय सूची बनाने के भी निदेश दिए गए थे। व्यय मॉनीटरिंग समिति वित्तीय वर्ष में बराबर ढंग से व्यय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय और अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विविध परियोजनाओं/योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के पुनरीक्षण कार्य पहले से कर रही है।

वर्तमान स्थिति

परियोजनाओं और योजनाओं पर व्यय को समुचित तरीके से चरणबद्ध करने के लिए त्रैमासिक व्यय योजना तैयार की गई है। इससे गलतियों को पहचानने और लागत तथा समय की वृद्धि से बचने के लिए उपचारी कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

सिफारिश संख्या 3

तथापि, साक्ष्य के दौरान व्यय के अनावश्यक शीर्षों को सृजित न करने के संबंध में मंत्रालय ने समिति द्वारा की गई पिछली सिफारिश के औचित्य को माना था और सिद्धांत रूप में निर्णय लिया था कि इन नये शीर्षों में प्रस्तावित व्यय कुछ वर्तमान शीर्षों के अंतर्गत समायोजित किये जा सकते हैं। समिति मंत्रालय की इस कार्यवाही की प्रशंसा करती है। यद्यपि, सोच-विचार करने के पश्चात यह कार्यवाही की गई है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए और व्यय शीर्षों को कारगर बनाने के सभी प्रयास करने चाहिए।

की गई कारवाई

नए शीर्ष खोलने के संबंध में माननीय समिति के पर्यवेक्षण का दृढ़ता से पालन करने के लिए नोट कर लिया है और व्यय शीर्षों को सुचारू बनाने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जाएंगे।

भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल की गतिविधियों के लिए व्यय ''संगोष्ठियों और अध्ययनों के लिए व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। ''विदेश मंत्रालय हाउसिंग काम्पलैक्स'' शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों के संबंध में इसे एक नए शीर्ष अर्थात'' ''विदेश मंत्रालय हास्टेल और आवासीय काम्पलेक्स'' और ''विदेश मंत्रालय हास्टेल'' पुराना तथा विदेश मंत्रालय हास्टेल (नया) में मिलाने का प्रस्ताव है। वर्तमान शीर्ष ''विदेश मंत्रालय हास्टेल (पुराना) ''विदेश मंत्रालय हास्टेल'' (नया) तथा विदेश मंत्रालय हाउसिंग काम्पलेक्स द्वारका समाप्त कर दिया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

लेखों में व्यय के अनावश्यक शीर्षों को हटाने के लिए मंत्रालय व्यय के वर्तमान शीर्षों में संशोधन कर रहा है और उनमें से कई शीर्षों को एक ही शीर्ष के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। उदाहरणार्थ तीन उप शीर्षों ''विदेश मेत्रालय हॉस्टल (पुराना)'' विदेश मंत्रालय हॉस्टल (नया)'' और ''विदेश मंत्रालय परिसर'' के स्थान पर ''विदेश मंत्रालय हॉस्टल एवं आवासीय परिसर'' कर दिया गया है। भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल पर होने वाला व्यय जो पहले व्यय की एक पृथक मद थी अब उसे ''सेमिनारों और अध्ययनों पर व्यय'' के नामे डाला जा रहा है। इसके अलावा व्यय के विलय करने योग्य वर्तमान शीर्षों की समीक्षा की जा रही है।

मंत्रालय ने एक त्वरित और अपेक्षाकृत अधिक सक्षम लेखा तंत्र को कार्य में लगाया है; मंत्रालय का मासिक लेखा पहले ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है विदेश स्थित मिशनों के लेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और यह 2005-2006 की दूसरी छमाही में सक्रिय हो जाएगा।

सिफारिश संख्या 4

समिति इस सतत रुझान पर अपनी सख्त नाराजगी व्यक्त करती है और एक बार पुन: सिफारिश करती है कि मंत्रालय व्यय के वास्तविक रुझान के आधार पर संशोधित अनुमान तैयार करते समय भविष्य में ऐसे अंतरों से बचने के लिए ठोस कदम उठाये ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बहुत अधिक अप्रयुक्त शेष राशि से बचा जा सके।

की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने समिति की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए उन पर गौर किया है। जबकि मंत्रालय व्यय के रुझाने पर आधारित अनुमान पहले ही लगा रहा है, जब बड़ी असमानताओं और अप्रयुक्त राशि से बचने के लिए यथा संभव परिशुद्ध अनुमान लगाने के लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय किरायों, दरों और करों पर उपलब्ध आंकड़ों और रूझानों के आधार पर यथासंभव परिशुद्ध प्राक्कलन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। तथापि, कुछ कारक जो हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं जैसे कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव, हमारे नियंत्रण से बाहर है और इससे कुछ न कुछ असमानताएं होती ही रहती हैं।

सिफारिश संख्या 5

जबकि समिति स्थानिक विशिष्ट कानूनों, नियमों और विनियमों आदि जिन पर मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है के कारण विदेशों में परियोजनाओं में मंत्रालय के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन में आ रही गिरावट को समझ सकती है। फिर भी समिति घरेलू परियोजनाओं में ढिलाई को दृढ़ता से नोट करती है। मंत्रालय ने अकबर भवन जिसके लिए उचित किराया प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा करते हुए पुरानी दरों पर भुगतान किया जा रहा है के लिए किराये के संबंध में सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत बचतों की जानकारी दी है। यह भी बताया गया है कि बढ़े हुए किराये और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रावधान किया गया था। समिति यह नहीं समझ पाई है कि इस मामले को इतना लम्बा क्यों खींचा गया विशेष रूप से जब इस मामले का भारत सरकार की दो एजेंसियों के बीच निपटारा किया जाना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मंत्रालय के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों से भी 30 से 45 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त राशि पड़ी है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय को कम से कम इस मामले पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसे तत्काल निपटाया जा सके।

की गई कार्रवाई

अकबर भवन की इमारत के मामले में नई दिल्ली नगर निगम को बढ़ी हुई दर से और जमा हुए बकाया पर किराए का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश मंत्रालय नई दिल्ली नगर निगम द्वारा मांग किए गए किराए की मात्रा से और उसके द्वारा सुझाए गए विभिन्न मुद्दे की शर्तों से सहमत नहीं है। भारत सरकार के पास भुगतान के लिए कोई मानदण्ड नहीं है और जब कि किराया की वृद्धि के लिए कोई उचित औचित्य दिया जाए भुगतान करना संभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निधि वापिस की गई थी। विदेश मंत्रालय ने स्वयं से इस मसलों को हल करने का हर संभव प्रयास किया ताकि किराए की राशि का समझौता हो सके, परंतु नई दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिक किराए और बकाया की सामान्य मांग के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर नहीं था। परस्पर स्वीकृत राशि तक पहुंचने के लिए सी पी डब्ल्यू डी से संशोधित उचित किराया प्रमाणपत्र का अनुरोध किया गया।

विदेश मंत्रालय 18.11.2003 से अपनी ओर से एन डी एम सी के अध्यक्ष के साथ एक बैठक का अनुरोध कर रहा था, जो कई अनुस्मारकों के पश्चात 11.11.2004 को मूर्त हो पाई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक समिति बनाई जाएगी जो किराये की मात्रा पर और साथ ही साथ एन डी एम सी को विदेश मंत्रालय द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर विचार करेगी। इस संबंध में एन डी एम सी द्वारा अभी और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान स्थिति

परस्पर स्वीकार्य स्पष्ट वृद्धि को मानने के लिए मंत्रालय नई दिल्ली नगर निगम के साथ बातचीत कर रहा है। शहरी विकास मंत्रालय से भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है।

सिफारिश संख्या 6

समिति ने यह भी टिप्पणी की थी कि पिछले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए मुख्य शीर्ष 2061 के लिए बजट अनुमान 195.02 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान को तकरीबन 10 प्रतिशत घटाकर 177.02 करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि, बाद में समिति को जो वास्तविक व्यय का आंकड़ा दिया गया वह 198.18 करोड़ रुपए का था। इस शीर्ष विशेष के तहत मंत्रालय का आकलन 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। इससे पता चलता है कि मंत्रालय ने वित्तीय संसाधनों का अविवेकपूर्ण संचालन किया और समिति निश्चय ही इसका कारण जानना चाहेगी।

की गई कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए मंत्रालय के गैर-योजना आबंटन का संचालन अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा 110.00 करोड़ कम कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप मुख्य शीर्ष 2061 के अंतर्गत किरायों, दरों और करों सहित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के गैर-योजना आबंटन को भी कम कर दिया गया। उल्लेख किया जा सकता है कि संशोधित आकलन चरण (2003-2004) पर मुख्य शीर्ष 2061 के अंतर्गत किराये, दरों और करों का अनुमान 199.17 करोड़ रुपये का था जो वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत हुए अंतिम वास्तविक व्यय से थोड़ा-सा अधिक है। तथापि, बाद में अंतिम आकलन के चरण में किरायों, दरों और व्यय वर्ष के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि की गई। ऐसा किया जा सका क्योंकि अंतिम आकलन चरण से अन्य शीर्षों के अंतर्गत बचत उपलब्ध हो गई थी।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय किरायों, दरों और करों पर उपलब्ध आंकड़ों और रुझानों के आधार पर यथासंभव परिशुद्ध प्राक्कलन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। तथापि, कुछ कारक जो हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव, हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और इनसे कुछ न कुछ असमानताएं होती ही रहेंगी।

सिफारिश संख्या 7

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार समिति ने नोट किया कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी स्वामित्व वाले भवनों में कार्यालयों/आवासों के बदले जाने के कारण किराये के मद पर 13,37,12,600 रुपए की बचत की जा रही है। यह "दूतावास तथा मिशन" शीर्ष के अंतर्गत किराये के बहिर्गमन का 7 प्रतिशत से कम है। किराया कम न कर पाने की मंत्रालय की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए समिति का यह दृढ़ मत है कि मंत्रालय को इस मामले में आगे बहुमूल्य समय नष्ट किए बिना चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किरायेदारी परिसम्पत्तियों के बदलने के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य तथा तिथि निर्धारित करनी चाहिए।

की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने पहले से ही विदेश स्थित उन स्थानों को रेखांकित कर दिया है जहां किराया देयताएं अधिक हैं। इन मिशनों के प्रमुखों को तत्काल आधार पर उपयुक्त सम्पत्तियां ढूंढने के लिए अनुरोध किया है ताकि प्रस्तावों की जांच के पश्चात निर्माण के लिए उपयुक्त सम्पत्तियां/भूखंड की खरीद के लिए मंत्रालय के निर्णय को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बताया जा सके। मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों को समय-समय पर विचारार्थ व्यवहार्य

[श्री ई. अहमद]

प्रस्ताव भेजने के लिए दबाव डाला है। कई बार मिशन ने निर्मित सम्पत्ति खोजने में असमर्थता व्यक्त की है जो कार्यकाल के उपयोग के अनुरूप उनकी स्थान संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हों और आसानी से प्राय: केंद्र में स्थित, संरचना की दृष्टि से दुरुस्त, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता इत्यादि के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों। अन्य मामलों में, सुझाव की गई सम्पत्तियों के लिए हमारी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक पुनर्निर्माण और मरम्मत बड़े व्यय की आवश्यकता है। इस समय, मंत्रालय के पास विदेशों में सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर उत्साहपूर्वक कार्य किया जा रहा है। स्थायी समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिए अन्य स्थानों में उपयुक्त सम्पत्तियों को खोजने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय किरायों पर वित्तीय देयता को कम करने के लिए विदेशों में सम्पत्ति का अधिग्रहण करने को प्राथमिकता दे रहा है। संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक प्रभाग ऐसे प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई के एकमात्र कार्य को देख रहा है। इससे संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण परियोजनाओं के कार्य में तेजी आएगी, और अन्तत: किरायों पर होने वाले व्यय में पर्याप्त बचत होगी।

सिफारिश संख्या 8

ब्राजील के चांसरी परिसर : इस संदर्भ में समिति यह जानना चाहती है कि क्या किसी दूसरे वास्तुकार को नियुक्त करने हेतु संभावना की तलाश की गई। ब्राजीलिया परियोजना कार्य की समय सीमा के पालन में मंत्रालय द्वारा पूर्व में व्यक्त की गई असमर्थता के बावजूद समिति सिफारिश करती है कि इस परियोजना का कार्य समय से पूरा किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए मंत्रालय को अतिरिक्त प्रयास क्यों न करना पड़े।

की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने परामर्शदाता को कहा है कि गंवाए गए समय को पूरा करे और जूरी द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित परिकल्पना और अनुमानित लागत भी शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि वित्तीय अनुमोदन को सुरक्षित रखा जा सके। परामर्शदाता को यह भी सलाह दी गई है कि संशोधित डिवाजन संकल्पना के अनुमोदन पर उन्हें स्थानीय निकाय के अनुमोदन लेने होंगे और ठेकेदारों का चयन भी करना होगा तथा विस्तृत आरेखण बकाया वित्तीय अनुमोदन के साथ निविदा दस्तावेज तैयार करने होंगे ताकि मंत्रालय भी गंवाए गए समय को पूरा करने योग्य हो सके।

वर्तमान स्थिति

जहां तक ब्राजील में चांसरी परिसर के निर्माण का संबंध है एक भिन्न सलाहकार की जांच की गई थी परंतु अवांछनीय पाया गया था क्योंकि सलाहकार की मांगें उस देश के स्थानीय कानून के समनुरूप थीं। सलाहकार द्वारा प्रस्तुत 4.37 मिलियन डालर के लागत अनुमान की मंत्रालय में जांच की जा रही है। इस बीच सलाहकार को निर्माण-पूर्व कार्यों, जैसे स्थानीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना और निविदा दस्तावेज की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है।

सिफारिश संख्या 9

मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने के बावजूद भी उलान बातर में चांसरी सह आवास हेतु भूमि अर्जन के बारे में समिति को आशंकायें हैं। सर्वप्रथम हमारे मिशन ने कहा था कि सम्पत्ति भार मुक्त नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर ढांचा स्थित है जो दूसरे संगठन को किराये पर दिया गया है। मिशन ने बाद में बताया है कि यह एक पृथक भवन है जिसमें अलग से प्रवेश है। अत: समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय यह सुनिश्चित कर ले कि खरीदी जाने वाली भूमि वास्तव में पूर्ण रूप से भार मुक्त हो और भविष्य में पार्टी के साथ कोई समस्या उत्पन्न न हो जिसने भूमि पर दावा किया था।

की गई कार्रवाई

"मंगोलियाई सरकार से किराए पर ली गई सम्पत्ति का शीघ्र मूल्यांकन करने के संबंध में यह मामला हमारे राजदूत द्वारा उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। एक बार इस मामलें का समाधान होने पर, जबकि यह सुनिश्चित हो जाए कि यह सम्पत्ति किसी ऋणभार से मुक्त है, मंत्रालय का विचार इस सम्पति को शीघ्र खरीदने का है"

वर्तमान स्थिति

उलान बातर स्थित हमारे राजदूतावास से हमें पक्का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि उक्त संपत्ति, जो मंगोलिया सरकार के स्वामित्व में है, ऋण भार से मुक्त है। मंगोलिया की सरकार ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर एक प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने चांसरी एवं राजदूतावास आवास की प्रस्तावित खरीद से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक संपत्ति दल को भेजने का प्रस्ताव रखा है।

सिफारिश संख्या 10

इस प्रकार, इस प्रयोजनार्थ आवंटित राशि का उपयोग न किया जाना अवसर खोने के बराबर है। अत: समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि इस प्रयोजनार्थ राशि उपयोग कार्यक्रम का निर्धारण अति सावधानीपूर्वक किया जाए और इस प्रयोजन के लिए आबंटित राशि का उपयोग और भी सावधानी से किया जाए।

की गई कार्रवाई

समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग मंत्रालय के वित्त प्रभाग के साथ बेहतर समन्वय से "सचिवालय" और दूतावासों और मिशनों" दोनों के लिए उपयोगिता

अनुसूची तैयार कर रहा है। दोनों प्रभाग, वर्ष के अंत में प्रचार परियोजनाओं के इकट्ठा होने से बचाने और परियोजना के प्रथम स्तर पर न कि बाद में आपत्तियों को समाप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

खर्चों पर कड़ी निगरानी और निधियों की कम उपयोगिता को रोकने के लिए उपचारी उपायों के लिए सचिवालय स्तर पर लगभग एक मास में नियमित समीक्षा की जा रही है। मिशनों द्वारा अपनी कार्रवाई योजनाओं में दिए गए विवरणों के आधार पर मिशनों को प्रचार बजट आवंटित किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

विदेश प्रचार प्रभाग ने प्रति माह प्रचार निधियों के उपयोग की मानीटरिंग की एक प्रणाली बनायी है। ये आंकड़े भी मंत्रालय के वित्त विभाग को भेजे जा रहे हैं तथा निधियों के कम उपयोग से बचने के लिए तुरंत उपचारी कदम उठाये जाएं।

सिफारिश संख्या 11

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय अमरीका में देश के हितों को संवर्धन करने के लिए लाबिंग करने वाली फर्मों में से किसी न किसी फर्म सेवाओं का उपयोग कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार लाबिंग फर्म के प्रयास फलदायी साबित हुए हैं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय जहां-कहीं भी, देश के हितों को बढ़ाने में प्रवासी भारतीय लाभदायक सिद्ध हों वहां उनकी सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

1. समुदाय की राजनैतिक जागरूकता बढ़ाने के कुछ अमरीकी संगठनों के प्रयासों को अमरीका स्थित हमारे मिशन/केन्द्र ने समर्थन दिया है। इनमें से कुछ संगठन कैपिटल हिल में लाबिंग कार्य करते हैं। इनमें से एक है अमरीका-भारत राजनैतिक कार्रवाई समिति जिसके पूरे देश में लगभग 30,000 सदस्य हैं। इंडियन फोरम फॉर पालिटिकल एजुकेशन और इंडियन अमेरिकन सेंटर फॉर पालिटिकल अवेयरनेस भारतीय-अमरीकी समुदाय को अमरीका में राजनैतिक जीवन में भाग लेने के महत्व के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

2. अमरीका में हमारे मिशन/केन्द्र ने भारतीय-अमरीका समुदाय के महत्वपूर्ण नेताओं की पहचान की है। इनमें से अनेक ने अमरीकी विधि-निर्माताओं (प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों) का समर्थन प्राप्त करने में मदद की है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा और सीनेट में इंडिया कॉकस की सदस्यता बढ़ाने के लिए लाबिंग प्रयासों में भी सहायता की है। वाशिंगटन स्थित दूतावास तथा शिकागो, ह्यूस्टन, सैन-फ्रांसिसको तथा न्यूयार्क स्थित प्रधान कोंसलावास अमरीका में भारतीय अमरीकी समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में हैं।

वर्तमान स्थिति

अमरीका में मिशन और कोंसलावास भारतीय अमरीकी समुदाय के साथ मिलकर कार्य करते हैं। समुदाय के महत्वपूर्ण नेताओं की पहचान की गई है और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में भारतीय कॉकस की सदस्यता बढ़ाने के लिए किये जाने वाले लाबिंग प्रयासों में उनका सहयोग लिया गया है।

सिफारिश संख्या 12

व्यावसायिक सेवाएं-अधिवक्ताओं का पैनल : समिति मंत्रालय के इस उत्तर से सहमत नहीं है कि इस कार्य को पूरा करने में कोई निश्चित समय-सीमा बताना कठिन है और मंत्रालय 6-9 महीनों में अधिवक्ताओं के पैनल को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा। समिति यह महसूस करती है कि देरी के कारण मंत्रालय द्वारा स्वयं सृजित किए गए हैं। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि इस मामले में अगले तीन महीनों में निर्णय लिया जाये ताकि इस शीर्ष के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक बजट अनुमान तैयार किये जा सकें और वांछित लक्ष्यों को हासिल करने में बिना कोई प्रगति किए निधियों का व्यय पूर्वापेक्षा में न रोका जाए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

पिछली स्थायी समिति की अनुशंसा/टिप्पणी के अनुसरण में कुछ वकीलों (जिन्हें जारी प्रत्यर्पण मामलों में विशेष वकील रखा गया है) के नाम अनुमोदनार्थ विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजे गये हैं। तत्पश्चात विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस मंत्रालय से कहा कि वह मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनुरोध करे। तत्पश्चात इस मंत्रालय ने मई 2003 में एक अंतर-मंत्रालयीय बैठक बुलायी। उस बैठक में सी पी वी प्रभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विदेश मंत्रालय के विधि एवं संधि प्रभाग तथा वित्त विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा सी बी आई के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कहा कि वह प्रत्यर्पण मामलों के लिए वकीलों के प्रस्तावित पैनल के लिए वकीलों के नामों को अंतिम रूप देने में सहायता करेगा। यह निर्णय भी लिया गया कि यह मंत्रालय विदेशों से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने पर भारत सरकार यानि विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों का अलग पैनल बनाने का अनुरोध विधि एवं न्याय मंत्रालय से करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह आशा करते हुए कि वकीलों का पैनल बनाने से व्यय में वृद्धि होगी, अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया। हालांकि, इस बीच विधि एवं न्याय मंत्रालय के वकीलों के पैनलों में इस वर्ष परिवर्तन हो गया जिससे चयन में विलम्ब हुआ। विधि एवं न्याय मंत्रालय से एक नयी सूची ली गयी है और मंत्रिस्तरीय अनुमोदन से उपयुक्त शर्तों और विनियमों के आधार पर प्रत्यर्पण मामलों के लिए वकीलों के एक पैनल का नाम विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा। छह माह के भीतर यह कार्य संपन्न हो जाने की आशा है।

[श्री ई. अहमद]

वर्तमान स्थिति

प्रत्यर्पण मुकदमें के लिए वकीलों का पैनल विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजा गया है। वकीलों के पैनल में सरकारी वकीलों को दिया जाने वाला व्यवसायिक शुल्क अभी दी जाने वाली राशि से काफी अधिक है। संशोधित अनुमान 2005-2006 में अनुमानित व्यय यथासंभव वास्तविक व्यय के इतना नजदीक होगा कि व्यपगमन हुआ भी तो यह राशि न्यूनतम होगी।

सिफारिश संख्या 13

विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान-समिति पुन: यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को विदेश सेवा संस्थान भवन परिसर का निर्माण इसी वर्ष पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहियें क्योंकि समिति यह महसूस करती है कि यदि यह संस्थान इस नये परिसर में अपना कार्य आरंभ करता है तो यह अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकता है क्योंकि इनमें साइबर प्रौद्योगिकी की पूर्ण व्यवस्था सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

की गयी कार्रवाई रिपोर्ट

के. लो. नि. वि. ने सूचित किया है कि पहले चरण का निर्माण कार्य, जिसमें विदेश सेवा संस्थान और छात्रावास भवन शामिल हैं, 31.4.2004 तक पूरा हो जायेगा। इन भवनों का ढांचागत कार्य पूरा हो चुका है और कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेवाओं और आंतरिक साज-सज्जा का कार्य सिविल कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

के. लो. नि. वि. और परामर्शदाता को निर्देश दिये गये हैं कि वे डी डी ए से आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें ताकि जून 2005 से संस्थान नये भवन से कार्य करने लगे। अन्य कार्य पूरा करने और आवासों के निर्माण के लिए कार्रवाई आरंभ की गयी है और ये कार्य साथ-साथ चल रहे हैं।

सिफारिश संख्या 14

दूतावास एवं मिशन : समिति मंत्रालय के इस बात पर सहमत है कि बीरगंज और मेलबोर्न में सी जी आई की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि ये परियोजनाएं यथासंभव शीघ्र आरंभ की जा सकें और निर्धारित समय सीमा में पूरी की जा सकें जिससे बाद के चरणों में इस कार्य में किसी भी संभावित लागत वृद्धि से बचा जा सके।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय ने फरवरी 2004 से बीरगंज (नेपाल) में कोंसलावास खोल दिया है। मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में कोंसलावास खोलने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। जैसा कि समिति ने अनुशंसा की है मंत्रालय ने विभिन्न देशों में भारतीय मिशन/केन्द्र खोलने की आवश्यकता/उपयोगिता का आकलन करने के लिए समीक्षा आरंभ की है।

वर्तमान स्थिति

मेलबोर्न में प्रधान कोंसलावास खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिफारिश संख्या 15

इसने यह भी सिफारिश की है कि इस विदेश सेवा निरीक्षणालय को समय-समय पर हमारे मिशनों का निरीक्षण करने के साथ-साथ मिशन/पोस्ट के कार्यकरण पर निरंतर निगरानी करने वाले एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए और खामियों को सूचित करना चाहिए ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। समिति यह भी चाहती है कि उसे सभी मिशनों के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट और उस पर की-गई-कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

की गयी कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2004 में फारेन सर्विस इन्सपेक्टोरेट जिसे अब निरीक्षण महानिदेशालय (डी जी आई) के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया है। उपर्युक्त निकाय का अध्यक्ष मंत्रालय के अपर सचिव हैं जिन्हें निरीक्षण महानिदेशक के तौर पर भी नामित किया गया है।

सर्वमतानुसार डी जी आई विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों की सभी गतिविधियों प्रकार्यों और प्रचालनों का स्वतंत्र और विषयपरक मूल्यांकन करता है। निरीक्षण दल मिशन के कार्य के सभी पहलुओं, जिसमें मिशन/पोस्टों द्वारा किए गए सभी कार्य की जांच, मिशन/पोस्ट में मानव कार्य की जांच, मिशन/पोस्ट में मानव संसाधन प्रबंधन की संवीक्षा, हाथ में लिए गए सभी आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों की जांच, कंसुलर सेवाओं की प्रभावकारिता और एन आई आर/पी आई ओ के साथ अन्योन्य/संपर्क की जांच, आंतरिक प्रशासन की संवीक्षा और नियंत्रण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यंत्रों की उपयोगिता की जांच, मिशनों/पोस्टों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के प्रयास, सुरक्षा उपायों को कारगर बनाने के लिए मिशनों/पोस्टों द्वारा उठाए गए कदम और अधिकारियों/कर्मचारियों

की सामान्य मर्यादा संबंधी जांच मिशनों से प्रत्युत्तर फीड बैक प्राप्त करके की जाती है।

अब तक पांच मिशनों अर्थात उलान बतर, इस्लामाबाद, निकासिया, काबुल और सी जी आई जलालाबाद का निरीक्षण हो चुका है। ये निरीक्षण उपर्युक्त मानदंडों को रखते हुए किए गये थे। निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उपर्युक्त सिफारिशें की गईं। इन सिफारिशों से मानव संसाधन प्रबंधन, मिशनों द्वारा झेली जाने वाले कठिनाईयों की जांच और इसके समाधान के सुझाव और आगे आतंरिक नियंत्रण के लिए निर्देश शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति

विदेश सेवा निरीक्षणालय किये गये निरीक्षणों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा शिष्टमंडल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के कार्यों का आकलन करता है। इन आकलनों के आधार पर मिशनों को त्रुटियों, यदि कोई हों, तो दूर करने का सलाह दी जाती है ताकि संबंधित मिशन/केन्द्र और मंत्रालय के संबंधित प्रभाग द्वारा आवश्यक उपचारी उपाय किये जा सकें।

विदेश सेवा निरीक्षणालय की निरीक्षण रिपोर्ट की विषय-वस्तु गोपनीय होती है इसलिए समिति को निरीक्षण रिपोर्टों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समिति के सदस्यों की ब्रीफिंग के दौरान प्रस्तावित की गयी उपचारी कार्रवाई के ब्यौरों की सूचना दी जाएगी।

सिफारिश संख्या 16

अत: यह सिफारिश करती है कि मिशनों/पोस्टों के रोकड़ लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा पहले से कहा गया है, नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (एन आई सी), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों के लेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु साफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। वे (एन आई सी) इस समय प्रस्तावित सिस्टम हेतु साफ्टवेयर आवश्यकताओं के अध्ययन के प्रक्रिया में हैं।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय के वार्षिक लेखों को पहले ही कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। विदेश स्थित मिशनों के लेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एन आई सी द्वारा एक साफ्टवेयर बनाया जा रहा है और यह 2005-2006 के उत्तरार्ध में चालू हो जायेगा।

सिफारिश संख्या 17

पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन, जिला पासपोर्ट केन्द्र : अत: समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह इस दिशा में अपने प्रयास तेज करे और समाचार-पत्रों और प्रचार माध्यमों से इस योजना का व्यापक प्रचार करे।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के शेष चार जिलों में भी जिला पासपोर्ट केन्द्र खोले गये हैं। मंत्रालय के अनुदेश से पासपोर्ट कार्यालय नियमित आधार पर प्रेस क्रांफ्रेसों के आयोजन और प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके जिला पासपोर्ट केन्द्र योजना का व्यापक रूप से प्रचार करते रहे हैं। अंतत: मंत्रालय ने इस योजना के बारे में एक विज्ञापन को अंतिम रूप दिया है ओर पूरे भारत के 70 अखबारों में इसे प्रकाशित करने के लिए डी ए वी पी को भेजा है। इसका प्रकाशन शीघ्र होने की आशा है।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय ने जिला पासपोर्ट केन्द्र योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे भारत के 70 अखबारों में विज्ञापन दिया है। जिला पासपोर्ट केन्द्रों के जरिए प्राप्त कुल आवदेनों की संख्या 2003 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 14.5 प्रतिशत हो गयी है।

सिफारिश संख्या 18

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि मंत्रालय के प्रयास सफल हुए हैं और अब शीघ्र ही बिहार और राजस्थान में डी पी सी खोले जाने का प्रस्ताव है। समिति यह चाहती है कि मंत्रालय को इन दो राज्यों के संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

की गयी कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास करने के फलस्वरूप बिहार सरकार ने 12 जिलों (कुल 38 जिले) में जिला पासपोर्ट केन्द्र खोले हैं तथा राजस्थान सरकार ने 9 जिलों (कुल 32 जिले) में जिला पासपोर्ट केन्द्र खोलने के लिए कार्रवाई की है।

वर्तमान स्थिति

पश्चिम बंगाल के शेष चार जिलों में भी जिला पासपोर्ट केन्द्र खोले गये हैं।

सिफारिश संख्या 19

किराये के भवनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जालंधर और मुम्बई पासपोर्ट कार्यालय लगभग एक वर्ष पहले मंत्रालय को भूमि

[श्री ई. अहमद]

उपलब्धता के बारे में बताकर मूक हो गए। हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची ने भी मंत्रालय को भूमि की उपलब्धता की सूचना दी है। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय उत्तर न देने वाले पासपोर्ट कार्यालयों को इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में स्पष्ट शब्दों में बता दे और यदि इस मामले में और विलंब होता है कि इसके लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। समित यह भी चाहती है कि मंत्रालय ठसे इस बात से अवगत कराए कि उसने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है।

की गयी कार्रवाई रिपोर्ट

त्रिची : प्रस्ताव रक्षा सम्पदा निदेशालय के पास है। उन्हें मंत्रालय को अपने निर्णय की सूचना देनी है। हमने उन्हें अपना निर्णय शीघ्र सेना का स्मरण दिलाया है।

मुम्बई : मंत्रालय के शिष्टमंडल ने मुम्बई का दौरा किया और एम एम आर डी ए के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें की। उन्होंने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई के लिए आवश्यक स्थान को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जालंधर : क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए संभावित स्थल को देखने के लिए मुख्य पासपोर्ट अधिकारी जालंधर आने वाले हैं।

वर्तमान स्थित

त्रिची : यह प्रस्ताव रक्षा सम्पदा निदेशालय के पास लंबित है। उन्हें अपने निर्णय की जानकारी मंत्रालय को देनी है।

मुम्बई : मुम्बई मैट्रोपालिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने 31 मई, 2005 तक भूखंड बेचे जाने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। गैर-योजना व्यय से संबद्ध समिति के लिए विस्तृत टिप्पणी तैयार की गयी है। निर्धारित समय से पूर्व ही अनुमोदन प्राप्त होने की आशा है।

जालंधर : संयुक्त सचिव (सी एन वी) ने जालंधर का दौरा किया और क्षे. पा. का. के लिए एक भूखंड (एक एकड़ के आकार का लगभग) खरीदने के लिए चुना। यह भूखंड पूडा की है। यह भूखंड नि:शुल्क अथवा पूडा द्वारा पूर्व में निर्धारित किये गये दर पर देने के लिए जालंधर के पासपोर्ट अधिकारी ने पूडा को एक पत्र लिखा है।

सिफारिश संख्या 20

समिति चाहती है कि डाटाबेस सुविधा को पूर्णरूपेण आपरेशनल (प्रचालनात्मक) बनाकर तत्काल चालू किया जाना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि इस डाटाबेस को पासपोर्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए पासपोर्ट संबंधी विवरण की शीघ्र पुन: प्राप्ति हेतु निरंतर अद्यतन बनाया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

केन्द्रीय डाटाबेस सुविधा पूर्णत: कार्यरत है और इसे नियमित अद्यतन किया जता है डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी करने सहित एक पासपोर्टधारक को विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करते समय भारतीय मिशनों और भारत में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र इस डाटाबेस का रखरखाव करने के लिए संबद्ध एजेंसी है। यह मंत्रालय केन्द्रीय डाटाबेस प्रणाली में रिनंतर सुधार के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

वर्तमान स्थिति

डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी करने सहित पासपोर्टधारकों को अन्य विविध सेवाएं उपलब्ध कराते समय भारत में पासपोर्ट कार्यालय और विदेशों में भारतीय मिशन केन्द्रीय डाटाबेस सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 21

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद समिति को आशा है कि अब से आगे भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद के कार्याकलाप बजट में इसके स्थापना बजट की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

भविष्य में परिषद कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास करेगा।

वर्तमान स्थिति

परिषद संशोधित आकलन स्तर पर अपने बजट में बढ़ोत्तरी कर रहा है। अगर ऐसा हो जता है तो कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट में भी इसी के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी।

सिफारिश संख्या 22

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि निधि की कमी के कारण कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और मंत्रालय को परिषद के कार्यकलापों और आवश्यकताओं के बारे में और सतर्क रहना चाहिए। बढ़ते हुए कार्यकलापों और नई योजनाओं, जिन्हें वित्त वर्ष 2004-2005 में शुरू किए जाने की संभावना है, को ध्यान

में रखते हुए इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिषद के लिए बजट आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए और बढ़ाई गई राशि का उपयोग विस्तृत कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

भारत में नए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विदेश में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना सहित परिषद की विस्तारित गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके बजट को बढ़ाने की जरूरत को नोट कर लिया गया है। परिषद ने पहले ही जयपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है। इसमें परिषद की विद्यमान कर्मचारी क्षमता में से नियुक्तियां की जा रही हैं। अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों तथा विदेश के सांस्कृतिक केन्द्रों के संबंध में, पदों के सृजन हेतु अपेक्षित पशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन हासिल करने के लिए कार्रवाई की गई है। उसरकार से मिले अनुमोदनों की संख्या के आधार पर तथा नई पहलों/परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग संशोधित अनुमान/ अंतिम अनुमान 2004-05 तथा बजट अनुमान 2005-06 में की जाएगी।

वर्तमान स्थिति

परिषद ने वर्ष 2005-06 के लिए 68.00 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इसके एवज में, मंत्रालय ने 57.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। अत: निधियों में बढ़ोतरी को संशोधित अनुमान 2005-06 के निर्णय के समय दर्शाया जाएगा।

सिफारिश संख्या 23

समिति का यह स्पष्ट विचार है और वह सिफारिश करती है कि आई सी सी आर को वही कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए जिन्हें वह पूरा कर सकें तथा परिषद मूल रूप से उन्हें सौंपे गये स्वप्न और मिशन को पूरा करने हेतु प्रयास करने पर अपना ध्यान केन्द्रीत करे।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

परिषद की वार्षिक कार्य योजना, जिसमें शुरू की जाने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं, को प्रतिवर्ष समेकित किया जाता है तथा इसको वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मूल कार्य योजना में निहित नहीं की गई अतिरिक्तताओं पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हासिल करने से पहले उनकी संगतता तथा महत्व के आधार पर विचार किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

वर्ष 2005-06 हेतु परिषद की वार्षिक कार्य योजना, जिसमें परिषद के दृष्टिकोण और लक्ष्य को पूरा करने के लिए लक्षित गतिविधियां शामिल हैं, को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 25 फरवरी 2005 को वित्त समिति एवं 9 मार्च 2005 को अधिशासी निकाय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्य योजना के प्रावधानों को निष्पादित किया जा रहा है। साथ-ही-साथ, मुम्बई (जिन्ना हाऊस) तथा दिल्ली (अफ्रीका हाऊस) स्थित आई सी सी आर संपदाओं के पुनरुद्धार जैसे कार्यों को अब मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जिससे आई सी सी आर अपनी स्वयं की गतिविधियों पर केन्द्रीत रह सके।

सिफारिश संख्या 24

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि वाशिंगटन में सांस्कृतिक केन्द्र किसी भी मूल्य पर जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। इसी प्रकार मंत्रालय द्वारा फिजी में भी सांस्कृतिक केन्द्र खोलने से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे वहां पर एक संपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र समय पर काम करना शुरू कर दे।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

वाशिंगटन में एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के सबंध में स्थायी समिति की सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। मिशन भारत केन्द्र हेतु उपयुक्त भवन तलाशने का भरपूर प्रत्यन कर रहा हैं। जैसे ही एक उपयुक्त सम्पत्ति का पता चल जाता है, मंत्रालय शीघ्र इसे खरीदने का समस्त प्रबंध करेगा।

वर्तमान स्थिति

वाशिंगटन में प्रस्तावित सांस्कृतिक केन्द्र के लिए, मिशन ने अधिग्रहण हेतु एक सम्पति का पता लगा लिया है।

सिफारिश संख्या 25

समिति सिफारिश करती है कि सलाहकार समितियों के गठन का काम यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए। जहां तक भुवनेश्वर, भोपाल, श्रीनगर तथा पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने का संबंध है, इन्हें और कीमती समय बर्बाद किए बिना तत्काल खोला जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

सलाहकार समितियों के गठन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से निवेश प्राप्त कर लिए गए हैं। इन पर कार्यवाही की गई और अपेक्षित अनुमोदन हासिल कर लिया गया है। इन सलाहकार समितियों के अगले वर्ष के शुरू में कार्य शुरू करने की आशा है। नए क्षेत्रीय

[श्री ई. अहमद]

कार्यालयों के खोलने के संबंध में, इन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान स्थिति

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निवेशों के आधार पर, मुम्बई एवं त्रिपुरा के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सलाहकार समितियों को अब गठन कर लिया गया है। नए क्षेत्रीय कार्यालयों के खोलने के संबंध में, नए क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाली हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए संबद्ध प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समेकित प्रस्ताव परिषद ने अग्रसारित कर दिए हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	कार्यक्रम निदेशक	10000-325-15200	4
2.	कार्यक्रम अधिकारी	8000-275-13500	4
3.	सहायक	5000-150-8000	4
4.	कनिष्ठ आशुलिपिक	4000-100-6000	4
5.	अवर श्रेणी लिपिक	3050-75-3950-80-4590	4
6.	चपरासी	2550-55-2660-60-3200	4

एक बार ऊपरवर्णित अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हो जाए, तो स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। इसके बाद ही प्रस्तावित नए क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना संभव हो पाएगा।

सिफारिश संख्या 26

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा आई सी सी आर की कार्य प्रणाली की बारीकी से समीक्षा करने का यह उचित समय है ताकि यह हमारी सांस्कृतिक कूटनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वास्तविक ढंग से कार्य कर सके।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

''सांस्कृतिक कूटनीति के लिए अधिक बल प्रदान करने हेतु आई सी सी आर के कार्यों और दायित्वों की संपूर्ण समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय विचार कर रहा है।''

वर्तमान स्थिति

यह सिफारिश मंत्रालय के विचाराधीन है।

सिफारिश संख्या 27

निर्गुट और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली संबंधी सोसाइटी: भारत की विदेश नीति तैयार करने में और अन्य मामलों में आर आई एस द्वारा अदा की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि समिति के लिए आबंटन में उपयुक्त रूप से बढ़ोत्तरी की जाए ताकि वह वैश्विकरण के इस युग में बगैर किसी कठिनाई के वृहत स्तर पर अपनी भूमिका अदा कर सके।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

विदेश मामले संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर आर आई एस को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु बजट अनुमान स्तर पर प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान आबंटन को 1.37 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

वर्तमान स्थिति

स्थायी समिति की सिफारिश पर, वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली हेतु बजट आबंटन को बढ़ाने की संभावना पर मंत्रालय ने विचार किया। तथापि, समग्र तथ्यों को देखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आर आई एस के आबंटन को 1.37 करोड़ रु. पर ही बनाए रखा गया है। जैसा अपेक्षित होगा, बढ़ोत्तरी के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर विचार किया जाएगा।

सिफारिश संख्या 28

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स: समिति सिफारिश करती है कि आई सी डब्ल्यू ए को संशोधित आकलन के चरण में निधियों के आबंटन को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। समिति अपेक्षा करती है कि शासी निकाय का गठन एक या दो महीने के भीतर हो जाना चाहिए और अन्य लंबित कार्य, जैसे कि रिक्त पदों तथा सहयोगी स्टाफ आदि के पदों का भरा जाना, परिषद द्वारा शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। समिति यह भी आशा करती है कि सप्रू हाऊस के पुनरुद्धार का कार्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। समिति को पूर्ण आशा है कि आई सी डब्ल्यू ए अपनी पुरानी गरिमा प्राप्त करते हुए निकट भविष्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

1. विदेश मामले संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर, आई सी डब्ल्यू ए ने 2.05 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान 2004-2005 प्रस्तुत किया है।

2. मंत्रालय ने अधिशासी निकाय के गठन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जब भी और जैसे ही अधिशासी निकाय का गठन कर लिया जाता है, रिक्त पदों को भरने जैसे लंबित कार्यों को शुरू किया जाएगा।

3. सप्रू हाऊस के नवीकरण कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

वर्तमान स्थिति

हालांकि, मंत्रालय ने विश्व कार्य संबंधी भारतीय परिषद के अनुदान को संशोधित अनुमान 2004-05 में बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपए कर दिया, बजट अनुमान 2005-06 में आबंटन को समग्र वित्तीय बाधाओं के कारण 1.80 करोड़ रुपए ही रखा जाएगा। मंत्रालय ने आई सी डब्ल्यू ए हेतु अधिशासी निकाय के गठन के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। इसके बाद, रिक्त पदों को भरने जैसे लंबित कार्य को शुरू किया जाएगा। सप्रू हाऊस का मुख्य नवीकरण कार्य पूरा हो चुका है। आई सी डब्ल्यू ए प्रशासन को निदेश दिया गया है कि शेष बचे कार्य को वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पूरा करे ले।

सिफारिश संख्या 29

हिन्दी का प्रचार-प्रसार:—समिति की राय में सरकार को उन देशों का एक संगठन बनाना चाहिए जहां हिन्दी बोली और लिखी जा रही है और विशेष रूप से तब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा बनाने संबंधी मंत्रालय के अभियान में कोई अड़चन नहीं आ रही हो, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह इस लक्ष्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयास करे।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

जिन देशों में हिन्दी बोली और लिखी जाती है उनका एक संगठन बनाने संबंधी समिति की सिफारिश का जोरदार अनुपालन किया जाएगा। सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के अनुवर्तन में, बड़ी संख्या में भारतीय डायसपोरा वाले मारीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय के अतिरिक्त, मंत्रालय ने 5 क्षेत्रीय हिन्दी प्रचार केन्द्रों को खोलने का मन पहले ही बना लिया है। मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में उच्चस्तरीय निर्देशन हासिल करने के लिए, विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है। अब तक समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। विश्वव्यापी पी आई ओ के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी संबंधी जागरूकता लाने के लिए एक समर्थन-पत्र तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय इस समय या तो मिन्स्क (बेलारूस) या वार्सा (पोलैण्ड) में एक क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। नीदरलैण्ड में अगला विश्व हिन्दी सम्मेलन कराने की संभावना तलाशने पर भी कार्य शुरू हो चुका है विदेश राज्य मंत्री, श्री राव इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति को सयुंक्त राष्ट्र की राजभाषाओं में हिन्दी को शामिल कराने संबंधी प्रयास शुरू करने के लिए गठित किया गया है। एक 'समर्थन पत्र' तैयार करने संबंधी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है जिससे अन्य देशों से समर्थन प्राप्त किया जा सकें।

सिफारिश संख्या 30

समिति सिफारिश करती है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक मिशन/पोस्ट में कम से कम एक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक मिशन और पोस्ट को हिन्दी साफ्टवेयर, शब्दकोषों, पत्रिकाओं, आदि जैसे साधनों से समुचित रूप से युक्त होना चाहिए। समिति आशा करती है कि हिन्दी का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार हमारे मिशनों/पोस्टों के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से भी जितना हो सके उतने प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

अधिकांश मिशनों को मंत्रालय द्वारा हिन्दी सॉफ्टवेयर, शब्दकोष और अन्य शिक्षण सामग्रियां मुहैया कराई जा रही हैं। मंत्रालय मिशन की हिन्दी पत्रिका 'भारत भवन' के प्रकाशन के लिए भारतीय उच्चायोग, लंदन को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। येरेवन और काठमांडू स्थित हमारे मिशनों से भी हिन्दी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। स्थानीय हिन्दी प्रेमियों में प्रचार के लिए मिशनों में 15 प्रसिद्ध साहित्यिक हिन्दी पत्रिकाओं की उपयुक्त मात्रा में प्रतियां भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।

यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) द्वारा चलाई जा रही हिन्दी संवर्द्धन गतिविधियों के अतिरिक्त, हिन्दी के संवर्द्धन और प्रचार से संबंधित कार्य शुरू करे। आई सी सी आर ने संबंधित देशों में विदेशी छात्रों के बीच हिन्दी के प्रचार और शिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10 हिन्दी पदों की स्थापना की है। कुछेक मिशनों, जहां पी आई ओ की काफी बड़ी संख्या है। मंत्रालय में विशेष रूप से हिन्दी का प्रचार और संवर्द्धन कार्य करने के लिए हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

[श्री ई. अहमद]

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय का विदेश में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने का समस्त प्रयास निरन्तर जारी है। मंत्रालय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, शब्दकोषों, पाठ्यपुस्तकों और पत्रिकाओं के साथ-साथ हिन्दी सॉफ्टवेयर हमारे मिशनों को भेजता रहा है। विदेश समिति लगभग 100 मिशनों/पोस्टों द्वारा 16 सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रिकाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय उच्चायोग, लंदन को भी हिन्दी में एक भारत भवन पत्रिका के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया गया है।

सिफारिश संख्या 31

विदेश आर्थिक संबंध-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:—जबकि विकसित देश विकासशील देशों को बड़ी सहायता देकर और अंत में उनका फायदा उठाकर प्रभावित कर रहे हैं, भारत को मित्र देशों के साथ उनका फायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि स्थाई मित्रता कायम करने और गहरे संबंध को बढ़ावा देने और इसे प्राप्त कराने के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यदि इनके लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत हो तो सरकार को बिना किसी हिचक या संकोच के यह उपलब्ध कराना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय मैत्रीपूर्ण देशों में प्रशिक्षण के स्लॉटों को बढ़ाकर, प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राहत सहायता देकर तथा परियोजना सहायता देकर और विशेषज्ञों को भेजकर उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाने तथा सौहार्द बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

इसी क्रम में, वर्ष 2004-2005 के दौरान आई टी ई सी साझा देशों को लगभग 3400 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट ओर 200 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए गए हैं। नए विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा नई परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं।

वर्तमान स्थिति

इसी अवधि के दौरान 51 भारतीय विशेषज्ञ विभिन्न मैत्रीपूर्ण देशों में प्रतिनियुक्ति पर थे। लाओस में आई टी सेन्टर की स्थापना, इंडोनेशिया और यमन में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा कंबोडिया में ता प्रोम मंदिर का पुनर्जीवन और संरक्षण ऐसी परियोजनाएं थीं जहां 2004-2005 में भारतीय सहायता प्रदान की गई थी। टी सी डिवीजन के वर्ष 2004-05 के बजट को बजट अनुमान में 40.6 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अंतिम अनुमान में 56.22 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

सिफारिश संख्या 32

बंगलादेश, इंडिया, म्यामांर, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक):—मुख्य रूप से इस समूह का गठन थाई और भारतीय हितों-थालैंड की "लुक वेस्ट" नीति की इच्छा और भारत की "लुक ईस्ट" नीति का विस्तार करने की इच्छा का एक समान होना है। यद्यपि, यह एक नया समूह है, बिमस्टेक देशों के लोगों के बीच नजदीकी सांस्कृतिक, सामाजिक और वाणिज्यिक संबंध का इतिहास रहा है जिसमें व्यापार करने वाले समुदायों के बीच सक्रिय संबंध शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया है कि बिमस्टेक एक अत्यंत नया समूह है, इसलिए इसके परिणाम देरी से सामने आएंगे। समिति आशा करती है कि अब तक की गई पहल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विकास में सहायक होगी। पहल जो अभी तक व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में है जल्द ही आकार लेने लगेगी और बिमस्टेक सभी सदस्य देशों को अपने सामूहिक हितों को तेजी से आगे बढ़ाने में एक सूत्र में बांध सकेगा। समिति यह भी आशा करती है कि इस उप महाद्वीप के पूर्वी भाग में निकट भविष्य में विकास के लिए बेहतर माहौल बनेगा। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से समिति सिफारिश करती है कि इस नवगठित संगठन को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक निश्चित प्रयास और नीतियों की जरूरत है, जो आगे चलकर सभी सात सदस्य देशों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

30-31 जुलाई, 2004 को बैंकाक, थाईलैंड में हुए पहले बी बाई एम एस टी-ई सी सम्मलेन में, बी आई एम एस टी-ई सी परिवर्णी शब्द को बदलकर बी आई एम एस टी ई सी कर दिया गया था और इसे फिर से बे आफ बंगाल इनिसिएटिव फार मल्टी-सेक्टोरल टेक्नीकल एण्ड इकॉनोमिक कोआपरेशन के रूप में नामित किया गया था। भारत ने इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं की हैं

(1) भारत 2005 में बी आई एम एस टी ई सी ईनर्जी मिनिस्टर्स कन्फ्रेन्स की मेजबानी करेगा। इस बैठक के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(2) पर्यटन मंत्रियों की कार्यशाला तथा पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन:—पर्यटन मंत्रालय ने इस विषय पर एक पृष्ठभूमि दस्तावेज तैयार कर लिया है। 2005 की प्रथम तिमाही में गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के लिए तैयारियां चल रही हैं।

(3) बी आई एम एस टी ई सी सेन्टर फार वेदर एण्ड क्लाईमेट:—केन्द्र को 19 अगस्त, 2004 से उसके

वास्तविक चरण में पहले ही चालू किया जा चुका है। भावी सहयोग हेतु अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक क्रोड़ समूह का गठन कर लिया गया है।

(4) बी आई एम एस टी ई सी देशों के साथ रिमोट सेंसिंग डाटा बांटना:—विभिन्न क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों पर एक संकल्पना-पत्र तैयार किया जा रहा है।

(5) अतिरिक्त 150 आई टी ई स्लॉट:—संबंधित मिशनों को अतिरिक्त स्लॉटों के विषय में पहले ही सूचना दे दी गई है।

(6) भारतीय चिकित्सा प्रणाली में पाठयक्रमों के लिए 30 छात्रवृत्तियां आयुष विभाग ने छात्रवृत्ति की पद्धति पर प्राथमिकता प्रस्तावना-पत्र तैयार किया है और इसके कार्यान्वयन पर वर्तमान समय में विचार-विमर्श कर रहा है।

(7) आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य दल:—संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 9-10 दिसम्बर 2004 को रखने का प्रस्ताव किया गया है। बी आई एम एस टी ई सी सदस्य देशों से तिथियों की उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए कहा गया है।

(8) बी आई एम एस टी इ सी मुक्त व्यापार क्षेत्र:—भावी कार्य हेतु विचारणीय विषय तैयार करने के लिए 7-8 सितंबर 2004 को बैंकाक में ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी की पहली बैठक आयोजित की गई।

(9) भारत-2006 में द्वितीय बी आई एम एस टी इ सी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी तैयारी से संबंधित कार्यों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वर्तमान स्थिति

मंत्रालय, बैंकॉक, थाईलैंड में 30-31 जुलाई, 2004 को आयोजित पहली बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल सम्मेलन (बिमस्टैक) में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करता रहा है। आरम्भ की गई कुछ गतिविधियां ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में हैं, बिमस्टैक मौसम और जलवायु केन्द्र की स्थापना करता है, बिमस्टैक देशों के साथ रिमोट सेसिंग डाटा को बॉटना, बिमस्टैक सदस्य देशों के लिए 150 अतिरिक्त आई टी ई सी स्लॉटों का आबंटन करना, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में पाठ्यक्रमों के लिए 30 छात्रवृत्तियां देना और आतंकवाद का सामना करने संबंधी संयुक्त कार्य दल की बैठक करना है। वर्ष 2006 में भारत में द्वितीय बिमस्टैक सम्मेलन की मेजबानी करने के संबंध में तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

सिफारिश संख्या 33

मेकांग-गंगा सहयोग (एम जी सी):—सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए मेकांग-गंगा सहयोग तंत्र इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त मंच मुहैया कराता है। समिति अब तक हुई प्रगति पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करती है। तथापि, समिति सिफारिश करती है कि सदस्य देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाए तथा और सहयोग की संभावना का पता लगाया जाए। इसलिए समिति भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह एम जी सी को हर संभव सहायता प्रदान करे अभी यदि आवश्यकता हो तो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे कुछ अतिरिक्त बजट भी आबंटित किया जाए।

की गई कार्रवाई

संस्कृति:—सी एम रीप, कम्बोडिया में स्थापित किए जाने वाले मेकांग-गंगा कोओपरेशन (एम जी सी) देशों के पारम्परिक वस्त्र संग्रहालय की स्थापना के लिए परियोजना के मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन आई सी सी आर द्वारा किया जा रहा है।

पर्यटन:—भारत और थाईलैंड, हानोई कार्य योजना के अंतर्गत प्रोत्साहक पुस्तिका तैयार करने पर सहयोग कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय को सहायता उपलब्ध करा रहा है।

परिवहन और संचार:—सहयोग के ढांचागत कार्यक्रम अभी शुरू किया जाना हैं।

शिक्षण:—भारत ने संगीतशास्त, संग्रहालय विज्ञान, पुरातत्व, नृत्व, लिपि तथा संस्कृत और पाली भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए 50 सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों (प्रत्येक सदस्य देशों को 10) की पेशकश की है।

दिल्ली-हानोई रेल संपर्क:—राइट्स लि. द्वारा जीरीबम-मॉडलेय रेल सम्पर्क के व्यवहार्य अध्ययन किए जा रहे हैं। यह अध्ययन दिसम्बर, 2004 के अंत में पूरे कर लिए जाएंगे। एम जी सी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए प्रयास जारी हैं। थाईलैंड के हमारे मिशन बैठक के लिए सुविधाजनक तिथियां प्राप्त करेंगे।

मेकांग-गंगा सहयोग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य थाईलैंड में बैठक आयोजित करने के लिए एक सुविधाजनक तारीख खोजना होगा।

[श्री ई. अहमद]

वर्तमान स्थिति

मेंकाग-गंगा सहयोग (एम जी सी) में चार क्षेत्र तथा पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग शामिल हैं। संस्कृति के अंतर्गत, सिएम द्वीप में स्थापित किए जाने वाला मेकांग-गंगा सहयोग देशों के परम्परागत वस्त्र संग्रहालय की स्थापना करने के लिए परियोजना के मानदंड तैयार किए जा रहें हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन आई सी सी आर द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन के अंतर्गत भारत और थाइलैंड संवर्द्धनात्मक पुस्तिकाएं तैयार करने पर सहयोग कर रहे हैं। परिवहन और संचार के अंतर्गत सहयोग का एक तैयार कार्यक्रम बनाया गया है। शिक्षा के अंतर्गत भारत ने संगीत शास्त्र, संग्रहालय विज्ञान, पुरातत्व और नृत्य के क्षेत्रों, धर्मग्रंथों के अध्ययन, तथा संस्कृत व पाली भाषा में उच्चतर अध्ययनों के लिए 50 सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां (प्रत्येक सदस्य देशों के लिए 10) प्रस्तुत की। रेल संपर्क जीरीबम-मांडलेये के लिए व्यवहार्यता अध्ययन राइट्स लि. द्वारा किया जा रहा है। राइट्स द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत कर दी जाएगी। मेकांग गंगा सहयोग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए प्रयास जारी हैं। मेकॉग-गंगा सहयोग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित कराने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की थाईलैंड में बैठक करवाने की कोशिश करना हमारा मिशन है।

सिफारिश संख्या 32

बंगलादेश सरकार के लिए वित्तीय आबंटन:—समिति सिफारिश करती है कि जिन करारों पर बातचीत होनी है वह शीघ्रता से की जाए तथा जिन परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है उनको भी यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

''बंगलादेश को सहायता'' व ''बंगलादेश को ऋण'' शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय-वर्षवार व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	कुछ अन्य
बंगलादेश को सहायता				(रुपए लाख में)
2003-04	20,00,00,000	2,00,00,000	60,47,965	
2004-05	3,30,00,000	–	91,36,588	
बंगला देश को ऋण				
2003-04	20,00,00,000	2,00,00,000	20,00,00,000	
2004-05	1,62,00,000	–	90,12,630	

समझौतों पर शीघ्रता से बातचीत करने और परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय ने सिफारिश नोट कर ली है।

वर्तमान स्थिति

2003-04 के लिए बजट अनुमान के अंतर्गत 'बंगलादेश को सहायता' शीर्ष 20 करोड़ रु. था। बंगलादेश को 25 करोड़ रु. मूल्य का एक ''वातानुकूलित रेल'' भेंट में देने का प्रस्ताव था। तथापि, इस परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान आंकड़े को 3.3 करोड़ पर रखा गया क्योंकि अत्यधिक व्यय वाली कोई परियोजना नहीं थी।

'बंगलादेश को ऋण' शीर्ष के अंतर्गत, 2003-2004 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 20 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान का आंकड़ा 1.62 करोड़ रु. था। इस आंकड़े को इसी स्तर पर रखा गया क्योंकि बंगलादेश के लिए बी जी लोकोमोटिक्स की आपूर्ति के लिए परियोजना को 2003-2004 में पूरा किया जाना था जिसके लिए वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़े हुए बजट की मांग की गई थी। वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान स्तर पर आवश्यकता की मांग किए जाने की वजह से वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान स्तर पर इसे दर्शाया नहीं जा सका जिसकी वजह से दो वर्षों के बजट अनुमान के प्रोजेक्शन में भिन्नता है।

सिफारिश संख्या 35

भूटान सरकार के लिए वित्तीय आबंटन:—समिति सिफारिश करती है कि जहां भूटान के प्रति हमारी नीति जैसे उनकी उचित आकांक्षाओं को मान्यता देना और दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, बनी रहनी चाहिए, वहीं सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी तरह समझौता न हो और पनबिजली जैसे अन्य द्विपक्षीय लाभ के क्षेत्रों का पता करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

हमारे सहयोग अत्यावश्यक राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों जैसे सुरक्षा के लिए भी दिये जाते हैं। भूटान ने दोनों देशों के महत्व के सुरक्षा मुद्दों पर अपनी संवदेनशीलता को अनुकरणीय तरीके से दर्शाया है। दिसम्बर, 2003 और जनवरी, 2004 में अपने परिक्षेत्र से भारतीय विद्रोहियों को भगाने की सफल कार्रवाई ने हमारे पूरे क्षेत्र में यह संदेश प्रेषित किया है कि आतंकवादी और सैन्य कार्रवाईयों को बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

महामहिम भूटान नरेश की गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भूटान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नया बल दिया है। दौरे के दौरान भारत और भूटान के सीमान्त शहरों के बीच रेल संपर्क, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग और पुनात्सांग्चु (चरण 2) और मंगादेचु पन बिजली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दंगसम परियोजना की फरवरी, 2005 में हाल की बैठक में दंगसम सीमेंट परियोजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया, जिसका अब कार्यान्वयन किया जाएगा। यह निर्णय शाही भूटान सेना द्वारा भारतीय विद्रोहियों के सफलतापूर्वक निष्कासन के बाद दक्षिणी भूटान में सुरक्षा स्थिति में सुधार से प्रारम्भ हुआ है जहां यह परियोजना स्थित है।

सिफारिश संख्या 36

समिति सिफारिश करती है कि अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कुल 2000 मेगावाट अपेक्षित क्षमता वाली परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन शीघ्र किया जाए। समिति को भरोसा है कि इन परियोजनाओं पर लगाए गए प्रयास और धन बेकार नहीं जाएंगा तथा अंतत: आने वाले समय में इनसे दोनों देशों को लाभ मिलेगा।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

पनबिजली भारत और भूटान के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। चुका और करीचू परियोजनाएं, जो भारत को अधिकतर बिजली निर्यात करती हैं, की सफलता और आने वाली ताला परियोजना जिससे भारत को सभी अतिरिक्त बिजली के निर्यात की आशा है, भी इस क्षेत्र में निकट और फलदायक पारस्परिक रूप से लाभदायक सहयोग की घोषणा करती हैं। भारत अतिरिक्त परियोजनाएं आरंभ करके इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुनात्सांग्चू-1 परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और तीन चरणीय परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन इस क्षेत्र में हमारे निरंतर रुचि को दर्शाता है। भूटान का ऊर्जा मास्टर प्लान इस क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान करने और प्राथमिकता देने में हमारी मदद करेगा।

वर्तमान स्थिति

भारत सरकार, भूटान की नौवीं पंचवर्षीय योजना में तीन परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययन को वित्त पोषित करने पर प्रारंभिक रूप से सहमत हो गई है। तथापि, जब योजना के मध्यावधि समीक्षा की गई तो भूटान की शाही सरकार ने अनुरोध किया कि तीन व्यवहार्यता अध्ययन करने के बजाय भारत सरकार को मंगदेचू और पुनात्सांग्चू (चरण-2) परियोजनाओं जैसी दो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। इस पर सहमति हुई और महामहिम भूटान नरेश की राजकीय यात्रा के दौरान दो परियोजनाओं जिनकी अनुमानित संयुक्त क्षमता 1500 मेगावाट है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए जनवरी, 2005 में एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निष्पादन के लिए विद्युत मंत्रालय के परामर्श से भारत सरकार की एजेंसियों की पहचान की जा रही। भारत सरकार की सिफारिश पर भूटान सरकार ने टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) के माध्यम से ऊर्जा मास्टर प्लान शुरू किया है। टेरी के अधिकारियों ने भूटान का पूर्व दौरा भी कर लिया है और जून, 2007 तक मास्टर प्लान तैयार करने की संभावना है।

सिफारिश संख्या 37

इस संबंध में समिति कहना चाहती है कि सुरक्षा और बाढ़ की समस्याएं चिरस्थायी नहीं हैं तथा इन समस्याओं के कारण परियोजना को निलम्बित नहीं रखना चाहिए। जब भूटान की शाही सरकार से परियोजना पुन: सक्रिय करने का अनुरोध प्राप्त हो गया है तो इसे यथाशीघ्र पुन: सक्रिय करने के लिए स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए।

[श्री ई. अहमद]

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

दक्षिणी भूटान से भारतीय विद्रोहियों के समूह को सफलतापूर्वक निकालने के बाद डुंगसम सीमेंट संयंत्र को दुबारा चलाने के लिए डुंगसम की अवस्थिति के क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार का निर्णय लिया गया है। वर्तमान समय में भारत परियोजना को पुन: सक्रिय करने के लिए तौर-तरीकों पर भूटान की शाही सरकार के साथ विचार-विमर्श में संलग्न है।

वर्तमान स्थिति

डुंग सम सीमेंट परियोजना प्राधिकरण (डी सी पी ए) की बैठक फरवरी, 2005 में आयोजित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी ई एफ आर) को आधुनिक किया जाए और परियोजना को पुन: सक्रिय करने के तौर-तरीकों पर बाद में दोनों सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इस टी ई एफ आर के अक्टूबर, 2005 तक आधुनिक हो जाने की संभावना है। डी सी पी ए की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना स्थल के लिए असम में पहुंच मार्ग को तत्काल आधार पर उन्नयित किया जाए। पहुंच मार्ग को एन एच-152 के रूप में अधिसूचित किए जाने की वजह से सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से तत्काल आवश्यक कदम उठाने को अनुरोध किया गया है।

सिफारिश संख्या 38

नेपाल सरकार के लिए वित्तीय आबंटन:—समिति ने यह भी पाया कि जल संसाधनों के क्षेत्र में भी काफी गुंजाइश है और इस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जैसा कि साक्ष्य के दौरान विदेश सचिव ने स्पष्ट किया है। अत: समिति महसूस करती है कि भूटान में कार्यान्वित परियोजनाओं के अनुरूप इस क्षेत्र में भी संभावनाओं का गंभीरता से पता लगाया जाना चाहिए। समिति का यह भी विश्वास है कि नेपाल में निवेश से भारत को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के अन्य देश मात्र सहायता देकर नेपाल का उपयोग न कर सकें।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

अन्य बातों के साथ-साथ उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों के जरिए भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और विकसित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री शेर बहादुर देउबा की हाल की यात्रा से जल संसाधन सहित अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग विस्तार देने, में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने सक्रिय रूप से विचाराधीन विभिन्न जल-संसाधन परियोजनाओं की तीव्र प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गये अनुदेशों के अनुसरण में सितम्बर-अक्टूबर, 2004 में जल संसाधन से संबद्ध समिति की बैठकों सहित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों की अनेक बैठकों में जल-संसाधन क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग की व्यापक समीक्षा की गयी। दोनों पक्ष विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित योजना पर कार्य के लिए सहमत हो गये हैं।

नेपाल में भारतीय निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतीय सयुंक्त उपक्रम अब नेपाल में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 40% है। ये होटल और पर्यटन क्षेत्र, दूर-संचार, खाद्य प्रसंस्करण, कास्मेटिक्स, दवाओं इत्यादि के क्षेत्र में है। भारत-नेपाल व्यापार संधि द्विपक्षीय व्यापार के विकास में सहायक रही है और इससे नेपाल में भारतीय निवेश को बढ़ावा मिला है। नेपाल में भारतीय निवेशों के लिए निवेश स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार नेपाल के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार संपन्न करने के लिए नेपाल की शाही सरकार के साथ संपर्क में है।

वर्तमान स्थिति

भारत सरकार ने 1 फरवरी, 2005 को नेपाल में बहु-पक्षीय सरकार की बर्खास्तगी के बाद आपातकाल लगाने और राजनेताओं तथा अन्य को गिरफ्तार करने पर गहरी चिंता व्यक्त ही है। भारत इन घटनाक्रमों को लोकतंत्र के लिए गहरा धक्का मानता है जिसने नेपाल द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह तैयार करने के लिए प्रयासों को जटिल बना दिया है। हमने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। अपनी ओर से भारत, नेपाल में राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक संपन्नता की बहाली के लिए सभी प्रयासों को समर्थन देना जारी रखेगा। इस छोर से हम जल संसाधन के क्षेत्र सहित विभिन्न आर्थिक सहयोग की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे हालांकि नेपाल में वर्तमान अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए इसके कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। भारत, नेपाल के साथ जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने को उच्च प्राथमिकता देता है। सिम्बर, 2004 से द्विपीक्षीय संस्थागत तंत्रों की बैठकों की श्रृंखला में जल संसाधन के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई दोनों पक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित सड़क मानचित्र तैयार किया। लघु और मध्यम अवधि में कार्यान्वित किए जा सकने वाले उपायों सहित बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए व्यापक

रणनीति तैयार करने पर भी सहमति हुई। विभिन्न तकनीकी स्तरीय अनुवर्ती बैठकों की भी योजना बनाई गई लेकिन इन्हें नेपाल में हाल के घटनाओं के मद्देनजर पुनः निर्धारित करना होगा।

सिफारिश संख्या 39

नेपाल सरकार के लिए वित्तीय आबंटनः—सरकार ने स्वीकार किया है कि कई ऐसी विचाराधीन परियोजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ पंचेश्वर परियोजना आठ वर्ष पुरानी है। जब से सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, परियोजना का कार्यान्वयन अभी भी अधर में लटका पड़ा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा भारत और नेपाल के मध्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के क्षेत्रों में विचारित और विचाराधीन परियोजनाओं पर समय और लागत वृद्धि को रोकने हेतु यथाशीघ्र बातचीत की जानी चाहिए।

की गई कार्रवाई

नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री शेर बहदुर देउबा की सिम्बर, 2004 में हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने पंचेश्वर सहित सक्रिय रूप से विचाराधीन विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की तीव्र प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में जल संसाधन के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग की व्यापक समीक्षा द्विपक्षीय संस्थानात्मक तंत्रों की अनेक बैठकों में जिनमें जल संसाधन पर संयुक्त समिति और सितम्बर-अक्टूबर, 2004 में पंचेश्वर पर विशेषज्ञों के संयुक्त दल की बैठकों सहित अनेक बैठकें हुई। दोनों पक्ष विभिन्न परियोजनाओं पर आगे कार्य करने के लिए एक निश्चित योजना पर कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं। जल संसाधन से संबद्ध संयुक्त समिति बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए व्यापक नीति तैयार करेगी जिसमें वे उपाय भी शामिल हैं जिन्हें लघु से लेकर मध्यम अवधि में क्रियान्वित किया जा सके।

वर्तमान स्थिति

नेपाल में जारी अस्थिरता ने वहां भारतीय निवेशों को भी प्रभावित किया है। आपातकाल लागू होने के बाद मैसर्स यूनाइटेड टेलीकॉम लि. लगभग 190 करोड़ रुपए के निवेश सहित नेपाल में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने वाली एक भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। हमने यह मामला नेपाल की सरकार के साथ उठाया है। माओवादी हमलों की भी घटनाएं हुई हैं जिनमें भारतीय सांझा उद्यम प्रभावित हुआ है। नेपाल सरकार ने भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आश्वास दिया है। नेपाल में हमारे निवेश के लिए निवेश की स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौता करने के लिए एच एम जी एन के साथ वार्ता की है। तथापि, हमारा बल अब निवेश के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए सार्क समझौता पूरा करने पर है जो नेपाल सहित द्विपक्षीय समझौतों में शामिल सभी मुद्दों से भी निपटेगा। इन वार्ताओं में हम पर्याप्त प्रगति प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

सिफारिश संख्या 40

म्यांमार को सहायताः—चूंकि, इन परियोजनाओं की द्विपक्षीय प्रकृति के कारण इनको म्यामांर द्वारा क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के संबंध में यथाशीघ्र और हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिएं और उनके समयबद्ध और समुचित क्रियान्वयन हेतु म्यामांर सरकार से आश्वासन भी लिया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ''म्यामां को सहायता'' के अंतर्गत वित्त-पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए यथासंभव सर्वोच्च स्तर पर सभी प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों से इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों के उपयोग में सुधार आने की आशा है। हालांकि, चूंकि ये परियोजनाएं द्विपक्षीय स्वरूप की हैं इसलिए आशा की गयी समय-सीमा को पूरा करने में अनिश्चितता का भाव है।

वर्तमान स्थिति

'म्यामांर को सहायता' शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों के कम उपयोग से संबंधित पर्यवेक्षण के संदर्भ ने यह तथ्य रखा गया कि विदेश मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकतम संभावित स्तर पर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों से आबंटित निधियों के उपयोग में सुधार आने की आशा है। हालांकि, यह परियोजना द्विपक्षीय प्रकृति की है, लेकिन अनुमानित अनुसूची को पूरा करने की शर्तों पर हमेशा ही अनिश्चितता का पुट बना रहता है।

सिफारिश संख्या 41

समिति आशा करती है कि हमारी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आईटेक को अपनी विभिन्न परियोजनाओं को आरंभ करने और चलाने के लिए सक्षम बनाने हेतु मंत्रालय द्वारा टी सी डिवीजन को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करवायी जाएगी। समिति सिफारिश करती है कि विश्व भर में भारत को अन्य विकासशील देशों के समीप लाने के लिए प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए।

[श्री ई. अहमद]

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि आई टी ई सी और स्काप से भारत की सद्भावना बढ़ी है और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धता की विकासशील देशों में पहचान बनी है। समिति ने मत व्यक्त किया कि हमारी बाध्यताओं और गतिविधियों को पूरा करने के लिए सही में और धन की आवश्यकता होगी। समिति ने सिफारिश की कि भारत को अन्य विकासशील देशों के निकट लाने के लिए हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। आई टी इ सी और स्काप कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के इस ओर प्रयास जारी हैं और इसके लिए मंत्रालय ने आर ई 2004-05 और बी ई 2005-06 में अतिरिक्त धन की मांग की है। यह आशा है कि अधिक आबंटन कर दिया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

आईटी ईसी और स्काप कार्यक्रमों के अंतर्गत स्लाटों और व्यय की बेशक सही उपयोगिता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 में आईटीईसी के अंतर्गत स्लाटों की वास्तविक उपयोगिता के विषय में क्रमश: आबंटित स्लाटों की 2203 और 2891 की तुलना में 2001 और 2130 सिविलियनों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2003-04 में स्लाटों की वास्तविक उपयोगिता के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई परस्पर विरोधी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। वास्तविक रूप से उपयोग किए गए स्लाटों की कुल संख्या 2130 में से आईटीइसी के अधीन 1652 और स्कैप कार्यक्रम के अधीन 478 थे। किसी स्तर पर आई टी ई सी और स्काप कार्यक्रमों के अंतर्गत संयुक्त आंकड़े दिए गए और किसी अन्य स्तर पर आईटीइसी के अंतर्गत वास्तविक रूप से उपयोग किए गए कुल स्लाटों की संख्या दी गई, जिस कारण भ्रम उत्पन्न हुआ, उसके लिए खेद है।

सिफारिश संख्या 42

जैसा कि मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक प्रशिक्षण शीर्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम विदेशों में स्थित हमारे शनों की आवश्यकता के अनुसार स्लाटों का आबंटन, किया जाता है। समिति सिफारिश करती है कि स्लाटों के आवंटन के लिए मांग भेजने से पहले मिशनों को अनेक सहभागी देशों की आवश्यकताओं की यथार्थपरक जांच करनी चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

यह बताया गया कि मिशन अपने प्रत्यायन और सह प्रत्यायन के देश/देशों की मांगों को ध्यान में रखते हैं और आवश्यकताओं से संतुष्ट होने के बाद ही मांग मंत्रालय को भेजते हैं। आवेदनों के पर्याप्त संख्या में भेजने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते हैं ताकि संबंधित देश को वास्तविक रूप से आबंटित स्लाटों को भरा जा सके/तथापि, यह हमारा अनुभव है कि प्रशासनिक कारणों, व्यक्तिगत कारणों (जैसे अस्वस्थता, परिवार में मृत्यु और अन्य आवश्यक करण) जैसे कुछ कारणों से कुछ नामित उम्मीदवार पेशकश का उपयोग नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्लाटों की कम उपयोगिता होती है। इसके अतिरिक्त जापान, यू. के., अमरीका और आस्ट्रेलिया आदि जैसे देश भी छात्रवृत्ति देते हैं। कुछ उम्मीदवारों के पास यदि भारत और अन्य देशों के बीच चयन का विकल्प होता है तो वे भारत की पेशकश का उपयोग नहीं करते हैं। इसे अंतिम समय में रद्द किया जाता है और कम उपयोगिता होती है।

वर्तमान स्थिति

मिशन अपने प्रत्यायन और सह प्रत्यायन के देश/देशों की मांगों को ध्यान में रखते हैं और आवश्यकताओं से संतुष्ट होने के बाद भी मांग मंत्रालय को भेजते हैं। आवेदनों को पर्याप्त संख्या में भेजने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते हैं ताकि संबंधित देश को वास्तविक रूप से आबंटित स्लाटों को भरा जा सके। तथापि, यह हमारा अनुभव है कि प्रशासनिक कारणों, व्यक्तिगत कारणों (जैसे अस्वस्थता, परिवार में मृत्यु और अन्य आवश्यक कारण) जैसे कुछ कारणों से कुछ नामित उम्मीदवार पेशकश का उपयोग नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्लाटों की कम उपयोगिता होती है। इसके अतिरिक्त जापान, यू.के., अमरीका और आस्ट्रेलिया आदि जैसे देश भी छात्रवृत्ति देते हैं। कुछ उम्मीदवारों के पास यदि भारत और अन्य देशों के बीच चयन का विकल्प होता है तो वे भारत की पेशकश का उपयोग नहीं करते हैं। इसे अंतिम समय में रद्द किया जता है और कम उपयोगिता होती है।

सिफारिश संख्या 43

समिति सिफारिश करती है कि आइटेक और स्कैप कार्यक्रमों में उपयुक्त सुधार हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

सलाहकार समूह द्वारा दिए गए सुझावों की तर्ज पर आई टी ई सी और स्कैप कार्यक्रमों को प्रभावी ओवरसीज विकास कार्यक्रम बनाने और इसका देश में और अध्ययन करने ताकि परामर्शदाता की ड्यूटियों के कार्यक्षेत्र को और स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण किया जा सके, नवीकरण बनाने के इरादे से मंत्रालय ने हमारे आर्थिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सुधार और उन्नयन के लिए अध्ययन शुरू करने हेतु संयुक्त सचिव ओवरसीज विकास के रूप में पदनामित एक संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। अधिकारी द्वारा

अपनी रिपोर्ट एक महीने में दिए जाने की संभावना है। अध्ययन की बातों को ध्यान में रखने के बाद आई टीसी स्कैप कार्यक्रमों में उपयुक्त सुधार करने के लिए मंत्रालय एक परामर्शदाता नियुक्त करने हेतु और कदम उठाएगा।

वर्तमान स्थिति

परामर्शी समूह द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार इन विदेशी विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए आइटेक और स्काप कार्यक्रमों को दुरुस्त करने के तौर-तरीकों की और जांच करने के लिए मंत्रालय ने अपने आर्थिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में सुधार और उन्नयन के लिए एक अध्ययन करने हेतु एक संयुक्त सचिव को नियुक्त किया है। अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मंत्रालय एक सलाहकार की नियुक्ति की संभावनाओं सहित अध्ययन की बातों को ध्यान में रखते हुए टी सी प्रभाग को दुरुस्त करने के उपाय कर रहा है। इसी बीच टी सी प्रभाग को दो अलग-अलग प्रभागों में बांट दिया गया है। जिनके नाम इस प्रकार हैं:

(1) संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में टी सी प्रभाग, जो प्रशिक्षण और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति कार्यक्रमों की देख-रेख करेगा।

(2) संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विकास भागीदारी प्रभाग, जिसका काम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमुख हित के क्षेत्रों की विकास योजनाएं तैयार करना है, इनमें गरीबी उपशमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना विकास क्षमता, निर्माण जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा।

सिफारिश संख्या 44

समिति आशा करती है कि सरकार अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास करेगी और अफ्रीकी देशों को सहायता देने अथवा दूसरे शब्दों में उनके साथ संबंध विकसित करने के रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करेगी। यदि अफ्रीकी देशों के के साथ संबंध सुदृढ़ होते हैं तो समिति इस बात की बहुत प्रशंसा करेगी।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

विदेश मंत्रालय निरंतर अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार और इनको सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक देशों के सम्मुख आ रही आर्थिक कठिनाइयों से यह पूरी तरह वाकिफ है। भारत सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र के अधिकतर देशों के सरकार से सरकार के ऋण माफ कर दिए हैं। इसके अलावा अनेक अफ्रीकी देशों को आसान शर्तों पर ऋण जारी किए हैं। इन ऋणों का उपयोग हमारी परियोजना निर्यात साथ ही साथ भारत से सामान आयात करने के लिए किया जा रहा है। अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक संबंध संवर्द्धित करके वाणिज्यिक वार्ताएं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वार्ता जारी रखकर मजबूत संबंध बनाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सार यह है कि वर्ष 2003-04 के दौरान वास्तविक व्यय बजट में दी गई राशि से अधिक था जो इस बात का संकेत है कि इस मंत्रालय द्वारा अफ्रीकी देशों को हमारी अनुदान सहायता में व्यापक रूप से वृद्धि की गई है। मंत्रालय अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ करना जारी रखने के हरसंभव प्रयास करेगा और उनको ऋण देने के रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को हल कने के प्रयास करेगा।

मंत्रालय अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधों में सुधार लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करता रहा है और जारी रखेगा। भारत के साथ टैक्नो इकोनोमिक सहयोग में पश्चिम अफ्रीकी के आठ देशों को एक साथ लोन के लिए टीम 9 ने अभी हाल ही में पहल की है। हमने टीम 9 देशों को ऋण श्रृंखला के रूप में 500 मिलियन, घना को 42 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला जारी की है। नेपाल के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला भी पश्चिमी अफ्रीकी में प्रयोग की जा रही है। कोट डी आइवरी, गिनी, चैड कांगो गणराज्य आदि जैसे देशों को भी सहायता दी जा रही है। इसके अलावा भारत, अंगोला, कोट डी आइवरी, इक्वेटोरियम गिनी, चैड आदि में तेज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यापक निवेश करने पर विचार कर रहा है। भारत, टोगो और गिनी बिसाऊ में फासफोरिक एसिड संयंत्रों में भी निवेश करने का विचार कर रहा है। अनेक पश्चिमी अफ्रीकी देशों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र साथ ही साथ उद्यम विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान स्थिति

हमारी नीति के अनुसरण में अफ्रीका के साथ संबंध विकसित करने के लिए अभी हाल के महीनों में भारत और पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों के बीच अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं की गईं। आर्थिक वाणिज्यिक संपर्कों को संवर्द्धित करने के लिए फिक्की द्वारा विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न अफ्रीकी देशों के आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन सफल रहा और इसमें अफ्रीका से 100 से अधिक ने भाग लिया। यह आशा की जाती है कि इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियों को अफ्रीका में अनेक विकासशील परियोजनाओं में भागीदारी मिलेगी।

[श्री ई. अहमद]

सिफारिश संख्या 45

समिति आशा करती है कि सरकार इन देशों में निर्यात की और संभावनाओं का पता लगाएगी और भारत और कोमेसा के बीच द्विपक्षीय सहयोग से इन देशों के साथ हमारे जो सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हो रहे हैं, उनसे हमारे निर्यात में तेजी आयेगी।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

विदेश मंत्रालय कोमेसा राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है हम कोमेसा के प्रत्येक सदस्य देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इस कार्य योजना के अधीन निर्यात में वृद्धि करने के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और तदनुसार लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। करेमोर के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु लुसाका में स्थित अपने मिशन का प्रत्यायन कोमेसा के लिए कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

हमने, अफ्रीका के क्षेत्रीय संगठनों के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। लुसाका में हमारे राजदूत को कोमेसा (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका साझा बाजार) में प्रत्यायित किया गया है जबकि अडिस अबाबा में राजदूत को अफ्रीकी संघ में प्रत्यायित किया गया है।

सिफारिश संख्या 46

समिति सिफारिश करती है कि यदि मंत्रालय गैर-व्यवहार्यता के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर सकता तो बजट आवंटन के समय ही राशि का अनुमान नहीं किया जाना चाहिए। केवल परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के अग्रिम चरण में ही अधिक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय इस शीर्ष के तहत निर्माणाधीन कुछ चालू परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लेगा और समिति की चिंता कुछ हद तक कम होगी।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय ने पूंजी परिव्यय बजट शीर्ष के अधीन निधियों के प्रक्षेपण के बारे में सिफारिशों को नोट कर लिया है। तदनुसार परियोजनाओं, जिनके लिए सी एन ई अनुमोदन लंबित है, के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय निधियों का आकलन बिलकुल समाप्त कर दिया है और अनुमानों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हर संभव न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। पूंजी परिव्यय निधि से वित्त पोषित की जाने वाली सभी वर्तमान परियोजनाओं के लिए योजना में अच्छी प्रगति हो रही है और मंत्रालय को आशा है कि उचित वित्तीय अनुमोदनों से ये निर्माण स्तर पर पहुंच जाएंगी। वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं में नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान, एशियाई अफ्रीकी विधायी परामर्शी संगठन इसके अलावा कुछ प्रमुख नवीनीकरण कार्य, जिनका वित्त पोषण पूंजी परिव्यय निधि से किया जा रहा है शामिल हैं। मंत्रालय का बजट योजना के अनुसार व्यय किए जाने की आशा है।

वर्तमान स्थिति

जून 2005 तक, विदेश सेवा संस्थान भवन का आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता में आई सी सी आर भवन और नई दिल्ली में एशियाई अफ्रीकी कानूनी परामर्शी संगठन (ए ए एल सी ओ) भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान तैयार करते समय स्थायी समिति की सिफारिश का अनुपालन किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 47

समिति आशा करती है कि सब बातों के बावजूद अब मंत्रालय उक्त प्लाट का औपचारिक रूप से कब्जा लेने में सफल होगा। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि दोहा निर्माण परियोजना का कार्य और बहुमूल्य समय बिताए बिना समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

शीघ्र नया भूखंड आबंटित करने के लिए दोहा में हमारे मिशन के माध्यम से मंत्रालय उच्चतम स्तर पर कतर सरकार पर दबाब बना रहा है। विदेश कार्यालय ने सूचित किया है कि लोक निर्माण प्राधिकरण द्वारा नए डिप्लोमेटिक एरिया के आधारभूत संरचना के डिजायन कार्य को फरवरी 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा। इंजीनियरिंग कार्य सड़क और रास्तों सहित आधारभूत संरचना कार्य मई, 2005 से शुरू हो जाएगा और कार्यों को पूरा होने में कम से कम एक वर्ष लगेगा। एक बार जब नया भूखंड उपलब्ध हो जाएगा मंत्रालय परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।

वर्तमान स्थिति

दोहा में 2005 के मध्य तक भारतीय मिशन को नए डिप्लोमेटिक एन्कलेव में एक नया भूखंड आबंटित किए जाने की आशा है।

एक बार भूखंड आबंटित हो जाए तो मंत्रालय परियोजना को समय सीमा में पूरी करने के हरसंभव प्रयास करेगा।

सिफारिश संख्या 48

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि अन्य परियोजनाएं जो नौकरशाही अड़चनों के चलते निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही है उनका पता लगाया जाए तथा उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

द्वितीय राजनयिक एन्कलेव: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि जो परियोजनाएं राजनयिक समस्याओं के कारण पीछे चल रही हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनको शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

विदेश सचिव ने अगस्त 2004 में सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को लिखा और अनुरोध किया कि 34 साल पुराने मामले को शीघ्र हल किया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में द्वितीय डिप्लोमेटिक एन्कलेव स्थापित करने को प्रमुखता देता है ताकि यह उन राजनयिक मिशनों, को भूमि आबंटित कर सकें, जो यहां अपने चांसरी/ दूतावास आवास बनाना चाहते हैं। मंत्रालय द्वारा सक्रियता से मामले को उठाया जा रहा है। नेताजी नगर, आर के पुरम, मोतीबाग, शांतिपथ और सफदरजंग रेलवे स्टेशन से घिरे क्षेत्र को पुनर्विकसित करने की योजना विचाराधीन है। दूसरे डिप्लोमेटिक एन्कलेव के लिए भूमि को पहचान करने की तात्कालिकता पर जोर देते हुए विदेश मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय को भी लिखा है।

सिफारिश संख्या 49

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि शुरुआती स्तर पर समयावधि निर्धारित कर लेनी चाहिए तथा वर्ष की हर तिमाही में कार्य की प्रगति की निगरानी होनी चाहिए और कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। समिति आशा करती है कि पुराने अनुभव से सबक लेते हुए मंत्रालय पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा तथा इस परियोजना को समय से पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

मंत्रालय ने सी एन ई द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और इस पर वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणी की है। प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्य करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान स्थिति

सी पी डब्ल्यू डी द्वारा तैयार किए गए जवाहर लाल नेहरू भवन के कन्सैप्ट डिजायन को दिल्ली शहरी कला आयोग और सैन्ट्रल विस्टा समिति द्वारा कुछ संशोधनों के साथ प्रत्ययात्मक स्तर पर मंजूर कर दिया गया है। इसके साथ-साथ परियोजना को 175.57 करोड़ रु. की लागत पर गैर-योजना व्यय से सम्बद्ध समिति द्वारा वित्तीय दृष्टि से अनुमोदित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी, शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। सी पी डब्ल्यू डी ने कहा है कि सभी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भवन के निर्माण में चालीस महीने का समय लगेगा। इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा में कार्यान्वित करने के लिए सी पी डब्ल्यू डी अधिकारियों की एक समर्पित परियोजना टीम तैनात करने के प्रावधान किए गए हैं।

सिफारिश संख्या 50

इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय और अधिक तीव्र और दक्ष लेखांकन तंत्र बनाए ताकि बीच में कोई त्रुटि दूर करने और उचित योजना बनाने के लिए ठीक-ठीक वित्तीय आंकड़े समय से उपलब्ध हों जोकि बजट बनाने और उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक आदान है।

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

तथापि, समय पर सही आंकड़े देने के लिए एक व्यवस्था बनाने के आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को मिशनों के लेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कहा गया है। वे अभी साफ्टवेयर आवश्यकताओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया में है। आशा की जाती है कि 2005-2006 के उत्तरार्ध तक यह साफ्टवेयर तैयार हो जाएगा।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति यह है कि यह प्रणाली विकास और परीक्षण के अंतिम चरण में है।

अपराह्न 12.07 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिर्च के मूल्यों में गिरावट के कारण मिर्च उत्पादकों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे इस विषय पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:

"तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिर्च के मूल्यों में गिरावट के कारण मिर्च-उत्पादकों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति ओर इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सदस्य ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिर्च के मूल्यों में गिरावट के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक फसल उत्पादन की स्थिति में, जब मूल्यों में भारी गिरावट आ जाती है, तब किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना है। यह स्कीम मिर्च सहित, बागवानी एवं नाशवान कृषि जिंसों, जो मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत शामिल नहीं है, की अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर क्रियान्वित की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रीमियम क्वालिटी के लिए 2700 रु. प्रति क्विंटल तथा मिर्च की सामान्य क्वालिटी के लिए 2500 रु. प्रति क्विंटल के प्रति मंडी हस्तक्षेप मूल्य पर 23.3.2005 से 31.5.2005 तक 30,000 मी. टन मिर्च हस्तक्षेप स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसमें 5,000 मी. टन प्रीमियम क्वालिटी तथा 25,000 मी. टन सामान्य क्वालिटी शामिल है।

मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत मिर्च की खरीद के लिए तमिलनाडु सरकार से अब तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत मिर्च उत्पादकों के हितों पर ध्यान दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मिर्च की खरीद का काम मिर्च उत्पादकों के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम मूल्यों पर ही चल रहा है। अगर तमिलनाडु सरकार मिर्च की खरीद के लिए अपना प्रस्ताव भेजती है, तो हम उसे तुरंत मंजूरी देंगे ताकि किसानों के हितों का संरक्षण हो सके।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, मैंने कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा। उनका उत्तर भ्रामात्मक और तथ्यहीन है।

मिर्च हमारे राज्य-आंध्र प्रदेश-की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की यह करीबन दूसरी प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। मूल स्थिति यह है कि मेरे राज्य के लगभग 2.5 लाख किसान मिर्च उगाते हैं। प्रमुखत: गुण्टूर, खम्मम, वारंगल और कुछ हद तक उष्ण और नलगोंडा जिलों में इसकी फसल होती है। अभी इस फसल का मौसम था, जो 1 फरवरी से प्रारम्भ होकर 15 जून तक होता है। किसान इस मौसम की शुरुआत पर दो कारणों से प्रसन्न थे। पहला तो यह कि वे प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार कर पा रहे थे। इस साल उन्होंने प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 क्विंटल पैदावार की। इस कारण वे खुश थे।

दूसरा कारण यह था कि अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सं.प्र.ग. सरकार ने मिर्च का लाभकारी मूल्य देने का वायदा किया। अब पहले कारण से तो किसान खुश हुए और दूसरे कारण से वे गुस्से में आ गए—हताश और असंतोष से भर गए। वे जब बाजार गए तो उन्होंने भौंचक्का होकर देखा कि उनकी फसल का कोई खरीददार ही नहीं है। 'नैफेड' की सहायक-कंपनी 'मार्कफैड' जैसे सुप्तावस्था में थी। जबकि 'मार्कफैड' और 'नैफेड' का प्रमुख दायित्व यह है कि वे मिर्च और अन्य जल्द खराब होने वाली सामग्री को स्थानीय बाजारों से खरीदकर राष्ट्रीय बाजार में बेचें। 'मार्कफैड' की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में तो यह जैसे सुप्तावस्था

[*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2240/05]

में है। वह बिल्कुल काम नहीं कर रही है; खरीद-फरोख्त और बाजार के मामले में वह बिल्कुल शून्य है।

दूसरी तरफ, मौसम वे तीन महीने खाली चले गए हैं। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई खबर नहीं है। सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि कृषि और सहकारिता मंत्रालय ने 23.3.05 से 31.5.05 तक 30,000 मिट्रिक टन मिर्च के लिए 2,500 रु. से 27,00 रु. की दर पर मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलाना मंजूर किया है। वक्तव्य में इस बात का जिक्र है। पर यह बात सही नहीं है। कुछ दिन पहले उसकी घोषणा हुई थी। इस साल फसल बहुत कम दाम पर बिकी, केवल 1300 से 1400 रु. प्रति क्विंटल पर ही। जबकि पिछले साल यह 2300 से 2700 रु. के भाव बिकी थी। किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। असंतोष और हताशा से भरे किसान गुण्टूर, खम्मम और वारंगल जैसे जिलों में अपनी फसल जला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार उनकी जरूरतें नहीं देख रही, वे बुरी हालत में हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब अपना प्रश्न पूछिए।

डा. बाबू राव मिडियम: जी, हां, महोदय। अब मैं प्रश्न पूछता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2500 रु. से 2700 रु. का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने में इतनी देर क्यों हुई? मौसम के तीन माह तो बीच चुके हैं, केवल एक माह ही शेष रहता है। इस तीन महीनों में किसानों को जो नुकसान हुआ, उसे कौन भरेगा? निजी साहूकारों ने सस्ते दामों में फसल खरीदी है और आपकी इस देर-सबेर के कारण ही उन्हें यह मौका मिला। 'मार्कफैड' और 'नैफेड' ने ही साहूकारों को किसानों को लूटने का मौका दिया है। विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने में इतनी देरी क्यों की?

अध्यक्ष महोदय: बहुत ठीक।

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, पहले मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत-जब रा.ज.ग. सरकार सत्ता में थी—50% हिस्सा केन्द्र सरकार देती थी और 50% राज्य सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पुन: यही अनुपात रखने का अनुरोध किया है। लेकिन, पत्र में कहा गया है कि केन्द्र सरकार केवल 25% खर्च ही वहन करेगी। राज्य को शेष 75% खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर में साफ-साफ कुछ कहा नहीं गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मंडी हस्तक्षेप स्कीम में केन्द्र सरकार का हिस्सा क्या रहेगा? हम सबको पता है कि मिर्च अधिक निर्यात होने वाली वस्तु है। अभी सं.रा. अमरीका, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में मिर्च की काफी मांग है। हम इसका बाजार बना सकते है। सरकार मिर्च के निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं का पता लगाकर किसानों की मदद क्यों नहीं करती?

अध्यक्ष महोदय: श्री बेल्लारमिन—अनुपस्थित।

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि तमिलनाडु सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तमिलनाडु सरकार छोटे और गरीब किसानों के प्रति असंवेदनशील है। तमिलनाडु में लगभग एक लाख मिर्च उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। पिछले साल किसानों को एक क्विंटल फसल पर 4000 रु. की दर मिली थी और इस साल केवल 800 रु. प्रति क्विंटल तमिलनाडु की यह हालत दलालों के कारण है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के अनेक हिस्सों में छोटे किसानों की मदद करने के लिए सीधे भारतीय खाद्य निगम की इकाईयों से फसल की खरीद करने की राष्ट्रीय नीति बनाएगी? जब भी ऐसी स्थिति आती है तो मिर्च और अन्य जल्द खराब होने वाली वस्तु-जैसे आलू और टमाटर आदि उगाने वाले किसानों के केन्द्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। क्या केन्द्र, तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारों के तटस्थ रवैये को देखते हुए इस बारे में कोई कदम उठाएगा?

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकाशी): जो किसान कठोर परिश्रम करके अधिक फसल उगाते हैं उन्हें इसका पुरस्कार मिलना ही चाहिए। लेकिन, इसके बदले साहूकार और सरकार की तरफ से उनका उत्पीड़न ही होता है। तमिलनाडु में निचले स्तर का मंडी हस्तक्षेप तक नहीं है। क्या केन्द्र मूल्य तय करते समय खुले बाजार में चल रहे न्यूनतम मूल्य का ध्यान रखेगा? क्या सरकार मिर्च उगाने वाले किसानों के हित के लिए एक मिर्च-तैल उत्पादन इकाई लगाएगा?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): जैसा कि सर्वविदित है, भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खेद है, अब बहुत विलम्ब हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मिर्च के मूल्य का निर्धारण केवल सब्जी या मसाले के रूप में ही नहीं बल्कि उसके विभिन्न वाणिज्यिक उपयोगों के रूप में भी किया जाता है। मिर्च के उत्पादों जैसे मिर्च-पाउडर, ओरोसिन, चिली पेस्ट, कैप्सेसिन आदि के कारण विश्व में मिर्च की अत्यधिक मांग है। मिर्च के सत्त का औषधीय उपयोग भी होता है। मिर्च सत्त 'कैप्सेसिन' का उपयोग कैंसर रोधी औषधि के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दर्द से तुरंत राहत प्रदान करने वाले बाम जैसे अमृतांजन और टाइगर बाम के रूप में भी किया जाता है। पहाड़ी मिर्च के रंगद्रव्य को, मांस को लाल रंग देने के लिए, मुर्गीदाने में शामिल किया जाता है। अन्य शब्दों में, इस मांस का मूल्य काफी अधिक निर्धारित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मेरे साथी, श्री बाबू राव ने बाजार हस्तक्षेप योजना की बात की है। दुर्भाग्यवश, मिर्च जिसका काफी महत्व है, का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। हमारे पास केवल बाजार हस्तक्षेप योजना है। इस योजना के अनुसार, जुलाई, 2001 से पूर्व 50 प्रतिशत पूंजीगत लागत और 50 प्रतिशत हान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी थी। जुलाई, 2001 के पश्चात् इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब 25 प्रतिशत हानि केन्द्र सरकार द्वारा और 75 प्रतिशत हानि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। नेफेड ने स्पष्ट कहा है कि गत दस वर्षों के रिकार्ड पर विचार करने पर यह पाया गया है कि हानि 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच रहती है। उन्होंने बाजार से अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया है और अब राज्य को सम्पूर्ण पूंजी प्रदान करनी पड़ती है।

यह राज्यों पर बोझ बनता जा रहा है। कृषि मंत्री ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। उन्होंने इसे वित्त मंत्री को भेजा है जिसमें उन्होंने उनसे प्रतिशत को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वे वित्त मंत्री पर सरकार की ओर से निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए दबाव डालें।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप भूमिका न बनाकर केवल अपना प्रश्न पूछिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मुद्दे को सभा में कई बार उठाया है।

अध्यक्ष महोदय: हां, बहुत अच्छा। अब अपना प्रश्न पूछिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: वास्तविक स्थिति अब भी यह है कि किसान अपनी फसलें जला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह पहले कहा जा चुका है। कृपया इसे मत दोहराइये।

श्री किन्जरपु येरननायडु: परंतु, महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। पूर्ववर्ती राजग सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था। उन्होंने भारत सरकार से 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी थी। अन्य 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जा रहा था। प्रथम वर्ष में 'नेफेड' और 'मार्कफेड' ने मिर्च की खरीद करने के लिए हस्तक्षेप किया था। परंतु इस वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकार असफल रही है। यद्यपि, राज्य सरकार ने बार-बार केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का अनुरोध किया था तथापि, उन्होंने मिर्च उत्पादनों की सुरक्षा करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

अध्यक्ष महोदय: यह तो वही प्रश्न है। हां, अब माननीय मंत्री जी बोलें। मैं और अधिक बोलने अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको और अधिक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं ..... से पूर्णतया सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: येरननायडु जी यह ठीक नहीं है। आप एक ही प्रश्न को दोहराना चाहते हैं। आपने सूचना नहीं दी है। आपने सूचना से ठीक पहले दी है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: परंतु, यह आंध्र प्रदेश के किसानों की व्यथा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पूरा अवसर दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: परंतु, महोदय, यह आंध्र प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। इसीलिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सूचना नहीं दी। मेरे विचार में आपने 11.54 बजे सूचना दी थी।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं यह कहना चाहता हूं कि अब भी भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। यह वही प्रश्न है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और उन्हें की खरीद करनी होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और अधिक नहीं। माननीय मंत्री बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नायडु जी, कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है। केवल एक प्रश्न पूछने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री जी बोलिए।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों पर अपनी चिन्ता यहां जाहिर की है और मैंने अपने वक्तव्य में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। किसानों के प्रति काफी संकल्पित तरीके से हमारी यूपीए सरकार ने काम किया है। किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिले, इसके लिए सरकार बनते ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसको प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। उसी के मुताबिक शासन ने समय-समय पर राज्यों को इस बात के लिए हिदायत भी दी और उचित समय पर हमने उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जिसके आधार पर सरकारें अपने स्तर पर ये सारी खरीद करती हैं। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने यहां पर बात रखी है। मैं इस सदन में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस वर्ष अभी तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 12 करोड़ रुपये की लागत से 4227 किसानों ने फसल बेची है, जिसमें 3850 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार की जो भागीदारी है, उसमें 25 प्रतिशत घाटे तक 50 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करती हैं और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करती है। दोनों मिलकर इस कारोबार को चलाती हैं। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही, माननीय सदस्य ने इस बात की चिन्ता जाहिर की है कि यहां खरीद नहीं की जा रही है। उसके लिए अभी 31.5.2005 तक तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे व्यापारियों द्वारा जो कम कीमत पर खरीदने का अभियान चला, उसके बाद से सरकार पूरी तरह से चिन्तित है और जागरूक है और हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को बहुत जल्दी मंजूर किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, पहले ही काफी विलंब हो चुका है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: जिस तरह से माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, मैं उसे बताना चाहता हूं। जैसे-जैसे राज्य सरकारों ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, केन्द्र सरकार तुरंत उन पर कार्रवाई करती है। उसमें किसी प्रकार की ढिलाई या देरी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक मिर्ची की खरीद की बात है उसमें जो नाशवान जींस होते हैं उनको सरकार अपने स्तर पर खरीदती है और जो खाद्यान्न की चीजें हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसमें खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उसके अंतर्गत भारत का बहुत बड़ा भाग कवर हो। जो जींस नाशवान नहीं होते हैं, उन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

चीजों पर गारंटी दी जाती है। जो नाशवान जीजें हैं उन पर केन्द्र सरकार निर्णय नहीं लेती है। उन चीजों को राज्य सरकार नाफेड के तहत देखती है। जैसे ही मिर्ची खरीदने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए केन्द्र सरकार तैयार है। इसमें जो घाटा होगा उसका 50 प्रतिशत सहन करने के लिए केन्द्र सरकार तैयार है। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव सिफारिश करके वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि उस पर जल्दी निर्णय ले कर उस पर कार्यवाही हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष जी, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नही किया जाएगा। श्री शैलेन्द्र कुमार, जैसाकि आप जानते हैं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है। आप उनके बारे में भली-भांति जानते हैं।

मैं मंत्री जी से मालूम करने का प्रयास कर रहा हूं। मंत्री जी, उनकी शिकायत यह है कि 50 प्रतिशत उत्पाद की खरीद की जानी चाहिए जबकि आप केवल 25 प्रतिशत की खरीद कर रहे हैं। क्या 50 प्रतिशत की खरीद करने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है? वे यही शिकायत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो नाशवान जींस होते हैं, उन पर 50 परसेंट घाटा केन्द्र सरकार और 50 परसेंट घाटा राज्य सरकार वहन करती है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

अब हम मद संख्या 17 को लेते हैं; श्री बालू एक विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

अपराह्न 12.27 बजे

नावधिकरण विषयक विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालयों की नावधिकरण विषयक अधिकारिता से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने, पोतों, उन्हें बन्दी बनाने, निरोध और विक्रय के संबंध में विधिक कार्यवाहियों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि न्यायालयों की नावधिकरण विषयक अधिकारिता से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने, पोतों, उन्हें बन्दी बनाने, निरोध और विक्रय के संबंध में विधिक कार्यवाहियों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न काल के बाद लिए जाने वाले अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को लेते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-2, दिनांक 11.5.2005 में प्रकाशित।

मान्यवर, इलाहाबाद देश का प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक नगर है। इलाहाबाद आजादी की लड़ाई से पहले से ही राजनीति का केन्द्र रहा है। इलाहाबाद के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। वहां पर एक रिफायनरी 1996-97 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री जनेश्वर मिश्रा ने लगाने की घोषणा की थी और वहां पर सब काम पूरा हो गया है। अभी यह पता चला है कि रिफायनरी को वहां से हटाया जा रहा है। वहां पर जमीन का अधिग्रहण हो गया है। वहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों को आवासीय स्थल बनाने के लिए जमीन दे दी गयी है। भारतीय पेट्रोलियम कारपोरेशन के लिए भी जमीन आरक्षित कर दी गयी है। रिफायनरी को पानी उपलब्ध कराने के लिए कमला नेहरू पम्प के बगल में खुद का वाटर पम्प लगाने के लिए भारतीय पेट्रोलियम को जमीन दे दी गयी है। रिफायनरी के पानी के निस्तारण हेतु जोरहट गांव में जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपस में पोचिंग का काम किया जाए। यह रिफायनरी इलाहाबाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोगराबारा तहसील में रिफायनरी लगाने की बात तय हो चुकी है और अगर उसे हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा तो यूपीए की चेयरपरसन सोनिया गांधी जी यहां बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनके पूर्वज भी इलाहाबाद में रहते थे और उनको यह भी मालूम होगा कि पं. जवाहरलाल नेहरू इसी लोक सभा क्षेत्र से सबसे पहले एमपी बने थे।

महोदय, मैं नहीं चाहूंगा कि वहां रिफाइनरी न लगे। रिफाइनरी वहां नहीं लगने के कारण इलाहाबाद के लोगों में बहुत रोष जागृत हो रहा है और इसके कारण वहां एक जन-आन्दोलन भी खड़ा होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय सोनिया गांधी जी स्वयं खड़ी होकर यह कहें कि रिफाइनरी इलाहाबाद में ही लगेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इन्हें उत्तर देने का हक नहीं है। आप उनसे जवाब नहीं मांग सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो उनसे संबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आठ साल हो गए हैं। क्या कारण है कि वहां अभी तक रिफाइनरी लगने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन का अनुरोध करता हूं। मुझे गलत जानकारी मत दीजिए। सभा में बोलने के नियम हैं और मैं उन्हीं के अनुसार सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप जानते हैं कि आपको अभी बोलने का हक नहीं है, फिर भी आप बोलते जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष माहदेय, इसी विषय पर हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी इस विषय पर एसोसिएट कर लिया है। आपका नाम भी छपेगा, टी.वी. पर भी दिखेगा।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मध्यम से अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के जिला हजारीबाग के कुजू एरिया में करमा प्रोजैक्ट के अंतर्गत ग्राम खीराबेड़ा के किसानों की 738 एकड़ जमीन सी.सी.एल. द्वारा वर्षों पूर्व अधिगृहीत कर ली गई थी, जिस पर कोयला खनन का कार्य कराया जा रहा है, किन्तु अभी तक किसानों को मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी गई है। इसके कारण वहां की जनता काफी आक्रोषित है जिससे वहां कभी भी विधि-व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो सकता है। अत: सरकार से आग्रह है कि उक्त अधिगृहीत जमीन के किसानों को अविलम्ब नौकरी एवं मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी की लड़ाई 'स्वदेशी'' के नाम पर लड़ी गई और 'स्वदेशी' पर बड़े-बड़े आन्दोलन हुए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद आज 'स्वदेशी' के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों द्वारा पूरी तरह से विदेशी कंपनियों को न्योता देकर इस देश का विदेशीकरण किया जा रहा है। इसके कारण इस देश में जो लाखों कल-करखाने थे, जो एन.टी.सी. की मिलें थीं, वे पूरी तरह बन्द हो चुकी हैं।

[श्री राजाराम पाल]

कानपुर महानगर जो एशिया का मानचेस्टर कहा जाता था, जहां बड़े पैमाने पर मिलें थीं, जिनमें पूरे देश के लाखों मजदूरों को रोजगार मिलता था, आज वे मिलें पूरी तरह से बन्द हो गई हैं। जे.के. कॉटन मिल के प्रबन्धकों ने दिनांक 15 मई, 1989 को मिल में तालाबन्दी घोषित करने के बाद आज तक वहां के मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे नहीं दी हैं। इसके कारण वहां मजदूर बड़े पैमाने पर आन्दोलन कर रहे हैं और पूरे देश के मजदूर कानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि स्वदेशी को बढ़ावा देने, मजदूर और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने, स्वदेशी उद्योगों को मॉडीफाइड करने और कुटीर उद्योगों को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कोई स्पेशल पैकेज देकर कानपुर की मिलों को चलाने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): आपकी अनुमति से मैं स्वास्थ्य संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हालांकि, हीमोफीलिया देश में एक बड़ी समस्या नहीं है परन्तु इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की कोई परिचर्या नहीं हो पा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। इस संदर्भ में हीमोफीलिया रोग से पीड़ित 1,25,000 व्यक्ति हैं किन्तु अभी तक इस रोग से पीड़ित केवल 10,000 व्यक्तियों की पहचान की गई है। इन 10,000 व्यक्तियों में से 7,500 व्यक्तियों की पहचान हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने की है।

महोदय, पहचाने गए व्यक्तियों की तुलना में कुल अनुमानित व्यक्तियों की संख्या में जो बड़ा अंतर है, वह देश में नैदानिक सुविधाओं की कमी के कारण है। इस समस्या से अनेक पहलू जुड़े हैं। हीमोफीलिया से पीड़ित बहुत सारे व्यक्ति एच आई वी/एड्स और वायरस संबंधी विकट बीमारियों से ग्रस्त हैं। एंटी-हीमोफीलिया फैक्टर नामक दवा इस रोग का इलाज है। यह बीमारी किसी जीवित प्राणी या चयापचय की वजह से नहीं होती। यह पूर्णत: वंशानुगत बीमारी है और यह व्यक्ति के पूरे जीवनकाल में बनी रहती है। इसीलिए, इसका इलाज केवल एंटी हीमोफीलिया फैक्टर ही है। इस दवा के साथ रोगी अपना जीवन सामान्यत: बिता सकते हैं। महोदय, मैं जानता हूं कि आज भी इस समस्या के प्रति चिंतित हैं क्योंकि आपने हमें इस बीमारी के बारे में बताया है।

जहां तक इसके इलाज का संबंध है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी न्यूनतम खुराक 20,000 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होती है। हमारे देश में औसतन बहुत ही कम अर्थात 1,500 यूनिट खुराक ली जाती है। चूंकि हमारे देश में इस रोग से पीड़ित अधिकतर व्यक्ति बहुत ही गरीब श्रेणी के होते हैं, इसलिए वे मंहगी दवा नहीं खरीद पाते। दवाओं के सस्ते मूल्यों पर न मिलने के कारण, ये लोग एच आई वी/एड्स हैपिटाइटिस बी, हैपिटाइटिस सी वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। वे निशक्त भी होते जो रहे हैं।

इसीलिए, इस संबंध में कार्यवाई अपेक्षित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को चाहिए कि वह हस्तक्षेप करे और केन्द्रीय स्तर पर एंटी-हीमोफीलिया फैक्टर की खरीद के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए। हीमोफीलिया परिचर्या को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे एच आई वी/एड्स का प्रसार रुकेगा और हीमोफीलिया ग्रस्त लोगों को निशक्तता से बचाया जा सकेगा।

इसका एक अन्य भाग सामाजिक न्याय से संबंधित है। हीमोफीलिया से ग्रस्त लोगों को निशक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 1998 में ही राष्ट्रीय संशोधन समिति ने इसकी सिफारिश कर दी थी लेकिन इसे अभी तक निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री गुरजीत सिंह राणा (जालंधर): अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाएं जब-तब भारतीय किसानों को घेरे रहती है। फसलें या तो बाढ़ में बह जाती हैं या सूखे के कारण उन्हें क्षति होती हैं; जिसके कारण उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं हो पाता।

पंजाब में किए गए हाल का सर्वेक्षण दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण गेहूं का उत्पादन 10 मिलियन मीट्रिक टन तक गिर गया है और किसानों को 640 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। तथ्य से स्पष्ट है कि उत्पादन में कमी छोटे किसानों के लाभांश को कम करती है जो ऐसी आपदाओं से आने वाली समस्याओं को झेल जाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे किसान कर्ज में डूब जाते हैं और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं।

उपर्युक्त समस्या के दृष्टिगत केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को किसानों में वितरण के लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। 640 करोड़ रुपये के अनुदान के अलावा रियायती दरों पर बीज, खाद जैसी विशेष रियायतें, और उद्योगों की तरह सहकारी तथा अन्य क्षेत्रों से ऋण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह समस्या गंभीर है और भारी वर्ष के कारण किसानों को 640 करोड़ रुपये की जो हानि हुई है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। मैं सरकार से 640 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप जानते ही हैं कि यह निर्णय लिया गया है और सभा में घोषणा की गई है कि 15 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाएगा। इसके बाद यदि समय बचता है तो मैं दूसरों को बोलने का अवसर दूंगा। इसलिए, इस बात का पालन करें। सभा ने यह निर्णय लिया है।

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): अध्यक्ष महोदय, संहारक प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बादलों से धरती पर बिजली गिरना बड़ा विनाशकारी होता है। गरज के बाद गिरने वाली बिजली इतनी तेज होती है कि जहां गिरती है सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पूरा पत्र पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कहना चाहते है उसे संक्षेप में कहिए। दो पृष्ठ का पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है।

डा. के. धनराजू: चीजों पर सीधे बिजली गिरती है और इससे धमाका हो सकता है, चीजें जल सकती हैं या भयंकर विनाश हो सकता है। दो सप्ताह पहले मेरे जिले में चार लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में विल्लुपुरम ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप गृह मंत्री को अपना पत्र भेजें और अपने प्रयोजन का उल्लेख करें।

डा. के. धनराजू: मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना का ही उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने 'एमपीलैड्स' योजना के माध्यम से बिजली गिरने से बचाव के लिए कम से कम दस स्तंभों का निर्माण कराया है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि लोगों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): मैं सभा में पेंशन न पाने वाले ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के कष्टों से सभा को अवगत कराना चाहता हूं। जो भारतीय थल सेना या नौसेना या वायुसेना से आरंभिक करार या घरेलू कारणों से अनुकम्पा आधार या स्वास्थ्य जैसे कारणों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। हजारों पूर्व सैनिक और उनके परिवार अनेक मुश्किलों और कष्टों से गुजर रहे हैं।

तीनों सेनाओं के अपने-अपने पेंशन विनियमों के अनुसार पेंशन के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ये पेंशन नियम अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए थे जो आजादी के 58 वर्षों बाद भी जारी हैं। लगभग सभी राज्यों और केन्द्र सरकार के विभागों के कर्मचारियों के लिए पेंशन हकदारी के लिए न्यूनतम सेवा अपेक्षाओं में परिवर्तन किए गए हैं और उन्हें पुन: विनियमित किया गया है। सांसद और विधायक उनके सेवा काल की अवधि कुछ भी होने पर पेंशन के हकदार हो जाते हैं। किन्तु, पूर्व-सैनिकों के इस वर्ग को इस आधार पर पेंशन से वंचित रखा जा रहा है कि उन्होंने 15 वर्ष की आवश्यक सेवा अवधि पूरी नहीं की है। इस प्रकार, न्यूनतम पेंशन से इन्कार भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि 15 वर्ष की सेवा पर जोर न देकर सभी पूर्व-सैनिकों को पेंशन और अन्य पेंशनभोगी लाभ दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मदनलाल शर्मा, उन्होंने जो कहा है, आप उससे अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी इससे जुड़े हैं। आप इसे बहुत साधारण बना रहे हैं। यह अवज्ञापूर्ण होता जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मेरा मसला इनसे थोड़ा डिफरेंट है। ऑनरेबिल स्पीकर साहब, मैं आपकी बसासत से सबका फौजियों का मसला सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियों, सतह समन्दर और सैयारों तक की निगहबानी की हुई है और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह भाषण का टाइम नहीं है।

श्री मदन लाल शर्मा: अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस मुल्क की खातिर सरहदों की हिफाजत में दिया हुआ है। जिन लोगों ने 1962, 1965 और 1971 की जंग लड़ीं, उनकी पेंशन और जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन में बड़ा अन्तर है, बहुत फर्क है, इसलिए डिफेंस ने, फाइनेंस वालों ने और एक्स सर्विसमैन लीग ने भी रिकमेण्ड किया है कि 'वन रैंक वन पेंशन' का जो मसला है, उसे हल कर दिया जाये। मैं ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा आदर और मान साब का फौजियों के लिए होगा, जिन्होंने इस देश की बहुत बड़ी सेवा की है ताकि उनकी पेंशन बराबर की जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तरित बरण तोपदार। मैं इतना लंबा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकता। इतना लंबा वक्तव्य न दें। इसकी अनुमति नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं उसका उल्लेख भर करें। मैं इसे योजना मंत्री को भिजवा दूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): यह बात योजना आयोग में मौजूदा मामलों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो करीब वाद-विवाद का रूप ले चुका है।

श्री तरित बरण तोपदार: कल ही हम लोगों ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया था। ...*(व्यवधान)* लोक सभा ने इसे पारित किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): नहीं। यह बात विचाराधीन है। ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि इसे आज ही पारित कर दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इसके लिए जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं अपने कार्यालय द्वारा इसे योजना मंत्री के पास भिजवा दूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार: अन्त में, मैं मौजूदा परिपाटियों और मानदंडों के उल्लंघन का एक उदाहरण भर देना चाहता हूं। सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के बाद ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं। ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। किसी अधिकारी विशेष का उल्लेख नहीं कीजिए। आप किसी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध है।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: इसलिए, यदि सरकार योजना आयोग के कार्यकरण के संबंध में इस प्रकार का लापरवाही वाला रवैया अपनाना जारी रखना चाहती है और इस संगठन को ऐसे ही बनाए रखना चाहती है तो क्या हाल होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले के बारे में मुझे बताइए। मैं आपकी सहायता करूंगा। इससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। मैं इसे माननीय मंत्री के पास भिजवा दूंगा।

अब, श्री गोविंदा को बोलना है। आज वह पहली बार अपनी बात रख रहे हैं। अब हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तरित बरण तोपदार: ये मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से है। इन पर चर्चा की जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं, इसे संबंधित मंत्री के पास भिजवा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य के बयान में बाधा न डालें।

[हिन्दी]

श्री गोविन्दा (मुम्बई-उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा विस्तार में बोलने के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा क्योंकि अगर सूरत का बखान नहीं करूंगा तो उस सूरत को बदलने वाली सूरत आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने माता-पिता एवं गुरू जी को प्रणाम करता हूं, मैं अध्यक्ष महोदय एवं अपने वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रणाम करता हूं एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को अवसर दिया जो खुद गरीब बस्ती में पैदा हुआ और आज वह गरीबों के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष है। मैं ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे मनोरंजन की दुनिया में बीस साल दिए और आज मुझे लोगों के रंजोगम को दूर करने का एक अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुम्बई की आबादी लगभग 35 लाख है और यह करीब 114 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। आज भी यहां के 10 से 12 लाख लोग झोपड़पट्टियों में निवास रहते हैं। यहां की बेचारगी और लाचारगी इंसानियत की शक्ल पर वह काला तिल है जो दिनबदिन बढ़ता चला जा रहा है। उन्नति की धारणा रखने के बावजूद, इंसानियत के मुद्दे को ऊंचा रखते हुए, कांग्रेस के वायदे की लाज रखते हुए, पर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहां के गरीबों को बेघर होने से बचा लिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मैं आपको आपके पहले भाषण पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोविन्दा: श्रीमती सोनिया गांधी जी के फैसले से उन्हें गरीबों की दुआओं का खजाना मिला। अपना काम चुपचाप करती

हैं, किसी से कुछ कहती नहीं, ये दुआएं खामोश होती हैं, मगर कभी खामोश रहती नहीं। मेरी सरकार से, खासतौर पर गुलाम नबी आजाद साहब से यह गुजारिश है कि वे मेगा सिटी फण्ड, सिटी डेवलपमेंट फण्ड उत्तर मुम्बई को दें। मुम्बई का तो विकास हो चुका है, वाशी, ठाणे और न्यू मुम्बई का भी विकास हो चुका है, लेकिन उत्तर मुम्बई का आज तक किसी रूप में भी विकास नहीं हो पाया है। यहां पर पानी की समस्या है स्लम की समस्या है, ट्रेनों की समस्या है, यहां के मछुआरों की समस्याएं हैं, यहां की गरीब जनता की, मजदूरों की समस्याएं हैं, यहां बेरोजगारी की समस्या है, आदिवासियों की समस्या है। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए फण्ड की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुम्बई जो देश को 50 से 60 हजार करोड़ रुपये कर के रूप में देता है, यदि उस मुम्बई को फण्ड के रूप में दौलत के बदले दौलत न मिले तो कम से कम सहूलियत अवश्य मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री गोविंदा, कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपको अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको उन्हें जवाब नहीं देना है। कृपया अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गोविन्दा: मैं अपनी बात संक्षेप में बता देता हूं। *...(व्यवधान)* वहां एक एसआरए स्कीम है। उसमें संशोधन किया जाए ताकि वहां की उन्नति हो सके। वहां बिल्डर्स जाने में ज्यादा उत्सुक नहीं होते क्योंकि वह सबर्ब एरिया है। गरीबों को रिहाइश की सुविधा मिले, उनको फायदा हो और बिल्डर्स को भी नुकसान न हो। केन्द्र सरकार कोई नियम बनाकर उन पर नियंत्रण रखे ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके और उन्हीं लोगों को प्रोत्साहन मिले जो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें। यहां बड़े स्कूल और अस्पताल बनवाए जाएं। समय का ख्याल रखते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में ही कहूंगा। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। संक्षेप में। आपको किसी को जवाब नहीं देना है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कही है। मैं आपको आपके प्रथम भाषण पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोविन्दा: मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि स्लम्स के मुत्तलिक जितने मसले हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। वहां मदरसों पर ध्यान दिया जाए, एसएनडीटी कालेज महिलाओं के लिए बनाए जाएं ताकि माइनौरिटीस की लड़कियां पढ़ाई कर सकें। उन इलाके में बहुत बड़ी किनार पट्टी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। मैं आपकी बात की सराहना करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके क्षेत्र के लोग आपके भाषण से लाभान्वित होंगे। उन्होंने सुयोग्य प्रतिनिधि चुना है।

अपराह्न 12.51 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों को सदन के पटल पर रखे मामले जैसा माना जाता है।

(एक) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर गंगाधर और वीरपुर रेलवे क्रांसिंग पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी): मैं सरकार का ध्यान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर गंगाधर और वीरपुर रेलवे क्रांसिंग पर उपरि पुलों के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह राजमार्ग गुजरात राज्य और महाराष्ट्र को जोड़ता है तथा सूरत से धूलिया तक है। क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि सूरत

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[डा. तुषार अमर सिंह चौधरी]

शहर गुजरात में बड़ा व्यापारिक केन्द्र है और कई लोग रोजाना इस राजमार्ग का प्रयोग कर सड़क मार्ग से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में सूरत से महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आते-जाते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र के किसान रोजाना अपने कृषि उत्पादों को सूरत ले जाते हैं। हीरा और वस्त्र उद्योग से जुड़े बड़ी संख्या में मांडवी क्षेत्र के व्यापारी इसी मार्ग से रोज सूरत जाते हैं।

सूरत से धूलिया तक के सड़क मार्ग में गंगाधर और वीरपुर में दो रेलवे क्रांसिंग है। सड़क पर भारी भीड़ होने के कारण इन रेलवे क्रांसिंगों पर हमेशा ट्रेफिक जाम लगा रहता है जिससे इस सड़क का प्रयोग कर रहे लोगों का समय बरबाद होता है और परेशानी होती है। इन दो रेलवे क्रांसिंगों पर हमेशा गाड़ियों विशेषकर ट्रकों और बसों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं।

महोदय, मैं सरकार से गंगाधर और वीरपुर रेलवे क्रांसिंग पर उपरिगामी पुल का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध करता हूं।

(दो) नॉर्थ कोयल और बटनी नदी पर बने बांधों पर गेट लगाए जाने हेतु झारखंड सरकार को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान दक्षिण बिहार के अपने औरंगाबाद निर्वाचन में सिंचाई सुविधा की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अधिकांश भाग में नहरों, संभरकों और वितरकों का अच्छा जाल बिछा है लेकिन ये सभी वर्षा से प्रभावित हैं। जब मानसून ठीक से नहीं आता है तो उस समय सिंचाई के लिए जलापूर्ति के व्यवस्थित तंत्र का अभाव हो जाता है। पिछले वर्ष मानसून नहीं आया तो भयंकर सूखा पड़ा। इससे चारों तरफ लोगों को काफी परेशानी हुई और विशेषकर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। झारखंड के छोटानागपुर पठार से निकली नार्थ कोयल और बर्टनी नदियों से नाले-नहरों के जल को पानी मिलता है। दोनों के पानी को रिजर्वायर में जमा रखने की व्यवस्था नहीं है। पानी जमा करने में सहायता करने के लिए नार्थ कोयल पर बने बांध पर कोई भी गेट नहीं बना है। बर्टनी नदी पर बने बांध पर बने दरवाजों को स्थानीय लोगों ने अकार्यक्षय बना दिया है। इन दो नदियों पर गेट का निर्माण करने की अत्यधिक आवश्यकता होने के बावजूद इसके निर्माण के रूपात्मकता पर बिहार और झारखंड सरकार के बीच लंबे समय से विवाद रहा है।

इन बांधों पर गेट का निर्माण करने से संबंधित समझौता इन दोनों राज्यों के बीच कराकर अंततोगत्वा इस विवाद का समाधान कराने के लिए जल संसाधन मंत्री हमारी ओर से बधाई पाने के हकदार हैं। ये गेट सूखा के विरुद्ध स्थायी गारंटी साबित होंगे।। लेकिन झारखंड सरकार ने अब इस समझौते से हाथ खींच लिया है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से इन दोनों दरवाजों के निर्माण कराने में सहयोग करने के लिए झारखंड सरकार को राजी करने के लिए पहल करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) गुजरात के जूनागढ़ जिले में लैण्ड लाईन और मोबाइल टेलीफोन सेवा के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): महोदय, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में दस तालुका क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के निवासियों ने लम्बे समय से सरकार की नीति के अनुसार लैण्डलाइन टेलीफोन सुविधा पाने के लिए विभाग द्वारा तय की गयी धनराशि जमा करवा रखी है। विभाग की ओर से जवाब मिलता है कि केवल की क्षमता पूरी हो गयी है। लैण्डलाइन और डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन की मशीनरी और जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से इन उपभोक्ताओं को टेलीफोन सुविधा मिलने के पात्र होते हुए भी नहीं मिल पा रही है।

इसी तरह बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.) मोबाइल टॉवर जो लगे हुए हैं उनकी संख्या और नेटवर्क क्षमता कम होने की वजह से मोबाइल उपभोक्ताओं को सेवा मे काफी बाधा होती है। नये मोबाइल टॉवर लगने की योजना मंजूर होने के बावजूद भी मशीनरी और जरूरी उपकरण विभाग के पास नहीं होने की वजह से नये मोबाइल टॉवर लगाने का काम भी रुका हुआ है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लैण्डलाइन फोन और डब्ल्यू एल एल फोन की सुविधाएं उपभोक्ताओं को प्रदान कराये जाने के लिए विभाग को केबल, मशीनरी और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.) मोबाइल टॉवर जो लगे हुए हैं उनकी नेटवर्क क्षमता को बढ़कर मोबाइल सेवा को ठीक किया जाये और नये टॉवर लगाने की जो योजना मंजूर की गयी है उसे जल्दी से जल्दी लगाकर उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा प्रदान करायी जाये।

(चार) कंपनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के टुंडू एकक के पुनरुज्जीवन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लि. की लाभ अर्जित करने वाली महत्वपूर्ण इकाई ब्लेड समेल्टर टुंडू,

*सभा पटल पर रखे गये।

धनबाद की स्थापना 1942 में सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामग्री लेड उत्पादन के लिए हुयी थी। लेड स्मेल्टर टुंडू इकाई के माध्यम से भारतवर्ष में इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के कई अन्य इकाईयों का उदय हुआ। भारत सरकार द्वारा 11.4.2002 को इस प्रतिष्ठान का 26% शेयर मैं. स्टारलाइट आपरचुनिटीज एंड वेन्चर्स लिमिटेड को बेचकर प्रबंधकीय प्रभार भी सौंपा दिया गया। इस कंपनी का 30 प्रतिशत से अधिक शेयर भारत सरकार के पास अभी भी है परंतु दिनांक 23.2.2004 से टुंडू इकाई को भी बिना किसी सरकारी निर्देश/आदेश एवं पूर्व सूचना के तालाबंदी कर दिया गया तथा यहां के मजूदरों को वेतन एवं सभी आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है। समुचित इलाज के अभाव में एक मजदूर एवं एक मजदूर के आश्रित की मृत्यु होगी तथा अनेकों मजदूर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। श्रमायुक्त झारखंड सरकार द्वारा भी 23.2.2004 से कार्यस्थान/तालाबंदी को गैर-कानूनी घोषित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि मजदूरों की संख्या वी.आर.एस. के तहत घट जाने के बाद भी यहां के मजदूरों ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। मजदूरों की संख्या 742 की जगह मात्र 292 रह गयी है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि उक्त कारखाने का प्रचालन अविलंब प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(पांच) तमिलनाडु के तीन नगर पंचायतों अर्थात कायटार, कलुगुमलाई, इट्टायपुरम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तिरुनेलवेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाईप लाईन बिछाए जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरुनेलवेली): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तिरुनेलवेली उपयोगिता 2004/575 दिनांक 25 अक्टूबर 2004 के परियोजना निदेशक ने सड़क के उस दूसरी तरफ, जहां वर्तमान में पाइपलाइन बिछी है पाइपलाइन बिछाने के टी डब्ल्यू ए डी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इससे सड़क पर बनी चार लेन प्रभावित नहीं होगी। यदि पाइपलाइन बिछायी गयी तो करीब एक लाख जनसंख्या और 161 निवास स्थानों और तीन शहरी पंचायतों को जल मिलने लगेगा। इसीलिए कृपया 70 कि. मी. से 121/400 कि.मी. तक पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दें।

यह मामला 25 अक्टूबर, 2004 से भा.रा.रा.प्रा. के पास लंबित है। टी डब्ल्यू ए डी उस पाइपलाइन बिछाने में समर्थ नहीं है जिससे कामगर, कलुगुमलाई, सूट्टायापुरम नामक तीन शहरी पंचायतों और उन 161 रास्ते के किनारे के निवास स्थानों/गांवों, जहां लोगों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं है, को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी।

भा.रा.रा.प्रा. (मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय) के अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने विगत नौ माह से इसे अनुमति नहीं दी है।

मैं भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह टी डब्ल्यू ए डी द्वारा बनाए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने का आदेश यथाशीघ्र संबंधित अधिकारी को दें और तीन शहरी पंचायतों और 161 गांवों को पेयजल सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने में सहायता करें।

(छह) झारखंड के देवधर जिले में पथरौल में काली मंदिर को पर्यटक केन्द्र घोषित किए जाने तथा तीर्थयात्रियों के लिए जनसुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): महोदय, झारखंड राज्य अंतर्गत पथरौल (मधुपुर) जिला-देवधर स्थित एक अति प्राचीन काली मां का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां प्रतिवर्ष पूरे देश खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु भक्तगण हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक होने से यहां पेयजल व रहने की भारी कठिनाई है। लगभग 200 साल पुराने इस मंदिर के पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता के लिए विधान सभा व लोक सभा में कई बार सवाल उठाया गया, पर तत्कालीन पर्यटन मंत्री के घोषणा के बाद भी अभी तक इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि पथरौल मधुपुर स्थित काली मां के मंदिर को देश के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाये और भक्तों की कठिनाइयों को देखते हुए यहां तमाम आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाये।

(सात) कर्नाटक में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को तत्काल केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. वेंकटेश नायक (रायचूर): कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने हेतु एक ज्ञापन दिया था। राज्य निरंतर चौथे वर्ष सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य के कई जिलों विशेषकर उत्तरी जिलों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि अप्रैल के महीने में इस प्रकार की स्थिति है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगामी जून और जुलाई के महीनों में पूरे राज्य में क्या स्थिति

[श्री ई. वेंकटेश नायक]

होगी। वहां चारा उपलब्ध नहीं है और कृषि श्रमिक पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चले गए हैं।

राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 1147.71 करोड़ रुपए और 4.53 मीट्रिक टन खाद्यान्न की मांग की थी। केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्ययन दल भी वहां भेजा गया था। कृषि मंत्रालय ने एन.सी.सी.एफ के अंतर्गत 1.14 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने की सिफारिश की है। गृह मंत्री ने सूचित किया है कि सी.आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए 34.53 करोड़ रुपए को समायोजित करने के पश्चात एन.सी.सी.एफ. से 49.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। अब तक 1.14 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 9 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं। इस नगण्य राशि से कर्नाटक के लोगों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है।

इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री से मेरा आग्रह है कि भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने और कर्नाटक के पीड़ित लोगों को बचाने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी की जाए।

(आठ) केरल के अलप्पुजा संसदीय क्षेत्र में छोटे द्वीपों के समग्र विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): केरल के अलाप्पुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनेक छोटे-छोटे द्वीप हैं। उन द्वीपों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं नगण्य हैं। इन द्वीपों में शैक्षिक, स्वास्थ्य परिवहन और शुद्ध पेयजल सुविधाओं का अभाव है। कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जहां चुनावों के दौरान मतदान केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए कोई सार्वजनिक भवन तक उपलब्ध नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन द्वीपों, जहां किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, के समग्र विकास के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया जाए। पेरुम्बलम अपेक्षाकृत बड़ा द्वीप है जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस द्वीप को सबसे नजदीकी भाग वेम्बानाड झील के पास मुख्यभूमि से जोड़ा जाए।

(नौ) प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, चेन्नई फ्रेट कोरीडोर का कार्यान्वयन शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): माननीय रेल मंत्री ने लोक सभा में यह घोषणा की थी कि वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए चारों महानगरों को आपस में जोड़ने हेतु एक पृथक फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाए।

इस महीने के आरम्भ में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और जापान द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा में केवल दिल्ली और मुम्बई तथा दिल्ली और कोलकाता के बीच फ्रेट कॉरिडोर का निर्णय किये जाने की घोषणा की गई थी। मेरी जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में जापान केवल इन तीन नगरों के बीच कॉरिडोर निर्माण संबंधी परियोजना का वित्तपोषण करेगा। मुम्बई और दिल्ली के बीच फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए तथा दिल्ली और कोलकाता के बीच कॉरिडोर परियोजना के लिए 12000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में हुए औद्योगिक विकास तथा कुडनकुलम परमाणु शक्ति परियोजना जो कि शीघ्र ही कार्य शुरू करने वाली है, को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक दिल्ली चेन्नई कॉरिडीर को प्रोत्साहन दिये जाने की नितांत आवश्यकता है। सेतु समुद्रम् परियोजना के शुरू होने से व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा साथ ही वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। नोएडा, बंगलौर, हैदराबार स्थित सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों और चेन्नई स्थित ज्वारीय पार्क के साथ-साथ ज्वारीय पार्क सहित बनाए जा रहे नांगुनेरी मुक्त आर्थिक क्षेत्र के लिए रेलवे के एक समर्पित और आधुनिक फ्रेट आवागमन की आवश्यकता है।

इसलिए केन्द्रीय रेल मंत्री से मेरा आग्रह है कि चेन्नई-तूतीकोरिन कॉरिडोर का कार्य शुरू करने से पूर्व दिल्ली-चेन्नई कॉरिडोर का कार्य शुरू किया जाए जोकि तूतीकोरिन पत्तनों पर कंटेनर टर्मिनलों के चल रहे आधुनिकीकरण संबंधी कार्य को देखते हुए निकट भविष्य में अनिवार्य होगा।

(दस) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा जयकृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित उत्तरपाड़ा जॉयकृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी में विचारधारा को धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हैं। बंगाल के परोपकारी जमींदार बाबू जॉयकृष्ण मुखर्जी द्वारा वर्ष 1859 में संस्थापित यह लाइब्रेरी हमारे देश में लाइब्रेरी आन्दोलन के इतिहास में अद्वितीय लाइब्रेरी है जिसमें 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अनेक और अमूल्य संग्रह उपलब्ध हैं।

इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से इस अति प्राचीन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व

का संस्थान घोषित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में निर्णय काफी समय से लंबित है।

मेरा माननीय संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले पर विचार करें और इस लाइब्रेरी को अतिशीघ्र राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किये जाने का रास्ता तैयार करें।

(ग्यारह) पर्यावरणीय-पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोबा जिले में चरखरी लेक के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास हेतु रु. 909.02 लाख की योजनाओं को स्वीकृति हेतु प्राथमिकताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्रांक-5339/6-1-1/04 दिनांक 3.8.2004 भेजा गया है, जिसके अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद महोबा में चरखारी लेक के विकास हेतु रु. 35 लाख तथा 20 लाख, कालिंजर किला, जनपद बांदा के विकास हेतु एवं इटावा में सैफई महोत्सव स्थल पर यात्री शेड के निर्माण हेतु 104.11 लाख की योजनाएं सम्मिलित हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास के लिए 909.02 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(बारह) बेरोजगारी की समस्या हल करने के उद्देश्य से शहरी विकास अभिकरणों के माध्यम से देश भर में बेरोजगार युवकों को छोटी दुकाने मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद से ही एक उग्र समस्या रही है। रोजगार दिलाने के मामले में केन्द्रीय तथा अधिकांश राज्य सरकारों को रिकार्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। चेन्नई जैसे शहर में बर्मा बाजार में वर्षों पहले बिल्कुल छोटी दुकानें खोल कर किया गया प्रयास कुछ सराहनीय लगता है। अच्छा होता अगर केन्द्र राज्यों को कुछ सहायता देकर ऐसी छोटी दुकानें बना कर बेरोजगारों को मदद करता। यह करना तो दूर रहा बड़े तथा छोटे शहरों में एक ओर नगर निगम खोंचे तथा पटरी पर काम धंधा करने वालों का सामान उठा कर अपना कहर गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दिल्ली में तो यह आम देखने में मिलता है। चाहे इण्डिया गेट और एनडीएमसी के इलाके हों या पुरानी दिल्ली के बाजार दूसरी ओर चाहे दरियागंज मंडी के बाहर पटरी पर सब्जी या खोंचा लगाने वाले हों या यमुना पार के मधु विहार जैसे इलाके हों।

आजादी के 50 सालों से भी ऊपर बीत जाने के बाद आज तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कम से कम नगर निगमों के इन दस्तों को समाप्त तो कर दिया जाना चाहिए था। हाल ही में पुलिस पर निगरानी के कई कदमों की बात समाचार-पत्रों में छपी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस इस तरह के अधिकारियों पर भी कैमरों के माध्यम से नजर रखे तथा अन्य शहर भी ऐसा करें।

साथ ही साथ दिल्ली भी डीडीए हो या राज्यों के शहरी विकास बोर्ड, अच्छा हो यह संस्थान भी चेन्नई के बर्मा बाजार की तरह पटरी और खोंचे वालों के लिए बिल्कुल छोटी दुकानें खोल कर रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता करें।

(तेरह) स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन और सिटी घाट के बीच स्थानीय रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, पटना के आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और जनता की मांग को पूरा करने के लिए लोकल ट्रेन जो अभी आर-ब्लाक से चलकर दीघा घाट तक चलती है उसे पटना जंक्शन से सिटी घाट तक चलाने की व्यवस्था की जाये। माननीय रेल मंत्री जी भी इस संबंध में पूर्व में घोषणा कर चुके हैं। अपितु अभी तक इस कार्य पर कोई काम नहीं हुआ है। इस लोकल ट्रेन के चलने से वहां के आम नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी और पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस क्षेत्र की आबादी बहुत ज्यादा है। खास तौर पर गरीब मजदूर किसान और कर्मचारी वर्ग के लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पटना के आम नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर लोकल ट्रेन को पटना जंक्शन से, सिटीघाट तक चलाने की अविलम्ब व्यवस्था करें।

(चौदह) नदी के बांध को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार में बूढ़ी गंडक, बागमती और खरसठ नदियों पर बने बांध के बोल्डर पिचिंग और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार की नदियों में तेजी से चल रहे कटाव और उससे उत्पन्न तटबंधों के टूटने के खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं और सूचित करना चाहता हूं कि समस्तीपुर जिला में बागमती नदी के किनारे जटमलपुर एवं खरसड़ के तटबंधों तक कटावा पहुंच चुका है। उसी तरह बढ़ी गंडक नदी के किनारे हरिहरपुर एवं उसके किनारे बसे समस्तीपुर में भी कटावा खास बिन्दुओं पर तेजी से जारी है। समस्तीपुर शहर में बूढ़ी गंडक के किनारे लगभग

[श्री आलोक कुमार मेहता]

14 किलोमीटर तक बांध कमजोर एवं क्षतिग्रस्त स्थिति में है। दो महीने में बाढ़ की संभावना है।

अत: सरकार से मांग है कि कटावा वाले बिन्दुओं पर बोल्डर पिचिंग एवं 14 किलोमीटर बांध के मरम्मत एवं उंचीकरण का कार्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देकर शीघ्र करायी जाये।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के बिल्हौर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उप दूरभाष केन्द्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर, उत्तर प्रदेश की ओर केन्द्रीय सरकार व खासकर माननीय संचार मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि बिल्हौर, सरसौल, कल्याणपुर चौबेपुर, सरवनखेड़ा के अंतर्गत सभी ग्रामीण सब दूरभाष केन्द्र बराबर बाधित रहता है, जिसके कारण स्थानीय जनता को अपने दूरभाष सेवा का लाभ नहीं मिलता है।

अत: मैं भारत सरकार व संचार मंत्री से मांग करता हूं कि बिल्हौर, सरसौल, कल्याणपुर, चौबेपुर और सरवनखेड़ा के अधीन सभी ग्रामीण सब दूरभाष केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करें, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणी देवी मंदिर और परियारी में बेहतर सड़क संपर्क और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद मुख्यालय उन्नाव में कल्याणी देवी मंदिर और इसके निकटवर्ती क्षेत्र परियरी में बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन दोनों धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि परियरी में लव और कुश ने प्रवास किया था। इस प्रकार से इन दोनों धार्मिक स्थलों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दोनों धार्मिक स्थलों पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं के भारी अभाव के कारण यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कल्याणी देवी मंदिर और परियरी धार्मिक स्थलों के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने, अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, दोनों धार्मिक स्थलों को राजधानी दिल्ली से एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित कदम उठायें।

(सत्रह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय क्षेत्र में जहां नवम्बर, 2004 में भारी वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई थी, किसानों को राहत और मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): गत वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान अक्टूबर-नवम्बर, 2004 में तमिलनाडु राज्य में हुई भारी वर्षा के कारण मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चिदम्बरम में बाढ़ आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप हजारों हेक्टेयर भूमि में धान की खड़ी फसल को अपूर्णीय क्षति हुई। इससे पहले कि जिला प्रशासन बाढ़ से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन करता, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा 'सुनामी' ने पूरे तमिलनाडु विशेषकर, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, कन्याकुमारी और तमिलनाडु के अन्य तटीय जिलों में तबाही मचा दी। कुड्डालोर और चिदम्बरम में किसानों की काफी फसल नष्ट हो गई और भूमि क्षारीय एवं बंजर हो गई है। जिला प्रशासन ने मछुआरा समुदाय के लोगों के दावों पर विचार किया है परंतु उन किसानों के कष्टों पर ध्यान नहीं दिया जिनकी सम्पूर्ण भूमि खेती करने योग्य नहीं रही। मैंने तमिलनाडु सरकार और जिला प्रशासन से बाढ़ तथा सुनामी के दौरान किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने की अपील की है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ तथा सुनामी से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों में तेजी लाई जाए।

(अठारह) न्यायालयों में शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश मनाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, यह चिंता का विषय है कि हमारे देश के न्यायालयों में 21/2 करोड़ से भी अधिक मामले लम्बित हैं और देश शीघ्र, सुलभ और सस्ते न्याय के आदर्श से बहुत दूर होता जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आज भी जहां लंबित मामलों की तादाद करोड़ों में है वहां ग्रीष्मकालीन एवं शरदकालीन अवकाश का क्या औचित्य है।

अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हमारे देश की अदालतें अनेक प्रकार के अवकाशों के कारण एक साल में केवल 190 दिन की औसत से काम करती हैं। इन अवकाशों के कारण लंबित मामलों में दिन पर दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है और न्याय का उद्देश्य भटकता जा रहा है।

भारत गरीब देश है। यहां की जनता शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय चाहती है। मेरा निवेदन है कि न्यायालयों में ग्रीष्म/शरद अवकाश समाप्त करने पर विचार किया जाये। इससे जहां एक ओर लंबित मामलों में कमी होगी वहां दूसरी ओर शासन का शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय देने का उद्देश्य भी पूरा होगा।

(उन्नीस) झारखंड में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में नदियों के बांधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): महोदय, झारखंड के राजमहल, साहेबगंज, उधवा, बरहरवा और पाकुड़ में बाढ़ और मिट्टी कटाव से प्रतिवर्ष पांच लाख लोग प्रभावित होते हैं। फरक्का बांध के गर्भ सेलटिंग होने से चारों ओर पानी फैल जाता है और बाढ़ से करोड़ों रुपये की क्षति होती है। बाढ़ से गंगा का सतह छिछला हो जाने से पानी रुक नहीं पाता है। यहां के निवासियों को इन्दिरा आवास भी उपलब्ध नहीं होता क्योंकि बाढ़ से गंगा नदी का कटाव जारी है और जमीन भी उपलब्ध नहीं है। अभी हाल में केन्द्र सरकार ने करीब करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बाढ़ से बचाव सरकार के एजेन्डा में भी है।

अत: बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे रक्षा बांध का निर्माण और प्रभावित लोगों को आवास के व्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ राहत उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

(बीस) निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए दिए जाने वाले वजीफे की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वजीफे की रकम अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय इस समुदाय के छात्रों के लिए जो वजीफे की राशि मिल ही है, वह केवल नाममात्र की है तथा देश के प्रत्येक राज्य में एक नवोदय विद्यालय खोलने की स्थापना की जा जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को ही उसमें तकनीकी शिक्षा मिले।

इंदिरा आवास योजना मुख्यत: अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों के लिए ही प्रारंभ की गयी थी, किन्तु अब इस योजना में सभी को शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से उक्त समुदाय के लोगों की आवास की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए इंदिरा आवास योजना में एक ऐसी कार्य योजना बनायी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को पांच सालों के अंदर निश्चित रूप से आवास जरूर मुहैया करा दिए जायें।

राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में अब तक इन जातियों का कोटा तय नहीं किया गया है। यह कोटा आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए वर्ष 2000 को आधार माना जाना चाहिए क्योंकि अब इस तबके की आबादी कम से कम 25 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इस सूची में अन्य नयी जातियां भी जुड़ती जा रही हैं। साथ ही उन सरकारी कंपनियों में अथवा निजी कंपनियों में भी अनु.जा./ज.जा. का आरक्षण निश्चित किया जाना चाहिए जिनमें तनिक भी सरकारी भागीदारी हो और आरक्षण में अनु.जा. तथा जन.जाति का उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग को देने की बजाये खाली रखा जाना चाहिए।

अपराह्न 12.52 बजे

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 19—सूचना अधिकार विधेयक, 2004 के प्रस्ताव पर आगे विचार। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत एक अति महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट विधेयक पर बीच में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, सभी आधुनिक अथवा मिश्र समाजों के संचालन हेतु सशक्त और उद्देश्यपरक सरकार की आवश्यकता होती है। हमारे देश में केन्द्रीय तथा राज्य व स्थानीय निकायों के स्तर पर जो सरकारी खर्च होता है, वह हमारे सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 33 प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भी सरकार को आर्थिक व सामाजिक कार्य-कलाओं में काफी मध्यक्षेप करना होता है। अतएव, सरकारी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावकारिता ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारी सरकार की कार्य कुशलता निर्धारित करते हैं और यह भी कि वह जनता द्वारा उसे प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में किस हद तक खरी उतरती है।

मेरा हमेशा से मानना रहा है कि शक्ति एक पवित्र सामाजिक संपत्ति की तरह है, आप उस पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते, आपको उसका व्यय करना होता है, बहुजनों के हित को सोचकर व्यय करना होता है। अत:, यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रक्रियाएं तो चले ही, तथापि हम यह सुनिश्चित करें कि उन पर व्यय दक्षता और प्रभावकारिता के आधार पर ही हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार और सरकार के कामकाज को लेकर

[डा. मनमोहन सिंह]

बहुत शिकायतें की जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी बात है कि हम यह सुनिश्चित करने के नये रास्ते ढूंढे कि हमारी सरकार प्रभावपूर्ण, प्रयोजनपूर्ण ओर दक्षतापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस नए तत्कालिक उपाय जो अभी इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत है, अर्थात सूचना-अधिकार विधेयक के पीछे यही सोच है।

महोदय, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल कार्यकरण के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कामकाज का अवलोकन और मूल्यांकन कर सकें और उनके कार्य के बारे में तार्किक फैसला दे सकें। ऐसे मूल्यांकन के लिए अपेक्षित हो जाता है कि नागरिक को आकलन करने के लिए आवश्यक सूचना भी सरलता से उपलब्ध हो। और फिर, हमारे विधान-निर्माताओं ने अधिकारों और कर्तव्यों, निरीक्षण और परीक्षा का एक विशद तंत्र भी कायम किया है, एक ऐसा तंत्र जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यह जटिल कार्यतंत्र, जिसे हमारे कानूनों, प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा व्यवहृत किया जाता है—हमारी समृद्ध, विविध और स्पंदनशील राजनीति की नींव है जिसे उसकी उस विशेषता के लिए दुनिया भर में आदर मिलता है कि वह आर्थिक विकास के लक्ष्यों और एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षाओं का सुसमन्वय कर सकती है।

महोदय, इस गूढ़ तंत्र के केन्द्र में है हमारे देश का आम आदमी, जिसकी स्मृद्धि और कल्याण ही हमारे संविधान का प्रमुख लक्ष्य है। यह आम आदमी या आम स्त्री ही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की धुरी है। एक पर्यवेक्षक के रूप में, सूचना चाहने वाले के रूप में, उचित-प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे कामकाज के विश्लेषक और अंतिम-निर्णयकर्ता के रूप में।

सं.प्र.ग. सरकार ने न सिर्फ आम आदमी के कल्याण के लिए कार्य करने, बल्कि हमारे विपत्ति-नियंता के रूप में उसकी भूमिका को सबल बनाने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने सूचना-अधिकार विधेयक और अनुवर्ती संशोधनों को इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, सुदक्ष और प्रभावी संस्थाएं त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसी संस्थाएं जो न्यूनतम संभव लागत और अधिकतम संभव दक्षता के साथ वायदों को नीतियों और वास्तविक कार्यक्रमों में बदल सकें। ऐसी संस्थाएं जो किए गए और संभव पर वायदों को पूरा सकें- जैसाकि कुछ दिन पूर्व, बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कहा था ''परिव्यय, परिणाम बन जाए'' और संस्थाओं के दक्षतापूर्वक तथा प्रभावकारी तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि वे पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील तथा जवाबदेह तरीके से काम करें। यह बात केवल संस्थाओं की आंतरिक प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस वक्त पर भी निर्भर करती है कि जनसामान्य और अन्य बाहरी तंत्र इन संस्थाओं के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करने में कितना सक्षम है। महोदय, इस मायने में सूचना-अधिकार विधेयक नागरिकों को एक और अधिकार प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी संस्थाएं और उनमें काम करने वाले कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से निर्वहन करें। इससे उनके अधिकारों के प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिकार मिल रहा है और नागरिक-अधिकार स्वतंन्तता के क्षेत्र में एक बड़ी कमी पूरी हो रही है।

महोदय, वैसे तो वर्तमान में सूचना-स्वातंत्र्य अधिनियम भी विद्यमान है, तथापि, विचाराधीन यह विधेयक और अधिक दूरगामी है और मैं श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का बहुत अभारी हूं जिसकी पूर्ववर्ती विधान की प्रमुख कर्मियों की ओर ध्यान दिलाने में काफी बड़ी भूमिका रही। हमारे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक की पहुंच अधिकतम संभव रखी गयी है और केन्द्रीय व राज्य सरकारों पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों व सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को इसमें समविष्ट किया गया है। इस विधेयक के तहत सूचना पाने की संभावना विस्तृत है, सीमाएं कम से कम रखी गई हैं—उन्हें भी लोक लाभ प्रदता के आधार पर पार किया जा सकता है, अर्थात् यदि सूचना गुप्त रखने की बजाय उसे जारी कर देने से अधिक लाभ होता हो तो वैसा किया जा सकेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

तथापि, मेरा विचार है कि हमें ऐसी सूचना के प्रकटीकरण में छूट देने का भी विचार करना चाहिए जिसके प्रकट होने से संसद या राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकार का हनन होता हो। इसमें सुरक्षा तथा असूचना एजेंसियों, जिन्हें सामान्य तौर पर सूचना प्रकट करने से विलग रखा जाता है को भी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार-उल्लंघन के आरोप आदि के मामले में सूचना प्रकट करने के अध्यधीन किया गया है।

इस विधेयक में सूचना प्राप्त करने का जो खाका पेश किया गया वह सरल, सुगम और समयबद्ध और सस्ता है। सूचना उपलब्ध न कराने या सूचना की संरचना में किसी प्रकार का फेरबदल करने पर इसमें सख्त दण्ड का प्रावधान है। वस्तुत: इसमें एजेंसियों पर एक तरह से स्वत: ही सूचना प्रदान करने की बाध्यता की गई है, जिससे सूचनाप्राप्ति की लागत कम हो जायेगी।

महोदय, इसकी एक और प्रमुख विशेषता है—केन्द्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त करके एक स्वतंत्र अपील-व्यवस्था

बनाने का प्रस्ताव व्यापक सूचना प्रकटीकरण-बाध्यताओं और सख्त दण्ड के साथ यह स्वतंत्र अपील-व्यवस्था इस अधिकार को और पैनायन देगी जिससे यह अधिकार सुशासन का एक सशक्त औजार बन सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अनेक चिंताएं जाहिर की और प्रश्न उठाए। राज्यमंत्री श्री सुरेश पचौरी उनका उत्तर देंगे। मैं तो केवल यह चाहूंगा कि प्रत्येक, विशेकर हमारे लोक सेवक, इस विधेयक को सकारात्मक भाव से ले इसे सरकार का काम अवरुद्ध करने वाले किसी दमनकारी विधान के रूप में न देखे बल्कि सरकार और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने वाले एक ऐसे माध्यम के रूप में देखे जो लोकहित में सरकार के कामकाज को अधिक मित्रवत, शुभचिंतकवत और असरदार बनाएगा। महोदय, यही ध्यान में रखकर हमने इस संशोधन के जरिए कारावास के दंड को हटा दिया है। परन्तु, चूक करने वाले कार्मिकों को विभागीय कार्रवाई का सामना अवश्य करना होगा मैं सभी लोक सेवकों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को सकारात्मक भाव से लेंगे और यह उम्मीद करता हूं कि इससे उनका कामकाज और बेहतर होगा। आखिरकार, हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उसके समक्ष हमें नतमस्तक होना होता है और उसे हानि पहुंचाने का कोई कार्य हम नहीं कर सकते। यही बात हमारे ईमानदार, परिश्रमी लोकसेवकों के साथ भी है।

मैं चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकारें पहल करें और राज्य सूचना आयोगों का गठन करें। हमारे नागरिकों का ज्यादातर संपर्क राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन एजेंसियों से ही होता है, अतएव, इस विधेयक की सफलता देश भर में इस हेतु जनजागृति फैलाने तथा इन प्रावधानों को लागू करने के संकल्प और प्रतिबद्धता पर ही निर्भर है।

महोदय, हमारा काम इस विधेयक को पारित करके ही समाप्त नहीं हो जाता। यह एक नूतन विधेयक है, जिसके अनुसार कार्य करके हमें इसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता रहेगी। अत:, यह ऐसा विधेयक है जिसके परिकलन की सतत समीक्षा करते रहनी होगी। हमें इस विधेयक में परिकलन संस्थाओं और प्रणालियों के स्थापन के लिए सतत प्रयास करना होगा ताकि हमारे लोक सेवक क्षमतापूर्वक इस वास्ते अपने कर्त्तव्यों का पालन करें और, सर्वोपरि, हमारे नागरिकों को मिले इस अधिकार के बारे में उन्हें अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से हमारे सरकारी कामकाज का एक नया दौर शुरू होगा, कार्यक्षमता और दक्षता का एक नया दौर शुरू होगा, एक ऐसा दौर जो विकास के लाभों का समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा, एक ऐसा दौर जो भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ेगा। एक ऐसा दौर जो सरकार के हर कदम के पीछे यह सोच बनाएगा कि इससे आम आदमी का भाला हो, एक ऐसा दौर जो हमारे गणतंत्र के विधि-निर्माताओं की आशाओं को पूरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि हम भोजनावकाश न लें तो चलेगा?

कई माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राइट टू इंफार्मेशन जैसे महत्वपूर्ण बिल पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए अपने मूल्यवान और उपयोगी सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए जरूरी मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत में कहे गए एक श्लोक से करना चाहूंगा:

तथा संप्रेषियेत राष्ट्रे: राष्ट्रीयां त्व दश्येत
अनेन व्यवहारेण दृष्टाव्याश्च प्रजा: सदा।

अर्थात सबकी राय लेकर शासन जो नीति बनाए और जो निश्चय करे, उसे प्रजा के सामने अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शासन जो भी करे, सरकार जो भी कदम उठाए, उसे जानने का अधिकार प्रजा यानि जनता को होना चाहिए। इसी परदर्शी भावना का परिचायक यह राइट टू इंफार्मेशन बिल है। हमें यह कहते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन तथा यशस्वी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कामन मिनीमम प्रोग्राम के जरिए देश की जनता से जो वादे किए थे, उनकी पूर्ति की देशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

हमने कल इस राइट टू इंफार्मेशन बिल पर चर्चा शुरू की थी और आज इसे पास करने जा रहे हैं। इस बिल को ठोस और अंतिम रूप देने के लिए नेशनल एडवाइजरी कौंसिल, स्टेंडिंग कमेटी, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सुझाव हमें

[श्री सुरेश पचौरी]

प्राप्त हुए। माननीय सदस्यों ने बताया कि लगभग 150 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इसके पीछे मूल कारण यह है कि स्टेंडिंग कमेटी, जिसके सदस्य हमारे राधाकृष्णन जी भी रहे हैं, उन्होंने इस कमेटी में 28 क्लाजेज में से 21 क्लाजेज में परिवर्तन करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसे हमने स्वीकार किया है। यह पहला ऐसा बिल है कि जिसमें स्टेंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए, उन पर गंभीरता से विचार किया गया है। उसके बाद केबिनेट के निर्णय के बाद प्रधान मंत्री के निर्देशन में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 15 क्लाजेज ऐसी थीं, जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की। नेशनल एडवाइजरी कौंसिल के भी लगभग 34 संशोधन आए हैं, उन पर हम लोगों ने बहुत गम्भीरता से प्राय: सभी पर विचार किया।

मैं कहना चाहता हूं कि राइट टू इंफार्मेशन बिल यूपीए सरकार का एक अंग है। यूपीए सरकार के कामन मिनीमम प्रोग्राम में इस बात उल्लेख हैं। जैसा अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि देश में पारदर्शी जिम्मेदारी तथा ईमानदार प्रशासन का होना बहुत आवश्यक है, इस बिल के माध्यम से ये सारे के सारे संकल्प पूरे होने जा रहे हैं। यह यूपीए सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे आम जनता के व्यापक हितों की रक्षा होगी।

मैं यह कहने में संकोच महसूस नहीं कर रहा हूं कि एक जवाबदेह और जिम्मेदारीपूर्ण नए युग की शुरुआत होने जा रही है, नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। राइट टू इंफार्मेशन बिल पास होने के बाद हमें एहसास होगा कि लम्बे समय से भारत के हर नागरिक जो आशा और अपेक्षा करते थे कि उन्हें हर प्रकार की सूचना प्राप्त करने का नैतिक अधिकार है। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में भी इस बात का अधिकार दिया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है तो यह स्पष्ट रूप से हमे दृष्टिगोचर होगा।

मान्यवर, यूपीए की सरकार लोकतंत्र की चाबी जनता को सौपना चाहती है। कोई भी ऐसी सूचना जो देश हित में हो, वह हम जनता से छिपाकर रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम प्रशासन में पारदर्शिता के पक्षधर हैं। हमारी प्रतिबद्धता आम नागरिकों के लिए आसान और प्रभावी ढंग से सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना है। सूचना का अधिकार जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में निहित है, उसी के हिसाब से हमने यह कहा है कि सूचना प्राप्त करना जनता का मूलभूत अधिकार है। इस बिल के लागू होने के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि नये तौर-तरीकों के अजमाने के बाद सरकारी कामकाज में भी आशातीत बदलाव हुआ है।

हमारे दिवंगत नेता आदरणीय राजीव जी का सपना था कि इस देश में एक ऐसे पारदर्शी शासन की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त हो। इस बिल के प्रस्तुत करते समय निसंदेह हमें उनकी याद आ रही है क्योंकि वे चाहते थे कि सरकार और जनता के बीच में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, उनके बीच में विश्वास का वातावरण बनना चाहिए और देश में एक स्वच्छ प्रशासकीय वातावरण होना चाहिए। वे इसके बहुत बड़े पक्षधर थे। उनकी इच्छा थी कि समाज का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको संविधान द्वारा जो मैलिक अधिकार दिये गये हैं, उन मौलिक अधिकारों को उन तक पहुंचाना जरूरी है। उनकी राय को दृष्टि में रखते हुए राइट टू इंफोर्मेशन बिल की क्लॉज 7 में प्रावधान रखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उन्हें हम मुफ्त सूचना उपलब्ध कराएंगे। अनेक राज्यों में जो विभिन्न इंफोर्मेशन बिल बनाए हुए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने उनका जिक्र किया है। महाराष्ट्र के इंफोर्मेशन बिल का जिक्र किया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो भी राज्य ऐसा बिल लाए हैं, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना भुगतान के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को मुफ्त में सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इसलिए यह बिल अनुकरणीय और सराहनीय है और दिवंगत राजीव जी की भावनाओं को आदर है जिसके अनुसार वे चाहते थे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को सूचना मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। सन् 2002 में एनडीए की सरकार द्वारा जब यह एक्ट पारित किया गया था तब इसका नाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्ट था। मैंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का जिक्र किया और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका नामकरण राइट टू इंफोर्मेशन बिल किया है जिससे लगता है कि सूचना प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है।

मैं अपनी बात की शुरुआत माननीय राधाकृष्णन जी से करना चाहूंगा जिनका महत्वपूर्ण योगदान इस बिल को वर्तमान स्वरूप में लाने में रहा है। उनके बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल में आये हैं। उन्होंने एक बात उठाई थी कि कुछ राज्यों में पहले से ही इंफोर्मेशन एक्ट का प्रावधान है और जब यह बिल लागू होगा तो वहां क्या स्थिति होगी? मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस बिल के क्लॉज 2 के सब-क्लॉज 2 में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें या जो लोकल बॉडीज को नागरिकों को सूचना देने का अधिकार दिया गया है।

यदि किसी राज्य के नागरिक, सूचना का एक्ट जहां पहले से लागू है, अगर उस एक्ट के तहत सूचना चाहते हैं तो वह भी उनको उपलब्ध होगी और सैंट्रल एक्ट के तहत जो उसमें प्रावधान रखे गए हैं, यदि वह भी सूचना लेना चाहते हैं, तो उनको उपलब्ध होगी। केन्द्र सरकार ने इस विषय में वर्तमान विद्वान एटॉर्नी जनरल

से इस मामले में राय ली। उनकी राय इस मामले में बड़ी स्पष्ट थी कि सैंट्रल एक्ट लागू होने के बाद स्टेट में जो बिल हैं, वे भी को-एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सलाह देते समय इस बात को स्पष्ट किया था कि संसद को पूरे देश में इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है।

दूसरी बात हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने कही थी। उन्होंने एक सिलैक्शन कमेटी का जिक्र किया था। श्री ओवेसी और श्री नायडू ने सैंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के चयन के लिए बनी सलैक्शन कमेटी का जिक्र किया था। उनका यह आशय था कि इसमें से आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम कैसे अलग किया जा रहा है? मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। पारम्परिक रूप से इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन होती है, सामान्य रूप से मुख्य न्यायाधीश को ऐसी समितियों में नहीं रखा जा सकता है। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी कमेटी हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सैंट्रल विजिलैंस कमीशन की बात आती है, तो उसमें जो सलैक्शन कमेटी रहती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं। जब कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात आती है, उसमें वह नहीं रहते हैं। इलैक्शन कमीशन के मैम्बर का जब चयन होता है, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बर का चयन होता है तो सरकार अपनी अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित करती है और वह उसे स्वीकर करते हैं। यद्यपि हमें अपने मुख्य न्यायाधीश के प्रति पूरी आस्था है लेकिन यह चूंकि एक्जीक्यूटिव फंक्शन से संबंधित मामला है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि इसमें प्रधान मंत्री जी रहेंगे। एक स्वस्थ परम्परा रहे, उसे दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें विपक्ष के लोक सभा के नेता को शामिल करने का निर्णय लिया है और जो तीसरे सदस्य रहेंगे, वह आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा नामित मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): मैं माननीय मंत्री जी से सहमत होऊंगा। किन्तु, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्री की बजाय लोक सभा अध्यक्ष और विधान सभा अध्यक्ष बेहतर होंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दबाव मत बढ़ाइए। पहले ही काफी दबाव बना हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी: धन्यवाद, श्रीमान।

[हिन्दी]

भाई सचिन पायलट जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उन्होंने राइट टू इनफॉर्मेशन बिल की क्लॉज 8 (सी) में दी जाने वाली सूचना का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की सूचना देने से संसद व राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन होगा, इसलिए इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी की अनुमति से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि इस प्रकार का संशोधन पवन बंसल जी ने दिया था, इस मामले में सरकार सार्थक रूप से विचार करेगी, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं।

जहां तक इस बिल के अंतर्गत जो गोपनीयता की बात आई है, जिसे हमारे एक दूसरे माननीय सदस्य असादूद्दीन जी ने उठायी थी कि सूचना देने पर जो गोपनीयता का उल्लंघन या ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट का उल्लंघन तो नहीं होगा- ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट किया है और बिल के प्रावधान में भी स्पष्ट किया है कि कोई भी सूचना जो इस बिल के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है, वह दी जा सकेगी और वह गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं कर पाएगी। बिल का दायरा राज्य सरकारों पर भी लागू हो, यह बात एक माननीय सदस्य ने कही। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने अब जो प्रॉवीजन क्लॉज दो में किया है, उसमें स्पष्ट रूप से इस प्रकार का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जावान सदस्य, श्री मिलिन्द देवरा ने इस बात को रखा कि तीसरे पक्ष को इस एक्ट से निकाल दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि बिल की क्लॉज 11 में इस बात की व्यवस्था है कि तीसरे पक्ष को सूचना दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना, जो या तो तीसरे पक्ष से संबंधित हो या तीसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाली हो, यदि उपयुक्त सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होता है, तो पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर द्वारा तीसरे पक्ष को अवसर दिया जाएगा कि उस विषय में दस दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर को इस विषय में अपना निर्णय चालीस दिन के अंदर लेने की स्वतंत्रता होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात अन्य माननीय सदस्य ने कही कि राइट टू इन्फार्मेशन बिल में आम आदमियों की भलाई को दृष्टिगत रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? विधेयक की क्लॉज 6 में प्रावधान किया गया है और उसमें उल्लेख है कि सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले

[श्री सुरेश पचौरी]

लोगों को मुफ्त में इस प्रकार की सूचना मिलने का पूरा अधिकार मिल सकेगा।

श्री अशोक मेहता जी ने ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, उसका स्वरूप क्या होगा? आप गरीबों को मुफ्त सूचना पहुंचाने का काम करेंगे। उसका स्वरूप क्या होगा, इस पर आपने प्रकाश नहीं डाला है।

श्री सुरेश पचौरी: अध्यक्ष महोदय, क्लॉज 6 को आप विस्तार से पढ़ें, उसमें इसका उल्लेख है। मैं यह भी आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इसके लिए रूल्स बनेंगे, उनमें इस बात का स्पष्ट और सही चित्रण परिलक्षित होगा, उनमें इन सब बातों का उल्लेख होगा।

अध्यक्ष महोदय, जुर्माना लगाने से संबंधित प्रावधान का अधिकार अदालत को दिया गया है। इस बात का उल्लेख माननीय सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी ने किया, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस प्रकार के अधिकार इन्फार्मेशन कमिशनर को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव श्री मिलिन्द देवरा ने दिया था कि सूचना के अधिकार के विषय को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाना चाहिए और माध्यमिक पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों में इसका समावेश किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। यह बहुत अच्छा, उपयोगी और सार्थक सुझाव है। इस मामले में हम मानव संसाधन मंत्रालय से विचार-विमर्श करेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है, कैसे इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। श्री मिलिन्द देवरा की इस मामले में जो इच्छा थी, मैं बताना चाहता हूं कि बिल की क्लॉज 23 से संबंधित विषय में इन सब बातों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्यों ने जाननी चाही है कि इस बिल में और जो एक्ट वर्ष 2002 में पास हुआ था, उसमें क्या फर्क है। मैं किसी और नजरिए से इसे स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी कि बिल अस्तित्व में कैसे आए? आज हम लोग इस बात को देखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट, 2002 पास हुआ था। वह सरकार का निर्णय एकदम अस्तित्व, में आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अस्तित्व में नहीं आ पाया। लेकिन इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि यह बिल यहां से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की एसेंट मिलने के बाद, राज्य सभा में पास होने के बाद, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो एकदम इनेक्टमेंट में आ जाएंगे और जो कुछ बचे हुए प्रावधान हैं, वे 120 दिन के अंदर अमल में आ जाएंगे। इससे हमारी नीयत स्पष्ट हो जाती है। हमारे नौजवान सदस्यों ने यह कहा कि यही फर्क है यूपीए और एनडीए में, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कवरेज के स्कोप की है, क्लॉज 2 में, जो व्यवस्था उस समय थी और जो अब है, उसका उल्लेख किया गया है।

जहां तक फीस का सवाल है, उस समय गरीबों के लिये मुफ्त में सूचना देने का प्रावधान नहीं था लेकिन इस बिल में उसका प्रावधान रखा गया है। इसलिये उस समय के बिल में और आज के बिल में फर्क है। यहां पर एक्जंप्शन की बात कही गई है। ऐसी सूचनायें जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन कुछ वर्षों में दी जायें, उसके लिये वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई है। जहां फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट, 2002 में 25 वर्षों की समय सीमा रखी गई थी, उसे घटाकर इस बिल में 20 वर्ष का प्रावधान रख दिया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पीनल प्रोवीजन का जिक्र किया है। फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट, 2002 में तत्कालीन एन.डी.ए. की सरकार ने पीनल प्रोवीजन रखा था लेकिन हम एक जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी प्रशासन चाहते हैं। हम एक ऐसे शासन की व्यवस्था चाहते हैं जिससे आम लोगों को प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग मिले। यदि किसी स्तर पर लापरवाही होती है, तो जवाबदेही निश्चित की जाये। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने पैनल प्रोवीजन का उल्लेख बिल के क्लॉज-17 में किया है।

अध्यक्ष महोदय, फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट, 2002 में सिक्यूरिटी एंड इंटैलीजैंस एजैंसीस को बिलकुल एग्जंप्ट कर दिया गया था लेकिन इस बिल में, यदि उनके संबंध में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कोई बात होगी या वायलेशन ऑफ ह्युमन राइट्स की बात होगी तो वह सूचना आम नागरिकों को एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उपलब्ध हो सकेगी, इसका उल्लेख हमने इस बिल में किया है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुये, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के पारित होने के बाद एक क्रान्तिकारी सुधार की हम लोग जो आवश्यकता महसूस कर रहे थे, उसका सिलसिला प्रारम्भ हो जायेगा। जब भी हम कोई अच्छी और नई शुरुआत करते हैं, संभव है, उसमें कोई कमी दिखाई दे। हो सकता है कि माननीय सदस्य उसे और अच्छा करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दें, लेकिन मैं सब सदस्यों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमें शुरुआत करने दीजिये, हमें अवसर दीजिये, उनके सहयोग और महत्वपूर्ण सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये हम काम

की शुरुआत करना चाहते हैं। समय के साथ-साथ, जब वे और सुझाव देंगे, तो हम उन सुझावों का समय-समय पर समावेश करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक्जंप्शन और पीनल प्रोवीजन की बात कई माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां राइट टू इनफोर्मेशन बिल पास होने के बाद उसमें पैलन प्रोवीजन सख्त हैं। विश्व को ऐसे 55 देश हैं जहां राइट टू इनफोर्मेशन बिल का नामकरण अलग-अलग तरीके से हुआ है। यदि बिल के क्लॉज 18 और 21 को देखा जायेगा, तो उसमें जितने कम एक्जंप्शन उतने विश्व के एडवांस्ड कंट्रीज-यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और कनाडा-में हम से ज्यादा एक्जंप्शन दिये गये हैं लेकिन हमने अपने बिल में ऐसे एक्जंप्शन की संख्या कम रखी है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं, हमारी नीयत स्पष्ट है और हमारे सामने एक स्पष्ट कार्य-योजना है। हमारे सामने अपने कर्तव्य निर्वहन का अहसास है, जिसका जिक्र माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। हमने देश की जनता के सामने जो वायदे किये गये थे, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाना चाहते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना कदम बढ़ाया है। मैं अपनी बात एक शायर द्वारा कहे गये शेर से समाप्त करना चाहूंगा।

कमाले बुजदिली है, पस्त होना अपनी आंखों में,
अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता।

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ओर यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने राइट टु इनफोर्मेशन बिल का स्वरूप और प्रारुप कितना प्रभावी हो, इसके लिये जो पहल की है, उसके पीछे उनका बुलंद इरादा और दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसे आधार मानते हुए आज यह स्थिति आई है कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो महत्वपूर्ण वायदा था, हम उस वायदे को आपके सहयोग और समर्थन से पूरा करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण और उपयोगी बिल को संशोधनों सहित पारित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

किए गए संशोधन

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो-

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित किया जाता है, राजय सरकार अभिप्रेत है।

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा' (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है- (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 से 6, के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''(i) किसी राज्य की विधानसभा या ऐसी सभा वाले किसी राज्यक्षेत्र की दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या विधान परिषद की दशा में सभापति;'' (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 8 से 11, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;''। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13 से 16 का *लोप* किया जाए। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 में ''(घ)'' के *स्थान* पर ''(च)'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 23 से 24 का *लोप* किया जाए। (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 में ''(च)'' के *स्थान* पर ''(छ)'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 में ''सरकार'' के स्थान पर ''समुचित सरकार'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 से 33 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

'(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से,-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा,

स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अंतर्गत समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा,—(i) पूर्णतया वित्त-पोषित कोई गैर सरकारी संगठन; (ii) कोई अन्य निकाय भी है;'। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 से 36 का *लोप* किया जाए। (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

'(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 14 क की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा 14क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;''। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20 में—

(i) ''(ट)'' के *स्थान* पर ''(ठ)'' *प्रतिस्थापित* किया जाए;

(ii) ''व्यक्ति'' के *स्थान* पर ''नागरिक'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (16)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

विधेयक स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 4

जन प्राधिकारियों का दायित्व

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

''(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-''; (17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 और 26 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;''। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 35 और 36 में ''प्रत्येक वर्ष में ऐसे अंतरालों के भीतर, जो विहित किए जाएं'' के *स्थान* पर ''प्रत्येक वर्ष में'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (19)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 से 9 का *लोप* किया जाए। (20)

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 में ''माध्यम से'' के *स्थान* पर ''माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है,'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (21)

पृष्ठ 5, पंक्ति 16, ''और बोधगम्य'' का *लोप* किया जाए। (22)

पृष्ठ 5, पंक्ति 20 में ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 में ''लोक सूचना अधिकारियों'' ''के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (24)

पृष्ठ 5, पंक्ति 36 में ''सहायक लोक सूचना अधिकारी'' ''के *स्थान* पर यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (25)

पृष्ठ 5, पंक्ति 35 में ''सरकार'' के *स्थान* पर ''धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए।(26)

पृष्ठ 5 पंक्ति 37 और 38 में ''किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (27)

पृष्ठ 5 पंक्ति 2, 5 और 7 में ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''जहां-जहां वह आता है,'' यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी *प्रतिस्थापित* किया जाए।(28)

पृष्ठ 6 पंक्ति 2 में ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (29)

पृष्ठ 6 पंक्ति 11 में ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (30)

पृष्ठ 6 पंक्ति 12 में ''सहायक लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (31)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

सूचना प्राप्त करने का अनुरोध

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 6 पंक्ति 9 में ''अंग्रेजी'' के *स्थान* पर ''अंग्रेजी या हिन्दी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (32)

पृष्ठ 6 पंक्ति 32 में ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (33)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1-2 और 4 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर जहां-जहां वह आता है ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (34)

पृष्ठ, 7 पंक्ति 14 और 15 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर 'यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (35)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 6 संशोधित, रूप में विधेयक का अंग बने।''

विधेयक स्वीकृत हुआ।

खंड 6 संशोधित, रूप में विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 7

मांग पूरा किया जाना

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, इस विषय पर मैंने समिति के गठन के संबंध में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें राजी करने का विकल्प अभी भी आपके पास है लेकिन सदन में ही हमेशा नहीं। यह काम सदन के बाहर भी हो सकता है। आपने बहुत समीचीन बिन्दु पर ध्यान दिलाया है।

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 6, पंक्ति 29 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (36)

पृष्ठ 6, पंक्ति 29 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर' ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारों अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए।(37)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1-2 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (38)

पृष्ठ 7, पंक्ति 3-4 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (39)

पृष्ठ 7, पंक्ति 18 में, ''लोक प्राधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (40)

पृष्ठ 7, पंक्ति 23 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए-

''परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।''। (41)

पृष्ठ 7, पंक्ति 24 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (42)

पृष्ठ 7, पंक्ति 30 और 31 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''जहां किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना-अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,-।'' (43)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

विधेयक स्वीकृत हुआ।

खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

सूचना प्रकटीकरण से छूट

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8, पंक्ति 1 से 38 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

''8. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी,-

(क) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है।

(ख) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया

है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है:

(ग) ऐसी सूचना जिसका प्रकटन संसद या राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार भंग कारित करेगा;

(घ) ऐसी सूचना, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा भी है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;

(ङ) किसी व्यक्ति के पास उसके वैश्वासिक संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;

(च) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए या सूचना के संसाधन की पहचान करने में या विधि के प्रवर्तन के लिए विश्वास में दी गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा होगा;

(ज) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से अन्वेषण या अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागज पत्र, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख भी है;

परन्तु मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और मामलों के पूरा या समाप्त हाने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) ऐसी सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना से, जिसको संसद या किसी राज्य विधान मंडल को ऐसी सूचना को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जाएगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते 1923 को 19 हुए भी उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट के लिए, किसी लोक पदाधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, लोक प्राधिकारी को नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व हुई है या होती है, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि की संगणना की जाती है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।" 44

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपना संशोधन पेश करेंगे?

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख करने के लिए उनका आभारी हूं। संक्षेप में यह केवल इस संदर्भ में है कि रेल संशोधन पेश किया गया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री दोनों की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए आवश्यक है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह संशोधन स्वीकृत किया जाए।

मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

"कि श्री सुरेश पचौरी द्वारा प्रस्तावित और संशोधनों की सूची संख्या-1 में क्रमांक 44 पर मुद्रित संशोधन में,- "(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,"

के *स्थान* पर

"उपधारा (1) के खण्ड (क) (ग) और (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,"

प्रतिस्थापित किया जाए (150)

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किए गए संशोधन, जिसका श्री सचिन पायलट द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया है, को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उनको अधिक श्रेय मिला बल्कि मेरा मानना है कि दोनों को ही बराबर श्रेय जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल: बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि श्री सुरेश पचौरी द्वारा प्रस्तावित और संशोधनों की सूची संख्या 1 में क्रमांक 44 पर मुद्रित संशोधन में;

"(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,"

के स्थान पर

"(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,"

प्रतिस्थापित किया जाए (150)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं खण्ड 8 में श्री सुरेश पचौरी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 44 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 8, पंक्ति 1 से 38 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

"8. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी,-

(क) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता ओर अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है;

(ख) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) ऐसी सूचना जिसका प्रकटन संसद या राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार भंग कारित करेगा;

(घ) ऐसी सूचना, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा भी है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;

(ङ) किसी व्यक्ति के पास उसके वैश्वासिक संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित समाविष्ट है;

(च) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए या सूचना के संसाधन की पहचान करने में या विधि के प्रवर्तन के लिए विश्वास में दी गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा होगा;

(ज) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से अन्वेषण या अपराधियों की गरफ्तारी या उनके अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद, सचिवों ओर अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख भी हैं;

परन्तु मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और मामलों के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) ऐसी सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना से, जिसको संसद या किसी राज्य विधान मंडल को ऐसी सूचना को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जाएगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट के लिए, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, लोक प्राधिकारी को नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व हुई है या होती है, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि की संगणना की जाती है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।''। (44)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, माननीय मंत्री ने इसका श्रेय आपको दिया है। अन्यथा एक बार स्वीकृत होने के पश्चात् वह सरकारी संशोधन बन जाता है। मैं मंत्री जी की इस भावना की सराहना करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कम से कम अध्यक्ष के लिए नहीं। अब मंत्री जी संशोधन संख्या 45 पेश कर सकते हैं।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 14 का लोप किया जाए 45

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 8, यथा संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, यथा संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9

कतिपय मामलों में पहुंच को

किए गए संशोधन:

अस्वीकृत करने के अधार

पृष्ठ 9, पंक्ति 15-16 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (46)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है;

''कि खंण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक से जोड़ दिया गया।

खण्ड 10

किए गए संशोधन:

पृथक्करणीयता

पृष्ठ 9, पंक्ति 26 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (47)

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 में, ''अवधारित'' के *स्थान* पर ''संगणित'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (48)

पृष्ठ 9, पंक्ति 39 में ''अपील प्राधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' (49) *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

पर व्यक्ति से संबंधित सूचना

किए गए संशोधन

पृष्ठ 10, पंक्ति 1 में, ''लोक प्राधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (50)

पृष्ठ 10, पंक्ति 4 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (51)

पृष्ठ 10, पंक्ति 6 में, ''लोक प्राधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (52)

पृष्ठ 10, पंक्ति 15 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (53)

पृष्ठ 10, पंक्ति 19 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (54)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

किए गए संशोधन :

पृष्ठ 10, पंक्ति 32 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर, जहां-जहां वह आता है ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (55)

पृष्ठ 10, पंक्ति 33 में, ''सूचना आयुक्त'' के *स्थान* पर, जहां-जहां वह आता है ''मुख्य सूचना आयुक्त'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (56)

पृष्ठ 10, पंक्ति 34 में, ''सूचना उपायुक्त'' के *स्थान* पर, जहां-जहां वह आता है ''केन्द्रीय सूचना आयुक्त'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (57)

पृष्ठ 10, पंक्ति 35, में, ''सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त'' के *स्थान* पर, ''मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (58)

पृष्ठ 10, पंक्ति 39 में की प्रविष्टि के *स्थान* पर, (3) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (59)

पृष्ठ 11, पंक्ति 4 से 8 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों को साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकती है।''। (60)

पृष्ठ 11, पंक्ति 9 और 11 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी''। (61)

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 के *स्थान* पर, ''(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (62)

पृष्ठ 11, पंक्ति 17 और 18 का लोप किया जाए। (63)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा दिया गया।

पदावधि और सेवा शर्तें

खंड 13

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 11, पंक्ति 19 में, "सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए।(64)

पृष्ठ 11, पंक्ति 22 और 23 को *लोप* किया जाए। (65)

पृष्ठ 11, पंक्ति 24 में, "सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए।(66)

पृष्ठ 11, पंक्ति 19 से 25 के *स्थान* पर, पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

"(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारित करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।"। (67)

पृष्ठ 11, पंक्ति 35 में, "सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (68)

पृष्ठ 11, पंक्ति 39 में, "सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (69)

पृष्ठ 12, पंक्ति 1 में, "सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (70)

पृष्ठ 12, पंक्ति 3 से 10 का *लोप* किया जाए। (71)

पृष्ठ 12, पंक्ति 11 में, "(6)" के स्थान पर, "(5)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (72)

पृष्ठ 12, पंक्ति 11 से पंक्ति 14 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

"(क) मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की है।"; (73)

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (74)

पृष्ठ 17, पंक्ति 18, में "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (75)

पृष्ठ 17, पंक्ति 22 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (76)

पृष्ठ 17, पंक्ति 26 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (77)

पृष्ठ, 17 पंक्ति 29 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (78)

पृष्ठ 12, पंक्ति 32 में, "(7)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाए। (79)

पृष्ठ 12, पंक्ति 32 में, "सूचना आयुक्त" और "सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (80)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14

सूचना आयुक्त का सूचना उपायुक्त का हटाया जाना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 12, पंक्ति 37-38 में, "सूचना आयुक्त" और "सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (81)

पृष्ठ 12, पंक्ति 40-41 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (82)

पृष्ठ 13, पंक्ति 1 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (83)

पृष्ठ 13, पंक्ति 6-7 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (84)

पृष्ठ 13, पंक्ति 16-17 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (85)

पृष्ठ 17, पंक्ति 19 में, "सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (86)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) का निलम्बन संबंधी प्रस्ताव।

श्री सुरेश पचौरी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 87 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 87 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 (क)

राज्य सूचना आयोग का गठन

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

"अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

14क. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा- (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) राजय मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं:

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर दी जाएगी।

(1) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) विधानसभा में विपक्ष का नेता; और

(3) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषीत किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल को नेता माना जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाएं या की जा सकती हों।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में ज्ञान व्यापक और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत से अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा (87)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 14(क) विधेयक में जोड़ दिया गया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14(क) विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री सुरेश पचौरी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 88 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड के उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 88 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14(ख)

पदावधि और सेवा की शर्तें

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए

14(ख) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारित नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख, जिसको वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारित करेगा;

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करने पर धारा 14 क की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा;

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 14(ग) में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसको सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त की है।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त को संदेश वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं:

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन (अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग भी है, जिसे सारांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वह होगी, जो विहित की जाएं। (88)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 14 (ख) विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 (ख) विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सुरेश पचौरी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) की, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 90 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रन यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 89 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 14 (ग)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।

किए गए संशोधन :

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए।

14ग (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, तब उच्चतम न्यायाल ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दे दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है। ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक उसके पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, किसी रूप में, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या हितबद्ध है किसी निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो उसे उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्ति";

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 14 (ग) विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15

किए गए संशोधन:

आयोग की शक्तियां और कृत्य

पृष्ठ 13, पंक्ति 25 में,-

"आयोग" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (90)

पृष्ठ 13, पंक्ति 28 में, "लोक सूचना अधिकारी" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सचूना अधिकारी" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (91)

पृष्ठ 13, पंक्ति 30 में, "सहायक लोक सूचना अधिकारी" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (92)

पृष्ठ 13, पंक्ति 30-31 में, "उसके आवेदन को लोक प्राधिकारी या सरकार को भेजने के लिए" के *स्थान* पर "इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 16 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (93)

पृष्ठ 14, पंक्ति 2 और पंक्ति 4 में, "आयोग" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए; (94)

पृष्ठ 14, पंक्ति 4 में, "आयोग" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचनाआयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए;(95)

पृष्ठ 14, पंक्ति 17 में, ''संसद के किसी अन्य अधिनियम'', के *स्थान* पर ''यथास्थिति, संसद के या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (96)

पृष्ठ 14, पंक्ति 18 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए।(97)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

अपील

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 14, पंक्ति 23, 24 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (98)

पृष्ठ 14, पंक्ति 26 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (99)

पृष्ठ 14, पंक्ति 30 से 36 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

''(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना के प्रकटन के लिए किए गए किसी आदेश विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना है या वास्तव में प्राप्त किया गया था नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी:

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था।'' (100)

पृष्ठ 14, पंक्ति 39 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (101)

पृष्ठ 15, पंक्ति 1 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (102)

पृष्ठ 15, पंक्ति 4 में, ''उस लोक प्राधिकारी पर होगा, जिसने'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, उस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, पर होगा जिसने'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (103)

पृष्ठ 15, पंक्ति 10 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (104)

पृष्ठ 15, पंक्ति 11 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (105)

पृष्ठ 15, पंक्ति 17 में, ''लोक सूचना अधिकारी'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (106)

पृष्ठ 15, पंक्ति 30 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (107)

पृष्ठ 15, पंक्ति 32 में, ''आयोग'' के *स्थान* पर ''यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (108)

पृष्ठ 15, (क) पंक्ति 34 और 36 का *लोप* किया जाए। (109)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 15, (क) पंक्ति 36 से पंक्ति 38 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

"17. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई आवेदन लेने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट कर दी है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना अयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट की है, जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। (110)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21

विधेयक का कतिपय

संगठनों पर लागू न होना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 16, पंक्ति 22 में, "भ्रष्टाचार" के *स्थान* पर, "भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (111)

पृष्ठ 16, पंक्ति 23 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए-

"परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में, मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदत्त की जाएगी।" (112)

पृष्ठ 16, पंक्ति 30 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए-

"(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु भ्रष्टाचार के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में, मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदत्त की जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।" (113)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22

निगरानी और रिपोर्ट करना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 16, पंक्ति 31 में–

"आयोग" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (114)

पृष्ठ 16, पंक्ति 33 में, "केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर, "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (115)

पृष्ठ 16, पंक्ति 35 में, "आयोग" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए।(116)

पृष्ठ 17, पंक्ति 6 में, "आयोग" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (117)

पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में, "केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (118)

पृष्ठ 17, पंक्ति 20 और 21 में, "(1) में निर्दिष्ट आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।" के *स्थान* पर, "(1) में निर्दिष्ट यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और वहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (119)

पृष्ठ 17, पंक्ति 22 में, "आयोग" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (120)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23

केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 17, पंक्ति 27 में,–

"केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (121)

पृष्ठ 17, पंक्ति 36 में, "सूचना अधिकारियों" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (122)

पृष्ठ 17, पंक्ति 39 में, "सरकार" के *स्थान* पर, "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (123)

पृष्ठ 18, पंक्ति 3 में, "सरकार" के *स्थान* पर, "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (124)

पृष्ठ 18, पंक्ति 8, में "लोक सूचना अधिकारी" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (125)

पृष्ठ 18, पंक्ति 10 में, "लोक प्राधिकारी" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सचूना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (126)

पृष्ठ 18, पंक्ति 12 में, "लोक सूचना अधिकारी" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (127)

पृष्ठ 18, पंक्ति 14 में, "आयोग" के *स्थान* पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (128)

पृष्ठ 18, पंक्ति 23 में, "सरकार" के *स्थान* पर "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (129)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 18, पंक्ति 25 में,-

केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर, "समुचित सरकार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (130)

पृष्ठ 18, पंक्ति 29 और 30 का *लोप* किया जाए। (131)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31 में, "(ख)" के *स्थान* पर "(क) *प्रतिस्थापित* किया जाए। (132)

पृष्ठ 18, पंक्ति 33 में, "(ग)" के *स्थान* पर "(ख) *प्रतिस्थापित* किया जाए। (133)

पृष्ठ 18, पंक्ति 34 में, "(घ)" के *स्थान* पर "(ग) *प्रतिस्थापित* किया जाए। (134)

पृष्ठ 18, पंक्ति 35 में, "(ङ)" के स्थान पर "(घ) प्रतिस्थापित किया जाए। (135)

पृष्ठ 18, पंक्ति 35 में, "13" के *पश्चात्* "और धारा 143 की उपधारा (6)" *अंत:स्थापित* किया जाए। (136)

पृष्ठ 19, पंक्ति 1 और 2 में,-

(एक) "(च)" के *स्थान* पर "(ङ)" *प्रतिस्थापित* किया जाए;

(दो) "आयोग" के *स्थान* पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (137)

पृष्ठ 19, पंक्ति 3 में, "(छ)" के *स्थान* पर "(च)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (138)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25

सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 18, पंक्ति 9 से 10 का लोप किया जाए। (139)

पृष्ठ 19, पंक्ति 11 "(ii)" के स्थान पर "(i)" प्रतिस्थापित करें; (140)

पृष्ठ 19, पंक्ति 12 में, "(iii)" के *स्थान* पर, "(ii)" *प्रतिस्थापित* किया जाए (141)

पृष्ठ 19, पंक्ति 13 में, "(iv)" के *स्थान* पर "'(iii)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (142)

पृष्ठ 19, हिन्दी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। (143)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 25 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26

नियमों का रखा जाना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 19, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए-

"(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।" (144)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 26 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 20, पंक्ति 3 में, "सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए। (145)

पृष्ठ 20, पंक्ति 5 में, "सूचना आयुक्त/सूचना उपायुक्त" के *स्थान* पर, "मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (146)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "2004" के *स्थान* पर "2005" *प्रतिस्थापित* किया जाए

पृष्ठ 1, पंक्ति 7, के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए

"(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 14क, 14ख, 21, 24 और 25 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।" (4)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "पचपनवें" के *स्थान* पर "छप्पनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, विधेयक के पूरे नाम के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन

सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारी तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतएव, नागरिकों की इच्छानुसार उन्हें कतिपय सूचना उपलब्ध कराने का उपबंध किया जाना कालोचित है;" (1)

(श्री सुरेश पचौरी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक का पूरा नाम संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, पहले मंत्री जो को अपना प्रस्ताव रखने दीजिए।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

श्री येरननायडु, आप कुछ कहना चाहते हैं? पर आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मेरा सरकार को एक सुझाव है। इन संशोधनों का प्रस्ताव स्थायी समिति ने किया था और सरकार ने सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इससे विधेयक के प्रारूप का निम्न स्तर जाहिर हो रहा है। इसलिए, सरकार भविष्य में इसका ध्यान रखे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: नहीं; जी, नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: करीब 150 संशोधन करने का फिर क्या मतलब है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं राज्य विधान सभा का भी सदस्य रहा हूं, संसद का भी सदस्य हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, बल्कि इन्हें तो इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तीसरे वाचन का विषय नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: यह तो मात्र सुझाव है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं?

प्रत्येक विधेयक भलीभांति तैयार होना चाहिए। स्थायी समितियों का उद्देश्य भी यही है।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: और अध्यक्ष के बारे में एक शब्द भी नहीं है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.53 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.50 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.50 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 20 पर विचार करेगी। श्री चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बिहार राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक 2005 का उद्देश्य है- बिहार राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। यह राज्य स्तर का मूल्यवर्धित कर है जिसे बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत लगाए गए पर्वूवर्ती राज्य बिक्री कर के स्थान पर लाया जाएगा।

वस्तुत:, किसी राज्य में माल की बिक्री व खरीद पर लगने वाला कर, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली राज्य-सूची की प्रविष्टि सं. 54 के अंतर्गत आता है। राज्य स्तर पर कर सुधार प्रक्रिया के एक अंग के बतौर, नवम्बर 1999 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पूर्ववर्ती राज्य कर प्रणालियों के बदले में 'वैट' (मूल्यवर्धित कर-वी.ए.टी.) को लाने का निर्णय किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, 'वैट' की शुरुआत की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए जुलाई 2000 में मुख्य मंत्रियों की सिफारिश पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गई थी।

18 जून, 2004 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में राज्य स्तरीय 'वैट' को 9 अप्रैल, 2005 से लागू करने पर पूरी सर्व सम्मति हो गई थी। वास्तव में, 23 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहले ही राज्य स्तरीय 'वैट' प्रणाली को लागू कर चुने हैं और शेष राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में भी इसके जल्द प्रवर्तित हो जाने की संभावना है।

'वैट' को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय से एकमत होते हुए बिहार के राज्यपाल ने 4 मार्च, 2005 को बिहार मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005 प्रकाशित किया, चूंकि उस समय राज्य विधान मंडल सत्राधीन नहीं था। इसके अवसर, 1 अप्रैल, 2005 से बिहार राज्य में 'वैट' लागू कर दिया गया है। 'वैट' एक आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर-प्रणाली है जिसे विश्व भर में लाभकारी समझा जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के उपबंधों के अनुसार, राज्य विधानमंडल के सत्ताधीन न होने की अवधि के दौरान राज्यपाल यदि कोई अध्यादेश प्रख्यापित करे तो उसे संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है और वह राज्य विधानमंडल के पुन: समवेत होने तक छह सप्ताह की अवधि के पूर्ण हो जाने पर निरस्त समझा जाता है। 7 मार्च, 2005 को बिहार में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों के अनुसार, बिहार राज्य विधानमंडल की शक्तियां अब संसद द्वारा प्रयुक्त की जाएगी अथवा संसद के प्राधिकाराधीन रहेंगी। अत:, बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 'बिहार मूल्यवर्धित अध्यादेश' को संसद द्वारा पारित अधिनियम के जरिए प्रतिस्थापित किया जाना है।

इस विधेयक का लक्ष्य, पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति है। मैं इस हेतु सभा के समर्थन की अनुशंसा तथा निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बिहार राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं बिहार वेट विधेयक का समर्थन करता हूं जो इस वर्ष मार्च में बिहार में प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेगा।

महोदय, मुझे वैट के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालने दें। यह विचार पहली बार 1994 में उत्पन्न हुआ और वाद-विवाद का विषय भी बन गया। उसके बाद 1999 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि वैट के बारे में बताने

और उसे लागू करने के बारे में गंभीर कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक अगले वर्ष शायद जून या जुलाई 2000 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना इस संबंध में प्रगति पर नजर रखने के लिए की गयी थी। इस विचार के प्रारंभ हुए करीब 11 वर्ष बीत चुके हैं और अब हम लोग इस विधेयक को पटल पर रखा देख रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि "यह विधेयक पटल पर रखा जा रहा है" तो मैं इसे केन्द्रीय स्तर का कोई विधेयक नहीं समझ रहा हूं बल्कि यह तो बिहार राज्य के लिए है। परन्तु इससे हम लोगों को विगत में घटी सभी बातों का स्मरण करने का मौका मिल रहा है।

वैट के कुछ स्पष्ट लाभ हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक कोई कर किसी वस्तु के उत्पादन के चरण से लेकर थोक विक्रेता तक उस वस्तु के पहुंचने और फिर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक पहुंचने तक लगाया जाता है। इसके तीन चरण है। इस प्रक्रिया में मैं कहूंगा कि कई अरूचिकर बातें घटित होती हैं जिसके कारण काफी कर अपवंचन किया जाता है। रेकार्डों का पर्याप्त रख-रखाव नहीं किया जाता। इसी कारण इससे कर अपवंचन किए जाने की संभावना हो जाती है। और मौजूदा प्रणाली ऐसी है कि देश भर में बहुगुणित कर लगाए जाते हैं- विभिन्न राज्यों में कई प्रकार के कर हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि करों पर भी कर लगाया जाता है। इसलिए, हम आशा करते हैं कि वैट लागू होने पर पूरी प्रणाली सरल हो जाएगी ओर हम वही प्रक्रिया अपना रहे होंगे जो प्रक्रिया पूरे विश्व में स्वीकार की जा चुकी है। यह एक प्रगतिशील प्रणाली है। इससे पूरे देश में एक समान कीमतें लागू हो जाएंगी। इससे इस स्थिति पर रोक लगेगी जिसमें राज्य दर राज्य कीमतें बदलती हैं–कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में कीमतें ज्यादा हो सकती हैं और अरूचिकर प्रथाओं की संभावना बन जाती हैं। लेकिन एक बार जब यह पूरे देश में एक समान नीति बन जाती है तो एक राष्ट्रीय बाजार होना संभव हो सकेगा। एक बार जब भारत में राष्ट्रीय बाजार होगा तो हम लोगों के लिए स्वयं को विश्व बाजार से जोड़ना आसान हो जाएगा। वैट को लागू करना भारत को वैश्विक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें इसी संदर्भ में उस विधेयक को देखना चाहिए जो बिहार राज्य में वैट लागू करने के लिए यहां पेश किया गया है। हम आशा करते हैं कि इससे बिहार में कर संरचना सरल हो जाएगी।

कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। व्यापारियों के बीच इस कर के संबंध में काफी गलतफहमी हो सकती है। नि:संदेह उनसे थोड़ा और जायजा लेने और थोड़ा और व्यवस्थित रिकार्ड रख-रखाव प्रणाली बनाने को कहा जाएगा। चूंकि पूरी दुनिया अब आधुनिक होती जा रही है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कंप्यूटर की सहायता से व्यापारियों के लिए अपने रिकार्ड रखना आसान हो जाएगा, यदि वे बहुत बड़े व्यापारी नहीं है फिर भी पांच लाख रुपये से कम वार्षिक व्यापार करने वाले व्यापारियों को वैट से मुक्त रखा गया है। इसलिए पांच लाख रुपये से अधिक वार्षिक व्यापार करने वाले व्यापारियों को ही इन खातों का हिसाब-किताब रखना होगा। यह बिल्कुल उचित है कि वे ऐसा करें। इससे मसले सरल हो जाएंगे। इससे कर अपवंचन पर रोक लगेगी, प्रणाली ज्यादा पारदर्शी बनेगी, पूरे देश में कीमतें एक समान हो जाएंगी और इससे भारत राष्ट्रीय बाजार बनेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

हम यह भी आशा करते हैं कि इस प्रणाली से राजस्व की वसूली और बढ़ेगी तथा इससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा। मुझे इस बात का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय शायद देश में सबसे कम है और जिसका सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का एक तिहाई है। इसलिए, यदि बिहार को राजस्व बढ़ाया जाता है तो ऐसा करने से भला ही होगा। बिहार का आधुनिकीकरण करने और विकास करने की दिशा में यह पहला कदम होना चाहिए और इसलिए वैट को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान में वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने और बेचने में थोड़ी समस्या आती है। एक बार जब इस प्रणाली को लाया जाएगा तो देश में कहीं भी वस्तुओं को बेचना संभव हो सकेगा। अत: कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने मसौदा विधेयक को पढ़ा है और बिहार में विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट बनाने की जरूरत के बारे में भी पढ़ा है। यह अच्छा प्रावधान है। इससे न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर और बाहर से बिहार में वस्तुओं के परिवहन या आने जाने की अधिक जांच की जा सकेगी।

जहां तक बिहार के वित्त की बात है तो उसके लिए यह अच्छा ही रहेगा। इस विधेयक में खाते के रख-रखाव का भी प्रावधान है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले कहा था। यह इस प्रणाली की सफलता के लिए महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में व्यापारियों द्वारा खाते का हिसाब-किताब रखने की जांच करने का जो प्रावधान किया गया है तथा उसके साथ दोषी पाए जाने पर दंड देने का जो प्रावधान किया गया है, बिलकुल उचित है।

इसलिए, मैं समझता हूं कि यह एक प्रगतिशील कदम है और यह महज संयोग है कि अभी बिहार में राष्ट्रपति शासन है। इसलिए, हमें संसद में यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रावधान पारित हो। इसलिए इसे संसद में पेश किया गया है और मैं इस विधेयक का समर्थन करने में खुशी अनुभव करता हूं और आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही पारित हो जाएगा और हम लोग इसे बिहार में इसे लागू होता देखेंगे।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): महोदय, मैं बिहार वैट विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं।

जुलाई 2000 में गठित अधिकार प्राप्त समिति ने 18 जून 2004 को अपनी अंतिम सिफारिशें दी जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित थे। परन्तु दुर्भाग्यवश ब उनमें से कुछ मुकर रहे हैं जिसका कारण एक राजनीतिक दल भा.ज.पा. द्वारा लिया गया राजनीतिक निर्णय है और इससे समस्या उत्पन्न हुई है। इसका कारण पूरे देश में वैट को एक ही समय लागू किए जाने का प्रस्ताव है। अन्यथा, वैट का लाभ हमारे देशवासियों को उचित ढंग से नहीं मिल पाएगा।

इस विधेयक को पारित कराना बिहार विधानसभा का कर्तव्य था। पर यह विधयक हम लोगों के पास संवैधानिक दायित्व के कारण आया है जिसका उल्लेख वित्त मंत्री कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और हम सभी को करना चाहिए क्योंकि यह बिहार के आम लोगों के लाभ के लिए और पूरे देश के आम लोगों के लाभ के लिए है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005 पर चर्चा के लिए हम खड़े हुए हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू है। मूल्यवर्धित कर विधेयक 18 जून, 2004 को लाया गया था। राज्य सरकार द्वारा सामानों के क्रय-विक्रय पर लगे वाणिज्यिक कर को एकरूप करके संपूर्ण देश में एकरूप कर प्रणाली स्थापित करने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। इसे 2005 में ही लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहु-बिन्दु कर प्रणाली है जिसमें विपणन प्रणाली में विभिन्न स्तर पर विक्रय एवं क्रय मूल्य के अन्तर पर कर लगाया जाता है। पुरानी वाणिज्यिक प्रणाली 40-40 साल पुरानी रही है। लेकिन मूल्यवर्धित कर विधेयक के अंतर्गत पूरी तरह से लागू करने के लिए, पूरे देश में कर प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए इसे लाया गया था। जहां तक मेरी जानकारी है, इसके लिए जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री माननीय असीम दास गुप्ता जी हैं, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई मीटिंग्स हुईं, विभिन्न राज्यों में अपने ढंग से अपने राज्यों में लागू करने का काम किया गया लेकिन आज भी विसंगतियां कायम हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस कदम का स्वागत करता हूं जिससे कि असमान व्यावसायिक प्रतियोगियों पर अंकुश लगेगा और इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा।

विश्व के 130 देशों में 'वैट' पहले से लागू है और उसका अच्छा परिणाम उन देशों में देखा जा रहा है। हमारी अपेक्षा है कि इस कर पद्धति के लागू होने से बिहार जैसा पिछड़ा और उपेक्षित राज्य देश के दूसरे राज्यों के साथ कदम मिलाने में सक्षम हो सकेगा। दिनांक 17 जनवरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एक श्वेत-पत्र जारी किया था। माननीय मंत्री जी का ध्यान श्वेत-पत्र की ओर आकर्षित कराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों ने अपना लेजिस्लेचर उस श्वेत-पत्र के आधार पर नहीं बनाया। मेरी समझ है कि सरकार को एक मॉडल ड्राफ्ट जारी करना चाहिए ताकि उस मॉडल ड्राफ्ट के आधार पर सभी राज्यों में, लेजिस्लेचर में एकरूपता आए और उसके अनुसार विसंगतियों को दूर किया जा सके। आज विसंगतियों की वजह से मूल्यवर्धित कर लगाने की योजना अपने उद्देश्यों से भटकती नजर आ रही है। आज का व्यापारी वर्ग, छोटा या बड़ा हो, सभी और यह हमारे विपक्षी दल के सदस्यगण जो आज सदन में नहीं है, वे तमाम लोग कुछ हद तक इन्हीं विसंगतियों और कुछ राजनीतिक कारणों से भ्रमित हैं, वे किंकर्तव्यमूढ़ हैं तथा वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इसका मूल उद्देश्य बिल्कुल सही रास्ते पर है और हम आशा करते हैं कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: सर, अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। चूंकि बिहार का विधेयक है, इसलिए बिहार के संदर्भ में दो शब्द और कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि इस प्रणाली में 40 लाख से नीचे की बिक्री पर फलैट टैक्स रेट है। इस फलैट टैक्स रेट के अनुसार बिहार में वह टैक्स रेट 1 प्रतिशत होगा जबकि पश्चिम बंगाल में 0.25 प्रतिशत लागू है। नम्बर, 2004 में वैट लागू होने की वजह से राज्यों को संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई करने की सहमति बनी थी और वित्त मंत्री जी ने राज्यों को तीन वर्षों तक भरपाई करने का वायदा किया था। हम आशा करते हैं कि बिहार के सम्बन्ध में इस दिशा में उसी वायदे के अनुरूप कदम उठाया जाएगा। 25-26 अप्रैल, 2005 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसमें उसी माह की 30 तारीख तक विसंगतियों का सुधार करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का सभी राज्यों द्वारा निर्णय लिया गया था। लेकिन वह अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई है जिसकी वजह से ये विंगतियां आगे भी बरकरार रहेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दिशा में सभी राज्यों को आपकी तरफ से निर्देश दिया जाए और

उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस दिशा में कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वैट के संबंध में जो डाक्युमेंटेशन प्रोसेस है, वह बहुत लम्बा और जटिल है। जब तक इसे कंप्युटराइज्ड मेथड से नहीं भरा जाएगा, डाक्युमेंटेशन नहीं किया जाएगा, तब तक छोटे-छोटे व्यापारियों को इस धारा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसकी डाक्युमेंटशन प्रोसेस को आसान किया जाए, तभी छोटे-छोटे व्यापारियों को इसमें शामिल करने में आसनी होगी और टैक्स स्पैन को बढ़ाया जा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री श्री पी. चिदम्बरम से अनुरोध करता हूं कि वह इस वाद-विवाद का उत्तर दें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री निखिल कुमार, श्री चक्रवर्ती और श्री आलोक कुमार का इस विधेयक का समर्थन करने के लिए आभारी हूं।

मैं श्री निखिल कुमार का आभारी हूं जिन्होंने 'वैट' (मूल्य वर्धित कर) की अवधारणा को स्पष्ट किया और इस विधेयक के उपबंधों के बारे में सभा को जानकारी दी। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा अच्छा आपको समझा पता। मेरे विचार से उन्होंने 'वैट' के पीछे छिपे दर्शन के बारे में और इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है।

'वैट' एक आधुनिक कर प्रणाली है। यह प्रणाली भारत में नई नहीं है। हमारे देश में आज उत्पाद शुल्क की व्यवस्था है जो कि वस्तुत: मूल्य वर्धन पर कर है। यह विनिर्माण पर लगता है। जब उत्तरोत्तर चरणों में उत्पाद शुल्क लगाया जाता है तो देय शुल्क 'मोडवेट' करके अदा किया जाता है। इस प्रकार, यदि कोई विनिर्माता पहले चरण में सौ रुपये शुल्क का भुगतान करता है और दूसरे चरण में मूल्य वर्धन के पश्चात आकलित शुल्क 200 रुपये हो जाता है तो उसने जो सौ रुपये अदा किए हैं, वह उनका क्रेडिट लेगा और उसके बाद सौ रुपये का भुगतान करेगा। वस्तुत:, यही सिद्धांत बिक्री कर पर भी लागू किया जा रहा है।

मौजूदा बिक्री कर प्रणाली में खामी अथवा कमी यह है कि यह एक ऐसा कर है जिसका प्रभाव आगे तक पड़ता है। चूंकि आदानों पर कर लगता है, इन आदानों से बने अवयवों पर बिक्री कर लगता है, फिर इन अवयवों से बने तैयार माल पर बिक्री कर लगता है, इस प्रकार यह कर आगे तक लगता रहता है। इसलिए, उपभोक्ता को बिक्री कर के माध्यम से काफी अधिक शुल्क वहन करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व में लगभग 130 देशों में मूल्य वर्धित कर (वैट) अथवा जी एस टी कर प्रणाली है।

आज हमारे देश में बहुत से लोग इंग्लैण्ड और यूरोप की यात्रा करते हैं। प्रत्येक यूरोपीय देश में 'वैट' प्रणाली लागू है। कोई भी व्यक्ति इस पर दुबारा विचार नहीं करता। कोई भी व्यक्ति यह तक नहीं पूछता कि 'वैट' आखिर है क्या? आप वैट दें। उसके बाद, यदि आप एक निश्चित सीमा से परे खरीदारी करते हैं, तो आप हवाईअड्डे पर तीन घंटे पहले आकर अपनी वैट राशि वापस मांग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसे देश से बाहर ले जा रहे हैं। 'वैट' एक सुस्थापित कर है। किसी भी यूरोपीय देश में कोई भी व्यक्ति 'वैट' का भुगतान करने से नहीं कतराता। दुर्भाग्यवश, जब हमारे देश में वैट लागू किया गया तो इसकी पूरी जानकारी के अभाव में और कुछ सही आशंकाओं के मद्देनजर इसका काफी विरोध हुआ। मैं राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वैट को लागू किया जाएगा। उन्होंने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति करने का काफी साहसिक निर्णय लिया उसके लिए मैं उन्हें अवश्य बधाई दूंगा। मेरे विचार से, यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई पहल करने के लिए एक अभिनव प्रणाली है और मैं यह मानता हूं कि उस उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने वैट मामले में जो सफलता प्राप्त की है, वह प्रशासन के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी दोहराई जा सकती है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां केन्द्र और राज्य सरकार का समवर्ती क्षेत्राधिकार है अथवा कभी-कभी अतिव्याप्त क्षेत्राधिकार भी है। मेरे विचार से राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में उच्च अधिकार प्राप्त समिति प्रणाली को उपयोगी ढंग से अपनाया जा सकता है।

मैं सभी राज्यों के समस्त वित्त मंत्रियों की प्रशंसा करना चाहता हूं जो सात वर्षों तक कड़ी मेहनत करके और अभी तक लगभग 82 बैठकें आयोजित करके ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जहां भारत गर्व के साथ यह कह सके कि 1 अप्रैल को 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट लागू कर दिया है। मैं, विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डा. असीम दास गुप्त की आभार सहित सराहना करता हूं जिन्होंने उच्च अधिकार प्राप्त समिति के विचारों का मार्गदर्शन करने के लिए पिछले सात वर्षों तक अथक प्रयास किया। महोदय, मैं बिहार के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सिद्दीकी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वैट का काफी समर्थन किया और उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में वैट से निपटने में हमारी काफी सहायता की।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मेरे विचार से अब एक या दो प्रश्न ही बचे हैं जिनका उत्तर अभी दिया जाना है। क्या राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा ? जी नहीं। वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमान में बिहार ने 2400 करोड़ रुपये की बिक्री कर वसूली की जानकारी दी। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में, बिहार को वैट, के माध्यम से जो कि बिक्री कर के स्थान पर लाया जा रहा है 2700 करोड़ रुपये की वसूली का अनुमान है। इसलिए, राजस्व की कोई हानि नहीं है।

दूसरा प्रश्न मुआवजे से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने मुआवजे संबंधी फार्मूले को स्वीकृति दे दी है। वस्तुत:, उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने ही इस फार्मूले की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने मुआवजे संबंधी फार्मूले को पूर्णत: स्वीकार किया है। हम किसी प्रकार की भी हानि का पहले वर्ष में शत-प्रतिशत मुआवजा देंगे, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष के 50 प्रतिशत मुआवजा देंगे। मैं आपकों आश्वासन देता हूं कि हानि की संभावना बहुत कम है। हरियाणा वैट से लाभ होने की जानकारी दे रहा है। मैंने केरल के वित्त मंत्री का वक्तव्य पड़ा था- हालांकि किसी एक उदाहरण से तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता तथापि, केरल के वित्त मंत्री ने सूचित किया कि अप्रैल, 2005 में ये वैट राजस्व अप्रैल, 2004 के बिक्री कर राजस्व से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता ने ऐसी अधिसूचना के बारे में कहा जो जारी नहीं की गई है। मैं नहीं जानता कि वह क्या सोच रहे थे। उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने 26 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में कतिपय मदों पर अपनी पिछली संस्तुत वैट दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया था। उसमें यह निर्णय लिया गया कि अप्रैल के अंत तक सभी राज्य संशोधित दरों को अधिसूचित कर देंगे। बिहार में यह सोचकर अधिसूचना जारी नहीं की गई कि यह विधेयक अभी लंबित है। ज्यों ही यह विधेयक पारित होगा, मैं बिहार सरकार को वह अधिसूचना जारी करने को सलाह दूंगा।

महोदय, चक्रवृद्धि दर के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह सिफारिश की कि चक्रवृद्धि दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार ने इसे एक प्रतिशत निर्धारित कर दिया है। अधिकांश राज्यों ने भी इसे एक प्रतिशत निर्धारित कर दिया है। यह सच है कि पश्चिम बंगाल ने इसे 0.25 प्रतिशत निर्धारित किया है। लेकिन, सच कहूं तो, यह दर इतनी कम है कि व्यापार विपणन की आशंका वास्तव में गुम हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है। 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को 'चक्रवृद्धि ग्रहण' मिल सकता है। 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाला कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा व्यापारी नहीं है। संभवत:, वह छोटे अथवा मझौले स्तर का व्यापारी है। वह संभवत: राज्य के भीतर ही व्यापार करता है। इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि कोई व्यक्ति बिहार से अपना पूरा कारोबार समेट कर बंगाल में जाकर बस जाये। क्या वह सिर्फ इस कारण से बिहार से अपना व्यवसाय समेटकर बंगाल में जाकर बसेगा कि वहां उसे 0.75 प्रतिशत का लाभ मिलेगा? अब देखें कि 50 लाख रुपये का 0.75 प्रतिशत कितना होगा। 50 लाख रुपये का 0.75 प्रतिशत लगभग 35,000 रुपये होगा। कोई भी व्यक्ति उस राज्य से अपना कारोबार समेटकर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। जहां वह पला-बढ़ा हो जहां उसने अपना व्यवसाय स्थापित किया हो, जहां उसका परिवार और सगे-संबंधी हों। वह मात्र इस कारण से बिहार से अपना कारोबार समेटकर बंगाल नहीं चला जाएगा कि उसे 30,000 रु. अथवा 35,000 रुपये का फायदा होगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ता हो। चक्रवृद्धि दर निर्धारण का कार्य राज्य सरकारों का है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इसे 0.25 प्रतिशत निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि कुछ महीनों में डा. असीम दास गुप्त इसे 0.1 प्रतिशत कर देंगे। किसी अन्य वित्त मंत्री की भांति उन्हें भी राजस्व संग्रहण की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि यह कोई बड़ा मुद्दा है।

महोदय, व्यापारियों की कुछ आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं एक या दो मिनट का समय और लेना चाहता हूं। कुछ व्यापार संगठन अब भी मूल्यवर्धित कर (वैट) का विरोध कर रहे हैं। कुछ हद तक विरोध कम हो गया है। अनेक व्यापार संगठनों ने वैट की उपयोगिता को समझ लिया है। मेरी इन व्यापार संगठनों से यही अपील है। अब 23 राज्यों ने वैट को स्वीकार कर लिया है और उद्योग तथा व्यापार संगठनों द्वारा अन्य राज्यों पर वैट को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस विरोध को जारी रखने का उद्देश्य क्या है? हमने एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है जिसका सभापति एक राज्य का वित्त मंत्री है। वह स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया है और वे व्यापार संगठनों से मिले हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें सुझाव दे सकता है। अधिकार प्राप्त समिति आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार है। जैसाकि मैंने 26 अप्रैल, 2005 को कहा था, उसने हाल ही में कुछ परिवर्तन किए हैं। अत:, यदि व्यापारियों के किसी वर्ग को कोई वास्तविक कठिनाई है तो उन्हें अधिकार प्राप्त समिति से संपर्क करना चाहिए और विशेषज्ञ समिति से संपर्क करना चाहिए जोकि उन्हें परामर्श देने तथा उनके मतभेदों को दूर करने के लिए उपलब्ध है।

यदि कोई व्यक्ति मेरा पुतला जलाता है तो मुझे बुरा नहीं लगता। वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु वे प्रधानमंत्री जी का भी पुतला क्यों जलाते हैं? केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? केन्द्रीय सरकार उसे सुविधाजनक बना रही है। हम केवल अधिकार प्राप्त समिति को बैठक करने के लिए स्थान उपलब्ध

करा रहे हैं। दिल्ली सरकार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर रही है हम बस यही कर रहे हैं। राज्यों के वित्त मंत्री ही इन सब मामलों में निर्णय ले रहे हैं, यह सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों के वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वतंत्र भारत में पहला सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार ला रहे हैं; यह प्रत्यक्ष कर सुधार से और अप्रत्यक्ष कर सुधार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत में पहला सबसे बड़ा कर सुधार है।

मैं व्यापारिक समुदाय के उस वर्ग से अपील करता हूं जो निरंतर इसका विरोध कर रहा है कि वे कृपया विरोध करना बन्द करें और अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें तथा अपने राज्य के वित्त मंत्री के साथ बैठकर इन समस्याओं को सुलझाएं। आखिरकार, व्यापार किसी भी समुदाय की जीवन रेखा होती है। व्यापार के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। व्यापार के बिना उपभोग नहीं हो सकता। व्यापार से ही अर्थव्यवस्था संचालित रहती है। व्यापारियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। ये सब पुराने तरीके हैं, विशेषकर ऐसे समय जब अत्यधिक महत्व के बड़े नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। व्यापारियों को यह देखना चाहिए कि इस कानून में इस नये कर की अनेक विशेषताएं हैं। और उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए।

महोदय, व्यापारियों के उस वर्ग से जो अभी तक इसका विरोध कर रहा है, पुनः अपील करता हूं कि वे उसका विरोध करना बन्द कर दें और राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो जाएं जो अब 'वैट' को सम्पूर्ण देश में लागू करने के लिए कृत संकल्प है। मैं इससे निराश नहीं हूं कि कुछ राज्यों के अभी तक 'वैट' प्रणाली को स्वीकार नहीं किया है। यदि हमने 57 वर्ष तक प्रतीक्षा की है तो हम एक या दो महीने और प्रतीक्षा कर सकते हैं, परन्तु जितनी जल्दी राज्य इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। इस संबंध में मैं तत्कालीन बिहार सरकार की सराहना करता हूं जिसने 'वैट' का समर्थन किया था। वस्तुतः कुछ अन्य राज्य सरकारों की अपेक्षा तत्कालीन बिहार सरकार ने इस संबंध में अधिक दूरदर्शिता और अधिक समझ दिखायी। मैं विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, से अपील करता हूं कि वे शीघ्र वैट प्रणाली अपनाएं और जितनी जल्दी वे इसे अपनाएंगे उतनी ही जल्दी वे यह महसूस करेंगे कि उन्हें इस आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर प्रणाली से लाभ प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी व्यापारिक तबके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे नए कानून लागू किए जा रहे हैं जिससे व्यापारियों के मन में बहुत सारी शंकाएं और गलतफहमी पैदा हो गई हैं। मेरा निवेदन है कि व्यापारियों के मन में जो शंकाएं और आशंकाएं हैं कि उन्हें सजा मिलेगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मैं खास तौर पर बिहार की बात कर रहा हूं, सरकार अपने स्तर से प्रयास करके उसे क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है क्योंकि यह उनके फायदे की बात है और राज्य, देश हित की बात है। बहुत सारे व्यापारी वैट कानून को समझ नहीं पाए। उनको विस्तार से समझाने के लिए क्या सरकार पहल करेगी? क्या सरकार उन तमाम व्यापारियों के साथ बात करना चाहेगी? सरकार बिहार के व्यापारियों के मन की आशंकाओं को दूर करे जिससे वे उससे स्वेच्छा से स्वीकार करें। क्या सरकार इसके लिए प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया है कि अधिनियम के दण्ड संबंधी प्रावधान लगभग छह महीने की अवधि तक लागू नहीं किये जाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति से पहले कुछ महीनों के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अतः, व्यापारिक समुदाय को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि वैट आने वाला है और उसके कारण वे जेल में बन्द कर दिए जाएंगे। हम इन दंड संबंधी प्रावधानों को लागू करने नहीं जा रहे हैं। यह नया कर है और लोगों को इसकी गणना करना सीखना होगा। कुछ गलतियां अवश्य होंगी परन्तु मैं स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मुझे यह बताया कि वे कम से कम छह महीने की अवधि तक इन दण्ड संबंधी प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे। इसलिए इस कारण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बिहार का व्यापारिक समुदाय इस विषय पर चर्चा करना चाहता है तो उसका स्वागत है। वे इस पर बिहार के अधिकारियों, अधिकार प्राप्त समिति, विशेषज्ञ समिति जिसका मैंने गठन किया है, अधिकार प्राप्त समिति के सचिव जो इसके विशेषज्ञ हैं, मेरे सलाहकार जो कि वैट के विशेषज्ञ हैं, के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसलिए ये सब लोग हर समय उपलब्ध हैं और मैं इन लोगों को किसी भी वर्ग से मिलने हेतु पटना भेजने को इच्छुक हूं। अतः इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें आगे आना चाहिए और किसी भी वास्तविक समस्या पर खुली और स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया कि सचमुच आपके पास समय नहीं है। आपने कमेटी इम्पावर्ड कर दी है। व्यापारी दिल्ली आकर आपसे बात करना चाहें तो क्या आप उन्हें समय दे पाएंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: हां वे आ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बिहार राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 100 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 100 विधेयक में जोड़े दिए गए।

अनुसूची एक से पांच विधेयक में जोड़ दी गईं। खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 21 पर विचार करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि राज्यसभा द्वारा यथापारित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और उसका निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। एक जमाने में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसकी श्रेष्ठता इस तथ्य से जाहिर होती है कि इसमें देश के बड़े भाग अर्थात आज के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और देश के कुछ अन्य स्थानों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यह भी एक तथ्य है कि वास्तव में इस विश्वविद्यालय को हमारे देश के महान नेताओं, जिनमें पंडित जवाहर लाल नेहरु अग्रगण्य हैं, द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। पंडित जी का इलाहाबाद स्थित निवास इस विश्वविद्यालय से काफी नजदीक था।

सन् 1920 के दशक की शुरुआत से पंडित जी इस विश्वविद्यालय के प्रति अच्छी धारणा रखने वाले सभी लोगों, विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के निकट संपर्क में रहे थे। वस्तुत: वे अक्सर विश्वविद्यालय जाकर प्रसिद्ध विजयनगरम हॉल और छात्र संघ हॉल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते थे। उनके सबसे प्रख्यात संबोधनों में से एक सन, 1938 में विश्वविद्यालय के 'हिस्टारिकल सोसायटी' के तत्वाधान में भारत में अंग्रेजी शासन के प्रभावों पर छात्र संघ हॉल में किया गया संबोधन था।

कालांतर में इस विश्वविद्यालय में बहुत उत्कृष्ट शिक्षक आते गए और कुछेक दशकों में ही यह देश में नए राष्ट्रीय जागरण का व्यावहारिक रूप से प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से—मैं कम प्रतिष्ठित तो नहीं कहूंगा–उस स्तर को कायम नहीं रख पाया जिस स्तर तक यह उठ चुका था। देश के सभी भागों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने और इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग उठती रही है। इस विधेयक से उसी उद्देश्य की पूर्ति होगी।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही हैं कि लोगों का एक बड़ा वर्ग–जो कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी हैं–प्रतिष्ठित वर्ग है। इस विश्वविद्यालय की नया स्वरूप क्या हो इस बारे में उन सभी के विचार जानने के लिए उनसे संपर्क करना मेरे लिए गौरवपूर्ण विशेषाधिकार रहा है। अधिकतम संपर्क और सर्वानुमति बनाकर इस विधेयक को पेश किया गया था। शिक्षकों, विभिन्न संकायों और महाविद्यालयों–हर एक को अपने विचार व्यक्त करने

का अधिकार दिया गया था। यही विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया था और दो दिन पहले पारित किया गया। उसी विधेयक को मैंने लोक सभा में इस निवेदन के साथ पेश किया है कि सदन इस पर विचार करे और इसे कानून का रूप दे।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार को और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपध्यक्ष जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये, इसकी मांग कम से कम पिछले 25-30 वर्षों से बहुत दृढ़ रूप से पूरे हिन्दुस्तान में, जहां भी शिक्षाविद् बैठते हैं या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठते हैं, सब की तरफ से लगातार आवाज उठती रही है। हमने पिछली एन.डी.ए. सरकार के समय सुना था कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा और वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने इसे कर के दिखा दिया है। इसलिये मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय सन् 1887 में बना था। इतना प्राचीनतम विश्वविद्यालय शायद भारत में तो क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जहां पर इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुये वैज्ञानिक, शिक्षाविद् या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग न गये हों। इस विश्वविद्यालय की सब से बड़ी विशेषता यह है कि यहां रिसर्चर्स पैदा हुए, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े राजनेता और समाजसेवी पैदा हुये और इसे विश्वविद्यालय ने भूतपूर्व प्रधानमंत्रीगणों को भी पैदा किया। इस विश्वविद्यालय ने उसी संख्या में, उसी अनुपात में बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को पैदा किया। मुझे आज यह कहते हुये खुशी हो रही है कि पूरे हिन्दुस्तान में या इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुये विद्यार्थी होंगे, वे प्रसन्न होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का सब से अच्छा पक्ष यह है कि इस विश्वविद्यालय ने 11 महाविद्यालयों को आत्मसात् किया है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि एक महाविद्यालय इसमें शामिल नहीं है लेकिन वह सुनिश्चित नहीं है। कुलभास्कर नाम का महाविद्यालय, इलाहाबाद से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बारे में लोगों ने बताया कि शायद उस महाविद्यालय को इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। सत्यता की जानकारी मुझे नहीं है, मैं यह बात सिर्फ संज्ञान में ला रहा हूं कि वहां कमला नेहरु पोस्ट ग्रेजूएट मेडिकल इंस्टीट्यूट तथा गोविन्द वल्लभ पंत सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट हैं, इन्हें उसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी के सुझाव में हमें एक शंका दिखाई देती है। मैं वाराणसी से निर्वाचित होकर आया हूं, वहां बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और वहां एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि उस मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थिति यह है कि वह एच.आर.डी. मिनिस्ट्री से गवर्न होता है। चूंकि वह विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है और उसका फाइनैन्स एच.आर.डी. मिनिस्ट्री करती है। लेकिन जो दूसरी तकनीकी सारी सुविधाएं हैं, वे उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होती हैं। इस तरह से उसकी गाइडलाईस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी गवर्न होती हैं और वह एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के अंडर भी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह पैदा होती है कि उस मेडिकल इंस्टीट्यूट को तमाम दूसरी सुविधाएं यदि हैल्थ मिनिस्ट्री प्रदान करना चाहे तो उसे स्थिति में यह कहते हैं कि यह हमारे अंडर नहीं आता है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की जो दुविधा की स्थिति पिछले दिनों दूसरे विश्वविद्यालयों में हुई है, उन्हें हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए और देखा जाए कि आखिर इसका क्या रास्ता निकल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक दूसरा प्रावधान भी होता है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी किया गया है। उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बहाल करने के लिए वहां पर कोर्ट, एक्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडेमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ फैकल्टीज, फाइनेन्स कमेटी तथा तमाम अन्य सारी कमेटियों का प्रावधान भी किया गया है। पिछले वर्षों में जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी तो एक दूसरा रूप इन विश्वविद्यालयों में देखा गया, वहां जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उनके कुलपतियों ने तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय देते हुए सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव नहीं किये। इन संस्थाओं में लोगों को चुना नहीं गया या फिर इन संस्थाओं को भंग कर दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में यूनिवर्सीटी की कोर्ट है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, चूंकि उसे केन्द्रीय सरकार नोमिनेट करती है। लेकिन कोर्ट में जो लोग इलैक्ट होकर जाते हैं, जो पूर्व विद्यार्थी होते हैं, वे उन यूनिवर्सिटीज में इलैक्ट करते हैं और कोर्ट में मैम्बरों का चयन किया जाता है। हमें लगता है कि पिछले 30-40 सालों से वहां की कोर्ट में मैम्बरों को नहीं चुना गया था। यही स्थिति दूसरे विश्वविद्यालयों में भी पैदा न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में कभी-कभी यह दिक्कत देखी गई है कि जब वाइस चान्सलर नोमिनेट कर दिये जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में

[डा. राजेश मिश्रा]

सरकार का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, चूंकि वह ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसलिए स्वायत्तता के नाम पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कुलपति और दूसरे अधिकारी होते हैं, वे अपनी तानाशाही प्रवृत्ति उजागर करने का काम करते हैं। हम इसमें यह जोड़ना चाहते हैं कि छात्र संघ विद्यार्थियों द्वारा चुनी हुई संस्था होती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थीगण विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं। लेकिन बहुत से कुलपति ऐसे होते हैं जो पिछले 10-15 सालों से छात्र संघ, अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ आदि संघों के चुनाव नहीं करवाते हैं और वे उन्हें डिसाल्व करने का काम करते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण पिछले वर्षों से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है और वह आज भी उसी स्थिति में है। हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए कि जितना पारदर्शी हम या यू.पी.ए. की सरकार अपने को प्रदर्शित करती है या दिखाना चाहती है, उसी तरह से यूनिवर्सिटीज का प्रशासन पारदर्शी होना चाहिए तथा इस तरह के जो एकेडेमिक या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें चुनाव होते रहने चाहिए।

महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं सरकार तथा एच.आर.डी. मिनिस्ट्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यू.पी.ए. की सरकार ने विगत 20-25 साल पुरानी हमारी मांग को पूरा किया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पर मुझे अपनी बात सीधे तौर पर कहने दें। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के विधेयक का समर्थन करता हूं।

हमें याद होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आज से 118 वर्ष पहले 1887 में की गयी थी, देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और उच्च शिक्षा के अग्रणी संस्थान के रूप में इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कुछ मिनट पहले माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरु इस विश्वविद्यालय में आया करते थे। उनके इस अग्रणी विश्वविद्यालय से खास लागव था। उपलब्धियों के सबंध में मैं विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन मुझे कम से कम एक बात का हवाला देने की अनुमति दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हमें याद होगा कि इसके सबसे प्रतिभाशाली संकाय में से एक और हमारे विशिष्ट वैज्ञानिकों में से एक स्वर्गीय डा. मेघनाद साह जो बाद के वर्षों में इस माननीय सदन के सदस्य भी रहे ने इस विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान भौतिकी में आधुनिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए उनका सबसे असाधारण योगदान ऊपरी वातावरण में गैस अणुओं के आचनीकरण की तापगतिकी के क्षेत्र में था जिससे भारत और पूरे विश्व में आज के अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव पड़ी। उनका योगदान परमाणु और नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में भी था जिससे आज देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हमारी प्रगति की दिशा में योगदान हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य का श्रेय बहुत हद तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाता है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी परन्तु भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत सन् 1921 में यह प्रांतीय विश्वविद्यालय हो गया और संप्रति यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत चलाया जा रहा है।

इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा फिर से देने की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही की जाती रही है। इस मांग ने 1990 के दशक में गति पकड़ी और समय दर समय इसे विभिन्न सरकारों का समर्थन भी मिला था। इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा फिर से देने की विभिन्न वर्गों द्वारा सतत मांग किए जाने और इसके गौरवशाली अतीत, वर्षों से अकादमिक और अनुसंधान क्षेत्र में इसके श्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा फिर से देना समयोचित महसूस किया और मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अवश्य सराहना करता हूं जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं-मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा और सभी उद्देश्यों को कहने नहीं जा रहा-ज्ञान की ऐसी शाखाओं में निर्देशात्मक और शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना जिसे यह उचित समझे, इस विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, समाज विज्ञान, आधारभूत और अनुप्रयुक्त विान और प्रौद्योगिकी में समन्वित पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान करना; सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में अन्त: अनुशासनिक और व्यावसायिक अध्ययन और शोध में अभिनव परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय करना; लैंगिक असमानता और तकनीकी युग से उत्पन्न असमानता को दूर करना, सामाजिक प्रगति; राष्ट्रीय प्रगति और मानव कल्याण के लिए ज्ञान का प्रयोग करना और देश के विकास के लिए मानव संसाधन को शिक्षित और प्रशिक्षित करना।

विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारी परिषद, वित्त विधेयक अकादमिक परिषद आदि जैसे प्राधिकरणों और विश्वविद्यालय के द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय की शक्तियों को सुपरिभाषित किया गया है जिसे इस विधेयक में वर्णित किया गया है।

पदाधिकारियों जैसे कुलपति, प्रति कुलपति; संकायों के डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी और कुलाधिपति के निर्देशन में कार्य करने वाले पदाधिकारियों तथा कुलाध्यक्ष, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, द्वारा समग्र अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय की शक्तियों को सुपरिभाषित किया गया है जिसे इस विधेयक में वर्णित किया गया है।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सभी खामियों की बजाय एक या दो मुद्दों पर ही बात करूंगा और संक्षेप में बात करूंगा।

मेरा सुझाव हैं कि पृष्ठ 21 पर संविधि 9 में बारी-बारी से तीन संकाय-अध्यक्षों ने चयन के बदले सभी पांच संकायों कला, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा और विज्ञान-के अध्यक्षों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाए। मेरा यह मत है कि कार्यकारी परिषद में सभी पांचों अध्यक्षों की उपस्थिति से विश्वविद्यालय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कार्यकारी परिषद में पांचों अध्यक्ष नहीं हैं तो दो साल तक विज्ञान और चिकित्सा के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकाय कार्यकारी परिषद से नदारद रहेंगे और अगले दो साल तक कला ओर विधि संकाय परिषद से हट जाएंगे। इसलिए, मैं सभी पांच अध्यक्षों को कार्यकारी परिषद में शामिल करने का सुझाव देता हूं और इससे विश्वविद्यालय का प्रशासन सुचारू ढंग से चल सकेगा।

अंत में, मैं यह भी सुझाव देता हूं कि कार्यकारी परिषद में नौ सदस्यों की उपस्थिति को गणपूर्ति माना जाए। कार्यकारी परिषद की बैठक में यथा उपबन्धित सात सदस्यों की बजाय नौ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं और विधेयक पारित किए जाने की अनुशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय श्री अर्जुन सिंह जी इस बिल को सदन में लाए, इसके लिए उन्हें बधाई दता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इलाहाबाद का निवासी हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मुझे मौका मिला है। हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि इस यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए लेकिन कई सरकारें आईं, उन्होंने बड़े-बड़े वायदे भी किए, फिर भी इसे केन्द्रीय यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सका। पिछले वर्षों में जब राजग की सरकार थी तब वहां के प्रोफेसर आदरणीय जोशी जी ने बहुत प्रयास किए और ऐसे वक्त में प्रयास किया था कि जब लोक सभा भंग होने को थी लेकिन इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का राजनीतिक लाभ उठाने की योजना सफल नहीं हो पाई और राज्य सभा में भारी बहुमत से बिल गिर गया।

महोदय, इस विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास रहा है। इसे पूरब का आक्सफोर्ड कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी का 118 वर्ष का इतिहास रहा है। सन् 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। सन् 1974 में कानून के तहत इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिला लेकिन जो इसकी भव्यता थी उसकी ओर बराबर लोगों की निगाहें रही हैं। इस विश्वविद्यालय में देश के महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। यह सौभाग्य की बात है और भी कई विभूतियों को इस विश्वविद्यालय ने देश को दिया है और खास कर अंग्रेजों के समय में अंग्रेज इस यूनिवर्सिटी से खौफ खाते थे।

अपराह्न 3.54 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

वहां से जो भी प्रतिभाशाली और प्रतिभावान नौजवान निकलता था वह बहुत ही आक्रामक होता था और उसे इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा से बहुत ताकत प्राप्त होती थी।

सभापति, जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की जो यूनियन है, उसकी सांवैधानिक प्रक्रियाएं जो पूर्व में थीं, वहीं रहनी चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। चार वर्ष पहले उसके संविधान को बदल दिया गया था। मेरा निवेदन है कि उसे खत्म किया जाए।

महोदय, इस विश्वविद्यालय की यूनियन का अपने आप में इतना महत्व है कि यूनियन के प्रावधानों के अनुसार वहां का टीचर भी इस यूनियन का सदस्य बन सकता है। यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा गवर्न होती है। उसमें चार टीचर होते हैं, एक प्रेसीडेंट होता है और एक वर्तमान प्रेसीडेंट होता है। सम्बद्ध डिग्री कॉलेज, मेडीकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसमें सम्बद्ध किया गया है, यह अपने आप में गौरव की बात है। आधुनिक युग के दौर में जहां इसमें प्रोफेशनल

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉजेज को शामिल किया गया है, वहां मेरा निवेदन है कि और नए-नए कोर्सेस को भी इसमें शामिल करना चाहिए। चूंकि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें आगे बढ़ना है, इसलिए, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस को भी इसमें इंट्रोड्यूज करना चाहिए।

माहदेय, यूनीवर्सिटी की जो कोर्ट है, उसकी मैम्बर ऑफ कौंसिल के चुनाव का भी संविधान में प्रावधान होना चाहिए। मैं अभी माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के प्रारूप को दिखा रहा था और बता रहा था कि लोक सभा की ओर से जो विधेयक हमें दिया गया है उसमें इस विश्वविद्यालय को मोतीलाल नेहरु लिखकर आगे डैश लगाकर छोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इसकी बजाय मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया जाए। यह पेज 34, कॉलम 4 पर प्रदर्शित है।

महोदय, वहां बहुत से ऐसे कॉजेज हैं, जिनका अपने आप में बड़ा महत्व है और जिनका बड़ा गौरवशाली और भव्य इतिहास रहा है। मेरी मांग है कि उन्हें इस विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बी.एस. मेहता कॉलेज फार आर्ट्स एंड साइंस भरवारी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जनपद कौशाम्बी में है। वह बहुत पुराना डिग्री कॉलेज है। उसकी बड़ी भव्यता है। मेरी मांग है कि उसे इसमें शामिल कर लिया जाए। हमारे वाराणसी के माननीय सांसद ने अभी मांग की थी कि कुलाभाष्य आश्रम विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज है, उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छलवा में एक ट्रिपल आई.टी. है। मैं चाहूंगा कि उसे भी इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिया जाए ताकि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भव्यता और दर्जा अच्छी तरह से बढ़ सके।

महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय से तमाम कॉलेजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसा न हो और वे ऐसी व्यवस्था करें कि डिग्री कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इस विश्वविद्यालय से मिलें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय को चार चांद लगाने में वे अपना योगदान दें।

महोदय, जहां तक उच्च शिक्षा संस्थानों की भव्यता बनाए रखने की बात है, मैं उससे सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि उनकी भव्यता बनाए रखनी चाहिए। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है, क्योंकि अभी तक तो यह केवल विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इसके केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद इसका प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होना चाहिए। राजनीतिज्ञों के जो अनावश्यक हस्तक्षेप इस विश्वविद्यालय में होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए और सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम को भी इसमें जोड़ कर के अलग क्लासेस लगाई जाएं ताकि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेस की परीक्षाएं दें, वे इन विशेष पाठ्यक्रमों में शिक्षा और प्रशिक्षण लेकर परीक्षाओं में भाग ले सकें।

महोदय, हमारे अनेक माननीय सांसद साथियों ने कहा कि बहुत से डिग्री कॉलेजों के छात्रसंघों के चुनाव नहीं हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रसंघों के चुनाव होने अनिवार्य हैं। चुनाव इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि जो नौजवान होते हैं, वे यदि दिग्भ्रमित और दिशा-भ्रमित हो जाएं, तो उनमें एक आशा जगे और उन्हें ऐसा दिखाई दे कि वे अपनी समस्याओं को छात्रसंघों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी को, उनके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 प्रस्तुत करने पर बधाई देते हुए, विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति जी, आपने मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत कर के एक अच्छा काम किया है, बल्कि इसलिए भी कि पूर्ववर्ती सरकार ने इलाहाबाद की पवित्रता की अनदेखी कर के उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का विधेयक राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पास नहीं होने दिया। आज मानव संसाधन विकास मंत्री ने वहां की शिक्षा के प्रति समर्पित भाव को सरकार की मानसिकता को देखते हुए इस विधेयक को लाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं उन्हें आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी, जिस समय शिक्षा की पूरे देश में बहुत आवश्यकता थी। उस समय इलाहाबाद को ही क्यों इस विश्वविद्यालय के लिए चुना गया था, इसका एक बहुत लम्बा गौरवमय इतिहास है। इलाहाबाद एक ऐसा स्थान है, जहां इस देश की पावन सभ्यता का, दोनों गंगा और यमुना का मिलन होता है। वहां की पवित्रता की मानसिकता की एक धारा पूरे देश में निकलती है। सेक्यूलर भावना के तहत वहां के विश्वविद्यालय के छात्र पूरे देश और दुनिया में अपनी विद्वता के लिए और पवित्र इलाहाबाद के संगम

के सभयता के दायरे में एक धूम मचाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय ने एक से एक बड़ा शिक्षा के जगत में इतिहास रचा है। कई प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के छात्र बने–जैसे श्री वी.पी. सिंह जी और श्री चन्द्रशेखर जी। यहां सबसे बड़ी वेदना की बात यह है कि इससे पूर्व, एनडीए की सरकार में, डा. मुरली मनोहर जोशी जी, मानव संसाधन विकास मंत्री भी वहीं के छात्र थे, प्रोफेसर थे। वे किस्मत से यहां एचआरडी मंत्री भी बने थे, लेकिन उन्होंने वहां की महत्ता को नहीं समझा, जब कि यह विश्वविद्यालय बहुत समय पूर्व ही राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और आज भी उन तमाम शर्तों को पूरा करता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में सन् 1938 में स्टुडेंट यूनियन की एक तरीके से नींव पड़ी, उनका वहां एक तरीके से संविधान बना और उसमें आह्वान किया गया। अगर देश की राजनीति को एक अच्छे दायरे और एक मिसाल के रूप में कामयाब करना है तो हमें स्टुडेंट यूनियन के लिए भी संविधान बनाना होगा। इलाहाबाद को नेहरु की नगरी के रूप में जाना जाता है, इसी राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर एनडीए की सरकार ने इस विधेयक को अपने कार्य-काल में पास नहीं किया था। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इस विधेयक को यहां लाए हैं। इलाहाबाद में हाईकोर्ट हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का हैड आफिस है। वहां गंगा-यमुना का पावन संगम है और नैनी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। इन तमाम चीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तमाम क्षेत्रीय एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उसकी तमाम जितनी भी शर्तें हैं, उनकी पूर्ति यह करती है, उसे देखते हुए इस विधेयक को लाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बिन्दुओं को लाना चाहूंगा। एनडीए की सरकार में भी यह मांग उठी थी, हेमवती नन्दन बहुगुणा जी बहुत ही सामाजिक और राजनैतिक नेता रहे हैं। उनके नाम से हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय नैनी इलाहाबाद का विद्यालय है। उक्त महाविद्यालय इलाहाबाद की औद्योगिक नगरी नैनी में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग पांच लाख है। यह उस क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है। उक्त महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दस किलामीटर के अंदर की परिधि में आता है। यह महाविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए इसे डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुगुणा जी के नाम से कॉलेज होने के नाते, कांग्रेस के पूर्व नेता होने के नाते एवं मुख्य मंत्री होने के नाते इस कॉलेज को विश्वविद्यालय से संम्बद्ध नहीं किया था। हेमवती नन्दन बहुगुणा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नेता के रूप में भी रहे हैं। वे 1942 के आंदोलन से लेकर, बाद तक कई बार जेल में गए और उन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में यूजीसी का ग्रेड लाकर बहुत सारे सराहनीय कार्य किए। अध्यापकों के वेतन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनके नाम का यह विद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध होना चाहिए।

सभापति महोदय, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से शहर से आने वाले छात्र-छात्राओं को भी वहीं पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। इसलिए वहां इसे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की मान्यता देना नितांत आवश्यक है। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन उस सरकार की मानसिकता शिक्षा से समर्पित भाव में अच्छी नहीं थी, राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित थी, आज उन तमाम बंधनों को तोड़ कर, जो विस्तृत विचारा का समर्पित भाव, उदघोष मंत्री जी ने किया हे, इससे हमें आशा एवं विश्वास है कि 10–16 किलोमीटर की परिधि में आने वाले तमाम विद्यालयों को इस विद्यालय से संबंद्ध करेंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, यह विधेयक पास करके एक गौरवान्वित स्थापित करेंगे।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 की समर्थन करता हूं। यह विधेयक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार के लिए लाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक लम्बी परम्परा है। सभी ने इस बारे में कहा है, मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और 1921 में उस समय इसमें बड़ा परिवर्तन आया जब यह राज्य विश्वविद्यालय बना। अभी यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1972 के अधीन है। देर से ही सही लेकिन सरकार ने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का सही निर्णय लिया है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए और इसकी सुदीर्घ परम्पराओं को देखते हुए, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरु इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित किया। इसलिए, कोर्ट के गठन के सबंध में, मेरा यह कहना है

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

कि छात्र प्रतिनिधियों को निर्वाचित नहीं किया जाता। विधेयक की अनुसूची के पैरा 8(1)(ग) में उल्लेख किया गया है कि

"प्रत्येक संकाय को सौंपे गए प्रत्येक विषय समूह से एक ऐसा विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती डिग्री परीक्षा में उस विषय समूह में अधिकरतम अंक प्राप्त करके विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था महाविद्यालय में उसी समूह में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा है।"

इसका अर्थ यह है कि छात्र प्रतिनिधियों को परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर कोर्ट के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किया जाता है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को अवश्य ही याद होगा कि पंडित नेहरू ने 1936 में देश में छात्र संगठन, अखिल भारतीय छात्र संघ (ए आई एस एफ) की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के समय, देश के नवनिर्माण के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए रखी थी। उनका विचार था कि इस सबके लिए अखिल भारतीय छात्र संघ आवश्यक है और उन्होंने इसकी नींव रखी। अब, जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक उत्कृष्ट संस्था या राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय संघों का कोई उल्लेख ही नहीं है कि यह होगी भी या नहीं। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने सभा को यह सूचित किया है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में छात्र संघ का अस्तित्व होगा या नहीं? यदि छात्र संघ होगा तो बेहतर होगा कि विधान में "छात्र संघ का एक प्रतिनिधि छात्र संघ के प्रतिनिधि कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे" पद शामिल होना चाहिए न कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र, पद।

इस समय जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा विचार है कि भविष्य में विश्वविद्यालय को भारत की संचित निधि से बहुत सारा पैसा मिलेगा। विश्वविद्यालय को आगामी दो वर्षों में क्रमश: 95 करोड़ और 105 करोड़ रुपये मिलेंगे। विशविद्यालय को योजना निधि से भी 100 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। ये सब बातें अच्छी हैं किन्तु इस अवसर पर साथ ही मैं मंत्री जी को यह याद कराना चाहता हूं कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया हैं और यह संपन्न लोगों के लिए ही रह गई हैं। आम आदमी के बच्चों की पहुंच के भीतर अब शिक्षा नहीं रही है।

क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाएगी कि आम आदमी के बच्चे भी उच्च शिक्षा संस्थानों में अपने को शिक्षित करा पाएं? हां, यदि उनके पास बहुत सारा पैसा हो तो वे शिक्षित हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस पहलू पर भी एक वक्तव्य आए कि भविष्य में सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, छात्र संघ, भविष्य में विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में भी उल्लेख करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): सभापित महोदय, इस तात्कालिक विधेयक पर अपनी बात कहने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। यह विधेयक पंडित जवाहर लाल नेहरु से ताल्लुक रखता हूं, अत: समीचीन होगा कि मैं इस विधेयक पर अपनी टिप्पणी की शुरूआत आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरु के शब्दों से ही करूं। उन्होंने कहा था:

"यदि विश्वविद्यालय ठीक रहेंगे तो देश ठीक होगा।"

यह कहने से उनका आशय यह था कि विश्वविद्यालयों को राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की पुनर्संरचना में उल्लेख की भूमिका निभानी होगी। आज विश्वविद्यालय ज्ञानदान देकर तथा अनुसंधानगत सुविधाएं प्रदान करके मानव संसाधन विकास में योगदान कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, यथा-उद्योग, कृषि व्यापार-वाणिज्य आदि में काम कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को लाभान्वित कर रहे हैं।

1964 में कोठारी आयोग ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि भारत का भविष्य हमारे शिक्षाकक्षों में तय होता है। अत:, इसी संदर्भ में हमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रयोग पर विचार करना है, और इसी संदर्भ में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक बहुत सराहनीय है। इस विधेयक को लाने के लिए उन्हें हमारी ओर से बधाई। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज राज्य के एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है देश की बेहतरी के लिए वह राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है।

इस विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है? यह अत्यंत प्राचीन विश्वविद्यालयों में से है, इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। राष्ट्र का यह गौरव है क्योंकि यहां से अध्येता और वैज्ञानिक निकले; प्राध्यापक और विद्वान निकले; तकनीकविद् निकले, राजनेता और राष्ट्र नेता निकले। ऐसे विश्वविद्यालय को निश्चित ही राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए।

इस विधेयक में दो-तीन अच्छी बातें हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक को विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों से व्यापक तथा आवश्यक परामर्श के बाद तैयार किया गया। इसका अर्थ है कि यह विश्वविद्यालय पारदर्शिता बरतेगा चूंकि इसे यहां कार्यरत सभी शिक्षाविदों के विचारों का अनुसरण करना होगा।

इस विधेयक की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापक परिप्रेक्ष्य में है और इस देश में विद्यमान अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की वास्तविक संविधियों के अनुरूप है। इस विश्वविद्यालयों को यह दर्जा प्रदान करते समय विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संविधियों का भी अवलोकन किया गया है।

मैं एक बात माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा जो किसी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को लेकर है। किसी विश्वविद्यालयों के तीन महत्वपूर्ण कृत्य हैं–शिक्षा, शोध और विस्तार गतिविधियां। दुर्भाग्यवश, इस विधेयक के उद्देश्यों में विश्वविद्यालय के दो पारम्परिक कृत्यों का ही उल्लेख है, अर्थात्–शिक्षा और शोध की ही बात की गई है और विस्तारपरक गतिविधियों को छोड़ दिया गया है। यह उचित नहीं है, न ही उपयुक्त है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि, मान लीजिए, आज कोई एक बहु उल्लेखनीय अनुसंधान करता है, तो भी वह देखा जाएगा कि क्या वह अनुसंधान उपयोगी है। उसकी कोई उपयोगिता है भी कि नहीं। इसे फील्ड में ही देखा जा सकेगा। अत:, शोध का परिणाम तो फील्ड में ही देखा जाएगा जहां विस्तारपरक कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कर्तव्यों, उद्देश्यों और कृत्यों के खंड में आने वाली इस बात पर ध्यान देंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बात लें तो यह बिलकुल ठीक है कि एक कार्यकारिणी परिषद् रहेगी, एक विश्वविद्यालय-सभा (कोर्ट) होगी और एक अकादमिक परिषद् होगी। प्रशासनिक और अकादमिक स्तरों पर ये नीति-निर्माता निकाय रहेंगे। इन विश्वविद्यालय प्राधिकरणों की एक खास खामी यही है कि, अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की भांति, इनमें उस राज्य की सरकार को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जिसमें यह स्थित है।

मैं पांडिचेरी से हूं जहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। पांडिचेरी स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलग-अलग रहकर काम नहीं कर सकता। उसे राज्य सरकार के संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें होने चाहिए ताकि राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों की भी देख-परख होती रहे।

अत:, मैं यह सिफारिश करूंगा कि इस विश्वविद्यालय की सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद् में उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव को भी रखा जाए और अकादमिक परिषद् या कोर्ट में महाविद्यालयीन शिक्षा के निदेशक को शामिल किया जाए। तभी इसका गठन संतुलित हो पाएगा।

मेरी तीसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी इस विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में है। मेरी विनम्र राय है कि विधेयक में जो पाठ्यक्रम सुझाए गए हैं वे पारंपरिक प्रकृति के अधिक है और एक तरह से गैर-उपयोगी भी। कला संकाय जस का तस है, विधि संकाय भी वैसा ही है और विज्ञान संकाय भी पूर्ववत ही है– और सबसे कष्ट की बात तो यह कि विज्ञान विभाग में कम्प्यूटर विज्ञान विषय तक नहीं है। आज हर जगह कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, किन्तु इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में– यह विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है– कम्प्यूटर विज्ञान विभाग नहीं है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का विभाग नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग भी नहीं है, न ही लोक प्रशासन विभाग है। इन्हें कला संकाय में भी नहीं रखा गया है। इन महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ देने से बड़ी हानि और क्या होगी? आज हम नैनो-प्रौद्योगिकी की बात करने लगे हैं। यदि हम पश्चिम से होड़ लेने की बात करते हैं तो ऐसे नूतन विषय जरूर होने चाहिए। इस पाठ्यक्रम संकलन में मुझे कोई नूतन विषय नहीं दिखा। इन पारम्परिक विषयों की शिक्षा देने से यह होगा कि विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अनेक छात्र बेरोजगार ही रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कोई छात्र बेरोजगार रहे।

एक और बात है जिस बारे में सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूं, कि आज सामुदायिक महाविद्यालय हर ओर लोकप्रिय हो रहे हैं। इन सामुदायिक महाविद्यालयों से देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाओं के संगत अपेक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध हो सकती है। आज बड़े पैमाने पर कार्यकुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता है जबकि हमारे विश्वविद्यालयों से ऐसे छात्र निकल रहे हैं जो अप्रशिक्षित रह जाते हैं या जिन्हें विविध कार्यों व कला का प्रशिक्षण नहीं मिला होता। अत:, महोदय, इस विश्वविद्यालय के एक घटक महाविद्यालय के रूप में सरकार को एक सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना का भी उपबंध करना चाहिए।

उत्कृष्टता-केन्द्रों का भी उपबंध होना चाहिए। यह जानना दुखद है कि इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कोई उत्कृष्टता-केन्द्र नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास का कोई प्रावधान तक नहीं किया गया है। आज, आपको विदित होगा, कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद् एन ए ए सी एक महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी है। हमारे द्वारा प्रदत्त शिक्षा में और अधिक

[प्रो. एम. रामदास]

गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस संस्था का कार्य है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के मामले में यह विधेयक मौन है।

अंत में, संघों के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री चंद्रप्पन ने कहा कि इस विधेयक में उन छात्रों को प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं की गई है जो यूनियन में निर्वाचित होते हैं। मैं कहूंगा कि इस विधेयक की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें, जबकि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियमों में यह बात नहीं है, उन छात्रों को प्रतिनिधित्व देने की बात है जो अधिकतम अंक प्राप्त करें। यही शैक्षिक उत्कृष्टता की सर्वोच्च परम्परा है। इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसे विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के परिसर में राजनीति न लाई जाए तो बहुत अच्छा हो। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को हम राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए काम करने दें

सभापति महोदय: प्रो. रामदास, मुझे मालूम है कि आपके पास चर्चा के लिए काफी मुद्दे हैं। परंतु कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रयोजन हेतु एक घंटे का समय निर्धारित किया है।

अब डा. टोकचोम मैन्या बोलेंगे। आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें। इतना ही समय आबंटित किया गया है।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं इलाहाबाद विश्वद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने संबंधी विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसाकि हम सब जानते हैं, प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय था परन्तु जब उत्तर प्रदेश प्रांत का गठन हुआ तो इसे प्रांतीय विश्वविद्यालय अर्थात् राज्य विश्वविद्यालय बना दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। मैं इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और वर्तमान सरकार द्वारा उठाये गए कदम के लिए उनकी सराहना करता हूं।

हम सदैव इस विश्वविद्यालय के बारे में सुनते रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विधि संकाय बहुत ही प्रतिष्ठित संकाय था। भौतिकी, गणित और राजनीति शास्त्र तीन ऐसे अन्य संकाय हैं जिन पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हमेशा गर्व रहा है। हमें विगत में इस विश्वविद्यालय द्वारा किये गए अच्छे कार्य का स्मरण करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या स्वरूप विशिष्ट प्रकार का है क्योंकि इसके 11 घटक महाविद्यालय हैं।

इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है परन्तु यह अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भिन्न है। हमने यह देखा है कि लगभग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाध्यक्ष भारत का महामहिम राष्ट्रपति होता है और यह वह कुलाध्यक्ष होता है जो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। मैं मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य हूं। हमने समिति की बैठक में इस पर चर्चा की थी। माननीय सदस्य श्री बर्मन ने भी इसका उल्लेख किया था। हम इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राज्य के राज्यपाल की स्थिति के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इस विशेष विधेयक में हमने खण्ड 11 में मुख्य कुलाधिसचिव के रूप में राज्यपाल की स्थिति स्पष्ट की है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि राज्यपाल को उसके राज्य में विश्वविद्यालय के मामलों में उचित स्थान दिया जाए। कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्थिति बहुत ही अटपटी है। चूंकि आपने कहा है कि समय की कमी है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

पिछली राजग सरकार के दौरान भी हमने इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया था। इसी तरह, जब मैं मणिपुर में शिक्षा मंत्री था तो हमने मणिपुर विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया था। हमने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था परन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि इस संबंध में राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। यदि यह विधेयक इस सभा में पारित कर दिया जाए तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुन: अपने मित्रों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा। मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मित्र लोग एफिलिएटेड कालेजेज में हैं, आपने उन दस एफिलिएटेड कालेजेज को इसका अंग बनाया। इसके साथ-साथ तीन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कालेज भी इसी के अंग हो गये। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के बारे में जितना भी कहा जाये, वह कम है। मैं केवल एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रोफेसर ए.बी. लाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्य थे। एक बार वे भुवनेश्वर गए। जब वे भुवनेश्वर पहुंचे तो प्रत्येक मंडल

आयुक्त वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद था। वे वहां इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वे किसी प्राधिकृत या अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य थे बल्कि इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे सभी उनके विद्यार्थी थे।

[हिन्दी]

यह स्थिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी कि जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स, बड़े पोलिटिकल लीडर्स और विभिन्न क्षेत्रों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़े-बड़े विद्वान पैदा किए हैं,

[अनुवाद]

देश के और किसी विश्वविद्यालय ने ऐसे लोग नहीं पैदा किए।

[हिन्दी]

और जब उस यूनिवर्सिटी को आज एक लम्बे अर्से के बाद आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, आपके प्रति हम सभी आभारी हैं और खासकर जिनका इलाहाबाद से बहुत अटैचमेंट है, वे बहुत आभारी हैं। मुझे याद है कि श्री शैलेन्द्र ने थोड़ी चर्चा की थी कि किस तरह से मैं जब राज्य सभा में था, चुनाव से ठीक पहले यह विधेयक लाया गया और जब हमने विरोध किया तो गुस्से में उस वक्त के तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर ने कहा था कि इलाहाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। किन्तु दुर्भाग्यवश इलाहाबाद के लोगों ने उन्हें हटा दिया। यह अलग बात है लेकिन मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर मेघनाथ शाह जैसे व्यक्तित्व दिए हैं, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं और अगर प्रोफेसर मेघनाथ शाह जी का नाम न लिया जाए तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देश को बड़े-बड़े अफसर दिए हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम मेघनाथ शाह के नाम के बगैर अधूरा है। इसलिए मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं तथा साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है तो थोड़ा सा पैसा दे दीजिए कि इसकी बिल्डिंग और होस्टल्स वगैरह का रंग-रोगन ठीक हो जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब माननीय मंत्री की उत्तर देने की बारी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति जी, आर.जे.डी. से तो अभी कोई बोला ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

हम तो माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः केवल एक घंटे का समय आवंटित किया गया था। अब समय समाप्त हो गया है। प्रत्येक सदस्य को बुलाना संभव नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति ने इस कार्य के लिए केवल एक घंटे का समय आवंटित किया है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सर, हाउस की परमिशन से 15 मिनट का समय और बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः किसी भी सदस्य ने सूचना नहीं दी है। जिन सदस्यों ने सूचना दी थी उन सभी का नाम पुकारा गया है

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मेरे पास अब किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। किसी भी सदस्य ने सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमनः सभापति महोदय, सदन को विश्वास में लेकर 15 मिनट का समय और बढ़ा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः नहीं, आपके नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव पहले ही बोल चुके हैं। ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए केवल एक घंटे का समय आवंटित किया गया था। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। मुझसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, आर.जे.डी. की तरफ से हम लोग कम से कम धन्यवाद दे दें। इतना मौका दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी इस संबंध में आपकी क्या राय है? यदि मंत्री जी सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि वे सहमत हों तो मेरे पास एक या दो सदस्यों के नाम हैं।

श्री अर्जुन सिंह: यदि कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति माहेदय: ठीक है। यदि मंत्री जी सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल दो मिनट का समय दिया जाएगा। उन्हें समय का पालन करना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही साथ यू.पी.ए. सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम कर रहे हैं। इलाहाबाद ऐतिहासिक धरती है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐतिहासिक भूमि रही है। यहां से एक से एक बढ़कर महापुरुष निकले हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, देश और दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने, इसके लिए बहुत दिनों से मांग होती रही है। आज सरकार ने यह उत्तम कदम उठाकर सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि इस विश्वविद्यालय से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले महान व्यक्तियों के ऊपर आपने बड़ी कृपा की है। आपने उन सबके सपनों को साकार करने का काम किया है। आपने यह एक बहुत ही अच्छा और उचित कदम उठाया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, यह और भी सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। मंत्री जी, आप जैसे व्यक्तित्व इस विश्वविद्यालय से निकलकर इस देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपके जैसे महान व्यक्ति ने इस देश के प्रधानमंत्री पद तक को सुशोभित करने का काम किया है। इलाहाबाद स्वर्गीय मोतीलाल नेहरु जी और स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु जी की धरती रही है और इसी तरह न जाने कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की धरती रही है और उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोगों ने भी समाज को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय कम मिला है इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। इलाहाबाद की धरती यमुना और गंगा के संगम की धरती है और यहां सरस्वती भी हैं। यह सरस्वती की धरती है। इलाहाबाद की अभिलाषाओं को माननीय मंत्री जी ने पूरा कर दिया परन्तु वहीं गंगा नदी के तट पर बसने वाले बिहार के लोग न जाने कितने वर्षों मांग करते आ रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना, जो कि गरु गोविन्द सिंह जी की धरती रही है, ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती है, चन्द्रगुप्त और अशोक की धरती है, अन्य अनेक महान विभूतियों की धरती है, बहुत दिनों से उसकी यह अभिलाषा है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मंत्री जी, मुझे याद है कि जब बी.एन. कालेज का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था, आपने वहां के लोगों को इसका आश्वासन भी दिया था।

हम लोग अपनी इस लोक सभा के माध्यम से, राज्य सभा के माध्यम से तथा दूसरे अन्य मंचों से वहां के लोगों की आवाज उठाने का काम करते आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से इलाहाबाद के अवाम को, उत्तर प्रदेश के अवाम को आपने यह तोहफा दिया है, मुझे विश्वास है कि जब आप जवाब देंगे तो बिहार की धरती पाटलिपुत्र को भी एक तोहफा देंगे और पटना विश्वविद्यालय को भी आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है और मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए तमाम लोग इस बात का एहसास करेंगे कि जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्दीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की आवश्यकता थी, उसी तरह से बिहार की नौ करोड़ आबादी की अपेक्षाओं को आप पूरा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहा है, यह नालंदा की धरती है जहां दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मुझे विश्वास है कि आप उनकी भावनाओं को देखते हुए उचित कदम उठाएंगे। सभापति महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इसमें सहयोग करें। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर वहां की भावनाओं को देखते हुए बिहार की इस ऐतिहासिक धरती पाटलिपुत्र, जो कि मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र भी है, मैं स्थित पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का निर्णय लेंगे। जिस प्रकार

उत्तर प्रदेश की जनता ने देश को बनाने में योगदान दिया है उसी तरह बिहार की जनता ने भी और पटना विश्वविद्यालय ने भी देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक की चर्चा कर रहे हैं न कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक की।

कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की धरती को भी, जिसने कई महापुरुष पैदा किए हैं और पटना विश्वविद्यालय जिसे कितने ही इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स तैयार किए हैं, उस ऐतिहासिक धरती को भी आप एक उपहार देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह ही पटना विश्वविद्यालय को भी आप यह उपहार देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है, यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अगर आप पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, तो बिहार के लोगों पर बड़ी कृपा करेंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने सम्बंधी विधेयक माननीय अर्जुन सिंह ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सालों से इस बात की मांग हो रही थी कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी कई बार इसकी मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने गंगा-यमुना के संगम वाले इस महत्वपूर्ण शहर के लोगों की मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यूपीए सरकार के आने के बाद अर्जुन सिंह जी ने इस संबंध में जो बिल पेश किया है, वह स्वागतयोग्य है।

इस बिल में बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सभी के लिए चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, शिक्षा के दरवाजे खुले रहेंगे। भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म की बात को स्वीकार किया गया है। उसके मुताबिक सभी जाति और वर्गों के लोगों को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा और शिक्षा का हक प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, मैं अर्जुन सिंह जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहां एस.सी. और एस.टी. के लोगों को कानूनी रूप से आरक्षण की सुविधा होते हुए भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से इन वर्गों के लोगों का कई विश्वविद्यालयों में बैकलाग हो गया है इसलिए उसे भरे जाने की आवश्यकता है। जहां तक स्टेट नैट की परीक्षा की बात है, उससे कई लोगों को तकलीफ होती है। उसे खत्म करने की आवश्यकता पर आपको ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों पर बिलकुल ध्यान दिया जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। उम्मीद की जाती है कि यह विश्वविद्यालय और अच्छे तरीके से काम करेगा। इस विश्वविद्यालय में इंटीग्रिटी की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए और साम्प्रदायिकता को खत्म करने की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय से अच्छे लोग निकलें और भारत की एकता को मजबूत करें इसलिए ऐसी शिक्षा यहां विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के लोगों की इस चिर-प्रतिक्षित मांग को पूरा करने का काम किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महत्व राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी है। इस विश्वविद्यालय ने कई वैज्ञानिक, दार्शनिक, देशभक्त, अधिकारी और नेता पैदा किए हैं। गंगा-यमुना-सरस्वती की इस पावन धरती पर मंत्री जी ने इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया है, यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

मैं मंत्र जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षा आज सबसे जरूरी है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, उसका पालन किया जाना चाहिए ओर उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। आजकल देखने में आता है कि कई संस्थान ऐसा नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का सही मकसद तभी पूरा होगा, जब सभी धर्मों के लोगों की आनुपातिक भागीदारी होगी। इसलिए उसे सुनिश्चित करने का काम आपको करना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): सम्माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक इन विश्वविद्यालयों को एक प्रकार से इनके प्राचीन स्वरूप में लाने का विधेयक है। उसका स्वागत चारों ओर से हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत के अंदर शिक्षित वर्ग और शिक्षा में लगे लोगों को इस विश्वविद्यालय के अतीत की पूरी जानकारी है, इसके व्यापक असर के बारे में जानकारी है और भविष्य में हम क्या कल्पना करते हैं इसके बारे में भी वे पूरी तरह से भिज्ञ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि विश्वविद्यालय किसी देश के अंचल और समाज के राजनैतिक और शैक्षणिक स्वरूप को परिभाषित करने का प्रतीक होता है। यह विश्वविद्यालय देश के उन विश्वविद्यालयों में है जिसने शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त अलग-अलग क्षेत्रों में भी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, उतना ही प्रभाव डाला है जितना ही देश उससे अपेक्षा करता था।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 4.43 बजे

इस बारे में माननीय सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको विकसित करने के लिए सभी संसाधन और अवसर दिये जाएंगे।

जहां तक स्वायत्तता का प्रश्न है, शासन ने तो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में जो संकल्प लिया है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वायतता के महत्व को समझते हुए, उसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। कोई कारण नहीं है कि इस विश्वविद्यालय को भी पूरी सहायता न हमले, जो किसी भी विश्वविद्यालय का प्राथमिक गुण होता है। कुछ शंकाएं माननीय सदस्यों ने पैदा की हैं, लेकिन मैं उन्हें शंकाएं नहीं कहूंगा। उनके विचार में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में इस विधेयक में प्रावधान नहीं हैं, जिसे हम एक्सटेंशन के क्षेत्र में गतिविधियां बता सकें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अनुच्छेद 7(4)जोकि पेज चार पर है, उसे देखने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों को ''विस्तार-सेवाएं आयोजित तथा कार्यान्वित करने'' की शक्तियों प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

उसका भी इसमें प्रावधान है। यह बात भी बताई गयी है कि मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज का इसमें उल्लेख नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कॉलेज पहले ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलोजी में परिवर्तित हो चुका है और वह एक डीम यूनिवर्सिटी भी है। जो आईआईटी इलाहाबाद के बारे में उल्लेख हुआ, वह पहले से एक केन्द्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, जो अभी स्थापित हुआ है।

जहां तक इस विश्वविद्यालय के प्रजातांत्रिक स्वरूप का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भारतीय इतिहास में अपने स्थान को सुरक्षित किया है। जिस विश्वविद्यालय ने देश की आजादी के आन्दोलन को एक नई पहचान और नई परिभाषा दी, हमें उसके बारे में यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार से अपने उस अक्षुण्ण इमेज को कायम नहीं रखा। स्वाभाविक था कि कॉलेज के जो अध्यापक हैं, उनका भी हित इस विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहे और इसीलिए उन सबके परामर्श के बाद ही इसका यह स्वरूप बनाया गया है।

जहां तक शैक्षणिक क्षेत्र में नए-नए शैक्षणिक कोर्सों के लिए प्रावधान करने का सवाल है, यह अधिकार इसकी विभिन्न विधायों में दी गई है। कोर्ट और अकैडेमिक काउंसिल को अधिकार है कि नए-नए कोर्सों के बारे में वे समय-समय पर निर्णय लें और उनको स्थापित करें क्योंकि आज स्थिति यह है कि ज्ञान का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि हम आज बैठ कर सभी दिनों के लिए कल्पना करके, प्रावधान नहीं कर सकते। ये प्रावधान समय-समय पर, आवश्यकता को देखते हुए, देश की प्राथमिकताओं को देखते हुए, करने होंगे। वहां के विश्वविद्यालय के जो अकैडेमिक और अन्य अधिकारी होंगे, उनको करने के लिए इसमें प्रावधान है और वही इसे करेंगे।

एक बात काफी जोर देकर स्टूडैंट्स यूनियन के बारे में कही गई है। स्टूडैंट्स यूनियन और छात्र राजनीति अपने विशिष्ट संदर्भ में महत्व रखती है। संयोग से मैं भी छात्र राजनीति का एक अंग रहा हूं। मैं समझता हूं कि छात्रों को भी किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में, अपने इस प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाने और काम करने के अवसर मिलना चाहिए लेकिन जो कुछ विकृतियां पैदा हुई हैं, उनकी वजह से कुछ हिचक लोगों को हुई है। मैं इस बारे में कोई अंतिम फैसला यहां नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय अपने अन्दर उन सभी क्षेत्रों को विकसित कर सके, यह अधिकार उसके पास रहना चाहिए। किन परिस्थितियों में वह अधिकार लोगों को देना है, नहीं देना है, उस पर किसी दूसरे लोगों का कोई बंधन नहीं हो। यह भी स्वायत्तता का महत्वपूर्ण अंग है। कल अगर कोई ऐसी आवश्यकता समझी जाती है तो विश्वविद्यालय उस प्रकार का प्रावधान कर सकता है। मैं समझता

हूं कि यह विश्वविद्यालय हमारे देश के, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सभी महान विभूतियां, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यक्रम के क्षेत्र में जो मापदंड बने हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये इस विश्वविद्यालय के द्वारा भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हमें जो आशाएं हैं, उन्हें पूरा करने में यह विश्वविद्यालय सक्षम बनेगा। इसकी प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए, अभी जो धनराशि की बात कही गई है, वह सांकेतिक रूप से है और मुझे नहीं लगता कभी-भी इस देश की किसी भी सरकार के द्वारा संसाधनों में किसी प्रकार की रूकावट पड़ेगी, इस विश्वविद्यालय के विकास में जैसा वे चाहेंगे, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के कीर्तिमान को स्थापित करने में हम सबका और संसद का योगदान रहेगा। जो इसका अतीत था, उससे ओर ज्यादा भव्य इसका भविष्य होगा, हम सभी को यह अभिलाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरवारी में डी.एस. मेहता, डिग्री कॉलेज ऑफ साइंस है, उसे भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही कुलभास्कर आश्रम, डिग्री कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, को भी इसमें सम्बद्ध कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भव्यता में चार चांद लग जाएंगे।

श्री अर्जुन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पर निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम रहेगा और ये सभी निर्णय आज कर लें, यह संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इच्छा के औचित्य पर विश्वास रखें, विश्वविद्यालय पर विचार होगा और जो कुछ करना होगा उसमें कोई रूकावट नहीं होगी।

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पटना विश्वविद्यालय का क्या होगा?

श्री अर्जुन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार का सवाल है, पटना विश्वविद्यालय देश का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। इसके इतिहास के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उसमें कभी भी किसी के दो मत नहीं हो सकते। सवाल यह है कि जो साधन हमारे पास हैं, उन साधनों को ध्यान में रखते हुए ये बातें क्रमशः हो सकती हैं, एक साथ सभी नहीं हो सकतीं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे यह न समझें कि बिहार के या देश के किसी और क्षेत्र के बारे में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने में कोई विराम हो गया है या रोक लग गई है। ऐसी बात नहीं है, सभी के महत्व को देखते हुए शनैः शनैः उस पर कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 46 विधेयक का अंगे बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लिये आज गौरव का क्षण मानता हूं कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर देने के लिये इस विधेयक को सदन में पारित होने के लिये लाया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.56 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 22 पर विचार करेंगे। इसके लिए दो घंटे की समय नियत किया गया था। 22 मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है। हमारे पास अब 1 घंटा और 38 मिनट का समय शेष है। जब सभा स्थगित की गई थी तो उस समय प्रबोध पाण्डा जी बोल रहे थे। वह 22 मिनट पहले ही बोल चुके हैं। अत:, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपना भाषण जारी रखें और उसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, जहां तक वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संबंध है, यह नई आर्थिक नीति की अंतर्निहित जनांकिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, हालांकि यह देखा गया है कि पिछले पांच दशकों के दौरान स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम की कुछ सकारात्मक उपलब्धियां रही हैं।

यदि मैं सर्वेक्षण की बात करूं तो स्वतंत्र सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि नौवीं योजना के दौरान अनेक राज्यों ने 'आर सी एच' कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के संबंध में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में जन्म दर में काफी गिरावट आई है और बाद के तीन राज्यों में परियोजनाओं से पहले ही जन्म और मृत्यु दर बराबर होने की संभावना है। दंपत्ति संरक्षण दर और दो बच्चों के जन्म के बीच समुचित अंतर रखने के उपायों के मामले में पंजाब सभी अन्य राज्यों से काफी आगे है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में घर में ही प्रसव कराने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में टीकाकरण व्याप्ति (कवरेज) में सुधार हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मेंप्रसव पूर्व देखभाल की व्याप्ति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

यदि मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात करूं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यद्यपि इसकी वार्षिक विकास दर 1.8 प्रतिशत है, तथापि वहां प्रत्येक वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 908 व्यक्ति रह रहे हैं जो कि राष्ट्रीय औसत का लगभग तीन गुना है। यह उल्लेख करना काफी रोचक है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य कार्यक्रमों, साक्षरता कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न बुनियादी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से क्रूड बर्थ रेट (सीबीआर) में कुछ हद तक कमी आई है। जनसंख्या में वृद्धि की चिंता का कारण सी बी आर नहीं अपितु पूर्णत: सीमा पार से होने वाली घुसपैठ है। इस कारण विशेष रूप से तीन देशों यथा बंगलादेश, नेपाल और भूटान से सटे सीमवर्ती जिलों को लगातार जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

अब मैं कुछ सीमवर्ती जिलों का उल्लेख करूंगा। मालदा में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत, मुर्शिदाबाद में यह 2.4 प्रतिशत, नादिया में यह 2.0 प्रतिशत, उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुर में यह 2.2 प्रतिशत से लेकर 2.9 प्रतिशत, उत्तर तथा दक्षिण परगना में यह 2.1 प्रतिशत से लेकर 2.3 प्रतिशत और दार्जिलिंग में यह 2.4 प्रतिशत है। इन जिलों को घुसपैठ की समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि समूचे देश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए चीन ने "एक दंपत्ति एक संतान" का नारा दिया है। दूसरी ओर, हमारे देश में "हम दो हमारे दो" का नारा दिया गया है। मैं किसी नारे विशेष के पक्ष में नहीं हूं।

मैं यह मानता हूं कि सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता, जीवन स्तर का उत्थान, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और शिक्षा– ये सभी जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के महत्वपूर्ण घटक हैं। परिवार नियोजन और प्रजनन नियंत्रण के उपायों को अभी अनिवार्य घोषित किया जाना है और यह कार्य उन्हें राजी कराकर ही किया जाना चाहिए।

महोदय, हम मैलथ्यूसियन सिद्धांत से भली-भांति परिचित हैं ब्रिटेन के अर्थशास्त्री मैलथ्यूस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि किसी देश की जनसंख्या अधिक है या नहीं, इस बात का निर्णय उस देश की खाद्य आपूर्ति के आधार पर किया जाएगा। अब हमारे देश में खाद्य संकट नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या 1.8 बिलियन तक पहुंचने के बावजूद हमने अब खाद्य पदार्थों का आयात करना बंद कर दिया है। इसके विपरीत, यह खाद्यान्नों को निर्यात करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है। आधुनिक अर्थशास्त्रीयों को मैलथ्यूसियन सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत, वे जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबद्ध करते हैं। समस्या जनसंख्या विस्फोट की नहीं है अपितु संपत्ति-आय के असमान वितरण की है। यह अनिवार्य है कि अगले दशक के दौरान विशेष रूप से घनी आबादी वाले राज्यों में खराब कार्यनिष्पादन, कम प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता, निम्न साक्षरता दर और उच्च जन्म दर के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर के संदर्भ में विभिन्न वर्गों और राज्यों के बीच विसंगतियों को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने और प्रजनन शक्ति को विनियमित करने के लिए ये

उपाय सभी को स्वीकार्य हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने एक अध्ययन किया है। समिति की रिपोर्ट में यह देखा गया है कि कुल मिलाकर, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्त्र, बांग्लादेशी, लीबिया और मलेशिया जैसे प्रमुख इस्लामी देशों की भांति भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में भी प्रजनन शक्ति विनियमन तथा छोटे परिवार की विचाराधारा को स्वीकार किया जा रहा है।

इस विश्लेषण से यह पता चला कि लगभग 37 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग कर रही थीं। परिवार नियोजन के उपायों का विरोध किसी धार्मिक कारणों से नहीं अपितु अपनाई गई पद्धति के कारण किया गया था।

अपराह्न 5.05 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

लेकिन परिवार नियोजन के उपायों का विरोध करने वाली अधिकांश महिलाओं का नसबंदी के प्रति समान सकारात्मक नहीं है। इसलिए इस पहलु को ध्यान में रखना होगा।

महोदय, मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता। अंत में, मैं पंडित जवाहर लाल नेहरु का कथन उद्धत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:

> "मैं भारत की बढ़ती जनसंख्या की प्रवृत्ति को हमारे राष्ट्र निर्माण के पथ में बाधक नहीं मानता। मेरा यह विचार है कि मनुष्य में जन्मजात ही अत्यधिक संभावना और क्षमता होती है और हमारे राष्ट्र को यह कर्तव्य है कि हमारे देश के सतत् विकास के लिए उस संभावना का दोहन करे।"

यदि हमें अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का गंभीरतापूर्वक समाधान करना है तो हमें पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा प्रतिपादित इस विचार विशेष को क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे यह चर्चा आरंभ करने हेतु समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

मैं आशा करता हूं कि वह न केवल प्रजनन क्षमता नियंत्रण संबंधी मुद्दे पर अपितु सभी अन्य संबंधित मुद्दों पर भी उचित रूप से ध्यान देंगे जिससे हम इस समस्या का समुचित ढंग से समाधान कर सकें।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चर्चा का आरंभ करते हुए माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं।

महोदय, दुनिया भर के जनसांख्यिकीविद इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम अगले तीन दशकों में चीन की जनसंख्या को पार कर जाएंगे। हम पहले ही विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश हैं और हमारे ऊपर आबादी का भारी बोझ है क्योंकि हम अपने लोगों को रोजगार देने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब हम अगले तीन दशकों में चीन की जनसंख्या को पार कर जाएंगे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहां क्या स्थिति होगी।

गत दशक के दौरान हमारे देश की जनसंख्या 250 मिलियन से बढ़कर 1,000 मिलियन हो गई है। इस अवधि में विश्व जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है जबकि हम चार गुना बढ़ गए हैं। इसीलिए मानव इतिहास में अब सर्वकालिक सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। इसके पीछे यह तथ्य है कि विकास प्रक्रिया शुरु होने से पहले जन्म और मृत्यु दर एक समान थी; हालांकि दोनों की दर ऊंची थी किन्तु वृद्धि दर स्थायी थी। अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही में कमी आई है। किन्तु मृत्यु दर में जन्म दर से भी अधिक तेजी से गिरावट आई है। अब तीन जन्म पर एक मृत्यु हो रही है और इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण अधिक खाद्य उत्पादन है, उपलब्ध जन स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं हैं। चिकित्सा विज्ञान ने उन्नति कर ली है और अब सभी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षा के प्रसार ने लोगों में जागरूकता फैलाई है।

महोदय, मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हमारे आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कई बार हमें लगता हैं कि सार्वजनिक सेवाओं के पदाधिकारी समझते है कि सार्वजनिक कार्य हमारा नहीं बल्कि सभी का है; इसलिए यह काम किसी का नहीं रह जाता। अन्यथा, हम भी रूढ़िवादी लोगों के इस विश्वास का स्वागत कर सकते हैं कि बच्चा ईश्वर की देन है; इसलिए ईश्वर ही उसे पालेगा, या जो बच्चा पैदा होता है उसके एक मुंह ही नहीं दो हाथ भी होते हैं। हालात ये हैं कि हम उन्हें काम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, वन्य संसाधन, खनिज संसाधन, सभी बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर पर बेरोजगारी एक समस्या बनी ही रहेगी।

महोदय, आर्थिक घटनाक्रम को सभी जानते हैं और अनुत्पादक श्रमिक वर्ग देश की विकास संभावनाओं को निगल जाता है। इसलिए, यदि हम अपनी जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाते और इसी गति से बढ़ते-जाते हैं तो यह हमारी अर्थ व्यवस्था पर एक

[श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य]

बोझ होगा। इससे केवल अनुत्पादक, अशिक्षित श्रमिक वर्ग पैदा होगा, जिससे केवल धनी लोगों को लाभ मिलेगा जिन्हें कम दाम पर श्रमिक मिलेंगे और कुछ राजनेताओं को भी लाभ मिलेगा जो इनमें अपने वोट बैंक को सुरक्षित रख पाएंगे।

जनसंख्या मानव संसाधन होता है और भारतीय लोगों को विश्वास में अच्छा मानव संसाधन माना जाता है। लेकिन वे लोग कौन से हैं? हमने अपने संसाधनों का निर्यात कर दिया है। वे लोग अच्छे प्रबंधक, इंजीनियर हैं और वे उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते। वे सब जा चुके है। यही वे मानव संसाधन हैं जिन्हें दुनिया भर में सराहा जाता हैं। किन्तु अनुत्पादक श्रमिक वर्ग को मानव संसाधन नहीं कहा जा सकता। यह राज्य पर बोझ है।

इसके अलावा, हमारी जमीन पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 1960 में प्रति व्यक्ति 0.21 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी जो 1999 तक आते-आते 0.10 हेक्टेयर रह गाई है।

एक और मुद्दा बड़ा खतरनाक है। भूजल स्तर गिर रहा है और पुनर्भरण जिस गति से हो रहा है उसकी दो गुनी दर से स्तर गिर रहा है। यदि यही गति रही तो 40 वर्ष बाद जब हम चीन की जनसंख्या से अधिक होंगे, हमारी स्थिति क्या होगी? बेरोजगार लोगों की फौज अपने कष्टों को हमेशा नहीं सह पाएगी और इसी में अलगाववाद और आपराधिक प्रवृत्ति के बीज पनपते हैं।

हमें जनसंख्या वृद्धि की दर को एक व्यावहारिक स्तर पर रोकना होगा ताकि हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रख सकें और गरीब लोगों की देखभाल कर पाएं। अन्यथा, उनका असंतोष कई अनचाहे और अप्रत्याशित रूपों में हमारे सामने प्रकट होगा। यदि हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया और इसी गति से बढ़ने दिया तो हम भीड़तंत्र की ओर ही अग्रसर होंगे।

हमारे देश में परिवार नियोजन 1952 में शुरु किया गया। और यह 'हम दो हमारे दो' के नारे के सहारे जारी रहा। लेकिन आपातकाल की घोषणा के साथ इसे धक्का लगा और इसके बाद हमारी कोई नीति इस बारे में नहीं रही। यहां तक कि शिक्षाप्रद और प्रत्ययकारी उपाय भी त्याग दिए गए हैं और गरीब तथा कृषि क्षेत्र के परिवारों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कैरो सहमति के बाद कुछ व्यवस्था की गई किन्तु इससे भी केवल मातृत्व, मां के स्वास्थ्य, आदि में ही सुधार हुआ और जनसंख्या पर रोक लगाने में कुछ खास नियंत्रण नहीं हो पाया।

एक और मुद्दा यह हैं कि परिवार नियोजन नीति 2000 में थी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

यह बिना लक्ष्य के जारी रहा है। वर्ष 2002 में हमारी राजग सरकार ने भी परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वह वास्तविकता से परे थे। यदि हमें अपनी जनसंख्या में स्थायित्व लाना है तो हमारे पास परिवार नियोजन नीति होनी चाहिए। वर्ष 1961 में, जब हम छात्र थे तो उस समय हमसे एक प्रश्न किया जाता था कि क्या भारत की आबादी अधिक है? उस समय हमारी आबादी मात्र 44 मिलियन थी। अधिक आबादी की यह चर्चा चलती रही है। अब एक बिलियन का आंकड़ा पार कर लेने के बाद भी यही सवाल किया जा रहा हैं कि क्या हमारी आबादी अधिक है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

हालांकि हमारी आबादी बढ़ी हैं किन्तु हमने त्वरित आर्थिक विकास भी किया हैं। विरोधाभास यह है कि हमारे कष्ट भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए, इस प्रश्न के उत्तर में कहीं कोई संशय नहीं है कि हमारी आबादी अधिक है या नहीं। हमारे देश में तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इनकी आय एक डालर से भी कम है। इनमें से अधिकतर लोग कुली, रिक्शा वाले और अनियत मजदूर हैं। उनकी दैनिक आय 82 रु. या 100 रुपये है। दूसरी ओर, पौध लगाने वाले कामगर हैं जिनकी रोज की आमदनी में 40 रुपये और अन्य कुछ लाभ शामिल होते हैं। संगठित क्षेत्र में भी ऐसे अनियत मजदूर हैं जिन्हें 900 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलता है। इन लोगों के परिवार में औसतन छह सदस्य होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी प्रति व्यक्ति आय 10 रु. से अधिक नहीं है। इसलिए, इन लोगों के लिए गरीबी, भूख, सड़क किनारे रहना आम बातें हैं। इन लोगों के लिए सरकार की योजनाएं थीं और सरकार ने उनकी ओर खाली हाथ नहीं बढ़ाया था।

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा।

ऐसा इसलिए हैं कि बहुत सारा बजट प्रावधान है। लेकिन विकास ऐसी चीज है जिसे महसूस किया जाना है जिसका अनुभव किया जाना है और जिसे आंकड़ों के सहारे नहीं मापा जा सकता। सभी लोग विकास को महसूस नहीं कर रहे है या अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि विकास पर हो रहे खर्च का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा। सबको याद है कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए यह दुख का विषय था कि गरीबी उन्मूलन योजनाएं और ढांचागत विकास योजना जिनके लिए देश की जनता की बड़ी राशि खर्च की जा रही है, का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा

था। इस बड़ी राशि में से प्रत्येक एक रुपये में से 84 पैसे लाभार्थियों को पहुंचने से पहले ही डकार लिए जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं कर पाए। इसलिए चर्चा आरंभ करने वाले सदस्य ने देश में आबादी के तेजी से बढ़ते जाने पर ठीक ही चिंता जाहिर की थी। अभी भी समय है। हम उन सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं जो आबादी बढ़ने की वजह से होती हैं। यदि हम समाज के सभी स्तरों से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें और गरीबी उन्मूलन हेतु पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकें। यदि हम विकास के लिए एक रुपये में से 84 पैसे खर्च कर सकें; तो हम विकास कर पाएंगे; और लोगों में जागरुकता पैदा कर पाएंगे। इससे निश्चय ही जीवन स्तर बढ़ेगा ओर इससे आबादी की त्वरित वृद्धि पर शर्तिया रोक लगेगी। इसके लिए प्रोत्साहन युक्त लक्षित जनसंख्या नीति का सहारा मिलना आवश्यक है।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं इस अवसर पर श्री प्रबोध पण्डा को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस सम्मानित सभा के समक्ष यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हम इस सभा में इस महत्वपूर्ण मसले पर तब चर्चा कर रहे हैं जबकि यहां जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति काफी कम है।

कैरो शहर में आयोजित अंतराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन, जिसमें भारत भी एक हिस्सेदार था, को दस साल हो चुके हैं। कैरो में आयोजित इस सम्मेलन की समाप्ति पर यह बात कही गई थी कि निरूत्साहन पर आधारित बाध्यकारी जनसंख्या-नीतियां अंगीकार नहीं की जानी चाहिए। केरल का अनुभव एक अच्छा उदाहरण है, जहां बिना किसी बाध्यकारी उपाय के जनसंख्या नियंत्रण कर लिया जा सका।

वर्ष 2000 में हमारी संसद ने सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को स्वीकृत किया था जिसमें सभी बाध्यकारी उपायों को त्याग दिया गया था। लेकिन इसके बाद रा.ज.ग., भा.ज.पा. और कांग्रेस-नीत राज्य सरकारों ने निरूत्साहन पर आधारित गरीब-विरोधी और नारी-विरोधी जनसंख्या-नीतियां अपना लीं।

जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें राशन-कार्ड न देने, सरकारी सुविधाओं का लाभ ने देने और नौकरी से मना करने के मामले प्रकाश में आए हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु कृषि श्रमिक अधिनियम ने उन श्रमिकों को बीमा-लाभ प्रदान करने से इंकार किया है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। महाराष्ट्र में भी एक ऐसा अधिनियम है जिसके अनुसार दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को भू-जल सुविधा से वंचित किए जाने का प्रावधान है। इस तरह जनसंख्या-नियंत्रण के नाम पर विभिन्न राज्य-सरकारें ऐसी अवपीड़क नीतियां अपना रही हैं।

जनसंख्या-नियंत्रण के नाम पर जो चल रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कुछ राज्यों में बिना यह देखे सामूहिक नसबंदी शिविर चलाए जा रहे हैं कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। 90 प्रतिशत से अधिक किस्म की नसबंदी गतिविधियां महिलाओं पर ही आजमाई जा रही हैं। ये शिविर समुचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बिना ही संचालित किए जा रहे हैं।

राय सरकारों को गिरते लिंग-अनुपात और इस तथ्य की कोई चिंता नहीं है कि केवल दो बच्चे रखने का मापदंड वास्तव में लिंग विशेष का गर्भपात करवाने की घटनाओं को बढ़ावा ही देगा। पुरुष वर्चस्व वाले समाज में पुत्र की कामना बलवती होती है। सभी-नीतियों के दुष्प्रभाव अंततः बेचारी महिलाओं पर ही टूटे हैं।

'एम्नियों सेंटेसिस' जैसे आधुनिक तकनीकी अविष्कारों का उपयोग लिंग-निर्धारण के लिए किया जा रहा है। अभी एक दिन पूर्व ही हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया था कि हमारे देश में स्त्री लिंग-अनुपात में काफी गिरावट आई है। देश के ग्रामीण इलाकों तक में प्रसूति-पूर्व लिंग-निर्धारण परीक्षण के गैर-लाइसेंसयुक्त केन्द्र खुले हुए हैं। मादा गर्भ की हत्या एक सामान्य सी बात बन चुकी है जिससे स्त्री लिंग-अनुपात में गिरावट आ रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अध्ययन कराया था जिसका प्रतिवेदन वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह माना गया कि पंचायतों पर भी दो बच्चे रखने के मापदण्ड को लागू करने का नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए उक्त आधार पर अनर्ह घोषित किए गए व्यक्तियों में से 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के थे।

इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रसूति-पूर्व लिंग-निर्धारण करने वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ी है ओर उससे लिंग विशेष के गर्भ से मुक्ति पाने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। परित्याग तलाक और दत्तक हेतु संतानदान की घटनाओं में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। खासकर, सीमांत वर्गों की महिलाओं को इस नीतियों के, ऐसे कारकों के जो उनकी नियंत्रण के बाहर हैं, दुष्प्रभाव झेलने पड़े हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विगत छह माह के दौरान सकल जन्म-दर घटी है।

[श्रीमती पी. सतीदेवी]

महोदय, सुरक्षित और स्वास्थ्य रक्षक गर्भ निरोधकों की आवश्यकता अभी बनी हुई है अड़ैर यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उदारीकरण की नीति ने भारतीयों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हाथों प्रयोगशाला-परीक्षण में के लिए 'गिनी पिग' बना डाला है। इसका हमारे देश की महिलाओं की सेहत पर दूरगामी परिणाम होगा।

महोदय, सभी जनसंख्या-नियंत्रक तथापरिवार कल्याण उपाय स्त्री-केन्द्रित ही हैं। हमारे देश में गर्भ निरोधकों के नाम पर कुछ प्रतिबंधित दवाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं। 'क्विनाक्राइन' के बाद अब डाक्टर 'इरिथ्रोमाइसिन' की सलाह दे रहे हैं। औषधि-नियंत्रक की भूमिका कोई नहीं दिख रही। विकल्प के लाभ पर भारतीय बाजारों में आर.वी.-486, नेट-एन, डेपो-प्रोवेरा जैसी खतरनाक गर्भ निरोधक दवाएं उपलब्ध हैं। महोदय, खतरा तो इस बात से हैं कि अनेक सरकारी अस्पताल भी महिलाओं को इन दवाओं तथा गर्भ-निरोधकों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बिना इस बात का विचार किए कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

महदेय, दो बच्चों का मापदण्ड गरीबों को गरीबी की सजा है। खासकर यह गरीब लोगों का अभिशाप है, विशेषकर अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों के लिए, जिनके अधिक बच्चे हैं।

इन समुदायों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु - दर भी राष्ट्रीय औसत (62) से काफी अधिक है। अ.जा. में यह 119 है, अ.ज.जा. में 126, जबकि अन्य वर्ग में यह 82 है। शिशु मृत्यु-दर भी अ.जा. वर्ग में 83 तथा अ.ज.जा. वर्ग में 84 है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनिल बसु: अकेली यही महिला हैं जो इस मुद्दे पर बोल रही हैं और पुरुष-वर्चस्व की बात कर रही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अनिल बसु जी, आपकी पार्टी से चार मैम्बर्स को इसी विषय पर और बोलना है। इसलिए प्लीज समाप्त करिये।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी: मैं बस समाप्त ही कर रही हूं, महोदय। जनसंख्या-नियंत्रण नीतियां सीधे किसी नागरिक के चुनाव में खड़े होने के संवैधानिक अधिकार पर भी हमला कर रही हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक अति-आपत्तिजनक विधि में दो बच्चों के मापदण्ड को सही ठहराकर दो बच्चों से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को निरर्ह घोषित करने की बात कही है। यह बात हरियाणा सरकार के फैसले के मामले में कहीं गयी थी।

अत:, महोदय, जहां तक लक्षित नीति के अनुसार किए जाने वाले बाध्यकारी निरूत्साहक उपायों को त्यागने का प्रश्न है, इस बारे में राष्ट्रीय नीति की भावना को पुन: दोहराने की आवश्यकता है। संसद यह सुनिश्चित करे कि हम उन गरीब-विरोधी जनसंख्या-नीतियों को न अपनाएं जिनसे आपातकाल के दौरान देश की जनसंख्या-नीति बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

सुरक्षित, स्वास्थ्यरक्षक गर्भनिरोधकों के साथ-साथ परिवार का आकार स्वयं निर्धारित करने का अधिकार प्रदत्त किया जाना चाहिए। समुचित अभियावों तथा प्रोत्साहक प्रविधियों के जरिए आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे जनसंख्या-नियंत्रण उपायों पर विचार करते समय इन बातों पर भी विचार करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, हाफ एन ऑवर का टाइम हो गया है।

सभापति महोदय: आप एक मिनट बोल लीजिए, उसके बाद हम हाफ एन ऑवर लेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बोलिये न, अभी एक मिनट समय है।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि सम्पूर्ण विश्व के लिए एक ज्वलन्त समस्या है। यह वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई है कि इस स्थिति को विस्फोटक कहा जा सकता है। यदि जनसंख्या वृद्धि का यही क्रम चलता रहा तो जीवन के लिए जो उपलब्ध आवश्यक सामान हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगे, मानव नरभक्षी बन जायेगा। इस संबंध में

प्रो. कारसोण्डर्स के अनुसार जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: फिर कभी बोलिएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

अपराह्न 5.29 बजे

आधे घंटे की चर्चा

सर्वशिक्षा अभियान

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं मद सं. 23 लेता हूं यह आधे घंटे की चर्चा है। श्री रवि प्रकाश वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, हम आपका थोड़ा संरक्षण भी चाहेंगे, चूंकि यह सर्वशिक्षा अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह हिन्दुस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोग्राम है।

यदि आपको इस विषय पर थोड़ा अधिक समय देना पड़े, तो आप कृपया थोड़ा ध्यान रखें। ...*(व्यवधान)*

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, शिक्षा का मुद्दा, जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुमन जी भी पापुलेशन पर बोल रहे हैं। यह चर्चा आगे भी चलेगी, लेकिन अभी आधे घंटे की चर्चा का समय है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, दिनांक 21 मार्च, 2005 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 261 पूछा गया था, जिसमें शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए आपने आधे घंटे की चर्चा को स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। तब से इसका क्रियान्वयन आधे-अधूरे मन से किया जा रहा है। इस बात का पता इससे लगता है कि इसकी पहली बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 फरवरी, 2005 को चार साल के बाद बुलाई गई। इसमें जो एंरोलमेंट है और जो ड्रॉपआउट है उसके हिसाब से हम शत-प्रतिशत एंरोलमेंट नहीं करा पा रहे हैं। आज ड्रॉपआउट्स 50 प्रतिशत लड़कों के मामले में और 58 प्रतिशत लड़कियों के मामले में है, इस पर चिंता व्यक्त की गई है। यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बच्चों और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और कुछ संदर्भ में उनका अनुपालन करने का प्रयास भी किया गया है, जैसे कि देश की जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रयास किया गया है, एजुकेशन सेस दो प्रतिशत लगाया गया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके लिए मैं सरकार की सराहना भी करना चाहता हूं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में सर्वशिक्षा अभियान पर हिन्दुस्तान की नौकरशाही हावी हो गई है। सर्वशिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को बिना किसी सुनिश्चित कार्य योजना के आगे बढ़ाने का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक रेगयुलर एक्शन प्लान उसके लिए बनना चाहिए था। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जिसमें व्यापक स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों तथा जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, लेकिन कार्यशैली में पारदर्शिता के अभाव के कारण यह अवसर हाथ से निकल गया है। वर्ष 2002 में संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन आज तक सरकार आवश्यक शिक्षा अधिनियम बिल नहीं ला पाई है। उस दिन मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन रहा था बहस में उन्होंने कहा था कि हम इसे लाने नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह चिंता का विषय है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इसे लाने से रोक रही है। मुझे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहीं न कहीं इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है। भारत में जीरो से चौदह वर्ष की आयु के लगभग 44 प्रतिशत लोग हैं। वर्ष 1950 में जब संविधान को अंगीकार किया गया था तब सभी को बराबर का दर्जा दिया गया था। बच्चे भी इसमें बराबर के नागरिक हैं और उन्हें भी बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन आज हालत यह है कि हम इस 44 प्रतिशत आबादी के ऊपर 2.33 प्रतिशत ही भारत सरकार के बजट का खर्च कर पा रहे हैं। यह कहां का न्याय है?

वर्ष 1974 में भारत सरकार ने चिल्ड्रेन्स पालिसी बनाई थी। उस पालिसी के माध्यम से बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन का दर्जा दिया गया था। क्या यही तरीका है अपने राष्ट्रीय संसाधन को ट्रीट करने का? आज हालत यह है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इससे दुगुने से ज्यादा बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनमें से दो तिहाई से भी ज्यादा बालिकाएं हैं। मुझे लगता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। यह हालत हमारे हिन्दुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की है। अभी तक हालत यह है कि जितनी जरूरत है, उतने विद्यालय नहीं खोले जा सके

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

हैं। लाखों की तादाद में शिक्षकों का अभाव है और जो मौजूद हैं उनकी योग्यता और कार्यकुशलता पर भी प्रश्न चिह्न खड़े किए जा रहे हैं। उनकी स्किल की अपग्रेडेशन होगी या नहीं होगी। हालत यह है कि पांच-पांच साल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई-लिखाई के बेसिक्स भी ग्रहण नहीं कर पाए हैं। यह चिंता का विषय है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे पंचायत के स्तर पर आप करा पाएं, रेजिडेंशियल स्कूल खोलने चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि जो अधिकतम नौकरियां में, जो ड्रॉपआउट केसिस हैं, वे लड़कियों के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन समुदायों में से ही ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मौका महिलाओं को मिलना चाहिए क्योंकि वे इस मामले में ज्यादा सिंसियर होती हैं।

मैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि परिवार एक बेसिक इंस्टीट्यूट है जो व्यक्ति को संस्कार देता है। महिलाओं में वह इंस्टिंक्ट होती है। उनको शेयर मिलना चाहिए। साथ ही लाखों की तादाद में शिक्षकों की जो कमी है, उसे भरने का भी ख्याल रखें ताकि जो कमजोर तबके हैं, जिनको आरक्षण मिलता रहा है, उनको इस बात का अवसर दें।

सबसे दुविधाजनक स्थिति यह है कि हम अपने ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं कर पाए हैं। इस महत्वपूर्ण अभियान में संसाधनों का दुरुपयोग सामने आने लगा है। मैं माननीय सांसद की बात सुन रहा था। वे बता रहे थे कि जिन गांवों में बिजली नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, उन गांवों में सोनी का टीवी रख दिया गया है। इससे पता लगता है कि किस तरह रुपये खर्च हो रहे हैं। उनका उपयोग सामने आ रहा है या नहीं, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें अधिकतम पारदर्शिता अपनाते हुए और सबसे ज्यादा भागीदारी लेते हुए, जहां, जैसी जरूरत है, वैसी संवेदनशीलता के साथ इस प्रोग्राम को लागू कराने की जरूरत है।

आपने एजुकेशन सैस लगाया था, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं अपने बजट भाषण में भी आपको इस बात के लिए कह चुका हूं। आपने सन् 2004-2005 में करीब 5010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और सन् 2005-06 के बजट ऐस्टीमेट में 11,219 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बजट जो रिलीज होता है, भारत सरकार का टाइम बाउंड रिलीज करने का जो मकैनिज्म है, उससे उसे मुक्त करवा दीजिए। सारा बजट एकमुश्त चला जाना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके।

आपने जो एजुकेशन सैस लगाया था, उसे ऐडीशनैलिटी में इस्तेमाल करें। वह ऐडीशनल फंड है, जो आपको मिला है। आपको परम्परागत रूप से जो पैसा मिल रहा था, जो आपके प्लान में था, उसे आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत ज्यादा रुपये की जरुरत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: तापस मजूमदार कमेटी ने एक लाख 46 हजार करोड़ रुपये की रिकमैंडेशन की थी। आपने तय किया है कि हमें 2010 तक सारे बच्चों को स्कूल भेजना है और जैंडर पैरिटी स्थापित करनी है। हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। हम जिन समस्याओं पर रोजमर्रा चर्चा करते हैं, जैसे अभी आबादी बढ़ने के बारे में चर्चा हो रही थी, या अनइम्प्लॉयमैंट जैसी बहुत सी दूसरी समस्याएं हैं, उनकी जड़ में कहीं न कहीं अशिक्षा है। मुझे लगता है कि यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा पाप है, जिसे हम बहुत दिनों से ढो रहे हैं और उसे दूर नहीं कर सके हैं। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में हम इन लक्ष्यों पर पहुंच सकेंगे और जो सबसे कीमती लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान का है, उसे प्राप्त कर सकेंगे।

एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो ऐड्रैस नहीं हुआ, वह बाल श्रम का है। जो ड्रॉप-आउट केसेज हैं या पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण चाइल्ड लेबर का है। आज हिन्दुस्तान में, जैसा रिकार्ड में है, 12.6 मिलियन, यानी सवा करोड़ के आस-पास चाइल्ड लेबर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स शायद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कभी-कभी लोग रैगुलर के बजाए इररैगुलर या बिना पैसे के काम करते हैं। इसे देखने की जरूरत है। अगर हम पूरे सर्वशिक्षा अभियान में बाल श्रम के मामले को साथ ऐड्रैस करेंगे, इसकी समग्रता को देखते हुए इसे सर्वशिक्षा अभियान में जोड़ेंगे, तब फर्क पड़ेगा।

जैंडर डिसपैरिटी बहुत बड़ा कारण है। आप देखें आज भी जो लड़कियों ऐनरोलमैंट करा रही हैं, लड़कों के मुकाबले उनका ऐनरोलमैंट लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा होगा। यह चिन्ता का विषय है। जो ड्राप-आउट हो रही हैं, वह दो-तिहाई है। मुझे लगता है कि जैंडर डिसपैरिटी का ईशू बहुत बड़ा है। डकार फ्रेमवर्क में, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, उसमें हमारा कमिटमैंट है कि इसे पूरा करेंगे।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि लड़कियों के एनरोलमैंट से पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इसलिए इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ अख्तियार करना जरूरी है।

मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि लड़कियों का एनरोलमैंट एक बड़ा ईशू है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने मूल प्रश्न पर आइए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: जैंडर डिसपैरिटी के ईशू के बारे में आग्रह करना चाहता हूं कि टीसर्च के जो ऐप्वाइंटमैंट्स होने हैं, उनमें महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर पर जिन तबकों के बच्चे स्कूलिंग से छिटक रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम में उनका भी ख्याल रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अनुकरणीय कार्य किया गया है। वहां गरीब तबके की जो लड़कियों इंटर पास कर रही है, उनको सरकार ने 20 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि इतना जबरदस्त इन्सेंटिव गरीब, पिछड़े और दलित तबके की नन्हीं बहनों को कहीं नहीं मिला है। मैं खुद उन लड़कियों से मिला हूं। मैंने देखा है कि उनमें इस बात का उत्साह है। इसके अलावा जो आने वाली जनरेशन है, वह मैंटली खुद को इस बात की लिए तैयार कर रही हैं कि इस एन्सेंटिव को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं।

सच्चाई तो यह है कि हमारे हिन्दुस्तान के जो गरीब, लाचार और मजबूर तबके हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से अपनी परिस्थितियों बदलने का अवसर मिला है और उन्होंने उसे बदलकर दिखाया है। यह हमारे-आपके और इस संसद के ऊपर है कि किस तरह से हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दें। एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर पायें और उन्हें प्रेरित करते हुए हम साथ ले जायें। मुझे आशा है कि हमारा सर्वशिक्षा अभियान, खाली सर्वशिक्षा अभियान नहीं है बल्कि यह हिन्दुस्तान की तकदीर बदलने वाला अभियान है, हिन्दुस्तान की दूसरी आजादी का अभियान है। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है।

इसके साथ क्वालिटी एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्वालिटी एजुकेशन के मायने खाली उनकी फीस माफ करना नहीं है। उनको उचित और उपयोगी शिक्षा मिले जो जीवन में काम आ सके। उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले जो उन्हें अच्छा इंसान बना सके, जिन्हें हम लोकतंत्र के लिए तैयार कर सकें। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 55-56 वर्षों के लोकतंत्र में आज तक हम हृदय से लोकतांत्रिक नहीं बन पाये। हम कहीं न कहीं पुरानी सामंती विरासतों को ढो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था के अंदर कमियां रही हैं। सर्वशिक्षा अभियान की योजना से हम इस मानसिकता को दूर करने और एक सही किस्म का लोकतंत्र, जो हमारे हृदय से जन्म लेता है, उसे पैदा करने में हमें मदद मिलेगी।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम एजुकेशन फॉर ऑल का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो खाली एजुकेशन फॉर ऑल न करके क्वालिटी एजुकेशन फॉर आल का प्रोग्राम लें। इसमें हर बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिंदगी को एक मकसद मिले, अपने आपको आगे बढ़ाने की मानसिकता हो, इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का जो कार्यक्रम था, वह मैंने पढ़ा है। मुझे लगता है कि हमारे हिन्दुस्तान की जो ग्रामीण परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमें उस कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरीके से गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वर्मा जी, अब आप समाप्त कीजिए

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है।

सभापति महोदय: आपको बोलते हुए 14-15 मिनट हो गये हैं। अभी और माननीय सदस्य भी इसमें पार्टीसिपेट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके भी कुछ नियम हैं। यह आधे घंटे की चर्चा है।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा इश्यू ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वर्मा जी, आप विषय की महत्ता को कम मत कीजिए। आपने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात यहां रखी है।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: एक बहुत बड़ा इश्यू जो मैंने आपके नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देखा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर अब आप बोलेंगे तो विषय की महत्ता घट जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: संविधान में संशोधन की जब वकालत हम कर रहे थे, हमने एक बात रखी थी कि शिक्षा की गुणवत्ता, उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यूपीए सरकार और माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने कॉमन प्रोग्राम में इस बात को रखा है जिसकी हम बहुत तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंडीपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आप एक शिक्षा आयोग खड़ा करने की मेहरबानी कीजिए जो इंडीपेंडेटली पूरे हिन्दुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन दे और जो उपयोगी शिक्षा है, जो व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा है, उसकी गारंटी करें।

मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे कहना चाहता हूं, जो पहले भी दोहराई गयी है। जो हमारे पंचायती राज संस्थान हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह कोई सरकार का प्रोग्राम नहीं है, यह तो हिन्दुस्तान की तकदीर बदलने का प्रोग्राम है। इसे जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए अपने सहयोगी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि ये व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्र में, अपनी कांस्टीटूएंसी में प्राइमरी एजुकेशन के प्रोग्राम को, सर्वशिक्षा अभियान के प्रोग्राम को साथ लेकर चलें। अब तो संसद के माध्यम से आपको संसाधन भी मिलते हैं। अगर आप उन पर पैसा खर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। मुझे आपको अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि मैंने शिक्षा को अपना एजेंडा बनाकर कार्य किया है। मुझे यह बात कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसमें क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया। हम लोग बड़े पैमाने पर आगे बढ़े रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वर्मा जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी इस पर और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समय बहुत कीमती है। भू-मंडलीकरण की व्यवस्थाएं लागू हो रही है। पूरी इकॉनोमी मार्केट ड्रिवन होने जा रही है और अगर हम अपने हिन्दुस्तान के अंदर हर आदमी को मानव संसाधन में कंवर्ट नहीं कर पाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पाए तो समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं इस चर्चा के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो कमियां हमारे प्रोग्राम में रह गई हैं, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके द्वारा उठाए गए इतने महत्वपूर्ण विषय पर अभी सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भाग लेना है। इससे विषय की महत्ता और बढ़ेगी।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो कमियां इसमें रह गई हैं, उनकी तरफ मैंने इशारा किया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम को एक जन-आंदोलन का रूप देने की मेहरबानी करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री किसनभाई वी. पटेल, आप अभी केवल प्रश्न या केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण बाद में दीजिएगा।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: सभापति महोदय, सर्वशिक्षा अभियान में अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उसका मुख्य कारण जिला और तालुका स्तर पर समन्वय न होने की वजह से है। मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए चुने गए सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया जाए और यह मैनेजिंग कमेटी सरकार द्वारा बनाई जाए। सरकार इसमें क्या करना चाहती है, मैं यही जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री खारवेंथन आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, सर्वशिक्षा अभियान की मानीटरिंग के लिए देश भर में सभी राज्यों के कतिपय संस्थाओं को मान्यता देकर इसकी घोषणा की गई थी। तमिलनाडु में भी महत्वधारी, प्रतिष्ठित और प्रचीन विश्वविद्यालय है। अलगप्पा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर को मानीटरिंग संस्थाओं में शामिल किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को मानीटरिंग एजेंसियों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। तमिलनाडु में भी कई विश्वविद्यालय है। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है-तमिलनाडु विश्वविद्यालय, जिसे सर्वशिक्षा अभियान की मानीटरिंग के लिए रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के संबंध में, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि केवल नाम लिखने से सभी साक्षर और हमारा मकसद पूरा नहीं होता है बल्कि हमारे संविधान में उल्लिखित है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य माना जाए। उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हमारे सम्मानित साथी रवि प्रकाश वर्मा जी ने कहा कि कन्या विद्या धन योजना चलाई जा रही है और उसका इतना अच्छा रेस्पांस आ रहा है कि 20,000 रुपये लड़की को मिल रहा है और वह बी.ए. तथा एम.ए. करने को अग्रसर हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा मध्याह्न पोषाहार एवं छात्रवृत्ति के लिए 2195 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस राशि को तत्काल रिलीज कर दें क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस पर व्यय कर रही है। 1200 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराने की बात है, मैं चाहूंगा कि तत्काल इस राशि को रिलीज कर दें। जैसा कि मजूमदार समिति की संस्तुति के अनुसार नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर होने वाले समस्त अतिरिक्त व्यय भार को केन्द्र सरकार वहन करती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे और इस राशि को तुरंत रिलीज करेंगे।

[अनुवाद]

डा. चिंता मोहन (तिरुपति): महोदय, हमारा लक्ष्य है वर्ष 2010। हम गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ प्रोत्साहन-उपाय कर रहे हैं। विशेषकर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग ग्यारह करोड़ गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन स्वरूप 100 ग्राम चावल या गेहूं दिया जा रहा है जो गरीब बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। 100 ग्राम के बदले कम से कम 150 ग्राम चावल या गेहूं दिया जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक बच्चें को किलोग्राम की अपेक्षा 4.5 किलोग्राम चावल या गेहूं मिले। गरीब बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न-भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

अगली बात स्कूली बच्चों को वर्दी और नि:शुल्क पुस्तकें देने के बारे में है। सर्वशिक्षा अभियान के लिए हमें 5000 करोड़ रु. से अधिक का आवंटन मिला है। क्या गरीब बच्चों की सहायता का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: दो-तीन माननीय सदस्यों की ओर से समय दिए जाने के लिए रिक्वेस्ट्स प्राप्त हुई हैं लेकिन उनके नाम नहीं आए हैं। इसलिए हम केवल एक क्लैरीफिकेशन के लिए समय देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मेरा भी नाम है। छह सदस्यों ने बैलट में भाग लिया था।

सभापति महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप अब क्यों यह बात कर रहे हैं? आपको अपना नाम पहले देना चाहिए था।

श्री सुनील खां: महोदय, मेरा नाम है। हमने भी बैलट में भाग लिया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका नाम बैलट में तो है लेकिन प्रॉयरिटी में नहीं है। आपको पहले नोटिस देनी चाहिए थी। फिर भी चूंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री सुनील खान को, नियम की परिधि से बाहर जाते हुए, विशेष अनुमति के रूप में बोलने का समय दिया जाता है। आप केवल एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री सुनील खां: महोदय, प्रश्न नहीं पूछना है, बल्कि मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नहीं-नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमें सदन के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए अन्यथा हम आपको दिया गया समय समाप्त करके किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: सर्वशिक्षा अभियान एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं।

सभापति महोदय: श्री सुनील खां, आप इस मामले में केवल विशिष्ट प्रश्न ही पूछिए।

श्री सुनील खां: सर्वशिक्षा अभियान एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसमें कुछ खामियां है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नहीं-नहीं, कोई भूमिका देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके प्रश्न पर आइए।

[सभापति महोदय]

[अनुवाद]

मुद्दे की भूमिका मत बताइए। आपसे मैं केवल प्रश्न विशिष्ट ही पूछने को कह रहा हूं।

श्री सुनील खां: यदि इन खामियों को दूर नहीं किया जाता तो सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक पूरा नहीं होगा। मैं इसकी खामियां गिनाना चाहूंगा। पांच साल के बच्चे तो स्कूल जाएंगे, लेकिन यदि उनके अभिभावक सतत शिक्षा केन्द्रों या साक्षरता केन्द्रों में नहीं जाएंगे-जिन्हें साक्षरता अभियान ने समाप्त कर दिया है— तो सर्वशिक्षा अभियान का मकसद पूरा नहीं होगा। यही निरक्षरता की जड़ को ही समाप्त नहीं किया जाता तो साक्षरता अभियान सफल नहीं होगा।

सभापति महोदय: प्रो. बसुदेव बर्मन। कृपया समाप्त कीजिए, मैंने अगले वक्ता को कह दिया है।

श्री सुनील खां: मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षाकर्मियों को 1000 से 2000 रु. तक के वेतन में रखा जाता है। इसी संस्थान में अन्य शिक्षकों को अधिक वेतन मिल रहा है। अत:, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाना है तो शिक्षकों को बराबर राशि मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रो. बसुदेव बर्मन द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न के अलावा अन्य कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने पर होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में प्रोफेसर तापस मजूमदार की अध्यक्षिता में एक समिति का गठन किया था। इसके लिए कुल 1,36,922 करोड़ रु. की राशि का आकलन किया गया था। यह धनराशि 10 वर्षों के लिए, अर्थात् 1998-1999 से 2007-2008 तक के लिए रखने का प्रस्ताव था किन्तु निश्चित रूप से अब यह वर्ष 2010 तक चलेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण के लिए उस निवेश राशि को रखने का कोई विचार किया है या कर रही है?

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, माननीय मंत्री जी भलीभांति अवगत हैं कि सर्वशिक्षा अभियान में लाखों आई.सी.डी.सी. कर्मी संलग्न हैं। यद्यपि वे सर्वशिक्षा अभियान में लगे हैं लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है। लाखों आई.सी.डी.सी. कर्मी बच्चों की देख-भाल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इस अभियान के तहत लगभग 12 मिलियन आई.सी.डी.सी. कर्मी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, किन्तु उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाने जा रही हैं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तो किया जाए?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, सर्वशिक्षा अभियान पूरे देश में बच्चों को शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन देश में अभी भी बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। ऐसे चार पांच राज्य हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जिन्हें हम बीमारू राज्य भी कहते हैं। इन राज्यों में शिक्षा का स्तर बढ़े, साक्षरता का रेट बढ़े, उसके लिए क्या सरकार कोई विशेष योजना चलाने का विचार कर रही हैं? अभी डा. चिंता मोहन जी ने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार पूरे देश में उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। इस योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब बच्चें स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक-दो घंटे खाने में हीं लग जाते हैं और बच्चें खाना खाकर घर चले जाते हैं, फिर शिक्षक भी घर चले जाते हैं। इस तरह से पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए इस राशि का उचित व्यय नहीं हो पा रहा है। इसलिए बच्चे स्कूल समय पर जाएं और पढ़ाई के लिए पूरा समय दें, उसके लिए क्या सरकार इस योजना में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है?

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति जी, मैंने भी नोटिस दिया है, मुझे भी बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है आपने रिक्वेस्ट नहीं दी। मैं विशेष परिस्थिति में उन माननीय सदस्यों को मौका दे रहा हूं, जिनका नाम बैलेट में नहीं आ पाया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी,

अर्जुन सिंह जी का सर्व शिक्षा अभियान,
इससे भारत देश की बढ़ जाएगी शान।
अर्जुन सिंह जी अगर ज्यादा देंगे ध्यान,
तो हर छात्र बनेगा इनका फैन।
एनडीए वालों का नहीं बढ़ेगा ज्ञान।

सभापति महोदय: आप सिर्फ प्रश्न पूछे। यह आधे घंटे की चर्चा है।

श्री रामदास आठवले: यूपीए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। यह मंत्री जी ने एक अच्छा कार्यक्रम देश में पेश किया है। सभी बच्चों को शिक्षा देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज देखने में आता है कि मेडिकल कालेजज और इंजीनियरिंग कालेजज में केपिटेशन फीस लेकर शिक्षा दी जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में केपिटेशन फीस और डोनेशन पर पाबंदी लगे। मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि वह इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं? जिस तरह से केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं, उसी तरह से हर संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए। क्या सरकार इसके लिए कोई योजना बनाने जा रही है?

श्री राजाराम पाल: मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं कुछ सुझाव इस बारे में देना चाहता हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई स्कूल्स बाल श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे हैं।

सभापति महोदय: आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री राजाराम पाल: स्कूल्स में जो मिड डे मील और प्रौढ़ शिक्षा पर पैसा जा रहा है, उसमें से 80-90 प्रतिशत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। देश के सबसे बड़े आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों की बेहतरी के लिए जो पैसा केन्द्रीय सरकार से जाना है, उसे शीघ्र भेजने का सरकार कष्ट करे। उत्तर प्रदेश में 1565 विद्यालय ऐसे हैं, जहां छत नहीं है। इसलिए इन तमाम विद्यालयों में छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: सदन का समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप सबकी सहमति हो तो इस आइटम के समाप्त होने तक समय बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: श्री रविचंद्रन।

[अनुवाद]

श्री रविचंद्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु में नाम पटल हिन्दी में लिखे जा रहे हैं। लोगों को इन्हें पढ़ने में कठिनाई होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें तमिल भाषा में अनुदित करके लिखा जाए।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को लेकर इस सभा में अनिवार्य शिक्षा विधेयक का अधिनियमन किया गया है। तथापि, इस विधेयक में एक खामी है। शून्य से लेकर पांच वर्ष के आयु वर्ग के लिए किसी की जवाबदेही नहीं रखी गई है। क्या सरकार स्कूल-पूर्व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के मान से शून्य से पांच वर्ष के आयु वर्ग को भी सम्मिलित करने पर विचार कर रही है?

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर): सभापति जी, जो विधवाएं दूसरों के घरों में घरेलू काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ऐसे बच्चों को कुछ विशेष फैसिलिटीज देकर क्या सरकार उनके भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है ताकि वे बच्चें भी पढ़-लिखकर अपने भविष्य को संवार सकें और उनको भी नौकरी मिल सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय सभापति महोदय, यह विषय देश के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब-करीब सभी दलों के सम्माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी चिंता का इजहार किया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि चिंता का इजहार इस बात का प्रमाण है कि इस योजना के सफल होने में भी वे अपनी भागीदारी चाहते हैं। सिर्फ आलोचना की दृष्टि से ये बातें नहीं कहीं जा रही हैं। सर्व-शिक्षा-अभियान जैसे कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें आंकड़ों के आधार पर सफल नहीं कहा जा सकता हैं जब तक कि इन अभियानों के लिए एक संकल्प व्यवस्था में न हो। यह संकल्प केवल शासकीय कर्मचारियों में होने से भी काम नहीं चलेगा। उनका तो काम है और वे उसके लिए तनख्वाह पाते हैं। यह संकल्प जब तक सामाजिक स्तर पर, व्यापक रूप से नहीं होगा तब तक ऐसे प्रोग्रामों की सफलता संदिग्ध है। मॉनिटिरिंग एक बात है। अब आप मॉनिटिरिंग के लिए 10 लोगों के ऊपर 5 लोगों को लगा दें तो भी ठीक नहीं है और जिस लेवल पर मॉनिटिरिंग महत्व रखती है वह तो ग्रामीण स्तर को लेवल होना चाहिए, जिसमें हमारी पंचायतों के नुमाइंदे, हमारे जन-प्रतिनिधित हों और जिन्हें समाज के कमजोर वर्ग के अंदर मॉनिटिरिंग करने में रुचि हो। ऐसे लोगों को आप जब इसमें संबद्ध करेंगे तो हमें खामियां भी नजर आयेंगी और उनको दूर करने का रास्ता भी निकलेगा। मैं कोई शेखी बघारना नहीं चाहता हूं और न यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ होना चाहिए था वह हो गया है। मौलिक रूप से सवाल यह है कि एक व्यापक स्तर पर इस चीज में सम्मिलित होने की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए और वह प्रशासकों में भी होनी चाहिए, जन-प्रतिनिधियों में भी होनी चाहिए और

[श्री अर्जुन सिंह]

सामान्य-जनों में भी होनी चाहिए। ये अभियान उस हद तक सफल होंगे, जब उस अभियान में हमारी रूचि और हमारा स्वयं का जुड़ना होगा। इसे सफल और सरल करने के लिए जो सुझाव अभी दिए गए हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। इस समय मैं अलग-अलग प्रश्नों का, आंकड़ों के साथ, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, शायद उत्तर नहीं दे सकता लेकिन मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभियान आपकी नजर में सबसे आवश्यक और नितान्त जनहित से जुड़ा अभियान है।

जहां तक माननीय जन प्रतिनिधि, जिस स्तर पर भी इसमें सम्मिलित होकर मार्गदर्शन देना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, कृपया इसके लिए समय निकालें। मैंने कोशिश की और आगे भी करूंगा कि यह केवल सरकारी अभियान न रहे, यह अभियान एक जन आंदोलन का स्वरूप ले। राजीव जी ने जब मिशन मोड की बात की थी उसके पीछे यही उद्देश्य था और मिशन मोड के द्वारा जो कुछ भी काम हुआ, उसके ठोस नतीजे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जो धनराशि इकट्ठी की गई है, उसे व्यय करने के मापदंड सुनिश्चित और स्पष्ट हों। उसके जो भी नतीजे निकलें, उनका मूल्यांकन करने की ईमानदारी से कोशिश हो क्योंकि हम अपने को या किसी और को धोखा देकर ऐसा अभियान नहीं चला सकते। जो खामियां हैं, वे स्पष्ट हैं। भ्रष्टाचार का जो अंश है, वह कितनी दूर तक हैं, यह हम और आप सब जानते हैं, इसलिए यह कहना कि यह अभियान बिल्कुल नहीं चला है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा लेकिन यह सौ प्रतिशत सफल हो गया यह कहना और भी गलत होगा। हमें इसके बीच का कोई मूल्यांकन निकालना होगा। जो समितियां बनें, उनमें यदि जन प्रतिनिधियों, पंचायतों की पूरी-पूरी जिम्मेदारी और भागीदारी होगी तो मेरा ख्याल है कि हम और आप जो कल्पना करते हैं, कुछ हद तक उसमें सफल हो सकेंगे। खास तौर से गर्ल्स चाइल्ड की शिक्षा के आंकड़ों को देखते हुए, जो हमें विशेष रूप से कदम उठाने हैं करीब-करीब यह निश्चित हो चुका है कि कौन सी चीजें हैं, जिन की वजह से हम इसमें गति ला सकते हैं? एक तो मुफ्त पढ़ने की किताबें, मैं आठवीं क्लास तक की लड़कियों की बात कर रहा हूं। स्कूलों में सैपरेट टायॅलेट और कम से कम महिला शिक्षक 50 प्रतिशत हों।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: वे ज्यादा होनी चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह: ज्यादा करने की बात सोची जा सकती है लेकिन आज की व्यावहारिकता को देखते हुए, नहीं हुई, इसलिए 50 प्रतिशत ही पूरी तरह हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वह काफी होगा। शिक्षा के लिए स्पैशल कैम्पस बनें। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की बात है *...(व्यवधान)* ब्लॉक तक नहीं, इससे कुछ और नीचे ले जाना चाहिए। वह कम से कम हर पंचायत में नहीं हैं तो कम से कम पिछड़े इलाकों में होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों में साधनों की आवश्यकता होगी अभी लोगों को ऐसा लगता है कि दो प्रतिशत सेस क्या लग गया, सब पैसा उसी में चला जा रहा है। जो आंकड़े पहले से ही आपको मिले हैं, उनको न भुलाया जा सकता है न छिपाया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश को धन मुहैया करा दें।

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, धन मुहैया करने का फ्रेज तो बहुत अच्छा है लेकिन धन मुहैया होने की सीमा होती है। अब स्टेट्स की जो हालत है, वह हम लोगों से छिपी नहीं है। जिन स्टेट्स में भी यह कोशिश हो रही है और वे जो कुछ कर पा रहे हैं और जिन परिस्थितियों में उन्होंने चेष्टा की है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये जो विषय हैं, उसमें सामूहिक रूप से विचार करके, कुछ अतिरिक्त फैसले लेने पड़ सकते हैं और उन फैसलों को लेने में राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करना पड़ेगा।

अब सवाल आता है कि स्कूलों में जिन चीजों का अभाव है, उनको कैसे दूर किया जाए। एनरोलमेंट बढ़ा है और इसके साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं, उनकी संख्या में कमी हुई है, आंकड़ों के हिसाब से यह स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जितनी इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और जितनी कमी होनी चाहिए, उसका अनुपात ठीक नहीं है। लड़कों के अनुपात में लड़कियों के एनरोलमेंट में बढ़ोत्तरी हुई है, वह बढ़ोत्तरी प्राइमरी लैवल पर 39 से 88 तक पहुंच गई है और अपर प्राइमरी लैवर पर 18 से 78 पहुंच गई है। यह आंकड़े वर्ष 1950-51 से लेकर 2002-03 के बीच के हैं। लड़कियों के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट नीचे आया है, वर्ष 1960-61 के मापदंड में 70.9 प्रतिशत था और वर्ष 2002-03 के मापदंड में 33 प्रतिशत आया है और जेंडर गैप एलिमिनेट हुआ है। यह पॉजिटिव संकेत है और इन क्षेत्रों में अगर हमारे प्रयास में जरा भी ढीलापन आया तो फिर से यह वहीं पहुंच जाएंगे। पब्लिक एजुकेशन, एक अभियान है, अभी हमारे संसाद ने कहा है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद लोग इस बात को भी महत्व देते हैं। अक्सर बड़ी-बड़ी योजनाएं ही किसी संसदीय क्षेत्र के विकास की बात नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, मैंने इसी को एजेंडा बनाया था और मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह: इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। यह हम सभी लोगों को करना है, अकेले आदमी के करने से यह नहीं होगा ...*(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल: सभापति महोदय, मैं इससे संबद्ध करता हूं।

श्री अर्जुन सिंह: यह रिएलाइजेशन की बात है। हमारे रिएलाइजेशन का लैवल क्या है, मैं समझता हूं कि सर्वशिक्षा अभियान निश्चय ही एक अच्छा अभियान है लेकिन इसकी सफलता जनमत पर निर्भर है और वह जनमत भी कम से कम प्रतिनिधियों के स्तर पर हो। आज की चर्चों और जो चर्चाएं आजकल व्यापक रूप से चल रही हैं, उनसे यह भरोसा बन रहा है कि यह विषय केवल ब्यूरोक्रेसी के जिम्मे नहीं है, इसमें हम भी अपनी भागीदारी करते हैं। उस दिशा में जितना भी हम कर सकें, उतना ही हम सब को लाभ होगा। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि इस भावना को हम उस स्तर पर लाकर खड़ा करें जिसमें हमारी ओर से पूरी कोशिश होगी। जैसे-जैसे इस वर्ष के आंकड़ें सामने आयेंगे, जो हमारे प्रयास सामने आयेंगे, आप उन से कन्विंस होंगे कि हम ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सफलता की बात पहले से नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों की स्पष्टवादिता और सर्वविदित लक्ष्यों को समझ रहा हूं। मेरा कहना है कि आपके विचारों और चिन्ताओं के बीच में हमें आगे का मार्ग निकालना होगा, तभी हम सफल होंगे, यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री राम कृपाल यादव: बिहार की हालत बीमार जैसी है।

श्री अर्जुन सिंह: लेकिन आप बीमारू क्यों कहते हैं?

श्री राम कृपाल यादव: यह सच्चाई है। बिहार में गरीबी, फटेहाली है। यह पिछड़ा हुआ है। वहां शिक्षा की दर बहुत कम है। इनमें 35 प्रतिशत आबादी ऐसी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी बात हो गई है, आप डिटेल में क्यों जा रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह: बीमारू का अहसास होना चाहिये लेकिन बीमारू कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति जी, कम्पलसरी एजुकेशन बिल की बात माननीय मंत्री जी ने की है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की है और उन्होंने एन.सी.एम.पी. में इसे मैंशन किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द मैटीरियालाइज करें ताकि हम सब लोगों को ताकत मिले।

सभापति महोदय: लेकिन आप बैठिये। माननीय मंत्री जी का जवाब हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: शिक्षा कर्मियों के बारे में क्या हुआ? ये वे लोग हैं जो सर्व शिक्षा अभियान में लगे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिये। आपका भाषण पहले हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: ये लोग शिक्षकों की भांति ही काम कर रहे हैं। इन युवा शिक्षकों से तो अधिक दूसरे शिक्षकों को फायदा हो रहा है। यदि शिक्षा कर्मी के रूप में काम करने वाले इन शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं होती तो वे अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे। फिर सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य भी पूरे नहीं होंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी ने काफी विस्तार से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का जवाब पहले ही दे दिया है।

[अनुवाद]

अब सभा 12 मई पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.18 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा 12 मई, 2005/22, वैशाख, 1927 (शक) गुरूवार के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री वरकला राधाकृष्णन	641
2.	श्री शिवराज सिंह चौहान	642
3.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री चन्द्रभूषण सिंह	643
4.	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार	644
5.	श्री सुग्रीव सिंह	645
6.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	646
7.	श्री प्रबोध पाण्डा	647
8.	श्री बी. विनोद कुमार	648
9.	श्री दुष्यंत सिंह श्री कुलदीप बिश्नोई	649
10.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	650
11.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	651
12.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	652
13.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	653
14.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री ए. एफ. जी. ओसमानी	654
15.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	655
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	656
17.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री किन्जरपु येरननायडु	657
18.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री किसनभाई वी. पटेल	658
19.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	659
20.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	660

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	6804, 6892, 6927, 6967
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	6819, 6901, 6927, 6946
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	6863, 6871, 6927, 6943
4.	अजय कुमार, श्री एस.	6824, 6903
5.	अंसारी, श्री फुरकान	6838
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	6776, 6909
7.	आठवले, श्री रामदास	6893, 6957
8.	आजमी, श्री इलियास	6808
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	6944
10.	बर्मन, श्री हितेन	6772, 6929
11.	बर्मन, श्री रनेन	6787, 6870
12.	बखला, श्री जोवाकिम	6779, 6916
13.	बेल्लारमिन, श्री ए. वी.	6841
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	6834
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	6847, 6857, 6935
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	6767, 6874, 6952
17.	बोस, श्री सुब्रत	6782, 6880, 6927
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	6989
19.	चंदेल, श्री सुरेश	6985
20.	चारेनामै, श्री मणि	6866
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	6907, 6973
22.	चिन्ता मोहन, डा.	6908, 6963
23.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	6914, 6964

1	2	3
24.	चौधरी, श्री पंकज	6836, 6928
25.	चौधरी, श्री अधीर	6922
26.	चौधरी, श्री विकास	6765, 6967
27.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	6984
28.	धनराजू, डा. के.	6838, 6940
29.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	6872
30.	गढ़वी, श्री पी. एस.	6846, 6924
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	6939
32.	गमांग, श्री गिरिधर	6793
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	6895
34.	गांधी, श्री प्रदीप	6853
35.	गंगवार, श्री संतोष	6837, 6970
36.	गाव, श्री तापिर	6790, 6885, 6968
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	6862, 6966
38.	गिल, श्री आत्मा सिंह	6833
39.	गोहेन, श्री राजेन	6820
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	6855
41.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	6871, 6947
42.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	6806, 6990
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	6847, 6924, 6925, 6971
44.	झा, श्री रघुनाथ	6807, 6902, 6911
45.	जोगी, श्री अजीत	6868, 6870, 6948
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	6826, 6904
47.	कामत, श्री गुरूदास	6867
48.	करुणाकरन, श्री पी.	6811, 6991
49.	खैरे, श्री चंद्रकांत	6771
50.	खां, श्री सुनील	6796, 6919
51.	खन्ना, श्री अविनाश राय	6871
52.	खारवेनथन, श्री एस. के.	6775, 6847, 6879, 6950, 6989
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	6783, 6923
54.	कोया, डा. पी. पी.	6814
55.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	6800, 6910, 6977
56.	कृष्ण, श्री विजय	6864
57.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	6887
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	6841, 6945
59.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	6937
60.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	6848, 6926
61.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	6859, 6938
62.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	6854, 6988
63.	महतो, श्री बीर सिंह	6785, 6827
64.	महतो, श्री सुनिल कुमार	6805
65.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	6850, 6989
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	6845
67.	महतो, श्री टेक लाल	6856, 6933, 6934
68.	माझी, श्री परसुराम	6766
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	6781, 6870, 6878, 6955
70.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	6881, 6972
71.	मेघवाल, श्री कैलाश	6774, 6882, 6951
72.	मेहता, श्री आलोक कुमार	6777, 6895, 6958
73.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	6984
74.	मैन्या, डा. टोकचोम	6844
75.	मोदी, श्री सुशील कुमार	6861, 6871, 6941
76.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	6764

1	2	3
77.	मोहन, श्री पी.	6841
78.	मुकीम, मो.	6773, 6876, 6895, 6949
79.	मो. ताहिर, श्री	6848
80.	मोहिते, श्री सुबोध	6849, 6992
81.	मोल्लाह, श्री हन्नान	6770, 6811
82.	मुन्शी राम, श्री	6833, 6937
83.	मुर्मू, श्री हेमलाल	6809, 6896, 6976
84.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	6831
85.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	6812, 6841
86.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	6817
87.	नायक, श्री अनन्त	6789, 6884, 6953
88.	निखिल कुमार, श्री	6967
89.	नीतीश कुमार, श्री	6908, 6926
90.	ओराम, श्री जुएल	6795, 6878, 6894, 6959, 6985
91.	ओसमानी, श्री ए. एफ. जी.	6889, 6954
92.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	6915
93.	पलनिसामी, श्री के. सी.	6792, 6890
94.	पाण्डा, श्री प्रबोध	6897, 6956
95.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	6828
96.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	6784, 6821, 6913
97.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	6833
98.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	6953
99.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	6827, 6839, 6907, 6973
100.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	6794, 6803, 6888, 6966
101.	पाठक, श्री ब्रजेश	6815, 6899, 6962
102.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.	6813
103.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	6869
104.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	6851
105.	पिंगले, श्री देविदास	6860
106.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	6829, 6927, 6930, 6950, 6974
107.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	6830, 6983, 6993
108.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	6839
109.	प्रसाद, श्री लालमणि	6987
110.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	6906
111.	राजेन्द्र कुमार, श्री	6799
112.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	6927, 6960
113.	रंजन, श्रीमती रंजीत	6840
114.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	6900, 6925, 6979
115.	राव, श्री डी. विट्टल	6822
116.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	6816
117.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	6986
118.	साय, श्री विष्णु देव	6853
119.	सांगवान, श्री किशन सिंह	6832
120.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	6886, 6927, 6978
121.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	6843, 6921
122.	सत्पथी, श्री तथागत	6819, 6942
123.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	6830, 6912
124.	सेन, श्रीमती मिनाती	6780
125.	सेठी, श्री अर्जुन	6927
126.	शाहिद, मोहम्मद	6937
127.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	6819, 6821, 6901, 6932, 6946

1	2	3
128.	शिवन्ना, श्री एम.	6826, 6841, 6870, 6945
129.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	6798, 6937
130.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	6802
131.	सिंह देव, श्रीमती संगीता संगीता कुमारी	6791, 6898, 6961
132.	सिंह, श्री रामसेवक	6982
133.	सिंह, श्री चन्द्रभान	6769, 6875
134.	सिंह, श्री दुष्यंत	6918, 6969
135.	सिंह, श्री गणेश	6835, 6927, 6933
136.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	6905
137.	सिंह, श्री मोहन	6801
138.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	6778, 6911, 6981
139.	सिंह, श्री सुग्रीव	6891, 6966
140.	सिंह, श्री सूरज	6810, 6831, 6975
141.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	6842, 6920
142.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	6865
143.	सुब्बारायण, श्री के.	6825
144.	सुमन, श्री रामजीलाल	6848, 6963
145.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	6768
146.	थामस, श्री पी.सी.	6825
147.	ठुम्मर, श्री वी.के.	6788, 6898, 6961
148.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	6828, 6839
149.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	6980
150.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	6905
151.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	6870, 6877, 6965
152.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	6819, 6901, 6946, 6960
153.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	6847
154.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	6818
155.	विनोद कुमार, श्री बी.	6917
156.	यादव, श्री अखिलेश	6803
157.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	6805, 6883
158.	यादव, श्री बालेश्वर	6823, 6871
159.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	6873
160.	यादव, श्री गिरिधारी	6786
161.	यादव, श्री मित्रसेन	6974
162.	यादव, श्री पारसनाथ	6797
163.	यादव, श्री राम कृपाल	6858
164.	यादव, श्री सीता राम	6958
165.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	6936

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	648
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	642, 651,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	643, 647,
विदेश	:	646, 655, 656, 657
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	641, 644, 645, 648, 649, 650, 652, 653, 658, 660
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य	:	654.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
लघु उद्योग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	6825, 6827, 6857, 6880, 6912, 6951, 6977
परमाणु ऊर्जा	:	6985
कोयला	:	6764, 6765, 6796, 6801, 6802, 6805, 6809, 6815, 6835, 6842, 6845, 6847, 6849, 6853, 6856, 6863, 6872, 6910, 6927, 6933, 6934, 6936, 6943, 6967
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	6767, 6769, 6775, 6783, 6785, 6788, 6789, 6790, 6791, 6794, 6798, 6799, 6808, 6810, 6816, 6826, 6829, 6831, 6846, 6854, 6858, 6870, 6875, 6879, 6885, 6886, 6870, 6896, 6897, 6899, 6911, 6915, 6921, 6923, 6940, 6945, 6949, 6954, 6956, 6958, 6961, 6962, 6964, 6973, 6975, 6982, 6990
विदेश	:	6780, 6784, 6797, 6800, 6817, 6881, 6891, 6960, 6979

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	6768, 6770, 6771, 6772, 6773, 6776, 6777, 6778, 6779, 6781, 6787, 6803, 6804, 6807, 6812, 6813, 6814, 6819, 6821, 6822, 6824, 6828, 6830, 6832, 6839, 6840, 6852, 6855, 6860, 6864, 6868, 6869, 6876, 6877, 6878, 6889, 6892, 6894, 6895, 6898, 6901, 6905, 6909, 6913, 6914, 6924, 6925, 6930, 6946, 6947, 6948, 6966, 6969, 6971, 6972, 6976,
महासागर विकास	:	6983
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	6766, 6774, 6793, 6811, 6820, 6833, 6838, 6841, 6866, 6887, 6893, 6902, 6903, 6904, 6906 , 6907, 6953, 6955, 6957, 6963, 6981, 6989
योजना	:	6834, 6836, 6837, 6844, 6865, 6871, 6917, 6926, 6932, 6942, 6991
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	6806, 6859, 6862, 6882, 6917, 6939, 6965, 6986, 6987, 6988, 6993
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	6786, 6795, 6823, 6843, 6848, 6850, 6851, 6861, 6867, 6873, 6883, 6884, 6888, 6900, 6916, 6918, 6922, 6928, 6929, 6931, 6935, 6937, 6938, 6941, 6944, 6959, 6968, 6970, 6974, 6980, 6984, 6987, 6992
लघु उद्योग	:	6782, 6792, 6818, 6874, 6952
अंतरिक्ष	:	6950, 6978,
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	6908, 6720.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।